

द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना

हमारी डेकन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे के द्वारा श्रीमद्भागवत्पतञ्जलिविरचित व्याकरण-महाभाष्य को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई और उसके अनुसार व्याकरण-महाभाष्य के नवाह्निकी-विभाग को सर्वप्रथम प्रकाशित करने का हमने संकल्प किया। उस संकल्प के अनुसार नवाह्निकी-विभाग के प्रथम चार आह्निकों के प्रथम खण्ड का प्रकाशन संवत् २०१५ (सन् १९५९ ई.) में हो ही चुका है। नवाह्निकी विभाग के बचे हुए पाँच आह्निकों का यह द्वितीय खण्ड प्रकाशित करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता होती है।

वास्तव में द्वितीय खण्ड के प्रकाशन में बहुत विलंब हो गया है। इस विलंब का प्रमुख कारण है १२ जुलाई १९६१ का पूना का जललावन। पानशेत बाँव के टूट जाने से पुणे शहर का आधे से अधिक भाग जलमग्न हो गया। शहर का सारा जीवन ही इस बाढ़ से अस्तव्यस्त हो गया। प्रेस का कार्य पूर्ववत् सुचारु रूप से शुरू होने में जो समय लग गया उसीके परिणाम स्वरूप इस खण्ड के प्रकाशन में विलंब हो गया है। प्रेस का कार्य पूर्ववत् प्रारंभ होते ही उन्होंने तुरन्त हमारा यह महत्त्वपूर्ण काम हाथ में लिया और आज इस द्वितीय खण्ड के प्रकाशन से हमें बड़ी प्रसन्नता होती है।

प्रथम खण्ड के प्रकाशन के बाद अनेक मान्यवर विद्वानों के पत्र हमारे पास आए जिनमें हमारे इस कार्य की सराहना करते हुए अपनी प्रशंसात्मक सम्मतियों उन्होंने प्रकट की हैं। द्वितीय खण्ड को शीघ्र ही प्रकाशित करने की प्रार्थना करते हुए कुछ विद्वानों ने अनुवाद की भाषा में संशोधन करने की दृष्टि से भी कुछ उपयुक्त सूचनाएँ हमारे पास भेजीं। जहाँ तक हो सके द्वितीय खण्ड को प्रकाशित करते समय उन सूचनाओं का पालन करने का प्रयास हमने किया है।

द्वितीय खण्ड को प्रकाशित करने में, प्रथम खण्ड के समान ही हमें आर्थिक अड़चनों का सामना करना पड़ा। आर्थिक अड़चनों की पूर्ति करने के उद्देश्य से हमने कई व्यक्तियों तथा संस्थाओं के पास प्रार्थना-पत्र भेजे। हमारी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उत्तर-प्रदेश सरकार के द्वारा डेढ़ हजार रुपयों तथा मध्य-प्रदेश सरकार के द्वारा एक हजार रुपयों का अनुदान हमें प्राप्त हो गया जिसके लिए हम उक्त सरकारों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

‘नवाह्निकी-विभाग’ महाभाष्य का एक प्रमुख अंग ही माना जा सकता है। संपूर्ण महाभाष्य को राष्ट्रभाषा में अनूदित करने के लिए लगभग साठ हजार रुपयों

की आवश्यकता है। उक्त निधि के प्राप्त होने पर इस कठिन किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के उत्तरदायित्व का भार हमारी संस्था उठा सकती है।

प्रथम-खण्ड के समान द्वितीय खण्ड का अनुवादकार्य प्रा. मुळे ने ही किया है। द्वितीय खण्ड के संपादन तथा अनुवाद में मार्गदर्शन करने का काम महामहोपाध्याय प्रा. का. वा. अभयंकर जी ने ही किया है। द्वितीय खण्ड के अनुवाद तथा जॉच-कार्य में फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे के हिन्दी-विभागाध्यक्ष प्रा. सच्चिदानंद महादेव परळीकर ने बड़ा भारी सहयोग प्रदान किया है। हम उक्त तीनों महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार आर्यभूषण मुद्रणालय, पुणे के कुशल व्यवस्थापकों ने जो अतीव परिश्रम उठाए और समय समय पर मुद्रण से सम्बन्धित अमूल्य सूचनाएँ देकर हमें जो सहायता पहुँचाई उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे ४.
दिनांक २८।९।१९६३
विजया दशमी

कार्यवाह,
डेकन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे.

स पा द की य

आज स लगभग २१०० वर्ष पहले अपने सार में उपलब्ध संपूर्ण बरमाहित्य का सूत्रम अवलोकन करके तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों, व्याडिमुनि का 'सप्रह प्रथ और मित्र मित्र स्थानों पर प्रचलित पाणिनिमूर्तों क अभ्यास की धृति में सारभूत समझे जानेवाले कात्यायन, भरद्वाज आदि वैशाकरणों द्वारा रचित वार्तिकों का सूत्रम अनुगोलन करके, पतञ्जलिमुनि ने अपने 'व्याकरण महाभाष्य' ग्रन्थ का रचना की। यह ग्रन्थ व्याकरणशास्त्र म अत्यन्त प्रमाणभूत माना जाता है व्याकरण से सम्बन्धित कदल रूपमिद्धि ही नहीं अफितु मन्त्र और अर्थ के अष्ट सम्बन्ध उनक स्वरूप, सूत्रों की व्याख्या तथा रूपमिद्धि क सम्बन्ध में विद्वन्माय शास्त्रमन्त्र आदि व्याकरणविषयक महत्त्वपूर्ण विषयों में परिपूर्ण होनेके कारण पतञ्जलि क इस ग्रन्थ को भारत क वैशाकरण अत्यन्त प्रमाणभूत आकरग्रन्थ क रूपमें मानत आए है। अन्य शास्त्रों पर उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखनेवाले प्राचिन विद्वानों ने भी इस ग्रन्थ के महत्त्व को जानत हुए उनका समुचित उपयोग किया है। आनुनिभ भाषाविनाभिभ भा इस बात का थाप्र क माथ प्रातपादन कर्त है कि भाषाविनाभि के सूत्रम एव गहरे अध्ययन तथा तत्त्वम्वधा ग्रथनिर्मिति की दृष्टि स 'व्याकरणमहाभाष्य' क अभ्यास की निनात आवश्यकता है।

पाणिनि ने अष्टक को शास्त्र का स्वरूप प्राप्त करा प्ने म यद्यपि वार्तिकवचनों से ब्रह्मसूत्र महाशता प्राप्त हुई है फिर भी वार्तिकवचनों का सप्रह तथा व्याख्या करनेवाला व्याकरणमहाभाष्य हा 'व्याकरणशास्त्र' नाम यथाथे रूप में सार्थ करता है। कारण, महाभाष्य का स्वरूप वार्तिकों के समान सूत्रों का लघुवचनसप्रह करनेवाला नहीं है। उनके सिद्धांत शास्त्रोपयुक्त है और उनका प्रतिपादन तथा व्याख्या शास्त्रीय पद्धति से की गई है। अन्य शास्त्रों पर लिखे हुए सूत्रों का अपेक्षा पाणिनिमूर्त यद्यपि अधिक स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित है फिर भी उनका लाघवयुक्त रचना के कारण त्रिगिष्ट सूत्रों का पाणिनि को अभिप्रेत टाक अर्थ लगाना तभी तक सम्भव हुआ जब तक अव्यापकों की परम्परा अभुण्ण था। वार्तिककारों ने अव्यापक परम्परा में प्रचलित तथा पाणिनि को अभिप्रेत अर्थ का विवेचना करनेवाली दिग्गणियों को प्रथित किया और महाभाष्यकार ने अपने इस ग्रन्थ में इन मत्र वार्तिकों को एकरित करके उनकी अपनी सुदर प्रमाद्युक्त शैली म व्याख्या का है। मैंने 'व्याकरण महाभाष्य' के मराठी अनुवाद के सानव खण्ड में, जो 'प्रस्तावना-खण्ड' नाम से मराठी में प्रसिद्ध है पतञ्जलि के काल प्राप्त साधनों क आधार पर लिखित उनका चारनी उनके सूत्रार्थप्रतिपादन तथा उनक व्याकरणविषयक मौलिक सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना की है। यथानेभव हिन्दी क पाठकों को कम से कम प्रस्तावना खण्ड पन्ने मिले इस उद्देश्य से उचित अवसर प्राप्त होने पर उसे हिन्दी में अनुदित करने का मेरा विचार है।

'पतञ्जलि व्याकरणमहाभाष्य' जैसे महान् एव महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को सन १९०० वर्षों के सन्ध्यासुद की असन्ध्या लहरों के विविध प्रकार क आपात सहते पड़े हों तो इन पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता। फिर भी विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि इन आपातों के बावजूद भी यह ग्रन्थ पूर्णरूपेण सुरक्षित रह सका और यद्यपि इसे सुरक्षित रखने का श्रेय

इसकी रक्षा करनेवालों को देना उचित होगा फिर भी प्रमुखतया ग्रन्थ के विषय की गभीरता, इसमें निहित सभी शास्त्रों को स्वीकरणीय सिद्धान्तों तथा क्लिष्ट विषय को अत्यन्त सरल तथा सुबोध भाषा में स्पष्ट करने की प्रवृत्ति की निपुणता को भी यह श्रेय देना चाहिए।

इसा की पहली चार या पाँच सदियों में इसे सर्वोत्तम जाघात पहुँच गए। वैदिक प्रक्रियाओं तथा स्वयं को अलग हटकर पाणिनि के ही सूत्रों का संक्षेप में निरूपण करनेवाले वात्स्य, चान्द्र आदि व्याकरणसूत्रग्रथ लिखे गए जो बहुत ही लोचप्रिय हुए। इन ग्रन्थों की लोचप्रियता का प्रमुख कारण था सस्ते मार्ग से ज्ञान प्राप्त करने की लोगों की महत्तावृत्ति। सस्ती लोचप्रियता प्राप्त करनेवाले इन ग्रन्थों का प्रचलन इतना बढ़ गया कि महोपाध्याय भर्तृहरि के कुछ समय पूर्व महाभाष्य की प्रामाणिक प्रति मिलना भी दुर्लभ हो गया। इस बात की ध्यान में लेते हुए भर्तृहरि ने महाभाष्य के प्रमुख सिद्धान्तों की विवेचना अपने वाक्यपदीय ग्रन्थ में की है। साथ ही साथ 'दीपिका' नाम की महाभाष्य की एक सुरर तथा उपयुक्त व्याख्या भी भर्तृहरि ने लिखी है। दुर्भाग्य से आज यह संपूर्ण व्याख्या उपलब्ध नहीं है। भर्तृहरि के कारण महाभाष्य जीवित ही नहीं रहा अपितु फिर से पनपने भी लगा किन्तु कुछ समय के बाद 'दीपिका' की भी यही अवस्था हुई जो महाभाष्य की हो गई थी। 'दीपिका' का अल्प अर्थ ही आज उपलब्ध है और उसकी हस्तलिपि प्रतियों में स्थान स्थान पर अल्पसंख्यक प्रमाद लेखकों द्वारा मूल ग्रन्थ की प्रतिलिपि करते समय किये गये हैं।

भर्तृहरि के कुछ समय बाद ही महाभाष्य की उपर्युक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए, इतना ही नहीं तो कहीं कहीं महाभाष्य के शब्दों एवं वाक्यों को ज्यों के त्यों उद्धृत करते हुए पाणिनि के सूत्रों पर इसका ही सातवीं अक्षरान्त में जयादित्य तथा वामना ने काशिकावृत्ति लिखी। काशिकावृत्ति की 'न्यास' नाम से प्रसिद्ध व्याख्या विनेन्द्रबुद्धि ने लिखी जिसमें महाभाष्य के मोटे मोटे सिद्धान्तों को बीच बीच में प्रथित किया गया है। 'न्यास' की भी व्याख्या करने के उद्देश्य से मैत्रेयस्मिन् ने 'तत्रप्रदीप' नाम का टीकाग्रन्थ लिखा। काशिका तथा तत्सम्बन्धी व्याख्याओं की ओर लोगों का इतना ध्यान आकृष्ट हुआ कि महाभाष्य के अन्वय की ओर से वैयकरण का ध्यान फिर से हट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ स्थानों में महाभाष्य की पंक्तियों का रहस्य मात्रम करना भी असंभव हो गया। हम इस घटना को महाभाष्याध्ययन का द्वितीय लोप कह सकते हैं। इस सन्दर्भ से महाभाष्य की रक्षा करने का रुठिन कार्य ईसा की ११ वीं शताब्दी में कैथेटमट द्वारा सफल हुआ। उन्होंने 'महाभाष्य' की व्याख्या के लिए 'प्रदीप' नाम का टीकाग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ की रचना करते हुए उन्होंने भर्तृहरि की 'दीपिका' से समुचित लाभ उठाया। वैयकरणकुल में यह प्रवाद आज तक प्रचलित है कि कैथेट ने महाभाष्य को जीवन्तदान दिया और उसकी रक्षा की, इतना ही नहीं तो महाभाष्य के सूत्रों का परम्परागत स्वीकरण यद्यपि छुप्त होने लगा था तो भी उपलब्ध स्वीकरण में अन्तर्गत 'प्रदीप' नामक व्याख्या से ज्ञान पुनर्दीप्त तथा महाभाष्य का पुनरुज्जीवन किया।

काल की महिमा अवर्णनीय है। कैथेट जैसे वैयकरणों के प्रयत्नों के शायद ही व्याकरण का अध्ययन करनेवाले अभ्यासियों की कठिन प्रयत्नों को जान लेने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती गई। इसने परिणाम स्वरूप बाद के चार पाँच सौ वर्षों में भाषावृत्ति, प्रक्रियाकौमुदी, सिद्धान्तकौमुदी आदि शास्त्रप्रवेश को गुञ्ज बना देनेवाले ग्रन्थों की भरमार हुई और इन ग्रन्थों



स्वर्गीय गुरुवर्य म म वासुदेवशास्त्रीकी पवित्र स्मृतिको कृतज्ञतापूर्वक
अर्पण

सिद्धान्तों को इनकी सरलता से आपने स्पष्ट किया है कि आपका ग्रन्थ पत्र पूना के कुछ विद्वान् आपको ' विशिष्टाद्वैतवादी ' ही मानने लगे। यहाँ हम वायुदेवशास्त्री की तुलना शंकराचार्य की शैली से कर सकते हैं। शंकराचार्य की शैली की सुस्पष्टता, सुदरता तथा दूसरे के विचारों को भी तर्कपूर्ण शैली में समझा देने की कुशलता आदि विशेषताएँ आपकी शैली में भा पाई जाती हैं। ' विशिष्टाद्वैतमन ' लिखने के बाद आपने उतनी ही सुदर शैली में ' अद्वैतामोद ' ग्रन्थ लिखा जिसमें आपने ' अद्वैतवाद ' तथा ' विशिष्टाद्वैतवाद ' के अन्तर की अत्यन्त सरल एवं सूक्ष्म रीति से स्पष्ट किया है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में विद्वानों का यह भ्रम दूर हुआ कि आप विशिष्टाद्वैतवादी हैं। इस समय संस्कृत के मान्यवर विद्वान् के रूप में आपकी ख्याति तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तक पहुँची और सन् १९२१ ई० में इस क्षेत्र की सर्वोच्च उपाधि ' महामहोपाध्याय ' से सरकार ने आपको विभूषित किया किन्तु वास्तव में आप जैसे अनेक शास्त्रों का तल्पपशी अध्ययन करनेवाले वाग्देवी के वरपुत्र को पारर वह उपाधि ही स्वयं गौरवान्वित हुई।

सन् १९२० ई० में आपने ' सर्वदर्शनसंग्रह ' को अपनी विवेचन टिप्पणियों सहित प्रकाशित करने का कार्य प्रारम्भ किया और सन् १९२४ ई० में यह महान् कार्य पूर्ण किया। आपका यह कार्य इतना महान् तथा इतना मौलिक है कि इन के प्रकाशन से समूचे भारतवर्ष में एक महान् मस्कृत पंडित के रूप में आपका ख्याति हुई। इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण दो हा वकों में समाप्त हुआ और द्वितीय संस्करण की मँग बराबर जारी रखा जिसे आपको मृत्यु के बाद आपके सुपुत्र म म प्रा सा वा अभ्यसर जा ने पूर्ण किया। इस ग्रन्थ के प्रकाशन से स्वयं वायुदेवशास्त्री जी ने भी यह अनुभव किया कि गुरु रामशास्त्री जी की कृपाने आपकी (वायुदेवशास्त्री को) जीवनमार्ग प्राप्त हुआ।

सन् १९२८ ई में आप फर्ग्युसन कॉलेज का संवाओं से औपचारिक रूप में निरुत्त हुए। कॉलेज के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में आप परम आदरणीय बन गए थे। गहन पांडित्य, मूर्धन्य विद्वत्ता, शुद्ध, सरल, स्पष्ट, मधुर तथा प्रभावोत्पादक वक्तृता, उच्च बलि चरित्र और पवित्र आचरण, आपके इन गुणों से ही आप अपने सहयोगी प्राध्यापक तथा विद्यार्थियों के भ्रद्धाभाजन बन गए। आपने निरुत्त होनेपर फर्ग्युसन कॉलेज के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने एक बड़ी भारी हानि का अनुभव किया। किन्तु यह हानि औपचारिक ही मानी जा सकती थी क्योंकि अब आपका क्षेत्र बहुत ही व्यापक बन गया। कॉलेज के विद्यार्थी ही नहीं अपितु प्राध्यापक भी आप के पान ज्ञानार्जन के लिए आने लगे और इस प्रकार आप प्राध्यापकों के भी प्राध्यापक बन गए। केवल महाविद्यालय क्षेत्र के ही नहीं तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संस्कृत का अध्ययन करनेवाले चिन्ताशु आपने विचारपरामर्श देने आते थे और आपकी विद्वत्ता, समझाने की पद्धति तथा सच्चरित्रता से प्रभावित एवं सतुष्ट होकर लौट जाते थे। इस प्रकार अब तो आप एक जगम ज्ञानपीठ ही बन गए। कॉलेज के काम से निरुत्त होने से आपको अनुमन्धान कार्य के लिए भी अधिक समय प्राप्त हुआ। उसने आपने समुचित लाभ उठाया। अविरत अध्ययन, अविरत अध्यापन तथा अविरत लेखन में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। ' कण्ठा क्षणज्ञ ' आपने ज्ञानसचय किया और ' राशिज्ञ क्षणज्ञ ' उच्च ज्ञान का वितरण भी किया। आपके द्वारा संपादित वा लिखित ग्रन्थों की संख्या भी आपके गौरव के सागर ही है। ' परिमाणेंदुशेखर ', ' लघुशब्देंदुशेखर ' ' श्रीभाष्य

चतु मूर्त्तयः', 'यतीन्द्रमतदीपिका', 'कुण्डार्क', 'मीमांसान्याय प्रकाश', 'श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम दो अध्याय', 'सिद्धान्तविन्दु' तथा 'सर्वदर्शनसंग्रह' आदि ग्रंथों की व्याख्याएँ लिखकर आपने उन्हें सरल शैली में स्पष्ट किया है। 'ब्रह्मसूत्र शास्त्रभाष्य' तथा 'पातञ्जल व्याकरणमहाभाष्य' इन दो बृहत्काय ग्रंथों का इतना सुंदर मराठी अनुवाद आपने किया है कि कहीं कहीं मूल ग्रंथों का भाषा सौन्दर्य अनुवाद के सामने पीछा न कर जाता है। 'पातञ्जल योगसूत्र', 'काव्य-प्रकाश', 'संस्कार पद्धति', तथा 'न्यायनीति' के संशोधित संस्करण आपने प्रकाशित किये। 'विशिष्टाद्वैतमत', 'अद्वैतामोद', 'सूत्रान्तरपरिग्रहविचार', 'धर्मतत्त्वनिर्णय' तथा 'काय परिशुद्धि' आदि स्वतंत्र मौलिक ग्रंथों की रचना करके आपने अपनी स्वतंत्र प्रतिभा का परिचय दिया। व्याकरण, वेदान्त, योग, जलकार, धर्म, न्याय, भीमासा आदि सभी शास्त्रों में आपकी पैनी प्रतिभा लीलया विचरण करती हुई दृष्टिगोचर होती है।

आपसे संपादित अनूदित वा लिखित सभी प्रकार की रचनाओं में सत्र से श्रेष्ठ, मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण रचना है 'पातञ्जल व्याकरणमहाभाष्य' का मराठी अनुवाद। आज तक इस समग्र ग्रंथ का किसी भी भारतीय वा अन्य भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है। आपका यह अनुवाद मूल महाभाष्य से भी कहीं कहीं अधिक सुंदर बन गया है। व्याकरण जैसे जटिल एवं नीरस विषय को आपने सरल एवं सरस शैली में स्पष्ट किया है। आपका मूल व्यक्तित्व ही एक व्याकरण का व्यक्तित्व था। स्वाभाविक परिणाम यही हुआ कि यह ग्रंथ आदर्श एवं सुबोध शैली में लिखा गया। मूल महाभाष्य एवं उसके मराठी अनुवाद तथा विनैक टिप्पणियों सहित ३००० पृष्ठों का यह ग्रंथ मराठी भाषा का एक अमूल्य रत्न है।

व्याकरणशास्त्र का अध्यापन तथा उससे सम्बन्धित प्रवर्लेखन दोनों दृष्टियों से जो महान् परम्परा पतञ्जलि से नागेश तक चलती आई है और निम्न परम्परा में अनेक शिष्योत्तमों तथा सुन्दर ग्रंथों का निर्माण करने तथा इन परम्परा को अशुण्ण रखने का महान् कार्य नागेश के द्वारा सम्पन्न हुआ उसी उज्ज्वल परम्परा को दोनों विशेषताओं प्रवर्लेखन तथा शिष्योत्तम तैयार करने-के साथ सुरक्षित रखने का और नागेश के समान ही महान् व्याकरण बनाने का गौरव म. म. वामुदेवशास्त्री जी ने प्राप्त किया। आप सही अर्थों में अर्वाचीन युग के पतञ्जलि माने जाने लगे।

सन् १९३८ ई० में आपके विद्यार्थियों तथा प्रेमियों द्वारा आपकी पवइतरवीं वर्षगाँठ का समारोह उस समय के बम्बई राज्य के मुख्य मन्त्री बा. ग. खेर की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर आपने 'पातञ्जल व्याकरणमहाभाष्य' की हस्तलिखित प्रति डे. ए. सोसायटी को श्रुतज्ञतापूर्वक अर्पण की। डे. ए. सोसायटी ने इस बहुमूल्य ग्रंथ को छ. खण्डों में प्रकाशित किया। इतना ही नहीं तो आपके सुपुत्र म. म. प्रा. का वा. अन्वयर जो का लिखा हुआ प्रस्तावना खण्ड, जो कि मद्रहृत की व्याकरणपरम्परा के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाला अपने आप में स्वतंत्र एवं मौलिक शोधग्रन्थ है, साठवें खण्ड के रूप में प्रकाशित किया।

म. म. वामुदेवशास्त्री का अंतिम प्रकाशन है 'कायपरिशुद्धि'। इस प्रकार के और दो ग्रंथ 'साधनामोद' तथा 'मोक्षामोद' प्रकाशित करने का आपने सन्त्य किया था। आपके मतानुसार मोक्षप्राप्ति की तीन अवस्थाओं के प्रतीक रूप से तीन ग्रन्थ बन जाते।

म म वासुदेवशास्त्री को जीवनी में यह मालूम होगा कि आपमें प्राचीन और नवीन आदर्शों का सुंदर ममन्वय हो गया था। प्राचीन परंपरा में प्राप्त ज्ञान का आपने अनुमन्धान नये की दृष्टि में समुचित उपयोग किया। आपकी प्रगल्भ प्रतिभा तथा अखण्ड ज्ञानमाधना का मानी महाविद्यालयों स्नातकों में भी अपवाद से ही मिलेगा। आपके अध्ययन तथा खामकर वेदान्त के अनुशीलन का गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ गया था। आप अपनी आवश्यकताओं को सीमाओं में रखते हुए जीवन यापन करनेवाले एक महान् मयमी पुम्प थे। आपके जीवन का आदर्श था सरल जीवन तथा उच्च विचार। आपने अत्रिंन धन का भी योग्य रूप में विनियोग किया। अर्थात् धार्मिक कर्तव्यों तथा त्रों में, तीर्थ-यात्राओं में और प्रमुत्वनया ज्ञानरत गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने में ही आपने अपना धन खर्च किया।

मन् १९४० ई० में १४ अस्तूवर्ग के दिन आप बड़े सनोप के माथ पञ्चत्व में विलीन हो गए। इतने सनोप तथा तृत्तिके साथ प्राप्त मृत्यु उहुत थोड़े लोगों के भाग्य में बदा होती है। अन्त तर्न आप विद्यामामा की मेवा में रत रहे। मृत्यु से कुछ घण्टे पहले ही एक शास्त्री के माथ आपने वेदान्त विषयक कुछ महत्त्वपूर्ण त्रों पर चर्चा की और उर्वरित त्रों के मन्वन्ध में विचारपरामर्श पाने के लिए आपने उमे दूसरे दिन भी आमत्रिन किया था। इस प्रकार आपने ज्ञानमाधाना के दीप को आनंदवन अखण्ड रूप में प्रज्वलित रखा। इतना ही नहीं तो आपके त्रों से अनेक जिज्ञानु अनेक त्रों तर्न अपनी ज्ञानलाग्ना तृत्त नरते रहेंगे।

म म वासुदेवशास्त्री का जीवन पुरानी पाटी के महान्, ज्ञानरत तथा आदर्श पंडित का जीवन था जो सभी दृष्टियों में अनुकरणीय माना जा सकता है। अर्वाचीन स्वाभाविक, सरल, सुबोध तथा मधुर सम्स्कृत गय की परम्परा के प्रवर्तकों में आप का स्थान बहुत ही उच्च माना जाएगा। ज्ञानार्जन के समान ही दीर्घयोग तथा धर्मनिष्ठा आपके जीवन के और दो प्रमुख सूत्र माने जा सकते हैं। आपकी धर्मनिष्ठा जाड्वल्य अभिमान के रूप में ज्वालामुखी की भाँति नहीं भी प्रस्फुटित नहीं हुई तो वह आपके जीवन का ही एक अग वनरर ज वनप्रवाह के साथ शांत गति से प्रवाहित हुई। भारतीय सम्स्कृति तथा परम्परागत आदर्शों में आपका पूर्ण विश्वास था। यही कारण है कि आपने आजीवन पूर्वजों के बनाए हुए आदर्शों का ही पालन किया। किन्तु आपका यह धर्माचरण आपको ज्ञानमाधना में बाधक नहीं हुआ। नवीन परम्परा के भी कुछ आदर्शों को आपने अपनाया। समय की पात्रन्दी, नवीन विचारों के ग्रहणीय तथ्य को आत्ममान् करने की तत्पगता, औरों के प्रति सहानुभूति आदि नवीन परम्परा के योग्य गुण आपमें प्रकर्ष के साथ दिखाई देते थे जो आपके समय के शास्त्रीपण्डितों में अभाव में ही दिखाई देंगे। आपमें और भी अनेक अनुकरणीय गुण थे। आपका दृड व्यक्तित्व तथा दिये हुए वचन तथा किये हुए निश्चय का पालन करने की क्षमता असाधारण थी। बड़ोदा रियामत के काम को आपने दिन रात एक करके अवधि के भीतर पूर्ण किया। उमा प्रकार डे ए सोसायटी को अपनी पचहत्तरवीं वर्षगाँठ के अवसर पर ही आप 'पातञ्जल महाभाष्य' अर्पण करना चाहते थे। वह काम भी आपने निश्चय के माथ नियत समय में पूर्ण किया। आपका गुरुभक्ति भी असाधारण मानी जा सकती है। यह गुरुभक्ति अमत्य विनय के आवरण में युक्त नहीं थी तो ज्ञान के अमीम दर्शन के स्वाभाविक परिणाम के रूप में वह प्रकट थी। आपने सर्वत्र ही अत्यन्त श्रद्धा तथा आदर के साथ अपने गुरु का उल्लेख किया है जो सदैव आपके जीवन के महान् आदर्श रहे।

आज आपकी जन्मशताब्दी के वर्ष में हमें भी आपके सम्बन्ध में उमी अभिनिवेश के साथ बोलना चाहिए जिस प्रकार आप अपने गुरु के सम्बन्ध में बोलते थे। असंख्य शिष्य निर्माण करनेवाले गुरु मिल सकते हैं किन्तु ज्ञान की स्थाई परम्पराएँ निर्माण करनेवाला ज्ञानपीठ दुर्लभ होता है। ग्रंथलेखन करनेवाले भी बहुत होते हैं, लेखिन ग्रंथों में अपना संपूर्ण व्यक्तित्व उंडेल देनेवाले कम होते हैं। एकाध उत्तम ग्रंथ लिखकर विध्राम लेनेवाले बहुतेरे मिलेंगे लेखिन उत्तमोत्तम ग्रंथों की सतत प्रकाशित करते हुए जिज्ञासुओं की आश्चर्यान्वित करनेवाले विद्वान् बहुत कम मिलेंगे। ऐसे अपवादस्वरूप दुर्लभ व्यक्तियों में म. म. वासुदेवशास्त्री की गणना करनी चाहिए।

स्वर्गीय महामहोपाध्याय वामुदेवशास्त्री अभ्यंकरजी की संक्षिप्त जीवनी

भारतवर्ष के संस्कृत के वियमान विद्वानों में शायद ही ऐसा कोई विद्वान् होगा जो स्वर्गीय म. म. वामुदेवशास्त्री अभ्यंकर जी के नाम से परिचित न हो। आपका संस्कृत भाषा तथा व्याकरण के क्षेत्र में किया हुआ कार्य इतना महान् तथा मौलिक है कि केवल महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के संस्कृत भाषा भेमी तथा विद्वान् उस कार्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। खासकर आपके व्याकरण-विषयक कार्य में आप सही अर्थों में अर्वाचीन काल के पतञ्जलि माने जा सकते हैं। यह वर्ष आपकी जन्मशताब्दी का वर्ष है। आपका जन्मशताब्दी समारोह विविध प्रकार से मनाया जा रहा है। हिन्दी में अनूदित एवं संपादित 'पातञ्जल व्याकरणमहाभाष्य' के 'नवाहिकी विभाग' का प्रकाशन, जो आप ही के मराठी में अनूदित एवं संपादित 'व्याकरणमहाभाष्य' के आधार पर तैयार किया गया है, आपके जन्मशताब्दी-समारोह का ही एक अंग माना जा सकता है। यही कारण है कि यह 'नवाहिकी विभाग' आपकी पवित्र स्मृति को ही अर्पण किया गया है। इस प्रसंग में आपकी जीवनी तथा कार्य का संक्षेप में परिचय करा देना उचित ही होगा।

स्व० वामुदेवशास्त्री जी का जन्म सन् १८६३ ई० के अगस्त महीने की ४ तारीख को हुआ। महाराष्ट्र की शालिवाहन वर्णगणना के अनुसार आपकी जन्मतिथि ध्रावण वृष्ण ६ शालिवाहन सवत् १७८५ है। आपके पिता महादेवभट्ट जी के आप चौथे तथा अंतिम पुत्र थे। दुर्भाग्य से आपके पिता महादेवभट्ट का देहान्त सन् १८६५ ई. में हुआ जब आपकी अवस्था केवल दो वर्ष की थी। आपके पितामह भास्करशास्त्री जी की छत्रछाया में अध्ययन करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि आप जब आठ साल के हुए उसी समय भास्करशास्त्री का भी देहान्त हुआ। वास्तव में आपका पालनपोषण तथा अध्ययन आपके गुरु और भास्करशास्त्री जी के शिष्योत्तम श्रद्धेय रामशास्त्री गोडबोले जी के निर्देशन में पूर्ण हुआ। रामशास्त्री जी का जीवन पुराने ऋषिसुनियों के समान एक आदर्श जीवन था। उनके महान् व्यक्तित्व की अमिट छाप वामुदेवशास्त्रीजी पर पड़ गई। बचपन से ही आप संस्कृत के प्रति विशेष रुचि प्रकट करने लगे जो वास्तव में आपके कुल की उज्ज्वल परम्परा के योग्य ही थी। जब कि आपको अपनी मातृभाषा मराठी का भी अधरज्ञान नहीं हुआ था उस समय याने केवल पाँच वर्ष की अवस्था में आप 'रूपार्थलि' तथा 'सामानचक्र' कण्ठस्थ कर चुके थे। जब आपकी अवस्था १२ वर्ष की थी, आप अमरकोश, अष्टाध्यायी, सिद्धान्तकौमुदी, रघुवंश का तृतीय सर्ग तथा मार का प्रथम सर्ग पढ़ चुके थे। इसके बाद आपने अध्ययन क्षेत्र में अपने जीवर दिशाना शुरू किया। बीस वर्ष की ही उम्र में आपने व्याकरणशास्त्र का अध्ययन पूर्ण किया और आप इनने मुख्य विद्वान् बन गए कि आपके गुरुको यह कहना पड़ा कि अब मेरे पास पढ़ाने योग्य कुछ भी नहीं रहा। इस प्रकार "गुरु तो गुड़ रहे चेला चीनी बन गए" वाली कहावत को आपने चरितार्थ किया। यहाँ से अपने जीवन का प्रत्येक कण आपने 'ज्ञानयज्ञ' में अर्पण किया। आप स्वयं तो ज्ञानसाधना करते ही रहे किन्तु गुरु के अध्यापन कार्य में हाथ बैंगते हुए आप गुरु के कार्य का भार कम करने लगे। तेईस वर्ष की अवस्था तक आपने 'पंचदशी', 'वेदान्त परि-

भाषा', 'ब्रह्मसूत्र', 'शांकरभाष्य' आदि का अध्ययन पूर्ण किया। अत्र अध्ययन अध्यापन के साथ आप सस्कृत ग्रन्थों पर व्याख्यात्मक मौलिक लेख भी लिखने लगे। सन् १८९० ई० में आपके गुरु रामशास्त्री जी ने आपकी पूजा भेजा और न्यायमूर्ति रानडे के प्रयत्नों से, जो राम शास्त्री जी के आस थे, आपको पूजा की सस्कृत पाठशाळा में १० रु माहवार वेतन पर नौकरी मिली। शीघ्र ही आप इस पाठशाळा के प्रधान अध्यापक बन गए और अतः तब याने लगभग ५० वर्षों तक इस पाठशाळा में अध्यापन कार्य करते रहे। पचास वर्षों की इस लंबी अवधि में आपके चरणों में बैटनर सस्कृत का गहन अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सस्कृत के अनेक अन्वयायी धन्य हो गए। आपके अनेक मान्यवर शिष्य शास्त्री बनकर पाठशाळाओं तथा महा विद्यालयों में आपकी ज्ञानदान की उज्ज्वल परम्परा को विरसित करते रहे।

सन् १८९२ ई० में प्रा चांदोरकर को वामुदेवशास्त्री जी के चरणों में बैटनर 'काव्य प्रकाश' पढ़नेका सुअवसर मिला। प्रा चांदोरकर ने, जो फर्ग्युसन कॉलेज में सस्कृत के प्राध्यापक थे, नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के पास वामुदेवशास्त्री जी विद्वता तथा अध्यापन-कौशल की मुक्त कण्ठ से स्तुति की। अतः मान्यवर गोखले जी ने न्यायमूर्ति रानडे से प्रार्थना की कि वामुदेवशास्त्री जी की सेवाओं से फर्ग्युसन कॉलेज भी लाभान्वित हो। न्या० रानडे जी ने मान्यवर गोखले जी का प्रार्थना रवीनार का और वामुदेवशास्त्री की फर्ग्युसन कॉलेज के सस्कृत विभाग में ४० रु माहवार वेतन पर शास्त्रीपद पर नियुक्ति हुई। इस नियुक्ति से स्वयं वामुदेवशास्त्री जी और कॉलेज दोनों लाभान्वित हुए। कॉलेज में एक महान् विद्वान् तथा निपुण पंडित का सेवाओं का लाभ मिला और वामुदेवशास्त्री की महाविद्यालयीन क्षेत्र से अनुसन्धान की प्रेरणा मिली और आपकी विद्वता का क्षितिज विस्तृत हुआ। कॉलेज में काम करते हुए बड़ोदा रियासत के द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य प्रा चांदोरकर के साथ आपकी सौगा गया। यह समय 'ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य' का मराठी में अनुवाद करने का महत्त्वपूर्ण कार्य था। दो वर्षों की अवधि और ५०००) मानधन तय हुआ। प्रथम वर्ष में प्रा चांदोरकर और वामुदेवशास्त्री का न अतीव परिश्रम उठाए और लगभग आधा काम समाप्त किया। दुभाग्य से प्रा चांदोरकर की आरम्भिक तथा अल्पित मृत्यु हुई और बचा हुआ सारा अनुवादकार्य वामुदेवशास्त्री जी को ही पूर्ण करना पड़ा। यह काम तो आपने पूर्ण किया ही, साथ ही साथ तीन महीनों की अधिक अवधि लेकर बड़ोदा रियासत की प्रार्थना पर आपन इस प्रयत्न के लिए एक परिशिष्ट भी बनाया जिसमें ब्रह्मसूत्र से सम्बन्धित शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वरुणाचार्य तथा पूर्णब्रजाचार्य मता का टिप्पणियों के साथ तुलनात्मक विवरण दिया है। परिशिष्ट सहित १८०० पृष्ठों का इस महान् अनुवादग्रन्थ के प्रकाशन से वामुदेवशास्त्री की कीर्ति में चार चाँद लग गए। आपका अनुवाद इतना सरल, सुबोध तथा शैली इतनी सुंदर एवं स्पष्ट है कि मूल सस्कृत ग्रन्थ का दुरुह स दुर्ह अर्थ भी आपका अनुवाद पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है।

इसके बाद बड़द सस्कृत सीरीज के द्वारा प्रकाशित रामानुजके 'श्रीभाष्य' की व्याख्या से आपकी लोकप्रियता और ही उद्विगत हुई। सपूर्ण श्रीभाष्य की व्याख्या को आपने मूल ग्रन्थ सहित दो खण्डों में प्रकाशित किया। प्रथम खण्ड में 'श्रीभाष्य' का पाठभेदों सहित संपादन किया गया है और द्वितीय खण्ड में आपका व्याख्या है। मराठी के वाचक भी रामानुज के 'विशिष्टा द्वैतमत' को जान लें इस उद्देश्य से आपने 'विशिष्टाद्वैतमत' नामका एक लघु शोधप्रबन्ध मराठी में प्रकाशित किया। यह प्रबन्ध इतनी सुंदर तथा सुंदर शैली में लिखा है और रामानुज के

की व्याख्याओं का अध्ययन करके लोग व्याख्यानशास्त्री बनने लगे। भट्टोजा दीक्षित ने महाभाष्य के रूप पर 'शब्दकौमुदम्' नाम का ग्रन्थ लिखा लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ होगा, क्योंकि वह आज मगध रूप में उपलब्ध नहीं है। माघाकरणतया ईसा सौ मोलद्वी शताब्दी में महाभाष्य के अध्ययन से वैयाकरणों का ध्यान पूर्ण रूप से हट गया है, इस बात को अनुभव करते हुए नागेशभट्ट ने ईसा का १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 'महाभाष्यप्रदीप' की समुत्पत्ता के साथ व्याख्या करनेवाली 'विवरण' नाम का टाका लिखा जिसमें 'महाभाष्य' बहुत कुछ आलोक में आ गया। इस प्रकार नागेशभट्ट ने तीसरी आगति में 'महाभाष्य' की रक्षा की। 'प्रदीप' पर प्रकाश डालनेवाला यह व्याख्या (विवरण) वैनाकरणकुल में 'ज्योति' इस मार्थ नाम में प्रसिद्ध हुई। 'महाभाष्य' के अध्ययन को नागेशभट्ट की 'उद्योत' व्याख्या से बहुत कुछ पति प्राप्त हो गई। भर्तृहरि, वैशट तथा नागेश ने 'महाभाष्य' को क्रमशः संरक्षण, पुनरुज्जावन तथा स्थैर्य प्रदान कर समुद्र लोकोत्तर कार्य किया। फिर भा 'निदान्तकौमुदी' और तत्त्व-म्बन्धा टीकाप्रयोग तथा 'परिभाषेन्दुशेखर' का अध्ययन करते प्रान्त प्रान्त में 'त्वरीत वैनाकरण' पैदा होने लगे। ये वैनाकरण पूर्वोत्तररूप में वादनेपुण्य का भा प्रदीप करने लगे। परिणामतः प्रदीप तथा उद्योत का महायत्ना में सुरक्षित होते हुए भा 'महाभाष्य' जैसे मूलतया ग्रन्थ का अध्ययन पाठे पढ़ने लगा। यह अध्ययन इतना पिछड़ गया कि ईसा का दशम शताब्दी के द्वितीय पाद में महाभाष्य का मूल्य अध्ययन करनेवाले वैयाकरणों का सभ्या हाथ का उगलियों पर गिने योग्य भा नहीं रही।

इन सब बातों का ध्यान म लेते हुए ओ नामधर मन्वन्त के मुख्य मुख्य ग्रंथों को सुगोदयन करके शास्त्रग्रंथों का परम्परागत पद्धति में पाठ्य अध्ययन करनेवाले अभ्यासियों की मन्था दिन-दिव दिन कम होता जा रहा है इस बात को देखते हुए 'प्रदीप' तथा 'उद्योत' इन दो टाका-ग्रंथों के नागर पर महाभाष्य को मर्यादा में अनूदित करने का कठिन किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्य गुणवत्त म म वासुदेवशास्त्र ने प्रारम्भ किया और दीपयोग तथा सालय क साथ नाट करों की अवधि में यह कार्य पूर्ण किया। चार हज़ार से अधिक मन्थ मन्थ व्याख्यान शास्त्राध्ययन करनेवाले परेणप्रप पठित के द्वारा, वासुदेवशास्त्र के द्वारा, मिये हुए महाभाष्य के मन्थ अनुवाद का एक तरह में उमर मन्थ अवतार के रूप में ही देवता उदित हागा।

मन्थ १८९० ई. में १९०८ ई. मन्थ पूजा क परममन्थ केंद्रित का मन्थलाध्ययन के माने को एकत्रित तथा अनन्व मन्थ उहोंने की उने स्मरण करत हुए दे म मन्थला ने मन्थी भुवगार के साथ महाभाष्य को प्रकाशित करने का योजना बनाई और उमर भुवगार प्रकाशन कार्य भी प्रारम्भ हुआ। प्रथम मन्थ का प्रकाशन मन्थ १९३८ ई. में हुआ और द्वितीय मन्थ का १९८१ ई. में हुआ। दुभाष्य में उदरेत चार मन्थों का प्रकाशन म म वासुदेवशास्त्र के मन्थनद्वारा में नहीं हो मन्थ। मन्थ १९४० क १४ भाष्य को उमर देवता हुआ और द्वितीय महापुद् क मन्थ मुद्राकार्य भी मन्थित मन्थ। महापुद् मन्थ होनेत दे म मन्थला ने मन्थ म मुद्राकार्य प्रारम्भ किया। गुणवत्त तथा मन्थमन्थ में मन्थमन्थ में भी मन्थ न हा उदय होने के विचार में मन्थे उदरेत चार मन्थों का मन्थन किया और मन्थला मन्थ मन्थी मन्थ भी उमर मन्थ मन्थ।

इन सातों ग्रन्थों की विद्वज्जनों के द्वारा मुक्त रण्ड से स्तुति हुई। कुछ विद्वानों ने अपनी गौरवपूर्ण सम्मतियों प्रकट कीं और राष्ट्रभाषा तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे अनुदित करने की सूचनाएँ दीं। इन अनुवादों से इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का अध्ययन सभी लोगों के लिए सुलभ होगा इसी उद्देश्य से अनुवाद की सूचनाएँ दी गईं। उनकी सूचनाओं के अनुसार प्रा. पी. एन्. मुळे ने प्रथम नौ आदिकों का हिन्दी में अनुवाद किया और मैंने मूल संस्कृत ग्रन्थ का संपादन करते हुए इस बात पर ध्यान दिया कि सहा अर्थ हिन्दी में भी व्यक्त हुआ है। मैं यह एक सौभाग्यपूर्ण बात मानता हूँ कि स्व. म. म. वासुदेवशास्त्री जी जन्मशताब्दी के समारोह के विद्यमान वर्ष में ही कम से कम महाभाष्य के 'नवाह्निकी विभाग' का, जो महाभाष्य का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश है, हिन्दी अनुवाद विद्वानों से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहा है। विद्वान् तथा व्याकरणार्थियों इमने लाभान्वित होंगे यह आशा प्रकट करते हुए मैं यह ग्रन्थ म. म. वासुदेवशास्त्री की पुण्यस्मृति को अर्पण करता हूँ।

विजया दशमी,
शालिवाहन शक १८८१
दि २८ ९ १९६३

काशीनाथ वासुदेव अभ्यकर
समाननीय संस्कृत प्राध्यापक,
भाडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर,
पुण ४



श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचितं व्याकरणमहाभाष्यम्

प्रगृह्यादिसंज्ञानामकं पञ्चममाह्निकम्

प्रगृह्यादिसंज्ञाह्निक (अ. १ पा. १ आह्निक ५)

[प्रगृह्यसंज्ञाका विवेचन—इस आह्निकमें प्रगृह्य-संज्ञा (सू. ११-१९), घु-संज्ञा (सू. २०), घ-संज्ञा (सू. २२), संख्या-संज्ञा (सू. २३-२५) और निपात-संज्ञा (सू. २६)—इनका विचार किया है। ये सब संज्ञाएँ सूत्रकारोंके पूर्वके षैयाकरणोंने कुछ विशिष्ट शब्दोंको दी होंगी। 'घु' और 'घ' के सिवा ये सब संज्ञाएँ अन्वर्थ भी हैं। इन संज्ञा-सूत्रोंके नीचमें ही 'आद्यन्तवदेकस्मिन्' (सू. २१) सूत्र थोड़ासा अप्रासंगिक दीख पड़ता है; परन्तु सन्धिकार्यसे होनेवाले गुण और वृद्धि जैसे एकादेश होने के बाद एकादेश पूर्वशब्दका अन्त्य वर्ण समझा जाय अथवा अगले शब्दका आदि वर्ण समझा जाय यह आशंका निर्माण हुई तो उस स्थानमें दोनों प्रकारकी परिपाटियाँ हैं ऐसा कहनेके लिए यह सूत्र किया है। प्रगृह्यसंज्ञा उस स्वरको दी जाती है जो संधिकार्य प्राप्त होते हुए भी कायम रहता जात है। अधिक बोरमें बाधा न निर्माण हो इसलिए द्विवचनके ईरान्त, ऊकारान्त और एकारान्त रूप तथा कुछ विशिष्ट शब्दस्वरूप उच्चारित क्रिये जाते हैं, उन्हें यह प्रगृह्यसंज्ञा पूर्वाचार्योंने दी है। 'ईदूदेत्०' (सू. ११) सूत्रमें ई, उ और एकारोंके आगे सूत्रकारोंने तकारका उच्चारण किया है। उनका विचार करते हुए भाष्यकारने प्रस्तुत सूत्रके अर्थके तीन प्रकार दिये हैं—(१) ई, ऊ और ए स्वोंके रूपका हां द्विवचन (अर्थात् द्विवचनवाचक प्रत्यय) प्रगृह्य होता है, (२) ई, ऊ और ए जिसके अन्तमें हैं ऐसा द्विवचन (अर्थात् द्विवचन-प्रत्यय) प्रगृह्य होता है, (३) ई, ऊ और ए जिसके अन्तमें हैं तथा द्विवचन-प्रत्यय भी जिसके अन्तमें है वह शब्द प्रगृह्य होता है, ये तीन प्रकार देकर उनमेंसे बीचका प्रकार कायम किया है। 'अदसो मात्' (सू. १२) सूत्रमें 'अदस्' शब्दके रूपमें मकारके आगे आनेवाले ई, ऊ, और ए स्वर प्रगृह्य होने हैं ऐसा कहा है। यहाँ 'अदस्' शब्दके 'द' कारको 'म'कार कहनेवाला त्रिपाटीका 'अदसोसेः०' (८।२।८०) सूत्र प्रकृतसूत्रको दीख न पढ़नेसे प्रगृह्य-संज्ञा करनेमें बाधा आती है; पर प्रगृह्य-संज्ञाको 'म'कार निमित्त ही होनेसे मकार प्राप्त हुआ दिखायी देता है ऐसा प्रतिपादन करके भाष्यकारने वह दूर की है। और यह भी बताया है कि कार्यालपक्षमें "अदसो मात्" (१।१।१२) और

“अदसोसेदांतु दो मः” (८।२।८०) सूत्रोंका वाक्यार्थ एरुवारगी होनेके कारण वह वाधा निर्माण नहीं होती। “शे” (सू. १३) सूत्रमें विभक्तिप्रत्ययोंके स्थानमें होनेवाला ‘शे’ (ए) अर्थयुक्त विभक्तिप्रत्यय लिया जानेसे ‘काशे’, ‘वशे’ इत्यादि रूपोंके अर्थरहित ‘शे’ को प्रगृह्यसज्ञा नहीं होती है। अन्तमें, ‘निपात एकाजनाद्’, ‘ओत्’ और ‘उत्र’ (सू. १४, १५, १७) सूत्रोंमें एरु ही स्वर है उस निपातको प्रगृह्यसज्ञा कहा है, और “ईदूतौ च०” (सू. १८) सूत्रसे सप्तम्यर्थी ईकारान्त और ऊकारान्त शब्दको प्रगृह्य-सज्ञा कही है। वास्तवम इस प्रकारके शब्द वेदमें ही पाये जाते हैं।

‘घु’ संज्ञाका विवेचन—‘दाघा ध्वदाप्’ (सू. २०) सूत्रसे ‘दा’ और ‘धा’ स्वरूपकी धातुओंको ‘घु’-सज्ञा कही है। दा धातु, धा धातु और ए अथवा ऐ को आ आदेश होनेपर जिनके दा और धा रूप होने हैं इस प्रकारकी धातुओंको भी ‘घु’ सज्ञा दी जाय यह भारद्वाजीय वैयाकरणोंका मन भाष्यमें दिया है। उससे दिखार्थी देता है कि यह ‘घु’ सज्ञा प्राचीन वैयाकरणोंकी दी हुई हो। अन्वर्थक न होनेवाली ‘टि’, ‘घु’, ‘भ’, ‘घ’ ये एकाक्षरी सज्ञाएँ विशिष्ट शब्दोंके प्रथम अथवा अन्त्य अक्षर लेकर प्रतिपादन-लाघवके लिए पूव वैयाकरणोंने की होंगी। जैसे, धातु शब्दमेंसे ‘ध्’ वर्ण लेकर ‘धुप्’ सज्ञा, ‘काळ’ मेंसे ‘ल’ अक्षर लेकर ‘ल’ फार, और उसीको इत् वर्ण लगाकर लद्, लिट् इत्यादि संज्ञाएँ, ‘लघु’ मेंसे अन्त्य अक्षर लेकर ‘घु’ संज्ञा, तथा ‘दीर्घ’ मेंसे अन्त्य अक्षर लेकर ‘घ’ सज्ञा। ‘घु’ सज्ञा ‘दा’ और ‘धा’ जैसे अर्थयुक्त शब्द स्वरूपको दी जाय, तथा ‘ट्ट’ और ‘धृ’ को ‘गिच्’ आगे होनेसे वृद्धि होनेपर ‘दार’ और ‘धार’ इस प्रकारके जो शब्दस्वरूप होते हैं उनमेंके ‘दा’ और ‘धा’ इन अर्थरहित अवयवोंको न दी जाय ऐसा भाष्यकारने कहा है। इस सदर्भमें आगमके अर्थका विवेचन किया है और बताया है कि आगम अर्थात् जोड़ा हुआ भिन्न भाग यह अर्थ यद्यपि व्युत्पत्तिभिद्द है तो भी वह नहीं लिया जा सकता क्यों कि शब्द नित्य होनेके कारण उनके बारेमें विकृतिकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनः आगमका अर्थ है आदेशके समान एक शब्दके बदले दूसरे शब्दका प्रयोग, यह भाष्यकारने स्पष्टतया बताया है और उसके समर्थनार्थ पूर्ववैयाकरणोंका एक श्लोक उद्धृत किया है—

“सर्वं सर्वपदादेशाः दाक्षीण्यस्य पाणिनेः।

एकदेशविकारे हि नित्यत्व नोपपद्यते ॥”

आद्यन्तवद्भाव और व्यपदेशिवद्भाव—‘आद्यन्तवदेकस्मिन्’ (सू. २१) सूत्रसे एक (वर्ण) को ही तदादि तथा तदन्—जैसे ‘इ’ धातुको ही इकारादि तथा इकारान्त—कहा जा सकता है ऐसा बताया है। बार्तिककारने इस सूत्रकी आवश्यकता बताया है; इतना ही नहीं तो इससे भी अधिक सामान्य रीतिसे अर्थात् ‘मुख्यार्थसे होनेवाले कार्य गौणार्थको लेकर सम्बन्धीय हो तो हो जायें’ इस अर्थका व्यपदेशिवद्भाव

ही आद्यन्तवद्भावके बदले कहा जाय रेखा कहा है, और 'इ' धातुको एकाचरूपसे द्वित्व हो, सू प्रत्ययको प्रत्ययके अवयवके रूपसे पत्व हो इस प्रकारके उपयोग दिखाये हैं। तदनन्तर लोकोपे ये बातें अनुभवमें आनेसे व्यपदेशिवद्भावका सहेतुक विधान करनेकी आवश्यकता नहीं है ऐसा भी वार्तिककारने बनाया है; और भाष्यकारने एक ही पुत्र हो सो उसीको ज्येष्ठ पुत्र कहा जाय वैसे ही एक ही वर्ण प्रस्तुत हो सो भी यदि वह सुबन्त हो तो उसीको पद कहते हैं यह उदाहरण स्पर्शकारणके लिए दिया है। फिर जिसके पूर्व कुछ नहीं वह 'आदि' है, और जिसके आगे कुछ नहीं वह 'अन्त' है इस प्रकारकी 'आदि' और 'अन्त' शब्दोंकी परिभाषा करके इस सूत्रकी आवश्यकता नहीं यह भी वार्तिककारने कहा है। परन्तु भाष्यकारने यहाँ 'गोनर्दीयक' कहता है, इस प्रकारका उल्लेख करके 'अन्य कोई तत्सदृश होनेपर ही आरंभका और अन्तका ये शब्द उपयोगमें लाये जाते हैं' इस गोनर्दीयके मनके रूपमें स्वमत स्पष्टनया कहकर प्रस्तुत सूत्रकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया है। अन्तमें, वार्तिककारने इस सूत्रके प्रयोजन बताये हैं, और भाष्यकारने प्रातिपदिक, प्रत्यय अथवा धातु एकवर्णार्थिक होने हुए भी उसीको आदि अथवा अन्त समझकर जहाँ कार्य हो चुके हैं इस प्रकारके उदाहरण भी दिये हैं।

घ-संज्ञा, संख्या-संज्ञा और निष्ठा-संज्ञाओंका विवेचन—“तरप्तमपो घः” (सू. २२) सूत्रमें तरप् और तमप् प्रत्ययोंकी घसंज्ञा कही है। यह संज्ञा भी प्राचीन वैयाकरणोंकी दी होगी। यहा वार्तिककारने प्रतिपादन किया है कि इत् वर्ण प्लगाद् उच्चारण किया जानेके कारण 'तर' शब्दसे यहाँ पाणिनिका कहा हुआ तरप् प्रत्यय लिया जाय, 'नदीतर' आदि रूपका 'तर' शब्द न लिया जाय। तदनन्तर (सू. २३-२६) संख्यासंज्ञा और संख्यासंज्ञाका ही एक प्रकार पट्संज्ञा इनका विवरण चालू किया है। 'कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः' न्यायमें बहु, गण इत्यादि शब्दोंको ही कही हुई कृत्रिम 'संख्या' संज्ञा ही प्रयत्नः ध्यानमें आयेगी और एक, दि, वि इन स्वाभाविक संख्यावाचक शब्दोंको 'संख्या' संज्ञा न होगी इस लिए सूत्रमें और एक 'संख्या' शब्द रखना आवश्यक है यह वार्तिककारका विधान है। उसकी भाष्यकारने उत्तर दिया है और कहा है कि संदर्भ वा विशिष्ट उपयोग नहीं मनमें होना है वही कृत्रिम संज्ञा पहले ध्यानमें आती है और अन्य स्थलोंमें स्वाभाविक अर्थ ही पहले ध्यानमें आता है, अतः यहाँ दोनों प्रकारकी संख्याएँ ध्यानमें आ सकती हैं। और 'संख्या' एक बड़ी संज्ञा दी जानेके कारण यह अन्वर्थक ली जाय यह भी अभिप्राय अपने विधानके समर्थनार्थ भाष्यकारने व्यक्त किया है। इसके बाद 'अर्धपर्य', 'अर्धपूर्व', 'आधिक' शब्दोंको भी संख्या कहा गया तो अन्यत्र सूत्रोंमें ये शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं है, तथा बहु आदि शब्द भी प्रस्तुत सूत्रमें न रखे गये होने तो भी काम चल सकता था, शरत्कमे ही उनकी 'संख्या' संज्ञा सिद्ध होती है, यह भी यहाँ भाष्यकारने बनाया है। 'प्लान्ता पट्' (सू. २४) सूत्रमें उपदेशमें पकारान्त और नकारान्त संख्या लेना यद्यपि इष्ट हो तो भी 'उपदेशो' शब्द सूत्रमें रखनेकी आवश्यकता नहीं, संनिश्चन परिभाषासे और 'अष्टानो दीर्घत्'

ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् ॥ १।१।११ ॥

किमर्थमीदादीना तपराणा प्रगृह्यसज्ञोच्यते । तपरस्तत्कालस्य [१.१.७०] इति तत्कालाना सवर्णाना ग्रहण यथा स्यात् । केपाम् । उदात्तानुदात्तस्वरितानाम् । अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति । प्लुतानां तु प्रगृह्यसज्ञा न प्राप्नोति । किं कारणम् । अतत्कालत्वात् । न हि प्लुतास्तत्कालाः । असिद्ध. प्लुतस्त-

(६।१।१६८) सूत्रके ' दीर्घ ' शब्दसे निकाले हुए ज्ञापकसे ही इष्ट उदाहरण सिद्ध होगा । अन्तमें, ' क्तवत् निष्ठा ' (सू २६) सूत्रसे कही गयी ' निष्ठा ' सज्ञाका भाष्यकारने विवरण किया है, और बताया है कि ' क् ' अनुवधका लोप यद्यपि हुआ तो भी वह अनुवध लगाया गया था इस चिह्नसे अनुवधसहित ' क्त ' और ' क्तवत् ' प्रत्ययोंकी ' निष्ठा ' सज्ञा की जा सकती है, लोट, गर्त इत्यादि शब्दोंके उगादि ' त ' प्रत्ययकी नहीं की जा सकती है, और अपने विधानके समर्थनार्थ भाष्यकारने वृष्टान्त दिया है कि कौआ उड़ गया तो भी ' कौआ जिसपर बैठा है वह घर ' इस प्रकार बताया गया घर ध्यानमें रहता है ।

(पा सू १।१।११) जिस द्विवचन प्रत्ययको अन्तमें दीर्घ ईकार, दीर्घ ऊकार और एकार इनमेंसे कोई भी वर्ण हो उस द्विवचनप्रत्ययको प्रगृह्य संज्ञा दी जाती है ।

ईकार, ऊकार और एकारको इस सूत्रसे प्रगृह्यसज्ञा कहा है । अब ईत्, ऊत्, एत् ये तकार आगे जोड़कर जो उच्चारण किया है वह किसलिए ?

सूत्रमें उच्चारित दीर्घ ईकार आदि वर्णोंके उच्चारणके लिए जितना समय लगता है उतनेही समयमें जिनका उच्चारण किया जाता है उन दीर्घ ईकार आदि सवर्ण वर्णोंका यहाँ " तपरस्तत्कालस्य " (१।१।७०) सूत्रसे ग्रहण होनेके लिए वैसा उच्चारण किया है ।

ये सवर्ण वर्ण कौनसे हैं ?

उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन दीर्घ ईकार आदि वर्णोंका यहाँ " तपरस्तत्कालस्य " (१।१।७०) सूत्रसे ग्रहण करना चाहिये ।

ईकार आदि वर्णोंके आगे तकार जोड़नेका यह उपयोग है सही, पर—
पर क्या ?

यद्यपि सब प्रकारके दीर्घ ईकार आदिका ग्रहण ही तो भी प्लुत ईकार आदिको प्रगृह्यसज्ञा नहीं प्राप्त होगी यह दोष आता है ।

क्या कारण है ?

प्लुत वर्ण तत्काल न होनेसे । प्लुत वर्ण तत्काल नहीं है । (अर्थात् दीर्घ वर्णोंके उच्चारणके लिए जितना समय लगता है उतना ही समय प्लुत वर्णोंके उच्चारणके लिए

स्यासिद्धत्वात्तत्काला एव भवन्ति । सिद्धः प्लुतः स्वरसंधिषु । कथं ज्ञायते सिद्धः प्लुतः स्वरसंधिष्विति । यदयं प्लुतप्रगृह्या अचि [६.१.१२५] इति प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति । कथं कृत्वा ज्ञापकम् । सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम् । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् । अप्लुतादप्लुत इत्येतन्न वक्तव्यं भवति । किमतो यत्सिद्धः प्लुतः स्वरसंधिषु । संज्ञाविभावासिद्धस्तस्यासिद्धत्वात्तत्काला एव लगता है यह बात नहीं ।)

पर प्लुत असिद्ध है । अतः वह असिद्ध होनेसे मूलभूत दीर्घ वर्ण तत्काल ही है ।

(प्लुत असिद्ध नहीं है ।) क्यों कि स्वरसंधि करनेकी आवश्यकता हो तो प्लुत सिद्ध है (ऐसा संकेत है) ।

स्वरसंधि करनेकी आवश्यकता होनेपर प्लुत सिद्ध है ऐसा संकेत है यह कैसे ज्ञात होता है ?

यह यों ज्ञात होता है कि आचार्य पाणिनि “ प्लुतप्रगृह्या अचि० ” (६.१.१२५) सूत्रसे प्लुतका प्रकृतिभाव कहते हैं । (इसीसे यह विदित होता है ।)

यह ज्ञापक कैसे समझमें आता है ?

क्यों कि विद्यमान उद्देश्यका ही कार्य कहा जाता है ।^३

इस ज्ञापकका क्या उपयोग है ?

(यह ज्ञापक समझ लेनेसे “ अतो रोरप्लुतादप्लुते ”—६.१.११३—सूत्रमें) ‘ अप्लुतात् ’ और ‘ अप्लुते ’ (ये दो पद) उच्चारनेकी आवश्यकता नहीं ।

१. दीर्घनी दो और प्लुतकी तीन मात्राएँ हैं । अतः प्लुत वर्णके उच्चारणको दीर्घ वर्णके उच्चारणसे बड़े गुना अधिक समय लगता है । तब ‘ ह्री ३ इति ’ में प्लुत ईकारको प्रगृह्य संज्ञा न होगी ।

२. ‘ ह्री ३ ’ में “ द्वाद्दूते च ” (८.१.८४) इस त्रिपादीके सूत्रसे प्राप्त हुआ प्लुत “ पूर्वत्रासिद्धम् ” (८.१.१) सूत्रसे प्रगृह्यंताकी दृष्टिसे असिद्ध होता है । अतः उसकी दृष्टिसे यहाँ दीर्घ ही होनेके कारण दीर्घ है इस कल्पनासे ही प्रगृह्यसंज्ञा प्लुतकी होगी ।

३. “ प्लुतप्रगृह्या० ” (६.१.१२५) सूत्रसे प्लुतके बारेमें प्रकृतिभाव कार्य कहा है । पर प्लुत उस प्रकृतिभावकी दृष्टिसे असिद्ध होनेके कारण वह विद्यमान है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और उसको प्रकृतिभाव नहीं किया जा सकता है; तब वह सूत्र निरर्थक होगा । वह सूत्र वैसा न हो इसलिए ‘ स्वरसंधि कर्तव्य हो तो प्लुत सिद्ध है ’ ऐसा प्रस्ताव करना चाहिये ।

४. क्यों कि ‘ एहि सुश्रोता ३ अत्र ’ इत्यादि उदाहरणोंमें आया हुआ प्लुत सिद्ध होनेसे वह ‘ र ’ ह्रस्व अकारसे पर है ऐसा नहीं कहा जा सकता है । तब वास्तवमें यहाँ ‘ र ’ को उच्य नहीं प्राप्त होगा । ‘ तिष्ठतु पय अश्मिदत् ’ इत्यादि उदाहरणोंमें ‘ र ’ के आगे प्लुत होनेपर वैसाही समझा जाय ।

भवन्ति । संज्ञाविधौ च सिद्धः । कथम् । कार्यकाल हि सज्ञापरिभाषम् । यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम् । प्रगृह्य प्रकृत्येत्युपस्थितमिदं भवति ईदृदेद्द्विवचनं प्रगृह्यामिति ॥ किं पुनः प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञापचने प्रयोजनम् । प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावो यथा स्यात् । मा भूदेवम् । प्लुतः प्रकृत्येत्येव भविष्यति । नैव शक्यम् । उपस्थिते हि दोषः स्यात् । अप्लुतवदुपस्थिते [६१.१२९] इत्यत्र पठिष्यति ह्याचार्यः । वद्वचनं प्लुतकार्यप्रतिषेधार्थं प्लुतप्रतिषेधे हि प्रगृह्यप्लुतप्रतिषेध-

‘स्वरसधि कर्तय होनेपर प्लुत सिद्ध है’ यह सकेत मान ले भी यहाँ उसका क्या उपयोग है ? (कोई उपयोग नहीं दीखता । क्यों कि ‘प्रगृह्यसज्ञा करना’ का अर्थ ‘स्वरसधि करना’ नहीं है । तब) प्रगृह्य-सज्ञा कर्तय होनेपर प्लुत असिद्ध ही रहेगा, और वह असिद्ध होनेपर (मूलभूत ईकार आदि वर्ण) तत्काल (अर्थात् दीर्घ) ही है ।

प्रगृह्य-सज्ञा कर्तव्य होनेपर भी प्लुत (उसी सकेतसे) सिद्ध समझा जायगा । सो कैसे ?

सज्ञाओं और परिभाषाओंके विषयमें कार्यकालपक्ष है । जहाँ कार्य हो वहाँ वे उपस्थित होती हैं । अतः “प्रगृह्यको प्रकृतिभाव होता है” (६१।१२५) ऐसा (सधिकायप्रकरणमें) कहा है । वहाँ (प्रगृह्यका अर्थ मगश्रमें आनेके लिए प्रगृह्य सज्ञा कहनेवाला) ‘ईदृदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्’ यह प्रकृतसूत्र उपस्थित होता है ।

पर (इतने परिश्रम उठाके) प्लुतकी प्रगृह्यसज्ञाका प्रतिपादन करनेका क्या उपयोग है ?

(इसका यह उपयोग है कि) प्रगृह्यसज्ञापर अवलंबित प्रकृतिभाव (प्लुतको) होना चाहिये ।

(वह प्रकृतिभाव) न हुआ तो भी कुछ आपत्ति नहीं है । प्लुतको कहा हुआ प्रकृतिभाव होगा और इससे इष्टकार्य सिद्ध होगा ।

इससे इष्टकार्यसिद्धिसम्भव नहीं । कारण कि ‘उपस्थित’ आगे होनेपर दोष आयेगा । आचार्य वार्तिककार “अप्लुतवदुपस्थिते” (६१।१२९) सूत्रपर विचार

५ तात्पर्य यह है कि प्रगृह्यसज्ञा कहनेवाला सूत्र जब स्वरसधि प्रकरणमें उपस्थित होकर काममें आता है तब वह स्वरसधि प्रकरणमें मानो आ चुका ही है । अतः इस प्रगृह्यसज्ञाकी दृष्टिसे प्लुत सिद्ध है ऐसा कहनेमें प्रत्यवाय नहीं है ।

६ सूत्र वदमें ‘इति’ शब्द नहीं है । उस वेदवाक्यके पद दिखाते समय कल्पित जो ‘इति’ शब्द है उसको ‘उपस्थित’ कहते हैं । ‘अभी ३ इति’ में यद्यपि प्लुत हुआ है तो भी वह ‘अप्लुतवदुपस्थिते’ (६१।१२९) सूत्रसे मानो न हुआ है ऐसा समझा जाता है । तब वहाँ प्लुतको कहा हुआ प्रकृतिभाव नहीं किया जा सकता है । और यदि उस प्लुतको प्रगृह्यसज्ञा न हुई तो प्रगृह्यसज्ञापर अवलंबित होनेवाला प्रकृतिभाव भी न होगा और सधिकाय होने लगेगा यह दोष प्राप्त होता है ।

प्रसङ्गोऽन्येन विहितत्वादिति । तस्मात्प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञिपितया प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावो यथा स्यात् ॥

यदि पुनर्दीर्घाणामतपराणां प्रगृह्यसंज्ञोच्येत । एवमप्येकार एवैकः सवर्णा-
न्गृह्णीयादीकारोकारौ न गृह्णीयाताम् । किं कारणम् । अनपत्वात् ॥ यदि
पुनर्ह्रस्वानामतपराणां प्रगृह्यसंज्ञोच्येत । नैव शक्यम् । इहापि प्रसज्येत । अकुर्वहि
अत्र अकुर्वह्यत्रेति ॥

तस्माद्दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या । दीर्घाणां चोच्यमाना
प्लुतानां न प्राप्नोति ॥ एव तर्हि किं न एतेन यत्नेन यत्सिद्धं प्लुतं स्वरसावि-

करते हुए यह कहनेवाले हैं कि 'बद्धचन प्लुतकार्यप्रतिषेधार्थं प्लुतप्रतिषेधे हि प्रगृह्यप्लुतप्रतिषेधप्रसङ्गोऽन्येन विहितत्वात्' (६।१।१२९ वा १,२) । तत्र प्लुतको प्रगृह्यसंज्ञा होना इष्ट है, क्योंकि वेसा होनेसे प्रगृह्यपर अवलंबित प्रकृतिभाव होगा ।

अब यदि सूत्रमें तकार न लगाकर केवल ई, ऊ, ए ये दीर्घ ही उच्चारित हुए (तो भी दोष कायम रहता ही है) । (केवल एकार ही प्लुत हुआ तो उसको प्रगृह्यसंज्ञा की जायगी) । क्यों कि अकेला एकार ही सवर्णोंका ग्रहण कर सकेगा, ईकार और ऊकार अपने सवर्णोंका ग्रहण नहीं कर सकेंगे ।

क्यों ?

क्यों कि (दीर्घ ईकार और ऊकार) अणु नहीं हैं ।

अब यदि तकार न लगाकर ह्रस्व 'इ' और 'उ' का उच्चारण करके प्रगृह्यसंज्ञा कही जाय तो यह भी संभव नहीं । क्यों कि (ह्रस्व इ और उ ये अणु होनेके कारण उनके द्वारा सवर्णोंका ग्रहण होके दीर्घ और प्लुत ईकार इत्यादिको प्रगृह्यसंज्ञा होगी सही, पर ह्रस्वको निरर्थक होने लगेगी और) 'अकुर्वहि अत्र' में (सधि होकर) 'अकुर्वह्यत्र' सिद्ध न होनेका दोष आता है ।

अतः दीर्घोंको ही तकार जोड़कर प्रगृह्यसंज्ञा कहना चाहिये और वेसी दीर्घोंको कही हुई प्लुतको प्राप्त नहीं होती (यह पहले दिया हुआ दोष कायम रहता है) ।

७ 'अप्लुतवदुपस्थिते' सूत्रमें बताया है कि 'उपस्थित इति शब्द आगे होनेपर प्लुत अप्लुतके समान होता है' । अप्लुतके समान समत्वा जानेके कारण प्लुतपर अवलंबित होनेवाला प्रकृतिभाव नहीं होता है और सधिकाय होता है, जैसे, 'मुखोक्ता इति' में सधि होके 'मुखोक्तेति' होता है । यहाँ 'अप्लुतवत्' में 'वत्' प्रत्यय लगाया जानेस अप्लुतके समान समत्वा गया ता भी वही प्लुतका जो तीन मात्रायुक्त स्वरूप है वह नष्ट नहीं होता । यद्यपि 'मुखोक्तेति' उदाहरणमें प्लुतका स्वरूप रहा हो वा नष्ट हुआ हो, सधिकाय होनेसे उगमें कुछ भी भेद दिवायी नहीं देता तो भी 'थमा इति' में प्लुत प्रगृह्यसंज्ञक होनेके कारण वहाँ उस प्रगृह्यपर निर्भर होकर प्रकृतिभाव होता है और प्रकृत सूत्रमें अप्लुतवद्भाव हुआ तो भी प्लुतका स्वरूप नष्ट न होनेसे तीन मात्राओंस युक्त उच्चारण होता है ।

प्विति । असिद्धः प्लुतस्तस्यासिद्धत्वात्काला एव भवन्तीति । कथं यत्तज्ज्ञापक-
मुक्तं प्लुतप्रगृह्या अचीति । प्लुतभावी प्रकृत्येत्येवमेतद्विज्ञायते । कथं यत्तत्प्रयोजन-
मुक्तम् । क्रियते तन्न्यास एवाप्लुतादप्लुत इति ॥ एवमपि यत्सिद्धे प्रगृह्यकार्यं
तत्प्लुतस्य न प्राप्नोति । अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः [८.४.५७] इति । एवं
तर्हि किं न एतेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषमिति । यथोद्देशमेव संज्ञापरिभाषम् ।

तो फिर (अब हम कहते हैं कि) 'स्वरसंधिओंकी आवश्यकता होनेपर प्लुत सिद्ध होता है' यह (ज्ञापक करनेका भी) प्रयत्न किस लिये ? (उस ज्ञापककी आवश्यकता नहीं ।) अर्थात् (प्रगृह्यसंज्ञाकी दृष्टिसे) प्लुत असिद्ध है । और वह असिद्ध होनेसे (उसके असिद्धत्वसे ये प्लुत ईकार, ऊकार) दीर्घ ही समझे जायेंगे । (अतः कुछ भी दोष नहीं प्राप्त होता है ।)

फिर भी ('स्वरसंधिओंकी आवश्यकता होनेपर प्लुत सिद्ध समझा जाय' इसके संबंधमें) "प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्" (६।१।१२५) सूत्र ज्ञापक कहा गया था वह कैसे ? (अर्थात् प्लुत असिद्ध हो तो उस सूत्रका कैसे उपयोग किया जाय ?)

जिसको प्लुत होगा उसको (अर्थात् प्लुतके स्थानिको) प्रकृतिभाव होता है ऐसा उस सूत्रका अर्थ समझा जायगा ।

अब उस ज्ञापकका जो फल पहले बताया गया है वह कैसे ?

(उसका निर्णय पाणिनिजी कर चुके हैं । वह यों कि "अतो रोःप्लुतादप्लुते" ६।१।११३ सूत्रमें)—'अप्लुतात्', 'अप्लुते' शब्द ही माने गये हैं ।

इस प्रकार (प्रगृह्यसंज्ञाके कार्योंमेंसे जिन कार्योंकी दृष्टिसे प्लुतः असिद्ध है वे कार्य दीर्घ हैं ऐसा समझकर किये गये तो) भी जो कार्य प्लुत सिद्ध होते हुए कहा है वह कार्य प्लुतको नहीं किया जायगा । उदाहरणके लिए, "अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः" (८।४।५७) सूत्रसे कहा गया अनुनासिक । (यहाँ कार्यकालपक्षसे दोष आता है ।)

यह दोष यदि आता है तो फिर यहाँ 'कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्' यह संकेत लेनेका प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है ? संज्ञा और परिभाषाके संबंधमें यथोद्देशपक्ष ही लिया जाता है (वही यहाँ लिया जायगा) । वह लेनेसे (प्रगृह्यसंज्ञाकी दृष्टिसे प्लुत)

८. तब प्लुत यद्यपि असिद्ध हुआ तो भी 'इसको प्लुत होनेवाला है' यह ज्ञान लक्ष्यसंस्कार करनेवालेको होनेके कारण उसके बलपर प्रकृतिभाव किया जा सकता है ।

९. कार्यकालपक्षमें प्रगृह्यसंज्ञा कहनेवाला 'इदूदेत्०' सूत्र 'अणोऽप्रगृह्यस्य०' (८।४।५७) में सम्मिलित हो जानेसे उस प्रगृह्यसंज्ञाकी दृष्टिसे प्लुत सिद्ध होता है । क्योंकि प्लुत कहनेवाले सूत्र पाणिनिने आठवें अध्यायके दूसरे पादमें दिये हैं और 'अणोऽप्रगृह्यस्य०' सूत्र आठवें अध्यायके चौथे पादमें दिया है । तब 'अप्री३' में प्लुतको प्रगृह्यसंज्ञा न होगी और उसको अनुनासिक होने लगेगा यह दोष आता है ।

तत्र चासावसिद्धस्तस्यासिद्धत्वात्तत्काला एव भवन्ति ॥

कथं पुनरिदं विज्ञायते । ईदादयो यद् द्विवचनमिति । आहोस्विदीदा-
यन्तं यद् द्विवचनमिति । कश्चात्र विशेषः ।

ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्या इति चेदन्त्यस्य विधिः ॥ १ ॥

ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्या इति चेदन्त्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधेया । पचेते
इति । पचेथे इति । वचनाद्भविष्यति । अस्ति वचने प्रयोजनम् । किम् । खट्वे
इति । माले इति ॥ अस्तु तर्हीदायन्तं यद् द्विवचनमिति ।

ईदायन्तामिति चेदेकस्य विधिः ॥ २ ॥

असिद्ध ही” रहेगा । और वह असिद्ध हुआ तो (ई और ऊ) तत्काल ही है (अर्थात्
द्विधे ही है ऐसा समझकर उनको प्रगृह्यसंज्ञा की जायगी) ।

ठीक, अब यहाँ क्या अर्थ समझा जाए—(१) ईकार आदि जो द्विवचन-
प्रत्यय हैं उनको प्रगृह्यसंज्ञा होती है, अथवा (२) जिन द्विवचनप्रत्ययोंके अन्तमें
ईकार आदि हैं उनको प्रगृह्यसंज्ञा होती है ?

इन दो अर्थोंमें भेद क्या है ?

(वा. १) ईकार आदि द्विवचनप्रत्ययोंको यदि प्रगृह्यसंज्ञा होती है
तो अन्यकी प्रगृह्यसंज्ञा कहनी पड़ेगी ।

ईकार आदि द्विवचन प्रत्ययोंको प्रगृह्य संज्ञा होती है ऐसा कहा जाय तो प्रत्ययके
अन्तमें रहनेवालोंको (अर्थात् ईकार आदिको) प्रगृह्यसंज्ञा स्वतंत्ररूपसे कहनी पड़ेगी,
जैसे,—पचेते इति, पचेथे इति ।

सूत्रसे (एकाररूप द्विवचनको जो प्रगृह्यसंज्ञा) कही है वही यहाँ हो सकती है ।
(क्यों कि उसका अन्यत्र उपयोग शक्य नहीं है ।)

(एकाररूप द्विवचनको कही हुई प्रगृह्यसंज्ञाका) अन्यत्र उपयोग हो सकता है ।
कहाँ ?

‘ खट्वे इति ’, ‘ माले इति ’ आदि उदाहरणोंमें ।

तो फिर जिन द्विवचनप्रत्ययोंके अन्तमें ईकार आदि हैं उनको प्रगृह्यसंज्ञा होती
है यही (सूत्रका अर्थ) किया जाय ।

(वा. २) जिन द्विवचन-प्रत्ययोंके अन्तमें ईकार आदि हैं उनको यदि

१०. यथोद्देशपक्षमें संज्ञा और परिभाषा इन कार्यमें मम्मिलिन न होकर अपने मूल
स्थानमें स्वतंत्ररूपमें भवना काम करते हैं । तब प्रगृह्यसंज्ञासंज्ञादीमें ही होनेमें उगकी दृष्टिमें प्लन
असिद्ध होना है ।

११. तात्पर्य यह है कि एकाररूप द्विवचनका भव न होनेमें यही द्विवचन प्रत्ययके
अन्तमें एकारको होगा ।

व्या. १३

ईदाद्यन्तमिति चेदेकस्य प्रगृह्यसज्ञा विधेया । खट्वे इति । माले इति ॥

न वाद्यन्तवत्त्वात् ॥ ३ ॥

न वैप दोषः । किं कारणम् । आद्यन्तवत्त्वात् । आद्यन्तवदेकास्मिन्कार्यं भवतीत्येकस्यापि भविष्यति ॥ अथैव वक्ष्यामि । ईदाद्यन्त यद् द्विवचनान्त-मिति ।

ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तमिति चेल्लुकि प्रतिषेधः ॥ ४ ॥

ईदाद्यन्त द्विवचनान्तमिति चेल्लुकि प्रतिषेधो वक्तव्यः । कुमार्योगार कुमार्योगारम् । वध्वोरगार वध्वगारम् । एतद्धीदाद्यन्त च श्रूयते द्विवचनान्त च प्रगृह्यसंज्ञा होती है तो एकको प्रगृह्यसंज्ञा कहनी पड़ेगी ।

जिन द्विवचन प्रत्ययोंके अन्तमें ईकार आदि है उनको प्रगृह्यसंज्ञा होती है ऐसा कहा गया तो जहाँ (ईकार आदि वर्ण) ये अकेलेही द्विवचनप्रत्यय होते है वहाँ (उन ईकार आदिको, प्रगृह्यसंज्ञा कहनी पड़ेगी, उदा० खट्वे इति, माले इति ।

(वा ३) यह दोष नहीं आता है, क्यों कि आदि जैसा और अन्त जैसा समझा जाता है ।

यह दोष नहीं आता है ।

क्या कारण है ?

“आदि-जैसा और अन्त-जैसा समझा जाता है” इसलिए । “अकेला वर्ण हो तो भी वह आदि जैसा अथवा अन्त जैसा समझा जाता है” (१।१।२१) ऐसा कहा गया है इसलिए (‘खट्वे इति’ उदाहरणमें अकेला एकार ही द्विवचनप्रत्यय हुआ तो भी वह प्रत्ययके अन्तमें है ऐसा समझकर) उस अकेलेको भी प्रगृह्यसंज्ञा की जायगी ।

अथवा सूत्रका अर्थ यह समझा जाय कि ‘ईकार आदि जिसके अन्तमें है और द्विवचनप्रत्यय जिसके अन्तमें है (उस शब्दस्वरूपको प्रगृह्यसंज्ञा होती है) ।’

(वा ४) ईकार आदि जिसके अन्तमें है और द्विवचन प्रत्यय जिसके अन्तमें है ऐसा कहा गया तो लुक् होनेपर वहाँ प्रतिषेध होता है ।

ईकार, ऊकार इत्यादि जिसके अन्तमें है और द्विवचनप्रत्यय जिसके अन्तमें है (इस प्रकारके शब्दस्वरूपको प्रगृह्यसंज्ञा होती है) ऐसा कहा गया तो (द्विवचन प्रत्ययका) लुक् होनेपर वहाँ (प्रगृह्यसंज्ञाका) प्रतिषेध होता है यह कहना चाहिये, उदा० कुमार्या अगार कुमार्यगारम्, वध्वो अगार वध्वगारम् । यहाँ (कुमारी और वधू) इन शब्दोंके अन्तमें ईकार, ऊकार इत्यादि प्रत्यय ही है और उन शब्दोंके अन्तमें

१२ यह अर्थ लिया जानसे ‘खट्वे’ और ‘पचेधे’ ये दोनों प्रकारके उदाहरण सिद्ध होते हैं । ‘खट्वे’ रूपके अन्तम एकार है और ‘ए’ द्विवचन ही उनके अन्तमें है । ‘पचेधे’ रूपके अन्तमें एकार है और ‘एधे’ द्विवचन उसके अन्तमें है ।

भवति प्रत्ययलक्षणेन ॥

सप्तम्यामर्थग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्य ॥ ५ ॥

यद्यमीदृशौ च सप्तम्यर्थे [१-१-१९] इत्यर्थग्रहणं करोति तज्ज्ञाप-
यत्याचार्यो न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति ॥ तच्चाह ज्ञापकार्थमर्थग्रहणं
कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । ईदादिभिर्द्विवचनं- विशेषाधिप्याम ईदादिविशिष्टेन च
द्विवचनेन तदन्तविधिर्भविष्यति । ईदाद्यन्तं यद् द्विवचनं तदन्तमीदाद्यन्तमिति ॥
एवमप्यशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपथेतां शुक्लचास्तां वस्त्रे इत्यत्र प्राप्नोति । अत्र हीदादि
द्विवचनं तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । अत्राप्यकृते शीमावे लुम्भविष्यति ।

द्विवचनप्रत्यय प्रत्ययलक्षणसे (८।१।६२) माना जा सक्रता है ।

(वा. ५) “ ईदृशौ च सप्तम्यर्थे ” सूत्रमें ‘ अर्थ ’-शब्द प्रत्ययलक्षणके
प्रतिषेधका ज्ञापक है ।

आचार्य पाणिनिजी “ ईदृशौ च सप्तम्यर्थे ” (१।१।१९) सूत्रमें जो अर्थग्रहण
करते हैं उससे वे यह सूचित करते हैं कि “ प्रगृह्यसंज्ञामें प्रत्ययलक्षण नहीं होता है । ”

तो फिर इसी ज्ञापकके लिए (उस सूत्रमें) ‘ अर्थ ’ शब्द कायम रखना चाहिये ।

वैसा करनेकी आवश्यकता नहीं । (ज्ञापकके बिना ही ‘ कुमार्यगारम् ’ इत्यादि
उदाहरणोंमें आया हुआ दोष दूर किया जायगा । वह यों कि) ईकार, ऊकार इत्यादिको
द्विवचनका विशेषण बनायेगी और बादमें उस विशेषणसे युक्त (अर्थात् ईकार, ऊकार
इत्यादि जिसके अन्तमें है ऐसा) द्विवचन- (शब्दस्वरूपका विशेषण बनकर) तदन्तका
ग्रहण करेगा । (तात्पर्यार्थ यह है कि) ‘ ईकार, ऊकार इत्यादि जिसके अन्तमें है ऐसा
द्विवचन जिसके अन्तमें है (उस शब्दस्वरूपको प्रगृह्यसंज्ञा होती है) । ’

यह अर्थ किया गया तो भी ‘ वस्त्र शुभ्र प्रतीत होते हैं ’ इस अर्थके ‘ शुक्ल्यास्तां
वस्त्रे ’ उदाहरणमें प्रगृह्यसंज्ञा होने लगेगी । यहाँ ईकार द्विवचन है और ‘ शुक्ली ’ यद्
प्रत्ययलक्षणसे द्विवचनान्त है ।

यहाँ भी (‘ शुक्ल ’ शब्दके ‘ औ ’ इस द्विवचनप्रत्ययको) शी (अर्थात् ई)
आदेश करनेके पूर्व ही उसका लुक् होगा (अर्थात् दोष न आयेगा) ।

१३. ‘ प्रगृह्यसंज्ञा स्तैव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता है ’ इस प्रकारका ज्ञापक न
होनेसे, ‘ कुमार्यगारम् ’ उदाहरणमें प्रत्ययलक्षणसे यद्यपि द्विवचन है ऐसा माना गया तो
भी वह सकारान्न है, ईकार आदि कुछ भी उसके अन्तमें नहीं है, इससे वहाँ दोष नहीं
आता है ।

१४ प्रत्ययलक्षणमें द्विवचन है ऐसा समझा गया तो भी वहाँ धीकार है, ईकार नहीं
इसमें दोष नहीं आता है ।

इदमिह संप्रथार्यं लुक् क्रियतां शीभावे इति किमत्र कर्तव्यम् । परत्वाच्छीभावः । नित्यो लुक् । कृतेऽपि शीभावे प्राप्नोत्यकृतेऽपि प्राप्नोति । अनित्यो लुक् । अन्यस्य कृते शीभावे प्राप्नोत्यन्यस्याकृते शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्विविधिरनित्यो भवति । शीभावोऽप्यनित्यो न हि कृते लुकि प्राप्नोति । उभयोरनित्ययोः परत्वाच्छीभावः शीभावे कृते लुक् । अथापि कथचिन्नित्यो लुक्स्यादेवमपि

अब यहाँ यह विचार करना चाहिये कि (शुक्ल शब्दको अगले औ इस द्विवचनप्रत्ययका) पहले लुक् किया जाय अथवा पहले शी (अर्थात् ई) आदेश किया जाय ?

(फिर इन दोनोंमेंसे) यहाँ क्या (पहले) किया जाय ?

परत्वके कारण शी (अर्थात् ई) आदेश पहले किया जाय ।

पर लुक् नित्य है । शी (अर्थात् ई) आदेश किया गया तो भी उसका लुक् प्राप्त होता है और शी आदेश करनेके पूर्व ही वह प्राप्त होता है ।

लुक् अनित्य है । कारण की शी (अर्थात् ई) आदेश करनेके पहले एकका (अर्थात् 'औ' का) लुक् प्राप्त होता है और शी (अर्थात् ई) आदेश करनेके बाद दूसरेका (अर्थात् 'ई' का) लुक् प्राप्त होता है । और इस प्रकार "भिन्न भिन्न शब्दको प्राप्त होनेवाला जो विधान है वह अनित्य समझा जाता है" । तत्र लुक् अनित्य होता है और शी (अर्थात् ई) आदेश भी अनित्य हे ही । क्यों कि लुक् किया गया तो उसके पश्चात् शी (अर्थात् ई) आदेश प्राप्त होता ही नहीं । अतः दोनों विधान अनित्य होनेसे शी (अर्थात् ई) आदेश परत्वके कारण पहले होता है और शी (अर्थात् ई) आदेश करनेके बाद उसका लुक् होता है । (तत्र 'शुक्ली' में प्रत्यक्षलक्षणसे ईकारान्त द्विवचन मानता सभवनीय होनेके कारण प्रगृह्यसज्ञा होगी यह दोष आता है ।)

ठीक, अब (शी अर्थात् ई आदेश करनेके पूर्व और उसके पश्चात् लुक् प्राप्त होता है, फिर वह भिन्न भिन्न शब्दको भले म्यो न हो केवल उसकी दोनों समय प्राप्ति होती है इसी बातपर दृष्टि रखकर (किसी तरह लुक् नित्य माना गया (और उससे 'शुक्ली' मेंसे दोष निकल गया) तो और एक दोष आता है । "सुतिडन्त पदम्" (१।४।१४)

१५ शुक्ल शब्द, चि-प्रत्यय, उसमेंसे बचे हुए वकारका 'धेरपुक्तस्य' (६।१।६७) सूत्रसे लोप, 'अस्य च्वौ' (७।४।३२) से ईकार, चि-प्रत्ययसे 'शुक्ली' को अव्ययसंज्ञा प्राप्त हुई है । उसके भागेके औ प्रत्ययका 'अव्ययादाप्नुप' (२।४।८२) सूत्रसे लुक् प्राप्त हुआ और 'नपुंसकाच्च' (७।३।१९) से 'शी' आदेश प्राप्त हुआ है ।

१६ 'शी' आदेश करनेके पूर्व लुक् हुआ तो वह औकारका होगा । और फिर प्रत्ययलक्षणेसे द्विवचन है ऐसा समझा गया तो भी ईकार नहीं, औकार है इसलिए दोष नहीं आता है ।

दोषः । वक्ष्यत्येतत् । पदसंज्ञायामन्तवचनमन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिप्रतिषेधार्थमिति । इदं चापि प्रत्ययग्रहणमयं चापि संज्ञाविधिः । अवश्यं खल्वस्मिन्नपि पक्ष आद्यन्तवद्भाव एषितव्यः । तस्मादस्तु स एव मध्यमः पक्षः ॥

अदसो मात्र ॥ १ । १ । १२ ॥

मात्प्रगृह्यसंज्ञायां तस्यासिद्धत्वाद्यावेकादेशप्रतिषेधः ॥ १ ॥

मात्प्रगृह्यसंज्ञायां तस्य ईत्त्वस्य ऊत्त्वस्य चासिद्धत्वाद्यावेकादेशाः प्राप्नुवन्ति तेषां प्रतिषेधो वक्तव्यः । अमी अत्र । अमी आसते । अमू अत्र । अमू

सूत्रमें जो 'अन्त'-ग्रहण किया है वह, "अन्यत्र संज्ञाविधायकशास्त्रमें प्रत्ययग्रहण किया गया तो (उस प्रत्ययसे) तदन्तका ग्रहण न किया जाय" इस प्रकारका (ज्ञापन) करनेके लिए किया है ऐसा आगे (११४।१४) वार्तिककार कहनेवाले हैं । यहाँ तो ("द्विवचन") यह प्रत्ययग्रहण है और (यहाँ प्रगृह्यसंज्ञा कही गयी है इसलिए) यह संज्ञाविधि है। (अतः 'द्विवचनान्त' ऐसा अर्थ होनेके कारण इस प्रकारका तीसरा पक्ष वास्तवमें निर्माण होता ही नहीं यह दोष प्राप्त होता है।)

और ('ईकार, ऊकार इत्यादि जिसके अन्तमें हैं इस प्रकारके द्विवचनप्रत्ययान्त शब्दको प्रगृह्यसंज्ञा होती है') इस (तीसरे) पक्षमें भी ('अमी' आदि उदाहरणोंमें 'ई' इस द्विवचनप्रत्ययको 'ईकारान्त' कहनेके लिए) अन्तवद्भाव मानना ही पड़ेगा । अतः ('ईकार आदि जिसके अन्तमें हैं ऐसे द्विवचनप्रत्ययको प्रगृह्यसंज्ञा होती है') यही मध्यम पक्ष कायम रहने दें ।

(सू. १२) अदस् शब्दके मकारके आगे (जो ईकार और ऊकार हैं उनको प्रगृह्यसंज्ञा होती है।)

(वा. १) मकारके अगले वर्णको प्रगृह्यसंज्ञा कही गयी तो उस वर्णके ईत्त्व और ऊत्त्वके असिद्धत्वसे अय् आदेश, आय् आदेश और एकादेशका निषेध करना चाहिये ।

मकारके अगले वर्णको प्रकृत सूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा कही गयी तो वहाँ उस वर्णको जो 'ई' आदेश और 'ऊ' आदेश होते हैं उनके असिद्धत्वसे अय् आदेश, आय् आदेश और एकादेश प्राप्त होते हैं उनका निषेध करना चाहिये । उदा० 'अमी अत्र', 'अमू अत्र', 'अमी आसते', 'अमू आसाते' ।

१. 'अमी' रूपमें आये हुए मकार और ईकार (८।२।८१) अशुद्ध होनेसे 'अदे' इय मूल स्थितिके अन्तर्गत एकार बुद्धिमें 'अय्' आदेश होगा । तथैव उसके आगे 'अत्र' पद रखा गया तो पूर्ववत् एकादेश (६।१।१०९) होगा । 'अमू' रूपमें मकार और ऊकार (८।२।८०) असिद्ध होनेसे 'अदौ' इय मूल स्थितिके अन्तर्गत औकार बुद्धिमें 'धाव्' आदेश होगा ।

आसाते ॥ ननु च प्रगृह्यसंज्ञावचनसामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति ।

वचनार्थो हि सिद्धे ॥ २ ॥

नेदं वचनाल्लभ्यम् । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् । किम् । यत्सिद्धे प्रगृह्यसंज्ञाकार्यं तदर्धमेतत्स्यात् । अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः [८. ४. ५७] इति । नैकं प्रयोजनं योगारम्भ प्रयोजयति । यथेतावत्प्रयोजनं स्यात्तत्रैवायं नूयादणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकोऽदसौ नेति ॥

विप्रतिषेधाद्वा ॥ ३ ॥

अथवा प्रगृह्यसंज्ञा क्रियतामयादयो वा प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति विप्रतिषेधेन । नैप युक्तो विप्रतिषेधः । विप्रतिषेधे परमित्युच्यते पूर्वा च प्रगृह्यसंज्ञा परे ऽयादयः।

पर ('अमी अत्र' आदि उदाहरणोंमें यदि 'अय्' आदि कार्य होंगे तो प्रकृत सूत्रसे कही हुई) प्रगृह्यसंज्ञा व्यर्थ होगी । अतः उसके बलपर 'अय्' आदि कार्य न होंगे ।

(वा. २) (जहाँ 'ई' आदेश और 'ऊ' आदेश) सिद्ध हैं वहाँ प्रकृत सूत्रका उपयोग होता है । (तब प्रगृह्यसंज्ञाका विधान व्यर्थ नहीं होता है ।)

(प्रगृह्यसंज्ञाके) विधानके बलपर उपरकी बात सिद्ध नहीं होगी । कारण कि इस प्रगृह्यसंज्ञाके विधानका उपयोग अन्यत्र होता है ।

वह कौनसा ?

(जिस प्रगृह्यसंज्ञाके कार्यकी दृष्टिसे 'ई' आदेश और 'ऊ' आदेश) ये सिद्ध हैं उस कार्यके लिए यह प्रगृह्यसंज्ञा उपयुक्त होगी । उदा०— " अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः । " (८।४।५७)

पर इस एक ही विशेष उपयोगके लिए सामान्य सूत्र करना उचित नहीं । यदि इतना ही उपयोग होता तो (ये आचार्य पाणिनिजी) वहाँ " अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकोऽदसौ न " ऐसा बोलते ।

(वा. ३) अथवा विप्रतिषेधसे (प्रगृह्यसंज्ञा हो जायगी) ।

अथवा ('अमी अत्र' आदि उपर्युक्त उदाहरणोंमें) (१) प्रगृह्यसंज्ञा की जाय, अथवा (२) 'अय' इत्यादि (कार्य) किये जायँ (यह स्पर्शा शुरू होनेपर उनमेंसे) प्रगृह्यसंज्ञा विप्रतिषेधसे ('अय' इत्यादि कार्योंका बाध करके) होगी ।

पर यह विप्रतिषेध युक्त नहीं । क्यों कि " विप्रतिषेधे परम् " (१।४।२) इस स्वरूपका (सूत्र) है । (अर्थात् दो कार्योंमें विरोध निर्माण हुआ तो वहाँ परकार्य किया

२. अनुनासिक कहने वाला यह सूत्र इतब और काव कहनेवाले सूत्रोंके (८।१।८०, ८१) भा। होनेमें उगरी रनिमें ईकार और ऊकार निद्व होते हैं । तब उन ईकारको और ऊकारको अनुनासिक न होना यह प्रगृह्यसंज्ञाका उपयोग है ।

परा प्रगृह्यसंज्ञा करिष्यते । सूत्रविपर्यासः कृतोः भवति । एवं तर्हि परैव प्रगृह्य-
संज्ञा । कथम् । कार्यकालं हि संज्ञापरिभाषा । यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम् ।
प्रगृह्यः प्रकृत्येत्युपस्थितमिदं भवति अदसो मादिति ॥ एवंप्रयुक्तो विप्रतिषेधः ।
कथम् । द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधो न चात्रैको द्विकार्ययुक्तः । एचामयादयः ।
ईदूतोः प्रगृह्यसंज्ञा । नावश्यं द्विकार्ययोग एव विप्रतिषेधः । किं तर्हि । असंभवो-
ऽपि । स चास्त्यत्रासंभवः । कोऽसावसंभवः । प्रगृह्यसंज्ञाभिनिर्वर्तमानायादी-

जाय ऐसा कहा है । और यह प्रगृह्यसंज्ञा तो पूर्व है । उल्टे, 'अम्' इत्यादि कार्य ही
(छठे अध्यायमें कहे हैं इसलिए) पर है ।

प्रगृह्यसंज्ञा (उन 'अय्' आदि कार्योंके) पश्चात् कही जाय (जिससे वह
पर होगी) ।

पर, सूत्रपाठमें विपर्यास होता है (उसका उपाय क्या है ?)

तो फिर (सूत्रपाठमें विपर्यास न करके) प्रगृह्यसंज्ञा पर ही है ऐसा हम कहते हैं ।
सो कैसे ?

“संज्ञाओं और परिभाषाओंके संबन्धमें कार्यकालपक्ष भी लिया जाता है ।”

अर्थात् जहाँ उनका कार्य हो वहाँ वे (संज्ञाएँ और परिभाषाएँ) उपस्थित होती हैं ऐसा
समझा जाय । तब प्रगृह्यको प्रकृतिभाव होता है (यह प्रगृह्यसंज्ञाका कार्य छठे
अध्यायमें कहा है वहाँ) “अदसो मात्” (१।१।१२) यह (प्रगृह्यसंज्ञा कहने
वाला) प्रकृतसूत्र उपस्थित होता है ।

तो भी यहाँ (वास्तवमें) विप्रतिषेध ही अयुक्त है ।

कैसे ?

क्यों कि (एकका एक साथ) दो कार्योंसे सब्र हो जाय तो वहाँ विप्रतिषेध
निर्माण होता है । और यहाँ ('अमी अत्र' आदि उदाहरणोंमें) तो एकका दो
कार्योंसे सब्र नहीं होता है । 'अय् आत्' आदि कार्य एचको प्राप्त होते हैं और
प्रगृह्यसंज्ञा ईकारको और ऊकारको प्राप्त होती है ।

एकका दो कार्योंसे सब्र हो तो वहाँ केवल विप्रतिषेध होता है यह बात नहीं ।
तो (दो कार्य एक साथ करना) असंभवनीय हो उससे भी विप्रतिषेध निर्माण होता
है । और यहाँ (प्रकृत उदाहरणोंमें दो कार्योंका) एक साथ संभव नहीं दीस
पड़ता है ।

वह असंभव यहाँ कैसे समझा जाय ?

इस प्रकार समझा जाय कि प्रगृह्यसंज्ञा यहा जब हाने लगती है तब वह (प्रकृति-

३ तब 'अमी + अत्र' आदि उदाहरणोंमें अय् आदिना बाध करके परस्पर कारण
प्रशङ्कना की जानेसे दोष नहीं प्राप्त होता है ।

न्वाधते । अयाद्योऽभिनिर्वर्तमानाः प्रगृह्यसंज्ञानिमित्तं विघ्नन्तीत्येषोऽसंभवः । सत्यसंभवे युक्तो विप्रतिषेधः ॥ एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । सतोर्हि विप्रतिषेधो भवति न चात्रेच्चोच्चे स्तो नापि मकारः । उभयमसिद्धम् ।

आश्रयात्सिद्धत्वं च यथा रोरुच्चे ॥ ४ ॥

आश्रयात्सिद्धत्वं भविष्यति तद्यथा रुरुच्च आश्रयात्सिद्धो भवति । किं पुनः कारणं रुरुच्च आश्रयात्सिद्धो भवति न पुनर्थत्रैव रुः सिद्धस्तत्रैवोच्चमप्युच्यते । नैवं शक्यम् ।

भावके आधारसे) 'अय्' आदि कार्योंको बाधा पहुँचाती है और जब 'अय' आदि कार्य होने लगते हैं तब वे प्रगृह्यसंज्ञाके निमित्तका ही विनाश करते हैं यह असंभव यहाँ समझा जाय । और असंभव होता है तो वहाँ उन दो कार्योंमें विरोध निर्माण होना युक्त ही है ।

तो भी यहाँ विप्रतिषेध युक्त नहीं । क्यों कि दो कार्य प्राप्त हुए तो उनमें विप्रतिषेध निर्माण होता है । और (यहाँ तो प्रगृह्यसंज्ञा ही प्राप्त नहीं होती है । क्यों कि उस प्रगृह्यसंज्ञाका निमित्त जो) ईकार और ऊकार है वेही यहाँ उपस्थित नहीं हैं और उनके पीछे जो मकार चाहिये वह भी नहीं है । दोनों असिद्ध ही है ।

(वा. ४) अवलंबित होनेसे सिद्धत्व होता है; जैसे, उत्त्वके विषयमें 'रु' ।

(ईकार, ऊकार और मकार इन्हींपर प्रगृह्यसंज्ञा) अवलंबित होनेसे (वे ईकार आदि) सिद्ध हैं ऐसा समझा जाय । जैसे ('अतो रोः०' —६।१।११३— सूत्रसे कहा गया उत्त्व अर्थात् 'उ'-कार 'रु'-पर) अवलंबित होनेसे उस उत्त्वकी दृष्टिसे वह रुत्व सिद्ध समझा जाता है (वैसे ही यह है) ।

'रु' उत्त्वका आश्रय होनेके कारण (निरूपायमे) वह 'रु' उत्त्वकी दृष्टिसे सिद्ध समझा जायगा सही, पर (पाणिनिसे भी) ऐसा किसलिए किया ? 'रु' जहाँ स्वयंसिद्ध समझा जाता है वहाँ ('अतो रोः०' सूत्रसे कहा गया) उत्त्व क्यों नहीं कहा गया ?

ऐसा करना शक्य नहीं ।

v. 'रोः गुणि' (८।३।१५) सूत्रके आगे रणा जाय तो दूसरे पादमें कहा हुआ रुत्व अपने भाष ही मिट्ट गमना जायगा । धन पाणिनिने जहाँ रणा है वहाँ मान्य करके अति (१।१।१०५) और उरु (१।१।१११) पद अनुराग हुआ करते हैं वे अब इस सूत्रमें रणे जायेंगे भी कुछ बाधा नहीं । क्यों कि 'रो.' की अनुपत्ति होनेमें उरु पदकी रपनेकी आवश्यकता नहीं है । तथा 'अन्तुनात्' और 'अन्तुते' इन दो पदोंको भी रपनेकी आवश्यकता नहीं है । क्यों कि इसके पहलेके पदोंमें कहा हुआ पुन्र अनायास मिट्ट होनेमें 'अतः' और 'अति' इस तत्परकरणमें ही उसकी व्यापत्ति होती ।

असिद्धे ह्युत्त्व आद्गुणाप्रसिद्धिः ॥ ५ ॥

असिद्धे ह्युत्त्व आद्गुणस्याप्रसिद्धिः स्यात् । वृक्षोऽत्र । पृक्षोऽत्र । तस्मात्तत्राश्रयात्सिद्धत्वमोपेतव्यम् । तत्र यथाश्रयात्सिद्धत्व भवत्येवमिहापि भविष्यति ॥

अथवा प्रगृह्यसज्ञावचनसामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति ॥ अथवा योग-विभागः करिष्यते । अदसः । अदस ईदादयः प्रगृह्यसज्ञा भवन्ति । ततो मात् । माच्च पर ईदादयः प्रगृह्यसज्ञा भवन्ति । अदस इत्येव । किमर्थो योगविभागः । एको यत्तत्सिद्धे प्रगृह्यकार्यं तदर्थः । अपरो यदसिद्धे । इहापि तर्हि प्राप्नोति ।

(वा. ५) (रुत्व) असिद्ध हो गया तो उत्तर होनेपर 'आद् गुण.' सूत्रसे (होनेवाला गुण) सिद्ध न होगा ।

(वैया क़िया गया तो) वह (अर्थात् रुत्व) असिद्ध होगा । और उससे 'वृक्षोत्र', 'पृक्षोत्र' इत्यादि उदाहरणोंमें उत्त्व होनेके बाद "आद् गुण" (६।१।८७) सूत्रसे (जो गुण दीख पड़ता है) वह नहीं होगा । (अतः वह उत्त्व कहनेवाला "अतो रो ०" — ६।१।११३—सूत्र संपाद्रीमें रखा गया यही युक्त है ।) तब वहाँ (उत्त्वका) आश्रय होनेके कारण ही (रुत्व) सिद्ध समझा जाना चाहिये । और जैसे वहाँ (उत्त्वका) आश्रय होनेसे (रुत्व) सिद्ध समझा जाता है वैसे यहाँ मा (ऊकार, ईकार और मकार ये प्रगृह्यसज्ञाका आश्रय होनेसे) सिद्ध समझे जायेंगे ।

अथवा, (प्रकृतसूत्रसे यह जो) प्रगृह्यसज्ञा कही है उसके धरसे (उसके उदाहरणमें) अय् आदि नहीं होंगे ।

अथवा, इस एक सूत्रका विभाजन करके दो सूत्र किये जायें । (उनमेंसे पहला सूत्र) — "अदस" । इसका अर्थ यों है— अदस् शब्दके (सवयमें अगले जो) ईकार आदि (हँ वे) प्रगृह्यसज्ञक होते हैं । तदनन्तर दूसरा सूत्र — "मात्" । इसका अर्थ यों है— मकारके आगे जो ईकार आदि हँ वे प्रगृह्यसज्ञक होते हैं । (इस दूसरे सूत्रमें पूर्वसूत्रसे) "अदस" पठका सवय है ।

फिर ये दो सूत्र करनेका हेतु क्या है ?

(हेतु यह है कि प्रगृह्यसज्ञाके कार्योंमेंसे) जिस कार्यकी दृष्टिसे (ईकार, ऊकार और मकार) ये सिद्ध हैं उस कार्यके लिए प्रगृह्यसज्ञा कहनेवाला सूत्र एक, और (जिस कार्यकी दृष्टिसे) वे असिद्ध हैं उस कार्यके लिए (प्रगृह्यसज्ञा कहनेवाला सूत्र)

५ ' अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिक ' (८।४।१७) सूत्रम न्हा हुआ अनुनासिक प्रगृह्यका नहीं होता है । तब वहाँ ' अनुनासिकका नियम होनेके लिए ।

६ ' मात् ' सूत्र ।

७ ' प्लुतप्रगृह्या ' (६।१।१२५) सूत्रसे कहे हुए प्रकृतिभावनके लिए ।

अमुया अमुयोरिति । किं च स्याद्यदि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् । प्रगृह्याश्रयः प्रकृति-
भावः प्रसज्येत । नैष दोषः । पदान्तप्रकरणे प्रकृतिभावो न चैष पदान्तः ।
एवमप्यमुकेऽत्र अत्रापि प्राप्नोति । द्विवचनमिति वर्तते । यदि द्विवचनमिति
वर्तते अमी अत्रेति न प्राप्नोति । एवं तर्होदन्तमिति निवृत्तम् ॥ अथवाहायमदसो
मादिति । न चेत्त्वोच्चे स्तो नापि मकारः । त एवं विज्ञास्यामः । मार्थादीदायर्था-
नामिति ॥

दूसरा ।

तो फिर 'अमुया', 'अमुयोः' रूपोंमें भी ('अदसः' सूत्रसे प्रत्ययके पिछले
'अदे' पदमेंसे एकारको प्रगृह्यसंज्ञा) होने लगेगी ।

यदि प्रगृह्यसंज्ञा होगी तो क्या होगा ?

(यदि यहाँ प्रगृह्यसंज्ञा होगी तो उस) प्रगृह्यसंज्ञापर अवलंबित प्रकृतिभाव
होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता है । क्यों कि पदके अन्तको जो कार्य कहे है उस
प्रकरणमें प्रकृतिभाव कहा है । और ('अमुया', 'अमुयोः' रूपोंमें 'अदे' पदका
एकार प्रत्ययके पिछला होनेसे) वह पदके अन्तमें नहीं है ।

तो भी फिर 'अमुकेत्र' उदाहरणमें भी ("अदसः" सूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा) प्राप्त
होती है ।

("अदसः" सूत्रमें पूर्वसूत्रसे) 'द्विवचनम्' पद अनुवृत्त होता है । (और
उससे यह दोष नहीं आता है ।)

यदि द्विवचनपदकी अनुवृत्ति की गयी तो 'अमी+अत्र' उदाहरणमें ("अदसः"
सूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा) नहीं होगी ।

तो फिर (द्विवचनपदकी अनुवृत्ति न की जाय और "ईदृदेत्" में से) 'एत्'
की अनुवृत्ति न की जाय (और इससे कोई दोष नहीं आयेगा) ।

अथवा, ये (आचार्य पाणिनि) "अदसो मात्" तो कहते हैं, पर (उदाहरण
देना जाय तो उसके) ईकार, उकार ये (इस सूत्रकी दृष्टिसे) नहीं दिखायी देते
और (उनके पूर्वका) मकार भी नहीं दीस पढ़ता है । तब (उस विधानमें उनका कुछ
और ही अर्थ होगा । वह) हम यों समझते हैं कि— "मकारके लिए जो वर्ण अर्थात्
मकारका स्थानी है इससे पर जो ईकार आदिके स्थानी हैं उनको प्रगृह्यसंज्ञा होती है ।"

८. 'अदस' सूत्र ।

९. अभिप्राय यह है कि पूर्वसूत्रमें 'ईदृत्' की अनुवृत्ति होती है, तथा 'एत्' की
भी अनुवृत्ति नहीं होती है ।

१०. क्योंकि 'धमी' बहुवचन है ।

उक्तं वा ॥ ६ ॥

किमुक्तम् । अदस ईचोच्चे स्वरे बहिष्पदलक्षणे प्रगृह्यसंज्ञायां च सिद्धे वक्तव्ये इति ॥

तत्र सकि दोषः ॥ ७ ॥

तत्र सककारे दोषो भवति । अमुकेऽत्र ॥

न वा ग्रहणविशेषणत्वात् ॥ ८ ॥

न वैष दोषः । किं कारणम् । ग्रहणविशेषणत्वात् । न माद्ग्रहणेने-

(वा. ६) अथवा यह कहा ही है । (सूत्र ८।२।३ में)

‘अदस’ शब्दके (वारेमें कहे हुए) ईकार और ऊकार (८।२, ८०, ८१) अगले पदके निमित्तसे एकादेश अच् (अर्थात् स्वर) करनेकी आवश्यकता होनेपर भी सिद्ध समझे जायँ, तथा प्रगृह्यसंज्ञा करनेके लिए सिद्ध समझे जायँ ।

(वा. ७) यहाँ ककारसहित उदाहरणमें दोष आता है ।

(प्रकृतसूत्रसे कही हुई प्रगृह्यसंज्ञा की गयी तो) वहाँ ककारसहित उदाहरणमें दोष आता है; जैसे, अमुकेत्र^{११} ।

(वा. ८) अथवा उच्चारित (‘मात्’ पद ईकार आदिका) विशेषण होनेसे (यह दोष) नहीं आता है ।

अथवा यह दोष नहीं आता है ।

क्या कारण है ?

क्योंकि ‘मात्’ यह उच्चारित पद विशेषण है । ईकार आदि जिसके अन्तमें है

११. ‘उक्तं वा’ वार्तिक है अथवा भाष्योक्ति है इस विषयमें सन्देह है। ‘उक्तं’ पदसे ‘अदस ईचोच्चे’ आदि जो दिखाया है वह आठवें अध्यायमें (८।२।३) वार्तिककारोंने कहा है सही, परन्तु वह मनमें रखके यहाँ उसके पूर्व वार्तिककार भूतकालका ‘उक्तं’ निर्देश नहीं करेंगे । प्रक्रियाकौमुदीकार रामचंद्राचार्यके शिष्य रघुनाथ पंडितकी लिखी हुई भाष्यटीकामें,— ‘वक्ष्यमाणस्यापि शुद्धपारुदत्वेनातीतवारोपात्’ अर्थात् ‘अदस ईचोच्चे’ यद्यपि आगे कहना है तो भी वह पहलेसे ही वार्तिककारोंके मनमें है इसलिए उन्होंने भूतकालका ‘उक्तं’ निर्देश किया है—इस प्रकार उस निर्देशका निपटारा किया गया है । परन्तु ‘उक्तं वा’ को वार्तिकके बदले भाष्योक्ति माननेमें कुछ भी बाधा नहीं । ‘यह पहले वार्तिककारोंने कहा है’ इस स्वरूपका भूतकालका निर्देश भाष्यकार सहजमें ही कर सकते हैं ।

१२. ‘ईददेत्’ सूत्रमें ‘तदन्तविधि’ करके उसको ‘मात्’ विशेषण लगाया गया तो मकारने पर जो ईकारान्त, ऊकारान्त तथा एकारान्त शब्दस्वरूप है उसको प्रगृह्यसंज्ञा होती है यह सूत्रार्थ होता है । तब ‘अमुकेत्र’ में मकारसे पर एकारान्त ‘उके’ शब्दस्वरूप है इसलिए यहाँ प्रगृह्यसंज्ञा होके प्रकृतिभाव होगा और संधिकार्य न होगा यह दोष आता है ।

दायन्तं विशेष्यते । किं तर्हि । ईदादयो विशेष्यन्ते । मात्परे य ईदादय इति ॥

शे ॥ १ । १ । १३ ॥

इह कस्मान्न भवति काशे कुशे वंशे इति ।

शेऽर्थवद्ग्रहणात् ॥ १ ॥

अर्थवतः शोशब्दस्य ग्रहणं न चायमर्थवान् । एवमपि हरिशे बभ्रुशे इत्यत्र प्राप्नोति । एवं तर्हि लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेत्येवं न भविष्यति ।

उस शब्दस्वरूपका 'मात्' पद विशेषण समझा जाय ।

तो फिर वह किसका विशेषण नहीं समझा जाय ?

ईकार आदिका ही वह विशेषण समझा जाय । मकारसे पर जो ईकार आदि हैं (उनको प्रगृह्यसंज्ञा होती है ऐसा सूत्रार्थ समझा जाय) ।

(सू. १३) 'शे' (अर्थात् 'ए') को प्रगृह्यसंज्ञा होती है ।

'काशे', 'कुशे', 'वंशे' इन उदाहरणोंमें 'शे' इस प्रकृतसूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा क्यों नहीं होती ?

(वा. १) 'शे' (प्रत्यय) के विषयमें अर्थयुक्त ('शे' शब्दका) ग्रहण होनेसे (कोई दोष नहीं आता है) ।

अर्थवान् 'शे' शब्दका प्रकृतसूत्रमें ग्रहण किया है । और ('काशे' आदि उपर्युक्त उदाहरणोंमें) यह ('शे' शब्द) अर्थवान् नहीं है ।

फिर भी 'हरिशे', 'बभ्रुशे', उदाहरणोंमें (प्रकृतसूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा) प्राप्त होती ही है ।

तो फिर "लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्" (प. शे. १०५)

१. 'न युष्मे वाजवन्धवः' (ऋ. ८।९।८।१९) इन वैदिक वाक्यमें 'युष्मे' पद है । 'युष्मद्' शब्दके आगे 'भ्यम्' प्रत्ययको 'सुपां सुउक्०' (७।१।३९) सूत्रसे 'शे'—आदेश हुआ है । उसमेंके शकारका इत्संज्ञालोप होके एकार शेष रहता है और 'युष्मद्' शब्दके 'ध्' का 'दोषे लोपः' (७।२।९०) से लोप होके 'युष्मे' रूप होता है । उसके एकारको प्रकृतसूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा हुई है इसलिए उसके आगे 'इति' लगाया गया तो 'युष्मे इति' मेंसंधि नहीं होती है ।

२. 'काशे', 'कुशे', 'वंशे' ये 'काश' आदि शब्दोंके सप्तमी एकवचनके रूप हैं ।

३. 'हरि', 'बभ्रु' शब्दोंके आगे 'लोमापामा०' (५।२।१००) सूत्रसे 'श' प्रत्यय हुआ है । अगले प्रत्ययने लुपि होके 'शे' होनेने यहीं 'शे' अर्थयुक्त है ऐसा शंकाकारका अभिप्राय है ।

४. जिस शब्दका साक्षार उच्चारण किया जाता है वह प्रतिपदोक्त है और जिस

अथवा पुनरस्त्वर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येति । कथं हरिशे बभ्रुशे इति । एकोऽत्र विभक्त्यर्थेनार्थवानपरस्ताद्धितार्थेन समुदायो ऽनर्थकः ॥

निपात एकाजनाङ् ॥ १ । १ । १४ ॥

निपात इति किमर्थम् । चकारात्र । जहारात्र ॥ एकाजिति किमर्थम् ।

परिभाषासे ('काशे', 'कुशे', 'वंशे' और 'हरिशे', 'बभ्रुशे' इन दोनों प्रकारके उदाहरणोंमें प्रगृह्यसंज्ञा) नहीं होती । अथवा फिरसे ('अर्थवद्ग्रहणात्' ऐसा जो वार्तिककारोंने) "अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य" (प. शे. १४) (यह परिभाषा ध्यानमें रखकर) इससे उत्तर दिया है, (उससे ही उपर्युक्त सभी उदाहरणोंमें प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होती है) ।

'हरिशे', 'बभ्रुशे' उदाहरणोंमें वह परिभाषा कैसे (लागू होती है) ?

(इस प्रकार लागू होती है कि 'हरिशे', 'बभ्रुशे' उदाहरणोंमें 'शे' मेंसे) एक वर्ण (जो एकार है वह) विभक्तिप्रत्ययका होनेके कारण वह अर्थयुक्त है और दूसरा (वर्ण जो शकार है वह) तद्धितप्रत्यय होनेसे (वह भी अर्थयुक्त है) । (परन्तु इन दो वर्णोंका) समुदाय (जो 'शे' शब्द है वह) अर्थयुक्त नहीं है ।

(सू. १४) आङ्को छोड़कर अन्य (जो) एकअचरूप (अर्थात् एकस्वरूप) निपात है उसको प्रगृह्यसंज्ञा होती है) ।

इस सूत्रमें 'निपात' शब्दका क्या प्रयोजन है ?

'चकारात्र', 'जहारात्र' (इन उदाहरणोंमें 'चकार', 'जहार' क्रियापदोंमेंके 'अ' प्रत्ययको प्रगृह्यसंज्ञा होने लगेगी, वह न हो इसलिए रखा है) ।

'एकाच्' शब्द किसलिए रखा है ?

शब्दका साक्षात् उच्चारण न होके जो लक्षणसे अर्थात् शास्त्रसे वनता है वह लाक्षणिक है । जो शब्द दोनों प्रकारसे निर्माण होता है उसको लाक्षणिक न समझकर प्रतिपदोक्त ही समझा जाय, यह इस परिभाषाका अर्थ है । 'काशे' आदि दिये हुए सभी उदाहरणोंमें 'श' और 'इ' की संधि होके 'शे' होनेसे वहाँ 'शे' शब्दस्वरूप लाक्षणिक है । तब उसको 'लक्षणप्रतिपदोक्त' परिभाषासे प्रगृह्यसंज्ञा न होगी ।

५. जो शब्दस्वरूप अर्थवान् और अनर्थक दोनों प्रकारका निर्माण होता है उस शब्दस्वरूपको अनर्थक न समझके अर्थवाचक समझा जाय, यह इस परिभाषाका अर्थ है ।

६. अर्थवान् शब्दोंका समुदाय अर्थयुक्त ही होता है यह नियम नहीं । जहाँ उनमें अन्वय होता है वहाँ अर्थ होता है; उदा 'राजा प्रामं गच्छति' वाक्यमें तीनों पदोंका अलग अलग अर्थ है । 'राजा' और 'प्रामं' इन दो पदोंका क्रियापदपर अलग अलग अन्वय है । 'राजा' और 'प्रामं' इन दो पदोंमें किसीका किमीपर परस्पर अन्वय नहीं । अतः 'राजा प्रामं' शब्दसमुदाय अर्थरहित है । 'प्रामं गच्छति' शब्दसमुदाय अर्थयुक्त है ।

प्रेदं ब्रह्म । प्रेदं क्षत्रम् । एकाजित्यप्युच्यमानेऽत्रापि प्राप्नोति । एषोऽपि ह्येकाच् । एकाजिति नायं बहुव्रीहिः । एकोऽजस्मिन्तोऽयमेकाजिति । किं तर्हि । तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः । एकोऽन् एकाजिति । यदि तत्पुरुषः समानाधिकरणो नार्थ एकग्रहणेन । इह कस्मान्न भवति । प्रेदं ब्रह्म । प्रेदं क्षत्रम् । अजेव यो निपात इत्येवं विज्ञास्यते । किं वक्तव्यमेतत् । न हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते । अग्रहणसामर्थ्यात् । यदि हि यत्रात्रान्यच्च तत्र स्यादग्रहणमनर्थकं

‘प्रेदं ब्रह्म’, ‘प्रेदं क्षत्रम्’ (इन उदाहरणोंमें ‘प्र’ को प्रगृह्यसंज्ञा न हो इसलिए रखा है) ।

पर ‘एकाच्’ शब्द रखा गया तो भी यहाँ प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है । क्योंकि ‘प्र’ निपात एकाच्’ (अर्थात् एकस्वरयुक्त) ही है ।

‘एक हे अच् जिसमें’ (इस प्रकारका बहुव्रीहि समास करनेपर ‘प्र’ इस समुदायको ‘एकाच्’ कहा जा सकता है । परन्तु) ‘एकाच्’ यह बहुव्रीहि समास है ऐसा न समझा जाय । तो फिर यह समानाधिकरण तत्पुरुष (अर्थात् कर्मधारय) समास है । तब यहाँ एक जो अच् है वही ‘एकाच्’ (ऐसा समझा जाय) ।

यदि (‘एकाच्’) यह समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात् कर्मधारय समास है तो उसमेंसे ‘एक’ शब्द निरर्थक है ।

(‘एक’ शब्द न रखा गया तो) यहाँ ‘प्रेदं ब्रह्म’, ‘प्रेदं क्षत्रम्’ में (‘प्र’ निपातको प्रगृह्यसंज्ञा) क्यों नहीं होती ?

अचरूप जो निपात है (उसको प्रगृह्यसंज्ञा होती है) यह अर्थ किया जाय । (और इससे ‘प्र’ निपातको प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी ।)

यह अर्थ होनेके लिए क्या स्वतंत्र विधान करना चाहिये ?

(वैसा विधान करनेकी आवश्यकता) नहीं ।

तो फिर वचनके सिवा वैसा अर्थ कैसे किया जायगा ?

‘अच्’ शब्दके बलसे ही (वह अर्थ किया जा सकता है) । क्योंकि (जिस निपातको प्रगृह्यसंज्ञा होनेवाली है उस निपातमें) यदि अच्के सिवा और दूसरा कोई वर्ण हो तो ‘अच्’ शब्द निरर्थक ही होगा ।

१. सूत्रमें ‘एक’ शब्द न हो तो ‘अचरूप जो निपात’ यह अर्थ नहीं होता है; ‘येन विधिन्तदन्तस्य’ (१।१।७२) परिभाषासे तदन्तविधि होके ‘अबन्त’ अर्थात् ‘जिनके अन्तमें अच् है वह निपात’ ऐसा अर्थ होगा, और ‘प्र’ निपातको प्रगृह्यसंज्ञा होगी ।

२. यदि तदन्तविधि होके अबन्त अर्थात् अच् अन्तमें होनेवाले ‘प्र’ आदि निपातोंको

स्यात् । अस्त्यन्यदङ्ग्रहणस्य प्रयोजनम् । किम् । अजन्तस्य यथा स्याद्धलन्तस्य मा भूत् । नैव दोषो न प्रयोजनम् ॥ एवमपि कुत एतद् द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समवास्थितयोराद्यन्तवदेकस्मिन् [१. १. २१] इति च येन विधिस्तदन्तस्य [१. १. ७२] इति चेयमिह परिभाषा भविष्यत्याद्यन्तवदेकस्मिन्नितीयं न भविष्यति येन विधिस्तदन्तस्येति । आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयतीयमिह

परन्तु सूत्रके अच् शब्दका अन्य उपयोग शक्य है ।

वह कौनसा ?

जिसके अन्तमें 'अच्' है उसी निपातको प्रगृह्यसंज्ञा होनी चाहिये । जिसके अन्तमें हल् है उस निपातको प्रगृह्यसंज्ञा न हो ।

(पर जिसके अन्तमें हल् अर्थात् व्यञ्जन है उस निपातको प्रगृह्यसंज्ञा चाहे हो वा न हो) उसमें कोई दोष भी नहीं और उपयोग भी नहीं ।

तो भी "आद्यन्तवदेकस्मिन्" (१।१।२१) और "येन विधिस्तदन्तस्य" (१।१।७२) ये अन्यत्र स्वतंत्रतया उपयोगमें आनेवाली दो परिभाषाएँ यहाँ एक ही समयमें उपस्थित होनेपर उनमेंसे "आद्यन्तवदेकस्मिन्" यही (परिभाषा) यहाँ उपयोगमें लायी जाय और "येन विधिस्तदन्तस्य" यह (परिभाषा) यहाँ उपयोगमें न लायी जाय (इस प्रकारका वैषम्य) क्यों (किया जाय) ?

ये आचार्य (पाणिनि प्रकृत सूत्रमें) 'अनाइ' शब्द रत्नकर ('आइ' निपातको प्रगृह्यसंज्ञा होनेका) निषेध करते हैं, उससे वे यह सूचित करते हैं कि यहाँ "आद्यन्तवदेकस्मिन्" यही (परिभाषा) उपयोगमें लायी जाय और "येन विधिस्तदन्तस्य" यह (परिभाषा) यहाँ उपयोगमें न लायी जाय ।

प्रगृह्यसंज्ञा होगी तो 'अच्' शब्द व्यर्थ ही होगा । क्योंकि निपातको 'अजन्त' विशेषण देनेसे हलन्त अर्थात् जिनके अन्तमें व्यञ्जन है उन 'अच्' आदि निरातोंकी व्यावृत्ति होगी सही, पर हलन्त निपातको संधिकार्य धरने-आप ही प्राप्त न होनेसे प्रगृह्यसंज्ञा हुई तो भी कोई दोष न थायेगा । तब 'अच्' विशेषण व्यर्थ होनेके कारण उसके बलमे तदन्तविधि दूर करके 'अच्-हल निपात' अर्थ होगा । तब 'अ' आदि निरातोंको प्रगृह्यसंज्ञा होती नहीं यह अच् प्रहणका उपयोग है ।

३. अच् प्रहण-सामर्थ्यमे 'आद्यन्तवदेकस्मिन्' परिभाषाको दूर करके मुख्य अजन्त जो 'अ' आदि निरात हैं उन्हींको प्रगृह्यसंज्ञा होगी, और 'आद्यन्तवन्' (१।१।२१) परिभाषासे और उसीसे भोग अजन्त जो अ, इ, उ आदि निपात हैं उनको प्रगृह्यसंज्ञा न होगी । तब ऐसा मा जानेपर भी अच्-प्रहणका उपयोग संभवनीय है । अतः अच्-प्रहण-सामर्थ्यमे 'येन विधिः' (१।१।७३) यही परिभाषा दूर क्यों की जाय, 'आद्यन्तवन्' परिभाषा दूर क्यों न की जाय, यह शंकाकारका अभिप्राय है ।

परिभाषा भवत्याद्यन्तवदेकस्मिन्नितीय न भवति येन विधिस्तदन्तस्येति यद्य-
गनाडिति प्रतिषेध शास्ति ॥ एव तर्हि सिद्धे सति यद्ग्रहणे क्रियमाण एक-
ग्रहण करोति तज्ज्ञापयत्यागयोऽन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहण भवतीति । किमेतस्य
ज्ञापने प्रयोजनम् । दम्भेर्हत्ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्सिद्धमिति यदुक्तं तदुपपन्न
भवति ॥ अनाडिति किमर्थम् । आ उदकान्तात् ओदकान्तात् । इह कस्मान्न
भवति । आ एव नु मन्यसे । आ एव किल तदिति । सानुबन्धकस्येदमाकारस्य
ग्रहणमननुबन्धकश्चात्राकार । क पुनरय सानुबन्धक क निरनुबन्धक ।

इस प्रकार इस प्रकृतसूत्रमें ('एक' शब्द न रखकर) केवल 'अच्' शब्द
रखनेसे सब इष्ट सिद्ध होता है, फिर भी यहाँ आचार्य पाणिनि 'एक' यह (अधिक)
शब्द रखते हैं और इससे वे यों ज्ञापित करते हैं कि अन्यत्र कहीं भी वर्णोंका ग्रहण
(अर्थात् उच्चारण) किया गया तो वहाँ उस जातिका ग्रहण (अर्थात् स्वीकार)
होता है ।

इस ज्ञापनका क्या उपयोग है ?

“दम्भेर्हत्ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्सिद्धम्” ऐसा ('हलन्ताच्च'— १।२।१०
—सूत्रके विषयमें वार्तिककारोंने) जो कहा है वह (इस ज्ञापनसे) उपपन्न होता है ।

(इस सूत्रमें) 'अनाड' पद किसलिए रखा गया है ?

'आ उदकान्तात्' (उदाहरणमें सधिसे) 'ओदकान्तात्' (यह रूप होता है ।
वहा 'आ' को प्रगृह्यज्ञा न हा इसलिए 'अनाड' पद कहा गया है ।)

'आ एव नु मन्यसे', 'आ एव किल तत्', यहा ('अनाड' यह प्रगृह्य
सज्ञाका निषेध) क्यों नहीं होता है ?

(सूत्रमें 'अनाड' यह) ङकारेत्सज्ञक 'आ'कारका (अर्थात् 'आ' वर्णका)
ग्रहण किया है, और ('आ एव नु मन्यसे' आदि उदाहरणोंमें) जो 'आ' वर्ण है
वह ङकारेत्सज्ञक नहीं है । (केवल 'आ'कार है ।)

पर (उपलब्ध उदाहरणोंमें तो ङकार कहीं भी दिखायी नहीं देता । तब) किस

४. जहाँ 'एक' यह सद्व्याख्येय शब्दका उच्चारण न करके केवल वर्णके निमित्तसे कुछ
कार्य कहा हो तो कौं उस जातिके अनन्त वर्ण यद्यपि किसी उदाहरणमें आये हों तो भी वह
कार्य किया जाय, यह 'जातिग्रहण' का अर्थ है ।

५. 'आ' निपात दो प्रकारका है—एक 'दिन् आ' अर्थात् 'आन्', और दूसरा
केवल 'आ' । यही 'अन्' केवल 'आ'कार है ।

६. दशरथो 'दत्तस्य' (१।३।३) से दशरथ दत्ते 'तस्य शेष' (१।३।५) से
दशरथ शेष होता है ।

ईपदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः ।

एतमातं डितं विद्याद्वाक्यस्मरणयोरडित् ॥

ओत् ॥ १ । १ । १५ ॥

किमुदाहरणम् । आहो इति । उताहो इति । नेतदस्ति प्रयोजनम् । निपातसमाहारोऽयम् । आह उ आहो इति । उत आह उ उताहो इति । तत्र

प्रयोगमें यह 'आ'कार (मूलभूत) सानुबन्धक (अर्थात् आइ है) और किस प्रयोगमें (मूलभूत) निरनुबन्धक (अर्थात् केवल 'आ') है (यह कैसे समझा जाय ?)

'ईपद' (अर्थात् 'थोड़ा') अर्थको बतानेवाला, क्रियायोगी (अर्थात् धातुके पीछे उपसर्गके रूपमें लगाया हुआ), और 'मर्यादा' वा 'अभिविधि' अर्थका बोधक जो 'आ'कार है वह डित (अर्थात् मूलभूत आइ है) ऐसा समझा जाय । वाच्यश्लोक और स्मरणश्लोक (जो 'आ'कार है वह) अडित है (अर्थात् मूलभूत 'आ' ही निपात है) ऐसा समझा जाय ।

(सू. १५) ओकारान्त (अर्थात् जिसके अन्तमें 'ओ'कार है उस निपातको प्रगृह्यसंज्ञा होती है) ।

इस सूत्रका उदाहरण क्या है ?

आहो इति, उताहो इति (ये उदाहरण हैं) ।

(इस सूत्रका) यह प्रयोजन नहीं है । क्योंकि 'आहो' यह पूरा एक निपात नहीं है, वह निपातोंका समुदाय है । 'आह' और 'उ' (इन दो निपातोंकी सन्धिसे) 'आहो' (रूप बना है), तथा उन, आह और उ (इन तीन निपातों का)

७ अनुबन्धक अर्थान् इत्संज्ञक । उपमे सहित वह सानुबन्धक अर्थान् आत्; और निरनुबन्धक अर्थान् इत्संज्ञकसे रहित केवल आ ।

८. 'आ उगाम् ओगमुदकम्' में 'आ' का अर्थ है 'थोड़ा' । 'आ इदि एहि' में 'आ' क्रियोन्मेषी उपसर्ग है । 'आ उदधे ओदधे' में 'आ' का अर्थ है 'मर्यादा' वा 'अभिविधि' । 'ओदधे' का अर्थ है 'समुद्र तट' । 'मर्यादा' अर्थ लिया गया तो मसूरमे पहलेका प्रदेश आता है, और 'अभिविधि' अर्थ लिया गया तो समुद्रसहित प्रदेश आता है । इन चारों स्थानोंमें 'आ' लिखे अर्थान् 'आत्' है । अतः उपरोक्त प्रत्ययान्ता न होनेसे संधि हुई है । 'आ एवं नु मन्वसे' का अर्थ है 'ऐसा क्यों अब तुम मानते हो ?' नहीं पूर्वके वाक्यका ठलठाव 'आ' से दिखाया है, इसीको वाच्यश्लोक कहते हैं । 'आ एवं किल तन्' का अर्थ है 'अरे, वह ऐसा है ।' किन्तु वन्तुके विशेष स्वल्पका स्मरण होनेपर यह वाक्य मुँहसे बाहर निकलनेके कारण यहाँ स्मरणश्लोक 'आ'कार है । इन दोनों स्थानोंमें 'अडित्' आ है, 'आत्' नहीं । इसलिए प्रत्ययान्ताका निषेध नहीं होता ।

निपात एकाजनाड् [१ १ १४] इत्येव सिद्धम् । एव तर्होऽकनिपाता इमे ॥
अथवा प्रतिपिद्वार्थोऽयमारम्भ । ओ षु यात मरुतः । ओ षु यात बृहती शकरी
च । ओ चित्साखाय स्रुत्या वृत्त्याम् ॥

ओतश्चिप्रतिषेधः ॥ १ ॥

ओदन्तो निपात इत्यत्र च्यन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । अनदः अभवत्
अदोऽभवत् । तिरोऽभवत् ॥ न वक्तव्यं । लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव-

‘उताहो’ (रूप बना है) । तव (उनमें से अन्तिम निपातको) “निपात
एकाजनाड्” (१।१।१४) सूत्रसे ही (प्रगृह्यसज्ञा) सिद्ध होती है । तो फिर (आहो
उताहो) ये प्रत्येक अस्वड निपात है (ऐसा मान लेके यह सूत्र किया है) ।

अथवा, “ओ षु यात मरुत”, “ओ षु यात बृहती शकरी च”, “ओ
चित्साखाय स्रुत्या वृत्त्याम्” (अ १०।१०।१) इत्यादि उदाहरणोंमें ‘अनाड्’ इस
निषेधके कारण (पूर्वसूत्रसे प्रगृह्यसज्ञा) सिद्ध नहीं होगी इसलिए यह सूत्र किया है ।

(घा. १) ओकारान्त निपातको (प्रगृह्यसंज्ञा होती है इस विधानमें)
चिप्रत्ययान्त (निपात) का निषेध कहा जाय ।

(प्रकृतसूत्रसे) ओकारान्त निपातको (जो प्रगृह्यसज्ञा कही है) वह चिप्रत्ययान्त
निपातको होती नहीं ऐसा कहा जाय । उदा० ‘अनद अद. समभवत्, अदोऽभवत्’
तथा ‘तिरोऽभवत्’ ।

वह न कहा जाय । (क्योंकि) “लक्षणप्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव

१ ‘आ’ और ‘उ’ दो निपातोंकी सधि होकर ‘ओ’ हुआ है । यहाँ आ ‘हित्’
अर्थात् ‘आट्’ होनेके कारण पूर्वसूत्रसे उसको प्रगृह्यसज्ञा नहीं हुई । सधि होकर जो ‘ओ’ कार
हुआ है वह ‘अन्तादिवन्व’ (१।१।८५) सूत्रसे ‘आट्’ समाप्त जानेसे उस ‘ओ’ को भी
पूर्वसूत्रसे प्रगृह्यसज्ञा न होगी । यह उ षकारत्संज्ञक न लिया जानेसे अगले ‘उम’ (१।१।१७)
सूत्रसे भी प्रगृह्यसज्ञा होनेका संभव नहीं । वह यहाँ प्रकृतसूत्र ‘ओत्’ से होती है । पदपाठमें
‘इत्ति’ शब्द आगे लगाया गया तो ‘ओ इति’ में सधि नहीं होती है । यह प्रगृह्यसज्ञाका
व्यस्योप है ।

२ सामने आये हुए पदार्थका ‘अदम्’ शब्दसे निर्देश होता है । जो पदार्थ वस्तुतः
सामने न होकर सामने हुआ-या समाप्त जाता है उसका निर्देश अदम् शब्दको ‘चि’ प्रत्यय
लगाकर किया जाता है । अदम् शब्दके आगे ‘अमृततद्भावि०’ (५।४।५०) सूत्रसे ‘चि’
प्रत्यय होकर ‘कर्षादिचि०’ (१।४।६१) से निपातसंज्ञा हुई है । ‘अदम् अमवत्’ में द्रव्य
व्यय और शुभ होकर जो ‘अदो’ होता है उसको यदि प्रकृतरूपसे प्रगृह्यसज्ञा हुई तो पूर्वस्य
न होगा ।

त्येवं न भविष्यति ॥ एवमप्यगौर्गोः समपचत गोऽभवत् अत्र प्राप्नोति । एवं तर्हि गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंप्रत्यय इति । तद्यथा गौरनुबन्ध्योऽजोऽग्नीषोमीय इति न बाहीकोऽनुबन्ध्यते । कथं तर्हि बाहीके वृद्ध्याच्चे भवतः । गौस्तिष्ठति ।

ग्रहणम् ” (प. शे. १०५) इस (परिभाषा) से वहाँ (प्रगृह्यसंज्ञा) न^३ होगी ।

तथापि ‘ अगौः गौः समपचत, गोऽभवत् ’ उदाहरणमें प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती^४ है ।

तो फिर “ गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः ” (प. शे. १५) इस (परिभाषा) से (इष्ट कार्य सिद्ध होगा) । जैसे, (लोगोंमें) “ बैलका अनुबन्धन किया जाय ”, “ अग्नि और सोम नामक देवताओंको बकरा दिया जाय ” ऐसा कहा गया तो वहाँ बैलके बदले कभी बैलके समान किसी अनाड़ीका अनुबन्धन नहीं किया जाता है (और बकरेके समान कोई जंगली मनुष्य उन देवताओंको बकरेके बदले कभी नहीं दिया^५ जाता है ।)

तो फिर ‘ (बैल जैसा) कोई अनाड़ी आदमी ’ इस अर्थमें (‘ गो ’ शब्दका प्रयोग किया गया तो) ‘ गौस्तिष्ठति ’, ‘ गामानय ’ इन उदाहरणोंमें वृद्धि और आच्च ये (कार्य) कैसे किये^६ हैं ?

३. ‘ अजो ’ वस्तुनः ‘ ओ ’कारान्त नहीं, वह गुण होकर बना है; अतः वह लाक्षणिक है । ‘ लक्ष्मप्रतिशोभन० ’ परिभाषाका अर्थ पहले (११११३ टिप्पणी ४) दिया है ।

४. ‘ गो ’ शब्द स्वाभाविक ही है । उसमेंका ‘ ओ ’कार गुणसे नहीं हुआ है इसलिए वह लाक्षणिक नहीं कहा जा सकता है ।

५. गौण अर्थमें प्रयुक्त शब्द गौण है, और मुख्य अर्थमें प्रयुक्त शब्द मुख्य है । एक ही कार्य गौण और मुख्य दोनों प्रकारके शब्दको प्राप्त होता है तो भी वह कार्य मुख्य शब्दके बारेमें किया जाय, गौणके बारेमें न किया जाय यह इस परिभाषाका अर्थ है । जिस शब्दके भागे ‘ च्वि ’ प्रत्यय लगाया है वह गौण अर्थमें ही प्रयुक्त होनेसे गौण है ।

६. तब जैसे लोगोंमें ‘ बैल ’ और ‘ बकरा ’ ये जो मुख्य अर्थ हैं वे ही लिये जाते हैं वैसे ही शास्त्रमें भी मुख्य शब्द ही लिया जाता है ।

७. जो कार्य किसी विशिष्ट शब्दको कहा हो वहाँ उस विशिष्ट शब्दसे अर्थ उपस्थित होनेके कारण मुख्य अर्थमें प्रयुक्त शब्दको वह किया जाय ऐसा कहा जा सकता है । परन्तु जो कार्य केवल वर्णका निर्देश करके कहा हो वहाँ उस वर्णसे कुछ भी अर्थ उपस्थित नहीं होता है । तब वहाँ गौणार्थक शब्द लिया जाय अथवा मुख्यार्थक लिया जाय इस विवादको अवकाश ही नहीं मिलता है । वहाँ अनर्थक वर्ण भी चलता है । फिर गौणार्थक चल सकेगा इसमें आशय नहीं । ‘ ओतो गित् ’ (७१११०) और ‘ औतोमशपोः ’ (६१११३) में ‘ ओतः ’ यह केवल वर्णका निर्देश किया है । प्रकृतमूत्र ‘ ओत् ’ में ‘ ओत् ’ यदि वर्णका ही निर्देश है तो भी यहाँ निरात पदसे विशिष्ट शब्द ध्यानमें आते हैं । तब उन विशिष्ट शब्दोंसे अर्थ उपस्थित होनेसे ‘ गौणमुट्ण० ’ परिभाषाकी प्रवृत्ति होती है ।

गामानयेति । अर्थाश्रय एतदेवं भवति । यद्वि शब्दाश्रयं शब्दमात्रे तद्भवति । शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे ॥

[संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्पे (१६)]

उञ् ऊँ ॥ १ । १ । १७-१८ ॥

इह कस्मान्न भवति । आहो इति । उताहो इति । उञ् इत्युच्यते न चात्रोञ् पश्यामः । उञो ऽयमन्येन सहैकादेश उञ्ग्रहणेन गृह्यते । आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नोत्रैकादेश उञ्ग्रहणेन गृह्यत इति यदयमोत् [१. १. १५] इत्योदन्तस्य

जहाँ कार्य अर्थपर आश्रित है वहाँ ('गौणमुख्य०' परिभाषाके अनुसार) यह (व्यवस्था) होती है । और जो कार्य केवल शब्दपर अवलंबित है (वह अर्थकी ओर दृष्टि न रखकर) केवल वह शब्द दीख पढ़नेसे किया जाता है । और वृद्धि और आच्च ये कार्य केवल शब्दपर ही अवलंबित हैं ।

[(सू. १६) ओकारान्त संबोधन एकमचनको (आचार्य) शाकल्यके मतसे अनार्प (वेदमें अनुच्चारित) 'इति' शब्द आगे होनेपर (प्रगृह्यसंज्ञा होती है) ।]

(सू. १७-१८) उकारेत्संज्ञक 'उ' (निपात) को (इति ' शब्द आगे होनेपर प्रगृह्यसंज्ञा आचार्य शाकल्यके मतसे होती है । (१७)

(उकारेत्संज्ञक 'उ' निपातको 'इति' शब्द आगे होनेपर) 'ऊँ' (आदेश आचार्य शाकल्यके मतसे होता है) । (१८)

'आहो इति', 'उताहो इति' उदाहरणोंमें ('उञ् ऊँ' इस प्रकृतसूत्रसे 'ऊँ' आदेश) क्यों नहीं होता ?

सूत्रमें 'उञ्' ऐसा कहा है न ? और यहाँ ('आहो', 'उताहो' में) तो 'उञ्' दीख नहीं पड़ता है ।

पर यहाँ 'उञ्' का दूसरे के साथ (अर्थात् 'आह' में से अन्तिम अकारके साथ) जो ओकाररूप एकादेश हुआ है वह ("अन्तादिवच्च" — ६।१।८५ — सूत्रसे) उञ् ही समझा जाता है ।

(तो फिर हम यों कहते हैं कि) आचार्य (पाणिनि) 'ओत्' (१।१।१५) सूत्रसे ओकारान्त निपातको प्रगृह्यसंज्ञा कहते हैं उससे वे यह ज्ञापित करते हैं कि उञ्को जो

निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञां शास्ति । नैतदस्ति ज्ञापकम् । उक्तमेतत् । प्रतिपिद्धार्थो ऽयमारम्भ इति । दोषः खल्वपि स्याद्यद्युक्तेकादेश उज्ग्रहणे न गृह्येत । जानु उ अस्य रुजति जानू अस्य रुजति जान्वस्य रुजति । मय उत्रो वो वा [८.३.३३] इति ब्रह्मं न स्यात् । एवं तर्ह्येकनिपाता इमे ॥ अथवा द्वावकाराविभौ । एको ऽननुबन्धकः । अपरः सानुबन्धकः । तथो ऽननुबन्धकस्तस्यैव एकादेशः ॥

उञ् इति योगविभागः ॥ १ ॥

एकादेश हुआ है वह ('अन्तादिवच्च'—६।१।८५—सूत्रसे) उञ् नहीं समझा जाता है ।

यह ज्ञापक उचित नहीं है । क्यों कि ('ओ पु यातं...' आदि उदाहरणोंमें अनाइ यह) निषेध दूर करके (प्रगृह्यसंज्ञा) होनेके लिए यह ('ओत्' सूत्र) किया है यह (इस सूत्रका उपयोग) पहले कहा है । और (उस ज्ञापनसे) यदि 'उञ्' को जो एकादेश हुआ है वह 'उञ्' नहीं समझा गया तो (कहीं कहीं) दोष भी आता है । जैसे, " जानु उ अस्य रुजति " (इस उदाहरणमें उञ्को सर्वर्णदीर्घ एकादेश होनेपर वह दीर्घ ऊ एकादेश 'अन्तादिवच्च' सूत्रसे उञ् ही है ऐसा मान लेके उसको) 'मय उत्रो वो वा' (८।३।३३) सूत्रसे वकार आदेश (विकल्पसे होता है) और 'जानू अस्य रुजति' और 'जान्वस्य रुजति' (इस प्रकारके जो दो रूप होते हैं) वे नहीं होंगे (कारण कि 'उञ्' न समझनेसे वकार आदेश नहीं होगा* ।)

तो फिर 'आहो' और 'उताहो' ये अलंङ निपात यहाँ लिये जायँ (जिससे प्रकृतसूत्रसे ऊँ आदेश वहाँ नहीं होगा) । अथवा ('आहो' उदाहरणमें ऊँ आदेश न होनेका और भी एक मार्ग है । वह यों कि—) 'उ' निपात दो प्रकारका है : एक निरनुबन्धक (अर्थात् जो अकारेत्संज्ञक नहीं है ऐसा केवल उ), और दूसरा सानुबन्धक (अर्थात् अकारेत्संज्ञक उञ्) । (उन दोनोंमेंसे) जो निरनुबन्धक है उसीका एकादेश गुण होता है (और वह गुण होके 'आहो' रूप हुआ है । अतः उञ् न होनेके कारण प्रकृत सूत्र लागू नहीं होता ।)

(वा. १) 'उञ् ऊँ' सूत्रका विभाजन किया जाय ।

१. 'ओत्' सूत्रके 'आहो' आदि उदाहरणोंमें 'ओ'कार यदि उञ् समझा जायगा तो 'उञ्' सूत्रमें ही वे उदाहरण सिद्ध होनेसे 'ओत्' सूत्र व्यर्थ होगा । तब उसके बलसे 'अन्तादिवच्च' सूत्र वहाँ प्रवृत्त नहीं होता है ।

२. तात्पर्य यह है कि, ज्ञापक संभवनीय न होनेसे 'आहो' आदि उदाहरणोंमें 'अन्तादिवच्च' सूत्रकी प्रवृत्ति होकर 'ओ'कार उञ् समझा जायगा और 'उञ् ऊँ' की प्रवृत्ति होगी यह दोष आता है ।

उञ्ज इति योगविभागः कर्तव्यः । उञ्जः शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति । उ इति विति ॥ तत ऊँ । उञ्ज ऊँ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन दीर्घो ऽनुनासिकः प्रगृह्यसंज्ञकश्च ऊँ इति ॥ किमर्थो योगविभागः ।

ऊँ वा शाकल्यस्य ॥ २ ॥

शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन ऊँ विभाषा यथा स्यात् । ऊँ इति उ इति । अन्येषामाचार्याणां मतेन विति ॥

ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥ १ । १ । १९ ॥

‘उञ्ज ऊँ’ इस प्रकृतसूत्रका विभाग किया जाय (अर्थात् इसके दो सूत्र बनाये जायें) ? उनमेंसे पहला सूत्र ‘उञ्जः’ है । उसका अर्थ यों है—उञ्जको (‘इति’ शब्द आगे होनेपर) शाकल्याचार्यके मतके अनुसार प्रगृह्यसंज्ञा होती है; जैसे, उ + इति = विति । तदनन्तर (दूसरा सूत्र) ‘ऊँ’ है । उसका अर्थ यों है—(‘इति’ शब्द आगे होनेपर) उञ्जको शाकल्याचार्यके मतसे दीर्घ, अनुनासिक और प्रगृह्यसंज्ञक ऊँ (आदेश) होता है, जैसे ऊँ इति ।

यह सूत्रका विभाजन किसलिपि किया जाता है ?

(वा. २) शाकल्यके मतसे ‘ऊँ’ आदेश विकल्पसे होना चाहिये ।

शाकल्याचार्यके मतसे ‘ऊँ’ आदेश विकल्पसे होना चाहिये । अतः (शाकल्या-चार्यके मतसे) ‘ऊँ इति’ और ‘उ इति’ (ये दो रूप होते हैं); और अन्य आचार्योंके मतसे ‘विति’ (यह रूप होता है) ।

(सू. १९) सप्तम्यर्थ अर्थात् सप्तमी विभक्तिका अर्थ (आधाराशक्ति) है । उस अर्थको मुख्यतया बतानेवाला जो ईकारान्त और ऊकारान्त शब्द-स्वरूप है उसको (प्रगृह्यसंज्ञा होती है) ।

१ शाकल्याचार्यके मतसे प्रगृह्यसंज्ञा होनेके कारण ‘उ इति’ रूप होता है । और अन्योके मतसे प्रगृह्यसंज्ञा होनेके कारण ‘विति’ रूप होता है ।

४. ‘ऊँ’ सूत्रमें जो ‘शाकल्यस्य’ पद अनुश्रुत हुआ है उसका अर्थ है केवल विकल्प । तब शाकल्यमतसे ‘ऊँ इति’ एक ही रूप होता है यह न समझा जाय । शाकल्यमतसे ‘उ इति’ रूप भी होता है ।

५ यदि सूत्रका विभाग न किया होता तो शाकल्यमतसे ‘ऊँ इति’ और अन्यमतसे ‘विति’ दो ही रूप हो जाते ।

ईदूतौ सप्तमीत्येव

ईदूतौ सप्तमीत्येव सिद्धं नार्थो ऽर्थग्रहणेन ।

लुप्ते ऽर्थग्रहणाद्भवेत् ।

लुप्तायां सप्तम्यां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति । क । सोमो गौरी अर्थि श्रितः ।
इष्यते चात्रापि स्यादिति तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीत्येवमर्थमर्थग्रहणम् ॥
नात्र सप्तमी लुप्यते । किं तर्हि । पूर्वसवर्णो ऽत्र भवति ।

पूर्वस्य चेत्सवर्णो ऽसावाडाम्भावः प्रसज्यते ॥ १ ॥

यदि पूर्वसवर्ण आट् आम्भावश्च प्राप्नोति ॥ एवं तर्ह्याहायमीदूतौ सप्तमीति

(श्लो. वा.) 'ईदूतौ सप्तमी' इतना ही सूत्र (किया जाय) ।

'ईदूतौ सप्तमी' इतना ही सूत्र करनेसे (उदाहरण) सिद्ध होते हैं। 'अर्थ' शब्द निरर्थक है ।

(श्लो. वा.) (सप्तमीका) लोप होनेपर अर्थग्रहणसे प्रगृह्यसंज्ञा होगी ।

(अर्थग्रहण न किया गया तो) सप्तमीका लोप होनेपर प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी ।
कहाँ ?

'सोमो गौरी' अर्थि श्रितः' (क. ९।१२।३) इस उदाहरणमें । और यहाँ भी (अर्थात् सप्तमीका लोप हुआ तो भी प्रगृह्यसंज्ञा) आवश्यक है, यत्न किये बिना वह सिद्ध नहीं होगी । इसलिए 'अर्थ' शब्द रखा गया है ।

यहाँ 'गौरी' शब्दके आगे सप्तमीका लोप नहीं हुआ है ।

तो फिर 'गौरी' रूप कैसे सिद्ध हुआ ?

यहाँ ('सुपां सुलुक्' — ७।१।२९ — सूत्रसे) पूर्वसवर्ण हुआ है ।

(श्लो. वा.) यदि पूर्वसवर्ण हुआ हो तो यहाँ 'आट्' आगम और 'आम्' आदेश प्राप्त होते हैं ।

यदि ('गौरी' रूपमें) पूर्वसवर्ण हुआ हो तो यहाँ ('आणनचाः' — ७।१।

१. गौरी शब्दके आगे जो सप्तमीप्रत्यय है उसका 'सुपां सुलुक्' (७।१।२९) सूत्रसे लुक् हुआ है । लुक्को भी 'लोप' संज्ञा है ।

२. अर्थ शब्द रखनेसे सप्तमीप्रत्ययका अर्थ हुआ तो प्रगृह्यसंज्ञा की जाती है । उसको सप्तमीप्रत्ययकी आवश्यकता नहीं होती है । लोप हुआ तो भी उसका अर्थ कायम ही रहता है । अर्थका लोप कभी नहीं होता ।

३. गौरी शब्दका ईकार पूर्व है; उसका सवर्ण अर्थात् ईकार सप्तमी प्रत्ययको आदेश हुआ है । तदनन्तर सवर्ण दीर्घ होकर 'गौरी' रूप सिद्ध होता है, ऐसा अभिप्राय है ।

न चास्ति सप्तमीदूतौ तत्र वचनाद्भविष्यति ।

वचनाद्यत्र दीर्घत्वम्

नेदं वचनान्ब्रह्मम् । अस्ति हान्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् । किम् । यत्र सप्तम्या दीर्घत्वमुच्यते । वृत्तिं न शुष्कं सरसी शयानमिति । सति प्रयोजन इह न प्राप्नोति । सोमो गौरी अवि' श्रित इति ॥

तत्रापि सरसी यदि ।

११२ — सूत्रसे) 'आट्' आगम और ('डेराम्०'— ७।२।११६ — सूत्रसे) 'आम्' आदेश प्राप्त होते हैं (वे क्यों नहीं किये?)

तो फिर यहाँ ये (आचार्य पाणिनि) 'ईदूतौ सप्तमी' कहते हैं और दीर्घ ईकार और ऊकार ये सप्तमीके प्रत्यय तो कहीं दीर्घ नहीं पढ़ते। अतः ('ईदूतौ सप्तमी' वचन व्यर्थ होगा इसलिए उस) वचनके बलसे ('गौरी' आदि रूपोंमें दीर्घ ईकारान्त अथवा दीर्घ ऊकारान्त शब्दस्वरूप हो तो सप्तमीका लोप होनेपर भी प्रगृह्यसंज्ञा प्रकृत-सूत्रसे वहाँ होगी (ऐसा समझा जायगा)।

(श्लो. चा.) वचनसे (यह शक्य नहीं)। जहाँ दीर्घत्व कहा है (वहाँ उसका उपयोग होता है)।

वचन (के बल) से यह समझना शक्य नहीं। क्योंकि 'ईदूतौ सप्तमी' वचनका अन्यत्र उपयोग किया जाता है। (अतः यह वचन निरर्थक नहीं।)

वह उपयोग कौनसा ?

जहाँ सप्तमी—(त्रिभक्ति प्रत्यय) का दीर्घ कहा है (वहाँ उसका उपयोग होता है)। उदा० 'वृत्तिं न शुष्कं सरसीं शयानम्' (अ. ७।१०३।२) और इस प्रकार वचनका अन्यत्र उपयोग होनेके कारण यह कल्पना निराधार है। अतः) 'सोमो गौरी अवि' श्रितः' (अ. ९।१२।३) यहाँ (सप्तमीका लोप होनेपर प्रकृतसूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा) प्राप्त नहीं होती।

(श्लो. चा.) वहाँ भी (इष्टुस्तिद्धि होती है) यदि 'सरसी' (स्वतंत्र शब्द है)।

४. आट् आगम और आम् आदेश सवर्ण दीर्घका बाध करके 'नवाम्' उदाहरणमें जैसे होते हैं वैसे यहाँ होगा।

५. तात्पर्य यह है कि, सूत्रमें 'अर्थ' शब्द न होते हुए भी यहाँ प्रगृह्यसंज्ञा की जाती है।

६. सुपां सुलुक्०' (७।१।३९) सूत्रपरके 'इयाडियाजीकाराणासुपसंख्याकम्' वार्तिकसे 'सरम्' शब्दके आगे जो 'इ' सप्तमीप्रत्यय है उसको दीर्घ ईकार आदेश हुआ है।

तत्रापि सिद्धम् । कथम् । यदि सरसीशब्दस्य प्रवृत्तिरस्ति । अस्ति च लोके सरसीशब्दस्य प्रवृत्तिः । कथम् । दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥

ज्ञापकं स्यात्तदन्तत्वे

एवं तर्हि ज्ञापयत्याचार्यो न प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् । कुमार्योगारं कुमार्यगारम् वध्वोरगारं वध्वगारम् प्रत्ययलक्षणेन प्रगृह्यसंज्ञा न भवति ॥

मा वा पूर्वपदस्य भूत् ॥ २ ॥

अथवा पूर्वपदस्य मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणम् । वाप्यामश्वो वाप्यश्वः

वहाँ भी (इष्ट-) सिद्धि होती है ।

सो कैसे ?

यदि 'सरसी' यह ईकारान्त स्वतंत्र शब्द है तो ('गीरी' के समान ही) यह रूप होनेवाला है । और लोको में 'सरसी' शब्दका प्रचार दीप्त पड़ता है ।

वह कहाँ ?

दक्षिणापथमें बड़े सरोवरको 'सरसी' कहाँ जाता है ।

(श्लो. वा.) आचार्य ज्ञापित करते हैं कि प्रगृह्यसंज्ञा करते समय प्रत्ययलक्षण नहीं होता ।

तो फिर चोढ़े में ('ईदृती सतमी' वचनसे ही इष्ट कार्य सिद्ध होनेके कारण सूत्रका 'अर्थ' शब्द निरर्थक होता है; उससे आचार्य (पाणिनि) यह ज्ञापित करते हैं कि 'प्रगृह्यसंज्ञा करते समय प्रत्ययलक्षण नहीं होता है' ।

इस ज्ञापनका क्या उपयोग है ?

उपयोग यों है कि कुमार्योगारं 'कुमार्यगारम्', वध्वोरगारं 'वध्वगारम्' इन उदाहरणोंमें प्रत्ययलक्षण करके ('ईदृदेत्०' — १।१।११ — सूत्रसे जो प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त हुई वह) प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होती है ।

(श्लो. वा) अथवा पूर्वपदको न हो (इसलिये सूत्रमें 'अर्थ' शब्द रखा गया है) ।

अथवा (सतमीतत्पुरुष समासमें ईकारान्त अथवा ऊकारान्त) पूर्वपदको (प्रकृत-

७. चोढ़े में, जैसे 'गीरी' जैसे ही 'सरसी' उदाहरण भी सूत्रमें 'अर्थ' शब्द रखे कि सिद्ध किया जाता है ।

८. 'ईदृदेत्०' (१।१।११) सूत्रपरका मान्य देखिये ।

९. 'कुमार्यगारम्' आदि उदाहरणोंमें ज्ञापनका जो उपयोग लियाया है वह उपयोग 'ईदृदेत्०' सूत्रका जो अर्थ लेके समझनीय है वह अर्थ ही दीप्त नहीं है वह पढ़ते ('ईदृदेत्०')

नयामातिर्नद्यातिः । अथ क्रियमाणे ऽप्यर्थग्रहणे कस्मादेवात्र न भवति । जहत्स्वार्था वृत्तिरिति । अथाजहत्स्वार्थायां वृत्तौ दोष एव । अजहत्स्वार्थायां च न दोषः । समुदायार्थो ऽभिधीयते ॥

ईदूतौ सप्तमीत्येव लुप्तेऽर्थग्रहणाद्भवेत् ।

पूर्वस्य चेत्सवर्णो ऽसावाडाम्भावः प्रसज्यते ॥ १ ॥

वचनाद्यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि ।

त्रापकं स्यात्तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत् ॥ २ ॥

सूत्रसे प्रगृह्यसंज्ञा) न हो इसलिए सूत्रमें 'अर्थ' शब्द रखा गया है; जैसे, वाप्यामश्वो वाप्यश्वः, नयामातिर्नद्यातिः ।

पर 'अर्थ' शब्द रखा गया तो भी यहाँ (प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती) ही है । फिर वह) क्यों नहीं होती ?

वृत्तिके बारेमें 'जहत्स्वार्था' पक्ष लिया गया (तो यहाँ प्रगृह्यसंज्ञा न होगी) ।

पर वृत्तिके विषयमें — 'अजहत्स्वार्था' पक्षका ग्रहण किया गया तो यहाँ दोष आयेगा ही ।

'अजहत्स्वार्था' पक्षमें भी यहाँ दोष नहीं आता है । क्योंकि वृत्तिमें समुदायका ही अर्थ दिखाया जाता है । (सार यह है कि, अन्तर्गत पदोंको अपना अपना अर्थ व्यक्त करनेका पूर्ण स्वातन्त्र्य नहीं ।)

सूत्रपरके भाष्यमें) बताया है वह ध्यानमें लेकर यहाँ सूत्रकार 'अर्थ' शब्दका दूसरा उपयोग दिखाते हैं ।

१०. क्योंकि वाप्यश्वः आदि समासोंमें पूर्वपदके अगले सप्तमी प्रत्ययका लोप हुआ तो भी उसका अर्थ कायम ही है ।

११. समास आदि वृत्तियोंमें अन्तर्गत शब्द निरर्थक होते हैं । वृत्तिके बलपर उनका मूल अर्थ छोड़ा जाता है । उदा० 'वाप्यश्व' । समासवृत्तिमें 'वापी' और 'अश्व' ये दोनों शब्द अर्थरहित हैं । 'वाप्यश्व' सामासिक शब्दका अर्थ है 'वापीके पासका अश्व' । इसको 'जहत्स्वार्थापक्ष' कहते हैं । वृत्ति की जानेके बाद भी अन्तर्गत शब्दोंका अर्थ कायम ही रहता है यह दूसरा पक्ष है । इसको 'अजहत्स्वार्थापक्ष' कहते हैं ।

१२. वापी शब्दका मूल अर्थ है 'वापीके स्थानमें' । वह अर्थ 'वाप्यश्व' समास होनेके बाद भी कायम रहा तो भी वह अर्थ, उत्तरपद 'अश्व' से संबद्ध ही वापी शब्दसे दिखाया जाता है । वाक्यमें 'वापीके स्थानमें' अर्थ दिखानेका जो पूर्ण स्वातन्त्र्य 'वापी' शब्दको है वह उसको समास करनेके बाद नहीं रहता है । उससे 'वापी' शब्द आधारशक्ति अर्थात् 'वापीके स्थानमें' इस अर्थको सुस्पष्टतासे नहीं दिखाता है ।

दाधा घदाप् ॥ १ । १ । २० ॥

घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिदर्थम् ॥ १ ॥

घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् । दाधाप्रकृतयो घुसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । आच्चभूतानामियं संज्ञा क्रियते । साच्चभूतानामेव स्यादनाच्चभूतानां न स्यात् । ननु च भूयिष्ठानि घुसंज्ञाकार्याण्यार्धधातुके तत्र चत आच्चभूता दृश्यन्ते । शिदर्थम् । शिदर्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् । शित्याच्चं प्रतिषिध्यते तदर्थम् । प्रणिदयते प्रणिधयतीति ॥

(सू. २०) 'दा' और 'घा' (धातुओंको) घु (संज्ञा होती है) ।
(पर उनमेंसे 'दा' शब्दस्वरूप) 'दाप्' और 'दैप्' (धातुओंका) नहीं ।

(वा. १) 'घु' संज्ञाके बारेमें 'शित्' प्रत्ययके लिए 'प्रकृति' शब्द रखा जाय ।

'घु' संज्ञा (कहनेवाले इस सूत्र) में 'प्रकृति' शब्द अधिक रखा जाय, अर्थात् दा, घा और उनकी प्रकृतियोंको 'घु' संज्ञा होती है ऐसा कहा जाय ।

यह कहनेका उपयोग क्या है ?

(उपयोग यह है कि) आच्च किये हुए ('दा' और 'घा' शब्दस्वरूपों-) को यह (घु) संज्ञा (पाणिनिने) कही है, अतः वह आच्च किये हुए शब्दस्वरूपोंको ही होगी; जिनको आच्च नहीं किया गया उन- (की मूलभूत प्रकृतियों-) को न होगी ।

पर 'घु' संज्ञाके बहुतसे कार्य आर्धधातुक प्रत्यय किया जानेपर होनेवाले हैं । और वहाँ (वह आर्धधातुक प्रत्यय किया जानेपर तो 'दा' और 'घा') ये आच्च किये हुए शब्दस्वरूप दिखायी देते हैं । तत्र ('प्रकृति' शब्दके ग्रहणका उपयोग कहाँ होनेवाला है, यह आक्षेप ध्यानमें लेकर वार्तिककारोंने) 'शिदर्थम्' (ऐसा कहा है) । 'शित्' प्रत्ययके लिए 'प्रकृति' शब्द रखना चाहिये, अर्थात् शकारोत्संज्ञक प्रत्यय किया जानेपर वहाँ आच्च नहीं होता है इसलिए ('प्रकृति' शब्द रखना चाहिये), जैसे, प्रणिदयते, प्रणिधयति ।

१. 'खण्डन करना' अर्थमें 'दो' धातु, 'रक्षा करना' अर्थमें 'देह्' धातु, और 'पीना' अर्थमें 'घेट्' धातु, ये मूलमें यद्यपि आकारान्त नहीं तो भी उनको आर्धधातुक प्रत्यय लगाया जानेपर 'आदेच उपदेशेऽशिति' (६।१।४५) सूत्रसे आत्त्व होगा ही । तत्र उनके 'दा', 'घा' रूप ही होनेके कारण 'प्रकृति' शब्द रखे बिना ही सूत्रसे घुसंज्ञा सिद्ध होती है ।

२. 'दे', 'दो' और 'घे' को आत्त्व होकर 'दा', 'घा' होते हैं । अतः 'दे', 'दो' और 'घे' को 'दा' और 'घा' की प्रकृति कहते हैं और 'दा', 'घा' को 'दे', 'दो' और 'घे' की विकृति कहते हैं । यहाँ 'दा' की प्रकृति 'दे' को घुसंज्ञा हुई है । इसलिए 'नेर्गन्त०' (८।४।१७) से 'नि' उपसर्गके नकारको पठ्य होता है ।

भारद्वाजीयाः पठन्ति । पुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्धिकृतार्थम् । पुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं क्रियते । किं प्रयोजनम् । शिदर्थं विकृतार्थं च । शित्युदाहृतम् । विकृतार्थं स्वल्पि । प्रणिदाता प्रणिधाता । किं पुनः कारणं न सिध्यति । लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति प्रतिपदं य आच्चभूतास्तेषामेव स्यालक्षणेन य आच्चभूतास्तेषां न स्यात् ॥

अथ क्रियमाणे ऽपि प्रकृतिग्रहणे कथमिदं विज्ञायते । दाधाः प्रकृतय इति । आहोस्विदाधां प्रकृतय इति । किं चातः । यदि विज्ञायते दाधाः प्रकृतय इति स एव दोषः । आच्चभूतानामेव स्यादनाच्चभूतानां न स्यात् । अथ विज्ञायते

(यह वार्तिक) भारद्वाजीय इस रूपमें पढ़ते हैं— “पुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्धिकृतार्थम् ।” पुसंज्ञा कहनेवाले इस सूत्रमें ‘प्रकृति’ शब्द अधिक रखा जाय । यह किस लिए ? शित् प्रत्यय के लिए और विकृत स्वरूपके लिए । उनमेंसे शित् प्रत्ययके संबंधमें (‘प्रकृति’ शब्दका जो उपयोग होता है उसके) उदाहरण (‘प्रणिदयते’ आदि) दिलाये गये ही हैं । विकृत स्वरूपके लिए भी (उस ‘प्रकृति’ शब्दकी आवश्यकता है ही); जैसे, प्रणिदाता, प्रणिधाता ।

(‘प्रकृति’ शब्द न रखा गया तो यहाँ पुसंज्ञा) क्यों नहीं होगी ?

“लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्” — प. शे. १०५ (इस स्वरूपकी परिभाषा है ।) अतः प्रतिपदोक्त (‘दा’, ‘धा’ ये) जो मूलभूत ही आकारान्त धातु उच्चारित हैं उन्हींको (पुसंज्ञा) होगी, और (वास्तवमें आकारान्त न होनेसे) शास्त्रसे सिद्ध जो (‘दा’, ‘धा’ ये) आकारान्त हैं उनको नहीं होगी ।

अब ‘प्रकृति’ शब्द रखा गया तो भी (यहाँ यह विचार निर्माण होता है कि) यहाँ क्या अर्थ समझा जाय ?— (१) ‘दा’ और ‘धा’ ये जो प्रकृतियाँ हैं (उनको पुसंज्ञा होती है) अथवा (२) ‘दा’ और ‘धा’ की जो प्रकृतियाँ हैं (उनको पुसंज्ञा होती है) ।

‘ फिर आपका कहना क्या है ?

हमारा कहना यह है कि ‘दा’ और ‘धा’ ये जो प्रकृतियाँ हैं (उनको पुसंज्ञा होती है) यह अर्थ यदि किया गया तो वही (उपर्युक्त) दोष आता है । अर्थात् जो आकारान्त ‘दा’, ‘धा’ धातु हैं उन्हींको पुसंज्ञा होगी । जिनको आच्च नहीं हुआ है उनको (पुसंज्ञा नहीं होगी) । अब यदि ‘दा’ और ‘धा’ की प्रकृतियोंको (पुसंज्ञा होती है) यह अर्थ लिया गया तो जिनको आच्च नहीं हुआ है उन्हींको (अर्थात् ‘दा’, ‘धा’, ‘धे’ इन्हींको) पुसंज्ञा होगी, और ‘दा’, ‘धा’ ये जो आकारान्त धातुएँ हैं उनको नहीं होगी ।

दाधां प्रकृतय इत्यनाच्वभूतानामेव स्यादात्त्वभूतानां न स्यात् । एवं तर्हि नैवं विज्ञायते दाधा प्रकृतय इति नापि दाधां प्रकृतय इति । कथं तर्हि । दाधा घुसंज्ञा भवन्ति प्रकृतयश्चैषामिति ॥

तत्तर्हि प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । इदं प्रकृतमर्थग्रहणमनुवर्तते । क प्रकृतम् । ईदूतौ च सप्तम्यर्थे [१.१.१९] इति । ततो वक्ष्यामि । दाधा ध्वदाप् अर्थ इति । नैवं शक्यम् । ददातिना समानार्थान् रातिरासतिदाशतिमंहति-प्रीणातिप्रमृतीनाहुः । एतेषामपि घुसंज्ञा प्राप्नोति । तस्मान्नैवं शक्यम् । न चेदेवं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यमेव ॥ शिदर्थेन तावन्नार्थः प्रकृतिग्रहणेन । अवश्यं तत्र माथं

तो फिर हम यहाँ 'दा, धा इन प्रकृतियोंको (घुसंज्ञा होती है)' यह अर्थ नहीं लेते और 'दा, धा की प्रकृतियोंको (घुसंज्ञा होती है)' यह भी अर्थ नहीं लेते ।

तो फिर यहाँ क्या अर्थ लिया जाय ?

'दा' और 'धा' को घुसंज्ञा होती है और उनकी प्रकृतियोंको भी घुसंज्ञा होती है यह अर्थ यहाँ लेना चाहिये ।

तो फिर 'प्रकृति' शब्द सूत्रमें रखा जाना चाहिये न ?

वह रखनेकी आवश्यकता नहीं । इसी प्रकरणमें कहे हुए 'अर्थ' शब्दकी अनुवृत्ति की-जाय ।

इसी प्रकरणमें पिछले किस सूत्रमें ('अर्थ' शब्द है) ?

"ईदूतौ च सप्तम्यर्थे"—१।१।१९ (इस पिछले) सूत्रमें ही ('अर्थ' शब्द) है । अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि दा और धा को घुसंज्ञा होती है और उनके अर्थके (जो घातु हैं) उनको भी (घुसंज्ञा) होती है, पर 'दाप्' और 'दैप्' को नहीं होती ।

यह कहना शक्य नहीं । 'दा' घातुका अर्थ है 'देना' और रा, राप्, दाश्, मंह, प्री इत्यादि घातु भी उसी अर्थमें पठित हैं । अतः उनको भी घुसंज्ञा होने लगेगी । इसलिए वैसा कहना संभव नहीं । और इस रीतिसे ('अर्थ' शब्दकी अनुवृत्तिसे) यदि इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता है तो (सूत्रमें) 'प्रकृति' शब्द रखना ही चाहिये ऐसा दीक्ष पढ़ता है ।

('प्रकृति' शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं ।) 'शित्' प्रत्ययके लिए तो यहाँ 'प्रकृति' शब्द रखना निरर्थक है । क्योंकि ('शित्' प्रत्ययके उदाहरणमें 'घु' संज्ञाका णत्वरूप कार्य "नेर्दानद०" (८।४।१७) सूत्रसे कहा है ।) उस सूत्रमें 'मा' घातुके 'प्रणिमयते', 'प्रण्यमयत' उदाहरणोंके लिए 'प्रकृति' शब्द

४. 'दे', 'दो' और 'धे' यद्यपि धाकारान्त नहीं तो भी धाकारान्तका जो अर्थ है वह उनको प्राप्त होता है इसलिए उनको घुसंज्ञा होगी ।

प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यं प्रणिमयते प्रणयमयतेत्येवमर्थम् । तत्पुरस्तादपकश्यते । घुप्रकृतौ माप्रकृतौ चेति । यदि प्रकृतिग्रहणं क्रियते प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति अत्रापि प्राप्नोति । अथाक्रियमाणे ऽपि प्रकृतिग्रहण इह कस्मान्न भवति प्रनिमाता प्रनिमातुम् प्रनिमातव्यमिति । आकारान्तस्य डितो ग्रहणं विज्ञास्यते । यथैव तर्ह्यक्रियमाणे प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य डितो ग्रहणं विज्ञायत एवं क्रियमाणे ऽपि प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य डितो ग्रहणं विज्ञास्यते ॥ विकृतार्थेन चापि नार्थः । दोष एवैतस्याः परिभाषाया लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति

अवश्य रचना ही चाहिये । वही ('प्रकृति' शब्द उस सूत्रमें 'मा' शब्दके) पहले आये हुए 'घु' शब्दको भी लगाया जा सकता है । और उसका अर्थ यह होगा कि 'घु' संज्ञा की प्रकृति (आगे होने पर) और 'मा' शब्दकी प्रकृति आगे होने पर ।

यदि ('नेर्गदन्द०' सूत्रमें) 'प्रकृति' शब्द रखा गया तो 'प्रनिमिनोति', 'प्रनिमीनाति' उदाहरणोंमें (उस सूत्रसे णत्व) प्राप्त होगा (यह दोष आता है) ।

पर (पहले हम यह पूछते हैं कि) 'प्रकृति' शब्द न रखा गया तो भी 'प्रनिमाता' 'प्रनिमातुम्', 'प्रनिमातव्यम्' उदाहरणोंमें (उस सूत्रसे णत्व) क्यों नहीं होगा ?

इस सूत्रमें ढकारेत्संज्ञक आकारान्त (अर्थात् 'माङ्' धातु) का ही ग्रहण किया जाय, (अर्थात् वहाँ 'माङ्' कहनेसे वह दोष नहीं आता है) ।

तो फिर जैसे 'प्रकृति' शब्द न रखनेसे (आया हुआ दोष दूर होनेके लिए) सूत्रमें ढकारेत्संज्ञक आकारान्त (अर्थात् 'माङ्' धातु) का ही ग्रहण किया जाता है, वैसेही 'प्रकृति' शब्द रखनेके बाद भी ढकारेत्संज्ञक आकारान्त (अर्थात् 'माङ्' धातु) का ही ग्रहण किया है ऐसा हम समझेंगे (और इससे कोई दोष न आयेगा ।)

विकृत स्वरूपके लिए भी (सूत्रमें 'प्रकृति' शब्द रचना) निरर्थक है । क्योंकि " लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् " (प. शे. १०५) परिभाषाके बारेमें यह दोष ही आता है । अतः (इस परिभाषाके बारेमें जो दोष आते हैं उनमें इस प्रकृत दोषकी गणना की जाती है; और इसीलिए " लक्षणप्रतिपदोक्त० " परिभाषाका

५. तब जैसे 'प्रणिमयते' रूपमें आकारान्त 'मा' धातु नहीं है तो भी उसकी प्रकृति 'मे' आगे होनेसे णत्व होता है, वैसे ही 'प्रणियते' रूपमें 'दे' धातुके आरंभ न होनेके कारण घुसंज्ञा नहीं हुई तो भी घुसंज्ञककी प्रकृति 'दे' आगे होनेसे णत्व होगा ।

६. 'मि' और 'मी' धातुओंकी 'मीनातिमिनोतिदीदां०' (१११५०) से आत्व कहा जानेके कारण 'मि' और 'मी' 'मा' की प्रकृतियाँ होती हैं ।

७. 'मि' और 'मी' इन्हीं धातुओंके ये रूप हैं । यहाँ 'मीनातिमिनोति०' से आत्व हुआ है इसलिये आकारान्त 'मा' स्वरूप प्रत्यय ही सामने है ।

८. कारण कि भव प्रकृति ली गयी तो भी वह 'माङ्' की ही ली जायगी ।

गामादाग्रहणेष्वविशेष इति ॥

समानशब्दप्रतिषेधः ॥ २ ॥

समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । प्रनिदारयति प्रनिधारयति । दाघा
घुसंज्ञा भवन्तीति घुसंज्ञा प्राप्नोति ।

समानशब्दाप्रतिषेधो ऽर्थवद्ग्रहणात् ॥ ३ ॥

समानशब्दानामप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेधो ऽप्रतिषेधः । घुसंज्ञा कस्मान्न
भवति । अर्थवद्ग्रहणात् । अर्थवतोर्दाधोर्ग्रहणं न चेतावर्थवन्तीति ॥

अनुपसर्गाद्वा ॥ ४ ॥

अपवाद) “ गामादाग्रहणेष्वविशेषः ” — प. शे. १०६ — (यह दूसरी परिभाषा मानी
गयी है) ।

(वा. २) समान शब्दोंका प्रतिषेध (करना चाहिये) ।

(‘ दा ’ और ‘ घा ’ शब्दोंको ही घुसंज्ञा कही है । उनके) सदृश (जो
अन्यत्र शब्द दीख पड़ते हैं उन) शब्दोंके बारेमें (घुसंज्ञाका) निषेध कहा जाय ।
उदा० प्रनिदारयति, प्रनिधारयति । ‘ दा ’ और ‘ घा ’ को घुसंज्ञा होती है (इतना ही
यहाँ कहा है) । इससे (‘ प्रनिदारयति ’ आदि उदाहरणोंमें) घुसंज्ञा प्राप्त होती है ।

(वा. ३) अर्थयुक्त (‘ दा ’, ‘ घा ’ शब्दस्वरूपों—) का ग्रहण होनेसे
समान शब्दोंका प्रतिषेध कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

समान शब्दोंके बारेमें घुसंज्ञाका अप्रतिषेध है । अनर्थक जो प्रतिषेध वह
अप्रतिषेध, (अर्थात् घुसंज्ञाका निषेध कहनेकी आवश्यकता नहीं) ।

फिर (‘ प्रनिदारयति ’ आदि उदाहरणोंमें) घुसंज्ञा क्यों नहीं होती ? अर्थवाद्
जो ‘ दा ’ और ‘ घा ’ शब्दस्वरूप हैं उन्हींका यहाँ ग्रहण किया है और (‘ प्रनिदार-
यति ’, ‘ प्रनिधारयति ’ उदाहरणोंमें जो ‘ दार ’ और ‘ धार ’ हैं उनमेंके ‘ दा ’ और
‘ घा ’) ये निरर्थक हैं ।

(वा. ४) अथवा (‘ प्र ’, ‘ नि ’ ये ‘ दा ’ और ‘ घा ’ धातुओंके)
उपसर्ग न होनेके कारण ।

१. ‘ गा ’, ‘ भा ’ और ‘ दा ’ स्वरूपोंका उच्चारण करके जो कार्य कहे हों वहाँ वे
‘ गा ’ आदि स्वरूप प्रतिपदोक्त ही लिये जायँ, लाक्षणिक न लिये जायँ, ऐसा किसी प्रकारका
विवाद न करना चाहिये । उदाहरणमें आकारान्त स्वरूप दीख पड़ते ही कार्य किये जायँ यह
इस परिभाषाका अर्थ है ।

१०. ‘ दृ ’ और ‘ घृ ’ धातुओंको ‘ णिच् ’ प्रत्यय किया जाने पर ‘ भवो ङिति ’
(७।२।११५) से वृद्धि होकर ‘ दाद् ’ और ‘ घाद् ’ हुए है । उनमेंके रेफके पिछले ‘ दा ’
और ‘ घा ’ विभागोंको घुसंज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञे भवतः । न चैतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः ॥ यद्येवमिहापि तर्हि न प्राप्नोति । प्रणिधापयति प्रणिधापयति । अत्रापि नैतौ दाधार्थवन्तौ नाप्येतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः ॥

न वार्थवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र ॥ ५ ॥

न वैष दोषः । किं कारणम् । अर्थवत् आगमस्तद्गुणीभूतोऽर्थवद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र । तद्यथा । अन्यत्राप्यर्थवत् आगमो ऽर्थवद्ग्रहणेन गृह्यते । कान्यत्र । लविता चिकीर्षितेति ॥ युक्तं पुनर्यञ्जित्येषु नाम शब्देष्वगमशासनं

अथवा 'प्रनिदारयति' आदि उदाहरणोंमें पुसंज्ञा हुई तो भी णत्व न होगा । क्योंकि 'प्र' और 'दा' ये 'दा' और 'धा' धातुओंके उपसर्ग नहीं हैं । 'प्र' आदिका जिसकी क्रियासे योग होता है, उसीके वे गति अथवा उपसर्ग होते हैं । और ('प्रनिदारयति', 'प्रनिधारयति' रूपोंमें) ये जो 'दा' और 'धा' हैं (वे निरर्थक होनेसे) 'उनकी क्रियासे 'प्र' और 'नि' का योग है' ऐसा नहीं कहा जा सकता है ।

तो फिर 'प्रणिधापयति', 'प्रणिधापयति' रूपोंमें भी (पुसंज्ञा और उससे णत्व) न होगा । क्योंकि ('दाप्' और 'धाप्' में के) जो ये 'दा' और 'धा' पद हैं वे अर्थयुक्त नहीं इसीलिए इन 'दा' और 'धा' की क्रियासे ('प्र' और 'नि' का) योग नहीं ।

(घा. ५) अथवा (यह दोष नहीं आता है) क्योंकि अर्थयुक्त शब्दका आगम उसका अवयव होता है । इससे जैसे अन्य उदाहरणोंमें वैसे ही अर्थयुक्त शब्दके ग्रहणसे उसका ग्रहण होता है ।

यह दोष नहीं आता है ।

कारण क्या है ?

('पुक्' आगम 'दा' इस) अर्थवान् को हुआ है, इससे उसका अवयव जैसा समझा जानेवाला है; और 'दा' इस अर्थयुक्त शब्दसे ही उसका ग्रहण किया जाता है । वह यों कि अन्यत्र भी जिस अर्थवान् को आगम होता है वह आगम उस अर्थयुक्त शब्दसे ही लिया जाता है ।

अन्यत्र कहाँ ?

'लविता', 'चिकीर्षिता' उदाहरणोंमें ('ताम्' प्रत्ययको जो इट् अर्थात् 'इ' आगम हुआ है वह ताम् प्रत्ययमेंका ही समझा जाता है) ।

पर यदि शब्द नित्य हैं तो उनको आगम कहना क्या युक्त होगा ? कदापि

११. तब 'दाप्' को 'दा' ही समझकर अर्थवान् 'दाप्' को ही पुसंज्ञा की जाती है । 'प्रतिदारयति' समे 'इ', 'दा' का आगम न होनेसे वहाँ 'दाप्' को 'दा' नहीं समझा जाता है ।

स्यान्न नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः ।
आगमश्च नामापूर्वः शब्दोपजनः । अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देष्वेवादेशाः स्युः ।
बाढं युक्तम् । शब्दान्तरेरिह भवितव्यम् । तत्र शब्दान्तराच्छब्दान्तरस्य
प्रतिपत्तिर्युक्ता । आदेशास्तर्हिमे भविष्यन्त्यनागमकानां सागमकाः । तत्कथम् ।

सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः ।

एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥

नहीं । यदि शब्द नित्य हैं तो उनके वर्ण एकही स्वरूपमें कायम रहनेवाले, विचलित न होनेवाले, और उत्पत्ति, विनाश इत्यादि विकारोंसे रहित ही होने चाहिये । और आगम तो एक नया ही अवयव जैसा निर्माण होनेवाला है, (अतः वह नित्य शब्दमें कैसे निर्माण होगा) ?

पहले हम यह पूछते हैं कि यदि शब्द नित्य हैं तो उनको जो आदेश होते हैं क्या वे योग्य हैं ?

आदेशकयन उचित ही होगा । क्योंकि वहाँ वे भिन्न शब्द ही होते हैं । अतः एक शब्दके स्थानमें अन्य शब्दका ज्ञान होना उचित ही है । (उससे शब्दके नित्यत्वको कुछ भी हानि नहीं पहुँचती ।)

तो फिर ये आगम भी आदेश ही होंगे; अर्थात् आगमरहित शब्दोंके आगमसहित शब्द (आदेश होते हैं) ऐसा समझा जा सकता है ।)

सो कैसे ?

सत्र (अर्थवान्) शब्दोंके सत्र (अर्थवान्) शब्द आदेश होते हैं यही दाक्षीका पुत्र जो (आचार्य) पाणिनि है उनका मत है । क्योंकि (शब्दके) किसी भागको यदि (आगम, आदेश इत्यादि) विकार हों तो (शब्दका) नित्यत्व कदापि न रहेगा ।

१२. 'जराया जरसन्यतरस्याम्' (७।२।१०१) सूत्रसे 'जरा' शब्दको 'जरम्' आदेश कहा है । वहाँ 'जरा' शब्द अलग है और 'जरम्' शब्द भी अलग है । इस सूत्रसे इतना ही कहा है कि 'जरा' शब्दका उच्चारण करते समय वहाँ 'जरम्' शब्दका उच्चारण किया जा सकता है तब वहाँ 'जरा' शब्दका विनाश भी होता नहीं और 'जरम्' शब्दकी उत्पत्ति भी नहीं होती है । शंका—कुछ विशिष्ट अर्थ व्यक्त करनेके लिए शब्दका उच्चारण करना पड़ता है । तब जहाँ अन्त्यके आदेश होता हो वहाँ शब्दका अनित्यत्व मानना पड़ेगा । उदा० 'आदेशप्रत्यययोः' (८।२।५९) सूत्रसे सकारको पकार आदेश कहा है । तब 'हरिषु' उदाहरणमें 'हरि' शब्दके आगे 'सु' प्रत्यय लगाया गया तो उसमेंके सकारका नाश होकर पकार उत्पन्न होता है ऐसा मानना पड़ेगा । उत्तर—वहाँ सकार निरर्थक होनेसे उसका उच्चारण नहीं करना पड़ता है । तथापि 'सु' अर्थयुक्त होनेके कारण सप्तम्यर्थ दिखानेके लिए 'सु' का उच्चारण करते समय वहाँ 'सु' का उच्चारण किया जाय । अथवा 'हरिमें' अर्थ व्यक्त करनेके लिए 'हरिसु' उच्चारण न करके 'हरिषु' उच्चारण किया जाय यह सूत्रका तात्पर्य माननेसे शब्दके अनित्यत्वको हानि नहीं पहुँचती ।

दीङः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरिच्चे ॥ ६ ॥

दीङः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरिच्चे वक्तव्यः। उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्येति। मीनातिमिनोति [६. १. ५०] इत्याच्चे कृते स्थाघ्वोरिच्च [१. २. १७.] इतीच्चं प्राप्नोति। कुतः पुनरयं दोषो जायते किं प्रकृतिग्रहणादाहोस्विद्रूप-ग्रहणात्। रूपग्रहणादित्याह। इह खलु प्रकृतिग्रहणादोषो जायते। उपदिदीपते। सनि मीमाधुरमलभ [७. ४. ५४] इति। नैष दोषः। दाप्रकृतिरित्युच्यते न चेयं दाप्रकृतिः। आकारान्तानामेजन्ताः प्रकृतय एजन्तानामपीकारान्ता न च

(वा. ६) “स्थाघ्वोरिच्च” सूत्रसे कहा हुआ इत्त्वं कार्य करते समय ‘दीङ्’ धातुको (घुसंज्ञाका) प्रतिषेध कहा जाय।

(इस घुसंज्ञाके कार्यमेंसे) “स्थाघ्वोरिच्च” (१।२।१७) सूत्रसे कहा हुआ इत्त्वं कार्य करते समय ‘दीङ्’ धातुको (घुसंज्ञाका) प्रतिषेध कहा जाय; जैसे, ‘उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य।’ (‘उपादास्त’ रूपमें ‘दीङ्’ धातुको) “मीनाति-मिनोति०” (६।१।५०) सूत्रसे आत्त्व किया जानेपर (प्रकृतसूत्रसे घुसंज्ञा हो तो) “स्थाघ्वोरिच्च” (१।२।१७) सूत्रसे इत्त्व होगा (यह दोष आता है)।

पर यह दोष यहाँ कैसे निर्माण हुआ है? (१) सूत्रमें ‘प्रकृति’ शब्द अधिक रखनेसे निर्माण हुआ है? अथवा (२) (‘दा’ और ‘धा’) स्वरूपोंको (घुसंज्ञा) कहनेसे निर्माण हुआ है?

‘दा’ और ‘धा’ स्वरूपोंको (घुसंज्ञा) कहनेसे निर्माण हुआ है ऐसा कहता है। ‘प्रकृति’ शब्द अधिक रखनेसे जो दोष आता है वह ‘उपदिदीपते’ उदाहरणमें आता है। यहाँ “सनि मीमाधुरमलभ०”—७।४।५४—(सूत्रसे ‘इस्’ आदेश होने लगेगा)।

पर यह दोष नहीं आता है। क्योंकि (‘प्रकृति’ शब्द रखा गया तो भी) वह प्रकृति ‘दा’ इस आकारान्त शब्द की ही ली है। और (‘उपदिदीपते’ रूपमें जो ‘दी’ प्रकृति है) वह ‘दा’ इस आकारान्तकी नहीं। आकारान्तकी प्रकृतियों एजन्त

११. इस वाक्यका अर्थ है ‘इस शिक्षकका स्वर क्षीण हुआ है।’ ‘उपादास्त’ रूप ‘दीङ्’ धातुका है यह बात ध्यानमें आनेके लिए यहाँ संपूर्ण वाक्य रखा गया है। क्योंकि ‘क्षीण होना’ अर्थ ‘दीङ्’ धातुका है।

१२. ‘उपदिदीपते’ रूप ‘दीङ्’ धातुका है। ‘दीङ्’ धातुको ‘मीनातिमिनोति०’ (६।१।५०) सूत्रसे आत्त्व कहा जानेसे ‘दी’ ‘दा’ की प्रकृति है ऐसा कहा जा सकता है। तब उस ‘दी’ को घुसंज्ञा हुई तो ‘सनि मीमा०’ (७।४।५४) से ‘इस्’ आदेश होने लगेगा।

१५. ‘मी’ आदि धातुओंके ‘एच्’ को आत्त्व होता है यह ‘मीनातिमिनोति०’ (६।१।५०) का अर्थ है। तब ‘मी’, ‘मि’ और ‘दी’ को पहले गुण या वृद्धि करके बादमें उस ‘एच्’ को उस सूत्रसे आत्त्व होता है।

प्रकृतिप्रकृतिः प्रकृतिग्रहणेन गृह्यते ॥ स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः । न वक्तव्यः ।
धुसंज्ञा कस्मान्न भवति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येत्येवं ।
भाविष्यति ॥

दाप्प्रतिषेधे न दैप्यनेजन्तत्वात् ॥ ७ ॥

दाप्प्रतिषेधे दैपि प्रतिषेधो न प्राप्नोति । अवदातं मुखम् । ननु चात्वे

होती हैं और एजन्तोंकी प्रकृतियों ईकारान्त होती हैं । अतः ('दा' की) प्रकृतिकी
जो ('दी') प्रकृति है वह (सूत्रके) 'प्रकृति' शब्दसे नहीं ली जायगी ।

तो फिर ('उपादास्त' रूपमें आया हुआ दोष दूर होनेके लिए 'दीङ्'
धातुको 'धु' संज्ञाका) प्रतिषेध कहना चाहिये ।

वह कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

तो फिर ('उपादास्त' रूपमें) धुसंज्ञा क्यों नहीं होती ?

"संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य" (प. शे. ८५)

परिभाषासे वहाँ धुसंज्ञा नहीं होती ।

(वा. ७) 'दाप्' धातुके वारिमें जो प्रतिषेध (कहा है) वह 'दैप्'
धातुके विषयमें नहीं होता है, क्योंकि (वह धातु) एजन्त न होनेसे
(इसको आत्त्व नहीं हो सकता) ।

(सूत्रमें 'अदाप्' यह जो) 'दाप्' धातुको (धुसंज्ञाका) निषेध किया है
वह निषेध 'दैप्' धातुको न होगा; जैसे, अवदातं मुखम् ।

पर ('दैप्' धातुको) आत्त्व किया जानेपर ('दाप्' रूप होनेसे निषेध)
होगा ।

१६. दो के संबंधसे जो कार्य हुआ है वह उन दोके संबंधके नाशका कारण नहीं होता ।
अर्थात् उस संबंधका नाश करनेवाले कार्यकी सहायता नहीं करता यह इस सन्निपातपरिभाषाका
अर्थ है । 'उपादास्त' में 'दीङ्' धातु और 'सिच्' प्रत्यय इन दोका संबंध हुआ है । 'सिच्'
प्रत्यय वस्तुनः अकित् है अर्थात् गुणवृद्धिोंका निषेध करनेवाला नहीं है । और वह इस प्रकारका
होनेसे ही 'मीनातिमित्ति०' (६११५०) से 'आ'-कार हुआ है । वह 'आ'-कार
'धु' संज्ञाकी सहायता नहीं करता है अर्थात् अपना स्वरूप नहीं दिखाता है । अतः 'धु' संज्ञा
नहीं होती है । कारण 'धु' संज्ञाको 'दा' स्वरूपकी आवश्यकता होती है । धुसंज्ञा उस
संबंधका विनाशक है । कारण 'धु' संज्ञा 'स्याच्चोरिच' (११२१७) सूत्रके आधारसे
'सिच्' प्रत्ययके फल अकित्त्वको नष्ट करेगी । और 'स्याच्चोरिच्च' से इत्त्व होनेपर
'ह्रस्वादत्तात्' (८१२२७) से 'सिच्' प्रत्यय ही वास्तवमें नष्ट होनेवाला है । इसलिए
धुसंज्ञाको 'आत्त्व' नहीं होता और उससे धुसंज्ञा नहीं होती ।

१७. 'मुख स्वच्छ है' यह इसका अर्थ है । 'दैप्' धातुका अर्थ है 'स्वच्छ करना' ।

कृते भविष्यति । तद्ध्यत्वं न प्राप्नोति । किं कारणम् । अनेजन्तत्वात् ॥

सिद्धमनुबन्धस्यानेकान्तत्वात् ॥ ८ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । अनुबन्धस्यानेकान्तत्वात् । अनेकान्ता अनुबन्धाः ॥

पित्प्रतिषेधाद्वा ॥ ९ ॥

अथवा दाधा घ्वपिदिति वक्ष्यामि । तच्चावश्यं वक्तव्यम् । अदाविति ह्युच्यमान इहापि प्रसज्येत । प्रणिदापयतीति । शक्यं तावदनेनादाविति ब्रुवता वान्तस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम् । सूत्रं तर्हि भिद्यते । यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तं

(होगा सही,) पर वह आत्त्व ही नहीं किया जा सकता है न ?

क्या कारण है ?

(‘दैप्’ घातु पकारान्त है,) एजन्त नहीं । (अतः आत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती) ।

(धा. ८) (इष्ट कार्यं) सिद्ध (होता है) । क्योंकि इत्संज्ञक वर्ण अवयव नहीं होते हैं ।

यह सिद्ध होता है । (अर्थात् यहाँ ‘दैप्’ इस ऐकारको आत्त्व किया जाता है ।) सो कैसे ?

इत्संज्ञक (‘प’कार, घातुका) अवयव नहीं इसलिए । “अनेकान्ता अनुबन्धाः” (प. श्ल. ४) अर्थात् इत्संज्ञक (जो वर्ण आदि हैं वे घातु प्रत्यय आदिके) अवयव नहीं समझे जाते हैं ।

(वा. ९) अथवा पित् के प्रतिषेधसे ।

अथवा ‘दाधा घ्वपित्’ यह सूत्र करता हूँ । (अर्थात् पाणिनिने जो ‘अदाप्’ कहा है उसके स्थानमें ‘अपित्’ कहता हूँ ।) और यह कहना आवश्यक ही है । कारण कि ‘अदाप्’ रूप ही कायम रहा गया तो ‘प्रणिदापयति’ रूपमें भी (पुसंज्ञाका निषेध) होने लगेगा । अब ‘अदाप्’ कहनेवाले (सूत्रकार) ने (‘दात्’ इस) वचनान्तको ही (वह पुसंज्ञाका) निषेध किया है ऐसा कहना संभव है । (और वैसा लिया गया तो ‘प्रणिदापयति’ रूपमें आया हुआ दोष दूर हो जायगा । पर ‘दैप्’ घातुको पुसंज्ञाका निषेध होनेके लिए ‘अपित्’ कहना ही चाहिये ऐसा दिसायी देता है ।)

१८. ‘आदेन् टरदेशेऽशिति’ (१।१।४५) सूत्रसे एजन्त घातुको आत्त्व कहा है ।

१९. क्योंकि यहाँ ‘पुर्’ धागम (७।३।३६) होनेके कारण ‘दाप्’ हुआ है । अपित् कहनेसे यह दोष नहीं आता है । क्योंकि ‘पुर्’ धागमका पकार इत्संज्ञक नहीं है ।

२०. ‘अदाप्’ यह पकार ‘वायगानि’ (८।३।५६) से हुआ है । वास्तवमें यहाँ पकारका ही उच्चारण हुआ है । तब ‘दाप्’ इस पकारका निषेध ही नहीं कहा है । ‘दात्’, ‘दै’ पत्तु ‘दात्’, ‘दै’ वचनान्त ही हैं ऐसा समझा जाय ।

दाप्प्रतिषेधे न दैपीति । परिहृतमेतत्सिद्धमनुबन्धस्यानेकान्तत्वादिति । अथैकान्तेषु दोष एव । एकान्तेषु च न दोषः । आच्चे कृते भविष्यति । ननु चोक्तं तद्ध्याच्वं प्राप्नोति । किं कारणम् । अनेजन्तत्वादिति । षकारलोपे कृते भविष्यति । न ह्ययं तदा दाञ्भवति । भूतपूर्वगत्या भविष्यति । एतच्चात्र युक्तं यत्सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु भूतपूर्वगतिर्विज्ञायते । अनैमित्तिको हानुबन्धलोपस्तावत्येव

(वैसा कहनेसे दोष दूर हो जायगा सही,) पर सूत्रमें परिवर्तन पढ़ता है न ? तो फिर सूत्र जैसा है वैसा ही रखा जाय ।

पर '(मूलभूत अदाप् कायम रखा गया तो) दाप् धातुको कहा हुआ (घुसंज्ञाका) निषेध दैप् धातुको होता नहीं' ऐसा अभी तो पूछा गया है न ?

(पूछा गया है । और) उसका उत्तर भी दिया गया है कि 'इत्संज्ञक अवयव न होनेसे (पकार रहनेपर ही इष्ट रूप) सिद्ध होता है' (अर्थात् आच्च किया जाता है) ।

अब इत्संज्ञक (धातु आदिके) अवयव समझे गये तो भी यहाँ दोष आयेगा (ऐसा दीख पढ़ता है) ।

अवयव समझे जायें तो भी यहाँ दोष नहीं आता है । क्योंकि ('दैप्' धातुको) आच्च किया जानेपर (घुसंज्ञाका निषेध) होगा ।

पर 'दैप्' धातु एजन्त न होनेसे आच्च नहीं किया जाता है ऐसा अभी कहा है न ?

'प' कारका लोप होनेपर आच्च किया जाता है ।

(तब आच्च होगा सही,) पर (आच्च हुआ तो भी) 'दाप्' स्वरूप तब न दीख पड़ेगा ।

(यद्यपि 'दाप्' स्वरूप न दीख पड़ा तो भी वहाँ) भूतपूर्व (प्रकार) का स्मरण करके (वहाँ 'दाप्'—स्वरूप कल्पनासे) ज्ञात होगा । और यह (कल्पना) करना यहाँ योग्य है । क्योंकि सर्वत्र (सूत्रोंमें) इत्संज्ञकसे युक्त स्वरूपका ग्रहण किया जानेपर (उसके उदाहरणमें) 'भूतपूर्व इत्संज्ञकका स्मरण करना' यह कल्पना की जाय । क्योंकि इत्संज्ञकका लोप (१।३।९) किसी कारण पर न कहा जानेसे (धातु आदिका) उच्चारण किया जाते ही (अर्थात् अन्य कार्योंके पहले ही) होंगें ।

२१. 'एकान्ता अनुबन्धाः' अर्थात् जो इत्संज्ञक हैं वे अवयव हैं इस स्वरूपकी परिभाषा है । यही सिद्धान्तपक्ष है ।

२२. तब 'दाप्' धातुको भी, मूल पकारका स्मरण करके ही, घुसंज्ञाका निषेध 'अदाप्' करना पड़ेगा ।

भवति ॥ अथवाचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वमिति यदयमुदीचां
माडो व्यतीहारे [३. ४. १९] इति मेडः सानुबन्धकस्याच्चभूतस्य ग्रहणं
करोति ॥ अथवा दात्रेवाय न देवस्ति ॥ कथमवदायतीति । श्यन्विकरणो
भविष्यति ॥

आद्यन्तवदेकस्मिन् ॥ १ । १ । २१ ॥

क्रिमर्थमिदमुच्यते ।

सत्यन्यस्मिन्नाद्यन्तवद्भावादेकस्मिन्नाद्यन्तवद्वचनम् ॥ १ ॥

सत्यन्यस्मिन्यस्मात्पूर्वं नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । सत्यन्य-
स्मिन्यस्मात्परं नास्ति पूर्वमस्ति सो ऽन्त इत्युच्यते । सत्यन्यस्मिन्नाद्यन्तवद्भावा-

अथवा ये आचार्ये (पाणिनि) मेड्' धातुके एकारको डकार इत्सज्ञक
कायम होनेपर ही आत्त्व करके उसका " उदीचां माडो व्यतीहारे " (३।४।१९)
सूत्रसे (' माड्' यह) आत्त्वसहित जो उच्चारण करते हैं उससे वे यह ज्ञापित करते
हैं कि " इत्संज्ञाफके कारण धातु एजन्त नहीं ऐसा न समझा जाय "—प. शे.
७। (तब उस ज्ञापनसे ' दैप्' धातुके ऐकारको पकार होनेपर ही आत्त्व किया
जाता है ।)

अथवा (' दैप्' धातु मूल धातुपाठमें) ' दैप्' रूपमें न रखकर ' दाप्' ऐसा
ही रखा जाय ।

(पर वैसा रखा गया तो उसका) ' अवदायति' यह (क्रियापद) कैसे होगा ?

(' दाप्' रूपमें ही रखा जाय ऐसा जो कहा गया वह ' दाप्' प्रथम गणमें
' दैप्' के स्थानमें न रखकर चतुर्थ गणमें रखा जाय । इससे ' दिवादिभ्यः श्यन्'
(३।१।२९) सूत्रसे ' श्यन्' प्रत्यय विकरण होगा (और ' अवदायति' क्रियापद
सिद्ध होगा) ।

(सू. २१) आदिको अथवा अन्तको कटा हुआ कार्य एक ही (वर्ण
अथवा वर्णसमूह) हो तो (भी यद्) उसको (किया जाय) ।

यद् (सूत्र) किस लिये किया है ?

(या. ३) अन्य (वर्ण) होनेपर आदि अथवा अन्त समझा जानेसे
एक ही वर्ण होने पर (कार्य होनेके लिए) यद् ' आद्यन्तवद्' सूत्र करना
चाहिये ।

अन्य (वर्ण अथवा वर्णसमूह) समीप होनेपर अर्थात् जिस वर्णके आगे कुछ
वर्ण हैं और पहले एक भी वर्ण नहीं (उस वर्णको अथवा वर्णसमूह को) ' आदि'
कहते हैं । तथा अन्य (वर्ण अथवा वर्णसमूह) समीप होनेपर अर्थात् जिस वर्णके पहले
कुछ वर्ण हैं पर आगे एक भी वर्ण नहीं उस वर्णको ' अन्त' कहते हैं । इस प्रकार

देतस्मात्कारणादेकास्मिन्नाद्यन्तापदिटानि कार्याणि न सिध्यन्ति । इष्यन्ते च स्युरिति । तान्यन्तरेण यत् न सिध्यन्तीत्येकास्मिन्नाद्यन्तवद्गणम् । एवमर्थमिदमुच्यते ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति ।

तत्र व्यपदेशिवद्गणम् ॥ २ ॥

तत्र व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः । व्यपदेशिवदेकस्मिन्कार्यं भवतीति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् ।

एकाचो द्वे प्रथमार्थम् ॥ ३ ॥

वक्ष्यत्येकाचो द्वे प्रथमस्येति बहुव्रीहिनिर्देश इति । तस्मिन्क्रियमाण इहैव स्यात् पपाच पपाठ । इयाय आरेत्यत्र न स्यात् । व्यपदेशिवदेकस्मिन्कार्यं

‘आदि’ और ‘अन्त’ शब्द (वर्ण और वर्णसमूह) समीप होनेपर उपयोगमें आते हैं इसलिये आदि अथवा अन्त शब्दका उच्चारण करके कहे हुए कार्य एक ही वर्ण (अथवा वर्णसमूह) हो तो वहाँ न होंगे । और वे तो होने चाहिये । तब उसके लिये कुछ यत्न किये बिना वे सिद्ध नहीं होंगे इसलिये यह सूत्र किया है । अर्थात् (एक ही होनेपर भी वह) आदि-जैसा अथवा अन्त-जैसा समझा जाय ।

यह उपयोग है सही ।

तो फिर तुम्हारा क्या कहना है ?

(या. २) वहाँ व्यपदेशिवद्भाव कहा जाय ।

(सूत्रकारेणैव जो ‘आद्यन्तवद्भाव’ कहा है) वहाँ ‘व्यपदेशिवद्भाव’ कहा जाय । अर्थात् केवल आदि—(को होनेवाले) जैसे और अन्त—(को होनेवाले) जैसे कार्य ही एक होनेपर भी किये जायें ऐसा विशेष रीतिसे न कहकर सामान्यतया कहा जाय । वह यों कि “मुख्यार्थ रहनेपर होनेवाले जो जो कार्य एक होनेके कारण न हों वे सभी कार्य एक होनेपर भी किये जायें ।” (प. शे. ३०)

यह करनेका उपयोग क्या है ?

(या. ३) “एकाचो द्वे प्रथमस्य” (सूत्रसे द्वित्व) होनेके लिये ।

‘एकाचो द्वे प्रथमस्येति बहुव्रीहिनिर्देशः’ ऐसा आगे (६।१।१) धार्तिङ्कार करनेवाले हैं । तब वहाँ ‘एकाच्’ यह बहुव्रीहि समास श्रिया गया तो ‘पपाच’, ‘पपाठ’ में ही द्वित्व होगा, ‘इयाय’, ‘आर’ में न होगा । ‘एक हो तो भी मुख्यके

भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति ॥

पत्व्चे चादेशसंप्रत्ययार्थम् ॥ ४ ॥

वक्ष्यत्यादेशप्रत्यययोरित्यवयवपठन्नेवेति । एतस्मिन्क्रियमाण इहैव स्यात् करिष्यति । इह न स्यात् । इन्द्रो मा वक्षत् । स देवान्यक्षत् । व्यपदेशि-
वदेकस्मिन्कार्यं भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति ॥ स तर्हि व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः ।
न वक्तव्यः ।

अवचनाल्लोकविज्ञानात्सिद्धम् ॥ ५ ॥

अन्तरेणैव वचनं लोकविज्ञानात्सिद्धमेतत् । तद्यथा । लोके शालासमुदायो
ग्राम इत्युच्यते । भवति चैतदेकस्मिन्नप्येकशालो ग्राम इति । विषम उपन्यासः ।

अनुसार कार्य किया जाय' ऐसा कहा जानेपर 'इयाय', 'आर' में (इ और क
ये अकेले वर्ण हों तो भी वे पच् आदि जैसे एकाच् हैं ऐसा समझकर द्वित्व) सिद्ध
होता है ।

(वा. ४) पत्वके विषयमें (केवल सकाररूप प्रत्ययको पत्वरूप) सिद्ध
होनेके लिए (" आद्यन्तवत् " वचनकी आवश्यकता है ।)

" आदेशप्रत्यययोः " (८।३।५९) यह अवयवपठनी ही है ऐसा (वार्तिककार)
आगे कहनेवाले हैं । वह अवयवार्थी षष्ठी ली जानेपर ' करिष्यति', ' हरिष्यति'
रूपोंमें ही पत्व होगा और ' इन्द्रो मा वक्षत् ' (क्र. १।१३।५४) ' स देवान्यक्षत् '
(क्र. ३।४।३) में न होगा " " एक हो तो भी मुख्यके अनुसार कार्य किया जाय "
(प. शे. २०) ऐसा कहनेपर यहाँ भी पत्व सिद्ध होता है ।

तो फिर (प्रकृतसूत्रमें ' आद्यन्तवत् ' ऐसा न कहकर उसके स्थानमें) ' व्यप-
देशिवत् ' कहना चाहिये (ऐसा दिखायी देता है) ।

वह न कहा जाय ।

(वा. ५) वह न कहनेपर ही लोकव्यवहारसे यह सिद्ध होता है ।

वह न कहनेपर ही लोकव्यवहारसे यह सिद्ध होता है । उदा०, लोगोंमें हम
देखते हैं कि अनेक घरोंके समुदायको, ग्राम (अर्थात् गाँव) कहते हैं; परन्तु एक ही
घर हो तो भी वहा ' एकशालो ग्रामः ' (अर्थात् एक घरका गाँव) ऐसा कहा

२. ' करिष्यति ' में ' इत्य ' प्रत्ययका अवयव सकार है इसलिए पत्व होगा । ' वक्षत् '
' वक्षत् ' में ' वच्', ' यच् ' पातुओंको लेट् प्रत्यय लगाकर उषको तिप्, उस तिप्को
अडागम (३।४।९४), षीचमें सिप् विस्रण-प्रत्यय (३।१।३४) हुआ है । वहाँ ' स् ' स्वयं
ही प्रत्यय होनेके कारण उसको प्रत्ययका अवयव नहीं कहा जा सकता है । अतः पत्व न होगा ।

३. ' एकशाल ' पद का अर्थ है ' एक है शाला अर्थात् घर जिसमें इस प्रकारका गाँव ' .
परन्तु वहाँ गाँव कौनसा और उसमें घर कौनसा वह अलग नहीं दिखाया जा सकता है । तथापि
उस एक घरको ही ' एकशालो ग्रामः ' यह गौणनासे कहनेकी परिणती है । उसी प्रकार ' इ '
इस एक वर्णको ही ' एकाच् ' कहा जा सकता है ।

ग्रामशब्दो ऽयं बहुवर्धः । अस्त्येव शालासमुदाये वर्तते । तद्यथा । ग्रामो दग्ध इति । अस्ति वाटपरिक्षेपे वर्तते । तद्यथा । ग्रामं प्रविष्ट इति । अस्ति मनुष्येषु वर्तते । तद्यथा । ग्रामो गतो ग्राम आगत इति । अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते । तद्यथा । ग्रामो लब्ध इति । तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तमभिसमीक्ष्यैतत्प्रयुज्यत एकरालो ग्राम इति ॥ यथा तर्हि वर्णसमुदायः पदं पदसमुदाय ऋगृक्समुदायः सूक्तमित्युच्यते । भवति चैतदेकस्मिन्नप्येकवर्णं जाता हे ।

पर यह दृष्टान्त उचित नहीं । क्योंकि 'ग्राम' शब्द अनेक अर्थोंसे युक्त है । उदा० 'अनेक घर' अर्थमें 'ग्राम' शब्द दीर्घ पड़ता है; जैसे, 'ग्रामो दग्धः' (गांव जल गया) । 'वाटपरिक्षेप' (अर्थात् गांवका तट, प्राकार) भी 'ग्राम' शब्दका अर्थ है; जैसे, 'ग्रामं प्रविष्टः' (गांवमें प्रविष्ट हुआ) । 'गांवके लोग' भी 'ग्राम' शब्दका अर्थ है; जैसे, 'ग्रामो गतः', 'ग्राम आगतः' । (गांवसे बाहर निकला, गांव वापस आया ।) तथा गांवके पासका अरण्य, सीमापरकी नदी अथवा और चारों ओर भेदसे युक्त खेत आदि, इस प्रकारके सब प्रदेशको मिलाकर 'ग्राम' शब्द नियुक्त किया हुआ दिनायी देता है; जैसे, 'ग्रामो लब्धः' (गांव प्राप्त हुआ) । अतः अरण्यसहित, सीमासहित और स्थण्डिलसहित प्रदेश इस आन्तिम अर्थका जो 'ग्राम' शब्द है वह ध्यानमें रखकर 'एकरालो ग्रामः' यह प्रयोग उचित ही होता है ।

तो फिर हम इस दृष्टान्त देते हैं । वह यों है कि वर्णोंके समुदायको पद कहते हैं, पदोंके समुदायको ऋक करते हैं, और ऋक-समुदायको सूक्त कहते हैं । तथापि 'एकवर्ण पदम्', 'एकपदा ऋक', 'एकैव सूक्तम्' ऐसा भी पढ़ा जाता है । (अर्थात् एक ही वर्णका भी पद होता है, एक ही पदकी भी ऋक होती है और एकही ऋकका भी सूक्त होता है ।)

(पर भी दृष्टान्त ठीक नहीं ।) क्योंकि इतर पदार्थोंमें (पदका) 'अर्थ' लिया जानेसे ('एकवर्ण पदम्' आदि) विधान उचित होते हैं । पद अर्थात् केवळ

४. यद्यपि किसी परमें नहीं प्रविष्ट हुआ तो भी वाटपरिक्षेप (गांवका प्राकार वा तट) को पार करनेपर 'ग्रामं प्रविष्ट' ऐसा कहते हैं ।

५. यद्यपि एक ही पर का गांव है तो भी उस परमे अलग जो दूसरे प्रदेश है वह उस गांवके रूपमें स्थान दिया जा सकता है । अतः 'एकराल' बहुव्रीहिका अर्थ अन्वयी तरह देने

पदमेकपदार्थेऽर्थं सूक्तमिति । अत्राप्यर्थेन युक्तो व्यपदेशः । पद नामार्थं ऋङ् नामार्थः सूक्त नामार्थः ॥ यथा तर्हि बहुषु पुत्रेष्वेतदुपपन्न भवत्यय मे ज्येष्ठो ऽयं मे मध्यमो ऽय मे कनीयानिति । भवति चैतदेकस्मिन्नप्ययमेव मे ज्येष्ठो ऽयमेव मे मध्यमो ऽयमेव मे कनीयानिति । तथाऽसूतायामसोप्यमाणाया च भवति प्रथमगर्भेण हतेति । तथा नेत्यानाजिगमिपुराहेद मे प्रथममाममनमिति ॥

आद्यन्तवद्भावश्च शक्यो ऽवकुम् । कथम् ।

अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वादाद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन् ॥ ६ ॥

पद नहीं, तो अर्थके साथ, ऋक् भी अर्थ के साथ, और सूत्र भी अर्थके साथ ही । (तात्पर्य यह है कि पद, ऋक् और सूत्र ये जितने शब्दोंके भागको कहते हैं उतना शब्दोंका भाग ही केवल पद आदि नहीं, तो अर्थसहित उस भागको पद आदि कहते हैं ।)

तो फिर (हम और एक दृष्टान्त देते हैं ।) जैसे, किसीके बहुत पुत्र हों तो वहाँ यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, यह मेरा मध्यम पुत्र है, यह मेरा कनिष्ठ पुत्र है यह कहना उचित है । परन्तु एक ही पुत्र हो तो भी यही मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, यही मेरा मध्यम पुत्र है, यही मेरा कनिष्ठ पुत्र है ऐसा कहा जाता है । तथा (दूसरा दृष्टान्त यों है कि पहली बार ही गर्भिणी प्रसूतिके पूर्व मृत स्त्री अर्थात्) जो (उसके) पहले कभी प्रसूत नहीं हुई और आगे भी होनेवाली नहीं, उसके वारोंमें 'पहले गर्भसे मृत' ऐसा कहा जाता है । और भी (एक दृष्टान्त यों है कि कोई व्यक्ति दूर देशमें जानेके पहले ही अर्थात्) वह वहाँ पहले कभी नहीं गया था और आगे भी न जानेवाला है ऐसी अवस्थामें 'यह मेरा पहला ही आगमन है' (यह उद्गार उसके मुँहसे निकलता है) । (उसी प्रकार 'इयाय', 'आर' इत्यादि उदाहरणोंमें 'इ', 'ऋ' इस एक ही वर्णको 'एकाच्' कहा जा सकता है । अत 'व्यपदेशिवत्' यह यहाँ कहनेकी आवश्यकता नहीं ।)

तथा सूत्रकारोंने यह जो 'आद्यन्तवत्' पद कहा है वह भी कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

सो कैसे ?

(या. ६) जिसके पहले कोई नहीं उसको 'आदि' कहा जाय, और जिसके आगे कोई नहीं उसको 'अन्त' कहा जाय । इस प्रकार 'आदि' अथवा 'अन्त' शब्द एक ही वर्णको लगाया जा सकता है ।

७ पहले दृष्टान्तमें एक ही पुत्रको 'ज्येष्ठ', 'मध्यम', 'कनिष्ठ' शब्द गौणत्वसे लगाये जाते हैं, तथा दूसरे और तीसरे दृष्टान्तमें गर्भको और भागमनको 'पहला' शब्द गौणत्वसे लगाया है, उसी तरह ।

८ उसके आगे कोई होना ही चाहिये यह आपत्त नहीं ।

९ उगने पाछे बड़े होना ही चाहिये यह आपत्त नहीं ।

अपूर्वलक्षण आदिरनुत्तरलक्षणो ऽन्तः । एतच्चैकस्मिन्नपि भवति ।
अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वादेतस्मात्कारणादेकास्मिन्नप्याद्यन्तापदिटानि कार्याणि भविष्यन्ति
नार्थं आद्यन्तवद्भावेन ॥ गौनर्दीयस्त्वाह । सत्यमेतत्सति त्वन्यस्मिन्निति ॥

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ।

आदिवत्त्वे प्रयोजनं प्रत्ययञ्जिदाद्युदात्तत्वे ॥ ७ ॥

प्रत्ययस्यादिरुदात्तो भवतीतिहिव स्यात् कर्तॄन्म् तैत्तिरीयः । औपगवः
कापयव इत्यत्र न स्यात् ॥ ञ्जित्यादिर्नित्यम् [६ १ १९७] इतिहिव स्यात्
अहिन्युम्बकायनिः आग्निवेश्यः । गार्ग्यः कृत्तिरित्यत्र न स्यात् ॥

(किसी वर्णके आगे कोई हो वा न हो,) केवल उसके पूर्व कोई नहीं इसीसे उसको
'आदि' कहा जाता है, तथा (किसी वर्णके पूर्व कोई हो वा न हो,) आगे कोई
नहीं इसीसे उसको 'अन्त' कहा जाता है । यह (आदित्व अथवा अन्तत्व) एकको
भी हो सकता है । अतः एक ही वर्ण हो तो भी आदिको और अन्तको कहे हुए कार्य
सहजमें होंगे । तब प्रकृत सूत्र 'आद्यन्तवत्' का कोई उपयोग नहीं ।

परन्तु यहाँ गौनदीयका यह कहना है कि जिसके पूर्व कोई नहीं उसके आगे
कोई हो तभी उसको 'आदि' कहा जाय, तथा जिसके आगे कोई नहीं उसके पूर्व
कोई हो तभी उसको 'अन्त' कहा जाय । ये ही ('आदि' और 'अन्त' शब्दोंके)
सही अर्थ हैं । (अतः सूत्रकारोंने जो 'आद्यन्तवत्' सूत्र किया है वही युक्त है ।)

ठीक, पर इस सूत्रके उदाहरण क्या है ?

(वा. ७) आदि होनेका प्रयोजन यह है कि प्रत्ययको होनेवाला तथा
जित् अथवा नित्को होनेवाला स्वर आद्युदात्त होता है ।

प्रत्ययका आदि उदात्त होता है (३।१।३) । वह (उदात्त) 'कर्तॄन्म्',
'तैत्तिरीयः' इत्यादि रूपोंमें ही होगा, 'औपगव', 'कापयव' इत्यादि रूपोंमें न
होगा । तथा "ञ्जित्यादिर्नित्यम्" (६।१।१९७) सूत्रसे कहा हुआ आद्युदात्त 'अहि-
न्युम्बकायनि, " आदि रूपोंमें ही होगा, 'आग्निवेश्य' ; 'गार्ग्यः', 'कृत्ति.'
इत्यादि रूपोंमें न होगा ।

१० 'कर्तॄन्म्' रूपमें 'तन्व्य' प्रत्ययमें दो 'अच्' होनेके कारण टमरा आदि
अर्थान् पहला ओ तकारके आगेका अकार है उसको उदात्त किया जा सकता है । परन्तु
'औपगव' में 'अ' ही प्रत्यय होनेके कारण उस 'अ'-कारको प्रत्ययका आदि नहीं कहा
जा सकता है । अतः उसको उदात्त न होगा । यह इस प्रकृतसूत्रमें किया जाता है । अनेक वर्ण
यद्यपि न होगा तो भी एक ही वर्णको 'आप हा अपना आदि' कहा जा सकता है ।

११ 'अहिन्युम्बक' शब्दके आगे 'प्राचामश्वान् किन् बहुन्म्' (४।१।१९०) सूत्रमें
'किन्' प्रत्यय हुआ है । फकारको 'आयन्' आदेश (७।१।२) द्वारा 'आयनि' प्रत्यय
होता है, इससे उसके पहले 'आ' फकारको 'आदि' अनायास कहा जा सकता है ।

१२. 'आग्निवेश्य', 'गार्ग्य' में 'यप्' प्रत्यय (४।१।१०५) है और 'कृत्ति' में
'जित्' प्रत्यय (३।१।९४) है । उनमें एक ही 'अच्' होनेके कारण उससे 'आदि' नहीं

बलादेरार्धधातुकस्येद् ॥ ८ ॥

बलादेरार्धधातुकस्येद् प्रयोजनम् । आर्धधातुकस्येड्बलादेः [७ २. ३५]

इहैव स्यात् करिष्यति हरिष्यति । जोषिषत् मन्दिषदित्यत्र न स्यात् ॥

यस्मिन्विधिस्तदादित्वे ॥ ९ ॥

यस्मिन्विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम् । वक्ष्यति यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहण इति । तस्मिन्क्रियमाणेऽपि भ्रुधातुभ्रुवां प्योरिण्यडुवडौ [६. ४. ७७.] इहैव स्यात् श्रियः भ्रुवः । श्रियौ भ्रुवौ इत्यत्र न स्यात् ॥

अजाद्यात्त्वे ॥ १० ॥

अजाद्यात्त्वे प्रयोजनम् । आडजादीनाम् [६. ४. ७२.] इहैव

(वा. ८) 'बलादि' आर्धधातुकको होनेवाला 'इद्' (आगम भी प्रयोजन है) ।

अथवा 'बलादि' (जिसका आदि 'बल्' व्यञ्जन है उस) आर्धधातुकको होनेवाला 'इद्' आगम भी प्रयोजन है । 'आर्धधातुकस्येड्बलादेः' (७।२।३५) कहा हुआ 'इद्' आगम 'करिष्यति', 'हरिष्यति' इत्यादि रूपोंमें ही होगा; 'जोषिषत्', 'मन्दिषत्' इत्यादि रूपोंमें न होगा ।

(वा. ९) 'यस्मिन् विधिः ०' (वार्तिकसे कहा हुआ) 'तदादिविधि' (भी प्रयोजन है) ।

'यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे' (१।१।७२ वा. २९) यह आगे वार्तिककार कहनेवाले हैं । अतः उस वार्तिकसे 'तदादिविधि' किया गया तो 'अचि भ्रुधातुभ्रुवां प्योरिण्यडुवडौ' (६।४।७७) सूत्रसे कहा हुआ 'इयद्' अथवा 'उवद्' आदेश 'श्रियः', 'भ्रुवः' इत्यादि रूपोंमें ही होगा; 'श्रियौ', 'भ्रुवौ' इत्यादि रूपोंमें न होगा ।

(वा. १०) स्वरादि धातुको होनेवाला 'आट्' आदेश (भी प्रयोजन है) ।

"आडजादीनाम्" (६।४।७२) सूत्रसे स्वरादि धातुको होनेवाला 'आट्' कहा जा सकता है । अतः प्रष्टसूत्रकी वही आवश्यकता है ।

१३. 'जोषिषत्' में 'सिप् बहुलं' (३।१।३४) सूत्रसे बीचमें विकरण सिप् प्रत्यय हुआ है । उसमेंसे सकार मात्र शेष रहा है ।

१४ 'श्रियः' में 'अग्' दो वर्णोंका प्रत्यय होनेके कारण उसमें 'अजादि' अनायास कहा जा सकता है । 'श्रियो' में 'औ' एक ही वर्णका प्रत्यय होनेसे उसको 'अजादि' नहीं कहा जाता है । अतः वहाँ प्रकृत सूत्र लिये बिना अन्य उपाय नहीं ।

ऐहिष्ट ऐक्षिष्ट । ऐत् अध्येष्टेत्यत्र न स्यात् ॥

अथान्तवत्त्वे कानि प्रयोजनानि ।

अन्तवद्द्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे ॥ ११ ॥

अन्तवद्द्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे प्रयोजनम् । ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् [१. १. ११]
इहैव स्यात् पचेते इति पचेथे इति । खट्वे इति माले इतीत्यत्र न स्यात् ॥

मिदचो ऽन्त्यात्परः ॥ १२ ॥

मिदचो ऽन्त्यात्परः [१. १. ४७] प्रयोजनम् । इहैव स्यात् कुण्डानि
वनानि । तानि यानीत्यत्र न स्यात् ॥

अचो ऽन्त्यादि टि ॥ १३ ॥

अचो ऽन्त्यादि टि [१. १. ६४] प्रयोजनम् । टित आत्मनेपदानां ढेरे

आदेश भी प्रयोजन है । 'आढजादीनाम्' सूत्रसे कहा हुआ 'आद्' आगम 'ऐहिष्ट',
'ऐक्षिष्ट' इत्यादि रूपोंमें ही होगा; 'ऐत्', 'अध्येष्ट' इत्यादि रूपोंमें न होगा ।

अब इस सूत्रमें जो 'अन्तवत्' पद कहा है उसके उदाहरण कौनसे हैं ?

(वा. ११) द्विवचनान्त शब्दको (होनेवाली) प्रगृह्यसंज्ञा 'अन्तवद्भाव'
का प्रयोजन है ।

'ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्' (१।१।११) सूत्रसे द्विवचनान्त शब्दको होनेवाली
प्रगृह्यसंज्ञा 'अन्तवद्भाव' का प्रयोजन है । 'ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्' सूत्रसे कही हुई
प्रगृह्यसंज्ञा 'पचेते इति', 'पचेथे इति' इत्यादि उदाहरणोंमें ही होगी, 'खट्वे इति',
'माले इति' इत्यादि उदाहरणोंमें न होगी ।

(वा. १२) 'मिद' प्रत्यय अन्त्य 'अच्' के आगे कहा है (यह भी
प्रयोजन है) ।

"मिदचोऽन्त्यात्परः"—१।१।४७ (इस परिभाषासूत्रसे 'मिद' प्रत्यय अन्त्य
'अच्' के आगे कहा है) यह भी प्रयोजन है । (तथा "नपुंसकस्य झलचः"—
७।१।७२ सूत्रसे कहा हुआ 'नुम्' आगम) 'कुण्डानि', 'वनानि' इत्यादि रूपोंमें
ही होगा; 'तानि', 'यानि' इत्यादि रूपोंमें न होगा ।

(वा. १३) "अचोऽन्त्यादि टि" (सूत्रसे 'टि' संज्ञा होनेपर 'टि'
भागको होनेवाला 'ए' आदेश प्रयोजन है ।)

"अचोऽन्त्यादि टि"—१।१।६४—(सूत्रसे 'टि' संज्ञा होनेपर 'टि'
भागको होनेवाला 'ए' आदेश) प्रयोजन है । 'टित आत्मनेपदानां ढेरे' (१।१।७९)
सूत्रसे कहा हुआ 'टि' भागको होनेवाला 'ए' आदेश 'कुर्वते', 'कुर्वथे' इत्यादि

[३. ४. ७९] इतीहैव स्यात् कुर्वति कुर्वथि । कुरुते कुर्वे इत्यत्र न स्यात् ॥
अलो ऽन्त्यस्य ॥ १४ ॥

अलो ऽन्त्यस्य [१. १. ५२] प्रयोजनम् । अतो दीर्घो यत्रि
[७ ३. १०१] सुपि च [१०२] इहैव स्यात् घटाभ्याम् पटाभ्याम् ।
आभ्यामित्यत्र न स्यात् ॥

येन विधिस्तदन्तत्वे ॥ १५ ॥

येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजनम् । अचो यत् [३. १. ९७] इतैव
स्यात् चेषम् जेषम् । एयम् अध्येयमित्यत्र न स्यात् ॥ *

आद्यन्तवदेकस्मिन्कार्यं भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति ॥

रूपोंमेंही होगा; 'कुरुते'^{१६}, 'कुर्वे' इत्यादि रूपोंमें न होगा ।

(वा. १४) "अलोऽन्त्यस्य" (परिभाषासे अकारको होनेवाला दीर्घ भी प्रयोजन है ।)

"अलोऽन्त्यस्य"—१।१।५२ (परिभाषा लगाकर 'घट' आदि शब्दोंमें अकारको होनेवाला दीर्घ भी) प्रयोजन है । 'अतो दीर्घो यत्रि'—७।३।१०१—सूत्रके आगे (जो) 'सुपि च' (७।३।१०२) सूत्र है, (उस सूत्रसे अकारान्त 'अंगको कहा हुआ दीर्घ) 'घटाभ्याम्', 'पटाभ्याम्' इत्यादि रूपोंमें ही होगा, 'आभ्याम्' रूपमें न होगा ।

(वा. १५) "येन विधिः०" सूत्रसे 'तदन्तविधि' होनेपर ।

"येन विधिः०" सूत्रसे 'तदन्तविधि' होनेपर ('अचो यत्' सूत्रसे 'इ' धातुको 'यत्' प्रत्यय होना) यह प्रयोजन है । 'अचो यत्'—३।१।९७—(सूत्रसे कहा हुआ 'यत्' प्रत्यय) 'चेषम्', 'जेषम्' इत्यादि रूपोंमें ही होगा; 'एयम्', 'अध्येयम्' इत्यादि रूपोंमें न होगा ॥

(प्रकृत सूत्रसे) "एक ही वर्ण हो तो भी उसको आदि-जैसा और अन्त जैसा समझकर उसके बारेमें कार्य किया जाय" ऐसा कहनेसे (पूर्वोक्त सभी उदाहरण) सिद्ध होंगे ।

१६. 'कुरुते' रूपमें अकारको 'एत्व' हुआ है । 'कुर्वे' में इकारको 'एत्व' हुआ है । उस अकारको तथा इकारको 'अचोऽन्त्यादि टि' (१।१।६४) सूत्रसे 'टि' संज्ञा करनेमें प्रकृतसूत्रकी सहायता लेनी पड़ती है ।

१७ 'अतो दीर्घो०' सूत्रके 'अतः' पदकी अनुवृत्ति उत्तरसूत्रमें होकर 'अकारान्त धंग' अर्थ होता है । यह अनुवृत्ति बतानेके लिए ही 'अतो दीर्घो०' सूत्रका यहीं उल्लेख किया है ।

तरसप्तमौ घः ॥ १ । १ । २२ ॥

घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः ॥ १ ॥

घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधो वक्तव्यः । नद्यास्तरो नदीतर इति ॥

घसंज्ञानां नदीतरे ऽप्रतिषेधः ॥ २ ॥

अनर्थकः प्रतिषेधो ऽप्रतिषेधः । घसंज्ञा कस्मान्न भवति ।

तरग्रहणं औपदेशिकम् ॥ ३ ॥

औपदेशिकस्य तरपो ग्रहणं न चैष उपदेशो तरप्शब्दः । किं वक्तव्यमेतत् । न हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते । इह हि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु

(सू. २२) तरप् और तमप् (इन दो प्रत्ययोंको) 'घ' (संज्ञा होती है) ।

(वा. १) 'घ' - संज्ञा 'नदीतर' शब्दके 'तर' को नहीं होती ।

प्रकृत सूत्रसे कहीं हुई 'घ' संज्ञा 'नदीतर' शब्दके 'तर' को नहीं होती ऐसा कहा जाय; जैसे, नद्याः तरः नदीतरः ।

(वा. २) 'नदीतर' शब्दके ('तर' का) 'घ' संज्ञाके वारमें अप्रतिषेध है ।

अप्रतिषेधका अर्थ है अनर्थक प्रतिषेध ।

तो फिर 'नदीतर' शब्दके 'तर' -को 'घ' संज्ञा क्यों नहीं होती ?

(वा. ३) क्योंकि कि औपदेशिक तरप् का ग्रहण किया है ।

औपदेशिक अर्थात् मूलभूत जो तरप् (प्रत्यय) है उसका इस प्रकृत सूत्रमें ग्रहण किया है, और ('नदीतर' शब्दमें जो 'तर' है) वह शास्त्रमें मूलभूत कहा हुआ तरप् शब्द नहीं ।

पर मूलभूत तरप् चाहिये ऐसा यहाँ स्पष्टताय कहा जाहिये क्या ?

वह कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

तो फिर स्पष्टतासे कहे बिना वह कैसे समझा जायगा ?

(यों समझा जायगा कि) इस व्याकरणशास्त्रमें सर्वत्र अर्थात् जहाँ इत्संज्ञकके सहित पाणिनिने उच्चारण किया हो वहाँ विशिष्ट स्वरूपका निर्देश किया जाता है

१. नदीके संज्ञामें तर अर्थात् तेरना वा तेरनेका शासन । 'तृ' धातुको 'ऋतोर्' (३।३।५७) सूत्रसे 'अर्' प्रत्यय किया गया है । 'तृ' धातुको गुण (५।३।८५) होकर 'तर' शब्द सिद्ध हुआ है । वारमें 'नदी' शब्दका 'तर' शब्दसे परीत्युत्पन्न हुआ है । 'अर्' प्रत्ययके 'घ' -कारका स्मरण करके 'तरप्' को 'तर' समझके ठगकी प्रवृत्तमूल्यमें 'घ' संज्ञा होगी । 'घ' संज्ञा हुई तो 'घसप्त' (६।३।२३) से हत्व होगा ।

२. 'द्विवचनविमज्जोपरदे, तरवीयमुनौ' (५।३।५७) मूलमें 'तरप्' मूलमें ही वच्चारित है ।

रूपमाश्रीयते यत्रास्यैतद्रूपमिति । १. रूपनिर्ग्रहश्च शब्दस्य नान्तरेण लौकिक प्रयोगम् । तस्मिंश्च लौकिके प्रयोगे सानुबन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः प्रयोग उपास्यते । को ऽसौ । उपदेशो नाम । न चैष उपदेशे तरप्शब्दः ॥ अथवास्त्वस्य घसंज्ञा को दोषः । घादिषु नद्या ह्रस्वो भवतीति ह्रस्वत्वं प्रसज्येत । समानाधिकरणेषु घादिष्वित्येवं तत् । यदा तर्हि 'सैव नदी' स एव तरस्तदा प्राप्नोति । स्त्रीलिङ्गेषु घादिष्वित्येवं तत् । अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम् । समाना-

जिससे उद्देश्यका वह निर्दिष्ट स्वरूप जहाँ हो वहीं उसको वह कार्य हो । अब (धातु, प्रत्यय इत्यादिका) जो स्वरूप है वह उनका लौकिक प्रयोग देखे बिना निश्चित नहीं किया जा सकता है । और उस लौकिक प्रयोगमें तो इत्संज्ञकके सहित प्रयोग कहीं भी नहीं दिखायी देता । अतः (वह स्वरूप निश्चित करनेके लिए लौकिक प्रयोगके बिना ही) अन्य किसी प्रयोगका आधार लेना पड़ता है । वह अन्य प्रयोग कौनसा ? उपदेश अर्थात् आद्यमुनिकृत उच्चारण । और वह आद्योच्चारण ('नदीतर' शब्दमें) तरप् शब्द स्वरूपमें नहीं दीख पड़ता ।

अथवा ('नदीतर' में) उस ('तर') को 'घ' संज्ञा होने दे । इससे क्या दोष आनेवाला है ?

'घ' आदि आगे होनेपर नदीसंज्ञकको ह्रस्व होता है (६।३।४३) । वह ह्रस्व ('नदी' शब्दके ईकारको) होगा (ऐसा दोष आता है) ।

(नदीसंज्ञक शब्दके साथ) समानाधिकरण (अर्थात् नदीसंज्ञक शब्द जिस अर्थका निदर्शक है उसी अर्थको बतानेवाले) 'घ' आदि आगे हों तभी वह (ह्रस्व) होता है । (अतः 'नदीतर' में दोष न आयेगा ।)

तथापि 'नदी' शब्द जिस अर्थका निदर्शक है उसी अर्थको जब 'तर' शब्द बतौता है तब तो दोष आयेगा ही न ?

(तो भी दोष नहीं आयेगा । क्योंकि) आगे होनेवाले जो 'तर' आदि है वे स्त्रीलिङ्गी हों तभी वह ह्रस्व होता है । और यह बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये । अन्यथा केवल (नदीसंज्ञक शब्दके साथ) समानाधिकरण घ-आदि आगे होनेपर

३ धातुका आद्योच्चारण धातुपाठमें पाणिनिने किया है । प्रत्ययोंका उच्चारण जिस सूत्रमें वह प्रत्यय कहा हो उसमें देखा जाय । आदेश तथा आगमके बारेमें भी यही समझा जाय ।

४. 'तर' अर्थात् तैरनेकी क्रिया अथवा तैरनेका साधन । वह नदीसे अलग है । अतः यहाँ 'नदी' और 'तर' दो शब्द समानाधिकरण अर्थात् एकही अर्थको बतानेवाले हैं ।

५. 'तृ' धातुको 'अप' प्रत्यय कर्मणि किया तो 'जिसको तैर जाना है वह' अर्थात् 'नदी' यही यहाँ 'तर' का अर्थ होता है । तत्पश्चात् नदी और तर दो शब्दोंका कर्मधारय समास किया जाय ।

विकरणेषु चादिष्वित्युच्यमान इह प्रसज्येत । महिषी रूपमिव ब्राह्मणी रूपमिवेति ॥

बहुगणवतुडति संख्या ॥ १ । १ । २३ ॥

संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणम् ॥ १ ॥

संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम् । बहुगणवतुडतयः संख्यासंज्ञा भवन्ति । संख्या च संख्यासंज्ञा भवतीति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् ।

संख्यासंप्रत्ययार्थम् ॥ २ ॥

एकादिकायाः संख्यायाः संख्याप्रदेशेषु संख्येत्येव संप्रत्ययो यथा म्यात् ॥ ननु चैकादिका संख्या लोके संख्येति प्रतीता तेनास्याः संख्याप्रदेशेषु

ऐसा कहा गया तो भी 'महिषी रूपमिव', 'ब्राह्मणी रूपमिव' इत्यादि उदाहरणोंमें (ह्रस्व) होगा (यह दोष आयेगा ही) ।

(सू. २३) 'बहु' और 'गण' (इन दो शब्दोंको) तथा 'वतु' - (प्रत्ययान्त) और 'डति' - (प्रत्ययान्त) शब्दोंको 'संख्या' (संज्ञा होती है) ।

(वा. १) 'संख्या' संज्ञा (जिनको कही है उनमें) 'संख्या' शब्द अधिक रखा जाय ।

यह 'संख्या' संज्ञा (जिनको कही है उनमें) 'संख्या' शब्द अधिक रखा जाय । अर्थात् 'बहु' और 'गण' इन दो शब्दोंमें तथा 'वतु' - प्रत्ययान्त और 'डति' - प्रत्ययान्त शब्दोंको 'संख्या' - संज्ञा होती है, और 'संख्या' - को भी 'संख्या' - संज्ञा होती है ऐसा कहा जाय ।

(यह करनेका) क्या प्रयोजन है ?

(वा. २) (एक, दो इत्यादि 'संख्या' शब्दोंका) 'संख्या' - (संज्ञा) से बोध होनेके लिए ।

'संख्या' - प्रदेशोंमें (अर्थात् 'संख्या' - शब्दोंको जो कार्य कहे हैं उनमें) 'संख्या' शब्दसे एक, दो इत्यादि लौकिक 'संख्या' - शब्दोंका बोध हो इसलिये ।

पर एक, दो इत्यादि 'संख्या' - शब्द लोगोंमें संख्यारूपमें ही प्रसिद्ध हैं । अतः

६. 'महिषीरूपम्' समासका यह विषयवाच्य दिग्गता है । 'स्य' अर्थात् 'आहति' । 'इव' शब्द 'महिषी' के साथ जोड़ा जाय । तब 'महिषीके समान आहति' यह शब्दार्थ होता है । इसी अर्थका जो 'महिषीरूपम्' सामासिक पर है उसमें 'महिषी' को ह्रस्व होगा यह दोष आया है । यही 'सहस्रम्' (२।१।४) मूलमें समास हुआ है । समासमें 'महिषी' शब्दका अर्थ है 'महिषीके समान' । 'जो महिषीके समान है वही स्य अर्थात् आहति' इस तरह वही सामानाधिकरण्य है ।

१. त्रिम मूलमें 'संख्या' शब्दका उच्चारण करके कुछ कार्य करा है उस मूलको 'संख्याप्रदेश' कहते हैं ।

सख्यासप्रत्ययो भविष्यति । एवमपि कर्तव्यम् ।

इतरथा ह्यसंप्रत्ययो ऽकृत्रिमत्वात्प्रथा लोके ॥ ३ ॥

अक्रियमाणे हि सख्याग्रहण एकादिकायाः सख्याया सख्येत्येप सप्रत्ययो न स्यात् । किं कारणम् । अकृत्रिमत्वात् । बह्वादीना कृत्रिमा सज्ञा । कृत्रिमा-कृत्रिमयो. कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययो भवति यथा लोके । तद्यथा । लोके गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्यैषा सज्ञा भवति स आनीयते न यो गाः पालयति यो वा कटे जात । यदि तर्हि कृत्रिमाकृत्रिमयो. कृत्रिमे सप्रत्ययो भवति नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्य [५ ४ ११०] अत्रापि प्रसज्येत । पौर्णमास्याग्रहायणीग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति । तद्विशेषेभ्यस्तर्हि प्राप्नोति गङ्गा

‘सख्या’-प्रदेशोंमें अपने-आप उनका सख्यारूपमे ग्रहण होगा । (इसकेलिए प्रयत्न क्यों किया जाय ?)

तथापि यहाँ ‘सरया’ शब्द अधिक रचना ही चाहिये ।

(किसलिए ?)

(वा ३) नहीं तो जैसे लोगोंमें वैसे अकृत्रिम होनेसे बोध नहीं होता है ।

यदि इस प्रकृतसूत्रमें ‘सख्या’ शब्द अधिक न रखा गया तो (‘सख्या’ प्रदेशोंके ‘सख्या’) शब्दसे एक, दो इत्यादि लौकिक संख्याका बोध न होगा ।

कारण क्या है ?

एक, दो इत्यादि लौकिकसख्या अकृत्रिम (अर्थात् पुरानी मूलभूत ही) है इसलिए। ‘वह’, ‘गण’ इत्यादिके (पाणिनिने यह जो) ‘सख्या’ सज्ञा (की है वह) कृत्रिम (अर्थात् नयी, विशेष हेतुसे की है) । और “कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्यय” यह न्याय है । (अर्थात् कृत्रिम और अकृत्रिम इन दोनोंको कोई कार्य करना हो तो वह कार्य कृत्रिमको ही किया जाय, अकृत्रिमको न किया जाय ।) लोगोंमें भी यह दिखायी देता है, जैसे, लोगोंमें ‘गोपालको लाओ’ ‘कटजको लाओ’ ऐसा कहा गया तो (‘गोपाल’ अथवा ‘कटज’) यह सज्ञा जिस बालककी हो वही बालक लाया जाय ह । जो वास्तवमें ‘गोपाल’ अर्थात् गाये पालनेवाला है अथवा ‘कटज’ अर्थात् कटपर जन्मा है वह (गोपाल अथवा कटज) नहीं (लाया जाता है) ।

अब यदि कृत्रिम और अकृत्रिम इन दोनोंमेंसे कृत्रिमको ही कार्य किया जाय इस रूपका न्याय है तो “नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्य” (५।४।११०) सूत्रमें भी वह (न्याय) लागू होगा । (अतः वहाँ ‘नदी’ शब्द न केके कृत्रिम सज्ञारूप नदीका अर्थात् “यूस्वाख्यौ नदी” — १।४।२—सूत्रसे जिन शब्दोंको ‘नदी’-सज्ञा दी गयी है उनका ‘नदी’ शब्दसे ग्रहण होगा ।)

पर वहाँ (पाणिनिने) जो पौर्णमासी और आग्रहायणी ये नदीसङ्गक शब्द

यमुनेति । एवं तर्ह्याचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति । न तद्विशेषेभ्यो भवतीति यदयं विपाश्शब्दं शस्त्रभूतिषु पठति ॥ इह तर्हि प्राप्नोति नदीभिश्च [२ १ २०] इति । बहुवचननिर्देशात् न भविष्यति । स्वरूपाविधितर्हि प्राप्नोति । बहुवचननिर्देशादेव न भविष्यति ॥ एवं न चेदमकृतं भवति कृतिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्यय इति न च कश्चिद्दोषो भवति ॥

उच्चारित है उनके बलसे (उम सूत्रके ' नदी ' शब्दसे नदीसंज्ञक शब्दोका ग्रहण) न होगा ।

तत्र (उसी कारणसे वहाँके नदी शब्दसे) गंगा, यमुना इत्यादि नदियोंके विशेषनाम ही लिये जायें ' (ऐसा क्यों न समझा जाय ?)

तो फिर आचार्य (पाणिनि) ' शस्त्रादि ' गणमें (५।४।१०७) ' विपाश ' एक नदीकी विशिष्ट संज्ञाका पाठ करते हैं, और उससे वे यह ज्ञापित करते हैं, कि (" नदीपौर्णमासी० " सूत्रके ' नदी ' शब्दसे) नदियोंके विशिष्ट नाम नहीं लिये जाते हैं । (तात्पर्य यह है कि, इस सूत्रमें कृत्रिमाकृत्रिमन्याय लागू नहीं होता है ।)

तो फिर (अन्यत्र दोष आता है । वह यों कि) " नदीभिश्च " — २।१।२० (सूत्रमें ' नदी ' शब्दके बारेमें वह न्याय लागू होगा ।)

पर वहाँ (पाणिनिने ' नदीभिः ' इत) बहुवचनका प्रयोग किया है न ? उसके बलसे (नदीसंज्ञक शब्द वहाँ ' नदी ' शब्दसे) न लिये जायेंगे ।

(नदीसंज्ञक शब्द अलग रहने दें ।) पर (" नदीपौर्णमासी० " — ५।४।११० — सूत्रमें जिस प्रकार ' नदी ' यही शब्दस्वरूप लिया है उसी प्रकार) शब्दस्वरूप यहाँ लिया जाय ।

बहुवचनके निर्देशसे ही उस शब्दस्वरूपका ग्रहण यहाँ न होगा ।

(तात्पर्य यह है कि, " नदीपौर्णमासी० " और " नदीभिश्च " इन दो सूत्रोंमें पूर्वोक्त विशेष कारणसे ही) ' कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः ' न्याय छोड़ देनेके कारण ' शास्त्रोंमें वह न्याय लिया ही न जाय ' यह बात नहीं । यदि किसी स्थानमें लिया गया तो वहाँ दोष आता है यह भी बात नहीं । (अतः प्रकृतसूत्रमें उस न्यायसे आया हुआ दोष दूर करनेकेलिए ' संख्या शब्द अधिक रसाना चाहिये ।)

२ ' नदीपौर्ण० ' सूत्रके ' नदी ' शब्दसे ' गंगा ', ' यमुना ' इत्यादि विशेष संज्ञाएँ की गयीं तो ' विपाश ' संज्ञाका भी ' नदी ' शब्दसे ग्रहण होगा । और उसी सूत्रमें अन्ययी भावके उदाहरण ' उपविपाशम् ' में ' ट् ' प्रत्यय सिद्ध होगा । तब वहाँ ' ट् ' प्रत्यय होनेके लिए शस्त्रादिगणमें जो ' विपाश ' शब्दका पाठ किया है वह व्यर्थ होगा ।

३. जहाँ ' नदी ' — संज्ञक शब्दोंकी आवश्यकता है वहाँ ' नदी ' शब्द एकवचनमें रखा है, जैसे, ' आप्नया ' । तत्र ' नद्याः ' के स्थानमें ' नदीभि ' कहा है, उगते वहाँ ' नदी ' — संज्ञक शब्द पाणिनिको नहीं चाहिये ऐसा समझा जाता है ।

४. ' एक ', ' दो ', ' तीन ' इत्यादि जो अकृत्रिम अर्थात् स्वाभाविक मूल लौकिक

सख्यासप्रत्ययो भविष्यति । एवमपि कर्तव्यम् ।

इतरथा ह्यसंप्रत्ययो ऽकृत्रिमत्वाद्यथा लोके ॥ ३ ॥

अक्रियमाणे हि सरयाग्रहण एकादिकाया सरयाया सरयेत्येप सप्रत्ययो न स्यात् । किं कारणम् । अकृत्रिमत्वात् । बह्वादीना कृत्रिमा सज्ञा । कृत्रिमा-कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्यसप्रत्ययो भवति यथा लोके । तद्यथा । लोके गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्यैषा सज्ञा भवति स आनीयते न यो गा पालयति यो वा कटे जात । यदि तर्हि कृतिमाकृत्रिमयो कृत्रिमे सप्रत्ययो भवति नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्य [५ ४ ११०] अत्रापि प्रसज्येत । पौर्णमास्याग्रहायणीग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति । तद्विशेषेभ्यस्तर्हि प्राप्नोति गङ्गा

‘ सरया ’—प्रदेशोर्मे अपने—आप उनका सरयारूपमे ग्रहण होगा । (इसके लिए प्रयत्न क्यों किया जाय ?)

तथापि यहाँ ‘ सख्या ’ शब्द अधिक रचना ही चाहिये ।

(किसलिए ?)

(घा ३) नहीं तो जैसे लोगोंमें वैसे अकृत्रिम होनेसे बोध नहीं होता है ।

यदि इस प्रकृतसूत्रमें ‘ सरया ’ शब्द अधिक न रखा गया तो (‘ सरया ’ प्रदेशोंके ‘ सख्या) शब्दसे एक, दो इत्यादि लौकिक सरयाका बोध न होगा ।

कारण क्या है ?

एक, दो इत्यादि लौकिकसख्या अकृत्रिम (अर्थात् पुरानी मूलभूत ही) हैं इसलिए । ‘ बहु, ‘ गण ’ इत्यादिको (पाणिनिने यह जो) ‘ सख्या ’ सज्ञा (की है वह) कृत्रिम (अर्थात् नयी, विशेष हेतसे की है) । और ‘ कृत्रिमाकृत्रिमयो कृत्रिमे कार्यसप्रत्यय ” यह न्याय है । (अर्थात् कृत्रिम और अकृत्रिम इन दोनोंको कोई कार्य करना हो तो वह कार्य कृत्रिमको ही किया जाय, अकृत्रिमको न किया जाय ।) लोगोंमें भी यह दिखायी देता है, जैसे, लोगोंमें ‘ गोपालको लाओ ’ ‘ कटजको लाओ ’ ऐसा कहा गया तो (‘ गोपाल ’ अथवा ‘ कटज ’) यह सज्ञा जिस बालककी हो वही बालक लाया जाता है । जो वास्तवमें ‘ गोपाल ’ अर्थात् गायेँ पालनेवाला है अथवा ‘ कटज ’ अर्थात् कटपर जन्मा है वह (गोपाल अथवा कटज) नहीं (लाया जाता है) ।

अब यदि कृत्रिम और अकृत्रिम इन दोनोंमेंसे कृत्रिमको ही कार्य किया जाय इस रूपका न्याय है तो “ नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्य ” (५।४।११०) सूत्रमें भी वह (न्याय) लागू होगा । (अतः वहा ‘ नदी ’ शब्द न केके कृत्रिम सज्ञारूप नदीका अर्थात् “ यूस्त्वारयौ नदी ” — १।४।३—सूत्रसे जिन शब्दोंको ‘ नदी ’—सज्ञा दी गयी है उनका ‘ नदी ’ शब्दसे ग्रहण होगा ।)

पर वहाँ (पाणिनिने) जो पौर्णमासी आर आग्रहायणी ये नदीसज्ञक शब्द

यमुनेति । एवं तर्ह्यर्चाचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति । न तद्विशेषेभ्यो भवतीति यदयं विपाद्शब्दं शरत्प्रभृतिषु पठति ॥ इह तर्हि प्राप्नोति नदीभिश्च [२. १. २०] इति । बहुवचननिर्देशान्न भविष्यति । स्वरूपाविधिस्तर्हि प्राप्नोति । बहुवचननिर्देशादेव न भविष्यति ॥ एवं न चेदमकृतं भवति कृतिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्यय इति न च कश्चिदोषो भवति ॥

उच्चारित हैं उनके बलसे (उस सूत्रके ' नदी ' शब्दसे नदीसंज्ञक शब्दोंका ग्रहण) न होगा ।

तत्र (उसी कारणसे वहाँके नदी शब्दसे) गंगा, यमुना इत्यादि नदियोंके विशेषनाम ही लिये जायें (ऐसा क्यों न समझा जाय ?)

तो फिर आचार्य (पाणिनि) ' शरदादि ' गणमें (५।४।१०७) ' विपाद् ' एक नदीकी विशिष्ट संज्ञाका पाठ करते हैं, और उससे वे यह ज्ञापित करते हैं, कि (" नदीपौर्णमासी० " सूत्रके ' नदी ' शब्दसे) नदियोंके विशिष्ट नाम नहीं लिये जाते हैं । (तात्पर्य यह है कि, इस सूत्रमें कृत्रिमाकृत्रिमन्याय लागू नहीं होता है ।)

तो फिर (अन्यत्र दोष आता है । वह यों कि) " नदीभिश्च " — २।१।२० (सूत्रमें ' नदी ' शब्दके बारेमें वह न्याय लागू होगा ।)

पर वहाँ (पाणिनिने ' नदीभिः ' इस) बहुवचनका प्रयोग किया है न ? उसके बलसे (नदीसंज्ञक शब्द वहाँ ' नदी ' शब्दसे) न लिये जायेंगे ।

(नदीसंज्ञक शब्द अलग रहने दें ।) पर (" नदीपौर्णमासी० " — ५।४।११० — सूत्रमें जिस प्रकार ' नदी ' यही शब्दस्वरूप लिया है उसी प्रकार) शब्दस्वरूप यहाँ लिया जाय ।

बहुवचनके निर्देशसे ही उस शब्दस्वरूपका ग्रहण यहाँ न होगा ।

(तात्पर्य यह है कि, " नदीपौर्णमासी० " और " नदीभिश्च " इन दो सूत्रोंमें पूर्वोक्त विशेष कारणसे ही) ' कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः ' न्याय छोड़ देनेके कारण ' शास्त्रोंमें वह न्याय लिया ही न जाय ' यह बात नहीं । यदि किसी स्थानमें लिया गया तो वहाँ दोष आता है यह भी बात नहीं । (अतः प्रकृतसूत्रमें उस न्यायसे आया हुआ दोष दूर करनेकेलिए ' संख्या शब्द अधिक रराना चाहिये ।)

२. ' नदीपौर्ण० ' सूत्रके ' नदी ' शब्दसे ' गंगा ', ' यमुना ' इत्यादि विशेष संज्ञाएँ वी गयीं तो ' विपाद् ' संज्ञाका भी ' नदी ' शब्दसे ग्रहण होगा । और उसी सूत्रसे आभ्यधीभावके उदाहरण ' उपविपाद् ' में ' ट् ' प्रत्यय सिद्ध होगा । तब वहाँ ' ट् ' प्रत्यय होनेके लिए शरदादिगणमें जो ' विपाद् ' शब्दका पाठ किया है वह व्यर्थ होगा ।

३. जहाँ ' नदी ' -संज्ञक शब्दोंकी आवश्यकता है वहाँ ' नदी ' शब्द एकवचनमें ररता है; जैसे, ' आप्नयाः ' । तब ' नद्याः ' के स्थानमें ' नदीभिः ' कहा है, उसने वहाँ ' नदी ' -संज्ञक शब्द पाणिनिको नहीं चाहिये ऐसा समझा जाता है ।

४. ' एक ', ' दो ', ' तीन ' इत्यादि जो अकृत्रिम अर्थात् स्वभाविक मूल लौकिक

सख्यासप्रत्ययो भविष्यति । एवमपि कर्तव्यम् ।

इतरथा ह्यसंप्रत्ययो ऽकृत्रिमत्वाग्रथा लोके ॥ ३ ॥

अक्रियमाणे हि सख्याग्रहण एकादिकाया सख्याया सख्येत्येष सप्रत्ययो न स्यात् । किं कारणम् । अकृत्रिमत्वात् । बद्धादीना कृत्रिमा सज्ञा । कृत्रिमा-कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्यसप्रत्ययो भवति यथा लोके । तद्यथा । लोके गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्यैषा सज्ञा भवति स आनीयते न यो गा पालयति यो वा कटे जात । यदि तर्हि कृत्रिमाकृत्रिमयो कृत्रिमे सप्रत्ययो भवति नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्य [५ ४ ११०] अत्रापि प्रसज्येत । पौर्णमास्याग्रहायणीग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति । तद्विशेषेभ्यस्तर्हि प्राप्नोति गङ्गा

‘सख्या’—प्रदेशोंमें अपने—आप उनका सरयारूपमें ग्रहण होगा । (इसकेलिए प्रयत्न क्यों किया जाय ?)

तथापि यहाँ ‘सरया’ शब्द अधिक रचना ही चाहिये ।

(किसलिए ?)

(वा ३) नहीं तो जैसे लोगोंमें वेसे अकृत्रिम होनेसे बोध नहीं होता है ।

यदि इस प्रकृतसूत्रमें ‘सरया’ शब्द अधिक न रखा गया तो (‘सख्या’ प्रदेशोंके ‘सख्या’) शब्दसे एक, दो इत्यादि लौकिक संख्याका बोध न होगा ।

कारण क्या है ?

एक, दो इत्यादि लौकिकसख्या अकृत्रिम (अर्थात् पुरानी मूलभूत ही) है इसलिए। ‘बहु’, ‘गण’ इत्यादिको (पाणिनिने यह जो) ‘सख्या’ सज्ञा (की है वह) कृत्रिम (अर्थात् नयी, विशेष हेतसे की है) । और “कृत्रिमाकृत्रिमयो कृत्रिमे कार्यसप्रत्यय” यह न्याय है । (अर्थात् कृत्रिम और अकृत्रिम इन दोनोंको कोई कार्य करना हो तो वह कार्य कृत्रिमको ही किया जाय, अकृत्रिमको न किया जाय ।) लोगोंमें भी यह दिखायी देता है, जैसे, लोगोंमें ‘गोपालको लाओ’ ‘कटजको लाओ’ ऐसा कहा गया तो (‘गोपाल’ अथवा ‘कटज’) यह सज्ञा जिस बालककी हो वही बालक लाया जात है । जो वास्तवमें ‘गोपाल’ अर्थात् गायें पालनेवाला है अथवा ‘कटज’ अर्थात् कटपर जन्मा है वह (गोपाल अथवा कटज) नहीं (लाया जाता है) ।

अब यदि कृत्रिम और अकृत्रिम इन दोनोंमेंसे कृत्रिमको ही कार्य किया जाय इस रूपका न्याय है तो “नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्य” (५।४।११०) सूत्रमें भी वह (न्याय) लागू होगा । (अत वहाँ ‘नदी’ शब्द न केके कृत्रिम सज्ञारूप नदीका अर्थात् “यूस्वारयौ नदी” — १।४।३—सूत्रसे जिन शब्दोंको ‘नदी’—सज्ञा दी गयी है उनका ‘नदी’ शब्दसे ग्रहण होगा ।)

पर वहाँ (पाणिनिने) जो पौर्णमासी और आग्रहायणी ये नदीसज्ञक शब्द

उत्तरार्थं च ॥ ४ ॥

उत्तरार्थं च सख्याग्रहणं कर्तव्यम् । षण्णान्ता प् [१ १ २४]
पकारनकारान्तायाः सख्यायाः प्सज्ञा यथा स्यात् । इह मा भूत् । पामानः
विप्रुप इति ॥

इहार्थेन तावन्नार्थः सख्याग्रहणेन । ननु चोक्तमितरथा ह्यसप्रत्ययो
ऽकृत्रिमत्वाद्यथा लोक इति । नैष दोषः । अर्थात्प्रकरणाद्वा लोके कृत्रिमाकृत्रिम-
योः कृत्रिमे सप्रत्ययो भवति । अर्थो वास्यैवसज्ञकेन भवति प्रकृत वा तत्र
भवतीदमेवसज्ञकेन कर्तव्यमिति । आतश्चार्थात्प्रकरणाद्वा । अङ्ग हि भवान्ग्राम्य

(घा ४) तथा अगले सूत्रके लिए यहाँ 'सख्या' शब्दकी आवश्यकता है ।)

अगले सूत्रके लिए (अर्थात् अगले सूत्रमें अनुवृत्ति होनेके लिए भी) इस सूत्रमें
'सख्या' शब्द अधिक रखना चाहिये । 'षण्णान्ता प्'—११।२४— (सूत्रसे कही
हुई) प्सज्ञा पकारान्त और नकारान्त (प्, पञ्च इत्यादि) 'सख्या' शब्दोंको ही
होनी चाहिये । 'पामान', 'विप्रुप' इत्यादि रूपोंमें (पामन्, विप्रुप् इत्यादि अन्य
शब्दोंको) न होनी चाहिये ।

अब हम यह कहते हैं कि, 'सरया' शब्द प्रकृतसूत्रमें भी रखना निरर्थक
है ।

पर अभी कहा है न कि 'सख्या' शब्द अधिक न रखा गया तो (सरया-
प्रदेशोंके सख्या शब्दसे, एक, दो इत्यादि लौकिक सख्याएँ) अकृत्रिम होनेसे
पर सरयाओंका बोध न होगा, जैसे लोगोमें बोध नहीं होना है (इस बातका निपटारा
क्या है ?)

यह दोष नहीं आता है । क्योंकि लोगोमें कृत्रिम और अकृत्रिम इन दोनोंमें से
कृत्रिमको ही कार्य होता है सही । (पर यह सर्वसाधारण नियम है इसलिए कृत्रिमका
कार्य होता है ऐसा न समझा जाय ।) सामर्थ्य अथवा प्रकरण हो तभी कृत्रिमको कार्य
किया जाता है । वह कार्य उस सज्ञायुक्त मनुष्यके हाथसे ही होनेवाला है (ऐसा ज्ञान
हो) अथवा—अमुक सज्ञायुक्त मनुष्य ही वह कार्य करे ऐसा स्पष्ट प्रकरण चालू रहे
(वही कृत्रिमका अर्थात् उस सज्ञायुक्त मनुष्यका बोध होता है ।) और सामर्थ्य अथवा
प्रकरण हो तभी (कृत्रिमका बोध होता है । यह समझनेका) दूसरा एक कारण (यह
दीक्ष पढता है कि) कोई गँवार मनुष्य (अर्थात् अमुक कार्य करनेका बल है अथवा
नहीं इस बातका विचार भी जिसके मनमें निर्माण नहीं होता है इस प्रकारका अनाडी
सरया है वह 'सख्याया विधार्थं घा' (५।३।४२) इत्यादि सख्याशब्दघटित सूत्रमें न ली
जायगी, और 'एकधा', 'द्विधा' इत्यादि प्रयोग सिद्ध न होंगे यह दोष आता है ।

पांसुरपादमप्रकरणज्ञमागतं ब्रवीतु गोपालकृमानय कटजकृमानयेति । उभयगति-
स्तस्य भवति साधीयो वा यष्टिहस्तं गमिष्यति ॥ यथैव तर्ह्यर्थात्प्रकरणाद्वा लोके
कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययो भवत्येवमिहापि प्राप्नोति । जानाति ह्यर्सा
वद्वादीनामियं संज्ञा कृतेति ॥ न यथा लोके तथा व्याकरणे । उभयगतिः
पुनरिह भवति । अन्यत्रापि नावश्यमिहैव । तद्यथा । कर्तुरीप्सिततमं कर्म
[१.४.४९] इति कृत्रिमा कर्मसंज्ञा । कर्मप्रदेशेषु चोभयगतिर्भवति । कर्मणि
द्वितीया [२.३.२] इति कृत्रिमस्य ग्रहणं कर्तरि कर्मयतिहारे [१.३.१४]
इत्यकृत्रिमस्य । तथा सावकृतमं करणम् [१.४.४२] इति कृत्रिमा करणसंज्ञा ।

मनुष्य) और जिसके पैरोंकी धूल भी नहीं निकली (अर्थात् जो अभी दूसरे गांवसे
आया है), और (' अमुक व्याक्तिका नाम गोपाल है और उसके वारोंमें बातचीत चल
रही है, यह) पूर्वप्रकरण जिसको ज्ञात नहीं, उस (मनुष्य) को ' गोपालको लाओ,
' कटजको लाओ ' ऐसा (तुम ही) कहो (और देखो उसके मनमें क्या विचार निर्माण
होता है ?) इस विषयमें उनके मनमें दोनों प्रकारकी कल्पना निर्माण होगी (कि ' इनके
घरमें गोपाल नामका कोई लडका है उसको लाना ' अथवा ' बाहरका कोई गोपाल
अर्थात् जिसके हाथमें लाठी है ऐसा गोपाल उसको लाना ?) मैं तो समझता हूँ कि
लाठी लिये गोपालकी ओर ही उसकी बुद्धि झुकेगी ।

तो फिर अब (तुम्हारे विधानके अनुसार क्यों न हो), जैसे सामर्थ्य अथवा
प्रकरण हो तो लोगोंमें कृत्रिम और अकृत्रिम दोनोंमेंसे कृत्रिमको ही कार्य होता है, वेगे
ही शास्त्रमें कृत्रिमको ही कार्य प्राप्त होता है । (क्योंकि यहाँ प्रकरण स्पष्ट ही है ।)
वैयाकरण तो जानता ही है ' (पाणिनिने) बहु गुण इत्यादिको यह (सम्या) संज्ञा
की है । ' (अतः अकृत्रिम अर्थात् स्वाभाविक जो ' एक, ' ' दो ' इत्यादि सम्याएँ हैं
उनके लिए प्रकृत सूत्रमें ' सम्या ' शब्द अधिक रचना चाहिये ।)

पर जो रीति लोगोंमें है वही व्याकरणशास्त्रमें होनी चाहिये ऐसा नियम नहीं ।
(इस संख्याके विषयमें तो कृत्रिम और अकृत्रिम इन नये और पुराने) दोनों प्रकार
(की संख्याओं) का ज्ञान होता है । अन्यत्र भी (दोनों) प्रकार मनमें आते हैं, इन
(संख्याके) विषयमें ही आते हैं यह बात नहीं । उक्त०— " कर्तुरीप्सिततमं कर्म "
(१।४।४९) सूत्रके कृत्रिम (अर्थात् नयी) ही कर्मसंज्ञा करी है । परन्तु कर्मप्रदेशोंमें
(दया जाय तो) दोनों प्रकारका कर्म लिया गया है ।— " कर्मणि द्वितीया " —
२।३।२— (सूत्रमें) कृत्रिम कर्म ही लिया है, और " कर्तरि कर्मयतिहारे " —
१।३।१४— सूत्रमें (' कर्म ' शब्दमें) अकृत्रिम (अर्थात् नया) ही है । तथा
" सावकृतमं करणम् " — १।४।४२— सूत्रमें कृत्रिम (अर्थात् नयी) ही करणसंज्ञा

५ तात्पर्यं यद् दे हि, ' कृत्रिमाकृत्रिमन्याय ' सर्वत्राशय न होनेके कारण शब्दमें उभय
व्यापने भाष्यपर जो दोष बताया गया वह ठीक नहीं ।

करणप्रदेशेषु चोभयगतिर्भवति । कर्तृकरणयोस्तृतीया [२ ३ १८] इति कृत्रिमस्य ग्रहण शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेधेभ्य करणे [३ १ १७] इत्यत्राकृत्रिमस्य । तथाधारो ऽधिकरणम् [१ ४ ४५] इति कृत्रिमाधिकरणसज्ञा । अधिकरणप्रदेशेषु चोभयगतिर्भवति । सप्तम्यधिकरणे च [२ ३ ३६] इति कृत्रिमस्य ग्रहण विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि [२ ४ १३] इत्यकृत्रिमस्य ॥ अथवा नेद सज्ञाकरण तद्वदतिदेशो ऽयम् । बहुगणवतुडतय सख्यावद्भवन्तीति । स तर्हि वतिनिर्देशः कर्तव्यो न ह्यन्तरेण वतिमतिदेशो गम्यते । अन्तरणापि वतिमतिदेशो गम्यते । तद्यथा । एष ब्रह्मदत्तः । अब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त इत्याह ते मन्यामहे ब्रह्म-

कही है । परन्तु करण प्रदेशोंमें (देखा जाय तो) दोनों प्रकारका करण लिया है ।:—
 “कर्तृकरणयोस्तृतीया” — २।३।१८—सूत्रमें कृत्रिम करण ही लिया है, और
 “शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेधेभ्य करणे” — ३।१।१७—सूत्रमें (‘करण’ शब्दसे)
 अकृत्रिम (अर्थात् त्रिया) ही ली है । तथा “आधारोधिकरणम्” (१।४।४५) सूत्रसे
 कृत्रिम (अर्थात् नयी) ही अधिकरणसज्ञा कही है । परन्तु अधिकरण प्रदेशोंमें (देखा
 जाय तो) दोनों प्रकारका अधिकरण लिया है । —“सप्तम्यधिकरणे च” (२।३।३६)
 सूत्रमें कृत्रिम ही अधिकरण लिया है, और “विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि”
 (२।४।१३) में (‘अधिकरण’ शब्दसे) अकृत्रिम (अर्थात् द्रव्य) लिया है । (उसी
 प्रकार ‘एक’, ‘दो’ इत्यादि अकृत्रिम अर्थात् मूलभूत पुरानी सख्याएँ ह, इससे वे
 सख्या प्रदेशोंमें ‘सख्या’ शब्दसे ली जा सकती हैं, उसके लिए प्रकृतसूत्रमें ‘सख्या’
 शब्द अधिक रखनेकी आवश्यकता नहीं ।)

अथवा यह सज्ञा सूत्र ही नहीं, तो ‘उसके समान’ यह अतिदेश यहाँ किया है ।
 अर्थात् ‘बहु’, ‘गण’, ‘वतु’—प्रत्ययान्त और ‘वति’—प्रत्ययान्त शब्द सख्या
 शब्दके समान समझे जायें ।

तो फिर (सूत्रमें ‘सख्यावत्’ रूपमें सरयाको) ‘वति’ (प्रत्यय) लगाना
 चाहिये । क्योंकि ‘वति’ प्रत्यय न लगाया गया तो यह अतिदेश है ऐसा नहीं
 समझा जायगा ।

‘वति’ प्रत्यय न लगाया गया ता यह अतिदेश है ऐसा समझा जाता है । जैसे
 ‘यह ब्रह्मदत्त है’ (यह किसीने कहा तो) यहाँ जो ब्रह्मदत्त उपस्थित नहीं उसीको
 वह यदि ब्रह्मदत्त कहता है तो यह ब्रह्मदत्तके समान है यही उसका अभिप्राय हम
 समझते ह, वैसे ही यहाँ भी (आचार्य पाणिनि) जो सख्या नहीं उन (बहु, गण
 इत्यादि) को यदि ‘सरया’ कहता है तो (बहु, गण इत्यादि शब्द) सरयाके समान

६ तब कृत्रिम सख्या ही न होनेसे यहाँ ‘कृत्रिमाकृत्रिमन्याय’ लागू नहीं होता है ।
 अतः सख्याप्रदेशोंमें ‘सख्या’ शब्दसे एक, दो इत्यादि लौकिक शब्द ही ध्यानमें आयेगे, और
 इस अतिदेशसे ‘बहु’, ‘गण’ इत्यादि शब्द भी आवेंगे ।

दत्तवदयं भवतीति । एवमिहाप्यसंख्यां संख्येत्याह संख्यावदिति गम्यते ॥ अथवा-
 चार्थप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवत्येकादिकायाः संख्यायाः संख्याप्रदेशेषु संख्यासंप्रत्यय
 इति यदयं संख्याया अतिशदन्तायाः कन् [५.१.२२] इति तिशदन्तायाः
 प्रतिषेधं शास्ति । कथं कृत्वा ज्ञापकम् । न हि कृत्रिमा त्यन्ता शदन्ता वा
 संख्यास्ति । ननु चेयमस्ति ढतिः । यत्तर्हि शदन्तायाः प्रतिषेधं शास्ति । यच्चापि
 त्यन्तायाः प्रतिषेधं शास्ति । ननु चोक्तं ढत्यर्थमेतत्स्यादिति । अर्थवद्ग्रहणे
 हं यही उसका अभिप्राय समझना चाहिये ।

अथवा ये आचार्य पाणिनि “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्” — ५।१।२२—
 सूत्रसे (संख्यासंज्ञक शब्दके आगे ‘कन्’ प्रत्यय लगाया जाता है ऐसा कहकर)
 त्यन्त और शदन्त (अर्थात् ‘ति’ अथवा ‘शत्’ जिनके अन्तमें है ऐसे शब्द) उन
 संख्या शब्दोंसे अलग करते हैं, उनकी इस कृतिसे वे यों ज्ञापित करते हैं कि इस
 शास्त्रके संख्या प्रदेशोंमें एक, दो इत्यादि लौकिक ‘संख्या’ शब्दोंसे ‘संख्या’ का
 बोध होता है ।

यह ज्ञापक कैसे समझा जाता है ?

यों समझा जाता है कि जो कृत्रिम संख्याएँ हैं (अर्थात् वह, गण इत्यादि
 पाणिनिके जो नये बनाये संख्या शब्द हैं) उनमें ‘त्यन्त’ वा ‘शदन्त’ नहीं ।
 (अतः ‘वे अलग किये जायँ’ यह कहनेका कारण ही नहीं दिखायी देता है ।)

पर (वह, गण इत्यादि कृत्रिम संख्या-शब्दोंमें) ‘ढति’ यह त्यन्त शब्द
 है न ?

चाहे वह हो तो भी ‘शदन्त’ तो उसमें नहीं है । (अतः उतना ही ज्ञापक
 लिया जायगा ।)

और ‘त्यन्त शब्द अलग किये जायँ’ यह जो आचार्यने कहा है (वह भी
 ज्ञापक लिया जायगा) ।

पर अभी कहा गया है कि ‘ढति’ यह ‘त्यन्त’ शब्द वह, गण इत्यादिमें है ।
 (अतः उसका क्या निपटारा किया जाय ?)

(उसका निपटारा यों किया जाय कि) यद्यपि ‘ढति’ में ‘ति’ शब्द है तो भी
 वह निरर्थक है । और परिभाषा तो यों है कि “अर्थज्ञानके ग्रहणका संभव होनेपर

७. ‘तिशति’ त्यन्त शब्द है और ‘तिशत्’ शदन्त है । उनके आगे ‘कन्’ प्रत्यय न
 लगाया जाय इस हेतुसे सूत्रमें ‘अतिशदन्तायाः’ पद रखके ‘त्यन्त’ और ‘शदन्त’ शब्द
 अलग रखे गये हैं । यदि यहाँ ‘कृत्रिमाकृत्रिम’-न्याय लागू किया गय तो ‘एक’, ‘द्वि’
 इत्यादि सभी लौकिक शब्द छोड़ दिये जायेंगे । अतः ‘अतिशदन्तायाः’ पद व्यर्थ होना है ।
 तब हमने यह ज्ञात होगा कि लौकिक संख्या भी यहाँ ली जाय, ‘कृत्रिमाकृत्रिम’-न्याय वहाँ
 लागू न किया जाय ।

नानर्थकस्येत्यर्थवतस्तिशब्दस्य ग्रहणं न च डतेस्तिशब्दो ऽर्थवान् ॥ अथवा महतीयं संज्ञा क्रियते संज्ञा च नाम यतो न लधीयः । कुत एतत् । लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम् । तत्र महत्याः संज्ञायाः करण एतत्प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञा-
येत । संख्यायते ऽनया संख्येति । एकादिकया चापि संख्यायते ॥

उत्तरार्धेन चापि नार्थः संख्याग्रहणेन । इदं प्रकृतमुत्तरज्ञानुवर्तिष्यते ॥ इदं वै संज्ञार्थमुत्तरत्र च संज्ञिविशेषणेनार्थः । न चान्यार्थं प्रकृतमन्यार्थं भवति । न स्वल्प्यन्यत्प्रकृतमनुवर्तनादन्यद्भवति न हि गोधा सर्पन्ती सर्पणादाहिर्भवति ॥ यत्तावदुच्यते न चान्यार्थं प्रकृतमन्यार्थं भवतीत्यन्यार्थमपि प्रकृतमन्यार्थं भवति ।

अर्थरहितका ग्रहण न क्रिया जाय ” (प. शे. १४) । अतः ‘ ति ’ शब्द यहाँ अर्थवाद् ही लिया जाता है । ‘ डति ’ का ‘ ति ’ शब्द तो निरर्थक ही है ।

अथवा यहाँ ‘ संख्या ’ बड़ी संज्ञा (पाणिनिने) की है (ऐसा दीख पड़ता है) । और संज्ञाका अर्थ यों है कि जिससे लघुभूत अन्य नहीं ।

सों कैसे ?

क्योंकि संज्ञा लघवके लिए ही की जाती है । (फिर भी ‘ संख्या ’ बड़ी संज्ञा की है ।) अतः वह बड़ी संज्ञा करनेमें (पाणिनिके मनमें) यह उद्देश्य दिखायी देती है कि ‘ संख्या ’ संज्ञा अन्वर्थ समझी जाय । :—जिससे संख्यान अर्थात् गणन होता है वह संख्या है । और एक, दो इत्यादि लौकिक संख्यासे भी (पदार्थ) गिने जाते ही हैं । (अतः अन्वर्थ संज्ञाके बलसे ही यहाँ एक, दो इत्यादि लौकिक संख्याका ग्रहण होगा । उसके लिए सूत्रमें ‘ संख्या ’ शब्द अधिक रखनेकी आवश्यकता नहीं ।)

अगले सूत्रमें अनुवृत्ति होनेके लिए इस सूत्रमें ‘ संख्या ’ शब्द अधिक रखना चाहिये (ऐसा जो कहा है) वह भी व्यर्थ है । (क्योंकि यहाँ ‘ संख्या ’ शब्द यद्यपि अधिक न रखा गया तो भी) एक ‘ संख्या ’ शब्द पाणिनिने पहले ही रखा है । उसीकी अनुवृत्ति आगे की जायगी ।

पर इस सूत्रमें (पाणिनिने जो) ‘ संख्या ’ शब्द (पहले रखा है वह विधेयार्थ दिलानेवाला अर्थात्) संज्ञाका निदर्शक है । और अगले सूत्रमें (जो ‘ संख्या ’ शब्द आवश्यक है वह उद्देश्यार्थ दिलानेवाला अर्थात्) संज्ञा जिसकी की जाय उस संज्ञाका निदर्शक होना चाहिये । अतः एकके लिए रखा गया ‘ संख्या ’ शब्द दूसरेके लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है । जिस स्वरूपमें जहाँ जो (शब्द) रखा गया है उस (शब्द) की आगे अनुवृत्ति की है तो केवल इसीसे उसका रूपान्तर नहीं होता है । गोह आगे सरकती है तो केवल उस सरकनेसे उसका सोंपमें रूपान्तर नहीं होता है ।

(उसका उत्तर यों है—) ‘ एकके लिए रखा गया संख्या (शब्द) दूसरेके लिए प्रयुक्त नहीं होता है ’ ऐसा जो कहा है वह उचित नहीं । एक के लिए कोई (पदार्थ) किया गया तो भी वह दूसरेके लिए उपयुक्त होता है । उदा. साल—(के सेतकी पानी

तद्यथा । शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते ताम्यश्च पानीयं पीयत उपस्पृश्यते च शाल्यश्च मान्यन्ते । यदप्युच्यते न खल्वप्यन्यत्प्रकृतमनुवर्तनादन्यद्भवति न हि गोधा सर्पन्ती सर्पणादहिर्भवतीति भवेद् द्रव्येत्वेतदेवं स्यात् । शब्दस्तु खलु येन येन विशेषणाभिसंबन्धयते तस्य तस्य विशेषको भवति ॥ अथवा सापेक्षोऽयं निर्देशः क्रियते न चान्यत्किंचिदपेक्ष्यमस्ति ते संग्याभेदापेक्ष्यामहे ॥

अध्यर्थग्रहणं च समासकन्विध्यर्थम् ॥ ५ ॥

अध्यर्थग्रहणं च कर्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । समासकन्विध्यर्थम् । समास-
विध्यर्थं कन्विध्यर्थं च । समासविध्यर्थं तावत् । अध्यर्थशूर्पम् । कन्विध्यर्थम् ।

देने) के लिए नहर खोदा जानेपर उसमेंसे लोग पानी पीते ही हैं, आचमन भी करते हैं और खेतको भी पानी दिया जाता है। वैसे ही, “जिस स्वरूपमें जहाँ जो (शब्द) रखा गया है उस (शब्द) की आगे केवल अनुज्ञप्ति की जानेसे उसका रूपान्तर नहीं होता है; गोह आगे सरक गयी तो केवल उसके सरकनेसे वह साँप नहीं होती है” यह जो विधान किया जाता है वह द्रव्यके विषयमें उचित होगा। (सर्वसाधारणतया वह उचित न होगा।) शब्द तो (वास्तवमें) इस स्वरूपका होता है कि उसका जिस विशेष वस्तुसे संबन्ध होता है उस वस्तुका कोई विशेष वह शब्द बताता है। (अतः प्रकृतसूत्रमें यद्यपि वह ‘संख्या’शब्द विशेषवस्तुका निर्देशक हो तो भी वह आगे सूत्रमें उद्देश्यसे संबन्ध होकर उद्देश्यका कोई विशेष बतायेगा।)

अथवा आगे सूत्रमें (‘ष्णान्ता’ यह जो स्त्रीलिंगमें) निर्देश किया हुआ दिव्यायी देता है वह अन्य कोई (स्त्रीलिंगी पदार्थ) ध्यानमें लेके किया गया है। और वह दूसरा स्त्रीलिंगी पदार्थ ‘सरया’ शब्दसे अलग कोई दीस नहीं पढ़ता। अतः (‘ष्णान्ता’ इस स्त्रीलिंगी निर्देशके वटसे प्रकृतसूत्रमेंके) ‘संख्या’ शब्दका संबन्ध वहाँ होगा।

(वा. ५) (प्रकृत सूत्रमें) समासके लिए और ‘कन्’ प्रत्यय होनेके लिए ‘अध्यर्थ’ (शब्द) (अधिक) रखा जाय।

इस सूत्रमें ‘अध्यर्थ’ शब्द अधिक रखा जाय, (जिससे उसको ‘संख्या’ संज्ञा होगी)।

उसका क्या उपयोग है ?

समासकन्विध्यर्थम् अर्थात् समास होनेके लिए और ‘कन्’ प्रत्यय होनेके लिए । उनसे समासका उदाहरण है—अध्यर्थशूर्पम्, और ‘कन्’ प्रत्ययके विग्रहका

८. ‘अध्यर्थ’ अर्थात् ‘अर्थमें अधिक’ । अर्थमें अधिक रूपमें अथवा बड़े सूत्रमें खरीद की वस्तुको ‘अध्यर्थशूर्प’ कहते हैं। यहाँ ‘अध्यर्थ’ शब्दको ‘संख्या’ संज्ञा हुई है इसलिए ‘उद्धिताभोत्तरपदसमाहारे च’ (१।१।११) से उस ‘अध्यर्थ’ शब्दका ‘शूर्प’ शब्दके साथ समास हुआ है। उस ‘अध्यर्थशूर्प’ सामासिक शब्दके आगे ‘शूर्पादन्ततरस्याम्’ (५।१।२९) से ‘उपका खरीदा हुआ’ अर्थमें ‘जप्’ प्रत्यय होता है। उदादा ‘अध्यर्थशूर्पम्’ (५।१।२८) से लड़ना है।

अध्यर्थकम् ॥

लुकि चाग्रहणम् ॥ ६ ॥

लुकि चाध्यर्थग्रहणं न कर्तव्यं भवति । अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् [५.१.२८] इति । द्विगोरित्येव सिद्धम् ॥

अर्थपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः ॥ ७ ॥

अर्थपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ञो भवतीति वक्तव्यम् । किं प्रयो-
जनम् । समासकन्विध्यर्थमेव । समासविध्यर्थं कन्विध्यर्थं च । समासविध्यर्थं
तावत् । अर्थपञ्चमशूर्पम् । कन्विध्यर्थम् । अर्थपञ्चमकम् ॥

अधिकग्रहणं चालुकि समासोत्तरपदवृद्धयर्थम् ॥ ८ ॥

उदाहरण है—अध्यर्थकम् ।

(वा. ६) तथा लुक् कहनेवाले (“अध्यर्थपूर्व०” सूत्रमें अध्यर्थ-)
शब्दकी आवश्यकता नहीं रहती ।

(‘सत्या’ संज्ञा कहनेवाले इस प्रकृतसूत्रमें ‘अध्यर्थ’ शब्द अधिक रखा
जानेपर) “अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम्” (५।१।२८) इस लुक् कहनेवाले
सूत्रमें अध्यर्थ शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं रहती । वहाँ ‘द्विगोः’ कहा ही है ।
(अतः उसीसे वहाँ लुक् होगा ।)^९

(वा. ७) ‘अर्थ’ शब्द पूर्वपद है और ‘पूरणप्रत्ययान्त’ शब्द
उत्तरपद है ।

‘अर्थ’ शब्द पूर्वपद है और ‘पूरणप्रत्ययान्त’ शब्द उत्तरपद है । (इन दोनोंका
समास होके) जो (सामासिक) शब्द बनेगा उसको ‘सत्या’ संज्ञा होती है ऐसा
कहा जाय ।

इसका क्या उपयोग है ?

समासकन्विध्यर्थम् अर्थात् समास होनेके लिए और ‘कन्’ प्रत्यय होनेके लिए
(यह पहले जैसा ही यहाँ उपयोग है) । उनमेंसे समासका उदाहरण है—अर्थपञ्चमशूर्पम्,
और ‘कन्’ प्रत्ययका उदाहरण है—अर्थपञ्चमकम् ।

(वा. ८) (प्रस्तुत सूत्रमें) समास और उत्तरपदवृद्धि होनेके लिए
लुक्के सिवा ‘अधिक’ शब्द अधिक रखना चाहिये ।

९. ‘अध्यर्थ’ शब्द को ‘सत्या’ संज्ञा हुई है इसलिए उस ‘अध्यर्थ’ शब्दके आगे
‘सत्याया अतिशदन्ताया कन्’ (५।१।२२) सूत्रसे ‘कन्’ प्रत्यय यहाँ हुआ है ।

१०. क्योंकि ‘अध्यर्थ’ शब्दको ‘सत्या’ संज्ञा होनेके कारण ‘सत्यापूर्वो द्विगु’
(२।१।५२) से ‘अध्यर्थ’ शब्द इस पूर्व समासको द्विगुसंज्ञा होनेवाली ही है ।

११. ‘तस्य पूरणे बद्ध’ (५।१।४८) इत्यादि सूत्रोंसे कहे हुए प्रत्यय करके जो शब्द
सिद्ध किये जाते हैं उनको ‘पूरणप्रत्ययान्त’ शब्द कहते हैं, जैसे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ,
पंचम इत्यादि ।

अधिकग्रहणं चालुकि कर्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । समासोत्तरपदवृद्धचर्थम् । समासविध्यर्थमुत्तरपदवृद्धचर्थं च । समासविध्यर्थं तावत् । अधिकपाठिकः । अधिकसाप्ततिकः । उत्तरपदवृद्धचर्थम् । अधिकपाठिकः अधिकसाप्ततिकः । अलुकीति किमर्थम् । अधिकपाठिकः अधिकसाप्ततिकः ॥

बहुव्रीहौ चाग्रहणम् ॥ ९ ॥

बहुव्रीहौ चाधिकशब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यं भवति । सख्ययाच्ययासना-
द्राधिकसख्याः सख्येये [२ २ २५] इति । सख्येत्येव सिद्धम् ॥

बह्वादीनामग्रहणम् ॥ १० ॥

लुक् के सिवा (अन्य कार्य करते समय) 'अधिक' शब्दको 'सरया'—सज्ञा होती है ऐसा कहा जाय ।

उसका प्रयोजन क्या है ?

समासोत्तरपदवृद्धचर्थम्—अर्थात् समास होनेके लिए और उत्तरपदवृद्धि होनेके लिए । उनमेंसे समासका उदाहरण है—अधिकपाठिक, अधिकसाप्तिक, और उत्तरपदवृद्धिका उदाहरण है—अधिकपाठिक, अधिकसाप्तिक ।

यहाँ 'लुक् के सिवा' ऐसा क्यों कहा गया है ?

'अधिकपाठिक', 'अधिकसाप्तिक' (में लुक् न हो इसलिए) ।

(वा ९) बहुव्रीहि—(समास कहनेवाले "सरया०") सूत्रमें 'अधिक' शब्द न रखा जाय ।

'सख्या'सज्ञा कहनेवाले इस प्रकृतसूत्रमें 'अधिक' शब्द अधिक रखा जानेपर "सख्ययाच्ययासनाद्राधिकसख्याः सख्येये" (२।२।२५) इस बहुव्रीहिसमास कहनेवाले सूत्रमें 'अधिक' शब्द न रखा जाय । ('सरया' शब्द उस सूत्रमें रखा गया ही है ।) अतः उसी 'सरया' शब्दसे इष्ट कार्य सिद्ध होगा ।

(वा. १०) बहु, गण इत्यादि शब्दोंकी भी आवश्यकता नहीं ।

१२ पूर्वमी सख्यासे साठ रुपये अधिक देकर खरीदा हुआ पदार्थ यह 'अधिकपाठिक' शब्दका अर्थ है । 'अधिक' शब्दको 'सख्या' सज्ञा की इसलिए 'उद्धितायो०' (२।१।११) से उस 'अधिक' शब्दका 'पठि' शब्दके साथ समास हुआ है । और उस सख्यासज्ञाका यहाँ दूसरा उपयोग यह है कि, उस 'अधिक' शब्दके आगे आये हुए 'पठि' शब्दके अर्थात् उत्तरपदके पहले 'अ'—कारको 'सख्याया सख्येये' (२।१।११) से वृद्धि हुई है । अब इस 'अधिक' शब्दको 'सख्या'—सज्ञा है इसलिए 'संवाच्यो द्वियु' (२।१।१२) में 'अधिकपठि' को द्विगुणता हुई तो 'अध्यर्थपूर्वद्विगो०' (५।१।२८) से धगने प्रत्ययका लोप होगा । परन्तु वार्तिकमें 'अलुकि' अर्थात् 'उर्के-मिवा' ऐसा कहा जानेसे उस सख्यासज्ञाका लुक्के संगमें उपयोग नहीं किया जा सकता है इसलिए 'उर्' नहीं होता ।

बह्वादीना ग्रहण शक्यमकर्तुम् । केनेदानी सख्याप्रदेशेषु सख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । ज्ञापकात्सिद्धम् । किं ज्ञापकम् । यदय वतोरिड् वा [५. १. २३] इति सख्याया विहितस्य कनो वत्वन्तादिट् शास्ति । वतोरैव तज्ज्ञापक स्यात् । नेत्याह । योगापेक्ष ज्ञापकम् ॥

इस प्रकृतसूत्रसे बहु, गण इत्यादि शब्दोंको जो 'सख्या' सज्ञा कही है वह यदि न कही गयी तो भी इष्ट कार्य सिद्ध होगा।

तो फिर सख्या प्रदेशोंमें 'सख्या' शब्दसे बहु, गण इत्यादि शब्दोंका बोध कैसे होगा ?

ज्ञापकसे होगा ।

यह ज्ञापक कौनसा ?

ये (आचार्य पाणिनि) कहते हैं कि सख्यासज्ञक शब्दके आगे कहा हुआ 'कन्' प्रत्यय 'वतु'-प्रत्ययान्त के आगे किया जानेपर वहाँ (उस 'कन्' प्रत्ययको) 'वतोरिड् वा' (५।१।२३) सूत्रसे इट् आगम किया जाय । (उससे वे यह ज्ञापित करते हे कि 'वतु'-प्रत्ययान्त शब्दोंको 'सख्या'—सज्ञा होती" है ।)

यह ज्ञापक 'वतु'-प्रत्ययान्त शब्दोंके विषयमें ही लागू होगा । (पर बहु, गण इत्यादि अन्य शब्दोंके बारेमें यह ज्ञापक कसे लागू होगा ?)

सो बात नहीं । (बहु, गण इत्यादि अन्य शब्दोंको भी 'सख्या' सज्ञा होती है ऐसा अन्य सूत्रोंसे ज्ञापित होता ही है ।) उन अन्य' सूत्रोंको ध्यानमें रखके ('वतोरिड् वा') यह एक ज्ञापक केवल मार्ग बतानेके के लिए आगे रखा है ऐसा समझा जाय ।

१३ यदि 'वतु'-प्रत्ययान्त शब्दोंको 'सख्या'—सज्ञा न हो तो 'तावतिक' उदाहरणमें 'सख्याया०' (५।१।२२) सूत्रसे 'वतु'-प्रत्ययान्त 'तावन्' शब्दके आगे 'कन्' प्रत्यय न होगा और इससे 'वतोरिड् वा' सूत्र व्यर्थ होगा ।

१४ 'पट्कतिकतिपयचतुरा धुक्' (५।२।५१), 'बहुपूगणसघस्य त्रिधुक्' (५।२।५२) ये अन्य सूत्र हैं । यदि 'डति'-प्रत्ययान्त शब्दोंको सख्यासज्ञा न हो तो 'कति' इस डति प्रत्ययान्त शब्दके आगे 'तस्य पूरणे ड्' (५।२।४८) सूत्रसे ड् प्रत्यय न होगा । तब वह ड् प्रत्यय आगे होनेपर 'पट्कति०' से कहा हुआ 'धुक्' आगम व्यर्थ होगा । तथा 'बहु', 'गण' को यदि 'सख्या' सज्ञा न हो तो उनके आगे ड् प्रत्यय होगा । तब वह 'ड्' प्रत्यय आगे होनेपर 'बहुपूगण०' सूत्रसे कहा हुआ त्रिधुक् आगम व्यर्थ होगा । अतः वे व्यर्थ न हों इसलिए 'बहु', 'गण' और 'डति'—प्रत्ययान्त शब्दोंको 'सख्या' सज्ञा होती है ऐसा समझना पड़ेगा । यही ज्ञापक है ।

प्लान्ता पट् ॥ १ । १ । २४ ॥

पट्संज्ञायामुपदेशवचनम् ॥ १ ॥

पट्संज्ञायामुपदेशग्रहणं कर्तव्यम् । उपदेशो पकारानकारान्ता सख्या
पट्संज्ञा भवतीति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् ।

शताद्यष्टनोर्नुम्बुद्धयम् ॥ २ ॥

शतानि सहस्राणि । नुमि कृते प्लान्ता पठिति पट्संज्ञा प्राप्नोति ।
उपदेशग्रहणात् न भवति ॥ अष्टानामित्यत्रात्वे कृते पट्संज्ञा न प्राप्नोति । उपदेश-
ग्रहणाद्भवति ॥

उक्तं वा ॥ ३ ॥

(सू. २४) पकारान्त वा नकारान्त (अर्थात् पकार वा नकार
जिनके अन्तमें है उन सरया शब्दोंको) पट् (संज्ञा होती है) ।

(वा. १) 'पट्' संज्ञा में 'उपदेश' शब्द रखा जाय ।

पट्संज्ञा (कहनेवाले इस प्रकृतसूत्र -) में 'उपदेश' शब्द रचना चाहिये ।
(अर्थात् उपदेशो पद कहा जाय) । उपदेशमें (अर्थात् आघोच्चारणम्) जो पकारान्त
वा नकारान्त सख्या—(शब्द) है उनको पट्संज्ञा होती है ऐसा समझा जाय ।

उसका क्या प्रयोजन है ?

(वा. २) शत आदि शब्दों तथा अष्टन् शब्दों 'नुम्' तथा 'नुद्'
आगम होनेके बाद ('पट्' संज्ञाके लिये सूत्रमें 'उपदेश' शब्दकी आवश्यकता
है) ।

(उपयोग यों है कि) 'शतानि,' सहस्राणि' (उदाहरणों—) में 'नुम्' (आगम)
करनेके बाद "प्लान्ता पट्" इस प्रकृतसूत्रसे पट्संज्ञा प्राप्त होती है, वह 'उपदेशो' पद
कहनेसे नहीं होती । तथा 'अष्टनाम्' (उदाहरण) में (नकारको) 'अन्व'
(७।२। ८४) करनेके बाद पट्संज्ञा नहीं प्राप्त होती है, वह 'उपदेशो' पद करनेसे
होती है ।

(वा. ३) अथवा (वार्तिककारोंने) यह कहा ही है ।

यह क्या कहा है ?

१ क्योंकि 'शत' शब्द 'उपदेश' अर्थात् मूलमें अकारान्त है, नकारान्त नहीं ।
यदि यहाँ 'नुम्' आगम होनेके बाद 'शतन्' को पट्संज्ञा हुई तो उसके अगले प्रसवका
'पट्संज्ञो लुप्' (७।१।२२) में लुप् होने लीगा ।

२ क्योंकि अब यद्यपि 'अष्टा' शब्द आकारान्त है, तो भी वह मूलमें नकारान्त
'अष्टन्' ही है । अतः 'अष्टा' को पट्संज्ञा की जाती है और वह पट् गण होनेके कारण
अगले 'आम्' प्रसवको 'पट्संज्ञो लुप्' (७।१।२२) मूलमें लुप् आगम होता है ।

किमुक्तम् । इह तावच्छतानि सहस्राणीति सनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति । अष्टनोऽप्युक्तम् । किमुक्तम् । अष्टनो दीर्घग्रहणं पट्संज्ञाज्ञापकमाकारान्तस्य नुद्धर्मिति ॥

अथवाकारो ऽप्यत्र निर्दिश्यते । पकारान्ता नकारान्ताकारान्ता च संख्या पट्संज्ञा भवतीति । इहापि तर्हि प्राप्नोति । सधमादो युञ्ज एकास्ता एका इति । नैष दोषः एकशब्दो ऽयं बहवर्थः अस्त्येव संख्यापदम् । तद्यथा । एको द्वौ बहव इति । अस्त्यसहायवाची । तद्यथा । एकाग्रयः एकहलानि एकाकिभिः क्षुद्रकैर्जितमिति । असहायैरित्यर्थः । अस्त्यन्यार्थे वर्तते । तद्यथा । प्रजामेका

‘शतानि,’ ‘सहस्राणि’ उदाहरणोंमें “सनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य” (प. शं. ८५) परिभाषासे दोष नहीं आता ऐसा कहा है। ‘अष्टन्’ शब्दके संबंधमें भी कहा ही है।

क्या कहा है ?

‘अष्टनो दीर्घग्रहणं पट्संज्ञाज्ञापकमाकारान्तस्य नुद्धर्मम्’ ऐसा (“अष्टनो दीर्घात्”—६।१।१७२—सूत्रके बारेमें वार्तिककारोंने कहा ही है)। (“अष्टनो दीर्घात्” सूत्रमें ‘दीर्घात्’ ऐसा जा कहा है उससे आकारान्तको पट्संज्ञा होती है यह ज्ञापित होता है। अतः ‘अष्टानाम्’ में ‘नुद्’ आगम—७।१।५५—होनेमें कोई भी बाधा नहीं।)

अथवा, (इस प्रकृतसूत्रमें पकार और नकारके आगे) आकारका भी (सूत्रकारोंने) उच्चारण किया है (ऐसा समझा जाय)। अर्थात् पकारान्त, नकारान्त और आकारान्त ये जो संख्या शब्द हैं उनको पट्संज्ञा होती है। (अतः ‘अष्टानाम्’ में ‘आत्’ हानिके बाद ‘अष्टा’ इस आकारान्तको पट्संज्ञा होती है।)

तो फिर “सधमादो युञ्ज एकास्ताः”—(वाक्यके ‘एकाः’ शब्दमें) ‘एका’ (इस आकारान्त) को (पट्संज्ञा होने लगेगी)।

यह दोष नहीं आता है। क्योंकि ‘एक’ शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। संख्याबोधक ‘एक’ शब्द है ही; उदा० एकः, द्वौ, बहवः। ‘असहाय’ भी ‘एक’ शब्दका अर्थ है; जैसे, एकाग्रयः, एकहलानि, एकाकिभिः क्षुद्रकैर्जितम्। यहाँ ‘असहाय’ ऐसा अर्थ है। ‘अन्य’ भी ‘एक’ शब्दका अर्थ है, उदा० ‘प्रजामेका

३ परिभाषाका अर्थ पहले दिया है। (सू. १।१।२०, टि. १६)

४. ‘शतानि’ में सर्वनामसंज्ञक प्रत्ययको मानकर प्राप्त हुआ ‘नुम्’ आगम पट्संज्ञाकी सहायता नहीं करता है। क्योंकि पट्संज्ञा ‘पट्भ्यो लृक्’ शास्त्रके द्वारा उस सर्वनामसंज्ञक प्रत्ययरा नाश करनेवाली है। ‘नुम्’ आगम सहायता नहीं करता अर्थात् वह अपना स्वरूप नहीं दिखाता। अतः संख्या नकारान्त न होनेके कारण पट्संज्ञा नहीं होती।

रक्षत्यूर्जमेकेति । अन्येत्यर्थः । सधुमादो' युम्न एकास्ताः । अन्या इत्यर्थः । तयो
 ऽन्यार्थे वर्तते तस्यैष प्रयोगः ॥ इह तर्हि प्राप्नोति । द्वाभ्यामिष्टये विशत्या चेति ॥
 एवं तर्हि सममे योगविभागः करिष्यते । अष्टाभ्य औश । ततः पट्भ्यः । पट्भ्यश्च
 यदुक्तमष्टाभ्योऽपि तद्भवति । ततो लुक् । लुक् च भवति पट्भ्य इति ॥
 अथवोपरिष्ठायोगविभागः करिष्यते । अष्टन आ विभक्तौ । ततो रायः । रायश्च
 विभक्तावाकारादेशो भवति । हलीत्युभयोः शेषः ॥ यथेवं प्रियाष्टौ प्रियाष्टा इति
 न सिध्यति प्रियाष्टानौ प्रियाष्टान इति च प्राप्नोति । यथालक्षणमप्रयुक्ते ॥

रक्षत्यूर्जमेका । 'एका' अर्थात् 'अन्या' यहाँ अर्थ है । "सधमादो युम्न एकास्ताः"
 उदाहरणमें 'अन्या' अर्थात् 'भिन्ना' यह अर्थ है । अतः 'अन्या' अर्थमें जो
 'एका' शब्द है उसका यहाँ प्रयोग है । (इस 'एक' शब्दसे 'सख्या' नहीं
 दिखायी जाती इसलिए यहाँ पट्संज्ञा नहीं होती है ।)

तो भी 'द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च' में ('द्वा' को पट्संज्ञा होगी यह दोष)
 प्राप्त होता है ।

तो फिर सातवें अध्यायमें एक सूत्रका विभाग करेंगे । (वह यों कि)
 "अष्टाभ्य औश" (७।१।२१) सूत्रके आगे "पट्भ्यः" (इतनाही एक विभक्त
 सूत्र समझा जाय) । (उसका अर्थ यह है—) पट्संज्ञकके आगे (प्रत्ययको)
 जो 'कार्य' कहा है वह 'अष्टा' के अगले प्रत्ययको भी किया जाय । तत्पश्चात्
 (दूसरा सूत्र है)—"लुक्" । (उसका अर्थ यह है—) पट्संज्ञक शब्द के आगे
 (आये हुए जस् और शस् प्रत्ययोंका) लुक् होता है ।

अथवा उसके भी आगे एक सूत्रका विभाग किया जायगा । (वह यों कि—)
 "अष्टन आ विभक्तौ" (७।२।८४) सूत्रके आगे "रायः" (इतनाही एक विभक्त
 सूत्र समझा जाय) । (उसका अर्थ यह है—) विभक्ति आगे होनेपर 'रै' शब्दको
 'आ' आदेश होता है । (तत्पश्चात् दूसरा सूत्र है—) "हलि" । (यह सूत्र)
 पिछले दो सूत्रोंका शेष है । (अर्थात् 'अष्टन आ विभक्तौ' और 'रायः' इन दो
 सूत्रोंसे विभक्ति आगे होनेपर जो 'आ' आदेश कहा है वह विभक्ति हलादि हो तोही
 किया जाय ।

तो फिर 'प्रियाष्टौ,' 'प्रियाष्टाः' उदाहरण सिद्ध न होंगे । (क्योंकि इन
 उदाहरणोंमें हलादि विभक्ति न होनेसे आत्व न होगा ।) 'प्रियाष्टानौ,' 'प्रियाष्टानः'
 रूप वहाँ होंगे ।

५. 'पट्चतुर्भ्यश्च' (७।१।५५) से कहा हुआ 'नुद्' आगम ।

६. तत्र 'अष्टानाम्' में 'नुद्' आगम करनेके पूर्व 'आत्व' किया ही नहीं जा
 सकता है ।

इति च ॥ १ । १ । २५ ॥

इद एतिग्रहण द्विः कियते सख्यासज्ञाया ष्ट्सज्ञाया च । एक शक्यमकर्तुम् । कथम् । यदि तावत्सख्यासज्ञाया कियते ष्ट्सज्ञाया न करिष्यते । कथम् । ष्णान्ता षडित्यत्र इतीत्यनुवर्तिष्यते । अथ ष्ट्सज्ञाया कियते सख्यासज्ञाया न करिष्यते इति चेत्यत्र सख्यासज्ञाप्यनुवर्तिष्यते ॥

क्तवत् निष्ठा ॥ १ । १ । २६ ॥

निष्ठासंज्ञाया समानशब्दप्रतिषेधः ॥ १ ॥

(होगे तो होने दें।) जिन रूपोंका कहीं भी प्रयोग नहीं पाया जाता है वे रूप शास्त्रसे जैसे सिद्ध होंगे वैसे ही होते हैं (ऐसा समझना चाहिये)।

(सू २५) ओर 'इति'-प्रत्ययान्त (शब्दोंको षट्संज्ञा होती है)।

इस 'इति'-शब्दका दो बार उच्चारण किया गया है। (एक 'बहुगणवत्तुइति सरया' इस) सरयासज्ञा (कहनेवाले सूत्र) में और (दूसरा) षट्सज्ञा (कहनेवाले 'इति च' इस प्रकृतसूत्र) में। (उन दोनोंमेंसे) एक (स्थानका 'इति' शब्द) निकला जा सकता है।

कसे ?

(यह 'इति' शब्द) यदि सख्यासज्ञा (कहनेवाले सूत्र) में रखा गया तो षट्सज्ञा (कहनेवाले इस प्रकृतसूत्र) में न रखा जाय।

यह कैसे समझ होगा ? (अर्थात् वह न रखा गया तो 'इति'-प्रत्ययान्त शब्दोंको षट्सज्ञा कैसे होगी ?)

षट्सज्ञा कहनेवाले "ष्णान्ता षट्" सूत्रमें (उसके पिछले सूत्रसे) 'इति' शब्दकी अनुवृत्ति की जाय। अब षट्सज्ञा (कहनेवाले इस प्रकृतसूत्र) में ('इति' शब्द) रखा गया तो सख्या शब्द (कहनेवाले 'बहुगण०' सूत्र) में न रखा जाय। (क्योंकि षट्सज्ञा कहनेवाले) "इति च" सूत्रमें सरयासज्ञाकी अनुवृत्ति की जाय (और इससे इष्ट कार्य सिद्ध होगा)।

(सू २६) 'क्त' ओर 'क्तवत्' (इन दो प्रत्ययोंको) 'निष्ठा' संज्ञा होती है।

(घा १) इस 'निष्ठा' संज्ञाके संबंधमें समान शब्दोंका प्रतिषेध (करना चाहिये)।

७ यहाँ मूल भाष्यमें 'यथा लक्षणमप्रयुक्ते' यह जो वाक्य है उसका और भी एक अर्थ हो सकता है। वह यह है कि—'जिन रूपोंका प्रयोग कहीं नहीं पाया जाता उन रूपोंकी विधिसे लिए शास्त्र प्रयत्न होता ही नहीं।'

निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । लोटः गर्त इति ॥

निष्ठासंज्ञायां समानशब्दाप्रतिषेधः ॥ २ ॥

निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानामप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेधो ऽप्रतिषेधः । निष्ठासंज्ञा कस्मान्न भवति । अनुबन्धो ऽन्यत्वकरः । अनुबन्धः क्रियते सो ऽन्यत्वं करिष्यति ॥

अनुबन्धो ऽन्यत्वकर इति चेन्न लोपात् ॥ ३ ॥

अनुबन्धो ऽन्यत्वकर इति चेत्तन्न । किं कारणम् । लोपात् । लुप्यते-

('त' और 'तवत्' को) जो 'निष्ठा'-संज्ञा की जाती है वह अन्य स्थानोंमें उनके समान जो अन्य शब्द दीख पड़ते हैं उनको नहीं होती है ऐसा कहा जाय; जैसे, 'लोटः', 'गर्तः' ।

(वा. २) निष्ठासंज्ञामें समान शब्दोंका अप्रतिषेध है ।

समान शब्दोंको 'निष्ठा'-संज्ञाको अप्रतिषेध है । अनर्थक जो प्रतिषेध है वह अप्रतिषेध । (अर्थात् उनको 'निष्ठा'संज्ञाका निषेध न कहा जाय ।)

फिर ('लोटः', 'गर्तः' उदाहरणोंमें) 'निष्ठा'-संज्ञा क्यों नहीं होती ?

अनुबन्ध अन्यत्व बताता है । ('क्त' और 'क्तवत्' यह इत्संज्ञक ककाररूप जो) अनुबन्ध लगाया है वह दोनोंमें अन्यत्व बतायेगा ।

(वा. ३) 'अनुबन्ध अन्यत्व बताता है' ऐसा कहा गया तो वह (संभव) नहीं, क्योंकि उसका लोप होता है ।

'इत्संज्ञक ककार जो लगाया गया है वह अन्यत्व बतायेगा' यह विधान ठीक नहीं ।

क्यों ?

लोप हुआ है इसलिए ।

('लून', 'गीर्ण' रूपोंमें) इत्संज्ञक ककारका लोप हुआ है । और (उस

१. 'लू' और 'गृ' धातुओंको 'इसिमृषिण०' (उणादि सू० ३६६) से 'तन्' प्रत्यय लगाया है । धातुको गुण (७।३।८४) होके 'लोट', 'गर्त' शब्द बनते हैं । 'तन्' प्रत्ययके नकारको इत्संज्ञा और लोप होके 'त' जितनाही भाग शेष रहता है । इन्हीं 'लू' और 'गृ' धातुओंको 'निष्ठा' (२।२।१०२) से 'क्त' प्रत्यय किया जानेसे उनको प्रकृत सूत्रसे निष्ठा-संज्ञा होके प्रत्ययके तकारको नत्व (८।२।४२, ४४) होनेसे 'लून', 'गीर्ण' शब्द बनते हैं । 'क्त' प्रत्ययके ककारको भी इत्संज्ञा (१।३।६) और लोप होके 'त' जितनाही भाग शेष रहता है । तब दोनोंमें 'त' भाग समानही दिखायी देनेसे 'लून', 'गीर्ण' में निष्ठा-संज्ञा होती है और 'लोट', 'गर्त' में नहीं होती इसका क्या कारण है यह यहीं अभिप्राय है । यदि 'लोट', 'गर्त' में निष्ठा-संज्ञा हुई तो प्रत्ययके तकारको नत्व होगा वह लोप आता है ।

ऽत्रानुबन्धः । लुप्ते ऽत्रानुबन्धे नान्यत्व भविष्यति । तद्यथा । कतरद्देवदत्तस्य गृहम् । अदो यत्रासौ काक इति । उत्पतिते काके नष्ट तद् गृह भवति । एवमिहापि लुप्ते ऽनुबन्धे नष्टः प्रत्ययो भवति ॥ यद्यपि लुप्यते जानाति त्वसौ सानुबन्धकस्येयं सज्ञा कृतेति । तद्यथा । इतरत्रापि कतरद्देवदत्तस्य गृहम् । अदो यत्रासौ काक इति । उत्पतिते काके यद्यपि नष्ट तद् गृह भवत्यन्ततस्तमुद्देश जानाति ॥

सिद्धविपर्यासश्च ॥ ४ ॥

सिद्धश्च विपर्यासः । यद्यपि जानाति सदेहस्तस्य भवत्ययं स तशब्दो लोतः गर्त इत्ययं स तशब्दो लूनः गीर्ण इति । तद्यथा । इतरत्रापि कतरद्देवदत्तस्य गृहम् । अदो यत्रासौ काक इति । उत्पतिते काके यद्यपि तमुद्देशं जानाति

लोप होके वह ककाररूप) अनुबन्ध अदृश्य होनेपर (लून, गीर्ण इन रूपोंमें वह ककार जाकर शेष रहा हुआ 'त' शब्द लोत, गर्त इनके 'त' शब्दसे) भिन्न है ऐसा नहीं समझा जायगा । (अर्थात् उसमें भिन्नत्व नहीं दिखायी देता है ।) जैसे, (लोगोंमें) 'देवदत्तका घर कौनसा ?' (इस प्रश्नका उत्तर यह दिया जाता है कि) 'जिस पर कौआ बैठा है वह घर' । परन्तु वह कौआ वहाँसे उठ जानेपर 'कौआ बैठा है' इस स्वरूपका घर नष्ट होता है । वैसे ही यहाँ इत्सज्ञक ककारका लोप होनेपर ('वत्' स्वरूपका) प्रत्यय नष्ट ही होता है ।

पर, यद्यपि (ककारका) लोप हुआ तो भी इत्सज्ञक (ककार) जिस ('त' प्रत्यय) का है उसको यह (निष्ठा—) सज्ञा की है ऐसा ज्ञात हुआ ही है । जैसे, (लोगोंमें भी) 'देवदत्तका घर कौनसा ?' (इस प्रश्नका उत्तर यह दिया जाता है कि) 'वह घर जिस पर कौआ बैठा है ।' फिर वह कौआ वहाँसे उठ जानेपर 'कौआ बैठा है' इस स्वरूपका घर यद्यपि नष्ट हुआ तो भी आखिर (मनमें) उस ऊर्ध्वदेश (वाले घर) का ज्ञान होता है ।

(वा ४) और सन्देह निर्माण होगा ।

और (उस अवस्थामें उसके मनमें) सन्देह निर्माण होगा । (इत्सज्ञक ककार जिसको लमाया था उसको 'निष्ठा'—सज्ञा की है ऐसा) यद्यपि वह जानता है तो भी सन्देह निर्माण होता ही है । वह यों किः—(१) 'लोत', 'गर्त', (रूपों—) का 'त' शब्द (इत्सज्ञक ककारयुक्त मूलभूत) 'वत्' शब्द है अथवा (२) 'लूनः', 'गीर्णः' (रूपों—) का 'त' शब्द (इत्सज्ञक ककारयुक्त मूलभूत) 'वत्' शब्द है ऐसा समझा जाय ? जैसे, (लोगोंमें भी) 'देवदत्तका घर कौनसा ?' (इस प्रश्नका उत्तर यह दिया जाता है कि) 'वह घर कि जिस पर कौआ बैठा है ।' अब फिर कौआ उठ जानेपर यद्यपि उसको (देवदत्तके) ऊर्ध्वदेश (वाले घर) का ज्ञान होता

संदेहस्तु तस्य भवतीदं तद् गृहमिदं तद् गृहमिति ॥ एवं तर्हि

कारककालविशेषात्सिद्धम् ॥ ५ ॥

कारककालविशेषावुपादेयौ । भूने यस्तशब्दः कर्तरि कर्मणि भावे चेति । तद्यथा । इतरत्रापि य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति सो ऽभ्रुवेण निमित्तेन ध्रुवं निमित्तमुपादत्ते वेदिकां पुण्डरीकं वा ॥ एवमपि प्राक्रीर्णेत्यत्र प्राप्नोति ।

लुङि सिजादिदर्शनात् ॥ ६ ॥

लुङि सिजादिदर्शनात् भविष्यति । यत्र तर्हि सिजादयो न दृश्यन्ते

हे तो भी 'यही वह घर है' अथवा उसके पासका दूसरा 'यही वह घर' इस प्रकारका सन्देह उसके मनमें निर्माण होता है ।

तो फिर—

(वा. ५) विशिष्ट कारक और विशिष्ट काल (ध्यानमें आने-) से इष्ट-सिद्धि होती है ।

(मूल इत्संज्ञक ककार, 'लूनः,' 'गीर्णः' रूपोंमेंके 'त-' शब्दको लगाया था यह जाननेके लिए) एक विशेष प्रकारके कारकका और विशेष प्रकारके कालका चिह्न मनमें रखा जाय । (वह यों कि—) यह 'त-' शब्द भूतकालका निदर्शक है । (इसीको पहले इत्संज्ञक ककार लगाया था ।) तथा यह 'त' शब्द 'कर्ता' अथवा 'कर्म' वा 'भाव'—(क्रिया—) का निदर्शक है । (इसीको पहले इत्संज्ञक ककार लगाया था इसका सूचक कुछ चिह्न मान लेनेसे इष्ट कार्य सिद्ध होगा ।) जैसे, (लोगोंमें भी) जो प्रेक्षापूर्वक काम करनेवाला (अर्थात् चतुर) मनुष्य है वह ('कौआ' चिह्न कायम रहनेवाला नहीं यह समझकर उसी समय) उस क्षणिक चिह्नसे उस घरका कोई कायम चिह्न उदा. द्योदी, पुण्डरीक (चित्र) इत्यादि मनमें रखता है; (और कौआ उड़ जानेपर भी उस चिह्नसे 'यह देवदत्तका घर है' ऐसा निश्चित कर लेता है। वैसे ही यह है ।)

तो भी 'प्राक्रीर्ण' क्रियापदमें ('त' प्रत्ययको भी) 'निष्ठा' संज्ञा प्राप्त होती है ।

(वा. ६) लुङ् प्रत्ययके क्रियापदमें 'सिच्' आदि दीर्घ पढ़नेसे ('निष्ठा' संज्ञा न होगी)।

('प्राक्रीर्ण') इस लुङ् प्रत्ययके क्रियापदमें 'सिच्' आदि अन्य कोई दीर्घ

२. 'प्रकृतः कटे सः' में कर्तरि (३।४।७१) 'वत्' प्रत्यय क्रिया है अर्थात् वह 'कर्ता' अर्थ दिखानेवाला है । 'दक्षिन्', 'शयिनं' इत्यादि रूपोंमें 'त' शब्द 'हँसना', 'शयन करना' इत्यादि केवल क्रियाएँ दिखाता है ।

३. 'प्रकृतः कटे स' और 'प्राक्रीर्ण कटे सः' दोनों वाक्योंमें 'प्रकृतः' और 'प्राक्रीर्ण' दोनों रूपोंका 'त' प्रत्यय 'भूतकाल' तथा 'कर्ता' अर्थका निदर्शक है ।

प्राभितेति । दृश्यन्ते ऽ त्रापि सिजादयः । किं वक्तव्यमेतत् । न हि । कथमनु-
च्यमानं गंस्यते । यथेवायमनुपादिटान्कारककालविशेषानवगच्छत्येवमेतदप्यवगन्तु-
मर्हति यत्र सिजादयो नेति ॥

इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे
पादे पञ्चममाह्निकम् ॥

पढ़ते हैं, उससे वहाँ ('निष्ठा' संज्ञा) न होगी" ।

तो फिर (लुङ् प्रत्ययके जिस क्रियापदमें) 'सिच्' आदि अन्य कोई दीख
नहीं पढ़ते इस स्वरूपके 'प्राभिते'—(आदि उदाहरणोंमें 'त' को 'निष्ठा'—संज्ञा होगी
यह दोष आता ही है) ।

पर यहाँ भी (उदाहरण सिद्ध करनेमें) 'सिच्' आदि दिखायी देते ही हैं ।

तो फिर क्या यहाँ ('सिच्' आदि थे) यह कहना चाहिये ?

(वह कहनेकी आवश्यकता) नहीं ।

फिर कहे बिना कैसे समझा जाय ?

जैसे कहे बिना कर्ता, कर्म और भूतकाल इत्यादि अर्थ समझे जाते हैं वैसे ही

'सिच्' आदि कोई नहीं (यह समझमें आयेगा) ।

इस प्रकार श्रीभगवान् पतञ्जलिके रचे हुए व्याकरणमहाभाष्यके पहले
अध्यायके पहले पादका पाँचवाँ आह्निक समाप्त हुआ ।

४. अब कोई चतुर मनुष्य देवदत्तके परके कायम रहनेवाले चिह्न उदा० ढपोड़ी,
पुण्डरीक (चिह्न) इत्यादि ध्यानमें रखता है तब 'उसको अटारी नहीं' यह चिह्न वह ध्यानमें
रखना ही है सो बात नहीं । परन्तु उसी स्वरूपका ढपोड़ी, पुण्डरीक इत्यादि चिह्नयुक्त दूसरा
कोई अटारीवाला पर दिगायी दे तो 'यह देवदत्तका पर नहीं' ऐसा वह निश्चयसे कहता है ।
यही यहाँ समझा जाय ।

५. 'प्राभित' क्रियापदमें 'सिच्' प्रत्यय हुआ है । पर 'सत्ये सति' (८।१।२६)
में उसका लोप हुआ है, उसमें वह नहीं दीखता ।

६. क्योंकि 'प्राभित' इस गिह्न रूपमें 'सिच्' नहीं दीखता ।

७. दोषमें सिच् आदि प्रत्यय लगाये गये वा नहीं यह बात वैयकरण अनायास समझ
सकता है ।

सर्वनामाव्ययादिसंज्ञानामकं पप्रमाह्निकम् ।

सर्वनामाव्ययादिसंज्ञाह्निक (अ १ पा. १ आह्निक ६)

[सर्वनामसंज्ञाका विवेचन—इस आह्निकमें सर्वनाम, अव्यय, सर्वनामस्थान और विभाषा इन सहाओंका विचार किया है । 'सर्वादिनि०' (सू २७) सूत्रका 'सर्वादि'—शब्द तद्गुणसविज्ञानबहुव्रीहि समाससे सिद्ध होनेसे सर्वनामसज्ञा सर्वादि गणके 'सर्व' शब्दको और तदनन्तर उच्चारित अन्य सभी शब्दोंको देनी है ऐसा भाष्यकारने कहा है । सर्वनाम 'निपातन'—शब्द होनेसे उसके 'न'—कारको 'ण'—कार न होते हुए 'सर्वनाम' यही शुद्ध शब्द समझना है । सूत्रकार जब कोई निपातन कहते हैं तब निपातनमें प्राप्त हुई अन्य विधियोंका प्रतिषेध होनेके कारण वे विधियों की ही नहीं जा सकतीं और उन विधियोंको करके सिद्ध हुआ शब्द अशुद्ध ही होता है । वार्तिककारोंने कहा है कि यह वचन किया जाय— 'सर्व आदि सर्वनाम शब्द कुछ पदार्थोंकी वा व्यक्तियोंकी सज्ञा हों तो अथवा अन्य शब्दोंके विशेषणके रूपमें प्रयुक्त किये जाएँ तो सर्वनामोंके प्रति कहे हुए कार्य उनको नहीं होते हैं' । पर भाष्यकारने कहा है कि इस प्रकारका वचन करनेकी आवश्यकता नहीं है, और 'पूर्वपाठ०' (१।१।२४) सूत्रके 'असज्ञायाम्' पदके कारण सर्व, विश्व इत्यादि शब्द सहावाचक हुए तो उसको सर्वनामसज्ञा नहीं होती है, तथा 'अनुपसर्जनात्' (४।१।२४) सूत्रका सवध मस्तुत सूत्रसे किया जायगा उससे भी सज्ञारूप और समाममें होते हुए भी विशेषण बने सर्व, विश्व इत्यादि शब्दोंको सर्वनामसज्ञाका प्रतिषेध होगा ही ये कारण दिये हैं । उन्होने यह भी कहा है कि, 'सर्वनाम' सज्ञाका योगार्थ 'सर्वोंका नाम' किया गया तो सज्ञा और उपसर्जनको सर्वनाम कहा ही नहीं जा सकता है, और 'सर्वनाम' इस बड़ी सज्ञाको अन्वर्पक समझा जानेसे भी सज्ञा शब्दोंको 'सर्वनाम' सज्ञा लागू होनेकी अतिव्याप्ति टल जायगी । उसके बाद भाष्यकारने 'विभाषा द्विक्रमाम्' (सू २८) सूत्रके 'समासे' और 'बहुव्रीहि' पदोंके प्रयोजनके बारेमें विवेचन किया है और बताया है कि 'दक्षिणदक्षिणस्ये' जैसा द्विवचनरूप लाक्षणिक बहुव्रीहि यहाँ नहीं होता है, तथा समासमें आये हुए बहुव्रीहिके 'अन्तर' आदि शब्दोंको सर्वनामकार्य नहीं होते । तदनन्तर 'न बहुव्रीहि' (सू २९) सूत्रके विवेचनका प्रारंभ करके भाष्यकारने निर्णय दिया है कि, वास्तवमें देखा जाय तो इस सूत्रकी आवश्यकता नहीं है । प्रथमतः बहुव्रीहि समासमें सर्वनाम और सस्याको पूर्वनिगत होता है इस प्रकारका विधान वार्तिककारोंने किया है इत्यन्ति सर्वनाम शब्दका समासके अन्तमें आना सम्भवनाय ही नहीं और यद्यपि कुछ स्थानोंमें सभर द्विस्तापी दिया तो भी समासोंका सर्वनाम

शब्द उपसर्जन होनेसे उसको सर्वनामकार्य न होंगे। अब, समास किया जानेपर होनेवाली बहुव्रीहि सज्ञाकी अपेक्षा सवनामसज्ञा अन्तरग होनेके कारण, तथा प्रक्रियावाक्य समासके समान ही वाक्य समझे जानेके कारण बहुव्रीहि समासके सर्वनाम शब्दोंको जो सर्वनामकार्य होने लगेंगे वे न होनेके लिए 'न बहुव्रीहौ' निषेध आवश्यक है ऐसा होते हुए भी सर्वनाम, स्वर और अरुच् प्रत्यय बहुव्रीहि समासके सर्वनामोंको करना इष्ट है यह गोनर्दीयका मत है और स्वर तथा अरुच् होनेको 'न बहुव्रीहौ' सूत्र प्रतिबध करता है। तात्पर्य यह है कि, 'न बहुव्रीहौ' सूत्रकी आवश्यकता नहीं है। 'तृतीयासमासे' (सू. ३०) सूत्रसे लेकर 'अन्तर बहिर्योगोपसन्धानयो' (सू. ३६) सूत्रतक कुछ अन्य शब्द दिये हैं जिनके विवक्षित अर्थमें और विवक्षित सवधमें सर्वनामसज्ञा होती है। समासके प्रक्रियावाक्यमें यह सर्वनामसज्ञा होती है इस स्वरूपका निष्कर्ष 'असमास निष्कादिभ्य' (५।१।२०) सूत्रके 'असमासे' पदसे निकलता है। यहाँ पाणिनिने सूत्रपाठ पहले रचा वा गणपाठ पहले बनाया इसके बारेमें प्रासंगिक विवेचन करके गणपाठ पहले रचा हो, तथा सर्वादिगणमें यद्, तद्, इत्यादि आठ सर्वनामोंके पहले पूर्व, पर इत्यादि शब्द रखे गये हों यह भी वार्तिककारोंके वचनोंसे दीख पड़ता है ऐसा भाष्यकारने कहा है।

अव्ययसज्ञाका विवेचन—'स्वरादिनिपातव्ययम्' (सू. ३७) सूत्रसे लेकर 'अव्ययीभावश्च' (सू. ४१) सूत्रतक वे शब्द दिये हैं जिनको अव्ययसज्ञा होती है। यहाँ निपात ओर अव्यय ये दो भिन्न भिन्न सज्ञाएँ कहनेका कारण क्या है तथा इन दोनोंमें भेद क्या है इस निषयका विचार किया गया है। इसके बाद लिंग और सज्ञासे युक्त घट आदि अर्थको द्रव्य कहते हैं, तथा, च, वा इत्यादि शब्दोंसे समझे जानेवाले लोगोंमें लिंगसख्याराहित सवध, विकल्प, समुच्चय इत्यादि अर्थोंको भी द्रव्य कहते हैं, अतः द्रव्यवाचक शब्दसे यद्यपि लिंगसख्यासहित अथवा लिंगसख्याराहित दोनों प्रकारके अर्थोंका बोध हुआ तो भी अयय शब्दोंसे केवल स्वभावतः ही लिंगसख्याराहित पदार्थोंका बोध होता है और उससे उनको लिंगवाचक तथा सख्यावाचक प्रत्यय नहीं लगते हैं ऐसा 'अलिङ्गमस्यमिति वा' वार्तिकमें वार्तिककारोंने कहा है। साथ ही साथ किसी विशिष्ट विभक्तिका अर्थ 'अयय' शब्दमें न होनेके कारण अययोंको विभक्ति-प्रत्यय भी न लगना सम्भवनीय है ऐसा भाष्यकारने कहा है, और यही बात 'अव्ययादान्मुप' (२।४।८२) सूत्रसे दीख पड़ती है इस प्रकारका विधान करना सम्भव है। वस्तुतः 'अययादान्मुप' (२।४।८२) सूत्रसे लिंगवाचक, वचनवाचक और विभक्तिवाचक प्रत्ययोंका लुक् होता है ऐसा कहा जानके कारण अप्ययोंको लिंगवाचक और विभक्तिवाचक प्रत्यय लगते हैं इस

प्रकारका मत सूत्रकारका हो यह दिखायी देता है । 'स्वर', 'वा' जैसे अव्ययोंके स्वर्ग, विकल्प इत्यादि जो पर्याय शब्द हैं उनमें लिंगार्थ होनेसे, तथा 'तत्र', 'तत' जैसे अव्ययोंके 'तस्मिन्', 'तस्मान्' इत्यादि जो पर्यायशब्द हैं उनमें विभक्तिका अर्थ होनेसे अव्ययमें भी लिंगार्थ और विभक्त्यर्थ अन्तर्भूत रहते हैं यह सूत्रकारोंका 'अवयादाप्सुप' (२।१।८२) सूत्र करनेमें अभिप्राय हो । जिन अव्ययोंके अर्थमें लिंग समझमें नहीं आ सकता है उनके बारेमें 'सामान्ये नपुसकम्' से नपुसकालिङ्गी प्रत्ययका विधान और 'प्रातिपदिकार्थः' (२।३।४६) से प्रातिपदिक अर्थमें प्रथमा विभक्तिका तथा द्वित्व और बहुत्व कल्पनाओंके अभावमें प्रथमा विभक्तिके भी एकत्ववाचक 'सु'-प्रत्ययका विधान पाणिनिको अभिप्रेत हो । "सदृश निपु लिट्पुः" ऋत्तिके 'सदृशम्' और 'न व्येति' पदोंसे भी यही सूचित होता है कि "लिंगसे, विभक्तिसे अथवा वचनसे अव्ययोंके रूपमें कोई भी भेद नहीं होता है, अव्ययोंको लिंगवाचक, विभक्तिवाचक और वचनवाचक प्रत्यय लगानेमें कुछ भी बाधा नहीं, उनका लोप होता है यह अलग बात है ।" इसी प्रकरणमें 'कुम्भकारोम्य', 'नगरकारोम्य' इत्यादि रूपोंमें एकारान्त प्रकृतिको 'कृन्मेजन्त' (१।१।९) सूत्रसे अप्ययसज्ञा नहीं होती है इसका कारण "सन्निपातलक्षणो निधिरनिमित्त तद्विघातस्य" परिभाषा करना अत्यन्त आवश्यक है यह कहकर उसके उदाहरण वार्तिककारोंने दिये हैं, और यह परिभाषा लेनेसे कहीं कहीं जो दोष आते हैं उनका निराकरण करनेके लिए कुछ उपाययोजना की जाय ऐसा भी रहा है । तद्नुत्ता 'सर्वनामस्थान'-सज्ञाका लक्षण दिया और सदृशसे 'अनपुसकस्य' समास 'असूर्यस्य', 'अभाद्रभोनी', 'अपुनर्गोय' इत्यादिसे सदृश है और उसका अर्थ यों दिया है कि "नपुसकालिङ्गसे 'सु' अर्थात् सु, औ इत्यादि जो पहले पाच प्रत्यय है उनको सर्वनामस्थानसज्ञा नहीं होती है ।" यह सर्वनामस्थानसज्ञा भी अन्वर्थ हो । आदिच्छेदे अन्तमें पाणिनिपूर्वोंमें अनेक बार पाये जानेवाले 'विभाषा' शब्दके अर्थका निवेदन करते भाष्यकारने कहा है कि 'न वेति विभाषा' (१।१।४४) सूत्रके 'इति' शब्दसे 'न' और 'वा' पदोंका लोपोंमें जो निरपेक्षिकन्यस्य अर्थ है वही विभाषा शब्दका अर्थ समझा जाय, और शब्दानिष्पन्नसर्व तथा शब्दानिष्पन्नस्यमें विभाषा शब्दके अर्थका विधान करके 'अन्ये विभाषा', 'अने विभाषा' और 'उभयत्र विभाषा'के उदाहरण दिये हैं ।]

सर्वादीनि सर्वनामानि ॥ १ । १ । २७ ॥ ४३

सर्वादीनीति कोऽयं समासः । बहुव्रीहिरित्याह । कोऽस्य विग्रहः । सर्वशब्द आदिर्येषां तानीमानीति । यद्येवं सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न प्राप्नोति । किं कारणम् । अन्यपदार्थत्वाद् बहुव्रीहेः । बहुव्रीहिरयमन्यपदार्थे वर्तते । तेन यदन्यत्सर्वशब्दात्तस्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति । तद्यथा । चित्रगुरानीयतामित्युक्ते यस्य ता गावो भवन्ति स आनीयते न गावः । नैष दोषः । भवति बहुव्रीहौ तद्गुण-संविज्ञानमपि । तद्यथा । चित्रवाससमानय । लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति । तद्गुण आनीयते तद्गुणाश्च प्रचरन्तीति ॥

(सू. २७) (सर्वादिगणके जो) 'सर्व' आदि शब्द हैं (उनको) सर्वनामसंज्ञा होती है ।

'सर्वादीनि' यह समास कौनसा है ?

यह बहुव्रीहि समास है ऐसा (मैं) कहता हूँ ।

इसका विग्रह किस तरह करें ?

'सर्वशब्दः आदिः येषां तानि इमानि' (अर्थात् 'सर्व' शब्द जिनका आदि है ऐसे) । यदि ऐसा (विग्रह किया) तो 'सर्व' शब्दको सर्वनामसंज्ञा प्राप्त नहीं होती ।

क्या कारण है ?

'अन्यपदार्थत्वाद् बहुव्रीहेः' अर्थात् बहुव्रीहि समास (उसके पदार्थसे भिन्न) अन्य पदार्थको सूचित करता है । इससे 'सर्व' शब्दसे जो अन्य शब्द हैं उन्हें सर्वनामसंज्ञा प्राप्त होती है; जैसे,— 'चित्रगुः आनीयताम्' (जिसकी गौएँ अनेक प्रकारकी हैं उसे ले आइये) ऐसा कहनेपर जिसकी वे गौएँ हैं वही केवल लाया जाता है, गौएँ नहीं लयी जातीं ।

यह दोष नहीं आता है । क्योंकि बहुव्रीहिसे 'तद्गुणविज्ञान' भी होता है (अर्थात् बहुव्रीहिके पदोंके दिसाये विशेषणोंका अन्य पदार्थके साथ कायोंमें अन्वय भी होता है); जैसे, 'चित्रवाससं आनय', 'लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति' ऐसा कहनेपर चित्र वस्त्र ओढ़ा हुआ लया जाता है, और लाल पगड़ी पहने हुए ऋत्विज संचार करते हैं ।

१. जिसका वस्त्र रंगबिंदा है उस मनुष्यको ले आइये, और जिनकी पगड़ी लाल है वे ऋत्विज संचार करते हैं, ये इन वाक्योंके अर्थ हैं ।

२. तब यहाँ 'सर्वादि' जो आदिशब्द है वह अवयववाचक होनेके कारण सर्वशब्दसहित अन्य पदार्थ लेना चाहिये । अतः उसके अन्य शब्दके समान सर्व शब्दको भी सर्वनामसंज्ञा होती है ।

इह सर्वनामानांति पूर्वपदात्संज्ञायामगः [८. ४. ३.] इति णत्वं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः ।

सर्वनामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वाभावः ॥ १ ॥

सर्वनामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वं न भविष्यति । किंभेतात्त्रिपातनं नाम । अथ कः प्रतिषेधो नाम । अविशेषेण किंचिदुक्त्वा विशेषेण नेत्युच्यते । तत्र व्यक्तमाचार्यस्याभिप्रायो गम्यत इदं न भवतीति । निपातनमप्येवंजातीयकमेव । अविशेषेण णत्वमुक्त्वा विशेषेण निपातनं क्रियते । तत्र व्यक्तमाचार्यस्याभिप्रायो गम्यत इदं न भवतीति ॥ ननु च निपातनाच्चाणत्वं स्याद्यथापामं च णत्वम् । किमन्येऽप्येवं विषयो भवन्ति । इहेको यणाचि [६. १. ७७] इति वचनाच्च यण् स्याद्यथाप्राप्तश्चेद् श्रूयते । नैष दोषः । अस्त्यत्र विशेषः । पठ्यात्र निर्देशः क्रियते षष्ठी च पुनः स्थानिनं निवर्तयति ॥ इह तर्हि कर्तरि शप्

अब 'सर्वनामानि' शब्दमें 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः' (८।४।३) से नकारको णत्व प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध कहना चाहिये ।

(वा. १) सर्वनामसंज्ञामें निपातन होनेके कारण णत्व नहीं होगा ।

'सर्वनाम' इस संज्ञाशब्दमें (सर्वनाम शब्द) निपातन होनेके कारण 'णत्व' (अर्थात् 'ण' आदेश) नहीं होगा ।

निपातन क्या है ? तथा प्रतिषेधका भी क्या अर्थ है ?

सामान्यतः कोई एक बात बताकर विशेष स्थानपर वह बात न की जाय ऐसा कहा जाता है (इसको प्रतिषेध कहते हैं) । वहाँ 'अमुक नहीं होता' यह आचार्यजीका अभिप्राय स्पष्टतया जाना जाता है । निपातन भी इसी जातिका है । सामान्यतः णत्वका विधान करके विशेषतः ('सर्वनाम' इस तरह उसके विपरीत) उच्चारण करना निपातन है । इससे आचार्यजीका स्पष्ट अभिप्राय यह समझा जाता है कि, यह (णत्व) यहाँ (सर्वनाम शब्दमें) नहीं होता है ।

इस निपातनसे णत्व न होगा (और 'सर्वनाम' शब्दको साधुत्व मानिये) ; परन्तु " पूर्वपदात् " (८।४।३) सूत्रसे णत्व भी एक बार होगा ।

अन्य विधान क्या इस तरह किये जा सकते हैं ? यदि किये जाते हैं तो " इको यणाचि " (६।१।७७) वचनसे 'ट्टि + अत्र' में यण् होगा और मूल इकार भी एक बार सुना जायगा ।

यह दोष नहीं आता है । क्योंकि यहाँ थोड़ा विशेष है । षष्ठी विभक्ति लगाकर यहाँ (इक्का) उल्लेख किया है । और षष्ठी विभक्ति तो स्थानीकी निवृत्ति करती है ।

तो " कर्तरि शप् " (३।१।६८) के आगेके " दिवादिभ्यः इयत् " (३।१।६९)

[३. १. ६८] दिवादिभ्यः श्यन् [६९] इति वचनाच्च श्यन्स्याद्यथाप्राप्तश्च शप् श्रूयेत । नैष दोषः । शवादेशाः श्यन्नादयः करिष्यन्ते । तच्चाहं शपो ग्रहणं कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । प्रकृतमनुवर्तते । क प्रकृतम् । कर्तरि शबिति । तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । दिवादिभ्य इत्येषा पञ्चमी शबिति प्रथमायाः षष्ठी प्रकल्पयिष्यति तस्मादित्युत्तरस्य [१. १. ६७] इति । प्रत्ययविधिरय न च प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति । नायं प्रत्ययविधिः । विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्रानुवर्तते ॥ इह तर्ह्यव्ययसर्वनाम्नामकच्चाकटेः [५. ३. ७१] इति वचनाच्चाकचस्याद्यथाप्राप्तश्च कः श्रूयेत । नैष दोषः । नाप्राप्ते हि के ऽकच्चारभ्यते

सूत्रसे ('दिव्' आदि चतुर्थगणकी धातुओंके आगे) 'श्यन्' प्रत्यय होगा । और ("कर्तरि शप्" से बताया हुआ) 'शप्' प्रत्यय भी एक बार सुना जायगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि 'श्यन्' आदि (प्रत्यय) 'शप्' प्रत्ययके स्थानमें आदेश किये जायेंगे ।

तो फिर ('श्यन्' आदि प्रत्यय कहनेवाले सूत्रोंमें) 'शपः' (यह षष्ठ्यन्त) शब्द रखा जाना चाहिये ।

(उसमें षष्ठ्यन्त शप्) रखना आवश्यक नहीं, पिछले सूत्रमें उच्चारित यहाँ अनुवृत्त होगा ।

पिछले किस सूत्रमें (शप् शब्द) उच्चारित है ?

"कर्तरि शप्" में ।

परन्तु वह (शप् शब्द) प्रथमा विभक्ति लगाकर उच्चारित है । और यहाँ षष्ठी विभक्ति लगाकर उच्चारित होना आवश्यक है ।

"दिवादिभ्यः श्यन्" (यहाँकी) 'दिवादिभ्यः' यह पञ्चमी विभक्ति "तस्मादित्युत्तरस्य" (१।१।६७) इस परिभाषासूत्रकी सहायतासे 'शप्' शब्दके आगेकी प्रथमाको षष्ठी बनायेगी ।

परन्तु "दिवादिभ्यः श्यन्" यह प्रत्ययविधि है और प्रत्ययविधिमें की पञ्चमी विभक्तियों तो (षष्ठी) नहीं बना सकती हैं ।

यह प्रत्ययविधि नहीं है । प्रत्यय तो "कर्तरि शप्" सूत्रसे पहले ही बताया गया है । वह प्रत्यय केवल यहाँ अनुवृत्त होता है ।

तो फिर "अव्ययसर्वनाम्नामकच्चाकटेः" (५।१।७१) वचनसे (सर्व, विश्व इत्यादि शब्दोंको) अकच् (प्रत्यय) होगा ; और प्रात 'क' प्रत्यय भी एक बार होगा ।

यह दोष नहीं आता । क्यों कि 'क' प्रत्यय नाप्राप्त (अर्थात् 'अकच्' प्रत्ययके सत्र उदाहरणोंमें प्रात) होनेपर 'अकच्' प्रत्ययका विधान किया जाता है ।

स बाधको भविष्यति । निपातनमप्येवंजातीयकमेव । नाप्राप्ते णत्वे निपातन-
मारभ्यते तद्बाधकं भविष्यति ॥ यदि तर्हि निपातनान्यप्येवंजातीयकानि भवन्ति
समस्तते दोषो भवति । इहान्ये वैयाकरणाः समस्तते विभाषा लोपमारभन्ते समो
हितततयोर्वेति । सततम् संततम् सहितम् संहितमिति । इह पुनर्भवाग्निपातनाच्च
मलोपमिच्छत्यपरस्पराः क्रियासातत्ये [६. १. १४४] इति यथाप्राप्तं चालोपं
संततमित्येतन्न सिध्यति । कर्तव्यो ऽत्र यत्नः । बाधकान्येव हि निपातनानि
भवन्ति ॥

संज्ञोपसर्जनप्रतिषेधः ॥ २ ॥

संज्ञोपसर्जनीभूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । सर्वो नाम कश्चित्त्समे

अतः वह अकच् 'क' प्रत्ययका बाध करेगा ।

निपातन भी इसी जातिका है । अतः णत्व नाप्राप्त होनेपर (णत्वाभावका)
निपातन किया जाता है वह णत्वका बाधक होगा ।

यदि निपातन भी इस जातिके (अर्थात् बाधक) होंगे तो 'सम्' शब्दके आगे
'तत' शब्द होनेपर द्रोप आता है । इस स्थानपर कोई अन्य वैयाकरण "हितततयोः"
ऐसा वचन करके 'सम्' शब्दके आगे तत और हित आनेपर वहाँ (मकारका)
लोप विकल्पसे बताया जाता है; उदा० सततम्, संततम्, सहितम्, संहितम् । और आप
तो (इस व्याकरणमें) "अपरस्पराः क्रियासातत्ये" (६।१।१४४) इस निपातनसे
लोप, और मूलतः प्राप्त अलोप (अर्थात् लोपका अभाव) चाहते हैं, वह अब सिद्ध
नहीं होगा ।

यहाँ (अर्थात् 'संततम्' और 'सततम्' ऐसे दो रूप होनेके लिए) कोई
अलग प्रयत्न किया जाय, क्योंकि निपातन बाधक ही होते हैं ।

(घा. २) संज्ञामृत वा उपसर्जनीभूत सर्वादि शब्दोंको (सर्वनाम-
संज्ञाका) निषेध किया जाय ।

संज्ञामृत अथवा उपसर्जनीभूत सर्वादि शब्दोंको (सर्वनामसंज्ञाका) निषेध किया
जाय; जैसे, — 'सर्वो नाम कश्चित्, तस्मै सर्वाय देहि।' (यहाँ सर्व शब्द एक

३. सततस्य भावः सातत्यम् । 'तन्' धातुके आगे 'वत्' प्रत्यय करके धातुके नकारका
लोप (६।१।३७) करनेसे 'तत' शब्द सिद्ध होता है । पीछे 'सम्' उपसर्ग है, उसके
मकारका लोप करनेसे 'सतत' शब्द बनता है । यह मकारलोप पाणिनिने आगे नहीं कहा
है । पर यहाँ मकारका लोप करके 'सातत्य' उच्चारण किया है वही निरासन है । इस
निरासनमेंही इस शब्दमें मकारका लोप हुआ है ।

४. शृशोरदि गणमें (६।३।१०९) 'सतत' और 'संतत' दोनों शब्दोंकी कल्पना की
जाय, जिससे मकारका लोप विकल्पसे होगा ।

सर्वाय देहि । अतिसर्वाय देहि ॥ स कथ कर्तव्यः ।

पाठात्पर्युदासः पठितानां संज्ञाकरणम् ॥ ३ ॥

पाठादेव पर्युदासः कर्तव्यः । शुद्धानां पठितानां सज्ञा कर्तव्या । सर्वादीनि सर्वनामसज्ञानि भवन्ति । सज्ञोपसर्जनीभूतानि न सर्वादीनि । किमविशेषेण । नेत्याह । विशेषेण च । किं प्रयोजनम् ।

सर्वाद्यानन्तर्यकार्यार्थम् ॥ ४ ॥

सर्वादीनामानन्तर्येण यदुच्यते कार्यं तदपि सज्ञोपसर्जनीभूतानां मा भूदिति । किं प्रयोजनम् ।

व्यक्तिका नाम होनेके कारण उसको सर्वनामसज्ञा नहीं, अतः 'हे' प्रत्ययको ७।१।१४ सूत्रसे प्राप्त 'स्मै' आदेश नहीं किया है। तथा '(सर्वमतिक्रान्तोऽतिसर्व, तस्मै) अतिसर्वाय देहि' (यहा 'सर्व' शब्द 'अतिक्रान्त' इस अर्थका विशेषण होनेके कारण सर्वनामसज्ञाका निषेध होता है, अतः 'स्मै' आदेश नहीं किया ।)

(सर्वनामसज्ञाका) वह निषेध किस प्रकारसे किया जाय ?

(वा ३) गणपाठसे ही हटा देना और संज्ञा करना ।

(सज्ञाभूत अथवा उपसर्जनीभूत 'सर्व' आदि शब्द) गणपाठसे ही हटा दिये जायें । और शुद्ध 'सर्व' आदि शब्दोंको (सर्वनाम) सज्ञा की जाय । (अर्थात् 'सर्व' आदि शब्दोंको सर्वनामसज्ञा होती है, पर वे 'सर्व' आदि शब्द सज्ञाभूत अथवा उपसर्जनीभूत हों तो नहीं होती ।)

(सज्ञा वा उपसर्जन शब्दोंको) क्या सामान्यतः (सर्वनामसज्ञा न हो इसीलिए उन्हें गणपाठसे) हटा दिया जाय ?

केवल उसीलिए नहीं ऐसा मैं कहता हूँ । तो विशेष कार्य (अर्थात् अन्तर्गणको लक्ष्य करके जो कार्य बताया गया है वह भी सज्ञा और उपसर्जनको) न हो इसलिए भी (उन्हें गणपाठसे हटाना है ।)

(सज्ञा अथवा उपसर्जनीभूत 'सर्व' आदि शब्दोंको ऐसे कार्यके लिए गणपाठसे हटानेसे) लाभ क्या है ?

(वा ४) सर्वादि गणके अन्तर्गणके नाते गृहीतको बताये गये कार्यके लिए ।

सर्वादि गणके अन्तर्गण (उपगण) के नाते गृहीत (माने हुए त्यदादि शब्दोंको अथवा डतरादि शब्दों) को जो कार्य बताया जाता है वह भी सज्ञा अथवा उपसर्जनको न हो ।

उसका उदाहरण क्या है ?

प्रयोजनं ढतरादीनामद्भावे ॥ ५ ॥

ढतरादीनामद्भावे प्रयोजनम् । अतिक्रान्तमिदं ब्राह्मणकुलं कतरत्
अतिकतरं ब्राह्मणकुलमिति ॥

त्यदादिविधौ च ॥ ६ ॥

त्यदादिविधौ च प्रयोजनम् । अतिक्रान्तोऽयं ब्राह्मणस्तम् अतितद्ब्राह्मण
इति ॥

संज्ञाप्रतिषेधस्तावन्न वक्तव्यः । उपरिष्टायोगविभागः करिष्यते । पूर्वपरा-
वरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् । ततोऽसंज्ञायामिति । सर्वादीनीत्येव
यान्यनुक्रान्तान्यसंज्ञायां तानि द्रष्टव्यानि ॥ उपसर्जनप्रतिषेधश्च न कर्तव्यः ।

(वा. ५) ढतरादि शब्दोंके विषयमें बताये हुए 'अद्' आदेश
(७।१।२५) के विषयमें लाभ होता है ।

ढतरादि शब्दोंके विषयमें बताये हुए 'अद्' आदेश (७।१।२५) के
विषयमें (वैसे शब्दोंको गणसे हटानेका) लाभ होता है; जैसे कतरत् अतिक्रान्तं
ब्राह्मणकुलम् । अतिकतरम् (यहाँ 'कतर' शब्दका अर्थ 'अतिक्रान्त' अर्थका उपसर्जन
होनेके कारण उसका ढतरादि गणोंमें प्रवेश नहीं होता । अतः अद् आदेश नहीं होता ।

(वा. ६) त्यदादिके अत्य विधानके विषयमें भी (सर्वनामसंज्ञाके
निषेधका प्रयोजन है ।)

त्यदादि (शब्दों) को कहे हुए 'अ' आदेशके विधानके (७।२।१०२) वारोंमें
भी (वैसे शब्दोंको सर्वादि गणसे हटानेका) लाभ होता है; जैसे,— तम् अतिक्रान्तो
ब्राह्मणः 'अतितद्' ब्राह्मणः । (यहाँ 'तद्' शब्दका अर्थ 'अतिक्रान्त' अर्थका
उपसर्जन होनेके कारण उसका त्यदादि गणमें अन्तर्भाव नहीं होता । अतः अद्
आदेश नहीं होता ।)

संज्ञाभूत (सर्वादि शब्दों-) को (गणपाठसे हटानेसे उन्हें सर्वनामसंज्ञाका यह)
जो निषेध किया गया है वह करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि आगे आनेवाले
सूत्रमें योगविभाग किया जायेगा । वह यों है— " पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि
व्यवस्थायाम् " (यह एक सूत्र है) और उसके आगे " असंज्ञायाम् " ऐसा (दूसरा
सूत्र है) । (सर्वनामसंज्ञाके उद्देश्य ये जो) सर्व-आदि पंतीस शब्द क्रमसे निर्दिष्ट
किये गये हैं वे संज्ञाशब्दसे भिन्न हैं ऐसा माना जाय ।

वैसेही उपसर्जनीभूत (सर्वादि शब्दोंको जो सर्वनामसंज्ञा) का प्रतिषेध (किया
गया है वह भी) करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि 'अनुपसर्जनाद्'

अनुपसर्जनात् [४. १ १४] इत्येष योगः प्रत्याख्यायते तमेवमभिसंभन्त्स्यामः । अनुपसर्जन अ अदिति । किमिदम् अदिति । अकारात्कारौ शिष्यमाणावनुपसर्जनस्य द्रष्टव्यौ । यद्येवमतिथुष्मत् अत्यस्मदिति न सिध्यति । प्रश्लिष्टनिर्देशो ऽयम् । अनुपसर्जन अ अदिति । अकारान्तादकारात्कारौ शिष्यमाणावनुपसर्जनस्य द्रष्टव्यौ ॥ अथवाङ्गाधिकारे यदुच्यते गृह्यमाणविभक्तेस्तद्भवाति । यद्येवं परमपञ्च परमसप्त षड्भ्यो लुक् [७ १. २२] इति लुक् प्राप्नोति । नैष दोषः । पञ्चमपञ्च एव समासः ॥ इह तर्हि प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणेनानङ् न प्राप्नोति ।

(४।१।१४) सूत्रका प्रत्याख्यान किया जाता है । अतः उस सूत्रमें ' अनुपसर्जन अ अत् ' (ये पद लेकर ' उपसर्जनको ऊपरके कार्य न होंगे ') ऐसी व्याख्या करें ।

अ अत् का अर्थ क्या है ?

' अ ' और ' अत् ' ये कहे हुए आदेश अनुपसर्जनको होते हैं ।

यदि ऐसा है तो अतियुष्मत् तथा अत्यस्मत् (यहाँ ' पञ्चम्या अत् '—७।१।२१—से अत् आदेश होकर) रूपसिद्धि न होगी ।

' अनुपसर्जनात् ' यह प्रश्लिष्ट निर्देश है (अर्थात् और एक अकारकी संधि करके निर्देश किया गया है ।) अतः अनुपसर्जन, अ, अ, अत् ऐसा (पदच्छेद) किया जाय । (उसमें ' अनुपसर्जन ' यह लुप्तपष्ठचन्त पद है ।) और उसके आगेका ' अ ' (लुप्तपञ्चम्यन्त पद है ।) अकारसे आगे किये जानेवाले ' अ ' आदेश तथा ' अत् ' अनुपसर्जनको किये जायें ।

अथवा अंगाधिकारमें जो कार्य बताया गया है वह गृह्यमाण (अर्थात् सूत्रमें उच्चारित) शब्दको ही जिस स्थानपर विभक्ति-प्रत्यय लगाया गया हो वहाँ होता है । (उदा० ' अतितत् ब्राह्मणः ' यहाँकी विभक्ति ' अतितत् ' शब्दको लगी हुई है; सूत्रमें उच्चारित अर्थात् तद् शब्दको नहीं लगी । इससे वहाँ अकार आदेश नहीं होता है ।)

यदि यह बात है तो ' परमपञ्च ' , ' परमसप्त ' यहाँ ' षड्भ्यो लुक् ' (७।१।२२) इससे लुक् प्राप्त नहीं होता है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि (' परमपञ्च ' वा ' परमसप्त ') समासमें षट्संज्ञक शब्द ही प्रधान है । (अतः उस मुख्य अर्थको लेकर बनी विभक्ति पञ्च, सप्त इत्यादि षट्संज्ञक शब्दोंको लगी है ऐसा कहा जा सकता है, इसीलिए वहाँ विभक्तिका लुक् होता है ।)

१ ' पञ्चम्या अत् ' में जो ' अत् ' आदेश कदा है वह अकारके आगे पञ्चमीको होता है ऐसा कदा न जाने ' अतियुष्मत् ' , ' अत्यस्मत् ' में दोष नहीं आता ।

सप्तमीनिर्दिष्टे यदुच्यते प्रकृतविभक्तौ तद्भवति । यद्येवमतितत् अतितदौ अनितद् इत्यत्वं प्राप्नोति । तच्चापि वक्तव्यम् । इह तावद्दृङ् ङतरादिभ्यः पञ्चम्यः [७. १. २५] इति पञ्चम्यङ्गस्येति पृथी तत्राशक्यं विविभक्तित्वाद्ङतरादिभ्य इति पञ्चम्याङ्गं विशेषयितुम् । तत्र किमन्यच्छक्यं विशेषयितुमन्यदतो विहिता- त्यत्यात् । ङतरादिभ्यो यो विहित इति । इहेदानीमास्थिदधिसकथ्यक्षणासनडु- दात्त इति त्यदादीनामो मन्तित्यस्थ्यादीनामित्येषा पञ्चङ्गस्येत्यपि त्यदादीना- मित्यपि पञ्चङ्गस्येत्यपि । तत्र कामचारो गृह्यमाणेन वा विभक्तिं विशेषयितुमङ्गेन

तो फिर 'प्रियसम्भ्रा ब्राह्मणेन' यहाँ ('अस्थिदधि०'—७।१।७५-इससे) अनङ्गादेश प्राप्त नहीं हो सकता ।

सूत्रमें सप्तम्यन्तका निर्देश करके जो कार्य बताया जाता है वह अंगसे की हुई विभक्ति आगे होनेपर होता है । ('प्रियसम्भ्रा' यहाँकी तृतीया विभक्ति 'प्रियसन्धि' अंगसे की जानेके कारण वहाँ अनङ्गादेश होता है ।)

यदि यह बात है तो 'अतितत् अतितदौ अतितदः' यहाँ (अंगको लगी हुई विभक्ति आगे होनेके कारण 'त्यदादीनामः—७।२।१०२-इससे) अकार आदेश प्राप्त होता है ।)

तो फिर अब (सूत्रमें उच्चारित शब्दकोही जहाँ विभक्ति प्रत्यय लगाया गया हो वहाँ उस सूत्रसे बताया हुआ कार्य होता है) यह भी बताना चाहिये ।

वह बतानेकी आवश्यकता नहीं है । देखिये कि "अद्ङ् ङतरादिभ्यः पञ्चम्यः" (७।१।२५) सूत्रसे ('ङतरादिभ्यः') पञ्चमी है, और 'अद्ङ्स्य' पृथी है । अतः विभक्ति भिन्न होनेके कारण 'ङतरादिभ्यः' इस पञ्चमीका 'अद्ङ्' विशेष्य हो सकता है । अतः 'ङतरादिद्वारा विहित' ऐसा उस पञ्चमीका विहित प्रत्यय विशेष्य करनेके सिवा दूसरा क्या विशेष्य हो सकता है ? (कुछ भी दिखाई नहीं देता । अतः ङतरादि- द्वारा किया हुआ जो 'सु' प्रत्यय अथवा 'अम्' प्रत्यय है उसके स्थानपर 'अद्ङ् आदेश होता है यह 'अद्ङ् ङतरादिभ्यः०' सूत्रका अर्थ निश्चित होनेके कारण 'अतिक्रमं ब्राह्मणकुलम्' यहाँ 'अतिक्रम' शब्दसे किये हुए 'सु' प्रत्ययको अद्ङ् आदेश नहीं होता है । अतः 'सूत्रमें उच्चारित शब्दको ही विभक्ति प्रत्यय लगाना चाहिये' इत्यादि अलग बतानेकी आवश्यकता नहीं है ।) अब "अस्थिदधिसकथ्यक्षणा- मनडुदात्तः" (७।१।७५) यहाँ 'अस्थिदधिसकथ्यक्षणा' भी पृथी है और 'अद्ङ्स्य' भी पृथी है । वैसे ही "त्यदादीनामः" (७।२।१०२) यहाँ 'त्यदादीनाम्' भी पृथी है और 'अद्ङ्स्य' भी पृथी है । वहाँ ('सूत्रमें') उच्चारित शब्दका विभक्तिके साथ संबंध जोड़ना' अथवा 'अद्ङ्का विभक्तिके साथ संबंध जोड़ना' व्याख्याताकी इच्छापर निर्भर है । और व्याख्याताकी इच्छापर यदि यह बात निर्भर है तो हम

वा । यावता कामचार इह तावदस्थिदभिसकथ्यक्षणात्मनडुदात्त इत्यङ्गेन विभक्तिं विशेषयिष्यामो ऽस्थ्यादिभिरनडम् । अङ्गस्य विभक्तावनङ् भवत्यस्थ्यादीनामिति । इहेदानीं त्यदादीनामो भवतीति गृह्यमाणेन विभक्तिं विशेषयिष्यामो ऽङ्गेनाकारम् । त्यदादीनां विभक्तावो भवत्यङ्गस्येति ॥ यथेवमतिः अत्वं न प्राप्नोति । नैष दोषः । त्यदादिप्रधान एव समासः ॥ अथवा भेद संज्ञाकरणं पाठविशेषणमिदम् । सर्वेषां यानि नामानि तानि सर्वादीनि । संज्ञोत्सर्जने च विशेषे ऽवतिष्ठते ।

“अस्थिदभिसकथ्यक्षणात्मनडुदात्तः” यहाँ विभक्तिके साथ अङ्गका संबंध प्रस्थापित करते हैं और अस्थिआदि शब्दोंका अनङ्गके साथ संबंध जोड़ते हैं । अतः आगे की गयी विभक्ति आगे होनेपर अस्थि-आदि शब्दोंको अनङ्ग होता है (एसा ‘अस्थिदधि०’ सूत्रका अर्थ सिद्ध होता है) । वैसेही ‘त्यदादीनामः’ (७।२।१०२) यहाँ सूत्रमें उच्चारित शब्दोंका विभक्तिके साथ संबंध जोड़ते हैं और अङ्गका अकार आदेशके साथ संबंध जोड़ते हैं । अतः त्यद्-आदि शब्दोंकी विभक्ति आगे होनेपर अङ्गको ‘अ’ आदेश होता है (एसा ‘त्यदादीनामः’ सूत्रका अर्थ सिद्ध होता है, इसलिये कोई दोष नहीं है ।)

(त्यदादि शब्दोंके अर्थ पर की सल्याको दिखानेवाली विभक्ति आगे होनेपर अत्व होता है) ऐसा कहा जाय तो ‘अतिः’ में (वैसी विभक्ति न होनेके कारण) ‘अ’ आदेश न होगा ।

यह दोष नहीं आता । क्यों कि ‘अतिः’ समासमें त्यदादि शब्द ही प्रधान है । (अर्थात् ‘शोभनः सः’ यद् इस समासका विग्रह करना चाहिये । अतः तद् शब्दके अर्थको यद्यपि दूसरा विशेषण लगा हो तो भी उसी अर्थकी सल्याको दिखानेवाली विभक्ति आगे होनेके कारण ‘अ’ आदेश होनेमें बाधा नहीं है ।)

अथवा “सर्वादीनि०” सूत्र संज्ञा कहनेवाला है ही नहीं, तो केवल गणपाठका संशोधन करनेवाला है । सर्व पदार्थोंको (लगानेवाले) जो नाम (अर्थात् शब्दस्वरूप) हैं, वे इन सर्वादिगणोंमें पठित हैं (एसा इसका अर्थ है) । संज्ञा शब्द और उत्सर्जन शब्द (अर्थात् वृत्तिमें) विशेषण बने हुए जो सर्व-आदि शब्द स्वरूप हैं) वे (सर्व

५ तब ‘विरगता मादागन’ यहाँ भंगवा अर्थ जो प्रश्नप दे उमकी गीयाको दिगानेवाली विभक्ति आगे है इसलिये यदी अनङ्ग होता है । और ‘अतिन्’ में ‘तद्’ शब्दके अर्थकी गीयाको दिगानेवाली विभक्ति न होनेके अकार आदेश नहीं होता ।

६. ‘राज पुण्य’ शब्द और ‘राजपुरप’ वृत्ति इन दोनों स्थलोंपर ‘राज’ पुण्यका विशेषण है । भेद यही है कि जैसे वाचयमें ‘राजन्’ शब्दको अपना अर्थ व्यक्त करनेके लिए पूर्ण स्वयंसेव देवे वृत्तिमें नहीं है । वृत्तिमें ‘राजन्’ शब्द ‘पुण्य’ विशेषणमें भेद अर्थको व्यक्त करता है । तथा ‘निष्कान्त गणेश्वर’ वाचय और ‘नि गवे’ वृत्ति

यद्येवं संज्ञाश्रय यत्कार्यं तन्न सिध्यति । सर्वनाम्नः स्मै [७ १ १४]
 आमि सर्वनाम्नः सुट् [५२] इति । अन्वर्थग्रहणं तत्र विज्ञास्यते । सर्वेषां
 यन्नाम तत्सर्वनाम उत्तरस्य डेः स्मै भवति सर्वनाम्न उत्तरस्य डेः स्मै भवति
 सर्वनाम्न उत्तरस्यामः सुट् भवति । यद्येव सकलं कृत्स्नं जगदित्यत्रापि प्राप्नोति ।
 एतेषां चापि शदानामेकैकस्य स स विषयस्तस्मिंस्तस्मिन्विषये यो यः शब्दो

अर्थके दर्शानेवाले न होकर) विशेष अर्थको दिखानेवाले होते हैं । (इसीलिए वेसे
 सर्वादिशब्द सर्वादिगणमें प्रविष्ट नहीं हो सकते ।)

यदि ('सर्वादीनि' सूत्र सज्ञा और उपसर्जन जैसे सर्व आदि शब्दोंको
 सर्वादिगणसे हटानेका ही काम करता है) ऐसा हो, तो (सर्वनाम) संज्ञापर निर्भर जो
 कार्य है, उदा० "सर्वनाम्नः स्मै" (७।१।१४) "आमि सर्वनाम्नः सुट्"
 (७।१।५२) इत्यादि, वह (सर्वादिशब्दोंको) नहीं हो सकता ।

("सर्वनाम्नः स्मै", "आमि सर्वनाम्नः सुट्") इन सूत्रोंमें सर्वनाम शब्द
 अन्वर्थ समझा जायगा । सर्व अर्थोंका जो नाम (अर्थात् वाचकशब्दस्वरूप है) वह
 सर्वनाम है (इस व्युत्पत्तिसे सर्वादि शब्दोंको सर्वनाम शब्द लागू करना चाहिये) ।
 वेसे 'सर्वनाम' नामके शब्दके आगेके 'डे' प्रत्ययके स्थानपर 'स्मै' आदेश
 होता है । और वेसे 'सर्वनाम' नामके शब्दके आगेके 'आम्' प्रत्ययको मुदागम
 होता है ।

यदि (सर्वनाम शब्द अन्वर्थ समझा जाता है) ऐसा हो, तो सकल, कृत्स्न
 जगत् इत्यादि शब्दोंको भी सर्वनाम शब्द लागू करनेकी नीवत आ जायगी । इसके
 अतिरिक्त इन ('सर्व', 'विश्व' इत्यादि) शब्दोंमेंसे प्रत्येक शब्द वाच्यमें तत् तत्
 विषयको अर्थात् तत् तत् विशेष पदार्थको दर्शाया करता है । अतः (वाक्यमें 'सर्व'
 आदि शब्दोंके साथ तत् तत् विशेष पदार्थको दर्शानेवाला घट, पट आदि) जो जो

वर्तते तस्य तस्य तस्मिस्तस्मिन्वर्तमानस्य सर्वनामकार्यं प्राप्नोति ॥ एव
 तर्ह्यभयमनेन क्रियते पाठश्चैव विशेष्यते सज्ञा च । कथ पुनरेकेन यत्नेनोभय
 लभ्यम् । लभ्यमित्याह । कथम् । एकशेषनिर्देशात् । एकशेषनिर्देशोऽयम् ।
 सर्वादीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि । सर्वनामानि च सर्वनामानि सर्वनामानि ।
 सर्वादीनि सर्वनामसज्ञानि भवन्ति सर्वेषा यानि च नामानि तानि सर्वादीनि ।
 सज्ञोपसर्जने च विशेषे ऽवतिष्ठेते ॥ अथवा महतीय सज्ञा क्रियते सज्ञा च नाम
 यतो न लधीय । कुत एतत् । लघ्वर्थं हि सज्ञाकरणम् । तत्र महत्या
 सज्ञाया करण एतत्प्रयोजनमन्वर्थसज्ञा यथा विज्ञायेत । सर्वादीनि सर्वनाम-

शब्द उच्चारण गया हो सो सो शब्द उस उस स्थानपर (अपने पास होनेवाले सर्व-आदि
 शब्दोंकी ही तरह) उस उस अर्थको दिखानेवाला होनेके कारण उन (घट, पट आदि
 शब्दों—) को सर्वनामका कहा हुआ कार्य होने लगेगा ।

यदि यह बात है तो ('सर्वादीनि' इस) प्रकृतसूत्रके (सज्ञा और उपसर्जन
 जैसे सर्व 'सर्व' इत्यादि शब्दोंको) गणपाठसे हटाना और (उन सर्वादि शब्दोंको)
 सर्वनामसज्ञा करना दोनों बातें की जाती है ।

परन्तु एक सूत्रसे ये दो बातें कैसे सिद्ध होंगी ?

मेरा कहना है कि सिद्ध होंगी ।

कैसे सिद्ध होंगी ?

एकशेषनिर्देशात् अर्थात् ('सर्वादीनि सर्वनामानि' इस सूत्रका) एकशेष करके
 उल्लेख किया गया है । सो यों है—सर्वादीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि, सर्वनामानि
 च सर्वनामानि च सर्वनामानि । (अर्थात् मूलतः दो सूत्र होकर एकका उच्चारण
 किया है ऐसा माना जाय ।) अतः सर्वादि शब्दस्वरूप सर्वनामसज्ञक होते
 हैं । और सर्व अर्थके दर्शक जो शब्दस्वरूप है वे सर्वादिगणमें प्रविष्ट होते हैं ।
 (ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं ।) अथ सज्ञा और वृत्तिमें (विशेषण बने हुए सर्व इत्यादि
 शब्द सर्व अर्थोंके दर्शक न होकर) विशेष अर्थके ही दर्शक होते हैं । (अर्थात् वे इस
 गणसे अलग हो जाते हैं ।)

अथवा, यहाँ (सर्वनाम) य* वही सज्ञा की गयी है, और जो की जाती है
 वह तो छोटीसे छोटी होनी चाहिये ।

सो कैसे ?

(वृत्तसे अर्थ) एक अयन्त छोटीसे शब्दमें पाये जायें इस हेतुसे सज्ञा करनी
 होती है । अतः यहाँ वही सज्ञा करनेका कुठ तो उद्देश्य होगा । वह यह है कि वह
 अन्वर्थ (अपने अर्थके अनुरूप) सज्ञा माना जाय । अर्थात् सर्वादि शब्दस्वरूप
 सर्वनामसज्ञक होते हैं । परन्तु जब कि वे सर्वादि शब्दस्वरूप सबके वाचक हैं तब उन्हें

संज्ञानि भवन्ति सर्वेषां नामानीति चातः सर्वनामानि । संज्ञोपसर्जने च विशेषे ऽवतिव्रैते ॥

अथोभस्य सर्वनामत्वे को ऽर्थः ।

उभस्य सर्वनामत्वे ऽकजर्थः ॥ ७ ॥

उभस्य सर्वनामत्वे ऽकजर्थः पाठः क्रियते । उभको । किमुच्यते ऽकजर्थ इति न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि ।

अन्याभावो द्विवचनटाच्चिपयत्वात् ॥ ८ ॥

अन्वेषां सर्वनामकार्याणामभावः । किं कारणम् । द्विवचनटाच्चिपयत्वात् । उभशब्दो ऽयं द्विवचनटाच्चिपयो ऽन्यानि च सर्वनामकार्याण्येकवचनबहुवचने-पूच्यन्ते ॥ यदा पुनरयमुभशब्दो द्विवचनटाच्चिपयः क इदानीमस्यान्यत्र भवति ।

सर्वनामसंज्ञा प्राप्त होती है । और संज्ञा और वृत्तिमें विशेषण बने हुए सर्व-आदि शब्द तो विशेष अर्थके ही दर्शक होते हैं ।

अब 'उभ' शब्दको सर्वनामसंज्ञा करनेमें क्या लाभ है ?

(वा. ७) 'उभ' को अकच् होनेके लिए सर्वनामसंज्ञाके गणमें (उसका पाठ किया है) ।

'उभको' यहाँ 'उभ' शब्दको अकच् प्रत्यय (५।३।७१) हो इसलिए सर्वनामसंज्ञाके गणमें उसका पाठ किया गया है ।

अकच् प्रत्यय हो ऐसा क्यों कहा गया है ? ('स्मै' आदि) अन्य सर्वनाम-कार्योंका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?

(वा. ८) अन्य (सर्वनामकार्यों-) का अभाव है, क्योंकि ('उभ' शब्दके आगे) केवल द्विवचनप्रत्यय तथा (स्त्रीलिङ्गमें) टाप् प्रत्यय होता है ।

(अकच् के सिवा) अन्य सर्वनामकार्योंका ('उभ' शब्दके विषयमें) अभाव है । क्या कारण है ?

कारण यह है कि ('उभ' शब्दका प्रयोग) केरत द्विवचन तथा स्त्रीलिङ्ग-दर्शक 'टाप्' प्रत्ययके विषयमें दीस पड़ता है । 'उभ' शब्दके आगे केरत द्विवचन-प्रत्यय तथा (स्त्रीलिङ्गमें) 'टाप्' होता है, और ('अकच्'से) अन्य ('स्मै' आदि) सर्वनामकार्य एकवचन वा बहुवचन आगे होनेपर ही कहे गये हैं ।

यदि इस 'उभ' शब्दके आगे केरत द्विवचन अथवा 'टाप्' प्रत्यय ही होते हैं तो (वे प्रत्यय 'उभ' शब्दके आगे किये हुए जिस स्थानपर नहीं दीस पड़ते हैं ऐसे) अन्य स्थानपर इस 'उभ' शब्दका क्या होना है ?

✓ उभयोऽन्यत्र ॥ ९ ॥ २.३।

उभयशब्दोऽस्यान्यत्र भवति । उभये देवमनुष्या । उभयो मणिरिति ॥ किं च स्याद्यथाकाङ्क्ष स्यात् । क प्रसज्येत । कश्चेदानीं काकचोर्विशेष । उभशब्दोऽयं द्विवचनगन्धिषय इत्युक्तम् । तत्राकारि सत्यकचस्तन्मध्यपतितत्वाच्छक्यत एतद्वक्तुं द्विवचनपरोऽयमिति । के पुन सति नाय द्विवचनपर स्यात् । तत्र द्विवचनपरता वक्तव्या । यथैव तर्हि के सति नाय द्विवचनपर एवमाप्यपि सति नाय द्विवचनपर स्यात् । तत्रापि द्विवचनपरता वक्तव्या । अवचनादापि तत्पर विज्ञानम् । अन्तरेणापि वचनमापि द्विवचनपरोऽयं भविष्यति । किं वक्तव्यमेतत् ।

(वा ९) अन्यत्र (' उभ ' शब्दसे) ' उभय ' शब्द (बनता है) । उस स्थानपर ' उभ ' शब्दसे ' उभय ' शब्द बनता है, जैसे, ' उभये देवमनुष्या ', ' उभयो मणि । '

अब यदि इस ' उभ ' शब्दको ' अकच् ' प्रत्यय (५।३।७१) न होगा तो क्या बाधा होगी ?

' क ' प्रत्यय होगा ।

परन्तु क प्रत्ययके होने अथवा अकच् प्रत्यय होनेमें अन्तर क्या है ?

' उभ ' शब्दके आगे केवल द्विवचन अथवा टाप ये ही प्रत्यय होते हैं । (ये न हों वहाँ उभ शब्दके बदले उभय शब्द आता है) ऐसा कहा गया है । अत ' अकच् ' हानेपर ' त मध्यपतित ' न्यायसे उभयशब्दके आगे द्विवचन है ऐसा कहा जा सकता है । और ' क ' प्रत्यय हुआ तो ' उभ ' शब्दके आगे द्विवचन प्रत्यय है ऐसा नहीं कहा जा सकता । अत वहाँ द्विवचन प्रत्यय आगे है ऐसा समझनेके लिए स्वतंत्र वचन करना होगा (नहीं तो वहाँ ' क ' प्रत्ययके पीछे ' उभय ' शब्द रखना होगा ।)

तो फिर ' क ' प्रत्यय लगानेपर जैसे इस उभ शब्दके आगे द्विवचन प्रत्यय है ऐसा नहीं कहा जा सकता, वैसे ' टाप ' प्रत्यय आगे होनेपर भी द्विवचन प्रत्यय आगे है ऐसा नहीं कहा जा सकता । अत वहाँ भी द्विवचन प्रत्यय आगे है ऐसा समझनेके लिए स्वतंत्र वचन करना पड़ेगा । (नहीं तो वहाँ भी ' उभय ' शब्द रखना पड़ेगा ।)

स्वतंत्र वचनके सिवा भी आप् (टाप) प्रत्यय लगानेपर वह (द्विवचन प्रत्यय) है ऐसा समझा जा सकता है । अर्थात् ' टाप ' लगानेपर स्वतंत्र वचनके सिवा भी उभ शब्दके आगे वह (द्विवचन प्रत्यय) है ऐसा कहा जा सकता है ।

११ ' उभयो ' में यद्यपि आगे द्विवचनप्रत्यय है तो भी वह प्रत्यय ' उभ ' शब्द आगे है ऐसा नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि वाचमें ' क ' प्रत्ययसे व्यञ्जान आता है ।

न हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते । एकादेशे कृते द्विवचनपरो ऽयमन्तादिवद्भावेन ।

अवचनादापि तत्परविज्ञानमिति चेत्के ऽपि तुल्यम् ॥ १० ॥

अवचनादापि तत्परविज्ञानमिति चेत्के ऽप्यन्तरेण वचनं द्विवचनपरो भविष्यति । कथम् । स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितो ऽविशिष्टा भवन्तीति प्रकृति-ग्रहणेन स्वार्थिकानामपि ग्रहणं भवति ॥

अथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि ।

भवतो ऽकच्छेपात्वानि ॥ ११ ॥

यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा न कहिये।

तो फिर बिना कहे यह कैसे समझा जाय ?

(टाप् प्रत्यय करके) एकादेश (६।१।१०१) करनेपर पूर्वान्तवद्भावसे (उभा यह उभ शब्द ही है ऐसा माना जानेके कारण उभ) इस शब्दके आगे द्विवचन-प्रत्यय है ऐसा कहा जाता है ।

(वा. १०) (टाप् प्रत्यय करनेपर) स्वतंत्र वचन करनेके सिवा भी (उभ शब्दके) आगे द्विवचन-प्रत्यय हैं ऐसा माना जाता है तो क प्रत्यय करनेपर भी वैसा ही होगा ।

‘टाप्’ प्रत्यय करनेपर स्वतंत्र वचनके सिवा भी उभ शब्दके आगे द्विवचन-प्रत्यय है ऐसा माना जाता है तो ‘क’ प्रत्यय करनेपर भी वचनके अतिरिक्त ही उभ शब्दके आगे द्विवचन-प्रत्यय है ऐसा माना जायगा ।

तो कैसे ?

स्वार्थी बने हुए प्रत्यय अपनी प्रकृतिके अर्थकी अपेक्षा अन्य अर्थकी सूचित नहीं करते (अर्थात् प्रकृतिके अर्थको ही सूचित करते हैं), अतः प्रकृतिबोधक शब्दसे स्वार्थी ‘क’ प्रत्ययका भी ग्रहण होता है ।

अब भवत् शब्दको सर्वनामसंज्ञा करनेके फल कीनसे हैं ?

(वा. ११) भवत् शब्दको अकच्, एकशेष और आत्व होना (ये फल हैं) ।

१२. ‘द्विवचन’ शब्दसे ‘दो’ संख्याको दिखानेवाला प्रत्यय ही लिया जाय तो धान नहीं, तो उस संख्याको दिखानेवाला शब्द भी लिया जाय । तब ‘क’ प्रत्ययकी प्रकृति जो ‘उभ’ शब्द है उसे ‘द्विवचन’ कहा जा सकता है; अतः उसीके अर्थमें हुए ‘क’ प्रत्ययको भी ‘द्विवचन’ कहा जा सकता है । इसलिए ‘वही उभयगन्ध रहना पड़ेगा’ यह शेष नहीं जाता । तब ‘क’ प्रत्यय हुआ तो भी शेष नहीं थाता इसलिए उभयशब्दका इस सर्वनामगणमें पाठ न किया तो भी प्रत्ययान्वय नहीं यह सिद्ध हुआ ।

भवतो ऽकच्छेपात्वानि प्रयोजनानि । अकच् । भवकान् । शेषः । स च भवांश्च भवन्तौ । आत्वम् । भवादृगिति ॥ किं पुनरिदं परिगणनमाहोस्विदुदाहरणमात्रम् । उदाहरणमात्रमित्याह । तृतीयादयो ऽपि हीप्यन्ते । सर्वनामस्तृतीया च [२. ३. २७] । भवता हेतुना । भवतो हेतोरिति ॥

विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ ॥ १ । १ । २८ ॥

दिग्रहणं किमर्थम् । न बहुव्रीहौ [१. १. २९] इति प्रतिषेधं वक्ष्यति । तत्र न ज्ञायते क विभाषा क प्रतिषेध इति । दिग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । दिगुपादिष्टे विभाषान्यत्र प्रतिषेधः ॥ अथ समासग्रहणं किमर्थम् । समास एव यो

भवत् शब्दको अकच्, एकशेष, और आत्व होना, ये सर्वनामसंज्ञा कहनेके फल हैं । जैसे,—भवकान् । यहाँ अकच् (५।३।७१) होनेके कारण यह रूप सिद्ध होता है । एकशेषका उदाहरण—‘स च भवांश्च भवन्तौ ।’ (यहाँ “त्यदादीनि सर्व-नित्यम्”—१।२।७२—इससे ‘भवत्’ शब्द एकशेष हुआ है ।) आत्वका उदाहरण—भवादृक् । (यहाँ ‘आ सर्वनाम्नः’—६।३।९१—इससे आत्व हुआ है ।)

परन्तु क्या यह परिगणन है ? (अर्थात् निश्चित तीन ही कार्य होते हैं,) अथवा उदाहरणकी दिशा दितायी गयी है ?

उदाहरणकी दिशा दितायी है ऐसा हम कहने हैं । क्योंकि “सर्वनामस्तृतीया च” (२।३।२७) इससे तृतीया आदि विभक्ति होनेकी बात भी दितायी देती है, जैसे,—‘भवता हेतुना’, ‘भवतो हेतोः’ इत्यादि ।

(सू. २८)—(‘दिङ्नामान्यन्तराले’—२।३।२६—सूत्रसे) दिशायाचरु शब्दोंका बहुव्रीहिसमास किया गया तो (वहाँ सर्वनामसंज्ञा) विकल्प—(से होती है) ।

यहाँ जो दिक् शब्द रखा गया है सो किसलिए ?

‘न बहुव्रीहौ’ (१।१।२९) इस अगले सूत्रसे सर्वनामसंज्ञाका निषेध कहनेवाला है । अतः यह विकल्प कहाँ और वह निषेध कहाँ इस विषयका विभाजन ध्यानमें नहीं आता । और दिक् शब्द रखा गया तो यह दोष नहीं आता । दिक् शब्दका उच्चारण करके (बनाये हुए बहुव्रीहिके स्थानपर) विकल्प होता है और अन्य बहुव्रीहियोंमें निषेध (यह स्पष्टनया ज्ञात होता है) ।

अब ‘समासे’ शब्द उच्चारित है सो किसलिए ?

सन्धे बहुव्रीहिसमासमें (सर्वनामसंज्ञाका विकल्प) हो और अतिदेशसे बहुव्रीहि

बहुव्रीहिस्तत्र यथा स्याद्बहुव्रीहिवद्भावेन यो बहुव्रीहिस्तत्र मा भूदिति । दक्षिण-
दक्षिणस्थे देहीति ॥ अथ बहुव्रीहियग्रहणं किमर्थम् । द्वन्द्वे मा भूत् । दक्षिणोत्तर-
पूर्वाणामिति । नैतदस्ति प्रयोजनम् । द्वन्द्वे च [१. १. ३१] इति प्रतिषेधो
भविष्यति । नाप्राप्ते प्रतिषेध इयं विभाषास्म्यते सा यथैव न बहुव्रीहावित्येतं प्रतिषेधं
वाधत एवं द्वन्द्वे चेत्येतमपि बाधेत । न बाधते । किं कारणम् । येन नाप्राप्ते तस्य
वाधनं भवति न चाप्राप्ते न बहुव्रीहावित्येतस्मिन्प्रतिषेध इयं विभाषास्म्यते द्वन्द्वे
चेत्येतस्मिन्नुनः प्राप्ते चाप्राप्ते च ॥ अथवा पुरस्तादपवादो अनन्तरान्विधीन्वाधन्त

जैसा माना जानेवाला जो (गौण) बहुव्रीहि है वह वहाँ न हो । जैसे,—‘दक्षिणदक्षिण-
स्थे देहि’ । यहाँ (‘आवाधे च’—८।१।१०—इससे द्वित्व किया है, और वहाँ
द्विकृत शब्द बहुव्रीहि जैसा माना जाता है ।)

अन ‘बहुव्रीही’ यह जो शब्द उच्चारित है सो किसलिये ?

‘दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्’ इस द्वंद्वसमासमें (यह सर्वनामसंज्ञाका विकल्प) न हो
(इसलिये उच्चारित है) ।

(‘बहुव्रीही’ शब्दके उच्चारणका) यह उपयोग नहीं होता है । क्योंकि यहाँ
“द्वन्द्वे च” (१।१।३१) सूत्रसे (सर्वनामसंज्ञाका) निषेध होगा ।

सर्वनामसंज्ञाका निषेध अवश्य प्राप्त हुआ है इसलिये वहाँ (जान-बूझकर)
यह विकल्प आरंभ किया गया है । अतः वह जैसे ‘न बहुव्रीही’ (१।१।२९) इस
निषेधका बाध करता है, वैसे ही ‘द्वन्द्वे च’ (१।१।३१) निषेधका बाध करेगा ।

परन्तु ‘द्वन्द्वे च’ इस निषेधका बाध नहीं करेगा ।

क्या कारण है ?

जिस शास्त्रकी सर्वात्र प्राप्ति होती है उसीका बाध होता है । (बहुव्रीहिमें) ‘न
बहुव्रीही’ इस निषेधकी प्राप्ति न होनेपर सर्वात्र यह विकल्प प्राप्त होना है, ऐसा उदाहरण
एक भी नहीं है । और द्वंद्वमें यह विकल्प जिन उदाहरणोंमें होगा उनमेंसे कुछ स्थानोंपर
‘द्वन्द्वे च’ इसकी प्राप्ति होती है और कुछ स्थानोंपर नहीं होती । (इमीनियर यह
विकल्प ‘द्वन्द्वे च’ इसका बाधक नहीं होता । उन्हे ‘द्वन्द्वे च’ इसमें ही परस्परके
कारण इस विकल्पका बाध किया जाता है ।)

अथवा, “ परले पठित अपवाद (द्वितीका चार करना तो तो) अन्ने पटोममें
होनेशस्त्री विधियोंका ही बाध करते हैं (और उनके आगेकी विधियोंका बाध
नहीं करते) ”—(प. से. ५९) । (इस परिभाषामें यह विकल्प—१।१।२८) ‘न

इत्येवामियं विभाषा न बहुव्रीहावित्येतं प्रतिषेधं बाधिष्यते द्वन्द्वे चेत्येतं प्रतिषेधं न बाधिष्यते ॥ अथवेदं तावदयं प्रष्टव्यः । इह कस्मान्न भवति । या पूर्वा सोत्तरा-
स्योन्मुग्धस्य सोऽयं पूर्वोत्तर उन्मुग्धः । तस्मै पूर्वोत्तराय देहीति । लक्षणप्रतिपदोक्त-
योः प्रतिपदोक्तस्यैवेति । यद्येवं नार्थो बहुव्रीहियग्रहणेन । द्वन्द्वे कस्मान्न भवति ।
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति ॥ उत्तरार्थं तर्हि बहुव्रीहियग्रहणं कर्तव्यम् ।
न कर्तव्यम् । क्रियते तत्रैव न बहुव्रीहाविति । द्वितीयं कर्तव्यम् । बहुव्रीहिरेव यो
बहुव्रीहिस्तत्र यथा स्याद्बहुव्रीहिवद्भावेन यो बहुव्रीहिस्तत्र मा भूत् । एकैकस्मै

बहुव्रीहौ' (१।१।२९) इस निषेधका ही बाध करेगा, और 'द्वन्द्वे च' (१।१।२९)
इस निषेधका बाध नहीं करेगा ।

अथवा, इसको यह प्रश्न पूछा जाय कि 'जो पूर्व दिशा है वही है उत्तर दिशा
जिस मूर्खकी' इस अर्थके 'पूर्वोत्तर' शब्दके आगे (चतुर्थीका एकवचन करनेपर)
'तस्मै पूर्वोत्तराय देहि' यहाँ यह विकल्प क्यों नहीं होता ?

"लक्षणिक और प्रतिपदोक्त (अर्थात् प्रत्यक्ष उच्चारित) इन दोनोंका ग्रहण
हो सके तो वहाँ प्रतिपदोक्तका ही ग्रहण किया जाय"—(प. शे. १०५) । (इस परि-
भाषासे दिक् शब्दका उच्चारण करके बतलाये हुए बहुव्रीहि समासमें यह विकल्प
होता है । उपर्युक्त उदाहरणमें 'अनेकमन्य०'—२।२।२४—इससे बहुव्रीहि
समास किया गया है । उसमें दिक् शब्दका उल्लेख नहीं है । अतः वहाँ यह विकल्प
प्रवृत्त नहीं होता है ।)

यदि यह बात है तो (प्रकृतसूत्रमें) 'बहुव्रीहौ' शब्द रखनेमें कोई लाभ दिखाई
नहीं देता ।

द्वन्द्व समासमें यह विकल्प क्यों नहीं होता ?

"लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव" (प. शे. १०५) इस परिभाषासे
(प्रतिपदोक्त ही दिक्समास लेना है, इसलिए नहीं होता) ।

तो फिर उत्तरसूत्र- (में अनुवृत्ति होने-) के लिए 'बहुव्रीहि' शब्द रखना चाहिये ।
उसके लिए भी नहीं । क्योंकि उत्तरसूत्रमें अर्थात् 'न बहुव्रीहौ' यहाँ ('बहुव्रीहौ')
ऐसा कहा ही गया है ।

परंतु ('न बहुव्रीहौ') यहाँ और एक दूसरा (बहुव्रीहि) शब्द चाहिये;
(उसके लिए यहाँ 'बहुव्रीहौ' ऐसा कहना चाहिये) । क्योंकि मुख्य जो बहुव्रीहि है
वहीं वह (निषेध) हो और बहुव्रीहि जैसा समझा जानेवाला जो गौण बहुव्रीहि है वहाँ
न हो । जैसे,— 'एकैकस्मै देहि ।' (यहाँ 'एकं बहुव्रीहिवत्'—८।१।९—इससे द्वित्व
किया गया है और वह बहुव्रीहि जैसा समझा जा रहा है ।)

२. तात्पर्य, प्रकृतसूत्रमें 'बहुव्रीहौ' कहनेको आवश्यकता नहीं यह सिद्ध हुआ ।

३. प्रकृतसूत्रमें 'बहुव्रीहौ' कहना चाहिये ऐसा कहनेवालेको ।

४. सू. १।१।१३ टि. ४ देखिये ।

वेहि । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । समास इति वर्तते तेन बहुव्रीहिं विशेष-
यिष्यामः । समासो यो बहुव्रीहिरिति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । अवयवभूतस्यापि
बहुव्रीहेः प्रतिषेधो यथा स्यात् । इह मा भूत् । वस्त्रमन्तरमेपां त इमे वस्त्रान्तराः ।
वसनमन्तरमेपां त इमे वसनान्तराः । वस्त्रान्तराश्च वसनान्तराश्च वस्त्रान्तर-
वसनान्तराः ।

न बहुव्रीहौ ॥ १ । १ । २९ ॥ (८५)

विमुदाहरणम् । प्रियविश्वाय । नेतदस्ति प्रयोजनम् । सर्वाद्यन्तरस्य बहु-
व्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम् । वक्ष्यति चैतत् । बहुव्रीहौ सर्वनामसंज्ञयोरुप

यह भी प्रयोजन नहीं है । क्योंकि (इस सूत्रमें) 'समासे' पदकी (उस
सूत्रमें) अनुवृत्ति की जाय और ('समासे') यह पद बहुव्रीहिको विशेषण किया
जाय, जिसमें मुख्य समास जो बहुव्रीहि है (ऐसा अर्थ होगा, और वही वह
निषेध होगा) ।

तो फिर वहाँ (दूसरे बहुव्रीहि शब्दका) यह उपयोग समझा जाय कि अवयव-
भूत बहुव्रीहिको भी (सर्वनामसंज्ञाका उस सूत्रमें) निषेध हो । अर्थात् वस्त्र अन्तरं येषां
ते इमे वस्त्रान्तराः, वसनं अन्तरं येषां ते इमे वसनान्तराः, वस्त्रान्तराश्च वसनान्तराश्च
वस्त्रान्तरवसनान्तराः । यहाँ (द्वन्द्वसमासमें प्रविष्ट बहुव्रीहिको सर्वनामसंज्ञा
का निषेध होना चाहिये । नहीं तो प्रधानाप्रधानन्यायसे अवयवभूत बहुव्रीहिको
सर्वनामसंज्ञाका निषेध) न होगा । (दूसरे बहुव्रीहि शब्दकी अनुवृत्तिके बटपर अप्रधान
बहुव्रीहिका भी वहाँ ग्रहण होता है ।)

(सू. २९—जिन (शब्दों)—का बहुव्रीहि समास करना हो उनको
(पहलेसे ही सर्वनामसंज्ञा) नहीं होती ।

इसका उदाहरण कौनसा है ?

'प्रियविश्वाय' यह उदाहरण है । (यहाँ सर्वनामसंज्ञाका निषेध होनेका कारण
'स्मै' आदेश—७।१।१४—नहीं हुआ है ।)

यह उदाहरण उचित नहीं जँचता । क्योंकि सर्व-आदि शब्द जिसके अन्तमें
हो वह बहुव्रीहि ही नहीं होता । वार्तिककारोंने आगे यह बतलाया है कि 'बहुव्रीहि

५ दूसरे समासमें प्रविष्ट हुआ ।

६ प्रधान और अप्रधान दोनोंकी कोई कार्य प्राप्त हुआ तो वह प्रधानसेही किया जाय
अप्रधानको न किया जाय । 'वस्त्रान्तरवसनान्तरा' द्वन्द्वसमासमें बहुव्रीहि प्रविष्ट होनेके कारण
बहुव्रीहिसमास होके सिद्ध हुए 'वस्त्रान्तर' और 'वसनान्तर' शब्दोंको अपना अर्थ स्वयं
करनेका पूर्ण स्वातंत्र्य नहीं रहा (१।१।२७ टि ८ देखिये) । तब उसको 'न बहुव्रीहौ' से
सर्वनामसंज्ञाका निषेध न होगा ।

संख्यानामिति । तत्र विश्वप्रियायेति भवितव्यम् ॥ इदं तर्हि । व्यन्याय व्यन्याय । ननु चात्रापि सर्वनाम्न एव पूर्वनिपातेन भवितव्यम् । नैष दोषः । वक्ष्यत्येतत् । संख्यासर्वनाम्नोर्यो बहुव्रीहिः परत्वात्तत्र संख्यायाः पूर्वनिपातो भवतीति ॥ इदं चाप्युदाहरणम् । प्रियविश्वाय । ननु चोक्तं विश्वप्रियायेति भवितव्यमिति । वक्ष्यत्येतत् । वा प्रियस्थेति ॥ न खल्वप्यवश्यं सर्वाद्यन्तस्यैव बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम् । किं तर्हि । असर्वाद्यन्तस्यापि भवितव्यम् । किं प्रयोजनम् । अकृष्णामूदिति । किं च स्याद्यत्राकच्छ्यात् । को न स्यात् । कश्चेदानीं काकचोर्विशेषः । व्यञ्जनान्तेषु विशेषः । अहकं पितास्य मकत्पितृकः त्वकं पितास्य त्वकत्पितृक

समासमें सर्वनामसंज्ञक और संख्यावाचकको पूर्वनिपात किया जाय' (२।२।३५ वार्तिक १) । अतः 'विश्वप्रियाय' ऐसा बहुव्रीहि समास हो ।

तो फिर (प्रकृतसूत्रका) व्यन्याय, व्यन्याय (उदाहरण समझा जाय) ।

परन्तु (व्यन्याय, व्यन्याय) यहाँ भी ('अन्य' इस) सर्वनामशब्दको ही पूर्वनिपात होना चाहिये न ?

यह दोष नहीं आता । क्योंकि 'संख्यावाचक शब्द और सर्वनामसंज्ञक शब्दके बहुव्रीहि समासमें परत्वके कारण संख्याशब्दका पूर्वनिपात होता है' (ऐसा वहाँ आगे बताता है) ।

पहले दिया हुआ 'प्रियविश्वाय' उदाहरण भी ठीक ही है ।

परन्तु, 'विश्वप्रियाय' यह रूप हो ऐसा कहा गया है न ?

(बहुव्रीहिमें) 'प्रिय शब्दको (पूर्वनिपात) विकल्पसे होता है' ऐसा आगे (२।२।३५ वार्तिक २) कहना है ।

और (प्रकृतसूत्रसे) सर्व-आदि शब्द जिसके अन्तमें हों केवल ऐसेही बहुव्रीहिमें सर्वनामसंज्ञाका निषेध हो सो बात नहीं, तो सर्व-आदि शब्द अन्तमें न हों तो भी (उन्हें बहुव्रीहिमें सर्वनामसंज्ञाका निषेध) होता है ।

उसका क्या उपयोग है ?

अकच् प्रत्यय न हो यह (उसका उपयोग है) ।

वहाँ अकच् होनेमें क्या दोष है ?

'क' प्रत्यय नहीं होगा ।

वहाँ चाहे 'क' प्रत्यय हो, चाहे 'अकच्' प्रत्यय हो, उनमें क्या अन्तर होनेवाला है ?

व्यञ्जनान्त शब्दोंमें भेद दीख पड़ता है । जैसे, — (बहुव्रीहिमें युष्मद्, अस्मद् शब्दोंको अकच् हुआ तो) 'अहक पिता अस्य मकत्पितृकः', 'त्वकं पिता अस्य त्वकत्पितृकः' ऐसा प्राप्त होता है । और 'मकत्पितृकः', 'त्वकत्पितृकः' यह तो

इति प्राप्नोति । मत्कपितृकः त्वत्कपितृक इति चेष्यते । कथं पुनरिच्छतापि भवता बहिरङ्गेण प्रतिषेधेनान्तरङ्गो विधिः शक्यो बाधितुम् । अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो विधिर्बाधते गोमत्प्रिय इति यथा । क्रियते तत्र यत्नः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च [७. २. १८] इति । ननु चेहापि क्रियते न बहुव्रीह्याविति । अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् । किम् । प्रियविश्वाय । उपसर्जनप्रतिषेधेनाप्येतत्सिद्धम् ॥ अयं

इष्ट है ।

(मत्कपितृकः आदि उदाहरणोंमें) तुम सर्वनामसंज्ञाका निषेध चाहते हो सहि परन्तु (बहुव्रीहि समासके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले) इस बहिरंग निषेधसे अंतरंगसंज्ञाका बाध करना कैसे संभव होगा ?

अन्तरङ्ग विधियोंकी भी बहिरङ्गविधि बाधक होती है; जैसे, — ‘गोमत्प्रियः’ । यहाँ (अन्तरङ्ग ‘हल्ङ्यादिलोप’ का—६।१।६८—बहिरङ्ग लुक्से—२।४।७१—बाध किया गया है । वैसा यहाँ भी बहिरङ्ग निषेधसे अन्तरङ्ग संज्ञाका बाध होगा ।)

वहाँ (‘गोमत्प्रियः’ में बहिरङ्गसे अन्तरङ्गका भी बाध होनेके विषयमें) ‘प्रत्ययोत्तरपदयोश्च’ (७।२।१८) यहाँ (‘उत्तरपद’ शब्द रत्नकर) यत्न कर दिया गया है ।

वैसा यहाँ भी (बहिरङ्ग निषेधसे अन्तरङ्गसंज्ञाका बाध होनेके लिए ही) ‘न बहुव्रीहौ’ ऐसा यत्न किया गया है ।

परन्तु (‘न बहुव्रीहौ’) यह वचन करनेका दूसरा प्रयोजन है न ?

सो कौनसा ?

‘प्रियविश्वाय’ यही ।

(‘संज्ञोपसर्जनप्रतिषेधः’—१।१।२७ वार्ति० २ इस) उपसर्जननिषेधसे भी (उपसृस्त उदाहरणोंकी) सिद्धि होती है ।

और बहुव्रीहि कहनेपर उसकी जो प्रथम कल्पना मनमें उद्भूत होती है वह

१. बहुव्रीहि समास करनेके बाद ‘न बहुव्रीहौ’ निषेधकी प्राप्ति हो जानेके कारण यह निषेध बहिरंग है, और सर्वनामसंज्ञा बहुव्रीहि समास करनेके पूर्वहि प्राप्त हो जानेसे वह अंतरंग है ।

२. यह शापक ‘प्रत्ययोत्तरपदयोश्च’ (७।२।१८) सूत्रपर भाष्यकारोंने स्पष्ट किया है ।

३. अत्र ‘न बहुव्रीहौ’ निषेध बहिरंग नहीं, क्योंकि बहुव्रीहि समास करनेके पूर्व जब सर्वनामसंज्ञा प्राप्त होती है उसी समय यह निषेध भी प्राप्त होता है, यह यहाँमें लेकर भाष्यकार सिद्ध करते हैं ।

खल्वपि बहुव्रीहिरस्त्येव प्राथमकल्पिको यस्मिन्नैकपद्यमैकस्वर्यमैकविभक्तिकत्व च ।
अस्ति तादर्थ्यात्ताच्छब्द बहुव्रीह्यर्थानि पदानि बहुव्रीहिरिति । तद्यत्तादर्थ्या-
त्ताच्छब्द तस्येद ग्रहणम् ॥ गोनर्दीय आह । ✓

अकच्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्ग मुक्तसशयौ ।
त्वकल्पितृक मकल्पितृक इत्येव भवितव्यमिति ॥

प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानम् ॥ १ ॥

प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यान कर्तव्यम् । आढ्यो भूतपूर्व आढ्यपूर्व ।

बहुव्रीहि है ही जिसमें (अनेक पदोंको मिलाकर) एक (सामासिक) पद (तैयार)
होता है, उसमें एक ही स्वर होता है और उसके आगे विभक्तिप्रत्यय भी एक ही
लगाता है । (यह मुख्य लोकप्रसिद्ध बहुव्रीहि है ।) अब “ एकाध वस्तु तैयार करनेके
लिए जो एक विशेष प्रकारकी अवस्था रची जाती है उस अवस्थाको भी उस वस्तुको
दिखानेवाला शब्द लगानेकी लोगोंमें प्रथा है । ” इस न्यायसे बहुव्रीहिके लिए जो
(प्रत्येकको विभक्तिप्रत्यय लगाकर होनेवाले) अनेक पद हे, उन्हें बहुव्रीहि कहा जा
सकता है । अतः इस तरह बहुव्रीहिके लिए कल्पित किये हुए वाक्यको लगानेवाला जो
बहुव्रीहि शब्द ह वह इस प्रकृतसूत्रमें सूत्रकारोंने रखा है ।

(अतः ‘ बहुव्रीहि समास बनानेके लिए गृहीत जो अलौकिक प्रक्रियावाक्य है
उसमें सर्व आदि शब्दोंको सर्वनामसज्ञा नहीं होती है ’ ऐसा प्रकृतसूत्रका अर्थ निश्चित
हो जाता है ।)

गोनर्दीयं तो यह कहते हैं कि ‘ अकच् ’ और (“ स्वाङ्गशिष्टामदन्तानाम् ” —
फिट्सूत्र २९—इससे सर्वनाम शब्दको बताया हुआ) स्वर, ये दोनों, (समासोंमें) किसी
भी भागमें होनेवाले (सर्व आदि) शब्दोंको निःसंदेह किये जायें । अतः त्वकल्पितृक,
मकल्पितृक ऐसे ही उदाहरण इष्ट है । (अर्थात् यह सूत्र करनेकी बिलकुल आवश्यकता
नहीं है ।)

(वा १) प्रतिषेधमें ‘ भूतपूर्व ’ अर्थके ‘ पूर्व ’ शब्दको सर्वनामसज्ञा
नहीं होती है ।

(इस सर्वनामसज्ञाके) प्रतिषेध — (प्रकरण) में “ भूतपूर्व ” (अर्थात् पहलेसे ही

४ इन अनेक पदोंकोही ‘ अलौकिक प्रक्रिया वाक्य ’ कहते हैं ।

५ ‘ भाष्यकार पतञ्जलि गोनर्द देशमें एक ऋषिकी अजलीसे सन्ध्यावन्दन करते
समय प्रकट होके गिर पड़े ’ ऐसा ऐतिह्य है । ‘ अजले पतित ’ इस अर्थमें उनका ‘ पतञ्जलि ’
नाम अन्वयक ही है । गोनर्द देशमें प्रकट होनेके कारण उनको ‘ गोनर्दीय ’ कहते हैं । भाष्यकार
अपने मतका उल्लेख ‘ गोनर्दीय ’ शब्दसे करते हैं ।

आड्यपूर्वाय देहीति ॥

प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानानर्थक्यं पूर्वादीनां व्यवस्थायाभिति
वचनात् ॥ २ ॥

प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानमनर्थकम् । किं कारणम् । पूर्वादीनां व्यवस्था-
याभिति वचनात् । पूर्वादीनां व्यवस्थायां सर्वनामसंज्ञोच्यते न चात्र व्यवस्था
गम्यते ॥

तृतीयासमासे ॥ १ । १ । ३० ॥

समास इति वर्तमाने पुनः समासग्रहणं किमर्थम् । अयं तृतीयासमासो

उपस्थित) इस अर्थका जो पूर्व शब्द है उसे सर्वनामसंज्ञा नहीं होती ऐसा कहा जाय ।
जैसे,—आड्यः भूतपूर्वः आड्यपूर्वः, तस्मै आड्यपूर्वाय देहि ।

(वा. २) प्रतिषेधमें 'भूतपूर्व' अर्थके 'पूर्व' शब्दको सर्वनामसंज्ञा
नहीं होती है यह वचन निरर्थक है, क्योंकि पूर्व आदि शब्दोंको व्यवस्था
होनेपर सर्वनामसंज्ञा कही है ।

(इस सर्वनामसंज्ञाके) प्रतिषेध — (प्रकरण) में 'भूतपूर्व' अर्थके 'पूर्व' शब्दको
सर्वनामसंज्ञा नहीं होती है ऐसा वचन करना निरर्थक है ।

क्या कारण है ?

क्योंकि व्यवस्था होनेपर पूर्व आदि शब्दोंको सर्वनामसंज्ञा (आचार्यने) कही
है । अर्थात् पूर्व आदि शब्दोंको व्यवस्था होनेपर सर्वनामसंज्ञा कही है; और प्रकृत
उदाहरणोंमें तो व्यवस्था प्रतीत नहीं होती ।

(सू. ३०)—तृतीयासमासमें (सप्त आदि शब्दोंको सर्वनामसंज्ञा नहीं
होती है) ।

यहाँ पूर्वसूत्रसे (१।१।२८) 'समास' शब्दकी अनुवृत्ति आनेपर भी पुनः यहाँ
'समासे' शब्द रखा गया है सो किसलिये ?

६. 'आड्यपूर्व' शब्दमें 'पूर्व' पद 'आड्य' का विशेषण है । यह विशेषण वृत्तिके
विशेष्यका होनेके कारण 'पूर्व' शब्दमें अपना अर्थ व्यक्त करनेका संपूर्ण स्वातंत्र्य नहीं है ।
यहाँ 'पूर्व' शब्द विशेष्यसे संबद्ध ही अपने अर्थको व्यक्त करेगा (१।१।२७ टि. ८ देखिये) ।
तब जैसे पराधीन व्यक्ति अपनी अपेक्षाएँ दूर नहीं हटा सकता वैसेही वृत्तिके विशेषणकी
गति है । तब अन्यत्र ठम अर्थको नियमसे अवधिकी अपेक्षा है तो भी वह अर्थ स्वयं वृत्तिके
शब्दने उपनियम होके उसी वृत्तिमेंके विशेष्यका विशेषण हुआ तो अवधिकी अपेक्षाका नियम
नहीं रहता ।

ऽस्त्येव प्राथमकल्पिको यस्मिन्नैकपद्यमैकस्वर्यमैकविभक्तिरुत्वं च । अस्ति तादर्थ्यात्ताच्छब्दं तृतीयासमासार्थानि पदानि तृतीयासमास इति । तद्यत्तादर्थ्यात्ताच्छब्दं तस्येदं ग्रहणम् ॥ अथवा समास इति वर्तमाने पुनः समासग्रहणस्यैतत्प्रयोजनं योगाङ्गं यथोपजायेत । सति योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते । तृतीया । तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति । मासपूर्वाय देहि । संवत्सरपूर्वाय देहि । ततो ऽसमासे । असमासे च तृतीयायाः सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति । मासेन पूर्वाय देहि ।

यह तृतीयासमास ऐसा ही एक है कि (तृतीया समास कहते ही) प्रथमतः जिसकी कल्पना मनमें आती है और जिसमें (अनेक पदोंको मिलाकर) एक (सामासिक) पद तैयार होता है । उसमें एक ही स्वर होता है और विभक्तिप्रत्यय भी एक ही लगता है । (वह लोकप्रसिद्ध मुरय तृतीयासमास है) । अब “एकाध वस्तुके लिए जो एक विशेष प्रकारकी अवस्था रची जाती है उस अवस्थाको भी उस वस्तुको दिखानेवाला शब्द लगानेकी लोगमें प्रथा है ।” इस न्यायसे तृतीयासमासका विग्रह करनेके लिए जो (वाच्यमें अनेक) पद (अलग अलग) दिखाये जाते हैं उस वाच्यको भी तृतीयासमास कहा जा सकता है । अतः इस तरह तृतीयासमासका विग्रह करनेके लिए कल्पित किये हुए वाच्यको लगनेवाला जो तृतीयासमास शब्द है उसका भी यहाँ ग्रहण हो (यही समास शब्द रखनेका उपयोग है) । (इससे ‘मासेन पूर्वाय’ यहाँ भी सर्वनामसंज्ञाका निषेध सिद्ध होता है ।)

अथवा ‘समासे’ शब्दकी अनुवृत्ति आनेपर पुनः यहाँ ‘समासे’ शब्द रखा गया है उसका उपयोग यह है कि यहाँ समासको सूत्रका अवयव माना जाय । और इस तरह अवयव माना जानेपर यों योगविभाग किया जायगा—‘तृतीया’ इतना ही एक सूत्र है । (वहाँ समासग्रहणकी अनुवृत्ति है) । अतः तृतीयासमासमें सर्व आदि शब्दोंको सर्वनामसंज्ञा नहीं होती (यही उसका अर्थ है) । उदा० ‘मासपूर्वाय देहि’, ‘संवत्सरपूर्वाय देहि’ । उसके आगे ‘असमासे’ यह दूसरा सूत्र है । तृतीयासमासभित्र स्थानपर, अर्थात् तृतीयासमास जैसे वाक्यमें, सर्व आदि शब्दोंको सर्वनामसंज्ञा नहीं होती (यही उसका अर्थ है) । उदा० मासेन पूर्वाय देहि ।

१ जैसे ‘ब्राह्मणको लाया जाय’ ऐसा कहा गया तो ‘ब्राह्मणभित्रको लाया जाय’ यही उसका अर्थ होता है, पर वहाँ ब्राह्मणभित्र ऐसा ब्राह्मणसदृश अन्य कोई मनुष्य ही लाया जाता है, वेगैदी यहाँ ‘तृतीयासमासभित्रस्थली’ ऐसा कहनेसे तृतीयासमाससदृश उसका अर्थ दिखानेवाला वाक्यही लिया जाता है ।

[द्वन्द्वे च १।१।३१ ॥]

विभाषा जसि ॥ १।१।३२ ॥

जसः कार्यं प्रति विभाषाकञ्चि न भवति ॥

[प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च ॥ १।१।३३ ॥]

पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् ॥ १।१।३४ ॥

अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्थक्यं गणे पठितत्वात् ॥ १ ॥

(सू. ३१) द्वन्द्व-समासमें भी सर्वआदि शब्दोंको सर्वनामसंज्ञा नहीं होती है।

(सू. ३२) (द्वन्द्व-समासमें सर्वआदि शब्दोंको) 'जस्' प्रत्यय आगे होनेपर (सर्वनामसंज्ञा) विकल्पसे (होती है)।

'जस्' प्रत्ययके स्थानपर ('शी आदेश-७।३।१७-यह) कार्य करनेके लिए ही (यह सर्वनामसंज्ञा एकवार) विकल्पसे कही गयी है। (अन्य कार्य कर्तव्य होनेपर "द्वन्द्वे च" निषेध कायम होता है। क्योंकि) द्वन्द्वमें 'अकच्' प्रत्यय (५।३।७१) होता ही नहीं।

(सू. ३३) प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त, अल्प, अर्ध, कतिपय और नेम इन शब्दोंको 'जस्' प्रत्यय आगे होनेपर सर्वनामसंज्ञा विकल्पसे होती है।

(सू. ३४) जिस अर्थको अवधिकी अपेक्षा अवश्य लगती है उस अर्थमें प्रयुक्त क्रिये हुए तथा जो किसीकी भी संज्ञा नहीं (है) ऐसे पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर इन शब्दोंको ('जस्' प्रत्यय आगे होनेपर सर्वनामसंज्ञा विकल्पसे होती है)।

(वा. १) अवर आदि शब्दोंका पुनः प्रकृतमूत्रमें जो पाठ किया गया है वह निरर्थक है, क्योंकि गणमें उनका पाठ है।

अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणमनर्थकम् । कि कारणम् । गणे पठितत्वात् । गणे हेतानि पठन्ते । कथं पुनर्ज्ञायते स पूर्वः पाठो ऽयं पुनः पाठ इति । तानि हि पूर्वादीनीमान्यवरादीनि । इमान्यपि पूर्वादीनि । एवं तर्ह्यर्थाचार्यप्रवृत्ति-
ज्ञापयति स पूर्वः पाठो ऽयं पुनः पाठ इति यद्यं पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा [७.१.१६]
इति नवग्रहणं करोति । नवैव हि पूर्वादीनि ॥ इदं तर्हि प्रयोजनं व्यवस्थायाम-

अवर आदि शब्दोंका ('सर्वादि-' गणमें पाठ होनेपर भी उनका) पुनः प्रकृत-
सूत्रमें जो पाठ किया गया है सो निरर्थक है ।

क्या कारण है ?

क्योंकि (सर्वादि-) गणमें इन शब्दोंका (इसी क्रमसे) पाठ किया है ।

परन्तु गणपाठ पहलेका है और सूत्रपाठ पीछेका है सो कैसे जाना जाता है ?

सर्वआदि शब्दोंका गणपाठमें पहले उपक्रम किया है और सूत्रपाठमें उसके पीछे
अर्थात् बादमें उपक्रम किया है ।

(सूत्रपाठमें भी) इन पूर्वआदि शब्दोंका भी उपक्रम (गणपाठकी अपेक्षा पहले
किया है ऐसा कहा जाता है ।)

यदि यह बात है तो वह (गणपाठ) पहलेका, यह (अष्टाध्यायी पाठ) पीछेका
ऐसा आचार्यका व्यवहार ही सूचित करता है । क्योंकि यह आचार्य "पूर्वादिभ्यो
नवभ्यो वा" (७।१।१६) यहाँ (अधिकोंकी व्यावृत्तिके लिए) 'नवभ्यः' शब्द प्रयुक्त
करता है । पूर्वआदि शब्द अष्टाध्यायीमें नौ ही हैं । (अतः जब कि 'नवभ्यः' शब्द
प्रयुक्त करता है तब सर्वादिगणपाठ पहलेका है ऐसा अनुमान निकलता है, इसीलिए अधिक

१. 'यह प्रकृतसूत्र अस् प्रत्यय आगे होनेपर विकल्पसे सर्वनामसंज्ञा कहनेवाला है'
ऐसा न मानके केवल सर्वनामसंज्ञा कहनेवाला ही यह सूत्र है ऐसा मानके यह आशंका की है ।

२ यदि पाणिनिने गणपाठ पहले न किया होता तो 'सर्वादीनि सर्वनामानि' सूत्रमें
'सर्वादीनि' पद रखा जा सकता । क्योंकि 'सर्व' शब्द आरम्भमें कहा है वह कुछ भी
उस समय नहीं कहा जा सकता है ।

३ 'सर्वादीनि' सूत्रमें 'आदि' शब्द 'पहला' अर्थमें न लेकर 'प्रकार' अर्थमें लिया
गया तो 'सर्व' शब्द-जैसे जो शब्द है उनको सर्वनामसंज्ञा होती है' ऐसा उसका अर्थ लेके
सर्वनामसंज्ञा की जा सकती है । अब सर्वनामसंज्ञा जिनको करनी है वे सर्व शब्द-जैसे शब्द
कौनसे यह समझनेके लिए बादमें गणपाठकी रचना पाणिनिने की ऐसा कहा जा सकता है ।
तब 'सूत्रपाठके पूर्वही गणपाठ किया है' ऐसा अनुमान निश्चिन्त करनेके लिए वह प्रमाण नहीं
लिया जा सकता ।

संज्ञायामिति वक्ष्यामीति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । एवंविशिष्टान्येवैतानि गणे पठन्ते । इदं तर्हि प्रयोजनं व्यादिपर्युदासेन पर्युदासो मा भूदिति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति तेषां व्यादिपर्युदासेन पर्युदासो भवतीति यदयं पूर्वत्रा सिद्धम् [८. २. १] इति निपातनं करोति । वार्तिककारश्च पठति जशभावादिति

शब्दोंकी" व्यावृत्तिके लिए प्रयुक्त 'नवम्यः' शब्द सुसंगत बैठता है ।)

तो (पूर्वादिक नौ शब्दोंका यहाँ पुनः पाठ क्रिये जानेका) प्रयोजन यह समझा जाय कि 'व्यवस्थायामसंज्ञायाम्' यह विशेषण (पूर्वादि सात शब्दोंको ही) लागू हो । ('अज्ञातिघनारूपायां' विशेषण स्वशब्दको ही, तथा 'बहियोगोपसंख्यानयोः' विशेषण अन्तरशब्दको ही लागू हो ।)

यह भी प्रयोजन नहीं है । क्योंकि गणमें वैसे विशेषण लगाकर ही पाठ किया गया है ।

तो फिर (पूर्वादि नौ शब्दोंके) पाठका फल यहाँ (यह समझा जाय कि 'क्रिसर्वनामबहुभ्योऽव्यादिभ्यः'—५।३।२—यहाँके) व्यादिकोंके प्रतिषेधसे (पूर्वा दिकोंका) प्रतिषेध न हो ।

यह भी प्रयोजन नहीं आता है । व्यादिकोंके प्रतिषेधसे (पूर्वादि नौ शब्दोंके आगे तसिलादिकोंका) प्रतिषेध नहीं होता ऐसा आचार्यका व्यवहार सूचित करता है, क्योंकि ये आचार्य "पूर्वत्रासिद्धम्" (८।२।१) यहाँ ('पूर्वत्र' शब्द) प्रयुक्त

४. 'सर्वादिगण'में पूर्व इत्यादि नौ शब्दोंके आगे तय, तद् इत्यादि जो शब्द हैं उनका संग्रह 'पूर्वादिभ्यः' (७।१।१६) पदमें न हो इसलिए उसको 'नवम्यः' विशेषण दिया है । सारांश, 'सूत्रपाठकी अपेक्षा गणपाठ पूर्वका है' ऐसा निश्चय होनेके कारण इस प्रकृतसूत्रमें 'पूर्वपरावर०' शब्दोंका प्रत्यक्ष उच्चारण न करके 'पूर्वादीनि' कहनेमें इष्टिदि ही सकती है ऐसा सिद्ध होता है ।

५. सर्वादिगणका पाठक्रम दो प्रकारका है । प्रथमतः सर्व, विश्व इत्यादि १४ शब्द, तदनंतर पूर्व, पर इत्यादि ९ शब्द, और तत्पश्चात् तयद्, तद् इत्यादि १२ शब्द यह एक क्रम है । और दूसरा पाठक्रम यह है कि प्रथमतः सर्व, विश्व इत्यादि १४ शब्द, तदनंतर तयद्, तद् इत्यादि १२ शब्द और तत्पश्चात् पूर्व, पर इत्यादि ९ शब्द । यह दूसरा पाठक्रम लिया गया तो पूर्व, पर इत्यादि ९ शब्द व्यादिघोंमें आते हैं । 'द्वि' शब्द तयद्, तद् इत्यादि १२ शब्दोंमें आठवाँ शब्द है । उससे आरंभ करके आगेके सभी शब्दोंका व्यादिकोंमें संग्रह होता है । त्र, प्रल्, तसिद् इत्यादि प्रत्यय सर्वनामके आगे कहे हैं, पर उनमेंमें व्यादिक शब्द अलग रहे हैं । 'अव्यादिभ्यः' (७।३।२) ऐसा यहाँ निषेध किया है । वर निषेध दयाकर प्रद्, तगिद् प्रत्यय पूर्व, पर इत्यादि शब्दोंके आगे होने चाहिये इसलिए हेतुपूर्वक यह प्रकृतसूत्र किया है ।

चेदुत्तरत्राभावादपवादप्रसङ्ग इति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनं जसि विभाषा वक्ष्यामीति ॥

स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् ॥ १ । १ । ३५ ॥

आख्याग्रहणं किमर्थम् । ज्ञातिधनपर्यायवाची यः स्वशब्दस्तस्य यथा
ख्यादिह मा भूत् । स्वे पुत्रा स्वा पुत्रा । स्वे गाव स्वा गाव ॥

अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः ॥ १ । १ । ३६ ॥

उपसंव्यानग्रहणमनर्थकं बहिर्योगेण कृतत्वात् ॥ १ ॥

करते है । और ("ढो ढे लोप "—८।३।१३—इस सूत्रका स्पष्टीकरण करनेके लिए दिये हुए) 'जशभावादिति चेदुत्तरत्राभावादपवादप्रसङ्ग' (८।३।१३ वा २) वार्तिकमें ('उत्तरत्र' शब्द) वार्तिककार भी प्रयुक्त करते है । (अर्थात् इस सूत्रवार्तिकप्रयोगसे त्यदादिकोंके पहले पूर्वादिकोंका पाठ है ऐसा सूचित होता है ।) तो फिर (पूर्वआदि शब्दोंको) 'जस्' प्रत्यय आगे होनेपर (सर्वनामसज्ञाका) विकल्प करें इसलिए उसका यहाँ पुनः पाठ किया गया है ।

(सू ३५)—('जस्' प्रत्यय आगे होनेपर) 'स्व' शब्दको (सर्वनामसज्ञा विकल्पसे होती है), परन्तु उस 'स्व' शब्दका अर्थ ज्ञाति वा धन न होना चाहिये ।

यहाँ 'आख्या' शब्द रखा गया है सो किसलिए ?

ज्ञातिवाचक और धनवाचक जो 'स्व' शब्द है उसको सर्वनामसज्ञाका निषेध होना चाहिये । परन्तु 'स्वे पुत्रा', 'स्वा पुत्रा', 'स्वे गाव', 'स्वा गाव', यहाँ सर्वनामसज्ञाका निषेध नहीं होना चाहिये ।

(सू ३६) बहिर्योग अथवा उपसंव्यान अर्थका जो 'अन्तर' शब्द (उसको 'जस्' प्रत्यय आगे होनेपर सर्वनामसज्ञा विकल्पसे होती है) ।

(वा १) 'उपसंव्यान' शब्द निरर्थक है, क्योंकि 'बहिर्योग' से इष्टसिद्धि होती है ।

१ (सू ३५) यहाँ 'स्व' शब्द आत्मीय अर्थमें रखा है । अब वह आत्मीय पदार्थ पुनः आदि ज्ञाति हो अथवा गो आदि धन हो तो भी यहाँ सर्वनामसज्ञाका निषेध नहीं होता, क्योंकि 'स्व' शब्द ज्ञाति वा धनकी आख्या अर्थात् नाम नहीं होता है ।

१ (सू ३६) 'बहिर्योग' के दो अर्थ होते हैं । गावनी सीमा दिखानेके लिए जो तट रखा जाता है उस सीमाके बाहरके खुले प्रदेशको 'बहि' कहते हैं । और उस प्रदेशमें स्थित पदार्थको भी 'बहि' कहते हैं । इन अर्थोंमेंसे किसी एकका योग अर्थात् सक्थ दिखानेवाले 'अन्तर' शब्दको सर्वनामसज्ञा होती है । 'अन्तरे अन्तरा गृह्णा' के दो अर्थ होते हैं । 'सीमाके बाहरके घर' यह एक अर्थ है । और 'सीमाके अन्दरके जो घर सीमासे लगकर है वे घर' यह दूसरा अर्थ है । क्योंकि सीमासे लगकर जो अन्दरके घर है उनका बाहर खुले प्रदेशमें जो पदार्थ है उनसे सक्थ वहाँ 'अन्तर' शब्दसे प्रतीत होता है । 'उपसंव्यान' शब्दके भी दो अर्थ हैं । 'उप', 'सम्' इन दो उपसर्गोंको आगे 'व्ये' धातुको 'व्युत्' प्रत्यय और

उपसंख्यानग्रहणमनर्थकम् । किं कारणम् । बहियोगेण कृतत्वात् । बहियोग इत्येव सिद्धम् ॥

न वा शाटकयुगाद्यर्थम् ॥ २ ॥

न वानर्थकम् । किं कारणम् । शाटकयुगाद्यर्थम् । शाटकयुगाद्यर्थं तर्हिदि वक्तव्यं यत्रैतन्न ज्ञायते किमन्तरीयं किमुत्तरीयमिति ॥ अत्रापि य एष मनुष्यः प्रेषापूर्वकारी भवति निर्ज्ञातं तस्य भवतीदमन्तरीयमिदमुत्तरीयमिति ॥

अपुरीति वक्तव्यम् ॥ इह मा भूत् । अन्तरायां पुरि वसतीति ॥

(इस सूत्रमें) ' उपसंख्यान ' शब्द निरर्थक है ।

क्या कारण है ?

क्योंकि ' बहियोग ' (अर्थसे) इष्ट कार्य होता है । अर्थात् ' बहियोग ' अर्थसे ही इष्टसिद्धि होती है ।

(वा. २)—(' उपसंख्यान ' शब्द) निरर्थक नहीं होता है; क्योंकि (समान दीखनेवाले) दो वस्त्रोंके बारेमें इसका उपयोग है ।

(' उपसंख्यान ' शब्द) निरर्थक नहीं होता है ।

क्या कारण है ?

क्योंकि (समान दीखनेवाले) दो वस्त्रोंके बारेमें इसका उपयोग है । जहाँ (परत न मोड़े हुए समान दीखनेवाले) दो वस्त्र हैं वहाँ ' अन्तरीय ' (अर्थात् पहननेका वस्त्र) कौनसा और ' उत्तरीय ' (अर्थात् ओढ़नेका वस्त्र) कौनसा यह ज्ञात न होनेके कारण वहाँ बहियोग नहीं दिखाया जा सकता । (अतः केवल बहियोग शब्दसे काम नहीं चलता । इसलिये उपसंख्यान शब्द प्रयुक्त किया गया है ।)

यहाँ भी मनुष्य चतुर हो तो ' अमुक वस्त्र अन्तरीय है और अमुक वस्त्र उत्तरीय है ' सो ठीक ठीक पहचानता है । (उसके साथ बहियोग भी निश्चित होनेके कारण बहियोग इस अर्थसे ही अन्तरीय अथवा उत्तरीय वस्त्रके अर्थको दर्शानेवाले ' अन्तर ' शब्दको सर्वनामसंज्ञा होगी । अतः ' उपसंख्यान ' शब्द सूत्रमें रखनेकी आवश्यकता नहीं है ।)

(" अन्तरं बहियोगो " गणसूत्रमें) ' अपुरि ' शब्द कहा जाय । (' पुर ' का अर्थात् नगरका अन्तर हो तो अन्तर शब्दको सर्वनामसंज्ञा वहाँ नहीं होती ऐसा कहा जाय ।) क्योंकि ' अन्तरायां पुरि वसति ' यहाँ ' अन्तरा ' शब्दको सर्वनामसंज्ञा नहीं होनी चाहिये ।

उसको ' अन् ' आदेश (७।१।१) करके उपसंख्यान शब्द बना है । यहाँ धातुका धर्म है ' आच्छादन करना । ' आगेके प्रत्ययका ' उस कियाका कर्म और करण ' यह दो प्रकारका अर्थ हो सकता है । तब जो ढाँका जाता है वह अन्तरीय अर्थात् पहननेका वस्त्र, और जिसमें ढाँका जाता है वह उत्तरीय अर्थात् ओढ़नेका वस्त्र, दोनों वस्त्रोंको ' उपसंख्यान ' करने है । तब इन दोनों अर्थोंमें ' अन्तर ' शब्दको सर्वनामसंज्ञा होगी है ।

२. क्योंकि ओढ़नेके वस्त्रका बाहरके खुले प्रदेशमें संवत् रहना है यह प्रसिद्ध ही है । तथा उस बाहरके खुले प्रदेशमें जो पदार्थ है उनमें अर्थात् ओढ़नेके वस्त्रमें पहननेके वस्त्रका संवत् रहता है । तब दो वस्त्रोंमेंसे किसी एक वस्त्रको दिखानेवाला अन्तर शब्द हो तो उसको, ' बहियोग ' के दो अर्थोंमें कोई एक अर्थ लेकर, सर्वनामसंज्ञा का वा मकली है ।

वाप्रकरणे तीयस्य डित्सूपसंख्यानम् ॥ ३ ॥

वाप्रकरणे तीयस्य डित्सूपसंख्यानं कर्तव्यम् । द्वितीयायै द्वितीयस्यै । तृतीयायै तृतीयस्यै । विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम् [७. ३ ११५] इत्येतन्न वक्तव्यं भवति । किं पुनरत्र ज्यायः । उपसंख्यानमेवात्र ज्यायः । इदमपि सिद्धं भवति । द्वितीयाय द्वितीयस्यै । तृतीयाय तृतीयस्यै ॥

स्वरादिनिपातमव्ययम् ॥ १ । १ । ३७ ॥

किमर्थं पृथग्रहणं स्वरादीनां क्रियते न चादिष्वेव पठचेरन् । चादीनां वा

(वा ३) विकल्पके प्रकरणमें 'डित्' प्रत्यय आगे होनेपर तीयप्रत्ययान्त का ग्रहण किया जाय ।

('सर्वनामसज्ञा-' के) विकल्पके प्रकरणमें 'डित्' प्रत्यय आगे होनेपर तीयप्रत्ययान्तका ग्रहण किया जाय (अर्थात् जिसका डकार इत्संज्ञक है ऐसे प्रत्ययके पीछेके तीयप्रत्ययान्त शब्दको विकल्पसे सर्वनामसज्ञाका विधान किया जाय ।) जैसे,— द्वितीयायै द्वितीयस्यै, तृतीयायै तृतीयस्यै । (यह वार्तिक किया गया तो) " विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम् " (७।३।११५) यह सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

अब (वार्तिक और सूत्र इन दोनोंमेंसे) कौनसा रखना अच्छा है ?

वार्तिक ही रखना अच्छा । क्योंकि उसमें द्वितीयाय द्वितीयस्यै, तृतीयाय तृतीयस्यै, ये उदाहरण भी सिद्ध होते हैं ।

(सू. ३७)—स्वर आदि शब्द तथा निपातसंज्ञक (१।४।५७—९७) शब्द इनको अव्ययसंज्ञा होती है ।

(इस सूत्रमें) 'स्वर' आदिकोंका पृथक् उच्चारण किसलिए किया है ? (बेसा करनेकी आवश्यकता नहीं है ।) चादिगणमें ही 'स्वर'—आदि शब्द क्यों न पड़े जायें ?

अद्वयार्थके चादिगणके शब्दोंको निपातसज्ञा (बतायी गयी है), परन्तु

१ 'चादिगण'क 'च' आदि शब्दोंको निपातसज्ञा नहीं है (१।४।५७) । उस चादिगणमें स्वरादिगण मिलाया गया तो उसीसे 'स्वर्' आदिको निपातसज्ञा होगी, और प्रत्यसूत्रमें 'स्वर्' आदिको निपात की दृष्टिसे अव्ययसंज्ञा होगी । तब यहाँ 'स्वरादि' ऐसा अर्थपर अलग कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

२ लिग और मध्याका संबंध जिम अर्थको प्रतीत होता है उस अर्थको द्रव्य कहते हैं, अग्ने, पट, पट इत्यादि शब्दोंके अर्थ । जिम अर्थको लिग और मध्याका संबंध प्रतीत नहीं

असत्त्ववचनाना निपातसज्ञा स्वरादीना पुन सत्त्ववचनानामसत्त्ववचनाना च ॥
अथ किमर्थमुभे सज्ञे क्रियेते न निपातसज्ञैव स्यात् । नैव शक्यम् । निपात
एकाजनाद् [१ १ १४] इति प्रगृह्यसज्ञोक्ता सा स्वरादीनामप्येकाचा प्रसज्येत ॥
एव तर्ह्यययसज्ञैवास्तु । तच्चाशक्यम् । वक्ष्यत्येतत् । अन्यये नञ्कुनिपाताना
मिति । तद्वरीयसा न्यासेन परिगणन कर्तव्यं स्यात् ॥ तस्मात्पृथग्ग्रहण कर्तव्यम् ।
उभे च सज्ञे कर्तये ॥

द्वयार्थक तथा अद्रव्यार्थक दोनों प्रकारके ('स्वर' आदि गणोंके) 'स्वर' आदि
शब्दोंको (अव्ययसज्ञा इष्ट है) ।

अब, निपात और अव्यय दो सज्ञाएँ क्यों की गयी हैं ? (वे दो सज्ञाएँ न की
जायें ।) क्या एक निपातसज्ञा ही न की जाय ? (अर्थात् " प्राचींश्वरात्निपाता ")
१।४।५५—इसके आगे " स्वरादिनिपातम् " आदि सूत्र करके 'स्वर' आदिकोंको
निपातसज्ञा ही बतायी जाय । अव्ययसज्ञा बिलकुल नहीं ।)

यह करना सम्वन्हीं है । क्योंकि " निपात एकाजनाद् " (१।१।१४) सूत्रसे
बतायी हुई जो प्रगृह्यसज्ञा है वह एक स्वरसे युक्त 'स्वर' आदि शब्दोंको भी होने
लगेगी । (जैसे,—क इव इवम् ।)

यदि यह बात है तो एक अव्ययसज्ञाही रहने द । (अर्थात् ' प्राचींश्वरादव्ययम् '
१।४।५५—ऐसा सूत्र करके उसके आगे " स्वरादिनिपातम् " आदि सूत्र रखकर आगे
" चादयोऽसत्त्वे "—१।४।५७—आदि सूत्र रखे जायें ।)

वैसा करना असम्भव है । क्योंकि (" तत्पुरुषे तुल्यार्थम् "—६।२।२—इस
सूत्रसे बताया हुआ पूर्वपदप्रकृतिस्वर 'स्नात्वाकालक ' आदि उदाहरणोंमें न हो
इसलिए) " अव्यये नञ्कुनिपातानाम् " (६।२।२ वा ३) ऐसा (वहाँ) परिगणन
करता है । बहुत शब्द रखकर वह विस्तृत करना होगा । (अर्थात् अब निपातसज्ञा न
होनेके कारण परिगणनक निपात शब्दोंके बदले 'च' आदि सब शब्द रखने पड़ेंगे ।)
अत (प्रकृतसूत्रमें) 'स्वरादि' और 'निपात' दोनों शब्द पृथक् पृथक् रखने
चाहिये, तथा 'निपात' और 'अयय' ये सज्ञाएँ भी दो पृथक् पृथक् करनी चाहिये ।

होना उस अर्थको अद्रव्य कहते हैं जैसे च वा इत्यादि शब्दोंसे प्रतीत होनेवाले समुच्चय
विकल्प इत्यादि अर्थ । ये ही अर्थ जहाँ समुच्चय विकल्प इत्यादि शब्दोंसे प्रतीत होते हैं वहाँ
उनको द्रव्य कहते हैं ।

३ 'क्' में 'क्विम्' शब्दके आगे 'अत्' प्रत्यय (५।३।१२) किया है । उस 'अ'
तद्धितप्रत्ययको अब अव्ययसज्ञाके स्थानमें निपातसज्ञा देनेवाली है (१।१।३८) इसलिए
उसको प्रगृह्यसज्ञा होके प्रकृतिभाव (६।१।१७५) होगा और गुण (६।१।८७) न होगा ।

तद्धितश्चासर्वविभक्तिः ॥ १ । १ । ३८ ॥

असर्वविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम् ॥ १ ॥

असर्वविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानं कर्तव्यम् । नाना विना । किं पुनः कारणं न सिध्यति ॥

सर्वविभक्तिर्ह्यविशेषात् ॥ २ ॥

सर्वविभक्तिर्ह्येष भवति । किं कारणम् । अविशेषेण विहितत्वात् ॥

त्रलादीनां चोपसंख्यानम् ॥ ३ ॥

(सू. ३८) जिस शब्दके आगे सब विभक्ति - (प्रत्यय) नहीं लगे ऐसे तद्धितप्रत्ययान्त शब्दको (अव्ययसंज्ञा होती है) ।

(वा. १) 'असर्वविभक्ति' के साथ 'अविभक्तिनिमित्त' ऐसा और कहना चाहिये ।

'असर्वविभक्तिः' ऐसा जो कहा गया है वहाँ और 'अविभक्तिके निमित्त' ऐसा कहना चाहिये; जैसे, विना, नाना ।

परन्तु, ('विना' और 'नाना' यहाँ) प्रकृतसूत्रसे अव्ययसंज्ञा क्यों नहीं सिद्ध होती ?

(वा. २) यह सभीविभक्त्यन्तके आगे किया जा सकता है ।

यह ('ना' अथवा 'नाञ्' तद्धित-प्रत्यय) सभीविभक्त्यन्त ('वि' अथवा 'नञ्' शब्दों-) के आगे किया जा सकता है ।

क्या कारण है ?

क्योंकि विशिष्ट एक विभक्तिही कारणके तौरपर उस सूत्रमें नहीं रखी गयी है ।

(वा. ३) और 'त्रल्' आदि ('तद्धितप्रत्ययान्त शब्दों-' को अव्ययसंज्ञा होती है) ऐसा कहा जाय ।

१. 'असर्वविभक्ति.' पदका अर्थ है 'जिम तद्धितप्रत्ययान्त शब्दके आगे सब प्रकारकी विभक्ति उत्पन्न नहीं होती' । परन्तु वह अर्थ न लेके 'जिस तद्धितप्रत्ययकी उत्पत्ति होते समय उसकी प्रकृतिको सब विभक्ति नहीं लगायी जा सकती' यह अर्थ समझकर वार्तिककारोंने यह वार्तिक किया है । 'विना,' 'नाना' यहाँ 'वि' के आगे 'ना' और 'न' के आगे 'नाञ्' प्रत्यय (५।२।२७) हुआ है । उस प्रत्ययकी उत्पत्तिके समय उसकी प्रकृतिके आगे अर्थात् 'वि' और 'नञ्' के आगे अमुक विभक्ति की जानी चाहिये ऐसा विशेष कुछ भी वहाँ नहीं कहा है । अतः वहाँ कोई भी विभक्ति की तो भी चलता है । 'अविभक्तिनिमित्त' का अर्थ है 'जिस तद्धित प्रत्ययकी निर्मितिके समय उसकी प्रकृतिके आगे किसी भी विशेष विभक्तिको कारण नहीं समझा जाता है' । 'ना' और 'नाञ्' प्रत्यय देने दे ।

त्रलादीनां चोपसंख्यानं कर्तव्यम् । तत्र यत्र । ततः यतः । ननु च विशेषणैते विधीयन्ते । पञ्चम्यास्तसिल् [५. ३. ७] सप्तम्यास्त्रल् [१०] इति । वक्ष्यत्येतत् । इतराम्यो ऽपि दृश्यन्ते [१४] इति ॥ यदि पुनरविभक्तिः शब्दोऽव्ययसंज्ञो भवतीत्युच्येत ॥

अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः ॥ ४ ॥

अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः संज्ञायाः । केतरेतराश्रयता । सत्यविभक्तित्वे संज्ञया भवितव्यं संज्ञया चाविभक्तित्वं मायते तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ॥

अलिङ्ग्यसंख्यामिति वा ॥ ५ ॥

और ऋल् आदि (तद्धितप्रत्यय करनेपर वहाँ उस तद्धितप्रत्ययान्त) शब्दको (अव्ययसंज्ञा होती है) ऐसा कहा जाय, जैसे, तत्र, यत्र, ततः, यतः ।

परन्तु (ऋल्, तसिल् इत्यादि जो तद्धित प्रत्यय है) वे विशिष्टविभक्तिनिमित्त मानकर ही कहे गये हैं; जैसे, - “ पञ्चम्यास्तसिल् ” (५।३।७), “ सप्तम्यास्त्रल् ” (५।३।१७) । (अतः ऊपरके उदाहरणोंमें प्रकृतसूत्रसे ही अव्ययसंज्ञा सिद्ध होती है ।)

(तो भी दूसरी ओर दोष आता ही है । :—) “ इतराम्योपि दृश्यन्ते ” (५।३।१४) इस (सूत्रसे पञ्चमी, सप्तमी, इनसे अन्य जो विभक्तियों हैं तदन्तसे भी ऋत्तसिलादिक होता है) ऐसा कहा है । (अतः भवत् आदि शब्दोंका योग होनेपर सभीविभक्त्यन्त शब्दोंके आगे वताये हुए ऋल् आदि प्रत्यय करनेपर वहाँ अव्ययसंज्ञा नहीं होगी ।)

अब, यदि (‘तद्धितश्वासर्वविभक्तिः’ के बदले ‘अविभक्तिः शब्दः’ ऐसा सूत्र करके प्रयोगमें) जिस शब्दके आगे भी विभक्ति नहीं दिखाई देती उस शब्दको अव्ययसंज्ञा होती है ऐसा कहा जाय (तो बिना, नाना, तत्र, ततः इत्यादि स्थानोंपर दोष नहीं आता) । परन्तु—

(घा. ४) ‘अविभक्तिः’ कहा जाय तो अन्योन्याश्रयदोषसे (अव्ययसंज्ञाकी) असिद्धि होती है ।

‘अविभक्तिः’ कहा जाय तो अन्योन्याश्रयदोष आनेके कारण अव्ययसंज्ञा ही सिद्ध नहीं होती ।

वह अन्योन्याश्रयदोष कैसे आता है ?

(कोई भी शब्द) प्रथमतः विभक्तिरहित होगा तो उसे (अव्यय) संज्ञा होगी, और प्रथमतः संज्ञा होगी तो (वह शब्द) विभक्तिरहित है ऐसा सिद्ध होगा, यह अन्योन्याश्रयदोष आता है । और एक दूसरेपर निर्भर कार्य तो नहीं हो सकते ।

(घा. ५) अथवा ‘लिङ्गरहित तथा संख्यारहित (जो है वह अव्ययसंज्ञक होता है)’ ऐसा कहा जाय ।

अथवाल्लिङ्गमसंख्यमव्ययसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम् । एवमपीतरेतराश्रयमेव भवति । केतरेतराश्रयता । सत्यलिङ्गासंख्यत्वे संज्ञया भवितव्यं संज्ञया चाल्लिङ्गासंख्यत्वं भाव्यते तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ॥ नेदं वाचनिकमलिङ्गतासंख्यता च । किं तर्हि । स्वाभाविकमेतत् । तद्यथा । समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिदर्थैर्युज्यन्ते ऽपरे न । तत्र किमस्माभिः कर्तुं शक्यम् । स्वाभाविकमेतत् ॥ तत्तर्हि वक्तव्यमलिङ्गमसंख्यमिति । न वक्तव्यम् ।

सिद्धं तु पाठात् ॥ ६ ॥

पाठाद्वा सिद्धमेतत् । कथं पाठः कर्तव्यः । तसिलादयः प्राक्पाशरपः ।

अथवा 'लिङ्गरहित तथा संख्यारहित जो है वह अव्ययसंज्ञक होता है' ऐसा वचन किया जाय ।

तो भी अन्योन्याश्रय दोष आता ही है ।

वह अन्योन्याश्रयदोष कैसे आता है ?

लिङ्गरहित तथा संख्यारहित शब्द दिखाई दे तो अव्ययसंज्ञा होगी, और अव्ययसंज्ञा होनेपर वह शब्द लिङ्गरहित तथा संख्यारहित बनेगा, ऐसा अन्योन्याश्रयदोष आता है और एक दूसरेपर निर्भर कार्य तो नहीं हो सकते ।

परन्तु लिङ्गरहितत्व तथा संख्यारहितत्व वचनसे निष्पन्न नहीं होगा; यह तो स्वाभाविक है । जैसे, — एक ही प्रकारकी इच्छा करनेवाले तथा एक ही प्रकारका उपयोग करनेवाले अनेक लोगोंमेंसे कुछ लोगोंको ही फल प्राप्त होता है और कुछ लोगोंको फल प्राप्त नहीं होता, वहाँ हम क्या करें ? क्योंकि वैसा होना स्वाभाविक ही है । (अतः लिंग और संख्या न लगना यह अर्थ दूसरेपर न होनेके कारण अन्योन्याश्रय नहीं होता ।)

तो फिर 'अलिङ्गमसंख्यमव्ययम्' यह वचन करना चाहिये ।

वैसा वचन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(वा. ६) अथवा प्रत्यक्ष पाठ करनेसे यह सिद्ध होता है ।

अथवा ('स्वरादि' गणमें) प्रत्यक्ष पाठ करनेसे यह सिद्ध होता है ।

परन्तु वह पाठ कैसे किया जाय ?

("पञ्चम्यास्तसिल्" — ५।३।७ — सूत्रसे बताये हुए)

तसिल् प्रत्ययको आरंभ करके ("याप्ये पाशप्" — ५।३।४७ — सूत्रसे बताये हुए) 'पाशप्' प्रत्यय तकके प्रत्यय; ("बद्धत्पार्याच्छसुं" — ५।४।४२ — सूत्रसे बताये हुए) 'शसु' प्रत्ययको आरंभ करके "समासान्ताः" (५।४।६८) इस सूत्र तक के प्रत्यय; ("अमु च च्छन्दसि" ५।४।१२ — इस सूत्रमें बताये हुए अम् और आम्, तथा "किमेत्तिडव्ययघात् आमुं")

शस्त्रभृतयः प्राक्समासान्तेभ्यः । मान्तः । कृत्वोऽर्थः । तसिबती । नानात्राविति ॥
 अथवा पुनरस्त्वविभक्तिः शब्दोऽन्ययसंज्ञो भवतीत्येव । ननु चोक्तम-
 विभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिरिति । नैष दोषः । इदं तावदयं प्रष्टव्यः । यद्यपि
 तावद्वैयाकरणा विभक्तिलोपमारभमाणा अविभक्तिकाऽशब्दान्प्रयुञ्जते ये त्वेते
 वैयाकरणेभ्योऽन्ये मनुष्याः कथं ते ऽविभक्तिकाऽशब्दान्प्रयुञ्जते इति । अभिज्ञाश्च
 पुनर्लौकिका एतत्वादीनामर्थानाम् । आतश्चाभिज्ञा अन्येन हि वक्ष्येनैक गां
 क्रीणन्त्यन्येन द्वावन्येन त्रीन् । अभिज्ञाश्च न च प्रयुञ्जते । तदेतदेवं संदृश्यतामर्थ-

५।४।११-इस सूत्रसे बताया हुआ 'आम्' ये) मकारान्त प्रत्यय; ("संग्यायाः...
 कृत्वसुच्-५।४।१७-"द्वित्रिचतुर्थ्यः सुच्"-५।४।१८-विभाषा बहोर्धा-
 ५।४।२०-इन सूत्रोंद्वारा बताया हुआ) कृत्वसुच्, सुच् और घा प्रत्यय; ("तेनैकदिक्",
 "तसिश्च"-४।३।१२, १२-इन सूत्रोंसे बताया हुआ) तस् प्रत्यय; ("तेन तुल्यं०"
 "तत्र तस्यैव"-५।१।१५, १६-इत्यादि सूत्रोंद्वारा बताया हुआ) क्व प्रत्यय,
 ("विनञ्म्यो०"-५।२।२७-सूत्रसे बताया हुआ) ना और नाञ् प्रत्यय। (इन
 प्रत्ययोंका पाठ करनेसे "स्वरादिनिपात०"-१।१।३७-इसीसे अन्ययसंज्ञा होती है।
 अतः असर्वविभक्तिविषयक अन्योन्याश्रयदोष नहीं आता।)

अथवा ('असर्वविभक्तिः' के बदले) 'अविभक्तिः' (यह पद सूत्रमें रखकर)
 विभक्तिरहित शब्द अन्ययसंज्ञक होता है ऐसा जो कहा है, वही रहने दें।

परन्तु 'अविभक्तिः' कहा जाय तो अन्योन्याश्रयदोष आनेके कारण अव्यय-
 संज्ञा नहीं होती यह (दोष) पहले दिखाया गया है न?

यह दोष नहीं आता। यहाँ (जो अन्योन्याश्रयदोष देता है) उसे पहले यह
 पूछा जाय कि जो व्याकरणशास्त्राभिज्ञ है उन्हें अमुक सूत्रसे विभक्तिरहित लोप बताया
 गया है यह ज्ञात होनेके कारण वे विभक्तिरहित शब्दोंका प्रयोग करते हैं सो ठीक है।
 परन्तु जो व्याकरणाभिज्ञ नहीं हैं वे भी विभक्तिरहित शब्दोंका प्रयोग करते हैं सो
 कैसे? यद्यपि वे व्याकरणानभिज्ञ हैं तो भी उन्हें एक आदि संख्याका ज्ञान शब्दसे होना
 है ऐसा मानना ही चाहिये। (नहीं तो घटः, घटी आदि स्थानोंपर एक घट सूचित
 करना हो तत्र एकवचन रखते हैं और दो घट सूचित करने हों तो द्विवचन रखते हैं।
 यदि उन्हें शब्दसे एकत्वादि संख्याका ज्ञान न होता हो, तो दो घट सूचित करता है तत्र
 एकवचन, और एक घट सूचित करता है तो द्विवचन भी रखेंगे अथवा त्रिवचन वचन
 रखेंगे ही नहीं। परन्तु वे ऐसा नहीं करते। इससे व्याकरणानभिज्ञ लोगोंको भी शब्दसे
 एकत्वादि संख्याका ज्ञान होता है ऐसा सिद्ध हो जाता है।) और अगले व्यवहारे भी
 यही सिद्ध होता है। एक बैल खरीदना हो तो निश्चित एक मूष्यपर खरीदा जाता है।
 निश्चितके दुगुने मूष्यपर दो, और तिगुने मूष्यपर तीन बैल खरीदे जाते हैं। यदि उन्हें
 संख्याका ज्ञान नहीं है तो दो-तीन बैलके लिए दुगुना-तिगुना मूष्य क्यों देंगे ?

रूपमेवैतदेवजातीयक येनात्र विभक्तिर्न भवतीति । तच्चाप्येतदेवमनुगम्यमान दृश्य-
ताम् । किञ्चिदव्यय विभक्त्यर्थप्रधानं किञ्चित्क्रियाप्रधानम् । उच्चैर्नीचैरिति विभ-
क्त्यर्थप्रधान हिरुकपृथगिति क्रियाप्रधानम् । तद्धितश्चापि कश्चिद्विभक्त्यर्थप्रधान
कश्चित्क्रियाप्रधानः । तत्र यत्रेति विभक्त्यर्थप्रधानो नाना विनेति क्रियाप्रधानः
न चैतयोरर्थयोर्लिङ्गसख्याभ्या योगोऽस्ति ॥

अथाप्यसर्वविभक्तिरित्युच्यत एवमपि न दोषः । कथम् । इदं चाप्यद्यत्वे
ऽतिबहु क्रियत एकस्मिन्नेकवचन द्वयोर्द्विवचन बहुषु बहुवचनमिति । कथं तर्हि ।

अतः (एकत्वादि सख्याका) ज्ञान होकर भी (अययके विषयमें तद्वाचक विभक्तिका)
प्रयोग नहीं करते । इससे यह समझा जाय कि अव्ययरूप अर्थका स्वरूपही ऐसे
स्वभावका है कि उससे वहाँ विभक्ति नहीं लगती ।

(और अययको लिङ्ग, सख्या नहीं लगते है) यह बात अगले प्रकारसे भी
सुसगत रूपसे निश्चित हो जाती है । देखिये, कुछ अयय विभक्त्यर्थप्रधान होते हैं
(अर्थात् उनके अर्थमें विभक्त्यर्थको मुख्यत्व होता है), और कुछ अव्यय क्रियाप्रधान
होते हैं (अर्थात् उनके अर्थमें क्रियाको मुख्यत्व होता है) । जैसे,—‘ उच्चैः ’, ‘ नीचैः ’
(इनसे ऊँचे स्थानमें और नीचे स्थानमें ये अर्थ मनमें आनेके कारण) ये विभक्त्यर्थप्रधान
अयय है । तथा हिरुक, पृथक (इनसे वर्जन करना और अलग होना ये क्रियाएँ
मनमें आनेके कारण) क्रियाप्रधान अव्यय है । वैसेही तद्धित-प्रत्यय भी करनेपर वहाँ
भी कुछ स्थानोंपर उसके अर्थमें विभक्त्यर्थको मुख्यत्व दिखाई देता है, और कुछ स्थानोंपर
क्रियाको मुख्यत्व दिखाई देता है । जैसे, यत्र, तत्र, इनसे ‘ जिस स्थानपर ’, ‘ उस स्थानपर ’
ऐसा अर्थ मनमें आनेके कारण वह प्रत्यय मुख्यत्वसे विभक्त्यर्थको दर्शाता है, और विना,
नाना, आदिसे ‘ अलग रखना ’ यह क्रिया मनमें आनेके कारण यह तद्धितप्रत्यय मुख्यतया
क्रियाको दिखाता है । और विभक्त्यर्थ और क्रिया इनको लिङ्ग और सख्याका अन्वय
होनेकी योग्यता बिलकुल नहीं है । (इससे अव्ययका लिङ्गसख्याराहित्य युक्तिसिद्ध
अर्थात् स्वाभाविक ठहरता है ।)

अत्र, ‘ तद्धितभासर्वविभक्तिः ’ (१११३८) यह सूत्र जैसा है वैसा ही रसा जाय
तो भी दोष नहीं आता ।
सो कैसे ?

वह यों कि एकत्व दिखाना हो तो एकवचन क्रिया जाय, द्वित्व दिखाना हो तो
द्विवचन क्रिया जाय, और बहुत्व दिखाना हो तो बहुवचन क्रिया जाय (११४१२१, २२)
यह जो कहा है, वह भी अधिक क्रिया है ऐसा दिखाई देता है ।

तो फिर (वह थोड़ेमें कैसे बनाया जाय ?)

(‘ एकत्व दिखाना हो तत्र ’ ये शब्द निकालकर) केवल ‘ एकवचन क्रिया

एकवचनमुत्सर्गः करिष्यते तस्य द्विवचनोरर्थयोर्द्विवचनबहुवचने बाधके भविष्यतः ॥
न चाप्येवं विग्रहः करिष्यते । न सर्वा असर्वाः । असर्वा विभक्तयो ऽस्मादिति ।
कथं तर्हि । न सर्वासर्वा । असर्वा विभक्तिरस्मादिति । त्रिकं पुनर्विभक्तिसंज्ञम् ॥
एवं गते कृत्यपि तुल्यमेतन्मान्तस्य कार्यं ग्रहणं न तत्र ।

ततः परे चाभिमतान् न कार्यास्त्रयः कृदर्थान् ग्रहणेन योगाः ॥ १ ॥

जाय ' ऐसा कहा जाय । इस वचनसे सर्वत्र जो एकवचन प्राप्त होता है उसका द्वित्व अथवा बहुत्व दिखाना हो तो क्रमशः बताया हुआ द्विवचन और बहुवचन ये बाधा करेंगे । (अर्थात् अन्ययके आगे केवल एकवचनहि होगा । अतः न और नाञ् इन तद्धितोंकी उत्पत्ति होते समय त्रि और न इत्यादिके आगे सब विभक्तियों गृहीत नहीं मानी जा सकनेके कारण त्रिना, नाना, यहाँ अन्ययसंज्ञा होगी ।)

और (' असर्वविभक्तिः ' इस समासका) ' न सर्वाः असर्वाः, असर्वा विभक्तयो अस्मात् ' , (सात प्रकारकी विभक्तियाँ जिस तद्धितके आगे नहीं की जा सकती वह तद्धित) यह विग्रह न किया जाय । तो फिर किस तरह किया जाय ? ' न सर्वा असर्वा, असर्वा विभक्तिः अस्मात् ' (जिस तद्धितके आगे सर्व = यद्यथावत् तीनों विभक्ति प्रत्यय उत्पन्न नहीं किये जा सकते, वह तद्धित) इस तरह किया जाय । विभक्ति यह संज्ञा तो (एकवचन, द्विवचन, और बहुवचन, इन) तीनोंके समुदायको है । (अतः ' त्रिना ' , ' नाना ' अन्ययके आगे सात प्रकारकी विभक्तियोंका एकवचन हुआ, तो भी द्विवचन और बहुवचन न होनेके कारण त्रिना और नाना यहाँसे तद्धित प्रत्यय असर्वविभक्तियाँ ही हैं । इससे मूल सूत्रसे ही वहाँ अन्ययसंज्ञा होती है ।)

(' असर्वा विभक्तिः अस्मात् ' इस तरह समासका विग्रह करते समय एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इस त्रिकको विभक्तिसंज्ञा होनेके कारण हरएक विभक्तिका एकवचन उत्पन्न हुआ तो भी द्विवचन और बहुवचन की उत्पत्ति न होनेके कारण असर्वविभक्तित्व है ही,) यह गृहीत माना जाय, तो (' असर्वविभक्ति अव्ययम् ' इतनाही तद्धितशब्दरहित सूत्र रहने दें । " कृन्मेजन्तः " इस अगले सूत्रसे जिस स्थानपर अव्ययसंज्ञा इष्ट है उस कृतप्रत्ययके विषयमें भी वह पूर्ववित असर्वविभक्तित्व संभव होता है । इसलिए वहाँ अन्ययसंज्ञा बतानेवाला ' कृन्मेजन्तः ' सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है; और उसके आगेकी अव्ययसंज्ञाके नाते इष्ट, और प्रतिपदीस्त उच्चारित किये हुए ऐसे तीन कृतसंज्ञक प्रत्यय, अर्थात् " यत्वातोमुत्कमुनः " यह सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है । (इतनाही नहीं तो " स्वरादिनिपातमव्ययम् " - १।१।३७ - इस सूत्रको आरंभ करके " अन्ययीभावश्च " १।१।४१ इस सूत्रके साथ कुल पाँच) सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है । (१)

वृत्तद्विताना ग्रहण तु कार्यं सख्याविशेष ह्यभिनिश्चिता ये ।

तेषा प्रतिषेधो भवतीति वक्तव्यम् । इह मा भूत् । एको द्वौ बहव इति ।

तस्मात्स्वरा द्विग्रहण च कार्यं वृत्तद्विताना ग्रहण च पाठे ॥ २ ॥

पाठनेयमव्ययसज्ञा क्रियते सेह न प्राप्नोति । परमोच्चैः परमनीचैरिति । तदन्तविधिना भविष्यति । इहापि तर्हि प्राप्नोति । अत्युच्चैः अत्युच्चैसी अत्युच्चैस इति । उपसर्जनस्य नेत्ति प्रतिषेधो भविष्यति । स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्य । न वक्तव्य । सर्वनामसज्ञाया प्रवृत्त प्रतिषेध इहानुवर्तिष्यते । स वै तत्र प्रत्याख्यायते । यथा स तत्र प्रत्याख्यायत इहापि तथा शक्य प्रत्याख्यातुम् । कथ

(एकवचन आगे रखा गया तो फिर भी द्विवचनादिक आगे न होनेके कारण आनेवाला) असर्वविभक्तित्व, एकार ही विशिष्ट वचन होनेवाले एक, द्वि, बहु इन शब्दके विषयमें भी होनेके कारण उन्हें प्रात होनेवाली अव्ययसज्ञा न हो, इसलिए, तद्वितशब्द वहाँ रखा जाना चाहिये । (अर्थात् मूलमें है, वैसा ही सूत्र करना चाहिये ।) मूलका सूत्र कायम करनेपर ' कुन्मेजन्त ' आदि पूर्वान्त पाँच सूत्र भी रखना आवश्यक है । (और ' उभय ' इस तद्वितान्त शब्दको अव्ययसज्ञा न हो इसलिए जिन तद्वितोंको अव्ययसज्ञा इष्ट है उन तद्वितप्रययोंका प्रतिषेधोक्त पाठ किया जाय ।)

अत ' स्वर ' आदि ये शब्द सूत्रम रखने चाहिये । तथा वृत्प्रत्ययों और तद्वितप्रत्ययोंका भी पाठ किया जाय ।

जिनका प्रयय पाठ किया है उन ' स्वर '—आदिकोंको अव्ययसज्ञा होती है ऐसा कहा गया तो वह ' परमोच्चैः ' ' परमनीचैः ' इन स्थानोंपर प्रात नहीं होती ।

परन्तु (' शब्दस्वरूप ' का अध्याहार करके) तदन्तविधि करनेसे (ऊपरके उदाहरणोंके विषयमें अव्ययसज्ञा) होगी ।

ता फिर, ' अत्युच्चैः, अत्युच्चैसी, अत्युच्चैस ' यहाँ भी अव्ययसज्ञा होने लगेगी ।

(समासमें) ' विशेषग बने हुए (' स्वर '—आदि) जो शब्द हैं उनको अव्ययसज्ञा नहीं हाती ' इस वचनसे प्रतिषेध होगा ।

तो फिर यहाँ वैसा प्रतिषेध करना चाहिये ।

करनेकी आवश्यकता नहीं है । सर्वनामसज्ञाके वारमें उपसर्जनप्रतिषेध किया गया है । उसकी यहा अनुवृत्ति की जा सकेगी ।

परन्तु वहाँ प्रतिषेधका प्रयास्यान किया है न ?

वहाँ जैम प्रयास्यान किया है वैसा यहाँ भी उस उपसर्जनप्रतिषेधका प्रयास्यान करना समझते ।

वहाँ कैम (उस उपसर्जनप्रतिषेधका) प्रयास्यान किया गया है ?

स तत्र प्रत्याख्यायते । महतीय सज्ञा क्रियत इति । इयमपि च महती सज्ञा क्रियते । सज्ञा च नाम यतो न लधीय । कुत एतत् । लध्वर्थं हि सज्ञाकरणम् । तत्र महत्या सज्ञाया करण एतत्प्रयोजनमन्वर्थसज्ञा यथा विज्ञायेत । न व्येतीत्ययमिति । क पुनर्न व्येति । स्त्रीपुनपुसकानि सत्त्वगुणा एकत्वद्वित्व बहुत्वानि च । एतानर्थान्केचिद्वियन्ति केचिन्न वियन्ति । ये न वियन्ति तदव्ययम् ॥

सदृश त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् ॥

✓कृन्मेजन्तः ॥ १ । १ । ३९ ॥

कथमिदं विज्ञायते । कृद्यो मान्त इति । आहोस्वित्कृदन्त यन्मान्तमिति ।

(सर्वनाम) यह महासज्ञा की जानेके कारण उसके बलपर (वहाँ उपसर्जन प्रतिषेधका प्रत्याख्यान किया गया है) ।

यदि यही बात है तो यहाँ भी (अव्यय) यह भी महासज्ञा की गयी है । अब जो सज्ञा होती है वह ऐसी हो कि जिससे छोटा शब्द ससारमें न हो ।

यह कैसे ? (बहुतसे अर्थ) एक छोटेसे शब्दके अन्तर्गत आ जायें इसलिये सज्ञा की जाती है । अतः वहाँ महासज्ञा करनेका प्रयोजन यह समझा जाय कि अपने अर्थका अनुसरण की हुई यह सज्ञा है, अर्थात् 'न व्येति' (न विविध विकार गच्छति) इस व्युत्पत्तिसे 'जिसका स्वरूप नहीं बदलता है वह शब्दस्वरूप' ऐसा अव्ययशब्दका अर्थ है । (वह अर्थ जिस शब्दके साथ ठीक बैठता है उस शब्दको अव्ययसज्ञा दी जाय ।)

शब्दका स्वरूप कहाँ नहीं बदलता ? पशुओंके धर्म स्त्रीत्व, पुस्त्व और नपुसकत्व ये लिङ्ग, तथा एकत्व, द्वित्व, बहुत्व ये सरयाएँ, इन्हें कुछ उ पदार्थ आश्रय देते हैं और कुछ पदार्थ आश्रय नहीं देते । उनमें जो पदार्थ आश्रय नहीं देते उन पदार्थोंका प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंको अव्यय कहते हैं ।

“तीनों लिङ्गोंमें, सब विभक्तियोंमें और सब वचनोंमें जिसका स्वरूप नहीं बदलता है, अर्थात् एक ही आकारमें रहता है, वह अव्यय है ।”

(सु ३९) मकार अथवा एच् (ए, ऐ, ओ, औ) जिसक अन्तमें है वह 'कृत्' प्रत्यय जिसके अन्तमें है उस शब्दका अव्ययसज्ञा होती है ।

इस ('कृन्मेजन्त' सूत्र-) का अर्थ कैसे समझा जाय ? यहाँ 'कृत् जो मकारान्त है' यह अर्थ समझना चाहिये ? (अर्थात् 'कृत्' प्रत्ययको 'मेजन्त' विशेषण लगाना चाहिये ?) अथवा 'कृदन्त जो मकारान्त है' ऐसा अर्थ समझा जाय ? (अर्थात् प्रथमतः तदन्तविधि करके उस कृदन्तपर 'मेजन्त' विशेषण लगाना चाहिये ?)

किं चात । यदि विज्ञायते कृद्यो मान्त इति कारयाचकार हारयाचकारेत्यत्र न प्राप्नोति । अथ विज्ञायते कृदन्त यन्मान्तमिति प्रतामौ प्रताम अत्रापि प्राप्नोति । यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावत्कृद्यो मान्त इति । कथं कारयाचकार हारयाचकारेति । किं पुनरत्राव्ययसज्ञया प्रार्थ्यते । अव्ययात् [२ ४ ८२] इति लुग्यथा स्यात् । मा भूदेवम् । आम [२ ४ ८१] इत्येव भविष्यति । न सिध्यति । लिग्रहण तत्रानुवर्तते । लिग्रहण निवर्तिष्यते । यदि निवर्तते प्रत्ययमात्रस्य लुक्प्राप्नोति । इष्यते च प्रत्ययमात्रस्य । आतश्चेष्यत एव ह्याह कृच्चानु-

इन दो प्रकारके अर्थोंमें क्या भेद है ?

यदि 'कृत् जो मकारान्त है' यह अर्थ किया गया, तो 'कारयाचकार,' 'हारयाचकार' यहाँ (कारयाम्, हारयाम् इनके आगे 'कृत्' नामका जो लिट् प्रत्यय है, वह मकारान्त न होनेके कारण, वहाँ अव्ययसज्ञा) नहीं होगी। अब 'कृदन्त जो मकारान्त' ऐसा अर्थ किया गया, तो 'प्रतामौ', 'प्रताम' यहाँ भी ('प्रताम्', लुप्त बने हुए क्तिप् प्रत्ययके कारण, कृदन्त है, और मकारान्त तो स्वतः सिद्ध है, इसीलिए अव्ययसज्ञा) होने लगेगी (ऐसा भेद दिखाई देता है।)

तो फिर आपकी इच्छाके अनुसार कोई भी प्रकार रहने दीजिये। 'कृत् जो मकारान्त' यह अर्थ रहने दीजिये।

परन्तु वैसा अर्थ गृहीत माना जाय तो कारयाचकार, हारयाचकार, यहाँ अव्ययसज्ञा कैसे होगी ?

परन्तु यहाँ अव्ययसज्ञा करके क्या प्राप्त करना है ?

"अव्ययादाप्सुप" (२।४।८२) इससे ('कारयाम्' इस आमन्तके आगे का सुप् प्रत्ययको) लुक् करना है।

वह (लुक्) उस सूत्रसे न हो, "आम" (२।४।८१) इससे होगा।

उससे नहीं होगा। क्योंकि वहाँ ("मन्त्रे घसं"—२।४।८०—सूत्रसे) 'ले' पदकी अनुवृत्ति आती है।

'ले' पदकी "आम" यहाँ निवृत्ति की जायगी।

यदि 'ले' पदकी अनुवृत्ति 'आम' यहाँ बंद की गयी, तो उससे आमन्तके आगे कोई प्रत्यय दिखाई नहीं देगा।

परन्तु आमन्तके आगे कोई भी प्रत्यय न दिखाई देना इष्ट ही है न ? और आमन्तके आगे कोई भी प्रत्यय न दीखना इसीलिए इष्ट है कि इन आमन्त-शब्दोंके आगे "लिट्प्रत्यय आगे होनेवाले कृ, भू, और अस् इनका अत्यवहित अनुप्रयोग

(१) तथा 'आम' सूत्रसे 'लिट्' प्रत्ययका ही 'उह' होगा, 'सुप्' प्रत्ययका न होगा।

प्रयुज्यते लिटि [३ १. ४०] इति । यदि च प्रत्ययमात्रस्य लुग्नवति तत् एतदुपपन्नं भवति ॥ अथवा पुनरस्तु कृदन्तं यन्मान्तमिति । कथं प्रतामौ प्रताम इति । आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न प्रत्ययलक्षणेनायसंज्ञा भवतीति यद्य प्रशान्शब्दस्वरादिषु पठति ॥

कृन्मेजन्तश्चानिकारोकारप्रकृतिः ॥ १ ॥

कृन्मेजन्तश्चानिकारोकारप्रकृतिरिति वक्तव्यम् । इह मा भूत् । आधये आधेः । चिकीर्षवे चिकीर्षोरिति ॥

अनन्यप्रकृतिरिति वा ॥ २ ॥

अथवानन्यप्रकृतिः कृदयसंज्ञा भवतीति वक्तव्यम् ॥ किं पुनरत्र ज्यायः ।

क्रिया जाय ” (३११४०) ऐसा कहा है । यदि आम्न्तके आगेका कोई भी प्रत्यय न दिखे दे तो ही (आम्न्तोंके आगे अन्यवहित अनुप्रयोग कहना) यह ठीक मेल साता है ।

अथवा ‘कृदन्त जो मकारान्त’ यह अर्थ लिया जाय (तो भी कोई आपत्ति नहीं है) ।

तो फिर ‘प्रतामौ’, ‘प्रतामः’ यहाँ (अन्ययसंज्ञा) क्यों नहीं होती ?

जब कि यह आचार्य (अन्ययसंज्ञा होनेके लिए) ‘प्रशान्’ इस (क्विबन्त शब्द—) का ‘स्वरादि’ गणमें पाठ करता है, तब ‘प्रत्ययलक्षणसे अन्ययसंज्ञा नहीं होती’ ऐसा सूचित करता है ।

(वा १) ‘कृन्मेजन्तः’ में जो एच् लेना है वह इकार अथवा उकार के स्थानपर बना हुआ आदेश न हो ।

‘कृन्मेजन्तः’ यहाँ जो एच् (ए, ऐ, ओ, औ) लेना है वह इकार अथवा उकारके स्थानपर बना हुआ आदेश न हो, ऐसा कहा जाय । क्योंकि ‘आधये’, ‘आधे.’ यहाँ (“ उपसर्गो घो. क्रिः ”—३१३९२— इससे किये हुए ‘क्रि’ अर्थात् ‘इ’ प्रत्ययको ‘घेङ्ङिति’—७१३१११— इससे गुण करनेपर वह एकार एच् है और स्थानिवद्भावसे कृत् है), तथा ‘चिकीर्षवे’, ‘चिकीर्षो.’ यहाँ (सन्नन्तके आगे ‘सनाशसमिध उः’—३१२१६८— इससे किये हुए ‘उ’ प्रत्ययको गुण करनेपर वह ओकार एच् और स्थानिवद्भावसे कृत् है इसलिए उसके स्थानपर अन्ययसंज्ञा होने लगेगी) वह न हो ।

(वा. ०) अथवा अन्य किसी भी (वर्ण—)को आदेश न हुआ जो एच् है (तदन्तकृतप्रत्ययको अन्ययसंज्ञा होती है) ।

अथवा दूसरे किसी भी (वर्ण—)को आदेशरूपसे न बना हुआ जो एच् (अर्थात् समुन्न सन्धिस्वर) है तदन्त कृतप्रत्ययको अन्ययसंज्ञा होती है ऐसा ध्यान दिया जाय ।

अनन्यप्रकृतिवचनमेव ज्यायः । इदमपि सिद्धं भवति । कुम्भकारेभ्यः नगरकारेभ्य इति ॥ तत्तर्हि वक्तव्यम् ।

न वा संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य ॥ ३ ॥

न वा वक्तव्यम् । किं कारणम् । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येत्येषा परिभाषा कर्तव्या ॥ कः पुनरत्र विशेष एषा वा परिभाषा क्रियेतानन्यप्रकृतिरिति वोच्येत । अवश्यमेवा परिभाषा कर्तव्या । बहून्येतस्याः

(“इकार अथवा उकारके स्थानपर न बना हुआ एच्” (वा. १) ऐसा कहना अथवा “किसी भी वर्णके स्थानमें न बना हुआ एच्” (वा. २) ऐसा कहना) इन दोनोंमेंसे कौनसा वचन अधिक समुचित है ?

(सामान्यतया) ‘किसी भी वर्णको आदेश न बना हुआ एच्’ यह कहना ही श्रेष्ठ है; क्योंकि (सामान्यतया कहनेसे) ‘कुम्भकारेभ्यः’, ‘नगरकारेभ्यः’ ये उदाहरण भी सिद्ध होते हैं । (अर्थात् यहाँका ‘ए’ अकारके स्थानमें बना हुआ— ७।३।१०३—होनेके कारण वहाँ अव्ययसंज्ञा नहीं होती ।)

तो फिर वहाँ वैसा वचन (वा. २) करना चाहिये ।

(वा. ३) अथवा वैसा वचन न किया जाय, क्योंकि दोनोंके संबंधपर निर्भर जो विधान है वह दोनोंके संबंधोंका विनाश करनेवालेका निमित्त नहीं होता है ।

अथवा वैसा वचन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

यया कारण है ।

क्योंकि “दोनोंके संबंधपर निर्भर होकर प्रवृत्त बना हुआ जो विधान है वह दोनोंके संबंधका (साक्षात् वा परंपरया) विनाश करनेवालेका निमित्त नहीं होता है” (देखिये परि. शे. परि. ८५) ऐसी परिभाषा की जाय ।

परन्तु चाहे संनिपातपरिभाषा की जाय, अथवा चाहे ‘किसीको भी आदेश न बना हुआ एच् यहाँ चाहिये’, ऐसा वचन किया इनमें भेद क्या है ?

यह (संनिपात) परिभाषा अवश्य करनी ही चाहिये । क्योंकि इस परिभाषाके उपयोग बहुत हैं ।

१. ह्रस्वभ्रष्टरान्त अद्ग और झलादि यदुवचन सुप् इन दोनोंके पौर्वापर्यसंबंधके आधारपर प्रवृत्त हुई जो विधि एकार है, वह पौर्वापर्यसंबंधका विनाश करनेवाले ‘अभ्ययादायुषः’ इन सुप्उक्की गहायता नहीं करती; अर्थात् सुप्उक्की गहायता करनेवाली जो ‘ह्रस्वभ्रन्त.’ में बड़ी हुई अभ्ययसंज्ञा है, उस संज्ञाकी गहायता नहीं करती । अर्थात् एभ्रन्त न होनेके कारण अभ्ययसंज्ञा नहीं होती । इसलिए उस अभ्ययसंज्ञापर अवलंबित सुप्उक् भी नहीं होता ।

परिभाषायाः प्रयोजनानि । कानि पुनस्तानि ।

प्रयोजनं ह्रस्वत्वं तुग्विधेर्ग्रामणिकुलम् ॥ ४ ॥

ग्रामणिकुल सेनानिकुलमित्यत्र ह्रस्वत्वे कृते ह्रस्वस्य पिति कृति तुग्मवतीति तुक्प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्येति न दोषो भवति ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम् । बहिरङ्ग ह्रस्वत्वमन्तरङ्गस्तुक् । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥

नलोपो वृत्रहभिः ॥ ५ ॥

वृत्रहभिः भ्रूणहभिरित्यत्र नलोपे कृते ह्रस्वस्य पिति कृति तुग्मवतीति तुक् प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्येति न दोषो भवति ॥

कौनसे वे उपयोग हे ?

(वा. ४) इस संनिपातपरिभाषाका प्रयोजन ह्रस्वविधान तुक् आगमका (निमित्त नहीं होता है) । जैसे, ग्रामणिकुलम् ।

‘ग्रामणिकुलम्’, ‘सेनानिकुलम्’ यहाँ “इको ह्रस्वो” (६।३।६१) सूत्रसे उत्तरपदनिमित्तक पूर्वपदको ह्रस्व करनेपर “ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्” (६।१।७१) इससे तुक् (आगम) प्राप्त होता है । पूर्वपद और उत्तरपद इन दोनोंके संबंधके कारण बना हुआ (ह्रस्व), उस संबंधका नाश करनेवाले तुक् आगमका निमित्त नहीं होता है इसलिए दोष नहीं आता । (यह इस संनिपातपरिभाषाका उपयोग है ।)

यह इस परिभाषाका उपयोग नहीं होता । क्योंकि (पूर्वपद और उत्तरपद इन दोनोंपर निर्भर होनेके कारण) ह्रस्व बहिरंग है, और तुक् आगम (केवल ‘ग्रामणि’ इतनेपर ही निर्भर होनेके कारण) अंतरंग है । और तुक् आगम कर्तव्य होनेपर बहिरंग ह्रस्व असिद्ध होता है । (इससे तुक् आगम नहीं होगा) ।

(वा. ५) (इस संनिपातपरिभाषाका और एक प्रयोजन,) नकारका लोप (तुक् आगमका निमित्त नहीं होता), जैसे, वृत्रहभिः ।

‘वृत्रहभिः’, ‘भ्रूणहभिः’ यहाँ ‘नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य’ (८।२।७) इससे नकारका लोप करनेपर ‘ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्’ इससे तुक् आगम शक्य होता है । (पदसंज्ञाके द्वारा भिन्नु और उसकी प्रकृति,) इन दोनोंके संबंधके कारण बना हुआ नकारका लोप तुक् विधिको निमित्त नहीं होता, इसलिए दोष नहीं आता । (यह संनिपातपरिभाषाका उपयोग है) ।

३ क्योंकि पूर्वपद और उत्तरपद इन दोनोंके बीचमें ‘तुक्’ आगम होगा । और उसमें उन दोनोंका सामिप्य नष्ट हो जानेमें उनके संबंधका ‘तुक्’ आगमसे दिनाम होनेवाला है ।

एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । असिद्धो नलोपः । तस्यासिद्धत्वान्न भविष्यति ॥

उदुपधत्वमकिच्चस्य निकुचिते ॥ ६ ॥

उदुपधत्वमकिच्चस्यानिमित्तम् । क । निकुचिते । निकुचित इत्यत्र नलोपे कृत उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् [१२२१] इत्यकिच्च प्राप्नोति । सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विधातस्येति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । अस्त्वत्राकिच्चम् । न धातुलोप आर्धधातुके [११४] इति प्रतिषेधो भविष्यति ॥

नाभावो यन्नि दीर्घत्वस्यामुना ॥ ७ ॥

यह भी उपयोग नहीं होता, क्यों कि नकारका लोप (८।२।२) असिद्ध है । वह असिद्ध होनेके कारण तुक् आगम नहीं होगा ।

(या. ६) उपधाको ह्रस्व उकार होना, किच्चके निषेधका निमित्त नहीं होता, जैसे, 'निकुचित' में ।

उपाधाको ह्रस्व उकार होना किच्चके निषेधका निमित्त नहीं होता । कहीं ।

'निकुचितः' इस उदाहरणमें 'नि' उपसर्गपूर्वक 'कुञ्च्' धातुके आगे 'क्त' प्रत्यय करके "अनिदिता हल ०" (६।४।२४) इससे नकारका लोप करनेपर "उदुपधाद् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्" (१।२।२१) इससे ('क्त' प्रत्ययके) किच्चका निषेध प्राप्त होता है । (अतः लघूपधगुण ७।३।८६ होगा यह दोष आता है) । परन्तु सन्निपातपरिभाषासे यह दोष नहीं आता (ऐसा उस परिभाषाका उपयोग है) ।

यह भी सन्निपातपरिभाषाका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ (अर्थात् 'निकुचितम्' में "उदुपधात् ०" १।२।२१ इससे 'क्त' प्रत्ययके किच्चका निषेध हो । "न धातुलोप आर्धधातुके" (१।१।४) इससे (गुणका) प्रतिषेध होगा ।

(या ७) 'ना' आदेश, 'यञ्' व्यञ्जन आगे होनेपर आनेवाले दीर्घको निमित्त नहीं होता ।

४ 'भिन्' प्रत्ययके निमित्तसे 'इन्द्रन्' को जो पदसहा (१।४।१७) हुई उसके आधारपर होनेवाले नकारका लोप बहिष्कृत है । 'लृक्' आगमके लिए 'भिन्' प्रत्ययकी आवश्यकता न होनेसे वह अन्तर्ग है ।

५ क्योंकि किच्चका निषेध होनेके कारण गुणका निषेध (१।१।२) नहीं आता ।

६ 'क्त' प्रत्ययके कित्तके कारण नकारका लोप (६।४।२४) होके ह्रस्व उकार धातुकी उपाधाको प्राप्त हुआ है । तब वह उपाधाको प्राप्त हुआ ह्रस्व उकार 'क्त' प्रत्ययके कित्तके निषेध करनेवाले 'उदुपधात् ०' (१।२।२१) की सहायता नहीं करेगा ।

नाभावो यत्रि दीर्घत्वस्यानिमित्तम् । क । अमुना । नाभावे कृते उतो दीर्घो यत्रि; सुपि च [७.३.१०१; १०२] इति दीर्घत्वं प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विनातस्येति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । वक्ष्यत्येतत् । न मु टादेश इति ॥

आत्त्वं कित्त्वस्योपादास्त ॥ ८ ॥

आत्त्वं कित्त्वस्यानिमित्तम् । क । उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्येति ।

(“आडो नाऽस्त्रियाम् ” — ७.३.१२० — इससे क्रिया हुआ) ‘ना’ आदेश ‘यञ्’ व्यञ्जन आगे होनेपर आनेवाले दीर्घको निमित्त नहीं होता ।

कहाँ ?

‘अमुना’ उदाहरणमें । यहाँ ‘ना’ आदेश करनेपर “अतो दीर्घो यत्रि”, “सुपि च” (७.३.१०१, १०२) इन सूत्रोंसे दीर्घ प्राप्त होता है, परन्तु वह संनिपातपरिभाषासे नहीं होता है ।

यह भी उपयोग नहीं आता, क्योंकि “न मु ने” (८.१.३२) के बदले (वार्तिककार) “न मु टादेशे” (८.१.३ वा. १) ऐसा सूत्र करनेवाला है । (उसीसे यह सिद्ध होगा ।)

(वा. ८) आत्त्वं कित्त्वको निमित्त नहीं होता; जैसे, ‘उपादास्त’ ।

आत्त्वं कित्त्वका निमित्त नहीं होता ।

कहाँ ?

‘उपादास्त’ अस्य स्वरः शिक्षकस्य । (यहाँ ‘उपादास्त’ शब्दमें ‘दीर्घ’

आच्वे कृते स्थाघ्वोरिच्च [१२.१७] इतीच्चं प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । उक्तमेतत् । दीङः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरिच्च इति ॥

तिसृचतसृत्वं ङीञ्विधेः ॥ ९ ॥

तिसृचतसृत्वं ङीञ्विधेरनिमित्तम् । क । तिस्रस्तिष्ठन्ति । चतस्रस्तिष्ठन्ति । तिसृचतसृभावे कृत ऋन्नेभ्यो ङीप् [४१.५] इति ङीप्प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति

धातुके ईकारको) 'आ' आदेश (६।१।५०) करनेपर " स्थाघ्वोरिच्च " (१।२।७) सूत्रसे 'इ' आदेश प्राप्त होता है । परन्तु संनिपातपरिभाषासे नहीं होता ।

यह भी उपयोग नहीं आता । (क्योंकि) — " स्थाघ्वोरिच्च " (१।२।७) सूत्रसे बताया हुआ कार्य अर्थात् इत्वं कर्तव्य होनेपर 'दीङ्' धातुको धुसंज्ञाका प्रतिषेध होता है " (१।१।२० वा. ६) ऐसा पहले बताया ही है ।

(या ९) तिसृ और चतसृ आदेश ङीप् प्रत्ययको निमित्त नहीं होते ।

तिसृ और चतसृ आदेश ङीप् प्रत्ययको निमित्त नहीं होते ।

कहाँ ?

तिस्रस्तिष्ठन्ति चतस्रस्तिष्ठन्ति । (यहाँ स्त्रीलिंगी त्रि और चतुर इन शब्दोंके आगे जस् प्रत्यय करनेपर " चित्रतुरोः स्त्रियाम् ० " — ७।२।२९ — त्रि और चतुर शब्दोंके स्थानपर) 'तिसृ' और 'चतसृ' आदेश करनेपर 'ऋन्नेभ्यो ङीप्' (४।१।५) सूत्रसे 'ङीप्' प्रत्यय प्राप्त होता है । (परन्तु त्रि शब्द और विभक्ति इन दोनोंके पौर्वापर्य—) संबंधके कारण बना हुआ तिसृ आदेश उस संबंधका विघात करनेवाले (ङीप्—) को निमित्त नहीं होता । इसलिए दोष नहीं आता । (यह इस परिभाषाका उपयोग है ।)

यह भी उपयोग नहीं होता है । क्योंकि, जब कि आचार्य (पाणिनि) 'नाम्' आगे होनेपर (तिसृ वा चतसृ शब्दको " नामि " — ६।४।२—सूत्रसे प्राप्त) दीर्घका

१. 'उप—' उपसर्गपूर्वक 'दीङ्' धातुके आगे लृट्, त, ङि, सिच्, अडागम करनेके बाद 'अ दी सृ त' अवस्थामें 'मीनातिमिनोतिदीडा०' (६।१।५०) से एजुत्पादक सिच् प्रत्यय आगे होनेके कारण 'दीङ्' धातुके ईकारके स्थानमें आकार किया जानेपर 'दापा प्यदाप्' (१।१।२०) से धुसंज्ञा होनेसे 'स्थाघ्वोरिच्च' (१।२।१५) से इकारादेश प्राप्त होता है । परन्तु सिच् प्रत्ययमें रहनेवाली एच् (गुण) निर्माण करनेवाली जो शक्ति है उसके अवलंबपर जो 'आ'कार प्राप्त हुआ है वह, उस शक्तिका विघात करनेवाले 'स्थाघ्वो०' से कटे हुए किरचका निमित्त नहीं होता है । इसलिए दोष नहीं आता है । संनिपातपरिभाषाका यह उपयोग है ।

प्रयोजनम् । आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न तिसृचतसृमावे कृते ङीम्भवतीति यदयं न तिसृचतसृ [६ ४.४] इति नामि दीर्घत्वप्रतिषेधं शास्ति ॥

इमानि तर्हि प्रयोजनानि । शतानि सहस्राणि । नुमि कृते ष्यान्ता पट् [१.१.२४] इति पट्संज्ञा प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्येति न दोषो भवति ॥ शकटौ पद्धतौ । अच्चे कृतेऽतः [४.१.४] इति टाप्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्येति न दोषो भवति ॥ इयेप उवोप । गुणे कृत इजादेशश्च गुरुमतोऽनृच्छः [३.१.३६] इत्याम्प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्येति न दोषो भवति ॥

“न तिसृचतसृ” (६।४।४) इससे निषेध करते हैं, तब तिसृ वा चतसृ आदेश करनेपर ङीप् प्रत्यय नहीं होता ऐसा सूचित करते हैं ।

तो फिर (इस संनिपातपरिभाषाके) ये उपयोग माने जायें; जैसे, शतानि, सहस्राणि । (यहाँ शत और सहस्र शब्दोंके आगे ‘जस्’ प्रत्ययको ‘शि’ आदेश करनेके बाद तन्निमित्त) ‘नुम्’ (‘न्’ आगम)—७।१।७२—करनेपर “ष्यान्ता पट्” (१।१।२०) इससे (शतन्, सहस्रन् इनको) ‘पट्’ संज्ञा प्राप्त होती है । (तब उनके आगेके ‘जस्’ प्रत्ययका लुक्—७।१।२२—होगा यह दोष आता है ।) परन्तु (आगेके सर्वनामस्थान ‘इ’ प्रत्ययके) संबंधके कारण हुआ नुमागम उस प्रत्ययको विधात करनेवाली पट्संज्ञाको निमित्त नहीं होता, इसीलिए दोष नहीं आता । वैसेही ‘शकटौ,’ ‘पद्धतौ’ यहाँ (शकटि और पद्धति इन शब्दोंके आगे सप्तमी एकवचन का ‘शि’ प्रत्यय करके “अच्च चेः”—७।३।११९—इससे पिसंज्ञकको) अकार (अन्तादेश) करनेपर ‘अजायतशाप्’ (४।१।४) इससे ‘टाप्’ प्रत्यय प्राप्त होता है । परन्तु (पिसंज्ञक और डिप्रत्यय इन दोनोंके सामीप्य) संबंधपर निर्भर हो कर बना हुआ (अकार अन्तादेश) उस (संबंध) का विधात करनेवाले (‘टाप्’ प्रत्यय) को निमित्त नहीं होता है । इसलिए दोष नहीं आता ।

वैसेही ‘इयेप,’ ‘उवोप’ यहाँ (इप् और उप् घातुओंके आगे छिट्, तिप्, णल्, द्वित्व, ह्लादिशेष और उत्तररत्नमें लघूपद्य) गुण करनेपर “इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः” (३।१।३६) इससे ‘आम्’ प्रत्यय प्राप्त होता है । परन्तु (आगेके छिट्-प्रत्ययके) संबंधसे बना हुआ गुण, उस प्रत्ययका (परंपरासे) विधात करनेवाले (‘आम्’ प्रत्ययको) निमित्त नहीं होता; इसलिए दोष नहीं आता ।

१०. यदि ‘तिसृणाम्’ यहाँ वीचमें ‘दोप्’ प्रत्यय हुआ होता तो ऋकारको दीर्घी प्राप्ति न होनेके कारण निषेधको वैयर्थ्य प्राप्त होता ।

११. ‘आमः’ (२।४।८१) से कहा हुआ ‘लृ’ उभ ‘लृ’-प्रत्ययका साधार्थ विधान करनेवाला है । उसकी सहायता करनेवाला ‘आम्’ प्रत्यय परंपराया उभ प्रत्ययका विनात करनेवाला है ।

तस्य दोषो वर्णाश्रयः प्रत्ययो वर्णविचालस्य ॥ १० ॥

तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषो वर्णाश्रयः प्रत्ययो वर्णविचालस्यानिमित्तं स्यात् ।
क । अत इञ् [४.१.१५] । दाक्षिः प्लाक्षिः । न प्रत्ययः संनिपातलक्षणः ।
अङ्गसंज्ञा तर्हानिमित्तं स्यात् ॥

आच्चं पुग्विधेः क्रापयति ॥ ११ ॥

आच्चं पुग्विधेरनिमित्तं स्यात् । क । क्रापयतीति ॥

पुग्वस्वत्वस्यादीदपत् ॥ १२ ॥

(वा. १०) उस (संनिपातपरिभाषाग्रहण) का दोष, वर्णके आधारपर बना हुआ प्रत्यय उस वर्णके नाशका (निमित्त नहीं होगा) ।

अब यह संनिपातपरिभाषा लेनेपर (जो) दोष आते हैं (उन्हें दिखाता है) ।
वर्णके अवलंबपर बना हुआ प्रत्यय उस वर्णके नाशका निमित्त नहीं होगा ।

कहाँ ?

दाक्षिः, प्लाक्षिः । यहाँ (दक्ष और प्लक्ष इन शब्दोंके अन्त्य 'अ' कारको मानकर) " अत इञ् " — ४।१।१५ — (इससे बना हुआ 'इञ्' प्रत्यय उस अकारको नाश करनेवाले " यस्येति च " — ६।४।१४८ — इससे होनेवाले लोपका निमित्त नहीं होगा ।)

परन्तु ('दक्ष', 'प्लक्ष-' के) अन्त्य अकार का उसके आगेके किसी भी अक्षरसे भी) जो संबंध है वह उस 'इञ्' प्रत्ययका निमित्त नहीं । (अतः वह वर्णके नाशका कारण नहीं होगा सो कैसे संभव है ?)

(यदि यह बात है) तो (अकारान्त प्रकृति और इञ् प्रत्यय इन दोनोंके पौर्वापर्यसंबंधके कारण बनी हुई) अंगसंज्ञा (उस वर्णके नाशका) कारण नहीं होगी (ऐसा दोष समझा जाय ।)

(वा. ११) आच्च पुगागमका (निमित्त नहीं होगा); जैसे 'क्रापयति' में ।

(वैसेही) आच्च ('आ' आदेश) पुगागमके लिए निमित्त नहीं होगा ।

कहाँ ?

'क्रापयति' उदाहरणमें ।

(वा. १२) 'पुक्' ह्रस्वको (निमित्त न होगा); जैसे, 'अदीदपत्' में ।

१२. 'की' धातुके आगे 'जिन्' प्रत्यय करके वृद्धि (७।२।११४) की गयी तो 'कीद्विजां औ' (१।१।४८) से 'की' धातुके ऐकारके स्थानमें जो 'आ-' कार होता है वह, 'की' प्रकृति और 'जिन्' प्रत्यय इन दोनोंके पूर्वापरसंबंधके आधारपर हुआ है । वह उस संबंधका विघात करनेवाले पुगागमका निमित्त न होगा ।

पुग्प्रस्वत्वस्यानिमित्तं स्यात् । क । अदीदपादिति ॥

त्यदाद्यकारशान्विधेः ॥ १३ ॥

त्यदाद्यकारशान्विधेरनिमित्तं स्यात् । क । या सा ॥

इड्विधिराकारलोपस्य पपिवान् ॥ १४ ॥

इड्विधिराकारलोपस्यानिमित्तं स्यात् । क । पपिवान् तस्थिवानिति ।

‘पुक्’ (अर्थात् ‘प्’ आगम) ह्रस्वके लिए निमित्त न होगा ।

कहाँ ?

‘अदीदपत्’ उदाहरणमें ।

(वा. १३) ‘त्यद्’ आदिको कहा हुआ अकार ‘टाप्’ विधिका (निमित्त न होगा) ।

‘त्यद्’ आदि सर्वनामोंको कहा हुआ अकार (‘अ’ आदेश) ‘टाप्’ विधिके लिए निमित्त न होगा ।

कहाँ ?

‘या’ ‘साँ’ इत्यादि उदाहरणोंमें ।

(वा. १४) इडागम आकारके लोपका (निमित्त न होगा); जैसे पपिवान् ।
इडागम (अर्थात् ‘इ’ आगम) आकार (‘आ’ आदेश-) के लोपके लिए निमित्त न होगा ।

कहाँ ?

‘पपिवान्’, ‘तस्थिवान्’ इत्यादि उदाहरणोंमें ।

१३. ‘दा’ धातुके आगे ‘त्वि’ प्रत्यय, ‘भृञि०’ (७।३।३६) में ‘आ’ कारको पुक् आगम, आगे लृट्, त्वि, “इत्थ” (३।१।१००) से इकारलोप और व्ति, च्त् इनेके साथ करके दाप् इ अन् अवस्थामें यों आकारको बादमें प्राप्त हुआ पुक् आगम उस अनिगतस्य आकारका विपात करनेवाले ‘नी चदि०’ (७।४।१) इन ह्रस्वका निमित्त न होगा ।

१४. च्त् और तद् शब्दोंके आगे प्रथमैक्यवचन ‘सु’ प्रत्यय, ‘एदादीनाम’ (७।३।१०२) से अन्व, और परस्पर क्रिया मदा तो, प्रवृत्ति और प्रत्यय दोनोंके आगममें प्राप्त हुआ अकार, उस आनन्तर्यका विपात करनेवाले शान्विधिका निमित्त न होगा ।

१५. ‘या’ और ‘सा’ धातुओंके आगे त्वि प्रत्ययके स्थानमें ‘भृञु’ आदेश होनेके बाद ‘भृञु’-प्रत्ययको “व्ययेहाना०” (७।३।१०७) में आकारको मानकर आधा हुआ इडागम, उस आकारका विपात करनेवाले “भृञो लोप इति०” (३।१।१४) इन लोपका निमित्त न होगा ।

मतुन्विभक्त्युदात्तत्वं पूर्वनिघातस्य ॥ १५ ॥

मतुन्विभक्त्युदात्तत्वं पूर्वनिघातस्यानिमित्तं स्यात् । क । अग्निमान् वायुमान् । परमवाचा परमवाचे ॥

नदीह्रस्वत्वं संबुद्धिलोपस्य ॥ १६ ॥

नदीह्रस्वत्वं संबुद्धिलोपस्यानिमित्तं स्यात् । क । नदि कुमारि किशोरि ब्राह्मणि ब्रह्मबन्धु । ह्रस्वत्वे कृत एङ्ह्रस्वात्संबुद्धेरिति लोपो न प्राप्नोति । मा

(वा. १५) मतुप् और विभक्तिको कहा हुआ उदात्त स्वर पूर्वनिपातका (निमित्त नहीं होगा ।)

मतुप् और विभक्ति इनको कहा हुआ उदात्त स्वर पूर्वनिपातके लिए निमित्त नहीं होगा ।

कहों ?

‘अग्निमान्’, ‘वायुमान्’, ‘परमवाचा’, ‘परमवाचे’ इत्यादि उदाहरणोंमें ।

(वा. १६) नदीसंज्ञक शब्दको कहा हुआ ह्रस्व संबुद्धिलोपका निमित्त नहीं होगा ।)

नदीसंज्ञक शब्दको कहा हुआ जो ह्रस्व है वह संबुद्धिलोपके लिए निमित्त नहीं होगा ।

कहों ?

नदि, कुमारि, किशोरि, ब्राह्मणि, ब्रह्मबन्धु इन उदाहरणोंमें । (नदी-आदि शब्दोंके आगे संबोधनके एकवचनका सुप्रत्यय करके “अम्बार्थनथोः०” - ७।३।१०७ - इससे) ह्रस्व करनेपर (संबुद्धिप्रत्ययको मानकर बना हुआ ह्रस्व, उस संबुद्धिप्रत्ययका विघात करनेवाले) “एङ्ह्रस्वात् संबुद्धेः” - ६।१।५९ - (इस लोपके लिए निमित्त नहीं होगा । इसलिए यहाँ) यह संबुद्धिलोप प्राप्त नहीं होता ।

१६. ‘अग्नि’ और ‘वायु’ शब्दोंके आगे ‘मतुप्’ प्रत्यय करके उस मतुप् प्रत्ययको,

‘त्रित्का अन्त्य स्वर उदात्त है उस ह्रस्वान्त शब्दके आगेके मतुप्को उदात्त होता है’ इस अर्थके “ह्रस्वबन्ध्या०” (६।१।१७६) से उदात्त किया गया तो अन्तोदात्त शब्द और मतुप् दोनोंके संनिपातसे बने हुए मतुप् प्रत्ययका उदात्त उस अन्तोदात्तका विघात करनेवाले “अनुदात्तं पदमेक०” (६।१।१८) इस पूर्वनिघातका निमित्त न होगा । तथा ‘परमवाच्’ समासके आगे तृतीया वा चतुर्थी विभक्तिका एकवचन करके उस विभक्तिको ‘एकाच्’ होकर अन्तोदात्त उतरपदके आगेकी तृतीयाविभक्तिको उदात्त होता है’ इस अर्थके अन्तोदात्त शब्दको मानकर बना हुआ विभक्त्युदात्त स्वर उस अन्तोदात्तका विघात करनेवाले ‘अनुदात्तं पद०’ (६।१।१५८) इस पूर्वनिघातका निमित्त न होगा ।

दूदेवम् । इचन्तादित्येवं भविष्यति । न सिध्यति । दीर्घादित्युच्यते ह्रस्वान्ताच्च न प्राप्नोति । इदमिह संप्रथार्यम् । ह्रस्वत्वं क्रियतां संवृद्धिलोप इति किमत्र कर्तव्यम् । परत्वाद् ह्रस्वत्वम् । नित्यः संवृद्धिलोपः । कृतेऽपि ह्रस्वत्वे प्राप्नोत्यकृतेऽपि । अनित्यः संवृद्धिलोपः । न हि कृते ह्रस्वत्वे प्राप्नोति । किं कारणम् । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति ॥

एते दोषाः समा भूयांसो वा तस्मान्नार्थोऽनया परिभाषया । न हि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कर्तव्या लक्षणं वा न प्रणयेयम् । न हि भिक्षुकाः सन्तीति

(नदीसङ्गच्छ शब्दोको ह्रस्व करनेपर संनिपातपरिभाषाके कारण 'एदह्रस्वात्' इससे) लोप न हो । परन्तु 'हलङ्ग्याभ्यो' (६।१।६८) इससे लोप होगा ।

'हलङ्ग्याभ्यो' इससे लोप नहीं होगा । (क्योंकि वहाँ 'ङ्ग्याप्-' को) 'दीर्घात्' यह विशेषण क्रिया जानेके कारण ह्रस्वम्बरान्तके आगेके 'सु' प्रत्ययका लोप नहीं हो सकता ।

परन्तु पहले यहाँ यह विचार करना चाहिये कि (नदी + सु अर्थात् 'सु' प्रत्यय होनेपर प्रथमतः) ह्रस्व क्रिया जाय अथवा ('हलङ्ग्याभ्यो' इससे) संवृद्धिलोप क्रिया जाय, इन दोनोंमेंसे क्या क्रिया जाय ? 'पर' होनेके कारण प्रथमतः ह्रस्व क्रिया जाय ।

परन्तु संवृद्धिलोप नित्य है न ? क्योंकि ह्रस्व क्रिया हो अथवा न क्रिया हो तो भी (संवृद्धिलोप) प्राप्त होता ।

संवृद्धिलोप नित्य नहीं है । क्योंकि ह्रस्व करनेपर (संवृद्धिलोप) प्राप्त नहीं हो सकता ।

स्या कारण हे ?

आगेके प्रत्ययके कारण बना हुआ ह्रस्व उभ (प्रत्यय-) का विघात करनेवाले (" एदह्रस्वात् " इस संवृद्धिलोप-) का निमित्त नहीं होता है इसलिए ।

तात्पर्य, संनिपातपरिभाषाके कितने उदाहरण हैं उतने से दोष होंगे अर्थात् उपयोगसे दोष ही थोड़ेसे अधिक भी होनेकी संभावना है । अतः यह परिभाषा करनेमें कुछ तथ्य नहीं दिगर्ह देता है ।

परन्तु दोष आते हैं इसलिए परिभाषा करनेकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात् एकाप्य सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है । क्यों कि भिन्ना भिन्नाशने अन्त है इसलिए कोई (अपने गणेशके चून्नेरकी) पट्टी घटाना रोदे ही बंद करना है । अथवा मृग (मृग आदि, भ्रमण करनेके लिए) आने है इसलिए

स्थाल्यो नाधिश्चीयन्ते न च मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते । दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानामुदाहरणमात्रम् । कुत एतत् । न हि दोषाणां लक्षणमस्ति । तस्माद्यान्धेतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तदर्थमिषा परिभाषा कर्तव्या प्रतिविधेय दोषेषु ॥

[क्त्वातोसुन्कसुनः ॥ १ । १ । ४० ॥]

अव्ययीभावश्च ॥ १ । १ । ४१ ॥

अव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं लुग्मुखस्वरोपचाराः ॥ १ ॥

अव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं किम् । लुग्मुखस्वरोपचाराः ॥ लुक् । उपागि प्रत्यगि । अव्ययात् ० [२.४ ८२] इति लुक्सिद्धो भवति ॥ मुखस्वरः ।

जो (आदि अनाज) बोना कोई थोड़े ही बढ़ करता है। (और वास्तविक विचार करनेपर सनिपातपरिभाषाके जितने उपयोग है उतने दोष अथवा उनसे भी अधिक दोष हैं ऐसा जो कहा है सो ठीक नहीं; क्योंकि) जितने दोष हैं वे सब गिनकर उनकी सख्या निश्चित की गयी है और उपयोगके नाते कुछ उदाहरण अन्य उदाहरण खोजनेके लिए दिये हैं। (अर्थात् उदाहरण भी बहुत होते हैं।)

सो कैसे ?

क्योंकि दोषोंका लक्षण नहीं किया जाता है। (दोषोंकी सख्या निश्चित होनेके कारण उनकी एक दिशा दिखाई है ऐसा कहनेके लिए मार्ग नहीं है।) अतः इस सनिपातपरिभाषाके जो उपयोग है उनके लिए यह परिभाषा अवश्य करनी चाहिये। जहाँ दोष आयेगा उस स्थानपर (ज्ञापक आदि करके सनिपात परिभाषाका अनित्यत्व निश्चित करके) उन दोषोंका निरसन किया जाय।

(सू. ४०) क्त्वा, तोसुन् और कसुन् प्रत्यय अन्तमें होनेवाले शब्दोंको अव्ययसंज्ञा होती है।

(घा. ४१) अव्ययीभाव, समास करनेपर उन सामासिक शब्दोंको अव्ययसंज्ञा होती है।

(घा १) अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञा करनेके फल है लुक्, मुखस्वर और उपचार।

अव्ययीभाव समासको अव्ययसंज्ञा करनेका फल क्या है ?

लुक्, मुखस्वर और उपचार ये फल हैं। 'लुक्' के उदाहरण—उपागि, प्रत्यगि। यहाँ (अव्ययीभाव समासको अव्ययसंज्ञा की जानेके कारण)

१ 'उपागि' यहाँ "अभ्ययं विभक्तिः" (२।१।१३) से अव्ययीभाव समास हुआ है। 'प्रत्यगि' यहाँ 'लक्षणनाभिः' (२।१।१४) से अव्ययीभाव समास हुआ है।

उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः । नाव्ययदिकशब्दगोमहत्सूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्यः
 [६. २. १६८] इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति ॥ उपचारः । उपपयःकारः
 उपपयःकाम इति । अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णोष्वनव्ययस्य [८. ३. ४६]
 इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति । किं पुनरिदं परिगणनमाहोस्विदुदाहरणमात्रम् ।
 परिगणनमित्याह ॥

अपि खल्वप्याहुः । यदन्यदव्ययीभावस्याव्ययकृतं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो
 वक्तव्य इति । किं पुनस्तत् । पराङ्गवद्भावः । पराङ्गवद्भावे अन्यप्रतिषेधश्चोदित
 उच्चैरधीयान नीचैरधीयानेत्येवमर्थम् । स इहापि प्राप्नोति । उपाग्न्यधीयान

“अव्ययात्०” (२।४।८२) सूत्रसे (अव्ययीभाव समासके अगोष्ठी विभक्तिका)
 टुक् सिद्ध होता है । मुसस्वरके उदाहरण — उपाग्निमुखः, प्रत्यग्निमुखः ।
 यहाँ (‘उपाग्नि’ और ‘प्रत्यग्नि’ अव्ययोंका ‘मुस’ शब्दके साथ बहुव्रीहि समास
 करनेपर “मुसं स्वाद्भम्” — ६।२।१६७ — इस सूत्रसे ‘मुस’ उत्तरपदको प्राप्त अन्तोदात्त
 स्वरका) “नाव्ययदिकृशब्दगोमहत्सूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्यः” (६।२।१६८) इससे
 प्रतिषेध सिद्ध होता है । उपचारका उदाहरण — उपपयःकारः, उपपयःकामः इत्यादि ।
 यहाँ “अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णोष्वनव्ययस्य” (८।३।४६) इसमें
 (विसर्गके स्थानपर प्राप्त ‘स-’ कारका उर्मी सूत्रमें ‘अनव्ययस्य’ ऐमा कहनेके कारण)
 प्रतिषेध सिद्ध होता है ।

परन्तु यहाँ (वार्तिककारके मनमें क्या होगा, जिसमें कि) यह परिगणन है
 (अर्थात् निश्चित तीन ही अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञा बनानेके उपयोग है) अथवा
 उदाहरणमात्र है (अर्थात् उदाहरणोंमें एक दिशा दिग्यायी जानेपर अन्य स्थानोंपर भी
 उस अव्ययसंज्ञाका उपयोग किया जाय) ?

यह परिगणन है, ऐसा कहता हूँ । क्योंकि (टुक् मुसशब्दको स्वर और विसर्गको
 सङ्घार) इनसे भिन्न कार्य कर्तव्य होनेपर अव्ययीभाव-समासको अव्ययसंज्ञाका निर्देश
 किया जाय ऐसा वैधाकरणोंने कहा है । (अतः उसके अनुसार यह परिगणन मानना ही
 उचित दिखाई देता है ।)

(टुक् आदि त्रिंशो जो भिन्न कार्य है) वा कौनसा है ?

पराङ्गवद्भाव (वह कार्य है) । (“सुवामन्त्रिने पराङ्गवन्धरे” — २।१।२ — इसमें
 “आमन्त्रिनसंज्ञक शब्दके पीछेका सुवन्त अपने आगेके आमन्त्रितके अङ्गके समान
 समझा जाय” ऐसा) सुवन्तको पराङ्गवद्भाव बताया (‘अव्ययानां न’ — वा. ७ —
 इस वार्तिकमें) अव्ययके पराङ्गवद्भावका निषेध बताया गया है । जैसे, उच्चैरधीयान,
 नीचैरधीयान । (यहाँ उच्चैः, नीचैः ये अव्यय अपने आगेके ‘अधीयान’ इस आगमि. २।६
 अङ्गके समान नहीं समझे जाते) । जैसे ही उपाग्न्यधीयान, प्रत्यग्न्यधीयान । (यहाँ धी।

प्रत्यग्न्यधीयान ॥ अकच्यव्ययग्रहणं क्रियत उच्चकैः नीचकैरित्येवमर्थम् । तदिहापि प्राप्नोति । उपाग्निकम् प्रत्यग्निकमिति ॥ मुन्यव्ययप्रातिषेध उच्यते दोषामन्यमहः दिवामन्या रात्रिरित्येवमर्थम् । स इहापि प्राप्नोति । उपकुम्भमन्यः उपमणिकमन्यः ॥ अस्य च्वावव्ययप्रतिषेध उच्यते दोषाभूतमहः दिवाभूता रात्रिरित्येवमर्थम् । स इहापि प्राप्नोति । उपकुम्भीभूतम् उपमणिकीभूतम् ॥

यदि परिगणनं क्रियते नार्थो ऽव्ययीभावस्याव्ययसंज्ञया । कथं यान्यव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनानि । नैतानि सन्ति । यत्तावदुच्यते लुगित्याचार्यभ-

‘उपाग्नि’, ‘प्रत्याग्नि’ इस अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञा होनेपर उसे पराङ्गवद्भावका निषेध प्राप्त होता है; परन्तु परिगणनसे उस स्थानपर अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञाकी निवृत्ति की जानेके कारण पराङ्गवद्भावका निषेध नहीं आ सकता ।) वैसे ही “अव्ययसर्वनाम्ना ०” (५।३।७१) सूत्रमें अव्ययग्रहण किया है। जैसे, उच्चकैः, नीचकैः। यहाँ जैसा अकच्य प्रत्यय होता है, वैसा ‘उपाग्निक’, ‘प्रत्याग्निक’ यहाँ भी प्राप्त होता है। (परन्तु परिगणनके कारण उस स्थानपर अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञा नहीं है इसलिए अकच्य नहीं होता, तो ‘क’ प्रत्यय ही होता है।) वैसे ही (‘अरुद्धिषदजन्तस्य मुम्’ - ६।३।६७ - इससे बताया हुआ) ‘मुम्’ आगम अव्ययको नहीं होता यह निषेध किया गया है। (अर्थात् मुमागमके उद्देश्योर्मिसे अव्यय हटाया गया है।) इससे जिस तरह दोषामन्यमहः, दिवामन्या रात्रिः यहाँ (मन्य यह खित्प्रत्ययान्त उत्तरपद आगे होनेपर दोषा अथवा दिवा इस अव्ययसंज्ञक स्वरान्त पूर्वपदको) मुम् नहीं होता है, वैसे ही ‘उपकुम्भमन्यः’, ‘उपमणिकमन्यः’ यहाँ भी (उपकुम्भ, उपमणिक इन पूर्वपदोंको) मुमागम नहीं प्राप्त होता। (परन्तु परिगणनके कारण वह प्रतिषेध यहाँ लागू नहीं होता, इसलिए मुमागम होता है।) वैसेही दोषाभूतम् अहः, दिवाभूता रात्रिः, यहाँ (चिनिमित्तक ‘ई’ आदेश - ७।४।३२ - न हो इसलिए “अव्ययस्य च्चौ ईत्वं न” इससे अव्ययको) ईत्वका निषेध बताया गया है। वह निषेध उपकुम्भीभूतम्, उपमणिकीभूतम् यहाँ भी प्राप्त होता है। (परन्तु परिगणनके कारण उस स्थानपर अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञाकी निवृत्ति होनेके कारण वह निषेध अव्ययीभावको लागू नहीं होता, इसलिए ईत्व होता है।)

यदि परिगणन किया तो अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञा करनेमें कुछ भी लाभ नहीं दिखाई देता।

अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञा करनेके जो प्रयोजन दिखाये हैं उनके बारेमें क्या करना है ?

ये प्रयोजन ही नहीं हैं। (अव्ययीभावको अव्ययसंज्ञा होनेके कारण उपाग्नि, प्रत्याग्निके आगेके सुपका ‘अन्ययादापमुपः’ - २।४।८३ - इससे) जो लुक् होता है

वृत्तिर्ज्ञापयति भवत्यययीभावाल्लुगिति यदय नाययीभावादतः [२ ४ ८३]
इति प्रतिषेध शास्ति । उपचारः । अनुत्तरपदस्थस्येति वर्तते ॥ तत्र मुखस्वर एकः
प्रयोजयति न चैक प्रयोजन योगारम्भ प्रयोजयति । यचेतावत्प्रयोजन स्यात्
तत्रैवाय न्रूयान्नाव्ययादययीभावाच्चेति ॥

शि सर्वनामस्थानम् ॥ १ । १॥ ४२ ॥ सुडनपुंसकस्य ॥ १ । १ । ४३ ॥

शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि शिप्रतिषेधः ॥ १ ॥

ऐसा कहा गया है, उसका उत्तर यह है—जब कि यह (आचार्य) “नाययी
भावादतः” (२।४।८३) सूत्रसे (ह्रस्वअकारान्त अव्ययीभावके आगेके सुपके
लुक्का) प्रतिषेध करता है, तब (अव्ययसज्ञा न होनेपर भी) अव्ययीभावके सुपका
लुक् होता है, ऐसा सूचित करता है। वैतेही, (उपपय.कार, उपपय काम
यहाँ अययीभावको अव्ययसज्ञा होनेके कारण ‘अत. कृकमिकस०’—८।३।४६—
सूत्रसे बताया हुआ जो) उपचार (अर्थात् विसर्गका ‘स’कार उस—) का प्रतिषेध सिद्ध
होता है ऐसा जो कहा है इसका उत्तर—(‘नित्य समासे०’—८।३।४५—इस
पूर्वसूत्रमेंसे) ‘अनुत्तरपदस्थस्य’ इस पदकी अनुवृत्ति (‘अत. कृकमिकस०’ इस सूत्रमें)
आती है। (अत ‘उपपय-’ में उत्तरपदके विसर्गको सकारका प्रतिषेध होगा। इस
तरहसे दो उदाहरणोंका निपटारा हुआ। अब केवल अकेले मुखस्वरके (प्रतिषेधके) वारेमें
ही (अययीभावको) अव्ययसज्ञा करनी पडती है। परन्तु उस एक उदाहरणके लिए
सामान्यसूत्र करना ठीक नहीं लगता। अत यदि यहाँ एक उपयोग हो तो उसी सूत्रमें
(अर्थात् ‘नाव्ययदिक्शब्द०’—८।२।१६८—इस सूत्रमें) अव्ययशब्दके आगे
अव्ययीभाव शब्द रखा जाय।

(सू ४२)—(जस् ओर शस् इनके स्थानपर होनेवाले) ‘शि’
आदेशको (७।१।२०) सर्वनामस्थान संज्ञा (होती है)।

(सू ४३) ‘सुट्’ (अर्थात् सु, औ, जस्, अम् और औट् इन पाँच
विभक्ति प्रत्ययोंको सर्वनामस्थानसंज्ञा होती है, परन्तु वहाँ पूर्वशब्द) नपुंसक
लिङ्गमें न हो।

(वा. १) ‘शि’ आदेशको सर्वनामस्थानसंज्ञा बताकर आगे नपुंसक
लिङ्गी शब्दके आगेके प्रत्ययोंको सर्वनामस्थानसंज्ञाका निषेध किया है, तो
जस्के स्थानपर किए हुए ‘शि’ आदेशको सर्वनामस्थानसंज्ञाका प्रतिषेध
प्राप्त होता है।

शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि शेः प्रतिषेधः प्राप्नोति ।
कुण्डानि तिष्ठन्ति । वनानि तिष्ठन्ति ॥

असमर्थसमासश्चायं द्रष्टव्योऽनपुंसकस्येति । न हि नञो नपुंसकेन
सामर्थ्यम् । केन तर्हि । भवति ना । न भवति नपुंसकस्येति ॥

यत्तावदुच्यते शि .सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि शिप्रतिषेध
इति । नाप्रतिषेधात् ॥ नायं प्रसज्यप्रतिषेधो नपुंसकस्य नेति । किं तर्हि ।
पर्युदासोऽयं यदन्यन्नपुंसकादिति । नपुंसके ऽन्यापारः । यदि केनचित्प्राप्नोति तेन

('शि सर्वनामस्थानम्' इस सूत्रसे सामान्यतया) 'शि' आदेशको सर्वनामस्थान
संज्ञा बताकर आगे ('सुडनपुंसकस्य' सूत्रसे सुड अर्थात् 'सु' आदि पाँच
प्रत्ययोंको वही संज्ञा बताकर बादमें) नपुंसकलिङ्गी शब्दके आगेके 'सु' आदि पाँच
प्रत्ययोंको सर्वनामस्थानसंज्ञाका निषेध किया है, तो जस्के स्थानपर किये हुए 'शि'
आदेशको सर्वनामस्थानसंज्ञाका प्रतिषेध प्राप्त होता है । (अतः) 'कुण्डानि तिष्ठन्ति,'
'वनानि तिष्ठन्ति' (यहाँ नुमागमआदि नहीं आ सकता ।)

तथा 'अनपुंसकस्य' यह (नञ्प्रत्ययरूप) असमर्थसमास (अर्थात् अन्वयरहित
पदोंका समास) होता है । क्योंकि, नञ्का नपुंसकशब्दके साथ अन्वय नहीं होता ।
तो फिर किसके साथ (नञ्का अन्वय होता है) ?

नपुंसकलिङ्गमें (उन पाँच प्रत्ययोंको सर्वनामस्थानसंज्ञा) नहीं होती है ऐसा
'भवति' (अर्थात् 'होना' क्रिया-) के साथ (नञ्का अन्वय होता है) ।

नपुंसकशब्दके आगेके सु, ओ इत्यादि पाँच प्रत्ययोंको सर्वनामस्थानसंज्ञाका
प्रतिषेध किया जाता है तो 'जस्' के स्थानपर किये हुए 'शि' आदेशको सर्वनाम-
स्थानसंज्ञाका प्रतिषेध प्राप्त होता है ।

नहीं होता । क्यों कि यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध नहीं होता । अर्थात् ('अनपुंसकस्य'
यह) 'नपुंसकलिङ्गमें (सर्वनामस्थानसंज्ञा) नहीं होती' इस अर्थका 'प्रसज्यप्रतिषेध'
नहीं होता ।

तो फिर क्या ?

'नपुंसकात् अन्यत्' इस अर्थका 'पर्युदास' है । (नपुंसकभिन्न शब्दके आगेके

१. सु, ओ इत्यादि पाँच प्रत्ययोंको सर्वनामस्थानसंज्ञा होती है यह संदिग्धसंज्ञा जो
सामान्यतया कही गयी तो उसकी प्राप्ति नपुंसकलिङ्गमें भी आती है । तदनन्तर उसका निषेध
करना 'प्रसज्यप्रतिषेध' है । और संज्ञा कहते समय आरंभमें ही नपुंसकलिङ्गके सिवा अन्व
लिङ्गमें सु ओ इत्यादि पाँच प्रत्ययोंको संज्ञा कही तो नपुंसकलिङ्गमें उस संज्ञाकी प्राप्ति ही
नहीं होगी । इसको 'पर्युदास' कहते हैं ।

भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति ॥

अप्राप्तेर्वा ॥ अथवानन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते । कुत एतत् । अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वेति । पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तथा भविष्यति । ननु चेयं प्राप्तिः पूर्वा प्राप्तिं बाधते । नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम् ॥

यदप्युच्यते ऽसमर्थसमासश्चायं द्रष्टव्य इति . यद्यपि वक्तव्यो ऽथवैतर्हि

सु, औ इत्यादि पाँच वचनोंको सर्वनामस्थानसंज्ञा होती है, यह अर्थ है ।) अतः नपुंसकमें इस सूत्रका व्यापार नहीं है । पर नपुंसकमें यदि एकाध सूत्रसे संज्ञा प्राप्त होती है तो उससे वह संज्ञा होगी और नपुंसकमें भी पूर्वसूत्रसे संज्ञा प्राप्त होती ही है ।

अथवा ('अनपुंसकस्य' यह प्रसज्यप्रतिषेध लिया गया तो भी उस प्रसज्य प्रतिषेधसे) समीप होनेवाली अर्थात् 'सुट्' से प्राप्त होनेवाली संज्ञाका ही निषेध किया जाता है ।

सो कैसे ?

'विधि वा निषेध करना हो, सो अत्यन्त निकट होनेवालेका ही किया जाय' ऐसा न्याय है । (देखिये प. शे. ६१) । अतः पूर्वसूत्रसे प्राप्त जो सर्वनामसंज्ञा है उसका निषेध नहीं है । इससे पूर्वसूत्रसे (नपुंसकमें भी सर्वनामस्थानसंज्ञा) होगी ।

परन्तु पूर्वसूत्रसे प्राप्त संज्ञाका इस सूत्रसे प्राप्त संज्ञा बाध करती है न ?

('सुट्' से प्राप्त संज्ञाके निषेधसे बाध करनेके कारण) परावृत्त बनी हुई वह संज्ञा पूर्वसंज्ञाका बाध करनेका साहस नहीं करती । (अतः पूर्वसूत्रसे जस् के स्थानपर बने हुए 'शि' आदेशको निर्वाध सर्वनामस्थानसंज्ञा होती है ।)

और भी (जो 'नञ्'का नपुंसक शब्दसे अन्वय न होनेके कारण अनपुंसकस्य यह) अन्वयरहित पदोंका समास समझना पड़ेगा ' ऐसा दृष्य दिया है । (उसके विषयमें हम कहते हैं कि, 'असमर्थसमासश्च' वार्तिकका, प्रसज्यप्रतिषेधके पक्षमें नञ्'का नपुंसकसे अन्वय न होनेके कारण) 'असमर्थपदोंका नञ्'समास होता है' ऐसा अपूर्व विधान करना चाहिये । (अतः असमर्थसमासका अपूर्व विधान करना यह दोष आता है ।) तथापि असमर्थ नञ्'समासक^१ विधान करना ही चाहिये । क्योंकि असमर्थ

१. 'शि' आदेशको 'शि सर्वनामस्थानम्' इस पूर्वसूत्रसे भी सर्वनामस्थानसंज्ञा प्राप्त होती है । और 'सुट्'नपुंसकस्य' सूत्रके 'सुट्'से प्राप्त हुई संज्ञा परत्वके कारण पूर्वसूत्रसे प्राप्त हुई संज्ञाका बाध करती है । और 'सुट्' से प्राप्त हुई संज्ञाका 'अनपुंसकस्य' निषेध बाध करता है । तब 'जस्'के स्थानमें क्रिये 'शि' आदेशको संज्ञा प्राप्त होती ही नहीं, यह दोष आता है ही ।

बहूनि प्रयोनानि । कानि । असूर्यपश्यानि मुखानि । अपुनगेया श्लोका ।
अश्राद्धभोजी ब्राह्मण इति ॥

न वेति विभाषा ॥ १ । १ । ४४ ॥

न वेति विभाषायामर्थसज्ञाकरणम् ॥ १ ॥

न वेति विभाषायामर्थस्य सज्ञा कर्तव्या । नवाशब्दस्य यो ऽर्थस्तस्य
सज्ञा भवतीति वक्तव्यम् । किं प्रयोननम् ।

शब्दसंज्ञाया ह्यर्थसंप्रत्ययो यथान्यत्र ॥ २ ॥

शब्दसंज्ञाया हि सत्यामर्थस्यासंप्रत्यय स्याद्यथान्यत्र । अन्यत्रापि
शब्दसंज्ञाया शब्दस्य संप्रत्ययो भवति नार्थस्य । क्वान्यत्र । दाधा ध्वदाप

नञ्समासके बहुत उदाहरण है । जैसे, असूर्यपश्यानि मुखानि, अपुनगेया श्लोका,
अश्राद्धभोजी ब्राह्मण ।

(सू ४४) 'न' और 'वा' इन दोनोंको मिलाकर जो अर्थ होता है
(अर्थात् 'नहीं होता है' और एक बार होता है' उसको 'विभाषा' सज्ञा
हाती है) ।

(वा १) 'न', 'वा' के अर्थको विभाषा सज्ञा होती है, ऐसा वचन
किया जाय ।

'न', 'वा' इन शब्दोंका उच्चारण करके जो विभाषासज्ञा की है वहाँ उस
अर्थको वह सज्ञा की जाय । अर्थात् न, वा इन २ शब्दोंका जो अर्थ है उसे
विभाषा सज्ञा हाती है, ऐसा वचन किया जाय ।

ऐसा वचन करनेका उपयोग क्या है ?

(वा २)—(न, वा) शब्दोंको सज्ञा करनेपर अर्थ का बोध नहीं
होगा, जैसे अन्यत्र नहीं होता ।

('न', 'वा' इन) शब्दोंको सज्ञा करनेपर (विभाषा शब्दसे 'न', 'वा' इन
शब्दों) अर्थ का बोध, जैसे अन्यस्थानपर नहीं हाता वैसे यहा भी, नहीं हागा ।
यथान्यत्र अर्थात् जैसे अन्य स्थानपर शब्दको सज्ञा करनेपर उस सज्ञाशब्दसे जिस
सज्ञा की हो उमी शब्दका बोध होता है, उसके अर्थका बोध नहीं हाता है ।

अन्यस्थानपर अर्थात् क्यों ?

'दाधा ध्वदाप' (१।१।२०), 'तत्पूतमपो घ' (१।१।२२) यहाँ

१ असूर्यपश्यानि 'का सूर्यको न दगनकाल मुख' यह अर्थ मनमें आता है । तब
'नञ्' का सूर्य अक्षय न होनके कारण 'असूर्य' अगमयं नञ्-समास है । यही अगळे दो उदा
हरणमें भी मनमा जाय । तब प्रत्ययप्रतिपत्त्याममें अगमयं नञ्-समासका अपूर्व विधान
करना दर यहाँ श्लोकमें लिखि नहीं दिया जा सकता है ।

[१.१.२०] तरसमपौ घः [२२] इति घुग्रहणेषु घग्रहणेपु च शब्दस्य सप्रत्ययो भवति नार्थस्य ॥ तच्चर्हि वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् ।

इतिरुरणो ऽर्थनिर्देशार्थः ॥ ३ ॥

इतिरुरणः क्रियते सो ऽर्थनिर्देशार्थो भविष्यति । किं गतमेतदितिनाहो-
स्विच्छब्दाधिस्यादार्थाधिक्यम् । गतमित्याह । कुतः । लोकोक्तः । तद्यथा । लोके
गौरित्ययमाहेति गोशब्दादितिरुरणः परः प्रयुज्यमानो गोशब्दं स्वस्मात्पदार्थात्प्र-
च्यावयति । सो ऽसौ स्वस्मात्पदार्थात्प्रच्युतो यासावर्थषुपदार्थकता तस्याः शब्द-
पदार्थकः संपद्यते । एवमिहापि नवाशब्दादितिरुरणः परः प्रयुज्यमानो नवाशब्द

“पुमास्था०” (६।४।६६), “घकालतनेपु०” (६।३।१७) इत्यादि स्थानोंपर
‘घु’ और ‘घ’ इन शब्दोंसे दा, घा और तर, तम इन शब्दोंका ही बोध होता है,
उन शब्दोंके अर्थका बोध नहीं होता ।

तो फिर (‘न, वा शब्दोंके अर्थको विभाषा सजा होती है’) ऐसा वचन करना
चाहिये ।

वैसा वचन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(वा. ३) (सूत्रमें) जो ‘इति’ शब्द रखा है वह (‘न,’ ‘वा’
शब्दोंके) अर्थका दर्शक होगा ।

(‘न वेति विभाषा’ सूत्रमें) जो ‘इति’ शब्द रखा है वह ‘न,’ ‘वा’
शब्दों के अर्थका दर्शक होगा ।

परन्तु क्या (न, वा शब्दोंका अर्थ मनमें ला देनेका) वह काम ‘इति’
शब्दसे होता है ? (अर्थात् वह कार्य वैसा बना लानेकी स्वाभाविक ही शक्ति ‘इति’
शब्दमें है ?) अथवा शब्द अधिक रखा है उसके बलपर कुछ अधिक गृहीत माना
जाय ?

(न, वा शब्दका अर्थ मनमें ला देनेका काम) ‘इति’ शब्दसे (उसकी
स्वाभाविक शक्तिसे ही) होता है, ऐसा भेद कहना है ।

सो कैसे ?

लोकसे । जैसे लोकमें ‘गौः इति अयम् आह’ (यह गाय ऐसा कहता है)
इस वाक्यके ‘गो’ शब्दके आगे नियोजित ‘इति’ शब्द, गो शब्दको अपने
अर्थसे भ्रष्ट करता है । वह अपने मूल अर्थसे परावृत्त बना हुआ अर्थात् (एक
प्रकारका पशु, यह) अर्थ दिखाने की जिसकी शक्ति नष्ट हुई है वह गो शब्द अपने
स्वरूपको दिखानेवाला ऐसा बनता है । इस तरह यहाँ (अर्थात् शास्त्रमें) भी (‘न

१ ‘इति’ शब्द जिस शब्दके आगे प्रयुक्त किया हो उसकी स्वाभाविक शक्तिमें
परिवर्तन करता है । लोगोंमें शब्दसे स्वभावतः अर्थ ध्यानमें आते समय वहाँ ‘इति’ शब्दसे

स्वस्मात्पदार्थात्प्रच्यावयति । सोऽसौ स्वस्मात्पदार्थात्प्रच्युतो यासौ शब्दपदार्थकृता
तस्या लौकिकमर्थं संप्रत्याययति । न वेति यद्गम्यते न वेति यत्प्रतीयत इति ॥

समानशब्दप्रतिषेधः ॥ ४ ॥

समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । नवा कुण्डिका । नवा घटिकेति । किं
च स्याद्यद्येतेषामपि विभाषासंज्ञा स्यात् । विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ
[१.१.२८] । दक्षिणपूर्वस्यां शालायाम् । अचिरकृताया संप्रत्ययः स्यात् ॥

न वा विधिपूर्वकत्वात्प्रतिषेधसंप्रत्ययो यथा लोके ॥ ५ ॥

न वैष दोषः । किं कारणम् । विधिपूर्वकत्वात् । विधाय किञ्चिन्न

वेत्ति विभाषा ' इस सूत्रके । ' न वा ' शब्दोंके आगे प्रयुक्त ' इति ' शब्द न,
वा शब्दोंको शब्दस्वरूप मूल अर्थ दिखानेके कार्यसे पराङ्मुख करता है । वह ' न
वा ' शब्द अपने मूल अर्थसे परावृत्त बना हुआ अपना जो निषेधविकल्प लौकिक
अर्थ है उसको दिखानेवाला बनता है । अर्थात् ' न वा ' इन शब्दोंसे जो मनमें आता
है अर्थात् प्रतीत होता है (उसे विभाषा संज्ञा होती है, ऐसा ' न वेति ' का अर्थ
होता है ।)

(वा. ४) समानशब्दोंका प्रतिषेध (करना चाहिये) ।

(नवा इस शब्दका) जो दूसरा अर्थ है उस अर्थको भी (विभाषा संज्ञा प्राप्त
होती है । उसको) प्रतिषेध करना चाहिये । जैसे,—नवा कुण्डिका, नवा घटिका ।
(यहाँ ' नवा ' शब्दका अर्थ है ' नवीन ')

तो फिर उस अर्थको विभाषासंज्ञा हुई तो क्या होगा ?

" विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ " — १।१।२८ — (यहाँके विभाषा शब्दसे
' नवीन ' यह अर्थ मनमें आयेगा । अतः ' नवीन ' यह अर्थ गम्यमान होनेपर दिक्
समासको सर्वनामसंज्ञा होती है ऐसा अर्थ होगा । अतः) ' दक्षिणपूर्वस्यां शालायां ' यहाँ
नवीन शाला यह अर्थ मनमें आयेगा ।

(वा. ५) अथवा (पर्यायशब्दका निषेध करनेकी आवश्यकता)
नहीं, क्योंकि जैसे लोके जैसे विधि कहानेपर निषेधका संप्रत्यय
होता है ।

यह दोष नहीं आता ।

क्या कारण है ?

' विधिपूर्वकत्वात् ' अर्थात् कुछ न कुछ विधान करके आगे पाणिनिसे ' न वा '

उमके समीपस्थ शब्द ही ध्यानमें आता है । शास्त्रमें उसके विरुद्ध है । क्योंकि
शास्त्रमें ' स्व रूपे ' (१।१।१८) से प्रायः सभी शब्दोंमें स्वभावतः उनका स्वल्प ध्यानमें
आता है । यहाँ ' इति ' शब्दोंके समीपस्थ शब्दोंमें लौकिक-त्रेता अर्थ ध्यानमें आता है ।

तं वेत्युच्यते । तेन प्रतिषेधवाचिनः संप्रत्ययो भवति । तद्यथा लोके । ग्रामो भवता
 गन्तव्यो न वा । नेति गम्यते ॥ अस्ति कारण येन लोके प्रतिषेधवाचिनः
 संप्रत्ययो भवति । किं कारणम् । विलिङ्गं हि भवोल्लोके निर्देशं करोति । अङ्ग
 हि समानलिङ्गो निर्देशः क्रियतां प्रत्यग्रवाचिनः संप्रत्ययो भविष्यति । तद्यथा ।
 ग्रामो भवता गन्तव्यो नवः । प्रत्यग्र इति गम्यते ॥ एतच्चैव न जानीमः
 क्वचिद्वाकरणे समानलिङ्गो निर्देशः क्रियत इति । अपि च कामचारः प्रयोक्तुः
 शब्दानामभिसंबन्धे । तद्यथा । यवागूर्भवता भोक्तव्या नवा । यदा यवागूशब्दो

(इस अर्थके विभाषा) शब्दका उच्चारण कया हुआ दिखाई देता है । इससे
 (विभाषाके अर्थमें) निषेध हो ऐसा ही इष्ट मनमें आता है ।

जैसे लोकमें 'ग्रामो भवता गन्तव्यः' कहकर आगे 'न वा' कहनेसे उस
 'न वा' शब्दसे निषेध यह अर्थ मनमें आता है (वैसे कुछ विधान करके आगे
 उच्चारित विभाषा शब्दसे निषेध अर्थ मनमें आता है ।)

परन्तु लोकमें ('न वा' शब्दसे) निषेधका जो अर्थ मनमें आता है उसका
 कारण अलग है ।

सो कौनसा ?

लोकका लिङ्गरहित उदाहरण (अर्थात् 'न वा' शब्द) आपने दिखाया है ।
 (उस स्थानपर ऐसे 'न वा' शब्दका निर्देश किया है इसलिये उससे निषेध अर्थ
 मनमें आता है ।) अब लिङ्गसहित 'नव'—शब्दका प्रयोग करके देखा जाय,
 जिससे उससे 'नवीन' यह अर्थ निश्चित प्रतीत होगा । जैसे,—'ग्रामो भवता
 गन्तव्यो नवः' कहनेपर नव शब्दसे नवीन यह अर्थ प्रतीत होता है ।

(यदि यह बात है तो) व्याकरणशास्त्रमें कहीं भी लिङ्गसहित विभाषा शब्दका
 निर्देश किया है ऐसा हम नहीं जानते । और शब्दोंका एक दूसरेके साथ सवध जोड़ना
 प्रयोक्ताकी इच्छापर निर्भर है । जैसे,—'यवागूर्भवता भोक्तव्या नवा' । इस वाक्यमें
 जब यवागू शब्दका भोजन क्रियासे सवध होता है और भोजनक्रियाका 'नवा' शब्दसे
 संबन्ध आता है, तब 'नवा' शब्दसे निषेध अर्थ मनमें आता है 'आप यवागू सायें,

२ 'विभाषा श्वे' (१।१।३०) इत्यादि विभाषासंज्ञोपदेशमें उच्चारित विभाषाशब्द
 'श्वि' धातुको सप्रसारणका विधान करके बादमें उच्चारित होनेके कारण वह 'प्रतिषेध'
 अर्थको ध्यानमें ला देता है, यह वस्तुस्थिति है । इससे यह निश्चय किया जा सकता है कि
 जब कि सज्ञाप्रदेशका विभाषाशब्द निषेधार्थको दिखाता है तो 'न वेति' सूत्रका 'नवा'
 शब्द निषेधार्थक समझा गया है ।

३ वैसे तो शास्त्रमें भी विभाषाशब्द 'नवीन' अर्थको दिखायेगा । तब सज्ञाप्रदेशके
 विभाषाशब्दके अर्थसे प्रकृतसूत्रके 'नवा' शब्दका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता ।

भुजिनाभिसंबध्यते भुजिर्नवाशब्देन तदा प्रतिषेधवाचिनः सप्रत्ययो भवति । यवागूर्भवता भोक्तव्या नवा । नेति गम्यते । यदा यवागूशब्दो नवाशब्देनाभिसंबध्यते न भुजिना तदा प्रत्यग्रवाचिनः संप्रत्ययो भवति । यवागूर्नवा भवता भोक्तव्या । प्रत्यग्रेति गम्यते । न चेह वयं विभाषाग्रहणेन सर्वादीन्यभिसंबध्नीमः । दिक्समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि विभाषा भवन्तीति । किं तर्हि । भवतिरभिसंबध्यते । दिक्समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि भवन्ति विभाषेति ॥

विध्यनित्यत्वमनुपपन्नं प्रतिषेधसंज्ञाकरणात् ॥ ६ ॥

विधेरनित्यत्वं नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः । शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्वियुः । किं कारणम् । प्रतिषेधसंज्ञाकरणात् । प्रतिषेधस्यैव संज्ञा क्रियते । तेन विभाषाप्रदेशेषु प्रतिषेधस्यैव संप्रत्ययः स्यात् ॥

अथवा नहीं ।' यहाँ निषेधरूप अर्थ प्रतीत होता है । अब जब 'नवा' शब्द यवागू शब्दसे संबंध पाता है, और भोजनक्रियासे संबंध नहीं पाता, तब 'नवा' शब्दसे 'नवीन' (अर्थात् ताजा) इस अर्थकी प्रतीति होती है । जैसे, 'यवागूर्नवा भवता भोक्तव्या' इस वाक्यमें 'नवा' शब्दका यवागू शब्दसे संबंध होनेके कारण वहाँ 'नवा' शब्दसे ताजा यह अर्थ मनमें आता है । अतः 'विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ' इस सूत्रमें विभाषा शब्दका सर्वआदि शब्दोंके साथ हम संबंध नहीं करते । अर्थात् दिग्बहुव्रीहिमें 'विकल्पसे सर्व-आदिक शब्द होते हैं' ऐसा हम नहीं कहते ।

तो फिर क्या ?

दिग्बहुव्रीहिमें सर्व आदि शब्द विकल्पसे होते हैं, (अर्थात् विकल्पसे वे सर्वनाम-संज्ञक होते हैं) ऐसा (विभाषा शब्दका) भवति-क्रियासे संबंध किया गया है ।

(वा. ६) विधिका विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि (विभाषाशब्द) प्रतिषेधकी संज्ञा होती है ।

विभाषाशब्दसे विधिका विकल्प होना ठीक तरहसे नहीं बैठता । अतः शुशाव, शुशुवतु, शुशुवुः (ऐसे संप्रसारण—६।१।२०— किये हुए रूप) और शिश्वाय, शिश्वियतुः, शिश्वियुः (ये संप्रसारण न किये हुए रूप) सिद्ध नहीं होते ।

क्या कारण है ?

कारण यह कि 'प्रतिषेध' इस अर्थको विभाषा संज्ञा की गयी है । अतः विभाषा शब्दके प्रदेशोंमें 'प्रतिषेध' अर्थकी ही प्रतीति होगी ।

४. व्याकरणशास्त्रमें वही भी विभाषाशब्दका उल्लिखित निर्देश न होनेके कारण वह विभाषाशब्द 'नवीन' अर्थको नहीं दिखा सकता है । तो किसी एकका विधान करके बादमें विभाषाशब्द उच्चारित होनेमें वह 'निषेध' अर्थका बोधक है ऐसा निश्चय होता है ।

सिद्धं तु प्रसज्यप्रतिषेधात् ॥ ७ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । प्रसज्यप्रतिषेधात् । प्रसज्य किञ्चिन्न वेत्युच्यते । तेनोभयं भविष्यति ॥

विप्रतिषिद्धं तु ॥ ८ ॥

विप्रतिषिद्धं तु भवति । अत्र न ज्ञायते केनाभिप्रायेण प्रसजति केन निवृत्तिं करोतीति ॥

न वा प्रसङ्गसामर्थ्यादन्यत्र प्रतिषेधविषयात् ॥ ९ ॥

न वैष दोषः । किं कारणम् । प्रसङ्गसामर्थ्यात् । प्रसङ्गसामर्थ्याच्च विधिर्मविष्यत्यन्यत्र प्रतिषेधविषयात् । प्रतिषेधसामर्थ्याच्च प्रतिषेधो भविष्यत्यन्यत्र विधि-

(वा. ७) प्रसज्यप्रतिषेधसे यह सिद्ध होता है ।

(' विभाषा ' शब्दसे ' विकल्प ' अर्थकी प्रतीति हो तो) यह सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

प्रसज्यप्रतिषेधसे । अर्थात् पहले विधि करके फिर उसका निषेध किया जाता है । अतः (विधि और निषेध इन दोनोंके विधानके बलपर) ये दोनों बातें होंगी । (अर्थात् विकल्प होगा ।)

(वा. ८) परन्तु यह विरुद्ध दीखता है ।

विधि करके उसकी निवृत्ति करना यह विरुद्ध दिखाई देता है । यहाँ किस अभिप्रायसे विधि की जाय और किस अभिप्रायसे उसका निषेध किया जाय सो समझमें नहीं आता ।

(वा. ९) अथवा (यह दोष) नहीं आता । क्योंकि प्रसङ्गके बलपर प्रतिषेधका विषय छोड़कर विधि होती ।

यह दोष नहीं आता ।

क्या कारण है ?

प्रसङ्गके बलपर अर्थात् विधिके बलपर प्रतिषेधका समय छोड़कर विधि होगी और निषेधके बलपर विधिके समय छोड़कर निषेध भी होगा ।

(निषेध किये जानेके बलपर विधिकी कल्पना करना और विधि और निषेध इन दोनोंके विधान किये जानेके बलपर धारीदारीसे दोनोंकी प्रवृत्ति होनेके कारण अर्थात् विकल्प फलित होता है) ऐसा कहना भी कहाँ ठीक होगा ? जहाँ अप्राप्त-विभाषा है वहाँ ।

५. ' नवा ' शब्दके अर्थमें अर्थात् निषेधों विभाषाके ही जानेके कारण शंभुप्रदेशमें विभाषाप्रदाने निकर दी प्यानमें आता है । परन्तु अप्राप्तविभाषाप्रदेशमें अन्य शास्त्रमें विधि की

विभयात् ॥ तदेतत्क सिद्धं भवति । याऽप्राप्ते विभाषा । या हि प्राप्ते कृतसामर्थ्यस्तत्र पूर्वेण विधिरिति कृत्वा प्रतिषेधस्यैव संप्रत्ययः स्यात् । एतदपि सिद्धम् । कथम् । विभाषेति महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा च नाम यतो न लघीयः । कुत एतत् । लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम् । तत्र महत्याः संज्ञायाः करण एतत्प्रयोजनमुभयोः संज्ञा यथा विज्ञायेत नेति, च वेति च । तत्र या तावदप्राप्ते विभाषा तत्र प्रतिषेध नास्तीति कृत्वा वेत्यनेन विकल्पो भविष्यति । या हि प्राप्ते विभाषा तत्रोभयमुपस्थितं भवति नेति च वेति च । तत्र नेत्यनेन प्रतिषिद्धे वेत्यनेन विकल्पो

परन्तु जो प्राप्तविभाषा है वहाँ स्वतंत्र पूर्वशास्त्रसे विधि बताई जानेके कारण (और उसका अन्य स्थानोंपर अर्थात् विकल्पकी प्राप्ति जिस स्थानपर नहीं आती उस स्थानपर उपयोग होनेके कारण वहाँ विभाषापदसे) निषेधकी ही प्रतीति होगी। (अतः विकल्प सिद्ध नहीं होता।)

यह भी सिद्ध होता है। (अर्थात् वैसे स्थानपर भी विभाषापदसे विकल्पकी प्रतीति होगी।)

सो कैसे ?

विभाषा जैसी बड़ी संज्ञा की गयी है। जो संज्ञा होती है वह इतनी छोटी होती है कि उससे दूसरा छोटा शब्द न हो।

सो कैसे ?

योद्धेमें (अर्थात् एक बिल्कुल छोटे शब्दसे बहुत अर्थोंका) संग्रह हो इस हेतुसे ही संज्ञा करनी होती है इसलिए। अतः वहाँ (विभाषा यह) महासंज्ञा करनेका यह फल समझा जाय कि 'न' और 'वा' इन दो शब्दोंको (अर्थात् इन शब्दोंसे प्रतीति होनेवाले दो अर्थोंको) मिलाकर यह विभाषासंज्ञा समझी जाय। (अर्थात् 'इति' शब्दका 'न' और 'वा' इनमेंसे प्रत्येकके साथ संबंध करके 'न' शब्दका अर्थ 'निषेध' और 'वा' शब्दका अर्थ 'विकल्प' इन दो अर्थोंको मिलाकर विभाषा-संज्ञा होती है)। अतः जहाँ अप्राप्तविभाषा है, वहाँ प्रतिषेध (अर्थात् जिसका निषेध किया जा सके वह) पढ़े कुठ नहीं कहा गया है इससे, 'वा' शब्द (के अर्थ) से विकल्प होगा। अब जो प्राप्तविभाषा (अथवा उभयत्रविभाषा भी) है वहाँ 'न इति' अर्थात् निषेध, और 'वा इति' अर्थात् विकल्प इन दोनों (अर्थों-) की उपस्थिति होती है। उसमें प्रथमतः निषेधांशसे (प्राप्तविधि) निषेध करनेपर (पीछेसे) विकल्पांश-

जानेके कारण वगैर निषेध कहना मेल नहीं खाता। अतः वहाँ निषेधके बलपर विधिही च्युतना भी जाय। तब विधि और निषेध दोनोंका विधान किया जानेसे दोनोंको भी साथ-साथ प्राप्त होनेके लिए यारी यारी दोनों ही प्रकृत शब्द विकल्प पठित होता है, जैसे, 'बरादा अरगन्दनारस्याम्' (७।१।१०)।

भविष्यति ॥ एवमपि

विधिप्रतिषेधयोर्युगपद्वचनानुपपत्तिः ॥ १० ॥

विधिप्रतिषेधयोर्युगपद्वचनं नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुशुवुः । शिश्वाय
शिश्वियतुः शिश्वियुः । किं कारणम् ।

भवतीति चेन्न प्रतिषेधः ॥ ११ ॥

भवतीति चेत्यप्रतिषेधो न प्राप्नोति ।

नेति चेन्न विधिः ॥ १२ ॥

नेति चेद्विधिर्न सिध्यति ॥

सिद्धं तु पूर्वस्योत्तरेण बाधितत्वात् ॥ १३ ॥

सिद्धमेतद् । कथम् । पूर्वविधिमुत्तरो विधिर्बाधते । इतिरूपणो ऽर्थनिर्देशार्थं

से विकल्प होगा ।

इस तरह (निषेध और विकल्प इन दोनों अर्थोंको मिठाकर विभाषा-सज्ञा की तो) भी—

(वा. १०) विधि और निषेध इन दोनोंका एक ही समय अस्तित्व नहीं हो सकता ।

एकही समय विधि और निषेधसे दोनों बातें नहीं निभ सकती । अतः शुशाव, शुशुवतुः, शुशुवुः तथा शिश्वाय, शिश्वियतुः, शिश्वियुः ये दो प्रकारके रूप नहीं हो सकते ।

क्या कारण है ?

(वा. ११) (कार्य) होता है ऐसा कहा गया तो उसी समय उसका प्रतिषेध नहीं होता ।

कोई कार्य होता है ऐसा कहा गया तो उसी समय वह नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

(वा. १२) (कार्य) नहीं होता ऐसा कहा गया तो उसी समय यह होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

यदि (कोई कार्य) नहीं होता ऐसा कहा गया तो वह उसी समय होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

(वा. १३) परन्तु उत्तर विधानसे पूर्व विधानका बाध होनेके कारण इष्ट कार्य सिद्ध होता है ।

विधि और निषेध दोनों एकही स्थानपर ठीक बैठते हैं ।

सो कैसे ?

पूर्व विधान का अग्न्य विधान बाध करता है और ' इति ' शब्दके बग़ैर

इत्युक्तम् ॥

साध्वनुशासने ऽस्मिन्स्य विभाषा तस्य साधुत्वम् ॥ १४ ॥

साध्वनुशासने ऽस्मिन्शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा साधुः स्यात्। समासश्चैव हि विभाषा तेन समासस्यैव विभाषा साधुत्वं स्यात्। अस्तु। यः साधुः स प्रयोक्ष्यते ऽसाधुर्न प्रयोक्ष्यते। न चैव हि कदाचिद्वाजपुरुष इत्यस्यामवस्थायामसाधुत्वमिष्यते। अपि च

(यहाँ ' न ' और ' वा ' इन दोनों शब्दोंके अर्थ ही लेने चाहिये) ऐसा पहले बताया गया है।

(वा. १४) शब्दोंके साधुत्वका अनुशासन करनेवाले इस शास्त्रमें जिसका विकल्प बतलाया जाता है उस (शब्द) का साधुत्व सिद्ध होता है।

शब्दोंके साधुत्वका अनुशासन करनेवाले (अर्थात् अमुक शब्द साधु हैं ऐसा कहनेवाले) इस शास्त्रमें जिस कार्यके संबंधमें विकल्प बतलाया जाता है (उस कार्यका विकल्प न होकर) वह कार्य बिलानेवाला जो शब्द है वह शब्द विकल्पसे साधु होता है। समास ही विकल्पसे बताया गया है। अतः उस समासका विकल्प न होकर उस सामासिक शब्दका साधुत्व विकल्पसे समझा जायगा। (अर्थात् एकबार असाधुत्व भी आयेगा।

(साधुत्वका विकल्प हुआ तो) होने दीजिये। जिस (शब्द) का साधुत्व होगा उसका प्रयोग किया जायगा। और असाधु (शब्द) का प्रयोग नहीं किया जायगा।

परन्तु (समास करनेपर) अर्थात् ' राजपुरुषः ' (यह सामासिक शब्द सिद्ध करनेपर) इस सामासिक शब्दको कभी भी असाधुत्व इष्ट नहीं है। (सो अब मानना पड़ेगा न ?)

६. उन दो अर्थोंमें विरोध रहनेके कारण एकसे दूसरेका बाध करना आवश्यक ही है। उसमें ' न ' शब्द पहले रखा जानेसे उसी क्रमसे उसका अर्थ भी पहले ध्यानमें आता है। तदनन्तर उसका ' वा ' शब्दसे ध्यानमें आयी पाठिक विधिमें एक बार बाध होता है। तब विभाषास्थलमें प्रथमतः ' न ' इस निषेध अंशकी प्रवृत्ति होती है। तब ' विभाषा येः ' (६।१।३०) इत्यादिमें ' क्त्वि ' प्रत्यय आगे होनेपर प्राप्त हुए संप्रसारणका निषेध करनेके बाद सर्वत्र ही एक बार संप्रसारण होता है ऐसा विधियुक्तसे विकल्प प्रवृत्त होता है। उसमें ' शुभाव ' , ' शिष्याय ' इत्यादि दोनों प्रकारके रूप सिद्ध होते हैं।

७. व्याकरणशास्त्रसे शब्द सिद्ध नहीं किये जाते हैं। क्योंकि शब्द नित्य होनेके कारण वे सिद्ध ही हैं। तब व्याकरणशास्त्रका उपयोग यही है कि अमुक शब्द साधु है यह समझमें आ जाय। ' शब्द अनित्य है ' यह नैयायिकोंका पक्ष है। उग पक्षमें ' शब्द सिद्ध करना ' यह व्याकरणशास्त्रका कार्य है ऐसा कहा जा सकता है।

द्वेषाप्रतिपत्तिः ॥ १५ ॥

द्वेषं शब्दानामप्रतिपत्तिः । इच्छामश्च पुनर्विभाषापदेशेषु द्वेषं शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यादिति तच्च न सिध्यति ॥ यस्य पुनः कार्याः शब्दा विभाषासौ समासं निर्वर्तयति । यस्यापि नित्याः शब्दास्तस्याप्येष न दोषः । कथम् । न विभाषाग्रहणेन साधुत्वमभिसंबध्यते । किं तर्हि । समाससंज्ञाभिसंबध्यते । समास इत्येषा संज्ञा विभाषा भवतीति । तद्यथा । मेघ्यः पशुर्विभाषितः । मेघ्यो ऽनड्वान्विभाषित इति । नैतद्विचार्यते ऽनड्वान्नानड्वानिति । किं तर्हि । आलम्ब्यव्यो नालम्ब्य इति ॥

(वा. १५) दो प्रकारके शब्दोंकी प्रतिपत्ति नहीं होगी ।

और (साधुत्वका विकल्प हुआ तो) दो प्रकारके शब्द निष्पन्न होते हैं वे नहीं होंगे । और हम तो चाहते हैं कि जहाँ विकल्प बताया हो वहाँ दोनों प्रकारके शब्द प्रयोगमें आये । वह साध्य नहीं होता ।

अब जिसके मतमें शब्द अनित्य हैं वह विकल्पसे समास करता है । (अतः राज्ञः पुरुषः और राजपुरुषः ऐसे दो प्रकारके शब्द साधु समझकर उपयोगमें लाये जा सकते हैं ।)

परन्तु जिसके मतमें शब्द नित्य हैं उसके भी मतमें ' द्वेषाऽप्रतिपत्तिः ' यह दोष नहीं आता ।

सो कैसे ?

विभाषा शब्दका साधुत्वसे संबंध न करना पर्याप्त होगा ।

तो फिर उसका संबंध किससे करे ?

समाससंज्ञाके साथ विभाषाका संबंध करना हो तो समास नामकी जो संज्ञा है वह विकल्पसे होती है । जैसे—' यज्ञीय पशु विभाषित है ' अथवा ' यज्ञीय वेत्त विभाषित है ' ऐसा कहनेपर वहाँ वह पशु है वा नहीं, और वेत्त है वा नहीं ऐसा विभाषाका पशुसे वा वेत्तसे संबंध नहीं होता ।

तो फिर वहाँ किसका विकल्प माना जाता है ?

(याज्ञिक पशुका) आलम्बन करना अर्थात् हिंसा करना, अथवा आलम्बन न करना (इस तरह आलम्बनक्रियाका विकल्प माना जाता है ।)

८. क्योंकि शब्दको साधुत्व देना वा न देना यह कार्य व्याकरणशास्त्रकार नहीं कर सकता । केवल साधु शब्द कौनसे और वे कौसे पहचानने वाले इतना ही वे बतल सकते हैं ।

९. क्योंकि मूलकारभी पशुका पशुत्व और ' गो ' का गोत्व एक बारभी किन्तु नहीं कर सकते ।

१०. धिया करना वा न करना मनुष्यके आधीन है इत्येव धियाका विन्य मूलकार वा. १९

कार्ये युगपदन्वाचययोगपद्यम् ॥ १६ ॥

कार्येषु शब्देषु युगपदन्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगपद्वचनता प्राप्नोति । तन्वत्तयानीयरः [३.१ ९६] ढक् च मण्टूकात् [४ १.११९] इति ॥ यस्य पुनर्नित्याः शब्दाः प्रयुक्तानामसौ साधुत्वमन्वाचष्टे । ननु च यस्यापि कार्गस्तस्याप्येव न दोषः । कथम् । प्रत्ययः परो भवतीत्युच्यते न चैकस्याः प्रकृतेरनेकस्य प्रत्ययस्य युगपत्परत्वेन संभवो ऽस्ति । नापि ब्रूमः प्रत्ययमाला प्राप्नोतीति । किं तर्हि । कर्तयमिति प्रयोक्तव्ये युगपद् द्वितीयस्य तृतीयस्य च प्रयोगः प्राप्नोतीति ।

(वा. १६) शब्द यदि कार्य समझे जायें, तो जहाँ एक ही समय समुच्चयसे कुछ विधान किया जानेपर उन सब शब्दोंका युगपत् उच्चारण करना पड़ेगा ।

अनित्य शब्दोंके विषयमें योगपद्यसे अथवा समुच्चयसे जिनका विधान किया है ऐसे (अर्थात् क्रमशः) तन्वत्, तय, अनीयर प्रत्यय, (३।१।९६) और ' ढक् च मण्टूकात् ' (४।१।११९) सूत्रसे बताये हुए ' ढक् ' और ' अण् ' प्रत्यय इनका एक ही समयमें प्रयोग प्राप्त होता है । (कार्यशब्दवादी केवल सूत्रपर दृष्टि रखकर शब्द बनायेगा । अतः उस सूत्रसे तन्वत्, तय इत्यादि प्रत्ययोंका युगपत् विधान किया गया है । इसलिए तीनों प्रत्यय एक समयमें करनेकी बारी आती है ।) अब जिसके मतमें शब्द नित्य है वह (प्रयोगपर दृष्टि रखकर) व्यवहारमें प्रयुक्त हुए शब्दोंका साधुत्व बतायेगा । (उस प्रयोगमें तन्वदादिक प्रत्ययोंकी एक कालमें उत्पत्ति दिखाई न देनेके कारण पर्यायसे तन्वदादि तीन प्रत्ययोंका प्रयोग करेगा । इसलिए उसके मतमें ' तन्वदादिकका युगपत् प्रयोग होगा ' यह दोष नहीं आता ।)

जिसके मतसे शब्द अनित्य है उसके मतमें भी यह दोष नहीं आता । सो कैसे ?

प्रत्यय आगे होता है ऐसा (" परश्च " — ३।१।२ — सूत्रसे) बताया गया है । अतः एक प्रकृतिके आगे अनेक प्रत्ययोंका युगपत्-प्रयोग नहीं हो सकता । प्रत्ययोंकी माला (अर्थात् एक प्रकृतिके आगे अनेक प्रत्ययोंका युगपत्-प्रयोग) प्रसन्न होती है, ऐसा हम नहीं कहते ।

तो फिर आपका कहना क्या है ?

(' तन्वत् ' प्रत्यय करके) ' कर्तय ' शब्दका प्रयोग करनेकी इच्छा होनेपर उसके साथ ही पुनः ' तन्व ' प्रत्यय करके दूसरे ' कर्तव्य ' शब्दका और (अनीयर कह सकते हैं । तब शब्द नित्य माने गये तो भी उनके साधुत्वका विद्वत्प करना साप्रकारोंके भाषीन है इसलिए गमामर्शनाका विद्वत्प माना जा सकता है, अतः कोई भी दोष नहीं आता ।

नैप दोषः । अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः । अर्थं संप्रत्याययिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते । तत्रैकेनोक्तत्वात्तस्यार्थस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यमुक्तार्थानामप्रयोग इति ॥

आचार्यदेशशीलने च तद्विषयता ॥ १७ ॥

आचार्यदेशशीलनेन यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति । इको ह्रस्वो ऽङ्घ्रो गालवस्य [६. ३. ६१] प्राचामवृद्धात्किन्वहुलम् [४. १. १६०] इति गालवा एव ह्रस्वान्प्रयुञ्जीरन्प्राप्तु चैव हि किन्स्यात् । तद्यथा । जमदग्निर्वा एतत्पञ्चमवदानमवाद्यत्तस्मान्नाजामदग्न्यः पञ्चावत्तं जुहोति ॥ यस्य पुनर्नित्याः शब्दा गालवग्रहणं तस्य पूजार्थं देशग्रहणं च कीर्त्यर्थम् । ननु च यस्यापि

प्रत्यय करके) तीसरे ' करणीय ' शब्दका भी प्रयोग प्रसक्त होता है (ऐसा हमारा कहना है) ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि (दूसरेको) कोई अर्थ विदित करा लें इस उद्देश्यसे वक्तासे शब्दप्रयोग क्रिया जाता है । ' मैं अर्थ विदित कराता हूँ ' इस हेतुसे वक्तासे शब्दप्रयोग क्रिया जाता है वहाँ वह अर्थ एक शब्दसे निवेदित क्रिया जानेके कारण उसी अर्थका दूसरा (अथवा तीसरा शब्द) प्रयोगमें लानेका कारण नहीं है । कारण कि " जो अर्थ एक शब्दसे निवेदन किया वही अर्थ निवेदित करनेके लिए पुनः शब्दप्रयोग न करें " (यह लोकप्रसिद्ध न्याय है) ।

(वा. १७) आचार्यका अथवा देशका उल्लेख करके जो बताया है उस शब्दका प्रयोग करनेका उन्हींको अधिकार पहुँचता है ।

आचार्यका अथवा देशका उल्लेख करके जो बताया है (तादृशकार्यघटित) उस शब्दका (जो उस आचार्यके वंशके अथवा उस देशके लोग हों) उन्हींको प्रयोग करनेका अधिकार पहुँचता है । जैसे " इको ह्रस्वोऽङ्घ्रो गालवस्य " (६।३।६१ यहाँ (गाल्वनामक ऋषिका उल्लेख करके ह्रस्व बताया गया है,) वैसेही " प्राचामवृद्धात्किन्वहुलम् " (४।१।१६०) यहाँ (' प्रादेश ' का उल्लेख करके किन् प्रत्यय बनाया है; इसलिये) गालववंशके ही ऋस्व घटित प्रयोग करेंगे, और प्रादेशमें ही किन् प्रत्ययका प्रयोग होगा । जैसे, ' जमदग्निः वा एतत् पञ्चमम् अवदानम् अवाद्यत् तस्मात् न अजामदग्न्यः पञ्चावत्तं जुहोति ' (जब कि पाँचवाँ अवदान जमदग्निनामक ऋषिने ग्रहण किया तब जामदग्न्यव्यतिरिक्त मनुष्य पञ्चावत्तं हवन न करे, ऐसा सूत्रमें बताया है ।) अब जिसके मतमें शब्द नित्य हैं उसके मतमें गालवाचार्यका उल्लेख उसकी पूज्यता दिखानेके लिए है और देशका निर्देश (उस देशके लोगोंकी) कीर्ति होनेके लिए किया है (ऐसा समझा जाता है) ।

परन्तु, जिसके मतमें शब्द कार्य (निष्पाय) हैं, उनके भी मतमें गालवाचार्यका

कार्यास्तस्यापि पूजार्थं गालवग्रहणं स्यादेशग्रहणं च कीर्त्यर्थम् ।

तत्कीर्तने च द्वेषाप्रतिपात्तिः ॥ १८ ॥

तत्कीर्तने च द्वेषं शब्दानामप्रतिपात्तिः स्यात् । इच्छामश्च पुनराचार्य-
ग्रहणेपु देशग्रहणेपु च द्वेषं शब्दानां प्रतिपात्तिः स्यादिति तच्च न सिध्यति ॥

अशिष्यो वा विदितत्वात् ॥ १९ ॥

अशिष्यो वा पुनरयं योगः । किं कारणम् । विदितत्वात् । यदनेन
योगेन प्रार्थ्यते तस्यार्थस्य विदितत्वात् । ये ऽपि हेतां संज्ञां नारभन्ते ते ऽपि
विभाषेत्युक्ते ऽनित्यत्वमवगच्छन्ति । याज्ञिकाः खल्वपि संज्ञामनारभमाणा
विभाषेत्युक्ते ऽनित्यत्वमवगच्छन्ति । तद्यथा । मेध्यः पशुर्विभाषितः । मेध्यो
ऽनड्वान्विभाषित इति । आलम्ब्यव्यो नालम्ब्यव्य इति गम्यते ॥ आचार्यः खल्वपि
संज्ञामारभमाणो भूयिष्ठमन्यैरपि शब्दैरेतमर्थं संप्रत्याययति । बहुलम् अन्यतरस्याम्

उल्लेख उसकी पूज्यता दिखानेके लिए होगा और देशका उल्लेख (उस देशके लोगोंकी)
कीर्ति होनेके लिए होगा । ('जब कि गालवाचार्यने ऋष्वका प्रयोग किया है, तुम भी
ऋष्वका प्रयोग करो यह विधान करनेमें स्पष्टतया गालवाचार्यकी स्तुति होती है ।)

(सू. १८) उस (आचार्य अथवा देश-) का उल्लेख किया हो तो
(शब्दोंकी दो प्रकारकी प्रतिपात्ति न होगी ।)

उस (आचार्य अथवा देश) का उल्लेख किया हो वहाँ शब्दोंके दो प्रकारके
रूप समझमें नहीं आयेंगे । हम तो आचार्यका अथवा देशका निर्देश किया गया हो वहाँ
(विकल्पकी तरह) शब्दोंके दो प्रकारके रूप चाहते हैं, वे साध्य नहीं होते ।

(वा. १९) (' न वेति विभाषा ') सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि (उस सूत्रका अर्थ) विदित है ।)

(' न वेति विभाषा ') सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है ।
क्यों ?

क्योंकि इस सूत्रसे जो अर्थ कथन किया है वह लोकप्रसिद्ध ही है । जिन
लोगोंने ' विभाषा ' संज्ञा नहीं की वे लोग भी ' विभाषा ' कहनेपर उसका अर्थ
' अनित्य ' ऐसा समझते हैं । याज्ञिक लोग भी ' विभाषा ' संज्ञा कहे बिना ' विभाषा '
कहनेपर ' अनित्य ' ही उसका अर्थ समझते हैं । सो ऐसे— " मेध्यः पशुर्विभाषितो
मेध्योऽनड्वान् विभाषितः । " ऐसा कहनेपर " आलम्ब्यव्य हे " अथवा " आलम्ब्यव्य
नहीं हे " ऐसा समझा जाता है । पाणिनि आचार्य भी विभाषासंज्ञा बताकर बहुत
स्थानोंपर बहुलम्, अन्यतरस्याम्, उभयथा, वा, एकेषाम् इत्यादि अन्य शब्दोंसे भी
विभाषा शब्दका अर्थ विदित करते हैं । (अतः " इकोरन्यतरस्याम् " — १।४।५३ —

उभयथा वा एकेयामिति ॥

अप्राप्ते त्रिसंशयाः ॥ २० ॥

इत् उत्तरं या विभाषा अनुक्रमिष्यामोऽप्राप्ते ता द्रष्टव्याः । त्रिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्तेऽप्राप्त उभयत्र वेति ॥

द्वन्द्वे च, विभाषा जसि [१. १. ३१, ३२] ॥ २०-१ ॥

प्राप्तेऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाऽप्राप्ते कथं

आदि प्राप्ताप्राप्त विभाषाके स्थानपर 'अन्यतरस्थान' शब्दसे जैसे निषेधपूर्वक विकल्पात्मक अर्थकी प्रतीति होती है वैसे ही 'विभाषा' शब्दसे भी होगी; इसलिए 'न वेति विभाषा' यह संज्ञासूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है ।)

(वा. २०) अप्राप्तविभाषाओंके बारेमें तीन (प्रकारके) संदेह (निर्माण होते हैं) ।

यहाँसे आगे हम जो विभाषाएँ क्रमसे कहनेवाले हैं वे अप्राप्त विभाषाएँ हैं ऐसा समझा जाय । (उन विभाषाओंके बारेमें) तीन (प्रकारके) संदेह निर्माण होते हैं । — क्या यह प्राप्तविभाषा समझी जाय, अथवा अप्राप्तविभाषा समझी जाय, अथवा उभयत्रविभाषा समझी जाय (इस प्रकार तीन प्रकारके संदेह निर्माण होते हैं) ।

(वा. २०.१) 'द्वन्द्वे च' और 'विभाषा जसि' (पा. १. १. ३१, ३२) इस प्रकरणमें जो विभाषा बतायी गयी है वह क्या प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्त-विभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, ऐसा संदेह निर्माण होता है ।

यह विभाषा प्राप्तविभाषा कैसे हो सकती है ? अप्राप्तविभाषा कैसे संभवनीय है ?

११. 'प्रथमचरम०' सूत्रमें 'सर्वादीनि' पदकी अनुवृत्ति लाके वह तयप्रत्ययान्तको विशेषण लगाया गया तो सर्वादिगणपट्टि तय प्रत्ययान्तको विच्छन्नसे सर्वनामसंज्ञा होती है ऐसा 'प्रथमचरम०' सूत्रके तय पदका वाक्यार्थ थरता है । तय 'उभय' शब्दके आगे 'जम्' प्रत्यय लगाया जानेपर 'उभय' शब्दको सर्वादिगणपट्टिके कारण प्राप्त हुई संज्ञाका तयप्रहणसे 'जम्' आगे रहनेपर विच्छन्न कहा जानेके कारण तयप्रत्ययान्तको कही हुई विभाषा प्राप्तविभाषा हो सकती है । अब 'सर्वादीनि' की निवृत्ति को गयी और पूर्वप्रतिषेध माना गया तो यह अप्राप्तविभाषा होती है । अर्थात् गणपट्टिनियमनसंज्ञा जम्बुदतिरिक्त स्थलमें गावहास है, और तयप्रत्ययान्तको कही हुई विभाषा 'द्वितय' इत्यादि शब्द स्थलमें गावहास है । और 'उभय' शब्दके आगे 'जम्' प्रत्यय किया जानेपर तय और विच्छन्न दोनों संज्ञाएँ प्राप्त होनेपर पूर्वप्रतिषेधने नियमसंज्ञा करते समय 'द्वितय' शब्दमें सिद्धी प्राप्ति न होनेपर तयप्रहणसे विच्छन्न किया जानेसे अप्राप्तविभाषा हो सकती है । और परविप्रतिषेध मान लिया तो उभयशब्दस्थलमें गणपट्टिके कारण प्राप्त हुई संज्ञाका विच्छन्न और द्वितयशब्दस्थलमें अप्राप्तसंज्ञाका विच्छन्न करनेसे उभयत्रविभाषा होती है ।

वोभयत्र । उभयशब्दः सर्वादिपु पठ्यते तयपश्चायजादेशः क्रियते तेन वा निये
प्राप्ते ऽन्यत्र वाऽप्राप्त उभयत्र वेति । अप्राप्ते । अयच्प्रत्ययान्तरम् । यदि प्रत्यया
न्तरमुभयीतीकारो न प्राप्नोति । मा भूदेवम् । मात्रच इत्येव भविष्यति । कथम् ।
मात्रजिति नेदं प्रत्ययग्रहणम् । किं तर्हि । प्रत्याहारग्रहणम् । क सनिविटाना
प्रत्याहारः । मात्रशब्दात्प्रभृत्यायचश्चकारात् । यदि प्रत्याहारग्रहण कति तिष्ठन्ति

और उभयत्रविभाषा कैसे होती है ? 'उभय' शब्दका सर्वादिगणमें पाठ किया है । और
'तयप्' प्रत्ययके स्थानपर 'अयच्' (अय) आदेशका विधान किया है (५।२।१४४)
अतः ('उभय' शब्दको सर्वनामसज्ञा) नित्य प्राप्त होनेपर (वहीं उसके विकल्प
करना चाहिये), अथवा इतरत्र (अर्थात् 'द्वितय' आदि शब्दोंको सर्वनामसज्ञा) प्राप्त
न होनेपर वहीं विकल्प करना चाहिये), अथवा दोनों स्थानोंपर विकल्प करना चाहिये
(यह सदेह निर्माण होता है) ।

(तयप् प्रत्ययान्तके वारेमें जो विभाषा है वह) अप्राप्तविभाषा (समझी जाय) ।
क्योंकि ("उभाडुदात्तो नित्यम्" सूत्रसे तयप् प्रत्ययके स्थानपर 'अयच्' आदेश
करके 'उभय' शब्द नहीं बनाना है, तो 'उभय' शब्दके आगे 'तयप्' प्रत्ययका
बाधक) स्वतंत्र 'अयच्' प्रत्यय (करके बनाया जाय) ।

यदि ('उभय' शब्दके आगे) स्वतंत्र 'अयच्' प्रत्यय किया जाता है तो
'उभयी' यहाँ ("टिड्ढाणञ्०"—४।१।१५—सूत्रसे 'तयप्—' प्रत्ययान्तके आगे
'उभाडुदात्तो नित्यम्'—५।२।१४४—से बताया हुआ) ई (डीप्) प्राप्त नहीं
हो सकता ।

(तयप्-प्रत्ययान्तके आगे बताया हुआ डीप्) न हुआ तो भी उसी सूत्रसे
मात्रच् प्रत्ययान्तके आगे (बताया हुआ) डीप् होगा ।
सो कैसे ?

('टिड्ढाणञ्०' सूत्रसे) मात्रच् (यह जो शब्द रखा गया है वह) प्रत्यय
नहीं है ।

तो फिर क्या है ?

वह प्रत्याहार है ।

कहाँ निर्दिष्ट किये हुआका यह प्रत्याहार किया है ?

("प्रमाणे द्वयसञ्च०"—५।२।३७—सूत्रके) मात्र शब्दको आरम्भ करके
("द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा"—५।२।४२—सूत्रके) अयच् प्रत्ययके चकारतक
(सूत्रसमुदायमें प्राप्त हुए सब प्रत्ययोंका यह प्रत्याहार है) ।

यदि (मात्रच् शब्द) प्रत्याहार है तो 'कति तिष्ठन्ति, यहाँ भी (कति शब्दसे
डीप्) प्राप्ते होता है ।

१० क्योंकि 'ञ्ति' प्रत्यय (५।२।४१) 'मात्रच्'—प्रत्याहारमें पाया जाता है ।

उभयत्र वेति । अप्राप्ते ॥ अन्यद्वि कित्त्वमन्यन्डित्त्वम् ।

एकं चेन्डित्कितौ ॥

यथेकं डित्कितौ ततो ऽस्ति संदेहः । अथ हि नाना नास्ति संदेहः । यद्यपि नानैवमपि संदेहः । कथम् । प्रौर्ण्वीति । सार्वधातुरूमपित् [१ २ ४] इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । अप्राप्ते ॥

विभाषोपयमने [१.२.१६] ॥ २०-३ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाऽप्राप्ते कथं उभयत्र । गन्धने [१ २.१५] इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाऽप्राप्त उभयत्र

स्थानोंपर (विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

यह अप्राप्तविभाषा ही है । क्योंकि कित्त्व भिन्न है और डित्त्व भिन्न है ।

‘डित्’ और ‘कित्’ एक ही माने जायें तो यहाँ संदेहके लिए स्थान है, और यदि डित् और कित् वस्तुतः भिन्न ही हों तो यहाँ संदेह ही नहीं आता है ।

डित् और कित् भिन्न हैं तो भी यहाँ संदेह प्राप्त होता है ।

सो कैसे ?

‘प्रौर्ण्वि’ यहाँ “सार्वधातुरूमपित्” (१।२।४) इस (अगले सूत्र-) से नित्य प्राप्त होनेपर (वहीं इससे विकल्प क्रिया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प क्रिया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्राप्तविभाषा ही समझी जाय) ।

(वा. २० ३) “विभाषोपयमने” (१।२।१६) यह क्या प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, ऐसा संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्राप्तविभाषा कैसे, और अप्राप्तविभाषा कैसे, वा उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

“यमो गन्धने” (१।२।१५) इस पूर्वसूत्रसे गन्धन अर्थ गम्यमान होनेपर (पूर्व

१५ ‘डित्’ में भी ‘विभाषणो’ से ‘अणयोगात्’का पूर्वविकल्पवैधे वाप्य होता है ।

१७ ‘प्र’ उपसर्गपूर्वक ‘ङु’ धातुके भागे ‘ङ्’ प्रत्यय, उक्त स्थानमें भारतमनेपः उत्तमपुण्य एकवचन ‘ङ्’ प्रत्यय किया है । ‘विभाषणो’ सूत्रमें वारमें अतुरण होने भावे हुए ‘ङ्’ शब्दमें प्रत्यय ही किया तो प्राप्तविभाषा होती है, भागम ही किया तो अप्राप्त विभाषा होती है, और प्रत्यय और भागम दोनोंका भी प्रत्यय किया तो उभयत्रविभाषा होती है ।

१८ क्योंकि पूर्वसूत्रमें ‘ङ्’ शब्दमें भागमका ही प्रत्यय किया जानेसे वही वरिष्ठ अर्थ देना चाहिये ।

अत्रापि प्राप्नोति । अत इति वर्तते । एवमपि तैलमात्रा घृतमात्रा अत्रापि प्राप्नोति ।
सदृशस्याप्यसंनिविष्टस्य न भविष्यति प्रत्याहारेण ग्रहणम् ॥

ऊर्णोर्विभाषा [१.२.३] ॥ २०.२ ॥

प्राप्तेऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाऽप्राप्ते कथं
वोभयत्र । असंयोगालिङ् कित् [१.२.५] इति वा नित्ये प्राप्तेऽन्यत्र वाऽप्राप्त

('टिड्ढाणञ्०' सूत्रमें 'अजाद्यतः०'—४।१।४—सूत्रसे) 'अतः' (पद)
की अनुवृत्ति आती है । (अतः टिडादिप्रत्ययान्त शब्दोंका जो अवयव अकार है तदन्तके
आगे डीप् होता है ऐसा 'टिड्ढाणञ्०' का अर्थ होता है । कति टिदाद्यन्त शब्द है तो
भी अकारान्त न होनेके कारण डीप् नहीं होता ।)

तो भी 'तैलमात्रा,' 'घृतमात्रा' यहाँ डीप् प्राप्त होता है ।

(प्रत्याहारमें प्राप्त हुए मात्र शब्दके सदृश ऊपरके उदाहरणका मात्र शब्द
है ।) यद्यपि वह सदृश है तो भी प्रत्याहारमें (मात्र प्रत्यय है, वैसा यह प्रत्यय) न
होनेके कारण (इस मात्र शब्दका) उस प्रत्याहारमें ग्रहण नहीं होगा ।

(वा. २०.२) 'ऊर्णोर्विभाषा'—१।२।३—(सूत्रसे 'ऊर्णु' धातुके
आगेके इडादि-प्रत्ययकों जो द्वित्वका विकल्प किया है वह) क्या प्राप्तविभाषा है,
अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है ऐसा सन्देह पैदा होता है ।

उपर्युक्त विभाषा प्राप्तविभाषा कैसे हो सकती है ? अथवा अप्राप्तविभाषा कैसे
संभवनीय है ? अथवा उभयत्रविभाषा कैसे होगी ?

'असंयोगालिङ् कित्'—१।२।५—सूत्रसे नित्य प्राप्त होनेपर (वहीं इस

'ऊर्णोर्विभाषा' सूत्रसे विकल्प किया तो) यह प्राप्तविभाषा होती है । अन्य
स्थानोंपर ही (इस विभाषासूत्रसे विकल्प किया तो) अप्राप्तविभाषा होती है और दोनों

१३. 'प्रमाण' अर्थके 'मात्र' शब्दके साथ 'तैल' शब्दका तत्पुरुष समास
(१।१।७२) यहाँ हुआ है । 'मात्रञ्' प्रत्याहारमें जो 'मात्र' शब्द दीखता है उसीके सदृश
यह है इसलिए यह भी प्रत्याहारमें है ऐसा मानकर यह आशंका की गयी है ।

१४. 'कित्त्व' का उपयोग ऊर्णुधातुस्थलमें गुणका निर्बंध (१।१।५) है । और
यहाँ द्वित्वका भी वही उपयोग है, इसलिए कित्त्व और द्वित्व दोनों एक ही हैं ऐसा समझकर
यह विचार किया है । 'असंयोगालिङ् कित्' यहाँ 'विभाषोर्णोः' सूत्र उपस्थित करके उसमें
अपि और लिट् पदोंका संबन्ध करके स्वतंत्र वाच्यार्थ किया जानेसे वह प्राप्तविभाषा होती है ।

१५. 'विभाषोर्णोः' का स्वदेशमें ही स्वतंत्र वाच्यार्थ करना । 'लिट्' में उसका
असंयोगान्' ने परत्वके कारण बाध किया जानेसे 'लिट्' के सिवा अन्य स्थलोंमें ही
'विभाषोर्णोः' के उदाहरण पाये जाते हैं ।

वेति । अप्राप्ते । गन्धन इति निवृत्तम् ॥

अनुपसर्गाद्वा [१.३.४३] ॥ २०.४ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाऽप्राप्ते कथं उभयत्र । वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः [१.३.३८] इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाऽप्राप्त उभयत्र वेति । अप्राप्ते । वृत्त्यादिवृत्तिरिति निवृत्तम् ॥

विभाषा वृत्तमृगादीनाम् [२.४.१२] ॥ २०.५ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाऽप्राप्ते

सूत्रसे कित्त्व) नित्य प्रात होता है वहीं (इससे विकल्प क्रियां तो) प्रातविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प क्रिया तो) अप्रातविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्रातविभाषा ही (समझी जाय) । क्योंकि यहाँ 'गन्धने' पदकी अनुवृत्ति नहीं है ।

(वा २०४) " अनुपसर्गाद्वा " (१।३।४३) सूत्रमें कही हुई विभाषा क्या प्रातविभाषा है, अथवा अप्रातविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, ऐसा संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्रातविभाषा कैसे, और अप्रातविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

" वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः " (१।३।३८) सूत्रसे निय आत्मनेपद प्रात होनेपर (वहाँ उससे विकल्प क्रिया तो) प्रातविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इसमें विकल्प क्रिया तो) अप्रातविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्रातविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि यहाँ ' वृत्तिसर्गतायनेषु ' पदकी अनुवृत्ति नहीं है ।

(वा. २०५) " विभाषा वृत्तमृगा० " (२।४।१२) सूत्रमें कही हुई

१९. क्योंकि यहाँ ' गन्धने ' की अनुवृत्ति है ।

२०. यहाँ ' गन्धन ' अर्थ न हो यहाँ । यहाँ ' गन्धने ' की अनुवृत्ति नहीं है और ' गन्धन ' अर्थ होनेपर पूर्वप्रतिषेधमें नित्य फिरपही होगा है ।

२१. ' गन्धने ' की अनुवृत्ति नहीं, और पूर्वप्रतिषेध भी नहीं है ।

२२. यहाँ ' वृत्तिसर्गतायनेषु ' पदकी अनुवृत्ति की गन्ती तो यहाँ वह विकल्प होगा है ।

२३. यहाँ वृत्ति, सर्ग, लाटन में अर्थ न हो यहाँ । यहाँ ' वृत्तिसर्गतायनेषु ' की अनुवृत्ति नहीं है और ' वृत्ति '—आदि अर्थ हो तो पूर्वप्रतिषेधमें नित्य आत्मनेपदही होगा है ।

२४. ' वृत्तिसर्गतायनेषु ' की अनुवृत्ति नहीं, और पूर्वप्रतिषेधकी नहीं है ।

वा. २०

कथं वोभयत्र । जातिरप्राणिनाम् [२.४.६] इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाऽप्राप्त उभयत्र वेति । अप्राप्ते । जातिरप्राणिनामिति निवृत्तम् ॥

उपविदजागृभ्यो ऽन्यतरस्याम् [३.१.३८] ॥ २०-६ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं वोभयत्र । प्रत्ययान्तादिति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । अप्राप्ते ।

विभाषा क्या प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, ऐसा संदेह पैदा होता है ।

परन्तु यह प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

“जातिरप्राणिनाम्” (२।४।६) सूत्रमें नित्य (एकवद्भाव) प्राप्त होनेपर (वहीं इससे विकल्प किया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प किया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्राप्तविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि ‘जातिरप्राणिनाम्’ पदकी अनुवृत्ति यहाँ नहीं है ।

(वा. २०६) “उपविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्” (३।१।३८) सूत्रमें कहीं हुई विभाषा क्या प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, ऐसा संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

(प्रत्ययान्त धातु है वहाँ) प्रत्ययान्त धातुओंके आगे नित्य आम प्रत्यय (३।१।३५) प्राप्त होनेपर (वहीं इससे विकल्प किया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प किया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

२५. क्योंकि यहाँ ‘जातिरप्राणिनाम्’ की अनुवृत्ति है । वृक्ष, मृग इत्यादि शब्दोंके उनकी प्रतिकृतियों की गयीं तो वे अप्राणि हो सकती हैं ।

२६. वृक्ष, मृग इत्यादि मुख्य और उनकी प्रतिकृतियों दोनों स्थलोंमें । वही ‘जातिरप्राणिनाम्’ की अनुवृत्ति नहीं है ।

२७. और वृक्ष, मृग इत्यादिकी प्रतिकृतियों लेनेके लिए प्रमाण नहीं है ।

२८. यहाँभी ‘प्रत्ययान्’ पदका संबंध है ऐसा मान लिया तो ।

२९. यहाँ ‘प्रत्ययान्’ का संबंध नहीं । और वप, विद इत्यादि धातुएँ और वे ही प्रत्ययान्त धातुएँ वे एकरूप ही हैं ऐसा मान लिया है ।

प्रत्ययान्ता धात्वन्तराणि ॥

दीपादीनां विभाषा [३.१.६१] ॥ २०-७ ॥

प्राप्तेऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं बोभ-
यत्र । भावकर्मणोः [३.१.६३] इति वा नित्ये प्राप्तेऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र
वेति । अप्राप्ते । कर्तरीति हि वर्तते । एवमपि संदेहो न्याप्ये वा कर्तरि कर्म-
कर्तरि वेति । नास्ति संदेहः । सकर्मकस्य कर्ता कर्मवद्भवत्यकर्मकाश्च दीपादयः ।

परन्तु यहाँ अप्राप्तविभाषा ही समझी जाय । (क्यों कि उप्, विट्, जागृ इन
मूल धातुओंसे, इन्हीं धातुओंके आगे) प्रत्यय लगाकर बनी हुई धातुएँ (अत्यन्त)
भिन्न हैं ।

(वा. २०७) “ दीपजनवुवपूरितायिष्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् ” (३।१।६१)
सूत्रमें कही हुई विभाषा क्या प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा
उभयत्रविभाषा है, ऐसा संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो
सकती है ?

“ भावकर्मणोः ” (३।१।६६) सूत्रसे नित्य (चिण् प्रत्यय) प्राप्त होनेपर
(वही इससे विकल्प किया तो यह) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे
विकल्प किया तो यह) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया
तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्राप्तविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि (‘ दीपजन० ’ सूत्रमें)
‘ कर्तरि ’ की अनुवृत्ति है ।

तो भी संदेह पैदा होता है कि (वह कर्ता) योग्य कर्ता ही चाहिये, अथवा
कर्म हो वा अन्य कोई हो, कर्ता होना मात्र पर्याप्त होगा ?

यहाँ यह संदेह पैदा नहीं होता है । क्योंकि सकर्मक धातुओंके ही कर्ताको
कर्मवद्भाव होता है । और दीप्, जन् इत्यादि धातुएँ तो अकर्मक ही हैं ।

मूल अकर्मक होनेपर भी उपसर्ग लगानेपर सकर्मक होती हैं न ?

३०. ‘ चिण्भावकर्मणोः ’ यहाँ ‘ दीपजन० ’ सूत्र उपस्थित करके यहाँ ‘ भावकर्मणोः ’ का
संदर्भ करके स्वतंत्र वाक्यार्थ किया तो वह ‘ प्राप्तविभाषा ’ होती है, और स्वदेशमें ही वाक्यार्थ
किया और उसमें ‘ भावकर्मणोः ’-का और ‘ कर्तरि ’-का संशय न किया गया तो वह ‘ उभयत्र-
विभाषा ’ होती है ।

३१. कर्म, कारण इत्यादिसे कर्तृ-विवक्षा की तो जो कर्ता होता है वह चिणी प्रकारका
धर्मात् काम-वलाङ्ग कर्ता होगा है ।

३२. तथा ‘ सुट् ’ धातु मूलतः गकर्मक है न ?

अकर्मका अपि वै सोपसर्गाः सकर्मका भवन्ति । कर्मापदिष्टा विधयः कर्मस्थ-
भावकानां कर्मस्थक्रियाणां वा भवन्ति कर्तृस्थभावकाश्च दीपादयः ॥

विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु [३.४.२४] ॥ २०-८ ॥

प्रातेऽप्रात उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राते कथं वाप्राते कथं वोभय-
त्र । आभीक्ष्ण्ये [३.४.२२] इति वा नित्ये प्रातेऽन्यत्र वाप्रात उभयत्र वेति ।
अप्राते । आभीक्ष्ण्य इति निवृत्तम् ॥

तृनादीनां विभाषा [६.२.१६१] ॥ २०-९ ॥

प्रातेऽप्रात उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राते कथं वाप्राते कथं वोभयत्र ।

कर्मवद्भावसे होनेवाले यक्, चिण् इत्यादि कार्य कर्मस्थभावक अथवा कर्मस्थ-
क्रियक धातुएँ हों तभी होते हैं; और दीप्, ज्व इत्यादि धातुएँ तो कर्तृस्थभावक ही हैं ।
(वा. २०-८) “ विभाषाऽग्रेप्रथमपूर्वेषु ” (३।४।२४) सूत्रमें कही हुई विभाषा
प्रातविभाषा है, अथवा अप्रातविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, ऐसा संदेह पैदा
होता है ।

परंतु प्रातविभाषा कैसे, अप्रातविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो
सकती है ?

“ आभीक्ष्ण्ये० ” (३।४।२२) सूत्रसे (णमुल् प्रत्यय नित्य प्रात होनेपर (वही
इससे विकल्प किया तो प्रातविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प किया
तो) अप्रातविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा
होती है ।

परंतु यहाँ अप्रातविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि ‘ आभीक्ष्ण्ये० ’ पढ़की
अनुवृत्ति यहाँ नहीं है ।

(वा. २०-९) “ विभाषा तृन्नन्नतीक्ष्णशुचिषु ” (६।२।१३१) सूत्रमें कही
हुई विभाषा प्रातविभाषा है, अथवा अप्रातविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, ऐसा
संशय पैदा होता है ।

परंतु प्रातविभाषा कैसे, अप्रातविभाषा कैसे और उभयत्रविभाषा कैसे हो
सकती है ?

३३. आगे (३।१।८७ वा. ३) देखिये ।

३४. ‘ विभाषामे० ’ में ‘ आभीक्ष्ण्ये ’ का संबंध किया गया तो यह प्रातविभाषा होती है ।

३५. और यहाँ ‘ आभीक्ष्ण्ये ’ का संबंध न करके ‘ आभीक्ष्ण्य ’ अर्थ होनेपर
‘ पूर्वविप्रतिषेध ’ से नित्यही णमुल्-प्रत्यय होता है ऐसा मान लिया तो ।

३६. और पूर्वविप्रतिषेध नहीं लिया तो ।

आक्रोशे [६.२.१५८] इति वा नित्ये प्राप्तेऽन्यत्र वाप्राप्ते उभयत्र वेति । अप्राप्ते ।
आक्रोश इति निवृत्तम् ॥

एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम् [५.३.५९] ॥ २०-१० ॥

प्राप्तेऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं बोभ-
यत्र । उदकस्योदः संज्ञायाम् [६.३.५७] इति वा नित्ये प्राप्तेऽन्यत्र वाप्राप्त
उभयत्र वेति । अप्राप्ते । संज्ञायामिति निवृत्तम् ॥

श्वादेरिति, पदान्तस्यान्यतरस्याम् [७.३.८, ९] ॥ २०-११ ॥

‘आक्रोशे च’ (६।२।१५८) सूत्रसे (उत्तरपदको अन्त उदात्त) नित्य प्राप्ति
होनेपर (वहाँ उससे विकल्प किया तो) प्राप्तिविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही
(इससे विकल्प किया तो) अप्राप्तिविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प
किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्राप्तिविभाषा ही मानी जाय । क्योंकि ‘आक्रोशे’ पदकी अनुवृत्ति
यहाँ नहीं है ।

(वा. २०.१०) ‘एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्’ (६।३।५९) सूत्रमें
कही हुई विभाषा क्या प्राप्तिविभाषा है, अथवा अप्राप्तिविभाषा है, अथवा उभयत्र-
विभाषा है ?

परन्तु प्राप्तिविभाषा कैसे, अप्राप्तिविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो
सकती है ।

“उदकस्योदः संज्ञायाम्” (६।३।५७) सूत्रसे नित्य ‘उद’ आदेश प्राप्ति
होनेपर (वहाँ इससे विकल्प किया तो यह) प्राप्तिविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही
(इससे विकल्प किया तो यह) अप्राप्तिविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर
(विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्राप्तिविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि ‘संज्ञायाम्’ पदकी
अनुवृत्ति यहाँ नहीं है ।

(वा. २०.११) “श्वादेरिति” (७।३।८) और “पदान्तस्यान्यतरस्याम्”

३७. क्योंकि यहाँ ‘आक्रोशे’-का संज्ञा मान लिया है ।

३८. और ‘आक्रोशे च’ (६।२।१५८) यहाँ पूर्वसूत्रमें ‘अर्धे’ पदकी अनुवृत्ति है ।
अतः नित्यविधि और विकल्पविधि दोनोंकी एकत्र प्राप्ति ही नहीं होती ।

३९. ‘संज्ञायाम्’ पदकी यहाँ अनुवृत्ति मान ली है । जब ‘संज्ञायाम्’की अनुवृत्ति यहाँ
की नहीं थीर संज्ञा रत्नेपर पूर्वविप्रतिषेधने नित्य ही ‘उद’ आदेश होता है ऐसा मान लिया
तो यह अप्राप्तिविभाषा होती है, और पूर्वविप्रतिषेध नहीं लिया गया तो उभयत्रविभाषा होती है ।

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं बोभयत्र । इत्तीति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । अप्राप्ते । इत्तीति निवृत्तम् ॥

सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा [८.१.२६] ॥ २०-१२ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं बोभयत्र । चादिभिर्योग इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति ।

(पा. ७।३।९) इन सूत्रोंमें कही हुई विभाषा क्या प्राप्ताविभाषा है, अथवा अप्राप्त-विभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है ऐसा संदेह प्राप्त होता है ।

परंतु प्रातविभाषा कैसे, अप्रातविभाषा कैसे और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ? (' इत्ति ' पदकी अनुवृत्ति यहाँ लायी जानेपर) ' इत् ' आगे हो तब (ऐच् आगम) नित्य प्राप्त होनेपर (वहीं इससे विकल्प किया तो) प्रातविभाषा होती है, (अनुवृत्ति न लेकर) अन्य स्थानोंपर ही (विकल्प किया तो) अप्रातविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

परंतु यहाँ अप्रातविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि ' इत्ति ' पदकी अनुवृत्ति यहाँ नहीं है ।

(पा. २०-१२) " सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा " (८।१।२६) सूत्रमें कही हुई विभाषा क्या प्रातविभाषा है, अथवा अप्रातविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्रातविभाषा कैसे, अप्रातविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे, हो सकती है ?

च, वा इत्यादिका योग होनेपर (बताया हुआ—८।१।२४—वाम, नौ इत्यादि आदेशोंका निषेध) नित्य प्राप्त होनेपर (वहीं इससे विकल्प किया तो) प्रातविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प किया तो) अप्रातविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

४० और ' इत् ' प्रत्यय किया जानेपर पूर्वविप्रतिषेधसे नित्य ही निषेध होता है ऐसा मान लिया तो इस तरह आगे भी नित्यविधि का जो निमित्त है उसकी अनुवृत्ति न करके और नित्यविधिसे पूर्वविप्रतिषेधके कारण विच्छलविधि बाध होता है ऐसा समझ लिया तो अप्रातविभाषा हो सकती है, और पूर्वविप्रतिषेध नहीं लिया तो उभयत्रविभाषा हो सकती है ऐसा समझा जाय ।

अप्राप्ते । चादिभिर्योग इति निवृत्तम् ॥

गो यडि, अचि विभाषा [८.२.२०, २१] ॥ २०-१३ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं
वोभयत्र । यडीति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । अप्राप्ते ।
यडीति निवृत्तम् ॥

प्राप्ते च ॥ २१ ॥

इत उत्तरं या विभाषा अनुकामिन्यामः प्राप्ते ता द्रष्टव्याः । त्रिसंशयास्तु
भवन्ति प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति ॥

विभाषा विप्रलम्बे [१.३.५०] ॥ २१-१ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं

परंतु यहाँ अप्राप्तविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि 'चवाहाहैवयुक्ते' पदकी
अनुवृत्ति यहाँ नहीं है^१ ।

(वा. २०-१३) "गो यडि" (८।२।२०) और "अचि विभाषा"
(८।२।२१) इन सूत्रोंमें कही हुई विभाषा क्या प्रातविभाषा है, अथवा अप्रात-
विभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्रातविभाषा कैसे, अप्रातविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो
सकती है ?

'यडि' पदकी अनुवृत्ति लाकर (पूर्वसूत्रसे 'ठ' आदेश) नित्य प्राप्त होनेपर
(वहाँ इससे विकल्प किया तो) प्रातविभाषा होती है^२, अन्य स्थानोंपर ही (विकल्प
किया तो) अप्रातविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्र-
विभाषा होती है ।

परन्तु यहाँ अप्रातविभाषा ही समझी जाय । क्योंकि 'यडि' पदकी अनुवृत्ति
यहाँ नहीं है ।

(वा. २१) इसके आगे प्रातविभाषापै ।

यहाँसे आगे हम जो विभाषापै क्रमसे कहनेवाले हैं वे प्रातविभाषापै मानी जायें ।
परंतु वहाँ प्रातविभाषा, अथवा अप्रातविभाषा, अथवा उभयत्रविभाषा इन तीनों प्रकारकी
विभाषाओंके बारेमें संदेह पैदा होता है ।

(वा. २१-१) "विभाषा विप्रलम्बे" (१।३।५०) सूत्रमें कही हुई विभाषा
क्या प्रातविभाषा है, अथवा अप्रातविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है यह संदेह पैदा

४१. और च वा इत्यादिवा भोग रहनेपर पूर्वविरतिपेधने नित्य ही निषेध होता है ।

४२. 'नित्रेणितः' यही प्रत्ययलक्षणसे 'दृ' माने है और आगे 'धृ' भी है ।

४३. 'नित्रेणितः' यही 'न टमत्राद्भृ' (१।१।१३) इस निषेधने प्रत्ययलक्षण
नहीं होता ।

वोमयत्र । व्यक्तवाचाम् [१.३.४८] इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । प्राप्ते । व्यक्तवाचामिति हि वर्तते ॥

विभाषोपपदेन प्रतीयमाने [१.३.७७] ॥ २१-२ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं वोमयत्र । स्वरिताञ्जितः [१.३.७२] इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । प्राप्ते । स्वरिताञ्जित इति हि वर्तते ॥

तिरो ऽनर्थो, विभाषा कृञ्चि [१.४.७१,७२] ॥ २१-३ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं होता हे ।

परंतु प्रातर्विभाषा कैसे, अप्रातर्विभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

“व्यक्तवाचां समुच्चारणे” (१।३।४८) सूत्रसे नित्य (आत्मनेपद) प्रात होनेपर (वहीं इससे विकल्प्य क्रिया तो) प्रातर्विभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प्य क्रिया तो) अप्रातर्विभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प्य क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

(परंतु यहाँ) प्रात विभाषा ही (समझी जाय) । क्योंकि ‘व्यक्तवाचान्’ पदकी अनुवृत्ति यहाँ है ।

(घा. २१-२) “विभाषोपपदेन प्रतीयमाने” (१।३।७७) सूत्रमें कहीं हुई विभाषा क्या प्रातर्विभाषा है, अथवा अप्रातर्विभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्रातर्विभाषा कैसे, अप्रातर्विभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

“स्वरिताञ्जितः करंभिप्राये क्रियाफले” (१।३।७२) सूत्रसे नित्य (आत्मनेपद) प्रात होनेपर (वहीं इससे विकल्प्य क्रिया तो) प्रातर्विभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प्य क्रिया तो) अप्रातर्विभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प्य क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

(परन्तु यहाँ) प्रातर्विभाषा ही (समझी जाय) । क्योंकि ‘स्वरिताञ्जितः’ इस सब सूत्रकी अनुवृत्ति यहाँ है ।

(घा. २१-३) “तिरोऽनर्थो” (१।४।७१) और “विभाषा कृञ्चि” (१।४।७२) इन सूत्रोंमें कहीं हुई विभाषा प्रातर्विभाषा है, अथवा अप्रातर्विभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह संदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्रातर्विभाषा कैसे, अप्रातर्विभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो

वोभयत्र । अन्तर्धाविति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । प्राप्ते । अन्तर्धाविति हि वर्तते ॥

अधिरीश्वरे, विभाषा कृञि [१.४.९७,९८] ॥ २१-४ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं वोभयत्र । ईश्वर इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । प्राप्ते । ईश्वर इति हि वर्तते ॥

द्विवस्तदर्थस्य, विभाषोपसर्गं [२.३.५८,५९] ॥ २१-५ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं

सकृती हे ?

अन्तर्धि अर्थं गम्यमानं होनेपर (पूर्वसूत्रसे गतिसंज्ञा) नित्यं प्राप्त होनेपर (वहाँ इससे विकल्प किया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (विकल्प किया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ?

(परन्तु यहाँ) प्राप्तविभाषा ही (समझी जाय) । क्योंकि 'अन्तर्धो' पदकी अनुवृत्ति यहाँ है ।

(वा. २१ ४) "अधिरीश्वरे" (१।४।९७) और "विभाषा कृञि" (१।४।९८) इन सूत्रोंमें कही हुई विभाषा प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह सदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्त विभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

ईश्वर अर्थं गम्यमानं होनेपर (पूर्वसूत्रसे 'कर्मप्रवचनीय' संज्ञा) नित्यं प्राप्त होनेपर (वहाँ इससे विकल्प किया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर (विकल्प किया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्र विभाषा होती है ।

(परन्तु यहाँ) प्राप्तविभाषा ही (समझी जाय) । क्योंकि 'ईश्वरे' पदकी अनुवृत्ति यहाँ है ।

(वा. २१ ५) "द्विवस्तदर्थस्य" (२।३।५८) और "विभाषोपसर्ग" (२।३।५९) इन सूत्रोंमें कही हुई विभाषा क्या प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह सदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

वोभयत्र । तदर्थस्येति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । प्राप्ते । तदर्थस्येति हि वर्तते ॥

उभयत्र च ॥ २२ ॥

इत उत्तर या विभाषा अनुक्रमिष्याम उभयत्र ता द्रष्टव्या । त्रिसशयास्तु भवन्ति प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति ॥

हृत्कोरन्यतरस्याम् [१. ४. ५३] ॥ २२-१ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेह । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं वोभयत्र । गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणाम् [१ ४ ५२] इति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । उभयत्र । प्राप्ते तावत् । अभ्यवहारयति

‘द्वित्रस्तदर्थस्य’ इस पूर्वसूत्रसे (पष्ठी) नित्य प्राप्त होनेपर (वहीं इससे विकल्प क्रिया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प क्रिया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

(परन्तु यहा) प्राप्तविभाषा ही (समझी जाय) । क्योंकि ‘तदर्थस्य’ पदका अनुवृत्ति यहाँ है ।

(वा २२) (यहाँसे आगे) उभयत्रविभाषा ।

यहाँसे आगे हम जो विभाषाएँ ऋमसे कहनेवाले हैं उन्हें उभयत्रविभाषाएँ मानी जायें । परन्तु यहाँ प्राप्तविभाषा, अथवा अप्राप्तविभाषा अथवा उभयत्रविभाषा इन तीनों प्रकारकी विभाषाओंके बारेमें सदेह पैदा होता है ।

(वा २२१) “हृत्कोरन्यतरस्याम्” (१।४।५३) सूत्रमें कही हुई विभाषा प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह सदेह पैदा होता है ।

परन्तु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ।

‘गतिबुद्धि०’ (१ ४ ५२) इस पूर्वसूत्रसे (कर्मसज्ञा) नित्य प्राप्त होनेपर (वहीं इससे विकल्प क्रिया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प क्रिया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

(परन्तु यहा) उभयत्रविभाषा ही (समझी जाय) । उनमेंसे (कर्मसज्ञा) प्राप्त होकर (प्रवृत्त सूत्रसे उसका विकल्प होनेका उदाहरण)— ‘अभ्यवहारयति

४४ यहाँ ‘इ’ धातुका ‘प्रत्यवसान’ (भ्रमण) अर्थ होनेका ‘गतिबुद्धि०’ (१।४।५२) सूत्रसे यहाँके नित्य कर्मप्राप्त प्राप्त होती है ।

सैन्धवान् अभ्यवहारयति सैन्धवैः । विकारयति सैन्धवान् विनारयति सैन्धवैः ।
अप्राप्ते । हरति भार देवदत्तः हारयति भार देवदत्तम् हारयति भार
देवदत्तेन । करोति कट देवदत्तः काग्यति कट देवदत्तम् कारयति कट
देवदत्तेन ॥

न यदि, विभाषा साकाङ्क्षे [३. २. ११३, ११४] ॥ २२ २ ॥

प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं
वोभयत्र । यदीति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । उभयत्र । प्राप्ते
तावत् । अभिजानासि देवदत्त यत्कश्मीरेषु वत्स्यामः । यत्कश्मीरेष्ववसाय । यत्तत्रौद-
नान्भोक्ष्यामहे । यत्तत्रौदनानमुञ्जमहि । अप्राप्ते । अभिजानासि देवदत्त
कश्मीरान्गमिष्यामः । कश्मीरान्गच्छाम । तत्रौदनान्भोक्ष्यामहे । तत्रौदनान-

सैन्धवान्', 'अभ्यवहारयति सैन्धवै' । 'विकारयति सैन्धवान्', विकारयति सैन्धवै' ।
अत्र कर्मसज्ञा अप्राप्त होनेपर (प्रकृत सूत्रसे उसका विकल्प होनेका उदाहरण)—
'हरति भार देवदत्तः' (इसका प्रयोजक)—'हारयति भार देवदत्तम्', हाग्यति भार
देवदत्तेन' । वैसेही 'करोति कट देवदत्तः' (इसका प्रयोजक)—'कारयति कट
देवदत्तम्', 'कारयति कट देवदत्तेन' ।

(वा २२२) "न यदि" (३।२।११३-११४) और "विभाषा साकाङ्क्षे"
(३।२।११४) इन सूत्रोंमें कही हुई विभाषा प्रातर्विभाषा है, अथवा अप्रातर्विभाषा
है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह सदेह पैदा होता है ।

परंतु प्रातर्विभाषा कैसे, अप्रातर्विभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो
सकती है ?

'न यदि' इस पूर्वसूत्रसे (लृट् प्रत्ययका निषेध) नियम प्राप्त होनेपर (वहाँ
इससे विकल्प किया तो) प्रातर्विभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प
किया तो) अप्रातर्विभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर विकल्प किया ता) उभयत्र
विभाषा होती है ।

(परंतु यहाँ) उभयत्रविभाषा ही (समझी जाय) । उन्मोम (लृट् प्रत्ययका
निषेध) नियम प्राप्त होकर (विकल्प होनेका उदाहरण)—'अभिजानासि देवदत्त
यत्कश्मीरेषु वत्स्यामः', 'यत् कश्मीरेष्ववसाय' । 'यत्तत्रौदनान् भोक्ष्यामहे', 'यत्तत्र
द्वान् अमुञ्जमहि' । अब (लृट् प्रत्ययका निषेध) अप्राप्त होनेपर (वहाँ प्रकृत सूत्रम
विकल्प होनेका उदाहरण)—'अभिजानासि देवदत्त कश्मीरान् गमिष्यामः । कश्मीरान्

४० यदी 'दिना' अर्थात् 'क' धातु अर्थात् 'दे, इच्छ' 'क' धातु 'द' मूला
अर्थसे ही नियम कर्मसज्ञा प्राप्त होती है ।

भुञ्जमहि ॥

विभाषा श्वेः [६. १. ३०] ॥ २२-३ ॥

प्राप्तेऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं वोभयत्र । कितीति वा नित्ये प्राप्तेऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । उभयत्र । प्राप्ते तावत् । शुशुवतुः शुशुवुः । शिश्वियतु शिश्वियुः । अप्राप्ते । शुशाव शुशविथ । शिश्वाय शिश्वयिथ ॥

विभाषा संघुषास्वनाम् [७. २. २८] ॥ २२-४ ॥

सपूर्वाद् घुषेः प्राप्तेऽप्राप्त उभयत्र वेति सदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं वोभयत्र । घुषिरविशब्दने [७. २. २३] इति वा नित्ये प्राप्ते अगच्छाम् । 'तत्रौदनान् भोक्ष्यामहे' । 'तत्रौदनान् अभुञ्जमहि' ।

(वा २२३) "विभाषा श्वेः" (६।१।३०) सूत्रमें कहीं हुई विभाषा क्या प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह सदेह पैदा होता है ।

परंतु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ।

'कित्' प्रत्यय आगे हो तो बताया हुआ सप्रसारण (६।१।१५) नित्य प्राप्त होनेपर (वहाँ इससे विकल्प किया तो) यह प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपरहि (इससे विकल्प किया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प किया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

(परंतु यहाँ) उभयत्रविभाषा ही (समझी जाय) । उनमेंमे (सप्रसारण) नित्य प्राप्त होनेपर (वहाँ प्रकृत सूत्रसे विकल्प होनेका उदाहरण—'शुशुवतु शुशुवु' 'शिश्वियतु शिश्वियु' । अब (सप्रसारण) अप्राप्त होनेपर (वहाँ प्रकृत सूत्रसे विकल्प होनेका उदाहरण)—'शुशाव, शुशविथ', शिश्वाय, शिश्वयिथ ।'

(वा २२४) ("रुच्यमत्वरसघुषास्वनाम्" (७।२।२८) सूत्रमें 'सम्'—उपसर्गपूर्वक 'घुष' धातुके आगेके निष्ठा प्रत्ययके 'इट्' आगमका निषेध विकल्पसे बताया गया है ।) उस 'सम्' पूर्वक 'घुष्' धातुके वारमें क्या वह प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है, यह सदेह पैदा होता है ।

परंतु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ?

"घुषिरविशब्दने" (७।२।२३) सूत्रमें ('इट्'—आगमका निषेध) नित्य प्राप्त होनेपर (वहाँ इससे विकल्प किया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही

ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । उभयत्र । प्राप्ते तावत् । संघुष्टा रज्जुः संघुषिता रज्जुः । अप्राप्ते । संघुष्टं वाक्यम् संघुषितं वाक्यम् ॥ आङ्गुर्वात्स्वनेः प्राप्ते ऽप्राप्त उभयत्र वेति संदेहः । कथं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते कथं उभयत्र । मनसीति वा नित्ये प्राप्ते ऽन्यत्र वाप्राप्त उभयत्र वेति । उभयत्र । प्राप्ते तावत् । आस्वान्तं मनः आस्वनित मनः । अप्राप्ते । आस्वान्तो देवदत्तः आस्वनितो देवदत्त इति ॥

इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे षष्ठमाह्निकम् ॥

(इससे विकल्प क्रिया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

(परन्तु यहाँ) उभयत्रविभाषा ही (समझी जाय) । (उनमेंसे ' इट् ' आगमका निषेध) नित्य प्राप्त होनेपर (वहाँ प्रकृत सूत्रसे विकल्प होनेका उदाहरण)— ' संघुष्टा रज्जुः ' ' संघुषिता रज्जुः ' । अब (' इट् ' आगमका निषेध) अप्राप्त होनेपर वहाँ प्रकृतसूत्रसे विकल्प होनेका उदाहरण)— ' संघुष्टं वाक्यं ' ' संघुषितं वाक्यम् ' ।

(वैसेही इसी सूत्रसे, ' आ- ' उपसर्गपूर्वक ' स्वन् ' धातुके आगेके निशाप्रत्ययके ' इट् ' आगमका निषेध विकल्पसे बताया गया है ।) उस ' आ- ' उपसर्गपूर्वक ' स्वन् ' धातुके बारेमें क्या वह प्राप्तविभाषा है, अथवा अप्राप्तविभाषा है, अथवा उभयत्रविभाषा है ? यह संदेह प्राप्त होता है ।

परन्तु प्राप्तविभाषा कैसे, अप्राप्तविभाषा कैसे, और उभयत्रविभाषा कैसे हो सकती है ।

' मन ' अर्थ हो तो (" क्षुण्प्रस्तान् ० " — ७।२।१८—सूत्रसे ' इट् ' आगमका निषेध) नित्य प्राप्त होनेपर (वहाँ प्रकृत सूत्रसे विकल्प क्रिया तो) प्राप्तविभाषा होती है, अन्य स्थानोंपर ही (इससे विकल्प क्रिया तो) अप्राप्तविभाषा होती है, और दोनों स्थानोंपर (इससे विकल्प क्रिया तो) उभयत्रविभाषा होती है ।

(परन्तु यहाँ) उभयत्रविभाषा ही (मानी जाय) । (उनमेंसे ' इट् ' आगमका निषेध) नित्य प्राप्त होनेपर (वहाँ प्रकृतसूत्रसे विकल्प होनेका उदाहरण)— ' आस्वान्तं मनः ' ' आस्वनितं मनः ' । अब (' इट् ' आगम का निषेध) अप्राप्त होनेपर (वहाँ प्रकृत सूत्रसे विकल्प होनेका उदाहरण)— ' आस्वान्तो देवदत्तः ' ' आस्वनितो देवदत्तः ॥ '

इस प्रकार भगवान् पतञ्जलिके रचे हुए व्याकरणमहाभाष्यके पहले अध्यायके पहले पादका छठा आह्निक समाप्त हुआ ।

आगमादेशादिव्यवस्थानामकं सतममाह्निकम् ।

आगमादेशादिव्यवस्थानामका सातवाँ आह्निक [अ १ पा १ आह्निक ७]

[आगमस्वरूपका विवेचन—इस आह्निकमें प्रथमतः सप्तसारणसज्ञाका विचार किया है, और तदनन्तर सज्ञासूत्रोंका वाक्यार्थ करनेके लिए उपयुक्त तथा आवश्यक नियम सूत्रकारोंने दिये हैं। इन नियमोंको और सूत्रोंके आधारपर अनुमानसे निरूढनेवाले तत्सदृश नियमोंको 'परिभाषा' यह अन्वर्थक सज्ञा वादमें दी गयी है। सप्तसारणसज्ञा 'यकारके स्थानमें इकार होता है' इस स्वरूपकी वाक्यसज्ञा है अथवा 'यकारके स्थानमें होनेवाले इकारको सप्तसारण कहा जाय' इस स्वरूपकी वर्णसज्ञा है, इस विषयमें दोनों रीतियाँ विवक्षित हैं। वार्तिककारोंके इस मतका भाष्यकारने विवेचन किया है और इन दोनों प्रकारोंपर प्राप्त हुए दोषोंका निराकरण किया है। शब्द अनित्य हैं इस पक्षमें सप्तसारण आदेश और सप्तसारणसज्ञाके बारेमें आनेवाला अन्योन्याभय दोष टाल देनेके लिए सप्तसारण 'भाषिसज्ञा' ली जाय ऐसा भी भाष्यकारने कहा है, और 'इस सूत्रकी साडी बुनो' यह लौकिक दृष्टान्त देकर सुन्दर शब्दोंमें अपने विधानका स्पष्टीकरण किया है। इसके बाद 'आयन्ती टकितौ' (सू ४६) सूत्रका विवरण करते हुए भाष्यकारने शब्द नित्य होनेसे उनको आगम अर्थात् जोड़ कैसे लगाया जा सकता यह लौकिक कठिनाई उपस्थित की है और जहा जहाँ पाणिनिने आगम कहा है वहाँ वहा 'अनागमकाना सागमका आदेशा' अर्थात् 'आगमरहित शब्दके स्थानमें आगमसहित शब्द शुद्ध है ऐसा समझा जाय' इस प्रकार उसका निराकरण किया है। फिर भाष्यकारने यहाँ यह भी कहा है कि, प्रस्तुत 'आयन्ती टकितौ' सूत्रको सज्ञासूत्र न समझकर परिभाषासूत्र मान लिया जाय तो जहाँ यह शब्द उच्चारित हो कि जिसका ट् अथवा क् इत् है वहाँ इस सूत्रसे व्यवस्था हो जानेके कारण कोई भी दोष प्राप्त न होगा। सूत्रकार प्रथमतः शब्दके मूल स्वरूपका उपदेश करते हैं, तदनन्तर प्रत्ययका और उसके बाद आगमोंका तथा आदेशोंका उपदेश करते हैं, हेतु यह है कि सब वर्णन ध्यानमें आकर नित्य शब्दका स्वरूप ज्ञात हो जाय, परन्तु भाष्यकारने बताया है कि वास्तवमें नित्य शब्द ही सच्चा शब्द है, आगम, आदेश इत्यादि सब कान्पनिक हैं। यहाँ भाष्यकारने और भी एक स्पष्टीकरण यह दिया है कि प्रकृतसूत्र पद्यी प्रकरणमें रखा जाय और पद्यी अवयवपद्यी ली जाय जिससे टित् वा कित् आगम जिसको कहा हो उसका वह आपावयव वा अन्त्यावयव हो सकेगा। इसके बाद मित् आगमके सबधमें विचार धान्द करके कहा है कि अन्य स्वरके आगे मित् आगम लगाया जाय यह करनेवाला 'मिदृचोन्त्यात्पर' (सू १।१।४७) सूत्र 'पद्यी स्थानेयोगा' (१।१।४९) सूत्रका और 'प्रत्यय', 'परश्च' (१।१।२,२) सूत्रोंका अपवादसूत्र लेना है। ऐसा

कहकर भाष्यकारने यहाँ बताया है कि सामान्य ओर विशेष दोनोंकी एकनारणी प्राप्ति आकर विशेष शास्त्र होनेकी अशक्यता हो तभी तककीण्डिन्यन्यायसे लोभ्यवहारके समान दोनों नार्योकी शक्यता होकर दोनोंके स्वतंत्र उदाहरण प्राप्त होते हुए भी अपवादकल्पना की जा सकती है और विशेषशास्त्र सामान्यशास्त्रका अपवाद हो सकता है।

आदेशविचार—‘एच इग्वस्वादेशे’ (सू. ४८) सूत्रमें लेकर ‘अनेकाल्शित्त्वस्य’ (सू. ५५) सूत्रतक सूत्रकारोंने आदेशके विषयमें विचार किया है। ‘एच इग्वस्वादेशे’ यहाँ स्थानसाम्यके कारण इ और उ ही ए ऐ ओ औ के ह्रस्व लिये जाते हैं, अधिक स्थानसाम्य हो तो भी अर्ध एकार और अर्ध ओकार नहीं लिये जाते हैं, क्योंकि अर्ध ओकार और अर्ध ओकार विशिष्टशास्त्रान्तर्गत वर्ण ही हैं। पृथी स्थानेयोगा’ (४९) सूत्रसे पृथीके सामान्यतः यद्यपि कई अर्थ हों तो भी यास्त्रशास्त्रमें विशिष्ट कारणसे कुछ अपवादस्थल छोड़कर स्थानेपृथी ही सर्वत्र ली जाय वह शास्त्रसंकेत है। जहाँ अवयवपृथी लेनी हो वहाँ ‘व्याख्यानतो विशेषयतिप्राप्ति०’ न्यायके अनुसार बेसे ली जाय। अब व्याख्यानसे ही सर्वत्र काम चलना शक्य हो तो भी जब कि सूत्रकारोंने ‘पृथी स्थानेयोगा’ सूत्र किया है तो ‘सूत्रमें स्थानीका उच्चारण किया गया तो उच्चारित शब्दस्वरूपको ही आदेश होने हैं, (निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति) यह उनकी वृत्तिसे ही सूचित हो जाता है। ‘स्थानेन्तरतम’ (सू. ५०) सूत्रका वहाँ विशेषतः उपयोग होना है जहाँ स्थानी और आदेशका यथामरूप निर्देश न हो ऐसा प्रथमतः भाष्यकारने बताया है, और बादमें ‘अन्तरतमे’ और ‘अन्तरतम’ इन दो पाठोंके कारण निर्माण होनेवाले स्थानियोंमेंसे चुनाव करके जो स्थानी अधिक सदृश हो उस स्थानीको आदेश किया जाय ऐसा अर्थ किया जाय, अथवा आदेशोंमें चुनाव करके जो आदेश अधिक सदृश हो वह किया जाय, इन दोनों पक्षोंका विवेचन करके और दूसरा पक्ष अधिक प्रसक्त है ऐसा बनकर प्रस्तुत सूत्र परिभाषासूत्र अर्थात् स्वरस्थायक सूत्र समझा जाय ऐसा कहा है। वस्तुतः जैसे अपनी अपनी योग्यताके अनुसार भिन्न भिन्न स्तरके लोग समाजमें विशिष्ट स्थानमें भोजनादि व्यवहार करते हैं वेसे ही शास्त्रमें भी होना शक्य होनेसे प्रस्तुत सूत्रकी विशेष आवश्यकता नहीं ऐसा यदि कहा जाय तो भी चल सकता है। तदनन्तर ‘उत्पत्तयः’ (सू. ५१) सूत्रके अर्थके सचधमें ऋकारको गुण, वृद्धि अथवा अन्य आदेश कहा गया तो वह अणु ही किया जाय और वह एत किया जाय इस प्रकारका नियमरस, अथवा ऋकारको जो आदेश होता हो वह एत किया जाय इस प्रकारका एतपक्ष, इन दोनों पक्षोंका विचार करके ऋकारको गुण वा वृद्धि वा अन्य आदेश करनेका विचार आया तो एक लगाकर वह आदेश करना यह अर्थ करके गुण कहा जानेपर ‘स्थानेन्तरतम’ सूत्रमें अर ही गुण होता है ऐसा ‘प्रमद्वे ररत्तव’ पक्ष भाष्यकारने प्राय माना है। इसके बाद अर्थके कारण लगनेवाला यह एक पूर्व शाब्दका अन्व होना है अथवा अन्व शाब्दका भाई होना है अथवा सर्वत्र ही रहता है इन चर्चितकारणोंके दिग्दृष्ट होनेसे दोनों पक्षोंके ही निर्णय।

विवेचन भाष्यकारने किया है, उससे भाष्यकारके मतसे पूर्व शब्दका अन्त्यावयव पक्ष स्युक्तिरु है ऐसा दीख पड़ता है। तत्पश्चात् 'अलोन्त्यस्य' (सू ५२), 'द्विष्व' (सू ५३), 'आदे परस्य' (सू ५४) और 'अनेकाल्शित्तर्वस्य' (सू ५५) इन पतिभाषासूत्रोंकी उपयुक्तता भाष्यकारने दिखायी है और बताया है कि 'अलोन्त्यस्य' सूत्रको सामान्यसूत्र मानकर 'आदे परस्य' और 'अनेकाल्शित्तर्वस्य' अपवादसूत्र समझे जायें।]

✓ इग्यणः संप्रसारणम् ॥ १।१।४५ ॥ (४५)

किमिय वाक्यस्य संप्रसारणसंज्ञा क्रियते । इग्यण इत्येतद्वाक्यं संप्रसारण-
संज्ञं भवतीति । आहोस्विद्वर्णस्य । इग्यो यणः स्थाने वर्णः स संप्रसारणसंज्ञो
भवतीति । कश्चात्र विशेषः ।

संप्रसारणसंज्ञायां वाक्यसंज्ञा चेद्वर्णविधिः ॥ १ ॥

संप्रसारणसंज्ञायां वाक्यसंज्ञा चेद्वर्णविधिर्न सिध्यति । संप्रसारणात्परः पूर्वो

(सू. ४५) यण् (अर्धस्वर) के स्थानपर जो इक् (इ, उ, ऋ, लृ) किया जाता है उसको संप्रसारणसंज्ञा होती है।

'यण् के स्थानपर इक् होता है इस वाक्यको संप्रसारणसंज्ञा होती है' इस अर्थमें इस सूत्रसे कही हुई संप्रसारणसंज्ञा वाक्यको की जाय, अथवा 'यण् के स्थानपर आये हुए इक्को संप्रसारणसंज्ञा होती है' इस अर्थमें वर्णको की जाय ?

इन दो अर्थोंमें क्या भेद है ?

(वा. १) 'यद् संप्रसारणसंज्ञा वाक्यको होती है' यह मान लिया जाय तो 'वर्ण ही संप्रसारण होता है' ऐसा मानके उसको कटा हुआ कार्य सिद्ध नहीं होगा।

'यद् संप्रसारणसंज्ञा वाक्यको होती है' यह मान लिया जाय तो 'वर्ण ही संप्रसारण होता है' ऐसा मानके उसको कटा हुआ कार्य सिद्ध नहीं होगा। उदा०

भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवतीति । न हि वाक्यस्य संप्रसारणसंज्ञायां सत्यामेव निर्देश उपपद्यते नाप्येतयोः कार्ययोः संभवोऽस्ति ॥ अस्तु तर्हि वर्णस्य ॥

वर्णसंज्ञा चेन्निर्वृत्तिः ॥ २ ॥

वर्णसंज्ञा चेन्निर्वृत्तिर्न सिध्यति प्यडः संप्रसारणम् [६.१.१३] इति । स एव हि तावद्विदुर्लभो यस्य संज्ञा क्रियते । अथापि कथंचिद्भ्येत केनासी यणः स्थाने स्यात् । अनेनैव तसौ व्यवस्थाप्यते । तदेतदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ॥

विभक्तिविशेषनिर्देशस्तु ब्रापक उभयसंज्ञात्वस्य ॥ ३ ॥

संप्रसारणके आगे अच् होनेपर पूर्वपरके स्थानमें पूर्वरूप एकादेश होता है (६।१।१०८), उत्तरपद आगे होनेपर संप्रसारणको दीर्घ होता है (६।३।१३९, ६।४।२) । वाक्यको संप्रसारण संज्ञा हो तो यह विधान समुचित नहीं है । और तो पूर्वरूप और दीर्घ ये कार्य वाक्यको किये नहीं ही जा सकते ।

अतः वर्णको ही 'संप्रसारण' संज्ञा होने दी जाय ।

(या. २) 'वर्णको संज्ञा होती है' यह मान लिया जाय तो वर्णको उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी ।

'वर्णको (संप्रसारण) संज्ञा होती है' यह मान लिया जाय तो (संप्रसारणका विधान करनेसे जो) वर्णकी उत्पत्ति (होती है वह) सिद्ध नहीं होगी । जैसे, "प्यड्प्रत्ययान्त (पूर्वपद-) को संप्रसारण होता है" (६।१।१३) इससे (कार्य-गन्धीपुत्रः आदि उदाहरणोंमें) जिस वर्णको संप्रसारणसंज्ञा करनी है वह इक् नामका वर्णही नहीं दीख पड़ता है । अब (शब्द नित्य होनेके कारण ऊपरके उदाहरणमें इक् नामका वर्ण मूलका है इस कल्पनासे) किसी तरह दीख पड़े तो वह इक् यणके स्थानमें हुआ है ऐसा कैसे कहा जायगा ? क्योंकि (जिस इक् नामका वर्णको संप्रसारणसंज्ञा करनी है वह इक् यणके स्थानमें होता है) यह व्यवस्था इस संप्रसारणसंज्ञा कहनेवाले प्रकृतमूत्रसे ही करनेकी है । तब ('यणके स्थानमें आये हुए इक्को संप्रसारणसंज्ञा करना' और 'पहलेसे ही संप्रसारण मानकर वह इक् यणके स्थानमें करना' ये दो बातें परस्परावरोधिन होनेके कारण) यहाँ अन्योन्याश्रय दोष आता है । और जहाँ अन्योन्याश्रय दोष आता है वहाँ उन दोनोंमेंसे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता ।

(या. ३) भिन्न भिन्न विभक्तियों लगाकर (यह आचार्य) उच्चारण करते हैं । तब यह ऐसा ज्ञापित करते हैं कि (वर्ण और वाक्य इन) दोनोंको भी संप्रसारण संज्ञा होती है ।

यद्यं विभक्तिविशेषैर्निर्देशं करोति संप्रसारणात्परः पूर्वं भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवति प्यङ्गुः संप्रसारणमिति तेन ज्ञायत उभयोः संज्ञा भवतीति । यत्न-
वदाह संप्रसारणात्परः पूर्वं भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवतीति तेन ज्ञायते वर्णस्य
भवतीति । यदप्याह प्यङ्गुः संप्रसारणमिति तेन ज्ञायते वाक्यस्यापि संज्ञा भवतीति ॥

अथवा पुनरस्तु वाक्यस्यैव । ननु चोक्तं संप्रसारणसंज्ञायां वाक्यसंज्ञा
चेद्वर्णविधिरिति । नैष दोषः । यथा काकाज्जातः काकः श्येनाज्जातः श्येन एवं
संप्रसारणाज्जातं संप्रसारणम् । यत्तत्संप्रसारणाज्जातं संप्रसारणं तस्मात्परः पूर्वं भवति
तस्य दीर्घो भवतीति ॥ अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्यैकदेशान्प्रयुञ्जानाः पदेषु

जब कि यह आचार्य (पाणिनि) “ संप्रसारणाच्च ” (६।१।१०८) इस
पूर्वरूप कहनेवाले सूत्रमें (‘ संप्रसारण ’ शब्द पंचमी विभक्ति लगाकर उच्चारते हैं),
तथा “ संप्रसारणस्य ” (६।१।१३९) इस दीर्घ कहनेवाले सूत्रमें (‘ संप्रसारण ’ शब्द
षष्ठी विभक्ति लगाकर उच्चारते हैं) और ‘ प्यङ्गुः संप्रसारणं० ’ (३।१।१०) इस
प्यदन्तके संप्रसारणका विधान करनेवाले सूत्रमें (‘ संप्रसारण ’ शब्द प्रथमा विभक्ति
लगाकर उच्चारते हैं), इस तरह भिन्न भिन्न विभक्तियों लगाकर उच्चारण करते हैं तब
वह ऐसा ज्ञापित करते हैं कि (वर्ण और वाक्य) इन दोनोंको भी संप्रसारणसंज्ञा
होती है । उसमें ‘ संप्रसारणके आगे अच् होनेपर (पूर्व और पर इन दोनोंके स्थानमें)
पूर्वरूप एकादेश होता है ’ और ‘ संप्रसारणको दीर्घ होता है ’ (ऐसा जो कहा है)
उससे ‘ वर्णको संज्ञा होती है ’ ऐसा सूचित करता है, और ‘ प्यङ्गुप्रत्ययान्त पूर्वपदको
संप्रसारण होता है ’ (ऐसा जो कहा है) उससे ‘ वाक्यको संज्ञा होती है ’ ऐसा
सूचित करता है ।

अथवा केवल वाक्यको ही संप्रसारणसंज्ञा हो, (वर्णको नहीं) ।

पर केवल वाक्यको ही संप्रसारणसंज्ञा हो तो वर्णको कहे हुए (पूर्वरूप और
दीर्घ ये) व्यवहार सिद्ध न होंगे ऐसा अभी कहा है न ?

यह दोष नहीं आता है । जैसे लोकमें कोएसे जन्मा हुआ कोआ कहलाता है,
श्येनसे जन्मा हुआ श्येन (बाज) कहलाता है, वैसे ही (यहाँ संप्रसारणसंज्ञा यद्यपि
सूत्रसे वाक्यको ही हुई तो भी उस) संप्रसारणसे बने हुए वर्णको संप्रसारण कहा जाय ।
तब उस संप्रसारणसंज्ञक वाक्यसे बना हुआ जो वर्ण है वह संप्रसारण ही है ऐसा
मानकर उसके आगे (अच् आनेपर) पूर्वरूप किया जाय और (वैसे वर्णको) दीर्घ भी
किया जाय ।

अथवा (लोममिं) दीर्घ पढ़ता है कि वाक्यके बढ़ने वाक्यके किसी अंशका
ही उच्चारण किया जाता है, तथा पदके बढ़ने पदके किसी भागका ही उच्चारण किया

च पदैकदेशान् । वाक्येषु तावद्वाक्यैकदेशान् । प्रविश पिण्डीम् प्रविश तर्पणम् ।
पदेषु पदैकदेशान् । देवदत्तो दत्तः सत्यमामा भामेति । एवमिहापि संप्रसारण-
निवृत्तात्संप्रसारणनिवृत्तस्येत्येतस्य वाक्यस्यार्थे संप्रसारणात्संप्रसारणस्येत्येव वाक्यै-
कदेशः प्रयुज्यते । तेन निवृत्तस्य विधिं विज्ञास्यामः । संप्रसारणनिवृत्तात्संप्रसारण-
निवृत्तस्येति ॥ अथवाहायं संप्रसारणात्परः पूर्वो भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवतीति
न च वाक्यस्य संप्रसारणसंज्ञायां सत्यमिप निर्देश उपपन्नो नाप्येतयोः कार्ययोः
संभवो ऽस्ति तत्र वचनाद्भविष्यति ॥

अथवा पुनरस्तु वर्णस्य । ननु चोक्तं वर्णसंज्ञा चेन्निवृत्तिरिति । नैष दोषः ।

जाता है । उनमेंसे वाक्यके बदले उसके एक अंशके उच्चारणका उदाहरण— 'प्रविश
पिण्डीम् । प्रविश तर्पणम् । पदके बदले पदके एक भागके उच्चारण का उदाहरण—
'देवदत्त'के बदले 'दत्त' (पदका ही उच्चारण करते हैं), 'सत्यमामा' (पद-) के
बदले 'भामा' (ऐसा ही उच्चारण किया जाता है) । उसी प्रकार इस (शास्त्र-) में
(आचार्य पाणिनिने) भी 'संप्रसारणसे उत्पन्न हुए वर्णके आगे' और 'संप्रसारणसे
उत्पन्न हुए वर्णको' इन वाक्योंका उच्चारण न करके उन वाक्योंके बदले यही अर्थ
ध्यानमें रखकर 'संप्रसारणके आगे' (६।१।१०८) और 'संप्रसारणको' (६।३।१३९)
ऐसा उस वाक्यके एक भागका उच्चारण किया है । अतः उस भागका 'संप्रसारणसे
उत्पन्न हुएके आगे' और 'संप्रसारणसे उत्पन्न हुए' यह अर्थ लेकर पूर्वरूप और दीर्घ
ये व्यवहार किये जायेंगे ।

अथवा यह आचार्य (पाणिनि) संप्रसारणके आगे अच् होनेपर पूर्व और
परके स्थानपर पूर्वरूप होता है और संप्रसारणको दीर्घ होता है ऐसा आगे कहीं कहीं
कहते हैं, और वह विधान तो यहाँ वाक्यको संप्रसारणसंज्ञा करनेपर सुसंगत नहीं होता
है । और (पूर्वरूप तथा दीर्घ) इन कायोंका (वाक्यमें) संभव भी नहीं । अर्थात्
उस वचनके बलपर ('लाक्षणिक अर्थसे वह कहा है' ऐसी कल्पना होगी
और संप्रसारणसंज्ञक वाक्यसे निर्माण हुए वर्णको पूर्वरूप और दीर्घ ये) कार्य
किये जायेंगे ।

अथवा (वाक्यको संप्रसारणसंज्ञा न हो) । केवल वर्णको ही हो ।

१. 'गृहं प्रविश', 'पिण्डी भवति' इन दो वाक्योंके स्थानमें क्रमसे 'प्रविश'
'पिण्डीम्' इनका ही उच्चारण किया जाय । लोगोंमें कोई परस्य परिवर्तित मनुष्य दो पदको
मिलता है तब उसे कहते हैं 'पर चलिये, खजू खाइये ।' कभी कभी जल्दीमें केवल यही और
इनका ही कहा जाता है— 'चलिये, थोडाग्रा खजू ।' तथा 'तीर्थे प्रविश, तर्पणं कुरु' इन दो
वाक्योंके बदले क्रमसे 'प्रविश, तर्पणम्' इनका ही कहा जाता है ।

इतरेतराश्रयमात्रमेतच्चोदितम् । सर्वाणि चेतरेतराश्रयाण्येकत्वेन परिहृतानि सिद्ध
तु नित्यशब्दत्वादिति । नेद तुल्यमन्यैरितरेतराश्रयैः । न हि तत्र किंचिदुच्यते
ऽस्य स्थाने य आकारैकारौकारा भा यन्ते ते वृद्धिसंज्ञा भवन्तीति । इह पुनरुच्यते
इग्यो यणः स्थाने वर्णः स सप्रसारणसंज्ञो भवतीति ॥ एवं तर्हि भाविनीयं संज्ञा
विज्ञास्यते । तद्यथा । कश्चित्कंचित्तन्तुवायमाह । अस्य सूत्रस्य शाट्क वयेति । स
पश्यति यदि शाट्को न वातव्यो ऽथ वातव्यो न शाट्कः शाट्को वातव्यश्चेति
विप्रतिषिद्धम् । भाविनी खल्वस्य संज्ञाभिप्रेता स मन्ये वातव्यो यस्मिन्नुते शाट्क
इत्येतद्भवतीति । एवमिहापि स यणः स्थाने भवति यस्याभिनिर्वृत्तस्य सप्रसारण-

वर्णको ही संप्रसारणसंज्ञा हो तो (सप्रसारणका विधान करनेसे जो वर्णकी
उत्पत्ति होती है वहाँ अन्योन्याश्रयदोष आनेसे वह) उत्पत्ति नहीं होगी ऐसा अभी
कहा है न ?

वह दोष नहीं आता है । यह केवल अन्योन्याश्रयदोष ही यहाँ आपने बताया है,
पर सभी स्थानके इन अन्योन्याश्रयदोषोंका निरसन 'सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्'
(३।२।१ वा. ९) सूत्रसे पहले किया ही है ।

निरसन किया है सही, पर अन्य स्थानके अन्योन्याश्रय दोषके समान यहाँका
अन्योन्याश्रयदोष नहीं है । कारण यह है कि, उस वृद्धिसंज्ञा कहनेवाले सूत्रमें " अमुक्
वर्णके स्थानमें होनेवाले जो 'आ'कार, 'ऐ'कार और 'औ'कार हे इनको वृद्धिसंज्ञा
होती है " ऐसा विशेष कुछ नहीं कहा है (अर्थात् " आकार, ऐकार और ओकारको
वृद्धिसंज्ञा होती है " इतना ही केवल कहा है) और यहाँ तो " यणके स्थानपर आया
हुआ जो इक् नामका वर्ण है उसको सप्रसारणसंज्ञा होती है " यह (विशेष) विधान
किया है । (उससे यहाँ नित्य अन्योन्याश्रयदोष आता है !)

तो फिर यहाँ भी (पाणिनिने) भाविसंज्ञा^१ की ऐसा समझा जाय (जिससे
दोष नहीं आयेगा) । जैसे, लोगोंमें कोई किसी जुलाहेसे कहता है कि ' इन धागोंका
दुपट्टा बुनो ' । यदि वह जुलाहा सोचे कि यदि यह व्यक्ति ' दुपट्टा ' कहता ही है तो
कुछ भी बुनना नहीं है । यदि धागे बुनने है तो ' दुपट्टा ' नहीं कहा जा सकता है ।
' दुपट्टा और वह बुनना ' यह विधान विरुद्ध है । (पर लोगोंमें यह विधान विरुद्ध नहीं
समझा जाता है) जुलाहा भी समझता है कि (' दुपट्टा ') यह भाविसंज्ञा इस व्यक्तिको
अभिप्रेत है अर्थात् ऐसा कुछ बुनना है कि जिसको बुननेपर वह दुपट्टा कहलाया जाय ।
उसी तरह यहाँ भी वह वर्ण यणके स्थानपर होता है कि जो होनेपर उसको संप्रसारण-
संज्ञा होगी । (ऐसी भाविसंज्ञा यहाँ लेनेसे अन्योन्याश्रयदोष नहीं आता है ।)

१ ' शब्द अनिश्चय है ' ऐसा मद्बुद्धि लोगोंके लिए मान लेके यह उत्तर आरंभमें भाष्य-
कार देते हैं ।

मित्येषा संज्ञा भविष्यति ॥ अथवेजादियजादिप्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते यजा-
द्युपदेशाच्चिजादिनिवृत्तिः प्रसक्ता । प्रयुञ्जते च पुनर्लोका इष्टम् उच्यमिति । ते
मन्यामहे ऽस्य यणः स्थान इममिकं प्रयुञ्जत इति । तत्र तस्यासाच्चाभिमतस्य
शास्त्रेण साधुत्वमवस्थाप्यते क्तिन्ति साधुर्भवति क्तिन्ति साधुर्भवतीति ॥

आयन्तौ ट्कितौ ॥ १ । १ । ४६ ॥

समासनिर्देशो ऽयं तत्र न ज्ञायते क आदिः को ऽन्त इति । तद्यथा ।
अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तावित्युक्ते तत्र न ज्ञायते कस्याजा धनं कस्यावय इति ।
यद्यपि तावन्नोक्त एव दृष्टान्तो दृष्टान्तस्यापि पुरुषारम्भो निवर्तको भवति । अस्ति

अथवा ('सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्' यह जो पहले कहा है वह भी उत्तर यहाँ
उचित होता है । वह यह है कि, कुछ धातुओंके स्वरूप) लोगोंमें इज्-आदि और
यज्-आदि इन दो प्रकारके पाये जाते हैं । परन्तु (धातुपाठमें पाणिनिने) यज्-आदि
उपदेश किया है, इसलिए इज्-आदि स्वरूपोंके प्रयोग उचित नहीं लगते । और लोगोंमें
तो 'इष्टम्', 'उप्तम्' इत्यादि प्रयोग दिखाई देते हैं । उससे हम यह मानते हैं कि
(इस प्रयोगमें) यणके बदले इक्का उच्चारण किया है । तब (वैसे इक् जिन प्रयोगोंमें
उच्चार जाते हैं) वे प्रयोग अमाधु समझे जायेंगे । (वे वैसे न समझे जायें इसलिए
पाणिनिने) 'क्त् प्रत्यय आगे होनेपर (इक्का प्रयोग) शुद्ध है (६।१।१५), द्वित्
प्रत्यय आगे होनेपर (इक्का प्रयोग) शुद्ध है (६।१।१६)' (ऐसा कहकर) उन
प्रयोगोंका साधुत्व बताया है ।

(सू. ४६) जिसको इत्संज्ञक टकार जोड़ा है (वह जिसको कहा हो)
उसका आद्यावयव होता है, तथा जिसको इत्संज्ञक ककार जोड़ा है (वह
जिसको कहा हो) उसका अन्त्यावयव होता है ।

('ट्कितौ') यह यहाँ समस्तपद उच्चारित है । उससे ज्ञात नहीं होता है कि
आदि कौन है और अन्त कौन है । जैसे, 'अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ' (देवदत्त
और यज्ञदत्त बहुरी भेटीवाले हैं ।) ऐसा कहनेपर विशेषरूपसे ज्ञात नहीं होता कि
बहुरियों किसका धन है और भेटियों किसका धन है । (दोनोंका भी दोनों प्रकारका
धन है यह अर्थ ध्यानमें आता है ।)

यद्यपि यह दृष्टान्त लोगोंमें है तो भी यदि इस दृष्टान्तके विरुद्ध मनुष्यने जान
बूझकर कुछ कहा हो तो वहाँ वह दृष्टान्त लागू नहीं होता ।

किर बेसा कुछ यहाँ आचार्य पाणिनिने कहा है क्या ?

१. सारांस, यणके स्थानमें इत् न होनेके कारण अन्वो-वाच्य दोन नही भागा ।

१ यहाँ ट् और इ इन दो वर्णोंका द्वंद्व चके उगडा ' इत् ' पदके माप बनुमीदि
समाय किया है ।

चेह कश्चित्पुरुषारम्भ । अस्तीत्याह । कः । संख्यातानुदेशो नाम ॥

कौ पुनष्टकितावाद्यन्तौ भवतः । आगमावित्याह । युक्तं पुनर्थन्नित्येषु नाम शब्देष्वागमशासन स्यान्न नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमन-पायोपजनविकारिभिः । आगमश्च नामापूर्वः शब्दोपजनः । अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देष्वादेशाः स्युः । बाह युक्तम् । शब्दान्तरैरिह भवितव्यम् । तत्र शब्दान्तरा-च्छब्दान्तरस्थ प्रतिपत्तिर्युक्ता । आदेशास्तर्हीमे भविष्यन्त्यनागमकाना सागमकाः । तत्कथम् । सज्ञाधिकारेऽयम् । आद्यन्तौ चेह संकीर्त्येते टकारककाराविताबुदा-ह्रियेते । तत्राद्यन्तयोष्टकारककारावितौ सज्ञे भविष्यतः । तत्रार्धधातुकस्येडुलादेः

हॉ, है ।

वह क्या है ?

यथासख्यसूत्र (१।३।१०) जिसको कहते हैं वही है यह ।

पर ये जो यहाँ टकारेत्सज्ञक आदि और ककारेत्सज्ञक अन्त होते हैं ऐसा कहा है वे कौन समझे जायें ?

वे आगम समझे जायें, ऐसा कहा है ।

पर शब्द यदि नित्य है तो उनको आगम कहना क्या युक्त होगा ? (कदापि नहीं ।) शब्द यदि नित्य है तो उनमेंके वर्ण कूटस्थ (एक ही स्वरूपमें कायम रहनेवाले), अविचाली (विचलित न होनेवाले) और उत्पत्ति, विनाश इत्यादि विकारोंसे रहित होने चाहिये । और आगम तो एक नया ही अवयव शब्दको लगाया हुआ होगा । (अतः नित्य शब्दोंमें उसका कैसे संभव होगा ?)

पहले हम यह पूछते हैं कि यदि शब्द नित्य है तो उनको जो आदेश होते हैं वे क्या युक्त हैं ?

आदेश कहना निश्चयसे युक्त होगा । क्योंकि वहाँ वे भिन्न शब्द ही होते हैं । अतः एक शब्दके बदले दूसरे शब्दका ज्ञान होना उचित ही है । (उससे शब्दके नित्यत्वकी कुछ भी हानि नहीं होती ।)

तो फिर ये आगम भी आदेश ही होंगे, अर्थात् आगमरहितोंको आगमसहित (शब्द) आदेश होते हैं (ऐसा समझा जा सकता है ।)

तो कैसे ?

यह सज्ञाका प्रकरण चालू है । और इस सूत्रमें तो ' आदि ' और ' अन्त ' का उल्लेख किया है और उनके आगे इत्सज्ञक टकार और इत्सज्ञक ककार उच्चार्य गये हैं । तब ज्ञात होता है कि इत्सज्ञक टकार आदिकी सज्ञा है और इत्सज्ञक ककार अन्तकी सज्ञा है । अतः ' आर्धधातुकस्येडुलादेः ' — ७।२।३५ — (सूत्रमें इटमेंका टकार यह

[७.२.३५] इत्युपस्थितामिदं भवत्यादिरिति । तेनेकारादिरादेशो भविष्यति । एतावदिह सूत्रमिडिति । कथं पुनरियता सूत्रेणेकारादिरादेशो लभ्यः । लभ्य इत्याह । कथम् । बहुव्रीहिनर्देशात् । बहुव्रीहिनर्देशो ऽयम् । इकार आदिरस्येति । यद्यपि तावदत्रैतच्छक्यते वक्तुमिह कथं लुङ्लङ्लङ्श्वडुदात्तः [६.४.७१] इति यत्राशक्यमुदात्तग्रहणेनाकारो विशेषयितुम् । तत्र को दोषः । अङ्गस्योदात्तत्वं प्रसज्येत । नैप दोषः । त्रिपदोऽयं बहुव्रीहिः । तत्र वाक्य एवोदात्तग्रहणेनाकारो

संज्ञाशब्द इत्संज्ञक द्विसाई देनेसे) यह सूत्र वहाँ उपस्थित होता है और उस (इट्-) का अर्थ आदि (ऐसा प्रतीत होता है); इससे (वलादिप्रत्ययको) इकारादि आदेश हो सकेगा ।

पर सूत्रमें उस अर्थका केवल ' इट् ' पद ही दीसता है । और उससे ' इकारादि आदेश होता है ' इतना अर्थ कैसे निकलता है ?

केवल ' इट् ' पदसे ही उतना अर्थ निकलता है ऐसा कहा जा सकता है ।

सो कैसे ?

बहुव्रीहिनर्देशसे । यहाँ (' इ ' और ' ट् ' इन दो वर्णोंका) बहुव्रीहिसमास करके (इट्का) उच्चारण किया है । (उस टकारका ' आदि ' अर्थ होनेसे) ' टकार है आदि जिसका ऐसा आदेश होता है ' यह अर्थ होगा ।

यद्यपि यहाँ (' आर्षघातुकस्येड वलादेः '—७।२।१५—के बारेमें) यह कहना शक्य है, तो भी " लुङ्लङ्लङ्श्वडुदात्तः " (६।४।७१) सूत्रके बारेमें (वर कैसे कहा जायगा ? क्योंकि यहाँ उदात्तपदका संबंध अट्मेंके अकारके साथ होना चाहिये । परन्तु ' अट् ' शब्द अ और ट् इन दोनोंका बहुव्रीहिसमास होनेके कारण उसमेंके) ' अ ' इस पूर्वपदको साथ उदात्तपदका विशेषणरूपसे संबंध होना अशक्य है ।

उदात्तपदका संबंध अकारके साथ न हुआ तो क्या दोष होगा ?

दोष यह है कि (अट्मेंके अकारको उदात्त न होंकर) अङ्गको उदात्त होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता है । (' अट् उदात्तः ' यह सामानिक एक पद लिया जाय, अ, ट् और उदात्त इन) तीन पदोंका बहुव्रीहिसमास किया जाय, और (उस बहुव्रीहिके) वाच्यमें ही ' उदात्त ' शब्द ' अ- ' कारको विशेषणरूपमें लगाया जाय,

१. ' लभ्य ', ' स्य ' इत्यादि प्रत्यय हैं उनको जो इकारादि आदेश करण्य हैं वे ऐसेमें न करके ' स्थानेन्तरतमः ' (१।१।५०) परिभाषाने उचित ही होते हैं । अर्थात् ' भवितव्य ' उदाहरणमें ' लभ्य ' को ' इत्य' होता है, ' भविष्यति ' उदाहरणमें ' स्य ' को ' इत्य ' होता है ।

विशेष्यते । अकार उदात्त आदिरस्येति । यत्र तर्ह्यनुवृच्येतद्भवत्याटजादीनाम् [६.४.७२] इति । वक्ष्यत्येतत् । अजादीनामत्रा सिद्धमिति ॥ अथवा यत्तावदयं सामान्येन शक्नोत्युपदेष्टुं तत्तावदुपादिशति प्रकृति ततो वलाद्यार्धधातुकं ततः पश्चादिकारम् । तेनाथ विशेषेण शब्दान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते । तद्यथा । खदिरबुर्बुरयोः । खदिरबुर्बुरी गौरकाण्टी सूक्ष्मपर्णी । ततः पश्चादाह कण्टकवान्खदिर इति । तेनासी विशेषेण द्रव्यान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते ॥ अथर्वतयानुपूर्व्यायं शब्दान्तरमुपादिशति प्रकृतिं ततो वलाद्यार्धधातुकं ततः पश्चादिकार यस्मिंस्तस्यागमबुद्धिर्भवति ॥

जिससे 'उदात्त अकार है आदि जिसका' (ऐसा आदेश क्रिया जायगा ।)
 ('लुङ्लङ्'—६।४।७१—सूत्रका इस प्रकार निपटारा क्रिया) तो भी (उसमेंके) उदात्तपदकी अनुवृत्ति 'आडजादीनाम्' (६।४।७२) इस अगले सूत्रमें होके 'आ'कार उदात्त होता है उसका क्या निपटारा है ?

(वह सूत्र ही अनावश्यक होनेके कारण उसकी ओर ध्यान न दिया जाय ।)
 'अजादीनामत्रा सिद्धम्' यह वार्तिक करना ही पड़ेगा । (६।४।७४, वा. १)

अथवा (प्रकृतसूत्रको संज्ञासूत्र न मानकर परिभाषासूत्र ही रहने दें । छिन्न, कित यद्यपि आगम समझे गये तो भी शब्दके निरन्तरकी कुछ भी हानि नहीं होती है । क्यों कि आचार्य पाणिनिकी पद्धति यह है कि) वह (आचार्य) जिस बातका सामान्य रूपसे उपदेश कर सकते हैं वहाँ उस सामान्यस्वरूपका मूलप्रकृतिके रूपमें उपदेश करते हैं । फिर (तन्म आदि) वलादि आर्धधातुकप्रत्ययोंका उपदेश करते हैं, बादमें (उस प्रत्ययके आरंभमें कहीं कहीं) इकार है ऐसा कहते हैं । उससे (वह मूल प्रकृति, वलादि आर्धधातुकप्रत्यय और इकार इनका) समुदायरूप (भक्तिव्य इत्यादिक) मूलतः भिन्न स्वतंत्र शब्द ही है ऐसा विदित होता है । जैसे, लोणोंमें खदिर और बुर्बुरके संघमें आरंभमें साधारण ही उपदेश किया जाता है कि खदिर और बुर्बुर दोनों वृक्षोंके काण्ड गौर होते हैं । दोनोंके पत्ते भी छोटे रहते हैं । तदनन्तर विशेष कहा जाता है कि खदिरवृक्ष कण्टकयुक्त है । इस विशेष उपदेशसे वह मूलतः भिन्न स्वतंत्र पदार्थ ही है ऐसा समझमें आता है ।

अथवा यह (भगवान् पाणिनि) इस क्रमसे स्वतंत्र शब्दका उपदेश करते हैं । वह आरंभमें मूठ प्रकृति कहते हैं, फिर उसके आगे वलादि आर्धधातुक प्रत्यय कहते हैं, बादमें उसको इकार लगानेको कहते हैं जिस इकारके विषयमें (श्रोताकी) 'यह आगम है' ऐसी बुद्धि होती है । (य जो क्रमसे कहा गया है वह मूल निरन्तर शब्द

४ यहाँ मूलमें 'कण्टक' शब्द है, उपरके स्थानमें कुछ प्रयोगोंमें 'कण्ट' पाठ है ।

टकितोराद्यन्तविधाने प्रत्ययप्रतिषेधः ॥ १ ॥

टकितोराद्यन्तविधाने प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः प्रत्यय आदिरन्तो वा मा भूत् । चरेटः [३ २ १६] आतोऽनुपसर्गे कः [३] इति ॥ परवचनात्सिद्धम् । परवचनात्प्रत्यय आदिरन्तो वा न भविष्यति ।

परवचनात्सिद्धमिति चेन्नापवादत्वात् ॥ २ ॥

परवचनात्सिद्धमिति चेत्तत्र । किं कारणम् । अपवादत्वात् । अपवादोऽयं योगः । तद्यथा । मिदचोऽन्त्यात्परः [१ १ ४७] इत्येष योगः स्थाने-

अमुक स्वरूपका है यह समझनेके लिए कहा है । यह सब पाणिनिका कल्पित ही है, इस कल्पनामय सृष्टिसे ही शब्दके सत्य स्वरूपका परिचय हो यह पाणिनिका उद्देश्य है । अतः केवल कल्पनाओंसे वस्तुस्थितिमें बदल न होनेके कारण शब्दके नित्यत्वको कुछ भी हानि नहीं पहुँचती ।)

(वा. १) “ टकितोराद्यन्त ” विधानमें प्रत्ययका निषेध कहा जाय ।

“ जिसको इत्सज्ञक टकार जोड़ा है वह (जिसको कहा हो) उसका आद्यावयव होता है, तथा जिसको इत्सज्ञक ककार जोड़ा है वह (जिसको कहा हो) उसका अन्त्यावयव होता है, ” यह जो प्रकृतसूत्रसे विधान किया है वहाँ प्रत्ययका निषेध कहा जाय । इससे (प्रत्ययको यद्यपि टकार जोड़ा हो तो भी वह) आद्यावयव नहीं होगा, तथा (उसको यद्यपि ककार जोड़ा हो तो भी वह) अन्त्यावयव नहीं होगा । उदा०, ‘ चरेट ’ (३२।१२), ‘ आतोऽनुपसर्गे क ’— ३२।३— (इनसे कहे हुए ट और क प्रत्यय) ।

‘ प्रत्यय पर (आगे लगाया जानेवाला) किया जाय ” (३।१२) ऐसा कहा जानेसे इष्टसिद्धि होती है । अर्थात् (उस वचनसे) प्रकृतसूत्रका परत्वके कारण बाध (१।४।२) होनेसे वह आद्यावयव वा अन्त्यावयव नहीं होगा ।

(वा. २) प्रत्यय पर किया जाय ऐसा कहा जानेसे इष्ट सिद्ध होगा यह नहीं कहा जा सकता । कारण यह कि अपवाद होता है ।

प्रत्यय पर किया जाय ऐसा कहा जानेसे इष्ट सिद्ध होगा यह नहीं कहा जा सकता है ।

क्यों ?

क्योंकि अपवाद होता है । — (‘ आद्यन्तो० ’) यह प्रकृतसूत्र (‘ परश्च ’ — ३।१२ — सूत्रका) अपवाद है । जैसे “ मिदचोऽन्त्यात्पर ” (१।४।४७) सूत्र “ षष्ठी स्थानेयोगा ” (१।१।४९) का और “ प्रत्यय परश्च ” (२।१२) का अपवाद है (वैसे ही यह भी है) ।

योगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य चापवादः । विपम उपन्यासः । युक्तं तत्र यदनवकाशं
मित्करणं स्थानेयोगत्वं प्रत्ययपरत्वं च बाधत इह पुनरुभयं सावकाराम् । को
ऽवकाशः । टित्करणस्यावकाशः । टित इतीकारो यथा स्यात् । कित्करणस्या-
वकाशः । कित्तीत्याकारलोपो यथा स्यात् । प्रयोजनं नाम तद्वक्तव्यं यन्नियोगतः
स्यात् । यदि चायं नियोगतः परः स्यात्त एतत्प्रयोजनं स्यात् । कुतो नु
सत्त्वेतद्वित्करणादयं परो भविष्यति न पुनरादिरिति कित्करणाच्च परो भविष्यति

यह दृष्टान्त यहाँ लागू नहीं होता । क्योंकि (भ्रम् आदि प्रत्ययोको) जो
इत्संज्ञक मकार लगाया है उसका कहीं भी अन्यत्र उपयोग न होनेसे (उसके बलपर
'मिदचोऽन्यात्परः' सूत्रसे) 'पष्ठी स्थानेयोगा' का और 'प्रत्ययः परश्च' का बाध
क्रिया गया यह उचित ही है । (पर यहाँ वैसा नहीं ।) यहाँ (इत्संज्ञक टकार और
ककार इन) दोनोंका भी उपयोग होता है ।

कहाँ वह उपयोग होता है ?

('चरेष्टः' — ३।२।१६ — सूत्रसे कहे हुए 'ट' प्रत्ययको इत्संज्ञक टकार
लगाया है ।) इस इत्संज्ञक टकारका उपयोग यह है कि (उसके 'कुरुचरी'
उदाहरणमें) 'ट्टिष्ठाणञ्०' (४।१।१५) सूत्रसे (स्त्रीप्रत्यय) ईकार हो । उसी प्रकार
('आतोऽनुपसर्गो कः' — ३।२।२ — सूत्रसे कहे हुए 'क' प्रत्ययको इत्संज्ञक
ककार लगाया है ।) इस इत्संज्ञक ककारका उपयोग यह है कि (उसके 'गोदः'
उदाहरणमें) कित् प्रत्यय आगे रहनेपर कहा हुआ आकारका लोप (६।४।६४) हो ।

परन्तु उपयोग दिसाना है तो (वह केवल कुछ अनुमान करके नहीं दिसाना है ।
फिर) विधिके अनुसार ही बनाना चाहिये । अब यदि ('कुरुचरी' में 'ट' प्रत्यय
तथा 'गोदः' में 'क' प्रत्यय जो पर क्रिया है) वह ('परश्च' — ३।१।२ — इस)
विधिके अनुसार ही पर क्रिया हो, तो (इत्संज्ञक टकारका 'स्त्रीप्रत्यय ईकार होना')
यह उपयोग तथा (इत्संज्ञक ककारका 'आकारका लोप होना') यह उपयोग ठीक है
ऐसा कहा जायगा । परन्तु यहाँ ऐसा निश्चय कैसे किया गया कि 'इत्संज्ञक टकारका
स्त्रीप्रत्यय ईकार होना' यह उपयोग होनेके लिए 'कुरुचरी' में 'ट' प्रत्यय पर ही
होगा, प्रकृतसूत्रसे आयावपव नहीं होगा ? तथा 'इत्संज्ञक ककारका 'आ'कारका लोप
होना' यह उपयोग होनेके लिए 'गोदः' में 'क' प्रत्यय पर ही होगा, प्रकृतसूत्रसे
अन्यावपव नहीं होगा ? (तात्पर्य यह है कि इत्संज्ञक टकार और ककारका उचित
उपयोग अन्यत्र न होनेसे उनके बलपर प्रकृतसूत्र "प्रत्ययः परश्च" सूत्रका अपवाद
होगा, अतः 'पारवचनात् सिद्धम्' अर्थात् 'परश्च' सूत्रसे प्रकृतसूत्रका परत्वके कारण
बाध करना' यह परिहार ठीक नहीं ऐसा सिद्ध हुआ ।)

न पुनरन्त इति । त्रितः खल्वप्येप परिहारो यत्र नास्ति संभवो यत्परश्च स्यादा-
दिश्च । क्वितस्त्वपरिहारः । अस्ति हि संभावो यत्परश्च स्यादन्तश्च । तत्र को दोषः ।
उपसर्गो घोः किः [३.३.९२] । आध्योः प्रध्योः । नोद्धात्वोः [६.१.१७५]
इति प्रतिषेधः प्रसज्येत । त्रितश्चाप्यपरिहारः । स्यादेव ह्ययं त्रित्करणादादिर्न
पुनः परः । क तर्हीदानीमिदं स्याद्वित ईकारो भवतीति । य उभयवान् ।
गापोट्क् [३.२.८] इति ॥

और यह परिहार इत्संज्ञक टकारके संबंधसे आगे करना हो तो वहाँ करें कि
जहाँ ('ट' प्रत्यय) 'पर भी किया जायगा और आधावयव भी किया जायगा' ये
दो पर्याय (एक ही समय) संभवनीय नहीं होते (और इनमें विरोध दीप्त पड़ता
है) । परन्तु इत्संज्ञक ककारके संबंधसे तो इस परिहारका नाम ही न लें । क्योंकि
('गोदः' में 'क' प्रत्यय) 'पर करना, और अन्यावयव करना' ये दोनों पर्याय
एक ही समय शक्य होते हैं (और इससे विरोध ही नहीं दिखाई देता है) । (तब
वहाँ परत्वसे बाध कैसे होगा ?)

फिर (बाध न हो तो) दोष क्या है ?

(दोष यह है कि) 'आध्योः', 'प्रध्योः' उदाहरणोंमें "उपसर्गो घोः किः"
(३।३।९२) सूत्रसे 'कि' प्रत्यय किया जानेपर (वह प्रत्यय धातुका अन्यावयव
समझा गया तो उनके 'ओस्' प्रत्ययको) होनेवाले (उदात्तस्वरका) 'नोद्-
धात्वोः' (६।१।१७५) सूत्रसे निषेध होने लगेगा ।

अब इत्संज्ञक टकारके संबंधसे (विरोध आनेपर भी वहाँ 'परत्वके कारण बाध
करना' यह) परिहार ठीक नहीं । 'ट' प्रत्यय इत्संज्ञक टकारके बलपर ('कुरुचरी'
में धातुका) आधावयव होगा ही, पर कभी नहीं होगा । (अर्थात् प्रकृतसूत्र 'परश्च'
सूत्रका अपवाद होगा ।)

फिर इत्संज्ञक टकारका 'ईकार (स्त्रीप्रत्यय) होना' (यह जो उपयोग
'ट्टिणाञ्०'— ४।१।१५—सूत्रसे कहा है) उसका उदाहरण कहाँ मिलता है ?

जिस प्रत्ययको (इत्संज्ञक टकार और ककार ये) दोनों हैं ऐसा 'टके'
(अर्थात् अ) प्रत्यय "गापोट्क्"— ३।२।८—(सूत्रसे 'सामगी', 'सोमपी' में
किया है) वहाँ (उसका उदाहरण) मिलेगा ।

५. 'टट्' प्रत्ययको टकार जोड़ा जानेमें 'सामग' में वह प्रत्यय 'गा' धातुका
आधावयव किया जाय अथवा ककार जोड़ा जानेमें 'गा' धातुका अन्यावयव किया जाय
यह विरोध निर्माण हुआ तो वहाँ 'त्रिप्रतिषेधे परं कर्त्तव्यं' (१।४।२) परिभाषाके कारण
अन्यावयवसे आधावयवका परत्वमें बाध होता है । प्रकृत सूत्रमें 'आदि' शब्दके आगे
'अन्त' शब्द सूत्रकारोंने रखा है ।

सिद्धं तु पष्ठ्यधिकारे वचनात् ॥ ३ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । पष्ठ्यधिकारे ऽयं योगः कर्तव्यः । आयन्तौ
टकितौ पष्ठीनिर्दिष्टस्येति ॥

आद्यन्तयोर्वा पष्ठ्यर्थत्वात्तदभावे ऽसंप्रत्ययः ॥ ४ ॥

आद्यन्तयोर्वा पष्ठ्यर्थत्वात्तदभावे पष्ठ्या अभावे ऽसंप्रत्ययः स्यात् ।

(वा. ३) परन्तु पष्ठी अधिकारमें यह सूत्र पढ़नेसे (इष्ट) सिद्ध
होता है ।

यह सिद्ध होता है (अर्थात् टित् और कित् प्रत्यय पर ही होंगे, आद्यावयव वा
अन्त्यावयव नहीं होंगे) ।

सो कैसे ?

पष्ठिके प्रकरणमें यह प्रकृत सूत्र रखा जाय अर्थात् पष्ठी विभक्तिका उच्चारण करके
यदि टित् वा कित् कहे गये हों तो वे आद्यावयव वा अन्त्यावयव होंगे । (प्रत्यय
कहनेवाले सूत्रमें पचमी विभक्तिका उच्चारण किया जाता है, पष्ठीका नहीं ।)

(वा ४) आद्यावयव और अन्त्यावयव ये पष्ठीके अर्थ होनेके कारण
जहाँ उस पष्ठीका अभाव है वहाँ बोध न होगा ।

आद्यावयव और अन्त्यावयव ये पष्ठी (प्रत्यय-) के अर्थ होनेके कारण जहाँ उस
पष्ठी (प्रत्यय-) का अभाव है वहाँ (उन अर्थोंका) बोध न होगा । अतः (प्रकृतपरि-
भाषासे) वहाँ आद्यावयव वा अन्त्यावयव नहीं होगा ।

६ परिभाषासूत्र केवल व्यवस्थापक सूत्र है । विधिसूत्रकी तरह नवीन कुछ करनेकी
सामर्थ्य उसमें नहीं । ' आर्धधातुकस्येत्' (७।२।३५) से ' भवितव्य ' उदाहरणमें ' तव्य '
प्रत्ययको ' इद् ' करना है । वहाँ ' आयन्तौ ' यह प्रकृत परिभाषासूत्र प्रवृत्त न होता तो
' भवितव्य ' उदाहरण सिद्ध न होता । कारण यह कि ' आर्धधातुकस्य ' इस पष्ठी प्रत्ययका ' अवयव '
अर्थ कदाचित् लिया न जाता, और वह अवयव जो आदि, मध्य, अन्त कहीं भी जोड़ना है वह
कदाचित् आद्यावयव भी हो जाता । इस तरह ' भवितव्य ' उदाहरणकी सिद्धि हुई तो भी
वह कदाचित् मध्यावयव वा अन्त्यावयव होकर अनिष्ट रूप भी हो जाता । अब यह प्रकृत
परिभाषासूत्र प्रवृत्त हो जानेसे सब अव्यवस्था दूर होके ' भवितव्य ' एक ही रूप कायम
किया जाता है । ' चरेट ' से जहाँ ' ट ' प्रत्यय होता है वहाँ अर्थात् ' कुरुचर ' उदाहरणमें
यदि इस परिभाषासूत्रकी प्रवृत्ति न हुई तो वह ' ट ' प्रत्यय ' चर् ' धातुका आद्यावयव
कदापि न होता । कारण यह कि वहाँ ' अवयव ' अर्थको दिसानेवाला पष्ठीप्रत्यय ही नहीं है ।
' चरेः ' पचमी है । जब वहाँ आद्यावयव करना है तो वह विधिसूत्रके समान नवीन
ही करना पड़ेगा । और उतना यत्न परिभाषासूत्रमें माननेसे निरर्थक अधिक शोध उत्पन्न
लादना है । तात्पर्य, पष्ठीप्रत्यय न हो तो वहाँ यह परिभाषासूत्र प्रवृत्त नहीं होता ऐसा सिद्ध
होता है ।

आदिरन्तो वा न भविष्यति ॥ युक्तं पुनर्यच्छब्दनिमित्तको नामार्थः स्यान्नार्थ-
निमित्तकेन नाम शब्देन भवितव्यम् । अर्थनिमित्तक एव शब्दः । तत्कथम् ।
आद्यन्ती पठचर्थौ । न चात्र पठौ पश्यामः । ते मन्यामह आद्यन्तावेवात्र न
स्तस्तयोरभावे पठचपि न भवतीति ॥

मिदचो ऽन्त्यात्परः ॥ १ । १ । ४७ ॥

किमर्थमिदमुच्यते ।

मिदचो ऽन्त्यात्पर इति स्थानपरप्रत्ययापवादः ॥ १ ॥

मिदचो ऽन्त्यात्पर इत्युच्यते स्थानेयोगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य चापवादः ।
स्थानेयोगत्वस्य तावत् । कुण्डानि वनानि । पयांसि यशांसि । प्रत्ययपरत्वस्य ।

परन्तु 'शब्दप्रयोग अर्थका निमित्त है' यह आपका विधान क्या युक्त है ?

नहीं । अर्थके निमित्त शब्दका प्रयोग होता है । तब यदि अर्थ ही शब्दप्रयोगका
कारण है, तो फिर यहाँ ('पठौप्रत्ययका अभाव होनेसे उसके अर्थका बोध नहीं
होता है') यह पूर्वोक्त विधान कैसे किया जाय ?

(वार्तिककारोंका अभिप्राय यह है कि) आद्यावयव और अन्त्यावयव ये तो
पठौप्रत्ययके अर्थ हैं । और (ये प्रत्यय कहनेवाले) सूत्रमें तो पठौप्रत्यय नहीं दीखता ।
उससे हम कहते हैं कि (शब्दप्रयोगके निमित्त होनेवाले मूलभूत जो) आद्यावयव और
अन्त्यावयव ये अर्थ ही पाणिनिके मनमें नहीं हैं, इसीलिए (अर्थात् वे अर्थ मनमें न
होनेसे) पठौप्रत्यय भी उन्होंने वहाँ नहीं रखा ।

(सू. ४७) इत्संज्ञक मकार जिसको लगाया हो वह आगम (जिसको कहा
हो उसीका अवयव समझकर उसके) स्वरोंसे अन्य स्वरके आगे किया जाय ।

यह (सूत्र) किसलिए किया है ?

(वा. १) 'मिदचोऽन्त्यात्परः' यह जो प्रकृतसूत्र किया है वह
"स्थानीके स्थानपर आदेश होता है" (१।१।४९) और "प्रत्यय पर
होता है" (३।१।१२) इन दोनोंका अपवाद किया है ।

(वा. १) 'मिदचोऽन्त्यात्परः' यह जो प्रकृतसूत्र किया है वह "स्थानीके
स्थानपर आदेश होता है" (१।१।४९) और "प्रत्यय पर होता है" (३।१।२)
इन दोनोंका अपवाद किया है ।

'मिदचोऽन्त्यात्परः' यह जो प्रकृतसूत्र किया है वह "स्थानीके स्थानपर
आदेश होता है" (१।१।४९) और "प्रत्यय पर होता है" (३।१।२) इन
दोनोंका अपवाद किया है । उनमेंसे "स्थानीके स्थानपर आदेश होता है" (इसके अप-
वादके उदाहरण हैं) 'कुण्डाति', 'वनानि', 'पयांसि', 'यशांसि' । "प्रत्यय पर

७. शब्दप्रयोग अर्थका उत्पादक कारण नहीं, वह शानक कारण है ऐसा सिद्धान्त है ।
वस्तुसे पान्तिनिका मनोगत यहाँ अनुमानित होता है ऐसा समझा जाय ।

१. 'ननुषब्दस्य सत्वः' (७।१।७२) से कहा हुआ 'नुम्' 'पठौ स्थानेयोग'
(१।१।४९) परिभाषावे आदेश हुआ तो 'अलोन्त्यस्य' (१।१।५२) के आधारपर अन्य

मिनात्ति छिनात्ति । भवेदिदं युक्तमुदाहरणं कुण्डानि वनानि यत्र नास्ति संभवो यदयमचो ऽन्त्यात्परश्च स्यात्स्थाने चेति । इदं त्वयुक्तं पयांसि यशांसीति । अस्ति हि संभवो यदचो ऽन्त्यात्परश्च स्यात्स्थाने च । एतदपि युक्तम् । कथम् । नैवेश्वर आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्त्यपवादैरुत्सर्गा बाध्यन्तामिति । किं तर्हि । लौकिको ऽयं दृष्टान्तः । लोके हि सत्यपि संभवे बाधनं भवति । तयया ।

होता है ” इसके (अपवादका उदाहरण हे) ‘मिनात्ति’, ‘छिनात्ति’ ।

(ये जो अपवादके उदाहरण दिये हैं उनमेंसे) ‘कुण्डानि’, ‘वनानि’ ये उदाहरण युक्त हैं । क्योंकि, वहाँ (‘नपुंसकस्य झलचः’—७।१।७२—सूत्रसे कहा हुआ जो नुम् है) वह आगम (‘प्रकृतसूत्रसे कुण्ड, वन से) अन्तिम अच्के आगे (अर्थात् ‘अ’कारके आगे भी किया जायगा) और (पष्ठी स्थानेयोगा—१।१।४९—सूत्रसे अन्तिम वर्णके अर्थात् उस ‘आ’कारके) ‘स्थानपर भी किया जायगा’ यह एक ही समय संभवनीय नहीं । (अतः बाध करनेके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं । इससे वहाँ अपवाद लिया है यह ठीक हुआ ।) परन्तु ‘पयांसि’, ‘यशांसि’ ये (अपवादके उदाहरण) युक्त नहीं हैं । क्योंकि यहाँ (वही नुम् आगम ‘प्रकृतसूत्रसे पयस, यशसके) अन्तिम अच्के आगे (अर्थात् आकारके आगे भी किया जायगा) और (पष्ठी स्थाने० सूत्रसे अन्तिम वर्णके अर्थात् सकारके) ‘स्थानपर भी किया जायगा’ यह एक ही समय संभवनीय है । (अतः यहाँ बिना किसी कारणके बाध करना योग्य नहीं ।)

(‘पयांसि’, ‘यशांसि’) ये भी (अपवादके उदाहरण) योग्य ही हैं ।

सो कैसे ?

(पहले) ‘अपवादोंसे उत्सर्गोंका (अर्थात् सामान्य शास्त्रका) बाध किया जाय’ यह सिद्धान्त कहाँ से आया ? (इसका विचार करना चाहिये) । न ईश्वरने (अर्थात् वेदने) वैसी आज्ञा दी है, न धर्मकारोंने भी वैसा वचन कहा है । तो फिर (पूर्वोक्त विधानके मूलमें क्या है) ?

इस सिद्धान्तके मूलमें लौकिक दृष्टान्त है (ऐसा दीप्त पढ़ता है) ।—

वर्णको अर्थात् ‘कुण्ड’, ‘वन’ के अन्त्य अकारके स्थानमें और ‘पयम्’, ‘यशम्’ के अन्त्य सकारके स्थानमें हो जाता । परन्तु इस प्रकृत परिभाषासे ‘पष्ठी स्थाने०’ परिभाषाका बाध किया जानेमें वह ‘नुम्’ किसी भी वर्णके स्थानमें न होके अन्त्य अकारके आगे आगम-स्वरूपसे होता है । अब उसको ‘आदेश’ नहीं कहा जा सकता ।

२. ‘रथादिभ्यश्च भ्रम्’ (३।१।७८) से कहा हुआ ‘भ्रम्’ प्रत्यय ‘परध’ (३।१।२) से ‘रध्’ के आगे हो जाता । परन्तु इस प्रकृत परिभाषासे ‘परध’ का बाध किया जानेमें ‘भ्रम्’ प्रत्यय ‘रध्’ के आगे न होके अन्त्य ‘अच्’ के आगे अर्थात् ‘रध्’ धातुके उच्चारके आगे प्रत्यय होकर ही आगमस्वरूपसे होता है ।

दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं क्रीण्डिन्यायेति सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति । एवमिहापि सत्यपि संभवे ऽधामन्त्यात्परत्वं पट्टीस्थानेयोगत्वं बाधिष्यते ॥

अन्त्यात्पूर्वो मस्जेरनुपङ्गसंयोगादिलोपार्थम् ॥ २ ॥

अन्त्यात्पूर्वो मस्जेर्मिद्वक्तव्यः । किं प्रयोजनम् । अनुपङ्गसंयोगादिलोपार्थम् । अनुपङ्गलोपार्थं संयोगादिलोपार्थं च । अनुपङ्गलोपार्थं तावत् । ममः

लोगोंमें (उत्सर्ग और अपवाद इन दोनोंका एक स्थानपर) संभव हो तो भी (वहाँ अपवादसे उत्सर्गका) बाध किया हुआ दिखाई देता है । जैसे, ' ब्राह्मणोंको दही दिया जाय और क्रीण्डिन्यको छाउ दिया जाय ' ऐसा कहनेपर वहाँ यद्यपि (क्रीण्डिन्यको दही और छाउ ये) दोनों (पदार्थ दिये जाने) का संभव है तो भी वहाँ उसको केवल छाउ ही दिया जाता है, दही नहीं दिया जाता । अतः (वहाँ जैसे तक्रदानसे दधिदानका बाध होता है, वैसे ' पयांसि', ' यशांसि ' इन दोनों उदाहरणोंमें भी (' अन्त्यवर्णके स्थानपर नुम् करना ' और ' अन्त्य अच्के आगे करना ' इन) दो बातोंका संभव है तो भी ' अन्त्य अच्के आगे मित् किया जाय ' (यह कहनेशाले) इस प्रकृत सूत्रसे ' अन्त्यवर्णके स्थानपर आदेश किया जाय ' ऐसा कहनेशाले (' पट्टी स्थाने० ' सूत्र-) का बाध होगा ।

(वा. २) मस्जू धातुको कहा हुआ मित् (अर्थात् नुम्) अनुपङ्गलोप और संयोगादिलोप होनेके लिए अन्त्यवर्णके पूर्व कहा जाय ।

मस्जू धातुको जो मित् (अर्थात् नुम् आगम ' मस्जिनशोर्झलि ' — ७।१।६० सूत्रसे कहा है) वह (अन्त्य अच्के आगे न होके) अन्त्यवर्णके पूर्व होता है ऐसा कहा जाय ।

इसका क्या उपयोग है ?

अनुपङ्गसंयोगादिलोपार्थम् । अर्थात् अनुपङ्गलोप (६।४।२४) होनेके लिए और संयोगादिलोप (८।२।२९) होनेके लिए । उपधाका जो नकार होता है उसको अनुपङ्ग कहते हैं । उसके लोपके उदाहरण हैं, ' ममः', ' ममवात् ' । संयोगादिलोपके उदाहरण

मग्रवान् । संयोगादिलोपार्थम् । मङ्का मङ्कुम् मङ्कव्यम् ॥

भर्जिमर्च्योश्च ॥ ३ ॥

भर्जिमर्च्योश्चान्त्यात्पूर्वो मिद्वक्तव्यः । भरूजा मरीचय इति ॥ स तर्हि वक्तव्यः । न वक्तव्यः । निपातनात्सिद्धम् । किं निपातनम् । भरूजाशब्दो ऽङ्गुल्यादिषु पठ्यते मरीचिशब्दो बाह्यादिषु ॥

हैं, 'मङ्कैता', 'मङ्ककुम्', 'मङ्कव्यम्' ।

(वा. ३) भर्जि, मर्चिको भी जो मित् आगम होता है वह अन्त्य वर्णके पूर्व होता है ।

भर्जि, मर्चिको भी जो मित् आगम होता है वह अन्त्य वर्णके पूर्व होता है ऐसा कहा जाय; जैसे, 'भरूजाः', 'मरीचयः' ।

तो फिर वैसा कहना ही चाहिये न ?

वह न कहा जाय । निपातनसे ही वह सिद्ध होगा । (निपातन अर्थात् प्रत्ययशब्दका उच्चारण ।)

वह निपातन कौनसा ?

'अङ्गुलि-आदि गणमें (५।३।१०८) पाणिनिने 'भरूजा' शब्दका उच्चारण किया है । तथा बाहु-आदि गणमें (४।१।९६) 'मरीचि' शब्दका उच्चारण किया है ।

४. 'मस्' धातुके आगे 'ण्वृत्तौ' (३।१।१३३) से 'त्' प्रत्यय करनेके बाद 'नुम्' आगम अकारके आगे हुआ तो 'नुज्' ऐसा संयोग होता है । तब संयोगका आदि सकार न होनेके कारण 'स्कोः संयो०' (८।२।२९) से सकारका लोप न होगा । अब प्रकृत वार्तिकसे जकारके पूर्व नुम् किया तो 'सुन्ज्' ऐसा संयोग होता है और संयोगका आदि सकार होनेके कारण उसका लोप होता है । 'तीन वा अधिक व्यंजन समीप हो तो उनमेंसे दो व्यंजनोंको संयोगमंशा होती है' इस मतके अनुसार यह उपयोग बताया है । 'समुदाये संयोगादिलोपो मस्जे' (१।१।७ वार्तिक २) देखिये ।

५. 'मर्' धातुके आगे 'अच्' प्रत्यय करनेके बाद धातुको जो 'ऊम्' आगम होता है वह अकारके आगे न होकर अन्त्य वर्णके अर्थात् जकारके पूर्व होता है और उससे 'भरूज्' शब्द बनता है । आगे खीलिमी 'टाप्' प्रत्यय होकर 'भरूजा' रूप होता है । तथा दशम गणकी 'मर्' धातुके आगे णिच् प्रत्यय करके उसके आगे 'अच इ' (उणा० ४।१।४१) से 'इ' प्रत्यय हुआ है । यहाँ धातुको जो 'इम्' आगम होता है वह अन्त्य वर्णके अर्थात् चकारके पूर्व होता है और उससे 'मरीचि' शब्द सिद्ध होता है ।

६. और 'मृकण्म्यामीचिः' (उणा० ४।१।९) से 'मृ' धातुके आगे 'इचि' प्रत्यय करके भी 'मरीचि' शब्द सिद्ध होता है ।

किं पुनरयं पूर्वान्त आहोस्वित्तरादिराहोस्विदभक्तः । कथं चायं पूर्वान्तः
यात्कथं वा परादिः कथं वामक्तः । यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः । अथा-
देरिति वर्तते ततः परादिः । अथोभयं निवृत्तं ततो ऽभक्तः । कश्चात्र विरोधः ।

अभक्ते दीर्घनलोपस्वरणत्वानुस्वारशीभावाः ॥ ४ ॥

यद्यमको दीर्घत्वं न प्राप्नोति । कुण्डानि वनानि । नोपधायाः
[६-४-७] सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ [८] इति दीर्घत्वं न प्राप्नोति । दीर्घ ॥
लोप । नलोपश्च न भिष्यति । अग्ने त्री ते वाजिना त्री पधस्था । ता ता
पिण्डानाम् । नलोपः प्रातिपादिकान्तस्य [८-२-७] इति नलोपो न प्राप्नोति ।

फिर, क्या यह 'मित्' पूर्वका अन्त्यावयव होता है, अथवा परका आधावयव
होता है, अथवा दोनोंका भी अवयव न होकर बीचमें अलग ही रहता है ?

(यह प्रश्न यहाँ कैसे निर्माण होता है ?) 'पूर्वका अन्त्यावयव' कैसे होगा ?
'परका आधावयव' कैसे होगा ? तथा 'बीचमें अलग रहता है' यह भी कैसे
ब्रह्म जाय ?

यदि इस प्रकृत सूत्रसे 'अन्त' शब्दकी अनुवृत्ति हुई तो '(मित्) पूर्वका
अन्त्यावयव होता है' (ऐसा कहा जायगा) । तथा 'आदि' शब्दकी अनुवृत्ति की
गयी तो 'परका आधावयव होता है' (ऐसा कहा जायगा) । और दोनों शब्दोंकी
अनुवृत्ति न की गयी तो 'बीचमें अलग रहता है' (ऐसा कहा जायगा) ।

फिर इन तीन पक्षोंमें भेद क्या है ?

(वा. ४) यदि ('मित्' अर्थात् नुम् आगम) अलग रहा तो दीर्घ
नलोप, स्वर, णत्व, अनुस्वार और शिमाव नहीं प्राप्त होंगे ।

यदि ('मित्' द्विसीका भी अवयव न होकर) अलग ही रहा तो दीर्घ नहीं
होगा । 'कुण्डानि', 'वनानि' उदाहरणोंमें "नोपधायाः"—[६।४।७]—(सूत्रके
आगेके) "सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ" (६।४।८) सूत्रसे (उपधाको कहा हुआ)
दीर्घ नहीं प्राप्त होगा । तथा नकारका लोप नहीं होगा । 'अग्ने
त्री ते वाजिना त्री पधस्था', 'ता ता पिण्डानाम्' वाक्योंमें ('त्री' और
'ता ता' रूपोंमें) "नलोपः प्रातिपादिकान्तस्य" (८।२।७) सूत्रसे जो नकारको
लोप होता है वह प्राप्त नहीं होगा । तथा स्वर भी सिद्ध नहीं होगा । 'सर्वाणि ज्योतीषि'

७. 'कुण्ड' शब्दके आगे जो 'अम्' प्रत्यय है उसके 'शि' आदेश (७।१।२०)
करनेके बाद 'ननुगच्छन् सत्तर' (७।१।७२) ने जो नुम् हुआ है वह यदि इस
शंका अवयव न होकर केवल आगे हुआ तो शंका नकारान्त न होनेमें दीर्घ न होगा ।

८. त्रि और तद् शब्दोंके ननुगच्छन्निमे प्रथमा बहुवचन जो 'त्रिणि' और 'तानि'
होते हैं उनके 'इ' प्रत्ययका 'सुता सुउर' (७।१।१९) से चरमे टार होके उनके
पिछे नुमागम्का नकार प्रातिपादिकका अन्त्यावयव है इत्यत्र उगका स्वर होता है ।

नलोप ॥ स्वर । स्वरश्च न सिध्यति । सर्वाणि ज्योतीषि । सर्वस्य हृत् [६.१.१९१] इत्याद्युदात्तत्वं न प्राप्नोति । स्वर ॥ णत्व । णत्वं च न सिध्यति । मापवापाणि व्रीहिवापाणि । पूर्वान्ते प्रातिपदिकान्तनकारस्येति सिद्धम् । परस्य विभक्तिनकारस्येति । अभक्ते नुमो ग्रहणं कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । क्रियते न्यास एव । प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषु च [८.४.११] इति । णत्व ॥ अनुस्वार । अनुस्वारश्च न सिध्यति । द्विपंतपः परंतपः । मो ऽनुस्वारो हलीत्यनुस्वारे न प्राप्नोति । मा भूदेवम् । नश्चापदान्तस्य झलि [८.३.२४] इत्येवं भविष्यति । यस्तर्हि न झलपरः । वहंलिहो गौः । अत्रंलिहो वायुः । अनुस्वार ॥ शीभाद् ।

वाच्यमें 'सर्वाणि' रूपमें "सर्वस्य सुपि" (६।१।१९१) सूत्रसे जो आदि उदात्त होता है वह नहीं होगा । तथा 'मापवापाणि', 'व्रीहिवापाणि' उदाहरणोंमें णत्व सिद्ध नहीं होगा । यहाँ ("नपुंसकस्य झलचः" — ७।१।७२ — सूत्रसे कहा हुआ) नुम् यदि पूर्वका अन्त्यावयव माना गया तो ('प्रातिपदिकान्त०' — ८।४।११ — सूत्रसे) प्रातिपदिकका अन्त्यावयव समझकर उस नुम्के नकारको णत्व होगा । यदि वह नुम् 'पर-'का आद्यावयव माना गया तो 'वह नकार विभक्तिप्रत्ययोंमेंसे है' ऐसा समझकर उसी सूत्रसे णत्व होगा । और वह नुम् 'किसीका भी अवयव नहीं' ऐसा माना गया तो (उस णत्व कहनेवाले सूत्रमें नुम्के नकारको णत्व होनेके लिए) 'नुम्' यह अलग शब्द रखना चाहिये । पर वह नया शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाणिनिने 'प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषु च' (८।४।११) सूत्रमें यह नुम् शब्द रखा ही है ।

तथा (यदि मित् किसीका भी अवयव न माना गया तो) अनुस्वार भी सिद्ध नहीं होगा । "मोनुस्वारः" (८।३।२३) सूत्रसे जो हल् (व्यञ्जन) आगे होनेपर (पदके अन्तमें होनेवाले मकारको) अनुस्वार कहा है वह 'द्विपंतपः', 'परंतपः' उदाहरणोंमें नहीं होंगे । परन्तु उस सूत्रसे अनुस्वार न हुआ तो भी कुछ आपत्ति नहीं । "नश्चापदान्तस्य झलि" (८।३।२४) सूत्रसे वहाँ अनुस्वार होगा । तो फिर जहाँ झल आगे न हो वहाँ क्या व्यवस्था की जाय ? जैसे, 'वहंलिहो गौः', अत्रंलिहो

९. कारण यह कि 'सर्व' शब्दके आगे 'सुप्' प्रत्यय नहीं है । बीचमें नकारसे व्यवधान होता है ।

१०. तात्पर्य, 'मित् किसीका अवयव नहीं है' इस पक्षपर 'णत्व न होगा' यह दोष नहीं आता ।

११. क्योंकि 'अर्द्धिप०' (७।३।६७) से 'द्विपन्' और 'पर' शब्दोंके जो 'नुम्' भागम हुआ वह पूर्वका अवयव न होनेके कारण उस नुमागमका मकार 'पदके अन्तमें है' ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

मेवावश्च न सिध्यति । त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी । नपुंसकादुत्तरस्यौडः शीभावो वतीति शीभावो न प्राप्नोति ॥ एवं तर्हि परादिः करिष्यते ।

परादौ गुणवृद्ध्यात्त्वदीर्घनलोपानुस्वारशीभावेनकारप्रतिषेधः ॥ ५ ॥

यदि परादिगुणः प्रतिषेध्यः । त्रपुणे जतुने तुम्बुरुणे । घेडिति ७-३-१११] इति गुणः प्राप्नोति । गुण ॥ वृद्धि । वृद्धिः प्रतिषेध्या । अति-
सखीनि ब्राह्मणकुलानि । सख्युरसंबुद्धौ [७-१-९२] इति णिच्चे ऽचो ङिति
७-२-११५] इति वृद्धिः प्राप्नोति । वृद्धि ॥ । औच्च । औच्चं च प्रतिषेध्यम् ।

युः' । (तत्र मित् यदि किसीका भी अवयव न माना गया तो ' अनुस्वार नहीं होगा ' यह दोष कायम ही रहेगा ।

तथा ' शी ' आदेश सिद्ध नहीं होगा । (" नपुंसकाच्च " — ७।१।१९ — [नसे] नपुंसकलिङ्ग शब्दके आगे प्रथमा और द्वितीया के द्विवचनप्रत्ययको जो ' शी ' आदेश कहा है वह त्रपुणी, जतुनी, तुम्बुरुणी उदाहरणोंमें नहीं होगा ।

ये दोष आते हैं तो ' मित् ' परका आयावयव किया जायगा ।

(वा. ५) यदि ' परका आयावयव किया गया तो गुण, वृद्धि और औत्त्वका प्रतिषेध करना चाहिये; तथा दीर्घ, नलोप और अनुस्वार सिद्ध न होंगे, और ' शी ' आदेश करनेके समय ' न ' कारका प्रतिषेध करना चाहिये ।)

यदि (' मित् ') ' पर ' का आयावयव किया गया तो ' त्रपुणे ' ' जतुने ' ' तुम्बुरुणे ' उदाहरणोंमें ' घेडिति ' (७।१।११) — से जो गुण प्राप्त होता है उसका निषेध करना चाहिये ।

तथा ' अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि ' यहाँ (' अतिसखि ' शब्दके आगे आने-वाला ' शी ' प्रत्यय) ' सख्युरसंबुद्धौ ' (७।१।९२) सूत्रसे णित् समझा जानेके कारण ' अचो ङिति ' (७।२।११५) सूत्रसे जो वृद्धि प्राप्त होती है उसका निषेध करना चाहिये ।

१२. ' त्रपु ' शब्दके आगे ' औ ' प्रत्यय करनेके बाद ' नपुंसकाच्च ' (७।१।१९) में तम ' औ ' प्रत्ययको ' शी ' आदेश प्राप्त हुआ । परन्तु ' इदोचि० ' (७।१।७३) से जो ' नुम् ' आदेश प्राप्त हुआ वह ' शी ' आदेशकी अपेक्षा पर और नित्य होनेके कारण ' शी ' आदेशके पहले होगा । बादमें उस नुमागमके नकारसे व्यवधान प्राप्त होनेके कारण ' शी ' आदेश न होगा ।

१३. ' त्रपु ' आदि शब्दोंके आगे चतुर्थाका एकवचन ' टे ' प्रत्यय करनेके बाद ' इदोचि० ' (७।१।९३) में जो नुम् आगम हुआ वह ' त्रपु ' का अवयव न होनेके कारण उपरान्त ' त्रपु- ' को ' पि ' संज्ञा (१।४।७) कायम है । और वह ' नुम् ' आगम अगले प्रत्यय-का अवयव होनेके कारण बीचमें व्यवधान नहीं होता और तमसे गुण प्राप्त होता है ।

ऋषुणि जतुनि तुम्बुरुणि । इदुद्भ्यामौदच्च धे [७ ३ ११७-११९] इत्यान्
 प्राप्नोति । औच्च ॥ दीर्घ । दीर्घत्व च न सिध्यति । कुण्डानि वनानि ।
 नोपधाया सर्वनामस्थान इति दीर्घत्व न प्राप्नोति । मा भूदेवम् । अतो दीर्घो
 यत्रि सुपि च [७ ३ १०१-१०२] इत्येव भविष्यति । इह तर्हि ।
 अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि ब्राह्मणकुलानि । दीर्घ ॥ नलोप । नलोपश्च न
 सिध्यति । अग्ने त्री ते वाजिना त्री पधस्था । ता ता पिण्डानाम् । नलोप
 प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपो न प्राप्नोति । नलोप ॥ अनुस्वार । अनुस्वारश्च न
 सिध्यति द्विपतप परतप । मोऽनुस्वारो हलीत्यनुस्वारो न प्राप्नोति । मा भूदेवम् ।
 नश्चापदान्तस्य श्लीत्येव भविष्यति । यस्तर्हि न शल्पर । वहलिहो गो ।
 अभ्रलिहो वायु । अनुस्वार ॥ शीभावेनकारप्रतिषेध । शीभावे नकार

तथा ऋषुणि, जतुनि, तुम्बुरुणि उदाहरणोंमें 'इदुद्भ्याम्,' 'औच्च,' 'अच्च धे'
 (७।३।११७-११९) इनमेंसे 'अच्च धे' (७।३।११९) इस विभक्तिसूत्रसे (सतमी
 प्रत्ययको जो) औकार आदेश प्राप्त होता है उसका निषेध करना चाहिये।

तथा ('मित्' यदि 'पर'का आद्यावयव माना गया तो) दीर्घ नहीं होगा।
 'कुण्डानि,' 'वनानि' उदाहरणोंमें 'नोपधाया -' (६।४।७)के आगे आनेवाले
 'सर्वनामस्थाने चासबुद्धौ' (६।४।८) सूत्रसे (उपधाको कहा हुआ) दीर्घ नहीं होता।
 उस सूत्रसे दीर्घ नहीं हुआ तो भी कुछ बाधा नहीं। 'अतो दीर्घो यत्रि' (७।३।१०१)
 के आगे आनेवाले 'सुपि च' (७।३।१०२) सूत्रसे वहाँ दीर्घ किया जायगा। तो
 फिर अस्थीनि, दधीनि, प्रियसखीनि ब्राह्मणकुलानि (उदाहरणोंमें 'सर्वनामस्थाने चास
 बुद्धौ'—६।४।८—सूत्रसे जो दीर्घ होना है वह नहीं होता यह दोष आता ही है।
 और 'सुपि च' सूत्रसे तो केवल अकारको ही दीर्घ कहा है।)

तथा नलोप भी नहीं होगा। 'अग्ने त्री ते वाजिना त्री पधस्था,' 'ता ता
 पिण्डानाम्' (इन वचनोंके 'त्री' और 'ता' रूपोंमें) 'नलोप प्रातिपदिकान्तस्य'
 (८।२।७) सूत्रसे नकारका जो लोप होता है वह नहीं होगा।

तथा अनुस्वार भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात् 'द्विपतप,' 'परतप' उदाहरणोंमें
 'मोनुस्वार' (८।३।२३) सूत्रसे हल् आगे होनेपर जा अनुस्वार होता है वह नहीं
 होगा। परन्तु उस सूत्रसे अनुस्वार न हुआ तो कुछ आपत्ति नहीं। 'नश्चापदान्तस्य
 शलि' (८।३।२४) सूत्रसे वहाँ अनुस्वार होगा। तो फिर जहाँ हल् आगे नहीं वहाँ
 क्या प्रत्यय किया जाय? उदा० 'वहलिहो गो,' 'अभ्रलिहो वायु'।

१४ क्योंकि 'गुप्' आगम परका आद्यावयव होता है यह पक्ष लिया गया है
 इति यनादि 'गुप्' प्रत्यय होता है।

प्रतिषेधो वक्तव्यः । त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी । सनुम्कस्य शीभावः प्राप्नोति ।
नैष दोषः । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्येवं न भविष्यति । यस्तर्हि निर्दिश्यते
तस्य न प्राप्नोति । कस्मात् । नुमा व्यवहितत्वात् । एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते ।

पूर्वान्ते नपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वं द्विगुस्वरश्च ॥ ६ ॥

यदि पूर्वान्तः क्रियते नपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वं द्विगुस्वरश्च न सिध्यति ।
नपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वम् । आराशस्त्रिणी धानाशक्कुलिनी । निष्कोशाम्बिनी

तथा 'शी आदेश करनेके समय उस शी आदेशके स्थानीमें नकार न लिया
जाय' ऐसा निषेध कहना चाहिये । (अन्यथा) 'त्रपुणी', 'जतुनी', 'तुम्बुरुणी'
उदाहरणोंमें ('नुम्' यह अगले औप्रत्ययका आधावयव होनेके कारण उस) नुमागमके
सहित (औप्रत्यय) को ('नपुंसकाच्च' — ७।१।१९ — सूत्रसे) 'शी' आदेश
होने लगेगा । यह दोष नहीं आता है । क्योंकि 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति'
(प. शे. परि० १२) अर्थात् 'सूत्रमें जो प्रत्यय उच्चारित हो उसीको आदेश होते हैं ।'
इस परिभाषासे (नुमागमसहित औप्रत्ययको 'शी' आदेश) नहीं होगा । तो फिर (उस
परिभाषासे नकार अलग रखा गया तो उसके आगे) जो ओ उच्चारित है उसको भी
'शी' आदेश नहीं किया जायगा । क्यों ? (बीचमें) उसी नकारसे व्यवधान आनेसे
(वह 'ओ' प्रत्यय नपुंसकलिङ्गयुक्त अंगके आगे नहीं आता) ।

तो फिर (यदि ये दोष आते हैं तो 'मित्') पूर्वका अन्त्यावयव किया जायगा ।
(घा. ६) यदि 'मित्' पूर्वका अन्त्यावयव किया गया तो नपुंसक-
ह्रस्वत्व, उपसर्जनह्रस्वत्व और द्विगुस्वर (ये सिद्ध नहीं होंगे) ।

'मित्' यदि पूर्वका अन्त्यावयव किया गया तो नपुंसकलिङ्गी शब्दको कहा
हुआ ह्रस्व (१।२।४७), उपसर्जनशब्दको कहा हुआ ह्रस्व (१।२।४८) और
द्विगुस्वर (६।२।२९) ये सिद्ध नहीं होंगे । नपुंसकलिङ्गी शब्द के उदाहरण हैं —
आराशस्त्रिणी, धानाशक्कुलिनी । उपसर्जनके उदाहरण हैं — निष्कोशाम्बिनी, निर्वाण-

१५. 'आराशस्त्री', 'धानाशक्कुली' समाहारद्वंद्व है । वेने समाहार दो बार दिखाना
है इसलिए समाहारद्वंद्वको यहाँ द्विवचन किया है । यहाँ अन्त्य ईकारको 'ह्रस्वो नपुंसके०'
(१।२।४७) से ह्रस्व प्राप्त हुआ है । 'निष्कोशाम्बिनी', 'निर्वाणायी' ये 'निरादम-
कान्तायै पयन्या' (२।१।१८ शौभाग्यकारिक) से पथनी तत्पुरुष होके सान्नासिद्ध शब्द हुए
हैं । यहाँ अन्त्य ईकारको 'ह्रस्वो नपुंसके०' (१।२।४७) और 'गोत्रियो०' (१।२।४८) इन
दोनों 'सूत्रोंसे ह्रस्व प्राप्त हुआ है । परन्तु उस ह्रस्वके पहले निष्पत्यके कारण 'नुम्'
आगम होगा । तथा 'प्यारलि', 'दशरलि' सामानिद्ध शब्द 'तद्विनाशोत्तरपदमाहारे
च' (२।१।१९) और 'सहस्यार्वो द्विगुः' (२।१।६२) सूत्रोंसे द्विगुगमग होके स्ते हैं ।
यहाँ 'इगन्तहाल०' (१।२।२९) सूत्रसे इगन्त 'अरलि' पर आगे है इसलिए पूर्व

निर्वाराणसिनी । द्विगुस्वर । पञ्चारत्निनी दशारत्निनी । नुमि कृतेऽनन्त्यत्वादेते विधयो न प्राप्नुवन्ति ॥

न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात् ॥ ७ ॥

न वैष दोष । कि कारणम् । बहिरङ्गलक्षणत्वात् । बहिरङ्गो नुमन्तरङ्गा एते विधय । असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ द्विगुस्वरे भूयान्परिहारः । सघातमक्तोऽसौ नोत्सहतेऽवयवस्येगन्तता विहन्तुमिति कृत्वा द्विगुस्वरो भविष्यति ॥

सिनी । द्विगुस्वरके उदाहरण ह — पञ्चारत्निनी, दशारत्निनी । (इन उदाहरणोंमें 'इकोचि विभक्तौ' — ७।१।७३ — सूत्रसे) नुम् आगम करनेके बाद (वह नुम् पूर्वका अन्त्यावयव होनेसे) पूर्वशब्द स्वगन्त न होनेके कारण (ह्रस्व और स्वर^{१६}) ये कार्य नहीं होंगे ।

(वा ७) अथवा यह दोष नहीं आता है, क्योंकि 'नुम्' बहिरङ्ग है । अथवा यह दोष नहीं आता है ।

क्यों ?

'बहिरङ्गलक्षणत्वात्' अर्थात् 'नुम्' बहिरङ्ग है और (ह्रस्व और स्वर) ये कार्य अन्तरङ्ग है । तथा 'असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे' (प शे परि० ५०) अर्थात् अन्तरङ्गशास्त्र करते समय बहिरङ्गशास्त्र असिद्ध समझा जाय' यह तो परिभाषा ही है । (तब उस परिभाषासे उन दोषोंका परिहार होगा ।) द्विगुस्वरके सवधमें तो इससे अधिक अच्छा भिन्न ही दोषपरिहार है । (वह यों कि,) जो आगम समुदायका अवयव होता है वह (सहजतासे उस समुदायमेंके किसी अवयवके आगे आया तो केवल इसी कारण) उस अवयवके स्वरूपमें अर्थात् इगन्तस्वरूपमें बदल नहीं कर सकता । अतः ('पञ्चारत्नि' सामासिक शब्दका जो 'अरत्नि' अवयव है वह उत्तरपद है । उसके इगन्तत्वका नुमागमसे विघात न होनेके कारण) वहाँ द्विगुस्वर होगा ।

'पद्यन्' को प्रकृतिस्वर अर्थात् आदि उदात्त प्राप्त हुआ है । परन्तु उस स्वरके पूर्व नित्यत्वके कारण 'नुम्' आगम होगा ।

१६ 'नुम्' आगम पूर्वका अन्त्यावयव होनेके कारण 'अरत्निन्' यह उत्तरपद समाना जायगा । और वह इगन्त न होनेसे स्वर न होगा ।

१७ 'नुम्' आगमको अगले 'सुप्' प्रत्ययकी आवश्यकता होनेसे वह बहिरङ्ग होता है । और ह्रस्व और स्वरको अगले 'सुप्' प्रत्ययकी आवश्यकता न होनेसे अतरङ्ग होते हैं । तब उस अन्तरङ्गकी दृष्टिसे बहिरङ्ग 'नुम्' आगम असिद्ध होनेसे उसके, पहलेही ह्रस्व और स्वर होंगे । इस तरह वहाँ कुछ भी दोष आता नहीं ।

१८ 'पञ्चारत्नि' इस सपूर्ण शब्द का 'नुम्' अवयव होनेके कारण उस सपूर्ण सामासिक शब्द का पञ्चारत्निन्का इगन्तत्व जायगा । पर उत्तरपद केवल 'अरत्नि' ही होनेसे उसका इगन्तत्व कायम ही है ।

एच इग्धस्वादेशे ॥ १ । १ । ४८ ॥

किमर्थमिदमुच्यते ।

एच इवसवर्णाकारनिवृत्त्यर्थम् ॥ १ ॥

एच इग्धवतीत्युच्यते सवर्णनिवृत्त्यर्थमकारनिवृत्त्यर्थं च । सवर्णनिवृत्त्यर्थं तावत् । एङो ह्रस्वशासनेष्वर्ध एकारो ऽर्ध ओकारो वा मा भूदिति ॥ आकारनिवृत्त्यर्थं च । इमावैचौ समाहारवर्णौ । मात्रावर्णस्य मात्रेवर्णोवर्णगोः । तयोर्ह्रस्वशासनेषु कदाचिद्वर्णः स्यात्कदाचिद्वर्णोवर्णौ । मा कदाचिद्वर्णं भूदित्येवमर्थमिदमुच्यते ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति । दीर्घप्रसङ्गः । दीर्घा-

(सू. ४८) एच् (अर्थात् संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ इन चार (वर्णों -) को जहाँ कहीं ह्रस्वत्व प्राप्त होगा वहाँ ह्रस्व इक् (अर्थात् इ, उ, ऋ, ए, इनमेंसे ही जो कोई समुचित हो वह) किया जाय। (सिवा इनके अन्य कदापि न किया जाय।)

यह सूत्र किस लिए किया है ?

(वा. १) एचको इक् होता है वह सवर्णकी निवृत्तिके लिए और अकारकी निवृत्तिके लिए ।

एचको इक् होता है ऐसा जो यहाँ कहा है वह सवर्णकी निवृत्तिके लिए और अवर्णकी निवृत्तिके लिए कहा है । वहाँ सवर्णकी निवृत्तिका उपयोग यों है—एचको जहाँ ह्रस्व कहा हो वहाँ (उस एकार और ओकारके स्थानपर उनका स्थान) उर्ध्व एकार (अर्थात् एकमात्रायुक्त ह्रस्व एकार) और उर्ध्व ओकार (अर्थात् एकमात्रायुक्त ह्रस्व ओकार) ये आदेश न हों । अकारकी निवृत्तिका यों उच्यते है—ए ओ औ ये दो वर्ण वर्णसमुदायरूप हैं । ('ऐ' वर्णके उच्चारणमें 'अ उ' इन दो वर्णोंका आभास होता है, तथा 'औ' वर्णके उच्चारणमें 'ओ उ' इन दो वर्णोंका आभास होता है । ऐ और औ इनमें प्रत्येककी दो मात्राएँ हैं।) उच्यते ए उ उच्यते 'आ' मात्राकी है और दूसरी मात्रा 'ई' वा 'इ' उ उच्यते 'ओ' मात्राकी है । उच्यते (ऐ और औको) जहाँ ह्रस्व कर्तव्य हो वहाँ इक् इक् 'अ' उ उ उच्यते 'ओ', कदाचित् 'इ' वर्ण और 'उ' वर्ण भी आदेश हों । उच्यते इग्धस्वादेशे एचो हे वह न होना चाहिये । इसलिए यह सूत्र द्रिष्टं है ।

इस सूत्रका यह उपयोग है सही, या—

पर क्या ? आपका इस विषयमें और क्या कहना है ?

(कहना यही है कि इस सूत्रमें 'इ उ उच्यते इक् इक्' उच्यते 'ओ' मात्राकी है (जानेसे) वे इक् आदेश होते समय ही उच्यते इक् इक् ; क्यों ?

स्त्विकः प्राप्नुवन्ति । किं कारणम् । स्थानेऽन्तरतमो भवतीति । ननु च ह्रस्वादेश इत्युच्यते तेन दीर्घा न भविष्यन्ति । विषयार्थमेतत्स्यात् । एचो ह्रस्वप्रसङ्ग इभवतीति ।

दीर्घाप्रसङ्गस्तु निवर्तकत्वात् ॥ २ ॥

दीर्घाणां त्विकामप्रसङ्गः । किं कारणम् । निवर्तकत्वात् । नानेनेको निवर्त्यन्ते । किं तर्हि । अनिको निवर्त्यन्ते । सिद्धा ह्यत्र ह्रस्वा इकश्चानिकश्च तत्रानेनानिको निवर्त्यन्ते ॥

सवर्णनिवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः ।

('स्थानेऽन्तरतमः' — १।१।५० — परिभाषासूत्र है । इस सूत्रसे) द्विमात्र एचोंके स्थानमें होनेवाले इक् 'अन्तरतम' अर्थात् दीर्घ 'ई'-कार और दीर्घ 'ऊ'-कार होंगे ।

पर इस सूत्रमें 'ह्रस्व कर्तव्य होनेपर' ऐसा कहा है न ? तब दीर्घ इक् नहीं होंगे ।

वह जो कहा है सो केवल स्थाननिर्देश है, अर्थात् एचोंको ह्रस्व कर्तव्य होनेपर वहाँ उनको इक् आदेश किये जायें । (इससे जहाँ ह्रस्व कर्तव्य न हो वहाँ यह सूत्र प्रवृत्त न होगा । पर जहाँ ह्रस्व कर्तव्य होनेसे यह सूत्र प्रवृत्त होगा वहाँ दीर्घ आदेश क्यों न किये जायें यह समझमें नहीं आता ।)

(वा. २) दीर्घ इक् आदेश नहीं होंगे, क्योंकि यह परिभाषासूत्र केवल निवर्तक ही है ।

दीर्घ इक् आदेश नहीं होंगे ।

क्यों ?

यह परिभाषासूत्र केवल निवर्तक ही है' इसलिए । अर्थात् इस सूत्रसे (जो इक् आदेश किये जायें ऐसा जो कहा है वे) इक् आदेश नये ही नहीं किये जाते । तो क्या किया जाता है ? इकरहित स्वर्णोंकी निवृत्ति की जाती है । ह्रस्व आदेश (इस सूत्रसे भिन्न ह्रस्व कहनेवाले उन उन सूत्रोंसे) किये ही जाते हैं । पर (उन्हीं ह्रस्व कहनेवाले सूत्रोंसे 'ह्रस्व होता है' यही केवल कहा जानेके कारण) वे ह्रस्व इक् और उनसे भिन्न अनिक् दोनों प्रकारके प्राप्त होते हैं । उनमें (उन सूत्रोंसे) इक्के व्यतिरिक्त जो दूसरे ह्रस्व आदेश आते हैं उनकी (इस प्रकृतसूत्रसे) केवल निवृत्ति होती है । (तात्पर्य यह है कि, इस सूत्रसे पहले बताये हुए दो प्रकारके उपयोग हैं ऐसा सिद्ध होता है ।)

अब सवर्णकी निवृत्तिके लिए तो यह सूत्र किया ही न जाय ।

१. अ. १ पा १ सू ४६ टि ५ देखिये ।

सिद्धमेळः सस्थानत्वात् ॥ ३ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । एङः सस्थानत्वादिकारोकारौ भविष्यतो ऽर्ध एकारो ऽर्ध ओकारो वा न भविष्यति । ननु चैङः सस्थानतरावर्धकारार्धकारौ । न तौ स्तः । यदि हि तौ स्यातां तावेवायमुपदिशेत् । ननु च भोश्चन्द्रोगानां सात्यमुघि-
राणायनीया अर्धमेकारमर्धमोकारं चाधीयते । सुजाते ए अश्वसूनृते । अध्वर्यो
ओ अद्रिभिः सुतम् । शुक्रं ते ए अन्यद्यजतं ते ए अन्यदिति । पार्षदकृतिरेषा
तत्रभवतां नैव लोके नान्यस्मिन्वेदे ऽर्ध एकारो ऽर्ध ओकारो वास्ति ॥ अकार-

(वा. ३) एङ् स्वर (इ और उ) स्वरका समानस्थान होनेके कारण इष्ट सिद्ध होता है ।

(' ए ' और ' ओ ' को ह्रस्व कर्तव्य होनेपर उनके सवर्ण ह्रस्व ए, ओ न होके इक् ही ह्रस्व होंगे) यह अपनेआप ही सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

एङ् (ए, ओ) और इकार, उकार ये स्थानोंसे समान होनेके कारण (एङ्को ह्रस्व कर्तव्य होनेपर) वे इकार, उकार ही होंगे, आधा एकार, आधा ओकार न होंगे ।

पर आधा एकार और आधा ओकार ये (इकार और उकारकी अपेक्षा) स्थानोंसे एङ्से अधिक समान है न ? फिर वे क्यों न होंगे ?

वैसे एकार और ओकार (भाषामें) ही नहीं । यदि वे होते तो महेश्वरने (' एओङ् ' सूत्रमें जिन दीर्घ एकारों और ओकारोंका उच्चारण किया है उनका उच्चारण न करके उनके बदले ह्रस्व अ इ उ के समान वैसे) एकमात्रायुक्त एकारों और ओकारोंका उच्चारण किया होता ।

परन्तु सात्यमुघि और राणायनीय शाखाओंके सामवेदी ' सुजाते ए अश्वसूनृते, ' अध्वर्यो ओ अद्रिभिः सुतम्, ' ' शुक्रं ते ए अन्यद्यजतं ते ए अन्यत् ' इन वैदिक वाक्योंमें (जो एकार और ओकार हैं उसके आगे दूसरे एकार और ओकार उच्चारते हैं, अर्थात् वे) अर्धमात्रायुक्त ह्रस्व एकार और ओकार उच्चारते हैं उसका निपटारा क्या है ?

वह उनकी सभाका निजी निर्णय है । (वह सर्वत्र लागू नहीं होता ।) लोगोंमें वा वेदमें अन्यत्र कहीं भी वैसा आधा एकार वा आधा ओकार नहीं दीखता । (तात्पर्य

२. ' ए ' के कंठ और ताल दो स्थान हैं तथा वे दोनों स्थान आधे ' ए- 'कारके हैं, और इकारका केवल तालस्थान है । उसी प्रकार ' ओ ' के कंठ और ओष्ठ दो स्थान हैं, तथा वे दोनों स्थान आधे ' ओ 'कारके हैं, और उकारका केवल एक ही ओष्ठस्थान है । तब एक स्थानसे जो समान रहता है उसकी अपेक्षा दो स्थानोंसे समान रहनेवाला अधिक समान है यह प्रसिद्ध ही है ।

निवृत्त्यर्थेनापि नार्थः ।

ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वात् ॥ ४ ॥

ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वादवर्णो न भविष्यति । भूयसी मात्रेवर्णोवर्णयोरस्वी-
यस्यवर्णस्य । भूयस एव ग्रहणानि भविष्यन्ति । तद्यथा । ब्राह्मणग्राम आनी-
यतामित्युच्यते तत्र चावरतः पञ्चकारुकी भवति ॥

पष्ठी स्थानेयोगा ॥ १ । १ । ४९ ॥

किमिदं स्थानेयोगेति । स्थाने योगो ऽस्याः सेयं स्थानेयोगा । सप्तम्य-

यह है कि, वैसे एकार और ओकार न होनेके लिए यह सूत्र न किया जाय ।)

तथा अकारकी निवृत्तिके लिए भी यह सूत्र न किया जाय ।

(वा. ४) ' ऐ ' ओर ' ओ ' में अगला भाग बड़ा है, इसलिए अवर्ण ह्रस्व नहीं होगा ।)

ऐ और ओ में अगला (जो इवर्ण-जैसा और उवर्णजैसा) भाग (है वह अवर्ण-
जैसे पूर्वभागकी अपेक्षा) बड़ा है, उससे (' उनको ह्रस्व किया जाय ' ऐसा कहनेपर
वह अगला भाग जैसे झट ध्यानमें आता है वैसे पूर्वभाग ध्यानमें नहीं आता; अतः
उन्को) अवर्ण ह्रस्व नहीं होगा । (ऐ और औमें) इ और उ इस अगले भागकी मात्रा
(पूर्वभागकी अपेक्षा) अधिक है, (अर्थात् डेढ़ मात्रा है) । और (पूर्वभाग जो) अ
(है उस) की मात्रा (उस उत्तरभागकी अपेक्षा) कम है (अर्थात् आधी है) । और
जिसमें जिसका बहुतसा भाग है उसीके नामसे वह गिना जाता है । जैसे, ' ब्राह्मणोंके
गावमें लाइये ' ऐसा कहा जाता है, पर (जिस गांवमें बहुतसे ब्राह्मण रहते हैं वह गांव
' ब्राह्मणोंका गांव, समझा जाता है । किन्तु उसमें सभी ब्राह्मण ही रहते हैं सो बात
नहीं । जहाँ गांव है) उस स्थानमें कमसे कम बर्द्ध लुहार इत्यादि पाच प्रकारके
कारीगर रहते ही हैं ।

(सू. ४९) (जहाँ पष्ठीप्रत्ययका अर्थ अमुक ही संबंध लिया जाय
ऐसा निश्चय न हो वहाँ) स्थानसे जो संबंध रहता है वह उस पष्ठीप्रत्ययका
अर्थ लिया जाय ।

' स्थानेयोगा ' यह क्या है ?

' स्थानमें है योग अर्थात् संबंध जिस पष्ठीका वह स्थानेयोगा ' (इस अर्थका
बहुव्रीहि समास करके यह सामासिक पद सूत्रमें उच्चारित है) । (समास यद्यपि है तो
भी पाणिनिने ' स्थानेयोगा ' ऐसा) पद ही है इसलिए (समासके) सप्तमीप्रत्ययका
लोप नहीं हुआ । अथवा ' स्थानके साथ है योग अर्थात् संबंध जिस (पष्ठी-) का वह

लोपो निपातनात् ॥ तृतीयाया वैत्वम् । स्थानेन योगो ऽस्याः सेयं स्थानेयोगा ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

पष्ठ्याः स्थानेयोगवचनं नियमार्थम् ॥ १ ॥

नियमार्थो ऽयमारम्भः । एकशतं पठ्यर्था यावन्तो वा ते सर्वे पठ्या-
मुच्चारितायां प्राप्नुवन्ति । इष्यते च व्याकरणे या पठ्ठी सा स्थानेयोगेव स्यादिति
तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति पठ्याः स्थानेयोगवचनं नियमार्थम् । एवमर्थ-
मिदमुच्यते ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति ।

अवयवपष्ठ्यादिप्रतिप्रसङ्गः शासो गोह उति ॥ २ ॥

अवयवपठ्यादयस्तु न सिध्यन्ति । तत्र को दोषः । शास इद्गुहलोः

स्थानेयोगा, (इस अर्थका बहुव्रीहि समास किया जाय) और (पाणिनिने स्थानेयोगा
ऐसा उच्चारण किया ही है इसलिए समासमेंके) तृतीया प्रत्ययको एकार आदेश हुआ
है (ऐसा समझा जाय) ।

पर यह सूत्र ही किसलिए किया जाय ?

(वा. १) पठ्ठीके अर्थके संबंधमें कुछ नियम करनेके लिए यह 'स्थाने-
योग'-सूत्र किया है ।

(पठ्ठीके अर्थके संबंधमें) नियम करनेके लिए यह सूत्र किया है । पठ्ठीके एक
से एक अर्थ हैं । तब पठ्ठी-प्रत्यय दीख पड़नेपर उतने अर्थ ध्यानमें आते हैं । (अथवा
उनमेंसे जितने अर्थ शब्दसे सुसंगत हैं उतने तो कमसे कम ध्यानमें आयोगे ही ।) और
हमको तो यह इष्ट है कि व्याकरणमें जो पठ्ठी दीखती है उसका केवल ध्यानसे जो
संबंध है वही अर्थ होना चाहिये । और यह बात तो विशेष प्रयत्नके बिना सिद्ध नहीं
होती है । इसलिए पठ्ठीके अर्थके संबंधमें कुछ नियम करनेके लिए यह 'स्थानेयोग-'
सूत्र किया है । सारांश उपर्युक्त प्रयोजनसे यह सूत्र किया है ।

यह उपयोग है सही ।

तो फिर आपका क्या कहना है ?

(वा. २) अवयव-पठ्यादिके विषयमें अतिव्याप्ति प्राप्त होगी; जैसे,
'शासः' 'गोहः' इत्यादि शब्दोंमें ।

(हमारा कहना इतना ही है कि यह नियम किया गया तो) जहा (पठ्ठीप्रत्ययके)
अवयव आदि अघोकी आवश्यकता हो वहाँ वे नहीं सिद्ध होंगे ।

बैसा हो तां क्या दोष है ?

"शास इद्गुहलोः" (६।४।३४) सूत्रमें ('शासः' शब्दमें पठ्ठीका 'अवयव'
अर्थ नहीं सिद्ध होगा । उपर्युक्त नियमके अनुसार वहाँ 'अवयवायाः' इस पठ्ठीके समान
'शासः' इस पठ्ठीका भी स्थानमें संबंध होगा । और उनसे कहा हुआ इकार आदेश)

[६०४-२४] इति शासेश्चान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च । ऊदुपधाया गोहः
 [६०४-८९] इति गोहेश्चान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च ॥

अवयवपठ्यादीनां चाप्राप्तिर्योगस्यासंदिग्धत्वात् ॥ ३ ॥

अवयवपठ्यादीनां च नियमस्याप्राप्तिः । किं कारणम् । योगस्यासंदिग्ध-
 त्वात् । संदेहे नियमो न चावयवपठ्यादिषु संदेहः । किं वक्तव्यमेतत् । न
 हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते । लौकिको ऽयं दृष्टान्तः । तद्यथा । लोके कंचि-
 त्कश्चित्पृच्छति ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भवानुपदिशत्विति । स तस्मा
 आचटे । अमुष्मिन्नवकाशे हस्तदक्षिणो ग्रहीतव्यो ऽमुष्मिन्नवकाशे हस्तवाम इति ।

शास्त्र धातुको अर्थात् उसके अन्त्यवर्णको और (अन्य किसी भी धातुकी) उपधाको
 करना पड़ेगा । वैसे ही “ ऊदुपधाया गोहः ” (६।४।८९) यहाँ भी (‘ उपधायाः ’
 इस पंथीकी भौति ‘ गोहः ’ शब्दमें पंथीका भी स्थानसे संबंध होगा । और उससे कहा
 हुआ ऊकार आदेश) गोहको अर्थात् उसके अन्त्यवर्णको और (अन्य किसी भी
 धातुकी) उपधाको करना पड़ेगा ।

(धा. ३) अवयवपंथी-आदि स्थानोंमें (विशिष्ट) सूत्रकी असं-
 दिग्धताके कारण प्रस्तुत नियमकी प्राप्ति नहीं होती ।

अवयव-आदि संबंध ये पंथीके अर्थ जहाँ हैं वहाँ (प्रकृत सूत्रसे किया हुआ)
 यह नियम लागू नहीं होता ।

क्यों ?

इस योगके विषयमें सन्देह नहीं इसलिए । नियम संशयके आगेकी सीढ़ी है,
 और यहाँ तो अवयवपंथी आदि स्थानोंमें (पंथीका अर्थ जो संबंध है उसके बारेमें)
 संदेह ही निर्माण नहीं होता ।

फिर क्या (‘ सन्देह हो तभी वहाँ नियम किया जाय) यह कहनेकी आव-
 श्यकता है ?

(वह हेतुपूर्वक कहनेकी आवश्यकता) नहीं ।

कहे बिना वह कैसे समझमें आ जायगा ?

लौकिक दृष्टान्तसे (वह ध्यानमें आ जायगा ।) जैसे, लोगोंमें (दूसरे किसी गांव
 जानेवाला) कोई व्यक्ति अन्य किसी (जानकार) से पूछता है कि मुझे अमुक गांव
 जाना है तो उस गांवका रास्ता बताइये । तब वह उससे कहता है कि,—यहाँसे सीधे
 रास्तेसे अमुक अन्तर काटनेपर (उदा० दो मील जानेपर) दाहिने हात मुड़ना और

१. ‘ उपधायाः ’ संबंधी शब्द यहाँ है । ‘ उपधा ’ यह नाम एक विशिष्ट अवयवका
 अर्थात् उपान्त्य वर्णका है । तब उस अवयववाचक संबंधी शब्दके कारण अवयवके साथ जो
 अवयवकीका संबंध है वही यहाँ पंथीप्रत्यय ‘ शास्त्र-’ का अर्थ होता है ।

यस्तत्र तिर्यक्पथो भवति न तस्मिन्संदेह इति कृत्वा नासावुपदिश्यते । एवमि-
हापि संदेहे नियमो न चावयवपञ्चादिषु संदेहः ॥

अथवा स्थाने ऽयोगा स्थानेयोगा । किमिदमयोगेति । अव्यक्तयोगा-
योगा ॥ अथवा योगवती योगा । का पुनर्योगवती । यस्या बहवो योगाः ।
कुत एतत् । भूम्नि हि मतुम्भवति ॥

आगे अमुक अन्तरके बाद (उदा० एक मील जानेपर) बाएँ हाथ घूमना । (उसके बाद
वह निकला हुआ व्यक्ति दो मील होतेही रास्ता छोड़कर दाहिने हाथ नहीं मुड़ता,
इतना ही नहीं तो) समयानुसार जहाँ वह रास्ता बाई ओर मुड़ा हो, वहाँ संदेह न
होनेके कारण 'रास्ता मुड़े तो भी रास्ता नहीं छोड़ता' ऐसा नहीं कहा जाता है
तोभी वह रास्ता नहीं छोड़ता । (परन्तु जहाँ दो रास्ते निकलते हैं वहाँ वह दाहिने हाथ
मुड़ता है ।) वैसे ही इस शास्त्रोंमें भी जहाँ सन्देह निर्माण होता है वहीं नियम प्रवृत्त
होता है । और 'शासः', 'गोहः' इत्यादि उदाहरणोंमें अवयव आदिसे सुसंगत
परीका अर्थ निश्चित होनेके कारण सन्देह निर्माण होता ही नहीं । (अतः प्रकृतसूत्रसे
क्रिया हुआ नियम वहाँ लागू नहीं होता ।)

अथवा 'स्थानेयोगा' एक पद न समझकर 'स्थाने' और 'अयोगा' ये दो
पद किये जायें ।

'अयोगा' पदका अर्थ क्या है ?

अव्यक्तयोगा अयोगा (न और व्यक्त इन दो शब्दोंका नञ्प्रत्यय करके
बादमें उस 'अव्यक्त' पदका 'योग' शब्दसे बहुव्रीहि समास क्रिया जाय । इससे
'जिसका संबंध अमुक है ऐसा स्पष्ट न हुआ हो उस परीका स्थानसे संबंध लगाया
जाय' यह अर्थ होता है ।

अथवा 'अयोगा' यह पद न लेके 'योगा' यही पद लिया जाय । 'योगा'
पदका अर्थ है 'योगवती' । ('योग है जिसका' इस अर्थमें 'योग' शब्दके आगे
'मनुप्' प्रत्ययके अर्थमें 'अच्' प्रत्यय—५।२।१२७—करके आगे स्त्रीलिङ्गि टाप्—
४।१।४—प्रत्यय होके 'योगा' शब्द सिद्ध हुआ है ।)

योगवती (परी) कौनसी ?

जिसके बहुत संबंध होते हैं वहाँ ।

'योगा' पदका यह अर्थ कैसे होता है ?

'मनुप्' प्रत्यय बहुते' अर्थमें ही लगाया जाता है । (और 'अच्' प्रत्यय
'मनुप्' के बदले प्रयुक्त किया जाता है ।)

२. अर्थात् परीके अर्थका निश्चय जहाँ नहीं होता वहाँ ही ।

३. 'तदस्या०' (५।२।१४) सूत्रपरके माध्यमे 'मनुप्' प्रत्यय 'अच्' प्रत्यय

✓ विशिष्टा वा षष्ठी स्थानेयोगा ॥ ४ ॥ (४८१)

अथवा किंचिल्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामीत्यलिङ्गा षष्ठी स्थानेयोगा भवतीति । न च तल्लिङ्गमवयवषष्ठ्यादिषु करिष्यते ॥ यद्येव शास इदद्दहलो शा है [६ ४ ३५] शासिग्रहण कर्तव्य स्थानेयोगार्थं लिङ्गमासङ्ख्यामीति । न कर्तव्यम् । यदेवाद पुरस्तादवयवषष्ठ्यर्थं प्रकृतमेतदुत्तरत्रानुवृत्त सत् स्थानेयोगार्थं भविष्यति । कथम् । अधिकारो नाम त्रिप्रकार । कश्चिदेकदेशस्थ सर्वं शास्त्रमभिज्वलयति यथा प्रदीप सुप्रज्वलित सर्वं वेश्माभिज्वलयति । अपरो ऽधिकारो यथा रज्ज्वायसा वा बद्ध काष्ठमनु कृष्यते तद्वदनुकृष्यते चकारेण । अपरो ऽधिकार प्रतियोग तस्यानिर्देशार्थं इति

(वा ४) अथवा विशिष्ट षष्ठी 'स्थानेयोगा' षष्ठी होती है ।

अथवा (विशिष्ट स्थानपर षष्ठीप्रत्ययको) विशेष चिह्न किया जाय । और 'विशेष चिह्नकी जो षष्ठी हो उसका स्थानसे सवध लगाया जाय' ऐसा यहाँ पढ़ा जाय । और जहाँ षष्ठीके अवयव आदि अर्थोंकी आवश्यकता हो वहाँ (अर्थात् शास, गोह इत्यादि उदाहरणोंमें षष्ठीप्रत्ययको) वह चिह्न न लगाया जाय ।

अब 'शास इदद्दहलो' — ६।४।३४ — (इस सूत्रमें 'शास' इस षष्ठी प्रत्ययको वह चिह्न न लगाया जाय तो) उसके आगेके 'शा हौ' (६।४।३५) सूत्रमें 'शास' यह अलग पद फिरसे रखना चाहिये । क्योंकि वहाँ षष्ठीका स्थानसे सवध आवश्यक होनेसे उस चिह्नकी आवश्यकता है ।

('शा हौ' सूत्रमें 'शास' यह अलग पद) फिरसे रखनेकी आवश्यकता नहीं । पूर्वसूत्रमें अवयवसे सवध दिखानेवाला जो ('शास') पद रखा है वही ('शा हौ' इस) आगेके सूत्रमें अनुवृत्त होनेपर स्थानसे सवध दिखानेके लिए उपयुक्त होगा ।

सो कैसे ?

इस शास्त्रमें अधिकार तीन प्रकारका है ।—(पहला प्रकार यह है कि) वह अधिकार स्वयं एक ही स्थानपर रहकर सब शास्त्रको प्रकाशित करता है । जैसे, अच्छी तरह जलाया हुआ दिया (एक ही स्थानपर रखा हुआ होता है, पर वह) सारा घरको प्रकाशित करता है, (वैसे ही यह है) । दूसरे प्रकारका अधिकार यह है कि, जिस प्रकार रस्सीसे अथवा लाहेके तारसे बाँधकर लकड़ी सींची जाती है, उसी प्रकार (उत्तर सूत्रके) 'च' शब्दके बन्पर (पूर्वसूत्रका पद) सींचा जाता है । तीसरे प्रकारका अधिकार यों है कि, (एक ही शब्द अनेक सूत्रोंमें उपयुक्त होता है, परन्तु वह)

४ पस्पगाद्विक्रक 'पन्तमें 'कल' आदि चिह्न कहे हैं उनमेंसे एकथ ।

५. 'तस्मिन्निति' (१।१।१६) आदि परिभाषाएँ इन एकही स्थानपर हैं । पर उनका उपयोग सभी शास्त्रोंमें होता है ।

योगे योग उप्रतिष्ठते । तद्यदैष पक्षो ऽधिकार प्रतियोग तस्यानिर्देशार्थ इति तदा हि यदेवाद पुरस्तादवयवपठ्यर्थमेतदुत्तरानुवृत्त सत् स्थानेयोगार्थं भविष्यति । सप्रत्ययमात्रमेतद्भवति । न ह्यनुच्चार्य शब्द लिङ्ग शक्यमासद्भुम् । एव तद्वदिशो तल्लिङ्ग कारिष्यते तत्प्रकृतिमास्कन्त्स्याति ॥

यदि नियम क्रियते यत्रैका पठ्यनेक च विशेष्य तत्र न सिध्यति । अङ्गस्य हल अण सप्रसारणस्येति । हलपि विशेष्यो ऽणपि विशेष्य सप्रसारणमपि विशेष्यम् । असति पुनर्नियमे कामगार एकया पठ्यानेक विशेषयितुम् ।

प्रत्येक सूत्रम् नहीं रखा जाता है, (प्रारभमें एक ही सूत्रमें रखा जाता है, और वहाँसे) आगेके प्रत्येक सूत्रमें (उच्चारित न होते हुए भी) उपस्थित होता है । (इन तीन प्रकारोंमेंसे) यह जो तीसरा प्रकार है कि, (' आरभमें एक सूत्रमें कोई एक शब्द रखके आगे) प्रत्येक सूत्रमें बिना उच्चारणके वह शब्द लेना, वह प्रकार (' शास ' इस अधिकारके बारेमें लिया जानेसे) पूर्वसूत्रमें जो (' शास ') पद अवयवसे सवध दिखानेके लिए रखा है वही (' शा हौ ' इस) अगले सूत्रमें अनुवृत्त होनेपर स्थानके साथ सवध दिखानेके लिए काममें आयेगा ।

(उस तीसरे प्रकारसे ' शा हौ ' सूत्रमें ' शास ' शब्दका ही) ज्ञान मात्र होगा । (अर्थात् पूर्वसूत्रके अवयवसे सवध यह पृथीका अर्थ छोड़कर केवल ' शास ' पद यहाँ लिया जायगा) । परन्तु (वह लिया गया तो भी वहाँ) उस पदका उच्चारण न किया जानेके कारण स्थानसे जाडनेका चिह्न नहीं लगाया जायगा ।

तो फिर (' शा हौ ' सूत्रमें उच्चारित जो ' शा ') आदेश (है उसी-) को वह चिह्न लगाया जायगा । (आदेशको उस चिह्नका कुछ उपयोग न होनेसे) वह चिह्न उस आदेशसे अपनी प्रकृतिकी ओर (अर्थात् ' शास ' इस अनुवृत्त पदकी ओर) जायगा ।

यदि (' पृथीका केवल स्थानसे ही सवध होता है ' ऐसा) नियम किया गया तो जहा ' पृथी एक ही प्रकारकी ओर विशेष्य अनेक प्रकारके (होनेसे उन्हें प्रकारसे जोडना पडेगा) यह स्थिति प्राप्त होती है) वहाँ इस अर्थ सिद्ध नहीं होगा । जैसे, " अङ्गस्य " (६।४।१) के आगेका " हल " (६।४।२) सूत्र । यहाँ ' अण ' और ' सप्रसारणस्य ' (ये दो पद अनुवृत्त होते हैं) । यहा (' अङ्गस्य ' पृथीका स्थानसे सवध जोडनेसे ' दीर्घ ' पद उसका विशेष्य होता ही है पर उसके अतिरिक्त उस पृथीका ' अवयव ' अर्थ लेकर उसका) ' हल ' पद भी विशेष्य करना है, ' अण ' पद भी विशेष्य करना है, और ' सप्रसारण ' पद भी विशेष्य करना है । (' पृथीका स्थानसे ही सवध जोडा जाय ') यह नियम न हो तो अपनी इच्छाके अनुसार (पृथीप्रत्ययके अनेक अर्थ लेके) एक ही पृथी अनेक विशेष्योंका

तद्यथा । देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्बल इति । तस्मान्नाथो नियमेन । ननु चोत्तमेकशतं पठन्वर्था यावन्तो वा ते सर्वे पठन्वामुच्चारिताया प्राप्रवन्तीति । नैप दोषः । यद्यपि लोके बहवो ऽभिसंवन्धा आर्था यौना मौखाः सौवाश्व शब्दस्य तु शब्देन को ऽभिसंवन्धो भवितुमर्हत्यन्यदतः स्थानात् । शब्दस्यापि शब्देनानन्तरा द्यो ऽभिसंवन्धाः । अस्तेर्भूर्भवतीति सदेहः स्थाने ऽनन्तरे समीप इति । सदेह-मात्रमेतद्भवति सर्वसदेहेषु चेदमुपतिष्ठते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सदेहा-दलक्षणमिति । स्थान इति व्याख्यास्यामः ॥ न तर्हीदानीमयं योगो वक्तव्यः ।

विशेषण क्रिया जा सक्रता है, जैसे, 'देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्बलः।' (यहाँ 'देवदत्तस्य' पद उस के पष्ठी प्रत्ययका 'जन्य' अर्थ लेकर 'पुत्र-' का, 'अवयव' अर्थ लेकर 'पाणि' का अर्थात् हाथका, और 'स्वामित्व' अर्थ लेकर 'कंबल'का विशेषण होता है, वैसे ही यह है।) तात्पर्य यह है कि, ('पष्ठीप्रत्ययसे स्थानसे ही संबंध होता है' ऐसा) नियम करनेसे कुछ भी लाभ नहीं दीखता ।

पर अभी कहा है न कि 'पष्ठी प्रत्ययके एकसौ एक अर्थ हैं ? तत्र पष्ठी प्रत्यय उच्चारित होते ही उतने अर्थ मनमें आते हैं अथवा उनमेंसे कमसे कम शब्दसे सुसगत अर्थ तो मनमें आयेगे ही ।' फिर यह नियम न हो तो 'पष्ठीप्रत्ययका अमुक ही अर्थ लिया जाय' यह कैसे निश्चित किया जायगा ?

यह दोष नहीं आता । यद्यपि लोगोंमें (पष्ठी प्रत्ययके) बहुत संबंध मनमें आते हैं, जैसे, कहीं स्वामी और उसके स्वामित्वके पदार्थका संबंध (मनमें आता है), कहीं पिता और पुत्रका संबंध (मनमें आता है), कहीं गुरु-शिष्य-संबंध (ध्यानमें आता है), और कहीं यजमान और ऋन्विजुका संबंध (ध्यानमें आता है), तो भी इस व्याकरणशास्त्रमें शब्दका शब्दके साथ स्थानके सिवा दूसरा कौनसा संबंध निर्माण होगा ?

पर शब्दके भी अन्य शब्दके साथ 'अनन्तरत्व' आदि अनेक प्रकारके संबंध हो सकते हैं । उदा० 'अस्तेर्भूः' (२।४।५२) यहाँ सन्देह निर्माण होता है कि 'भू' यह 'अस्' धातुके स्थानमें होता है अथवा 'अस्' धातुके अनन्तर (अर्थात् संपुम्न) होता है अथवा 'अस्' धातुके समीप होता है ।

यह तो केवल सन्देह ही होता है । सभी सन्देह-स्थलोंमें सन्देह निर्माण होते ही 'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्' (प शे. परि० १) यह परिभाषा गुरन्त ध्यानमें आनी है (अर्थात् सन्देह प्राप्त होते ही वहाँ विशिष्ट अर्थका निश्चय व्याख्यानसे किया जाय । कारण यह कि सन्देहके निमित्त शास्त्र निरर्थक होता है ऐसा कभी न समझा जाय ।) अतः ('अस्तेर्भूः' यहाँ वभूव आदि प्रयोगोंमें 'अस्' धातुके) स्थानपर ('भू' आदेश होता है) यह अर्थ निश्चित किया जायगा ।

तो फिर यह मूढ़त मूल करनेकी आवश्यकता नहीं (ऐसा शरीर पढ़ना है) ।

वक्तव्यश्च । किं प्रयोजनम् । पठन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः । पठन्तुच्चारिता । किं कृतं भवति । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्येषा परिभाषा न कर्तव्या भवति ॥

स्थानेऽन्तरतमः ॥ १ । १ । ५० ॥

किमुदाहरणम् । इको यणचि [६.१.७७] । दध्यत्र । मध्वत्र । तालु-
स्थानस्य तालुस्थान ओष्ठस्थानस्यौष्ठस्थानो यथा स्यात् । नैतदस्ति । संस्पाता-
नुदेशोनाप्येतत्सिद्धम् ॥ इदं तर्हि । तस्यस्थमिपां तान्तन्तामः [३.४.१०१]

(सो बात नहीं ।) प्रकृत सूत्र तो करना ही चाहिये ।

फिर उसका उपयोग क्या है ?

(उपयोग यह है कि 'आदेश कहनेवाले सूत्रमें) जिस शब्दके आगे षष्ठी-
प्रत्यय लगाया हो केवल उसी पठन्त शब्दका (उदाहरणोंमें) स्थानसे संबंध होता
है । (उसके नामपर उससे अधिकका स्थानसे संबंध नहीं होता है' ऐसा इस प्रकृत-
सूत्रका अर्थ किया जाय ।)

यह अर्थ करके क्या सिद्ध होता है ?

"निर्दिश्य लस्यादेशा भवन्ति" (प. शे. परि. १२) यह अलग परिभाषा करनेकी
आवश्यकता नहीं ऐसा सिद्ध होता है । (अर्थात् वह अर्थ इस सूत्रसे ही निकलता है ।)

(सू. ५०) एक स्थानीको जब अनेक आदेश प्राप्त होते हैं तब
(उन आदेशोंमेंसे उस स्थानीको) जो आदेश अधिकाधिक सद्भवा हो वही
किया जाय ।

इस सूत्रका क्या उदाहरण है ?

दध्यत्र, मध्वत्र (ये इस सूत्रके उदाहरण हैं) । 'दध्यत्र' में 'इको यणचि'
(६।१।७७) सूत्रसे (कहा हुआ यण् आदेश) तालुस्थानके इकारको तालुस्थानका
यकार ही होता है, तथा 'मध्वत्र' में ओष्ठस्थानके उकारको ओष्ठस्थानका
वकार ही होता है ।

ये इस प्रकृतसूत्रके उदाहरण हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि
"यथासंख्यमनुदेशः समानाम्" (१।३।१०) सूत्रसे ही ये उदाहरण सिद्ध होते हैं ।

१. निर्दिश्यमान अर्थात् उच्चारित । आदेश कहनेवाले सूत्रमें षष्ठीप्रत्यय लगाकर
जिस शब्दका उच्चारण किया है उसीको आदेश किये जायें । जैसे सुपद । 'पाद्' पठ्'
(६।१।१३०) सूत्र 'अत्रस्य' (१।४।१) अविचारका होनेसे 'पाद्' शब्द अन्तमें
स्थित अत्रको 'पद्' आदेश होता है यह अर्थ यद्यपि उस सूत्रका हुआ तो भी सूत्रमें केवल
'पाद्' शब्दका ही उच्चारण किया जानेके कारण 'सुपाद्' शब्दके 'सु'को छोड़कर
आगेके 'पाद्' भागको ही 'पद्' आदेश होता है ।

इत्येकार्थस्यैकार्थो द्वर्थस्य द्वर्थो बह्वर्थस्य बह्वर्थो यथा स्यात् । ननु चैतदपि संख्यातानुदेशेनैव सिद्धम् ॥ इदं तर्हि । अकः सवर्णे दीर्घः [६.१.१०१] इति दण्डाग्रम् क्षुपाग्रम् दधीन्द्रः मधूष्ट इति कण्ठस्थानयोः कण्ठस्थान-स्तालुस्थानयोस्तालुस्थान ओष्ठस्थानयोरोष्ठस्थानो यथा स्यादिति ॥ अथ स्थान इति वर्तमाने पुनः स्थानग्रहणं किमर्थम् । यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत एवान्तर्यं बलीयो यथा स्यात् । किं पुनस्तत् । चेता स्तोता । प्रमाणतो ऽकारो गुणः प्राप्नोति स्थानत एकारौकारौ । पुनः स्थानग्रहणादेकारौकारौ भवतः ॥

तो फिर “ तस्यस्थमिपां ताम्तमताम. ” (३।४।१०१) सूत्र लें । यहाँ ‘ एक ’ संख्याके बोधक (‘ मिप् ’ स्थानी—) को एक संख्याका बोधक (‘ अम् ’ यही आदेश) होना चाहिये । तथा ‘ दो ’ संख्याके बोधक (‘ तस् ’ और ‘ थस्— ’) को ‘ दो ’ संख्याके बोधक (‘ ताम् ’ और ‘ तम् ’ ये ही आदेश) होने चाहिये । ‘ बहुत ’ संख्याके बोधक (‘ थ ’ प्रत्यय—) को ‘ बहुत ’ संख्य बोधक (‘ त ’ यही आदेश) होना चाहिये ।

ये उदाहरण भी ‘ यथासंख्य० ’ सूत्रसे ही सिद्ध होते हैं ।

तो फिर “ अकः सवर्णे दीर्घः ” (६।१।१०१) सूत्र लें । (इससे कहा हुआ दीर्घ आदेश) ‘ दण्डाग्रम् ’, ‘ क्षुपाग्रम् ’ उदाहरणोंमें कण्ठस्थानके दो ‘ अ ’कारोंको कण्ठस्थानका ‘ आ ’कार ही होना चाहिये । तथा ‘ दधीन्द्रः ’ में तालुस्थानके दो इकारोंको तालुस्थान का ‘ ई ’कार ही होना चाहिये । इसी प्रकार ‘ मधूष्ट ’ में ओष्ठ-स्थानके दो उकारोंको ओष्ठस्थानका ‘ ऊ ’कार ही (एकादेश) होना चाहिये ।

अब (पूर्वसूत्रमेंसे) ‘ स्थाने ’ शब्दकी अनुवृत्ति होती है तो फिरसे इस सूत्रमें ‘ स्थाने ’ शब्द किसलिए रखा गया है ?

(पूर्वसूत्रमेंसे जो ‘ स्थान ’ शब्द अनुवृत्त होता है उसका अर्थ है ‘ प्रसङ्ग ’ अर्थात् शब्दके उच्चारणका काल, और यहाँ जो अलग ‘ स्थान ’ शब्द प्रयुक्त किया गया है उसका अर्थ है तालु, कण्ठ इत्यादि स्थान । इसका यह उपयोग है कि) जहाँ एक स्थानीका सादृश्य अनेक आदेशोंसे अनेक प्रकारसे होता है, उन स्थलोंमें तालु, कंट आदि स्थानोंसे जो सादृश्य हो वह प्रबल समझा जाय । (अर्थात् स्थानीका सादृश्य तालु, कण्ठ इत्यादि स्थानोंसे जिस आदेशके साथ हो सके वही आदेश वहाँ होता है) ।

वह उदाहरण कौनसा है ?

चेता, स्तोता (ये वैसे उदाहरण हैं) । यहाँ (ह्रस्व इकारों और ह्रस्व उकारोंको गुण—७।३।८४—वर्तव्य है । ह्रस्वकी एक मात्रा है । तब उन एकमात्रायुक्त स्थानियोंके साथ) प्रमाणसे ह्रस्व ‘ अ ’कार गुण प्राप्त होता है और स्थानोंसे ‘ ए ’कार और ‘ ओ ’कार प्राप्त होते हैं । फिरभी (तालु आदि) ‘ स्थान ’ शब्दके उच्चारणसे (प्राप्त हुआ सादृश्य प्रबल होनेके कारण ‘ चेता— ’ में तालुस्थानके इकारको तालु-

अथ तमग्रहणं किमर्थम् । श्यो हो ऽन्यतरस्याम् [८.४.६२] इत्यत्र सोष्माणः
सोष्माण इति द्वितीयाः पसका नादवतो नादवन्त इति तृतीयाः । तमग्रहणाद्ये
सोष्माणो नादवन्तश्च ते भवन्ति चतुर्थाः । वाग्धसति त्रिष्टुभसतीति ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

स्थानिन एकत्वनिर्देशादनेकादेशनिर्देशाच्च सर्वप्रसङ्गस्तस्मात्स्थाने
ऽन्तरतमवचनम् ॥ १ ॥

स्थान्येकत्वेन निर्दिश्यते । अक इति । अनेकश्च पुनरादेशः प्रतिनिर्दि-
श्यते । दीर्घ इति । स्थानिन एकत्वनिर्देशादनेकादेशनिर्देशाच्च सर्वप्रसङ्गः । सर्वे

स्थानका) एकार गुण होता है, (तथा 'स्तोता-' में ओष्ठस्थानके उकारको ओष्ठस्थानका)
ओकार गुण होता है ।

अब इस सूत्रमें 'तमप्' प्रत्ययका उच्चारण किसलिए किया है ?

“श्यो होन्यतरस्याम्” (८।४।६२) सूत्र लें । (इससे हकारको पूर्वस्वर्ण
आदेश कहा है । हकारका पूर्ववर्ण जिस वर्णका हो उस वर्णके पाँचों वर्ण उसके
स्वर्ण होते हैं ।) हकार ऊष्मा है । वर्णका दूसरा वर्ण ऊष्मा है । तथा हकार
नादप्रयत्नका है । अतः भिन्न भिन्न प्रकारसे दूसरा और तीसरा वर्ण हकारसे सट्टश है,
और इसीसे वे प्राप्त होते हैं । पर उनसे भी चौथा वर्ण अधिक सट्टश है । क्योंकि वह
ऊष्मा भी है और नादप्रयत्नका भी है, इसीसे चौथा ही होता है । 'वाग्धरिः' में
'हरिः' के हकारको घकार होता है । 'त्रिष्टुब् भसति' में 'हसति' के हकारको
भकार होता है । (अतः जो आदेश अधिक सट्टश हो वही होनेके लिए 'अतिशय'
वर्षका 'तम' प्रत्यय 'अन्तर' शब्दमें लगाया है ।)

पर यह सूत्र क्यों किया है ?

(वा. १) (“अकः स्वर्णे दीर्घः” आदि सूत्रोंमें) स्थानीका एकत्वसे
निर्देश किया जानेसे और अनेक आदेश निर्दिष्ट किये जानेसे सर्वा आदेश
मात होते हैं, अतः 'स्थानेऽन्तरतमः' यह प्रस्तुत सूत्र पढ़ना चाहिये ।

(उपर्युक्त 'दण्डायम्' आदि उदाहरणोंमें 'अकः स्वर्णे दीर्घः'—६।१।१०१
—इत्यादि सूत्रोंसे दीर्घ कर्तव्य होनेपर उन स्थानोंपर प्रत्येक उदाहरणमें) 'अकः'
जैसा एक-एक ही स्थानी निर्दिष्ट किया है । और उसको कहे हुए आदेश 'दीर्घ'
शब्दसे अनेक निर्दिष्ट किये हैं । इस तरह स्थानीका एकत्वसे निर्देश है और आदेशका
अनेकत्वसे निर्देश होनेके कारण 'सर्वप्रसङ्ग' प्राप्त होता है । अर्थात् सब स्थानोंमें सब

सर्वत्र प्राप्नुवन्ति । इष्यते चान्तरतमा एव स्युरिति तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यति तस्मात्स्थानेऽन्तरतम इति वचनं नियमार्थम् । एवमर्थमिदमुच्यते ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति ।

यथा पुनरियमन्तरतमनिर्वृत्तिः सा किं प्रकृतितो भवति । स्थानिन्यन्तरतमे पठीति । आहोस्विदादेशतः । स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम आदेशो भवतीति । कुतः पुनरियं विचारणा । उभयथापि तुल्या संहिता । स्थाने ऽन्तरतम उरणपर

दीर्घ आदेश होंगे । और हमको तो यह इष्ट है कि जो अधिक सदृश हो सकें वेही होने चाहिये । तब यह बात उसके लिए कुछ विशेष प्रयत्न किये बिना नहीं सिद्ध होगी । अतः “स्थानेऽन्तरतमः” यह प्रकृतसूत्र नियम करनेके लिए है । इसीलिए यह पदा है । यह उपयोग है सही ।

फिर आपका क्या कहना है ?

(हमारा कहना यह है कि) यहाँ अधिक सदृशता देखकर आदेश किया जाता है । पर यह चुनाव (निर्वृत्ति) क्या स्थानीके प्रति होता है, अर्थात् जिस आदेशको प्राप्त हुए अनेक स्थानियोंमेंसे जो अधिक सदृश हो सके उसीमें वह (विधिसूत्रकी) पंथी लगायी जाती है (और जिसमें वह पंथी लगायी जाय उसी स्थानीको वह आदेश होता है ?) अथवा यह चुनाव क्या आदेशके प्रति होता है, अर्थात् जिस स्थानीको प्राप्त हुए अनेक आदेशोंमेंसे जो अधिक सदृश हो सके वही आदेश उस स्थानीको लगाया जाता है ?

पर यहाँ यह विचार क्यों निर्माण होता है ?

(यह विचार यों निर्माण होता है कि इस सूत्रमें ‘अन्तरतमे’ यह सप्तम्यन्त पद लिया गया तो ‘अधिक सदृश स्थानी हो सके तो उसीके स्थानपर आदेश होता है’ ऐसा सूत्रका अर्थ होता है, और स्थानियोंमेंसे चुनाव करना पड़ता है । तथा ‘अन्तरतमः’ यह प्रथमान्त पद लिया गया तो ‘स्थानीसे जो अधिक सदृश आदेश हो सके वही होता है’ यह सूत्रका अर्थ होता है, और आदेशोंमेंसे चुनाव करना पड़ता है ।) दोनों प्रकारके पद लिए जायँ इस स्वरूपकी ‘संहिता’ यहाँ पढ़ी जाती है । अर्थात् ‘स्थानेऽन्तरतमः और उरण् रपरः’ दो सूत्रोंमें संधि होकर सूत्रपाठ यह बनाता है ।

१. ‘इक्षो मणवि’ से यञ् अर्थात् य्, ष्, इ, ल् आदेश बहे है । उनमेंसे प्रत्येक स्थानको जो उसके साथ अधिक समान हो ऐसा एक एक करके स्थानी पुना गया तो वे पुने हुए स्थानी ही ‘इक्षः’ शब्दसे लिखे जाये । अतः ‘इक्षः’ पंथीका उसी स्थानीके साथ संबंध होता है, अतः उदाहरणमें उन्ही स्थानियोंको ‘यञ्’ आदेश होता है । जिन उदाहरणमें पुना हुआ स्थानी न हो उस उदाहरणमें ‘यञ्’ आदेश कदापि न होगा ।

इति ॥ किं चातः । यदि प्रकृतित इको यणचि [६-१-७७] यणां ये
 ऽन्तरतमा इकस्तत्र पष्ठी यत्र पष्ठी तत्रादेशा भवन्तीतिहैव स्यात् । दध्यत्र मध्वत्र ।
 कुमार्यत्र ब्रह्मवन्ध्वर्थमित्यत्र न स्यात् । आदेशतः पुनरन्तरतमनिर्वृत्तौ
 सत्यां सर्वत्र पष्ठी यत्र पष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्धं भवति ॥ तथेको
 गुणवृद्धी [१-१-३] गुणवृद्ध्योर्थे ऽन्तरतमा इकस्तत्र पष्ठी यत्र पष्ठी तत्रादेशा
 भवन्तीतिहैव स्यात् । नेता लविता नायकः लावकः । चेता स्तोता चायकः
 स्तावक इत्यत्र न स्यात् । आदेशतः पुनरन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां सर्वत्र पष्ठी यत्र

फिर इन दोनोंमें क्या भेद है ?

यदि स्थानियोंमेंसे चुनाव करना हो तो 'इको यणचि' (६।१।७७) सूत्रसे (कहे हुए) यण् आदेशोंके जो अधिक सदृश इक् हों (वेही 'इक्' शब्दसे लिये जायेंगे और) उन्हींमें 'इकः' पष्ठी लगेगी; और जिनमें पष्ठी लगेगी उन्हींको (उदाहरणोंमें 'यण्') आदेश होगा; अतः 'दध्यत्र', 'मध्वत्र' में ह्रस्व इकोंकोही यण् होगा । 'कुमार्यत्र', 'ब्रह्मवन्ध्वर्थम्', में (दीर्घ इकोंको यण् नहीं होगा । आदेशोंमेंसे चुनाव करके उनमें जो अधिक सदृश हो वह किया जाय ऐसा अर्थ लेनेसे ('इक्' इस स्थानीका चुनाव न होनेके कारण) सभी इकोंमें पष्ठी लगती है, और जिनमें पष्ठी लगती है उनको आदेश होते ही है । इसीलिए (ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि) सभी इकोंको 'यण्' सिद्ध होता है ।

तथा 'इको गुणवृद्धी' (१।१।३) सूत्रसे गुण और वृद्धि आदेशोंको जो जिससे अधिक सदृश इक् हों (वेही वहाँ 'इक्' शब्दसे लिये जायेंगे और) उन्हींमें वहाँ 'इकः' पष्ठी लगेगी । और जिनमें पष्ठी लगेगी उन्हींको (उदाहरणोंमें) (गुण और वृद्धि ये) आदेश होंगे (अर्थात् दीर्घको ही गुण और वृद्धि आदेश होंगे, ह्रस्वको नहीं) । अतः 'नेता', 'लविता' में (दीर्घ ईकारों और ऊकारोंको ए और ओ गुण) होंगे । 'चेता', 'स्तोता' में (ह्रस्व इकारों और उकारोंको ए और ओ गुण) न होंगे । तथा 'नायकः', 'लावकः' में (दीर्घ ईकारों और ऊकारोंको वृद्धि अर्थात् ए और ओ आदेश) होंगे । 'चायकः', 'स्तावकः' में (ह्रस्व इकारों और उकारोंको ए और ओ ये वृद्धि आदेश) नहीं होंगे । आदेशोंमेंसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो वही किया जाय ऐसा अर्थ लेनेसे ('इक्' स्थानीका

२. यणोंकी आधी मात्रा है । तब उनको दो मात्राओंके दीर्घ इकोंकी अपेक्षा एक मात्रायुक्त ह्रस्व इक् अधिक समीप है ।

३. ए और ओ गुणसंज्ञक वर्ण और धा, ऐ, औ वृद्धिसंज्ञक वर्ण हैं । उनमेंसे प्रत्येक दो मात्राओंसे युक्त होनेके कारण उनको, दो मात्राओंके अर्थात् दीर्घ ई और ऊ ये इक् ह्रस्वोंकी अपेक्षा अधिक सदृश हैं ।

पठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्धं भवति ॥ तथा ऋवर्णस्य गुणवृद्धिपक्षे गुणवृद्ध्योर्द्यन्तरतमवर्णं तत्र पठी यत्र पठी तत्रादेशा भवन्तीतीहैव स्यात् । कर्ता हर्ता आस्तारकः निवारकः । आस्तरिता निपरिता कारकः हारक इत्यत्र न स्यात् । आदेशतः पुनरन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां सर्वत्र पठी यत्र पठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्धं भवति ॥ अथादेशतोऽन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यामयं दोषः । वान्तो यि प्रत्यये [६ १ ७९] । स्थाननिर्देशः कर्तव्यः । ओकारौकारयोरिति वक्तव्यम् । एकारौकारयोर्मा भूदिति । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां वान्तादेशस्यैक्षु यान्तरतमा प्रकृतिस्तत्र पठी यत्र पठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्तरेण

चुनाव न होनेके कारण) सभी इकोंमें पठी लगती है; और जिनमें पठी लगती है उनको आदेश होते ही हैं, इसलिए (ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि) सभी इकोंको गुण और वृद्धि आदेश सिद्ध होते हैं । उसी प्रकार ऋकारको गुण (अर्थात् ह्रस्व अकार कर्तव्य हो) और वृद्धि (अर्थात् दीर्घ आकार कर्तव्य हो) तो गुणको अधिक सदृश स्थानी जो ह्रस्व ऋकार है और उस वृद्धिको अधिक सदृश स्थानी जो दीर्घ ' ऋ ' कार है उसीमें वह पठी लगेगी और उन्हींको वे (गुण और वृद्धि) आदेश होंगे, अर्थात् ' कर्ता ' , ' हर्ता ' में ह्रस्व ऋकार होनेसे नहीं) गुण होगा और ' आस्तारकः ' ' निवारकः ' में (दीर्घ ऋकार होनेसे वहाँ) वृद्धि होगी । ' आस्तरिता ' , ' निपरिता ' में (दीर्घ ऋकारको) गुण नहीं होगा और ' कारकः ' ; ' हारकः ' में (ह्रस्व ऋकारको) वृद्धि नहीं होगी । अब आदेशोंमेंसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो वही किया जाय ऐसा अर्थ लिया गया तो स्थानीका (अर्थात् ऋकारका चुनाव न होनेके कारण) सभी ऋकारोंमें पठी लगती है, और जिसमें पठी लगती है उसको आदेश होते ही हैं, इसलिए (ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि) सभी ऋकारोंको गुण और वृद्धि आदेश सिद्ध होते हैं ।

जब ' आदेशोंमेंसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो वही आदेश किया जाय ' (यह पक्ष लिया गया) तो " वान्तो यि प्रत्यये " (६।१।७९) सूत्रमें दोष आता है । वहाँ ' ओकारों और ऐकारोंको ही वान्त आदेश होते हैं ' ऐसा स्थानीका निर्देश करना चाहिये । कारण यह कि, एकारों और ऐकारोंको (वान्त आदेश) न होने चाहिये । ' स्थानियोंमेंसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो उसीको आदेश किया जाय ' (यह पक्ष लिया गया) तो वकारान्त आदेशको स्थानियोंमेंसे अर्थात् एचोंमेंसे जो अधिक सदृश हो उसीमें वर पठी लगेगी, और जिसमें पठी लगेगी उसीको आदेश होगा; अतः स्थानीका निर्देश किये बिना ही (इष्ट) सिद्ध होता है ।

५. धृ और धात् वकारान्त आदेशोंमें ओष्ठस्थानका वकार है और एचोंमें ओ धी ओके ओष्ठस्थान है । तब वकारान्त आदेशोंको धो और धी स्थानी अधिक सदृश होनेसे रग्दीको वे आदेश होंगे ।

स्थानिनिर्देशं सिद्धं भवति । आदेशतो ऽप्यन्तरतमनिर्बुद्धौ सत्यां न दोषः । कथम् । वान्तग्रहणं न करिष्यते । यि प्रत्यय एचो ऽयादयो भवन्तीत्येव । यदि न क्रियते चेयम् जेयमित्यत्रापि प्राप्नोति । क्षय्यज्य्यौ शक्यार्थं [६.१.८१] इत्येतन्नियमार्थं भविष्यति । क्षिज्योरेवैच इति । तयोस्तर्हि शक्यार्थादन्यत्रापि प्राप्नोति । क्षेयं पापम् जेयो वृषल इति । उभयतो नियमो विज्ञास्यते । क्षिज्योरेवैचः । अनयोश्च शक्यार्थ एवेति । इहापि तर्हि नियमान् प्राप्नोति । ल्यम्

पर 'आदेशोर्ध्वे' (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो वही आदेश किया जाय इस पक्षमें भी दोष नहीं आता ।

सो कैसे ?

कारण यह कि सूत्रमें 'वान्तः' पद नहीं रखा जायगा । केवल 'यि प्रत्यये' (इतना ही सूत्र रहने दें) । (उसका अर्थ यह होता है कि) 'यकारादि प्रत्यय आगे होनेपर एचको अय् आदि आदेश होते हैं।' (अतः पूर्वसूत्रकी तरह इस सूत्रसे भी 'वान्त' आदेश ओकारों और औकारोंको ही होंगे ।)

पर 'वान्तः' पद न रखा गया तो (पूर्वसूत्रकी तरह यकारान्त आदेश भी इस सूत्रसे यकारादि प्रत्यय आगे रहनेपर होंगे तब) 'चेयम्', 'जेयम्' में एकारको 'अय्' आदेश होगा ।

(यह बात हो तो क्षय्य और ज्य्य में अय् आदेश 'यि प्रत्यये' सूत्रसे ही सिद्ध होनेसे) "क्षय्यज्य्यौ शक्यार्थे" (६।१।८१) सूत्र (ज्यर्थ होता है, अतः वह) नियमार्थ होगा । वह नियम यह है कि " (यकारादि प्रत्यय आगे होनेपर 'यि प्रत्यये' सूत्रसे) यदि आदेश होगा तो क्षि और जि इन दो धातुओंके ही एचको वह होगा ।" (तब 'चेयम्' में नहीं होता है ।)

तो फिर (क्षि और जि इन दो धातुओंके एचको) शक्यार्थ न हो तो भी अय् आदेश होने लगेगा; जैसे, क्षेयं पापम्, जेयो वृषलः । (पाप बुरा होनेके कारण 'क्षय' के योग्य है' यह 'क्षेयम्' का अर्थ है; पर 'शक्य' अर्थमें 'क्षय्यम्' का ही प्रयोग करना चाहिये । तथा 'वृषल' जीतने योग्य है' यह 'जेयः' का अर्थ है, पर 'शक्य' अर्थमें 'ज्य्यः' का ही प्रयोग करना चाहिये ।)

(यह दोष नहीं प्राप्त होता; क्योंकि) दो प्रकारका नियम किया जा सकता है । (एक नियम यों कि) " ('यि प्रत्यये' सूत्रसे आदेश करना हो तो) क्षि और जि इन दो धातुओंके ही एचको किया जाय ।" (दूसरा यह कि) " (क्षि और जि) धातुओंके बारेमें (एचको यदि आदेश करना हो तो) शक्यार्थ हो तभी किया जाय ।"

पन्थम् । अवश्यलाव्यम् अवश्यपायमिति । तुन्यजातीयस्य नियमः । कश्च तुन्यजातीयः । यथाजातीयकः क्षिन्योरेच् । कथंजातीयकः क्षिन्योरेच् । एकारः । एवमपि रायमिच्छति रैयति अत्रापि प्राप्नोति । रायिश्छान्दसो दृष्टानु-विधिश्छन्दसि भवति ॥ ऊदुपधाया गोहः [६-४-८९] । आदेशतोऽन्तरतम-निर्वृत्तौ सत्यामुपधाग्रहणं कर्तव्यम् । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यामूकारस्य गोहो यान्तरतमा प्रकृतिस्तत्र पठी यत्र पठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्तरेणोपधाग्रहणं

अब यदि नियम लिया गया तो 'लन्थम्', 'पन्थम्', 'अवश्यलाव्यम्', 'अवश्यपाव्यम्' उदाहरणोंमें (ओकारों और औकारोंको भी 'यि प्रत्यये' सूत्रसे) आदेश नहीं होंगे ।

(यह दोष नहीं आता । क्योंकि) नियम सजातीय एचोंके ही वारेमें है ।

सजातीय एच् कौनसा ?

'क्षि' और 'जि' धातुओंका एच् जिस जातिकका है उस जातिकका ।

'क्षि' और 'जि' धातुओंका एच् किस प्रकारका है ?

एकार है । (तब ओकार और औकार इन एचोंके वारेमें नियम न होनेके कारण लन्थम् आदि उदाहरणोंमें 'यि प्रत्यये' सूत्रसे आदेश होनेमें कुछ बाधा नहीं ।)

तो फिर (ऐकारके वारेमें नियम न होनेके कारण) 'रायमिच्छति रैयति' यहाँ ('यि प्रत्यये' सूत्रसे ऐकारको आय् आदेश) होने लगेगा ।

(यह दोष नहीं आता । कारण यह कि) 'रै' शब्दके आगे 'क्यच्' प्रत्यय केवल वैदिक प्रयोगमें ही लगाया जाता है । और "वैदिक प्रयोगमें तो जितने कार्य क्रिये हुए दीक्ष पढ़ते हैं उतने ही करनेके हैं ।" (देखिये व्याधिपरिभाषापाठ — परिभाषा ६८)

'आदेशोंमेंसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सट्टश हो वही आदेश किया जाय' यह पक्ष लिया गया तो 'ऊदुपधाया गोहः' (६।४।८९) में (ओकारको ही आदेश होनेके लिये) 'उपधायाः' पद पढ़ना पड़ेगा । और 'स्थानियोंमेंसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सट्टश हो उसीको आदेश किया जाय' यह पक्ष लिया गया तो 'गोह' मेंसे ऊकारको जो वर्ण अधिक सट्टश हो उसी स्थानीमें (अर्थात् ओकारमें)

५. 'रै' शब्दके आगे 'सुप्त आत्मनः क्यच्' (३।१।८) सूत्रसे 'क्यच्' प्रत्यय करके, 'रैय' को धातुसंज्ञा (३।१।३२) करके, आगे 'लृट्' प्रत्यय करके 'रैयति' क्रियापद बना है ।

६. ऊकार और औकारका ओष्ठस्थान समान है । अतः ऊकार आदेशको गकार और दृकार इन दो वर्णोंकी अपेक्षा 'गोह' मेंका ओकार अधिक सट्टश है ।

सिद्धं भवति । आदेशतो ऽप्यन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां न दोषः । क्रियत एतन्न्यास एव ॥ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः [८-२-४२] । आदेशतो ऽन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां तकारग्रहणं कर्तव्यम् । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां नकारस्य निष्ठायां यान्तरतमा प्रकृतिस्तत्र पठी यत्र पठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्तरेण तकारग्रहणं सिद्धं भवति । आदेशतो ऽप्यन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां न दोषः । क्रियत एतन्न्यास एव ॥

किं पुनरिदं निर्वर्तकम् । अन्तरतमा अनेन निर्वर्त्यन्ते । आहोस्वित्प्रतिपादकम् । अन्येन निर्वृत्तानामनेन प्रतिपत्तिः । कश्चात्र विशेषः ।

पठी लोगी, और जिसको पठी लगती है उसीको आदेश होता है । (तब उपधाको ही आदेश होनेके कारण सूत्रमें) 'उपधायाः' पदका उच्चारण किये बिना ही वह सिद्ध होगा ।

'आदेशोर्मिसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो वही आदेश किया जाय' यह पक्ष लिया गया तो यहाँ दोष नहीं आता । कारण यह कि पाणिनिने मूल सूत्रमें 'उपधायाः' पद रखा ही है ।

'आदेशोर्मिसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो वही आदेश किया जाय' यह पक्ष लिया गया तो "रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः" (८।२।४२) में (तकारको ही नकार आदेश होनेके लिए) 'तः' (अर्थात् तकारको) ऐसा पदना पड़ेगा । और 'स्थानियोर्मिसे (चुनाव करके) जो अधिक सदृश हो उसीको आदेश किया जाय' यह पक्ष लिया गया तो (आदेशको अर्थात्) तकारको निष्ठाप्रत्ययोर्मिसे जो वर्ण अधिक सदृश हो उसी स्थानीमें (अर्थात् तकारमें) पठी लोगी, और जिसमें पठी लगती है उसीको आदेश होता है । अतः (तकारको ही नकार आदेश होनेके कारण सूत्रमें) 'तः' पद रखे बिना ही सिद्ध होगा ।

'आदेशोर्मिसे (चुनाव करके उनमें) जो अधिक सदृश हो वही आदेश किया जाय' यह पक्ष लिया गया तो भी वहाँ दोष नहीं आता । कारण यह कि पाणिनिने मूल सूत्रमें 'तः' (पद) रखा है ।

पर क्या यह सूत्र निर्वर्तक है ? अर्थात् अधिक सदृश जो आदेश हों वे ही इस सूत्रसे नये ही किये जाते हैं ? अथवा प्रतिपादक है ? अर्थात् अन्यसूत्रोंसे किये जानेवालेमें जो अधिक सदृश हों केवल उन्हींको यह सूत्र संमति देता है ?

इन दोनोंमें क्या भेद है ?

७. नकार और तकार दोनों वर्ण दंतस्थानके हैं । अतः नकार आदेशको निष्ठा प्रत्ययके अन्य अकार आदिकी अपेक्षा तकार ही अधिक सदृश है ।

स्थानेऽन्तरतमनिर्वर्तके स्थानिनिवृत्तिः ॥ २ ॥

स्थानेऽन्तरतमनिर्वर्तके सर्वस्थानिनां निवृत्तिः प्राप्नोति । अस्यापि प्राप्नोति । दधि मधु । अस्तु । न कश्चिदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्यतो दधि-शब्दस्य दधिशब्द एव मधुशब्दस्य मधुशब्द एवादेशो भविष्यति । यदि चैव कचिद्वैरूप्यं तत्र दोषः स्यात् । विसं विसं मुसलं मुसलमिति । इण्कोरिति पत्वं प्राप्नोति ॥ अपि चेष्टा व्यवस्था न प्रकल्पेत । तद्यथा भ्राष्ट्रे तिलाः क्षिप्ता मुहूर्तमपि नावतिष्ठन्त एवमिमे वर्णा, मुहूर्तमपि नावतिष्ठेरन् ॥ अस्तु तर्हि प्रतिपादकम् ।

(वा. २) यदि शब्दस्वरूपके उच्चारणके समय अधिक सट्टश नया आदेश किया गया तो सभी शब्दोंकी निवृत्ति होने लगेगी ।

यदि कहा गया कि शब्दस्वरूपके उच्चारणके समय (उस शब्दस्वरूपका उच्चारण न करके उसके स्थानमें) उससे अधिक सट्टश नया आदेश किया जाय, तो (सभी शब्दोंका उच्चारण करनेकी आवश्यकता होनेसे) उन सभी शब्दोंकी निवृत्ति होने लगेगी; जैसे, दधि, मधु । (इन शब्दोंकी भी प्रकृतसूत्रसे निवृत्ति होगी ।)

यदि होती है तो होने दे । उन्हें कुछ अन्य आदेश नहीं होगा । अधिक सट्टश आदेश होगा अर्थात् दधिशब्दको दधिशब्द ही और मधुशब्दको मधुशब्द ही आदेश होगा । (और उनमेंसे प्रत्येक वर्णको होनेवाला आदेश वर्ण-आदेश होगा ।)

(इस तरह शब्दस्वरूप सट्टश ही रहा तो भी) यदि कहीं वैरूप्य (धर्ममें भेद) हुआ तो वहाँ दोष अवश्य आयेगा; जैसे, विसं विसम्, मुसलं मुसलम् । यहाँ (विस शब्दको विस शब्द ही आदेश हुआ और उसके वर्णोंको भिन्न भिन्न वर्ण आदेश हुए तो भी वहाँ 'स'कार आदेश होनेके कारण) "इण्कोः" (८।३।५७) इस अधिकारके 'आदेशप्रत्यययोः' (८।३।५९) से (उस 'स'कारको) 'व'कार आदेश होने लगेगा ।

और इष्ट व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी । जैसे तप्त भाष्ट्र (मिड्डीके घाल) में रख गये तिल क्षणभर भी स्थिर नहीं रहते, वैसे ही ये वर्ण क्षणभर भी कहीं स्थिर नहीं रहेंगे ।

तो फिर यह सूत्र केवल समतिदर्शक ही रहने दें (अर्थात् उससे नये आदेश

८ क्योंकि वर्ण उसका अपना आदेश हुआ तो भी उस आदेशका फिरसे उच्चारण करनेका अवसर होनेसे, उस आदेशकी भी निवृत्ति होके फिरसे वही वर्ण आदेश होगा । उसको भी फिरसे आदेश होनेवाला है यह अनवस्था प्राप्त होती है । तब जो वर्ण आदेश किया जाता है वह फिरसे निवृत्त होनेके योग्य होनेसे साधुशब्दका स्वरूप नहीं कहा जा सकता ।

अन्येन निर्वृत्तानामनेन प्रतिपातिः ।

निर्वृत्तप्रतिपत्तौ निर्वृत्तिः ॥ ३ ॥

निर्वृत्तप्रतिपत्तौ निर्वृत्तिर्न सिध्यति । सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति । किं तर्ह्युच्यते निर्वृत्तिर्न सिध्यतीति । न सार्धयो निर्वृत्तिः सिद्धा भवति । न ब्रूमो निर्वृत्तिर्न सिध्यतीति । किं तर्हि । इटा व्यवस्था न प्रकल्पेत न सर्वे सर्वत्रेप्यन्ते ॥ इदमिदानीं किमर्थं स्यात् ।

अनर्थकं च ॥ ४ ॥

अनर्थकमेतत्स्यात् । यो हि भुक्तवन्तं द्रूपान्मा भुक्त्वा इति किं तेन कृतं स्यात् ॥

उक्तं वा ॥ ५ ॥

न किये जायें) । (केवल) अन्य सूत्रोंके द्वारा किये हुए आदेशोंमेंसे जो आदेश अधिक सदृश हों उनको प्रकृतसूत्रसे मान्यता दी जाय (और अन्य आदेश किये गये तो भी वे नहीं किये गये ऐसा समझा जाय) ।

(वा. ३) किये हुए आदेशोंको मान्यता दी गयी तो आदेश नहीं होंगे ।

‘ (अन्य सूत्रोंसे) किये हुए आदेशोंको (प्रकृतसूत्रसे) मान्यता दी जाय ’ ऐसा हा तो आदेश नहीं होंगे । विविध सूत्रोंसे कहे हुए सभी आदेश सर्वत्र होंगे ।

यदि सभी आदेश सर्वत्र होंगे तो आप क्यों कहते हैं कि ‘ आदेश न होंगे ? ’

हमारा अभिप्राय यह है कि ‘ योग्य आदेश ही होने चाहिये यह बात सिद्ध नहीं होगी ’ । ‘ आदेश होंगे ही नहीं ’ ऐसा हम नहीं कहते ।

तो आपका क्या कहना है ?

इष्ट व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि सभी आदेश सर्वत्र इष्ट नहीं हैं ।

तो फिर (इन आदेशोंमेंसे अधिक सदृश आदेशोंको) इस सूत्रसे मान्यता देनेसे क्या लाभ होगा ?

(वा. ४) और (यह सूत्र) निरर्थक होगा ।

यह प्रकृतसूत्र निरर्थक होगा । क्योंकि भोजन किये हुए व्यक्तिमें यदि कोई कहे कि ‘ भोजन मत करो ’ तो उमका क्या उपयोग है ?

(वा. ५) अथवा यह कहा गया है ।

१ ‘ दधि अत्र ’ यहाँ इकारके सू, वू, इ, ल् चारों आदेश ‘ इधे दधि ’ (१.१.७७) में होंगे । उनमेंसे यकार इकारके अधिक महत्त्व है । उसके प्रतिस्पर्धी अकार के सू, इ, ल् आदेशोंके प्रकृतसूत्रसे मान्यता न दी गयी तो भी उमका कुछ उपयोग न होगा । कारण यह कि ‘ इको दधि ’ सूत्रसे जो कार्य हो गुहा उमके बारेमें बादमें अमान्यता स्थान करके निषेध करना निरर्थक है ।

किमुक्तम् । सिद्धं तु पष्ठचधिकारे वचनादिति । पष्ठचधिकारे ऽयं योगः कर्तव्यः । स्थाने ऽन्तरतमः पष्ठीनिर्दिष्टस्येति ॥

प्रत्यात्मवचनं च ॥ ६ ॥

प्रत्यात्ममिति च वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । यो यस्यान्तरतमः स तस्य स्थाने यथा स्यादन्यस्यान्तरतमो ऽन्यस्य स्थाने मा भूदिति ॥

प्रत्यात्मवचनमशिष्यं स्वभावसिद्धत्वात् ॥ ७ ॥

प्रत्यात्मवचनमशिष्यम् । किं कारणम् । स्वभावसिद्धत्वात् । स्वभावत एतत्सिद्धम् । तद्यथा । समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यताभित्युक्ते न चोच्यते

(अथवा यह तो पहले ही—१।१।३—कहा गया है ।)

क्या कहा गया है ?

‘सिद्धं तु पष्ठचधिकारे वचनात्’ (१।१।३ वा. १७) से यह पहले कहा गया है । पष्ठीके अधिकारमें यह सूत्र समझा जाय । अर्थात् जहाँ पष्ठीप्रत्ययका निर्देश किया गया हो वहाँ ‘स्थानेऽन्तरतमः’ यह प्रकृतसूत्र उपस्थित होता है ।

(वा. ६) और ‘प्रत्यात्मम्’ कहना चाहिये ।

‘प्रत्यात्मम्’ ऐसा यहाँ कहना चाहिये ।

उसका क्या उपयोग है ?

जो आदेश जिस स्थानीसे अधिक सट्टश हो वह आदेश उसी स्थानीको होना चाहिये । एक स्थानीसे जो आदेश अधिक सट्टश हो वह दूसरे स्थानीको न होना चाहिये ।

(वा. ७) प्रत्यात्मवचनकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि यह बात स्वभावसिद्ध ही है ।

यहाँ ‘प्रत्यात्मम्’ न कहना चाहिये ।

(इसका) क्या कारण है ?

स्वभावसिद्ध होनेसे । यह विधान स्वभावसे ही सिद्ध होता है । जैसे जब किसी उत्सवमें लोग इकट्ठे होते हैं तब उन्हें ‘समाजोंमें’, समाशोंमें और समवायोंमें जाकर बैठना’

१०. तब ‘इको यणचि’ यहाँ यह सूत्र उपस्थित होनेसे ‘इके स्थानमें अन्तरतम अर्थात् अधिक सट्टश यण आदेश होता है’ ऐसा अर्थ होता है । अतः ‘दधि अत्र’ यहाँ आदेश होनेके समय ही केवल एक ही य् आदेश होगा और, व्, ल् कदापि न होंगे ।

११. प्रत्यात्मम् अर्थात् उसका अपनेकी ।

१२. समाज अर्थात् कुछ एक विचार करनेवाली सभा । समाश अर्थात् सहभोजन । समवाय अर्थात् कुछ एक कार्य करनेके लिए इकट्ठा हुआ मंडल । जो सदस्य हैं वे समाजमें आते हैं । जो निर्गन्त हैं वे भोजनके यहाँ जाते हैं । और जो कार्य करनेके लिए आये हैं वे समवायकी ओर जाते हैं ।

प्रत्यात्ममिति प्रत्यात्म चासते ॥

अन्तरतमवचनं च ॥ ८ ॥

अन्तरतमवचन चाशिष्यम् । योगश्चाप्यथमशिष्यः । कुतः । स्वभाव-
सिद्धत्वादेव । तद्यथा । समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते नैव कृशा कृशेः
सहासते न पाण्टवा. पाण्टुमि* । येषामेव किञ्चिदर्थकृतमान्तर्यं तैरेव सहासते ॥ तथा
गावो दिवसं चरितवत्यो यो यस्याः प्रसवो भवति तेन सह शेरते । तथा यान्ये-
तानि गोपुकानि सपुष्टकानि भवन्ति तान्यन्योन्य पश्यन्ति शब्द कुर्वन्ति ॥
एव तावच्चेतनावत्सु । अचेतनेष्वपि । तद्यथा । लोटः क्षिप्तो बाहुवेगं गत्वा नैव

यह कहनेपर जो जहाँ बैठनेवाला है वह वहीं जाकर बैठता है । ' वहाँ ' ' प्रत्यात्मम् ' कहना नहीं पड़ता ।

(या ८) और अन्तरतमवचन (की भी आवश्यकता नहीं ।)

अन्तरतमवचन भी न करना चाहिये । (अर्थात् स्थानीसे अधिक सदृश जो आदेश हो वह किया जाय ऐसा कहनेवाला) यह प्रकृतसूत्र भी करनेकी आवश्यकता नहीं ।

क्यों ?

यह भी स्वभावसे ही सिद्ध होता है । उदा०, (किसी उत्सवमें जब लोग इकट्ठे होने लगते हैं तब) ' समाजोंमें, समाशोंमें और समवायोंमें जाकर बैठना ' ऐसा (उन्हें) कहा गया तो यह निश्चित नहीं कि उनमेंसे जो शरीरसे कृश हो वे अपने समान अन्य कृश व्यक्तियोंके ही समीप जाकर बैठेंगे, और जो मोटे हों वे स्वसदृश मोटवर्ण व्यक्तियोंके ही पास जाकर बैठेंगे, तो उस उत्सव आदिमें (किये जानेवाले विविध कृत्योंमेंसे) कुछ कृत्य करनेमें जिनकी एकदूसरेकी सहायता हो सके वेही एक दूसरेके पास जाकर बैठते^{१३} हैं । वैसे ही दिनभर अरण्यमें इतस्तत सचार करनेवाली गायोंमेंसे जिसका जो पाटा हो उसीको पास लेकर वह रातको सोती है । तथा बेलोंकी जोड़ियाँ लगाकर जो सपुष्टक^{१४} बनाये जाते हैं उनमेंसे एक बेल दूसरेको न देखकर इधर उधर दृष्टि डालकर शब्द करने लगता है । यह व्यवहार चेतनामें होता है । पर अचेतन भी आत्मसदृश अन्यकी ओर ही दौड़ते हैं । जैसे मिट्टीका ढेला जोरसे फेंका जानेपर दूरीपर जाता है, पर अन्य किसी तिरछी दिशामें वा ऊपर आकाशमें न जाकर अस्तमें भूमिपर ही आ गिरता है, क्योंकि ढेला भूमिका ही विकार हानेके कारण भूमिसे ही

१३ तब स्थानीका जो अर्थ हो उसको जो आदेश दिया गयेगा वही उसका आदेश होगा ।

१४ चरस चलाते समय और दृढ जोतते समय बेलोंके गलेमें काठका कड़ा भटकाया जाता है उसे ' सपुष्टक ' कहते हैं ।

तिर्यग्गच्छति नोर्ध्वमारोहति पृथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्यान्तर्यतः । तथा या एता आन्तरिक्ष्यः सूक्ष्मा आपस्तासां विकारो धूमः स आकाशदेशे निवाते नैव तिर्यग्गच्छति नावागवरोहत्यन्विकारो ऽप एव गच्छत्यान्तर्यतः । तथा ज्योतिषो विकारो ऽर्चिराकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितो नैव तिर्यग्गच्छति नावागवरोहति ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्यान्तर्यतः ॥

व्यञ्जनस्वरव्यतिक्रमे च तत्कालप्रसङ्गः ॥ ९ ॥

व्यञ्जनव्यतिक्रमे स्वरव्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्नोति । व्यञ्जनव्यतिक्रमे । इष्टम् उप्तम् । आन्तर्यतो ऽर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्यार्धमात्रिक इक् प्राप्नोति ॥ नैव लोके न च वेदे ऽर्धमात्रिक इगस्ति । कस्तर्हि । मात्रिकः । यो ऽस्ति स भविष्यति ॥ स्वरव्यतिक्रमे । दध्यत्र मध्वत्र कुमार्यत्र ब्रह्मबन्ध्वर्धमिति । आन्तर्यतो मात्रिकस्य

उसका सादृश्य है । तथा जलका विकार धुओं वायुके वेगसे इधर उधर घूमता है, पर वायु न हो तो आकाशमें इधर उधर नहीं जाता है, नीचे भी नहीं गिरता है, तो स्वाभाविक गतिसे आत्मसदृश आकाशस्थ सूक्ष्मजलसे ही एकरूप होता है । तथा तेजका विकार जलाई हुई ज्वाला, वायु न हो तो आकाशमें आड़ी तिरछी नहीं जाती है, नीचेकी ओर भी नहीं झुकती है, तो स्वाभाविक गतिसे आत्मसदृश आकाशस्थ तेजमें ही विलीन हो जाती है । (उसी तरह शास्त्रमें स्थानी स्वसदृश आदेशकी ओर ही दौड़ेगा । तात्पर्य यह है कि प्रकृतसूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं यह बात सिद्ध होती है ।)

(घा. ९) व्यञ्जनका व्यतिक्रम तथा स्वरका व्यतिक्रम होनेपर तत्कालता प्राप्त होती है ।

व्यञ्जनका व्यतिक्रम (अर्थात् व्यञ्जनको स्वर आदेश) और स्वरव्यतिक्रम (अर्थात् स्वरको व्यञ्जन आदेश) होनेपर वहाँ स्थानीको जितना ही काल जिसके उच्चारणमें लगता है उतना ही आदेशको लगेगा । व्यञ्जनके व्यतिक्रमका उदाहरण— इष्टम्, उप्तम् । यहाँ यज् धातुके यकारको इकार होता है (६।१।१५) तथा वप् धातुके वकारको उकार होता है । व्यञ्जन अर्धमात्रिक होनेके कारण उसके स्थानपर प्रकृत सूत्रसे उसके समान अर्धमात्रिक इकार तथा उकार होने लगेगा ।

पर लोकमें और वेदमें कहीं भी अर्धमात्रिक इक् नहीं है ।

फिर कमसे कम कितनी मात्राओंका है ?

सबसे कम इक् ह्रस्व इक् है वह एक मात्राका है ।

तो फिर जो है वही होगा ।

स्वरके व्यतिक्रमका उदाहरण—दध्यत्र, मध्वत्र, कुमार्यर्धम्, ब्रह्मबन्ध्वर्धम् ।

द्विमात्रिकस्येको मात्रिको द्विमात्रिको वा यण् प्राप्नोति ॥ नैव लोके न च वेदे
मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति । कस्तर्हि । अर्धमात्रिकः । यो ऽस्ति स
भविष्यति ॥

अक्षु चानेकवर्णादेशेषु ॥ १० ॥

अक्षु चानेकवर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति । इदम् इश् [५.३.३] ।
आन्तर्यतो ऽर्धतृतीयमात्रस्येदमः स्थाने ऽर्धतृतीयमात्रमिवर्णं प्राप्नोति ॥ नैव दोषः ।
भाष्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेत्येवं न भविष्यति ॥

‘स्थानीसे अधिक सदृश जो आदेश हो वही किया जाय’ ऐसा प्रकृतसूत्रसे कहा
जानेसे दध्यत्र, मध्वत्रमें एकमात्रायुक्त ह्रस्व इकारको और उकारको होनेवाला यण
आदेश (६।१।७७) एकमात्रायुक्त होने लगेगा । तथा कुमार्यर्थम् में द्विमात्रायुक्त
ईकारको और ऊकारको होनेवाला यण् आदेश द्विमात्रायुक्त होने लगेगा ।

पर लोकमें और वेदमें कहीं भी एकमात्रायुक्त और द्विमात्रायुक्त यण्
नहीं है ।

फिर यण् कितनी मात्राओंका है ?

अर्धमात्रायुक्त है ?

तो फिर जो है वही होगा ।

(वा. १०) अनेक वर्णोंको एक अच् आदेश जहाँ होता है (वहाँ
तत्कालता प्राप्त होती है)

अनेक वर्णोंको एक अच् आदेश जहाँ होता है वहाँ अनेक वर्णोंके उच्चारणके
लिए सभीको मिलकर जितना काल लगता है उतने कालमें उच्चारण केन्द्र पर उर्ध्वान्त
उतनी मात्राओंका वह अच् आदेश प्रकृत सूत्रसे होने लगेगा; जैसे ‘इत् इत्’
(५।३।३) । ‘इतः’ उदाहरणमें इदम् शब्दके आगे इत् इत् (५।३।३),
अत् (७।२।१०२) और पररूप (६।१।९६) करनेके इत् ‘इत्’ इत्में ‘इत्’
को इश् आदेश होता है । इस स्थानीका इकार, दकार, उकार, ऋकार, एकार
मात्राएँ होती हैं ।

गुणवृद्धयेज्भावेपु च ॥ ११ ॥

गुणवृद्धयेज्भावेपु च तत्कालता प्राप्नोति । खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः । खट्वा उदकं खट्वोदकम् । खट्वा ईषा खट्वेषा । खट्वा ऊढा खट्वोढा । खट्वा एलका खट्वैलका । खट्वा ओदनः खट्वौदनः । खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः । खट्वा औपगवः खट्वौपगव इति । आन्तर्यतस्त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशाः प्राप्नुवन्ति ॥ नैष दोषः । तपरे गुणवृद्धी । ननु च तः परो यस्मान्सो ऽयं तपरः । नेत्याह । तादपि परस्तपरः । यदि तादपि परस्तपर ऋदोरप् [३.३.७५] इहैव

(वा. ११) गुण और वृद्धि करना हो तथा एच् आदेश करना हो (तो तत्कालता प्राप्त होनी है ।)

गुण और वृद्धि करना हो तथा एच् आदेश करना हो तो स्थानीकी जितकी मात्राएँ हों उतनी मात्राओंसे युक्त आदेश होने लगेगा । गुण और वृद्धिके उदाहरण— खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः, खट्वा उदकम्, खट्वोदकम्, खट्वा ईषा खट्वेषा, खट्वा ऊढा खट्वोढा, खट्वा एलका खट्वैलका, खट्वा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खट्वौपगवः । इन उदाहरणोंमेंसे पहले चार उदाहरणोंमें दो वर्ण मिलकर उनको एक आदेश गुण (६।१।८७) हुआ है । अन्य चार उदाहरणोंमें दो वर्ण मिलकर उनको एक आदेश वृद्धि (६।१।८८) हुआ है । तथा इन आठ उदाहरणोंमेंसे पहले दो उदाहरणोंमें स्थानी दो वर्ण मिलकर तीन मात्राएँ होती हैं इसलिए वहाँ होनेवाला गुण तीन तीन मात्राओंसे युक्त होने लगेगा, और अगले छः उदाहरणोंमें स्थानी दो वर्ण मिलकर चार मात्राएँ होती हैं इसलिए वहाँ होनेवाले गुण और वृद्धि आदेश चार मात्राओंसे युक्त होंगे ।

यह दोष नहीं आता । ‘वृद्धिरादैच्’ में आत् तकारके आगे ऐच् शब्दका उच्चारण किया है । तथा ‘अदेद्गुणः’ यहाँ अत् तकारके आगे एद् शब्दका उच्चारण किया है । अतः ‘तपरस्तत्कालस्य’ (१।१।७०) सूत्रसे दीर्घोंको ही अर्थात् दो मात्राओंके ही ए ओ को गुणसंज्ञा है और दो मात्राओंके ही ऐ औ को वृद्धिसंज्ञा है ।

परन्तु ‘तपर’ शब्दका अर्थ ‘त’ जिसके आगे माना गया है ऐसा वर्ण न ?

यही केवल नहीं ऐसा हम कहते हैं । तकारके आगे होनेवाला वर्ण भी ‘तपर-’ रूप निर्दिष्ट किया जाता है ।

यदि तकारके आगे होनेवाला वर्ण भी ‘तपर’ शब्दका अर्थ समझा गया तो ‘ऋदोरप्’ (३।३।७५) सूत्रसे यवः, स्तवः इत्यादि स्थलोंपर ही अप् प्रत्यय

स्यात् । यवः स्तवः । लवः पव इत्यत्र न स्यात् । नैप तकारः । कस्तर्हि ।
दकारः । किं दकारे प्रयोजनम् । अथ किं तकारे । यद्यसंदेहार्थस्तकारो दकारो
ऽपि । अथ मुखसुखार्थस्तकारो दकारोऽपि ॥ एज्मावे । कुर्वाते कुर्वाथे । आन्त-
र्यतो ऽर्धतृतीयमात्रस्य टिसंज्ञकस्यार्धतृतीयमात्र एः प्राप्नोति ॥ नैव लोके न च
वेदे ऽर्धतृतीयमात्र एरस्ति ॥

ऋवर्णस्य गुणवृद्धिप्रसङ्गे ऽविशेषात् ॥ १२ ॥

ऋवर्णस्य गुणवृद्धिप्रसङ्गे सर्वप्रसङ्गः । सर्वे गुणवृद्धिसंज्ञका ऋवर्णस्य
स्थाने प्राप्नुवन्ति । किं कारणम् । अविशेषात् । न हि कश्चिद्विशेष उपादीयत

होगा । लवः, पवः इत्यादि स्थलोंपर अप् प्रत्यय नहीं होगा ।

‘ऋद्वोरप्’ सूत्रमें तकारका उच्चारण ही नहीं किया है ।

तो फिर किस वर्णका उच्चारण किया है ?

दकारका उच्चारण किया है ।

दकारके उच्चारणका क्या उपयोग है ?

तकारके उच्चारणका भी क्या उपयोग है ?

तकारके उच्चारणका उपयोग है अर्थके विषयमें सन्देह निर्माण न होने देना ।
तो दकारके उच्चारणका भी वही उपयोग है । और उच्चारण करते समय मुखसे
मुखसे उच्चारण होना ही यदि तकारका उपयोग लिया तो दकारका भी वही उपयोग
लिया जा सकता है ।

एच् आदेशका उदाहरण है — कुर्वाते, कर्वाथे । यहाँ ‘टित आत्मने०
(३।१।७५) सूत्रसे जो एकार आदेश हुआ है वह, उसका स्थानी प्रत्ययका टिसंज्ञक
‘आम्’ भाग अट्टाई मात्राओंका होनेके कारण, उसके समान अट्टाई मात्राओंका
ही होने लगेगा ।

पर लोकमें और वेदमें कहीं भी अट्टाई मात्राओंका एच् नहीं है । (अतः जो है
वही होगा ।)

(वा. १२) ऋकारको गुण और वृद्धि कर्तव्य होनेपर सर्वप्रसङ्ग प्राप्त
होता है, क्योंकि उसमें कुछ विशेष नहीं दीखता ।

ऋकारको गुण और वृद्धि कर्तव्य हो तो सर्वप्रसङ्ग प्राप्त होता है अर्थात् सब
गुण और सब वृद्धियाँ होंगी । गुणसंज्ञक अ, ए, और ओ तथा वृद्धिसंज्ञक आ, ऐ
और औ सभी ऋकारके बारेमें होने लगेंगे ।

(इसका) क्या कारण है ?

उसमें कुछ विशेष नहीं दीख पड़ता है इसलिए । ‘ऋकारके स्थानमें अमुक
प्रकारका ही गुण किया जाय और अमुक प्रकारकी वृद्धि की जाय’ इस प्रकारक

एवंजातीयको गुणवृद्धिसंज्ञक ऋवर्णस्य स्थाने भवतीति । अनुपादीयमाने विशेषे सर्वप्रसङ्गः ॥

न व ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गनदवर्णस्यान्तर्यम् ॥ १३ ॥

न वैष दोषः । किं कारणम् । ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गात् । उः स्थाने ऽण् प्रसज्यमान एव रपरो भवतीत्युच्यते तत्र ऋवर्णस्यान्तर्यतो रेफवतो रेफवानकार एवान्तरतमो भवति ॥

सर्वादेशप्रसङ्गस्त्वनेकाल्त्वात् ॥ १४ ॥

सर्वादेशस्तु गुणवृद्धिसंज्ञक ऋवर्णस्य प्राप्नोति । किं कारणम् । अनेकाल्त्वात् । अनेकालिशित्सर्वस्य [१.१.५५] इति ॥

न वानेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वाद्द्ववर्णदेशस्याविधातः ॥ १५ ॥

कुछ भी विशेष नहीं किया गया है । और विशेष यदि नहीं कहा गया तो निःसंदेह सभी होंगे ही ।

(वा १३) अथवा यह दोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऋकारके स्थानमें होनेवाला अण् आदेश रपर होता है इसलिए 'अ' गुणरूप करना हो तो रपर होके 'अर्' होगा और वृद्धि 'आर्' होगी ।

अथवा यह दोष नहीं आता ।

(इसका) क्या कारण है ?

ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गात् ' अर्थात् ऋकारके स्थानमें होनेवाला जो अण् आदेश है वह होते समय ही रपरके रूपमें होता है ऐसा अगले सूत्रसे कहा गया है । अतः अ गुणरूप करना हो तो वह रपर होके 'अर्' होगा और वृद्धि 'आर्' होगी । उस अर् तथा आर्में रेफ है और ऋकारके अन्तर्गत भी है । सादृश्यके कारण ऋकारके अर् और आर् ही गुण और वृद्धि क्रमसे होंगे ।

(वा. १४) परन्तु (अर् और आर् आदेशोंमें) अनेक अल् होनेसे वे आदेश सबको होंगे ।

परन्तु गुण और वृद्धिके रूपमें जो अर् और आर् आदेश ऋकारको कर्तव्य है वे कवल ऋकारको ही नहीं होंगे तो सबको अर्थात् ऋकारान्तको होंगे ।

(उसका) क्या कारण है ?

अर् और आर् आदेशोंमें अनेक अल् होनेके कारण ' अनेकालिशित्सर्वस्य ' (१।१।५५) यह परिभाषा वहाँ प्रवृत्त होगी ।

(वा. १५) अथवा यह दोष नहीं आता । क्योंकि ' आदेशका अनेकाल् वचना ' यह बात ' उस आदेशके ऋकारके स्थानमें होने ' पर आश्रित होनेके कारण बादमें उस स्थानीमें बदल नहीं किया जा सकता ।

न वैप दोषः । किं कारणम् । अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् । यदायमुः स्थाने तदानेकाल् । अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वाद्द्ववर्णादेशस्य विधातो न भविष्यति । अथवानान्तर्यमेवैतयोरान्तर्यम् । एकस्याप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्त्यपरस्याप्यन्तरतमा आदेशो नास्ति । एतदेवैतयोरान्तर्यम् ॥

संप्रयोगो वा नष्टाश्वदग्धरयवत् ॥ १६ ॥

अथवा नष्टाश्वदग्धरयवत्संप्रयोगो भवति । तद्यथा । तवाश्वो नष्टो ममापि रथो दग्ध उभौ संप्रयुन्यावहा इति । एवमिहापि तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममाप्यन्तरतम आदेशो नास्त्यस्तु नौ संप्रयोग इति । विषम उपन्यासः । चेतना-

अथवा यह दोष नहीं आता ।

(उसका) क्या कारण है ?

‘अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात्’ अर्थात् अ तथा आ आदेश जब ऋकारके स्थानमें होगा तभी उसको रेफ आगे लगाकर वह आदेश अनेकाल् होगा । इस तरह ‘आदेश अनेकाल् बनना’ यह बात ‘वह आदेशके ऋकारके स्थानमें होने’ पर अवलंबित होनेके कारण वादमें उन स्थानोंमें बदल नहीं किया जा सकता । अथवा स्थानी उकार और आदेश अकार इनका ‘अनान्तर्य’ अर्थात् ‘स्वसदृश न प्राप्त होना’ यही एक प्रकारका सादृश्य है । वह यों कि गुण और वृद्धि जो आदेश हैं उनमेंसे अ और आको स्वसदृश कण्ठस्थानका स्थानी इकोंमेंसे कोई भी नहीं प्राप्त होता । तथा स्थानियोंमेंसे ऋकारको स्वसदृश मूर्धस्थानका आदेश गुणवृद्धियोंमेंसे कोई भी नहीं प्राप्त होता । अतः ‘अनान्तर्य’ ही सादृश्य होनेके कारण ‘अ-’ कारको गुण ‘अ-’ कार ही होगा वृद्धि ‘आ-’ कार ही होगी ।

(पा. १६) अथवा नष्टाश्व और दग्धरथके समान यहाँ ऋकार और अकारका संप्रयोग होगा ।

अथवा नष्टाश्व और दग्धरथके समान यहाँ ऋकारका और अकारका आपसमें संबंध होगा । जैसे लोगोंमें एक दूसरेसे कहता है कि ‘तुम्हारा घोड़ा नष्ट हुआ और मेरा रथ जल गया, अब हम आपसमें संबंध बना लेंगे, अर्थात् तुम्हारे रथमें मेरा घोड़ा जोड़के हम अपना काम चला लेंगे,’ वैसे ही यहाँ भी उकार अकारसे कहता है कि ‘तुम्हारे पास तुम्हारे समान स्थानी नहीं हैं और मेरे पास मेरे समान आदेश नहीं है, अतः हम आपसमें संबंध बना लेंगे ।’

पर यह दृष्टान्त उचित नहीं । क्योंकि लोकमें सचेतन प्राणियोंमें सोचनेकी शक्ति होनेसे वे अपने बलके अनुसार अथवा प्रकृणके आधारपर उपर्युक्त प्रकारसे

१७. एक विशिष्ट प्रकारकी नीव जमाके पर बंधनेके बाद जग नीवके स्थानमें बदल नहीं दिया जा सकता है ।

वत्स्वर्थात्प्रकरणाद्वा लोके सप्रयोगो भवति वर्णाश्च पुनरचेतनास्तत्र किंकृत सप्रयोगः । यद्यपि वर्णा अचेतना यस्त्वसौ प्रयुक्ते स चेतनावान् ॥

एजवर्णयोरदेशे ऽवर्णं स्थानिनो ऽवर्णप्रधानत्वात् ॥ १७ ॥

एजवर्णयोरदेशे ऽवर्णं प्राप्नोति । खट्वैलका मालीपगवः । किं कारणम् । स्थानिनो ऽवर्णप्रधानत्वात् । स्थानी ह्यत्रावर्णप्रधानः ॥

सिद्धं तूभयान्तर्यात् ॥ १८ ॥

सिद्धमेतद् । कथम् । उभयोर्योऽन्तरतमस्तेन मवितव्यं न चावर्णमुभयो-
न्तरतमम् ॥

आपसमें सबध बना ले सकेंगे । ऋकार आदि वर्ण तो अचेतन है । अतः उनका सबध कैसे बना लिया जाय ?

यद्यपि वर्ण अचेतन है, फिर शब्दोंका प्रयोग करनेवाला मनुष्य तो सचेतन है न ? वह उन वर्णोंका सबध बना ले सकेगा ।

(पा १७) एच् और अवर्ण दोनाके स्थानमें होनेवाला जो वृद्धिरूप एकादेश है वह आकार होने लगेगा, क्योंकि स्थानियोंमें अवर्णोंका बाहुल्य है ।

अवर्ण और एच् दोनोंके स्थानमें होनेवाला जो वृद्धिरूप एकादेश (६।१।८८) है वह आकार होने लगेगा, जैसे खट्वैलका, मालीपगव ।

(उसका) क्या कारण है ?

कारण यह है कि ' आ, ऐ ' अथवा ' आ, औ ' इन स्थानियोंमें अवर्णोंका बाहुल्य है ।

(वा १८) यह सिद्ध होता है क्योंकि अवर्ण और एच् दोनोंमेंसे जो अधिक सदृश आदेश घटित होगा वही आदेश प्रकृतसूत्रसे होनेवाला है ?

यह सिद्ध होता है ?

सो कैसे ?

उभयान्तर्यात् अर्थात् अवर्ण और एच् इन दोनोंमेंसे जो अधिक सदृश आदेश मेल स्वायेगा वही आदेश प्रकृतसूत्रसे होनेवाला है । और अवर्ण दो स्थानियोंमेंसे एक स्थानीसे अधिक सदृश होते हुए भी केवल उयी कारणसे वह दो स्थानियोंसे सदृश नहीं हो सकता ।

१८ दो स्थानियोंमेंसे पहला स्थानी अवर्ण है और दूसरा स्थानी जो अगला अच् है वह सत्यशर होनेके कारण उसमेंभी अवर्ण है । अतः स्थानियोंमें अवर्णोंका बाहुल्य है ।

१९ तब दोनों स्थानियोंसे सदृश जो ऐकार और औकार हैं वे ही आदेश होते हैं ।

उरण् रपरः ॥ १११५१ ॥ (४५)

किमिदं रपरवचनमन्यनिवृत्त्यर्थम् । उः स्थाने ऽणोव भवति रपरश्चेति ।
आहोस्विद्रपरत्वमनेन विधीयते । उः स्थाने ऽण्वानण्व अण्त्तु रपर इति । कश्चात्
विशेषः ।

उरण् रपरवचनमन्यनिवृत्त्यर्थं चेदुदात्तादिषु दोषः ॥ १ ॥

उरण् रपरवचनमन्यनिवृत्त्यर्थं चेदुदात्तादिषु दोषो भवति । के पुनरुदात्तादयः ।
उदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकाः । कृतिः हृतिः । कृतम् हृतम् । प्रहृतम् प्रहृतम् ।

(सू ५१) ऋकार के स्थानमें अण् आदेश करना हां तो पहले उम
आदेश के आगे रेफ लगाकर वट रेफसहित आदेश ऋकार के स्थानमें किया
जाय, और लृकार के स्थानमें अण् आदेश करना हो तो उसी तरह उममें
लृकार जोड़ा जाय ।

ऋकारके स्थानमें अण् रपर होता है ऐसा प्रकृतसूत्रसे क्यों कहा है ? अण्के
सिवा अन्य आदेश न हो इसलिए वह कहा है । अतः ऋकार के स्थानमें आदेश
करना हो तो अण् ही आदेश किया जाय और वह रपर किया जाय यह इस सूत्रक
अर्थ समझा जाय ? अथवा केवल ' रपर होता है ' इतना ही इससे कुछ नय
कहा है, अर्थात् ' ऋकारके स्थानमें अण् आदेश हो वा अण्के सिवा अन्य भी हो,
पर उसमें जब अण् आदेश होगा तब वह केवल रपर ही किया जाय ' ऐसा इस
सूत्रका अर्थ समझा जाय ?

इन दो अर्थोंमें क्या भेद ?

(वा. १) अण् के सिवा दूसरा आदेश न हो इसलिए ' उरण् रपरः '
सूत्र किया हो तो उदात्त आदि स्वरों के बारेमें दोष आता है ।

ऋकारको अण्के सिवा अन्य आदेश न हो इसलिए यदि ' उरण् रपरः '
प्रहृतसूत्र बनाया हो तो उदात्त आदिके बारेमें दोष प्राप्त होता है ।

उदात्त आदि फिर क्या है ?

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक ये उदात्त आदि हैं, जेमे, हृतिः,

१ ' कृति ' में ' कृ ' धातुके आगे ' तिङ् ' (१११५४) प्रथम करनेके बाद
' अण्व्यादिभिन्त्यम् ' (१११५७) में ऋकारको उदात्त आदेश होता है वह ' स्थानेऽणोवः '
सूत्रके ऋकारही होता है । परन्तु भउ इत्य सूत्रके ' अण् ' ही होता है यह नियम दिया जानेके
कारण उदात्त अण् ही होगा । अथवा अ, इ, उ इनमेंको कोई भी होगा, ऋ न होगा । ' इत्यम् ' में
' वृत् ' श्रयदत्ता उदात्त (१११३) करनेके बाद ' अनुदात्तम् ' (१११५८) में
ऋकारको अनुदात्त आदेश ऋकार ही होता है वह अकार इत्यादि कोई भी होगा । ' प्रहृतम् ' में
' गतिरनन्तर ' (११२८९) से ' प्र- ' के अकारका उदात्त आदेश करनेके बाद ' उदा

नूँः पाहि । अस्तु तर्ह्युः स्थाने ऽण्चानण्च अण्तु रपर इति ।

य ङः स्थाने स रपर इति चेद् गुणवृद्धिचोरवर्णाप्रतिपात्तिः ॥ २ ॥

य उः स्थाने स रपर इति चेद् गुणवृद्धिचोरवर्णास्याप्रतिपात्तिः । कर्ता
हर्ता वार्षगण्यः । किं हि साधीय ऋवर्णास्यासवर्णे यदवर्णं म्यान्न पुनरेडैचौ ।
पूर्वस्मिन्नपि पक्ष एष दोषः । किं हि साधीयस्तत्राप्युवर्णास्यासवर्णे यदवर्णं स्यान्न
पुनरिवर्णोवर्णौ । अथ मतमेतद्दुः स्थाने ऽणश्चानणश्च प्रसङ्गे ऽणोव भवति रपरश्चेति

इतिः, कृतं, हतं, प्रकृत, प्रहृतं, नूँः, पाहि ।

तो फिर 'ऋकारके स्थानमें आदेश अण् हो वा अण्के सिवा अन्य भी हो,
पर उसमें जब अण् आदेश होगा तब वह केवल रपर किया जाय, ' यही इस सूत्रका
अर्थ रहने दें ।

(वा २) ऋकार के स्थानमें जो आदेश होगा वह रपर किया जाय
यह अर्थ हो तो गुण और वृद्धि अवर्णरूप नहीं होगी ।

' ऋकारके स्थानमें जो अण् आदेश होगा वह रपर किया जाय ' इस प्रकारका
इस सूत्रका अर्थ लिया जाय तो ' कर्ता, ' ' हर्ता ' में ऋकारको गुण ' अ '—कार
ही होता है और ' वार्षगण्यः ' रूपमें ऋकारकी वृद्धि ' आ 'कार ही होती है वह नहीं
होगी । अ, ए, ओ ये तीन गुणसंज्ञक वर्ण हैं और आ, ऐ, औ ये तीन वृद्धिसंज्ञक
वर्ण हैं, इनमेंसे कोई भी ऋकारका सवर्ण नहीं है । फिर उनमें ऋकारका गुण अकार
ही होता है, ए और ओ नहीं, तथा ऋकारकी वृद्धि आकार ही होती है, ऐ और औ
नहीं इसका ठीक कारण क्या बताया जा सकता है ?

पर यह दोष पूर्वके पक्षपर भी आता है । उस पक्षमें भी गुणोंमेंसे और
वृद्धियोंमेंसे ऋकारका सवर्ण कोई भी नहीं है, फिर उसमें ' अण् ' ही आदेश किया
जाय इस विधानसे ' एच् ' आदेश न हो । किन्तु अकारही क्यों किया जाय और इकार,
उकार अण् होनेपर भी क्यों न किये जाये इसका उचित कारण क्या दिखाया जा
सकता है ?

अब यदि यह मान लिया कि ऋकारके स्थानमें अण् अथवा उसके अतिरिक्त
अन्य जो प्राप्त होंगे उनमेंसे अण् ही करना और वह रपर करना । तो इकार और
उकार अण् होनेपर भी गुणवृद्धि कहनेवाले सूत्रसे वे प्राप्त न होनेके कारण वे नहीं होंगे
और अकार ही होगा । (अतः दूसरे पक्षपर दिया हुआ दोष पहले पक्षपर नहीं आता

सादनु० ' (८।४।६६) से ऋकारको स्वरित आदेश ऋकार ही होता है वहाँ भी अकार
इत्यादि होंगे । ' नून- ' के नकारको ' नून्डे ' (८।३।१०) से श्त्व करनेके बाद ' अत्रानु-
नासिक० ' (८।३।२) से ऋकारको अनुनासिक आदेश होता है वह ऋ ही होता है । वहाँ
भी प्रकृतसूत्रसे ' अण् ' ही अर्थात् अकार इत्यादि कोई भी होंगे ।

सिद्धा पूर्वस्मिन्पक्षे ऽवर्णस्य प्रतिपात्तिः । यत्तु तदुक्तमुदात्तादिषु दोषो भवतीतीह स दोषो जायते । न जायते । जायते स दोषः । कथम् । उदात्त इत्यनेनाणो ऽपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते ऽनणो ऽपि । यद्यपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते न तु प्राप्नुवन्ति । किं कारणम् । स्थाने ऽन्तरतमो भवतीति । कुतो नु खल्वेतद् द्वयोः परिभाषयो. सावकाशयोः समवस्थितयोः स्थाने ऽन्तरतम इत्युत्तरपर इति च स्थाने ऽन्तरतम इत्यनया परिभाषया व्यवस्था भविष्यति न पुनरुत्तरपर इति । अतः किम् । अत एव दोषो जायत उदात्तादिषु दोष इति ॥ ये चाप्येत ऋवर्णस्य स्थाने प्रतिषद्मा-देशा उच्यन्ते तेषु स्पर्त्वं न प्राप्नोति । ऋत इद्धातोः [७ १ १००] उदोष्ठ-पूर्वस्य [१०२] इति ॥

है ।) पर पहले पक्षपर उदात्त आदि स्वरोंके बारेमें जो दोष दिया है वह दोष इस दूसरे पक्षपर आता है वा नहीं (इसका विचार करना चाहिये) ।

दूसरे पक्षपर भी वह दोष आयेगा ऐसा दिखाई देता है ।

वह कैसे ?

उदात्त शब्दसे केवल ऋकार ही लिया जाता है सो बात नहीं, तो उदात्त शब्दसे अ, इ, उ ये अणु तथा उनके अतिरिक्त ऋ आदि ये सभी अच् भी लिये जाते हैं ।

किन्तु यद्यपि उदात्त शब्दसे अ, इ, उ इन अणोंका भी समग्र होता है तो भी 'कृतं' आदि उदाहरणोंमें वे प्राप्त नहीं होते, (फिर दोष कैसे आयेगा) ?

वे प्राप्त न होनेका कारण क्या है ?

'स्थानेन्तरतमः' (१।१।५०) यह परिभाषा है न ? (तब 'कृतं' आदि उदाहरणोंमें ऋकारके लिए ऋकार ही उदात्त प्राप्त होनेवाला है । इसलिए 'कृत' आदि स्पर्त्वोंमें दोष नहीं आयेगा ।)

'स्थानेन्तरतमः' और 'उरण् रपरः' ये दोनों परिभाषाएँ अन्यत्र स्वतंत्रतया उपयुक्त होनेवाली हैं और 'कृतं' आदि उदाहरणोंमें अत्यंत समानरूपमें उपस्थित होती हैं, फिर भी उन दोनोंमेंसे 'स्थानेन्तरतमः' परिभाषासे ही यहाँ व्यवस्था की जायगी और 'उरण् रपरः' परिभाषासे यहाँ व्यवस्था न होगी इस प्रकारका विषय क्यों किया जाय ?

फिर इसमें क्या बिगड़ता है ?

इतनाही हुआ है कि 'उरण् रपरः' परिभाषा 'कृत' आदि उदाहरणोंमें ली जानेमें 'उदात्त आदेश अणु होंगे' यह दोष दूसरे पक्षको भी प्राप्त होता है ।

और 'ऋत उद्धातोः (७।१।१००)', 'उदोष्ठपूर्वस्य' (७।१।१०२) सूत्रसिद्ध, उन् आदि वर्णोंके उच्चारण करके ऋकारको इत्, उत् आदि आदेश कहे हैं वे रपर नहीं होंगे (यह दोष आता है । क्योंकि वहाँ अणु और इतर की प्राप्ति नहीं होती ।)

सिद्धं तु प्रसङ्गे रपरत्वात् ॥ ३ ॥ (४५)

सिद्धमेतत् । कथम् । प्रसङ्गे रपरत्वात् । उः स्थाने ऽण् प्रसज्यमान एव रपरो भवतीति । किं वक्तव्यमेतत् । न हि । कथमनुच्यमानं गंस्थते । स्थान इति वर्तते स्थानशब्दश्च प्रसङ्गवाची । यद्येवमादेशो ऽविशेषितो भवति । आदेशश्च विशेषितः । कथम् । द्वितीयं स्थानग्रहणं प्रकृतमनुवर्तते तत्रैवमाभिसंबन्धः करिष्यते । उः स्थाने ऽण्स्थान इति । उः प्रसङ्गे ऽण्प्रसज्यमान एव रपरो भवति ॥

(वा. ३) ऋकार को अण् आदेश करनेका प्रसंग आने पर वह रपर होगा इसलिये यह सिद्ध होता है ।

यह सिद्ध होता है ।

कैसे ?

‘प्रसङ्गे रपरत्वात्’ अर्थात् ऋकारके स्थानमें अण् आदेश करनेका प्रसङ्ग आया कि उसी समय वह रपर होके उस रेफके साथ आदेश होता है इसलिये ।

तो फिर क्या ‘प्रसङ्ग आने पर’ यह पद सूत्रमें जानबूझकर (विशेष हेतुसे) रखा जाय ?

वैसा करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सूत्रमें उस पदको रखे बिना वह अर्थ कैसे प्राप्त होगा ?

‘स्थाने’ पद पीछेसे अनुवृत्त होकर आता है । और ‘स्थान’ शब्दका अर्थ ‘प्रसङ्ग’ हो सकता है ।

इस प्रकार रपर करनेका समय दिखानेके लिए ‘स्थान’ शब्दका प्रयोग हुआ, तो ‘ऋकारके-स्थानमें जो आदेश’ इस तरह आदेशके प्रति जो ‘स्थान’ शब्द लगता है वह नहीं लगेगा ।

उसी तरह आदेशके प्रति लगाया जा सकता है ।

कैसे ?

पहले दूसरा एक जो ‘स्थाने’ शब्द है उसकी अनुवृत्ति करना पर्याप्त है । तब दो ‘स्थाने’ शब्द लेकर ‘उः स्थाने अण् स्थाने’ इस प्रकारका संबंध स्थापित किया जा सकता है, अर्थात् ऋकारके उच्चारणके समय ऋकारके बदले जिसका उच्चारण किया जाता है वह अण् प्रसंगावस्थामें ही रपर होता है यह अर्थ होगा ।

२ तब ‘कर्ता’ में ऋकारको गुण कर्तव्य हो तो ‘अ, ए और ओ’ ये तीन प्राप्त हुए ऐसा न कहकर ‘अइ, ए और ओ’ ये तीन प्राप्त हुए ऐसा समझना चाहिये । उस ‘अइ’क रेफका मूर्धस्थान होनेके कारण मूर्धस्थानके ऋकारको ‘अइ-’ही गुण ‘स्थानेन्तरतम’ परिभाषासे होता है इसलिये दोष नहीं आता ।

अथाण्यग्रहणं किमर्थं न ऊ रपर इत्येवोच्येत । ऊ रपर इतीयत्युच्यमाने क इदानीं रपरः स्यात् । य उः स्थाने भवति । कश्चोः स्थाने भवति । आदेशः ।

आदेशो रपर इति चेद्रीरिविधिषु रपरप्रतिषेधः ॥ ४ ॥

आदेशो रपर इति चेद्रीरिविधिषु रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुना रीरिविधयः । अकङ् लोपानडनङ् रीङ् रिडादेशाः । अकङ् । सौधातकिः । लोपः । पितृष्वसेयः । आनङ् । होतापोतारौ । अनङ् । कर्ता हर्ता । रीङ् । मात्रीयति पित्रीयति । रिङ् । क्रियते ह्रियते ॥

उदात्तादिषु च ॥ ५ ॥

किम् । रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । कृतिः हृतिः कृतम् हृतम् । प्रकृतम्

अब इस सूत्रमें 'अण्' शब्द किसलिए रखा गया है ? उसकी आवश्यकता नहीं है । 'ऊ रपरः' अर्थात् 'ऋकारके स्थानमें रपर होता है' इतना ही सूत्र पर्याप्त है ।

पर 'ऋकारके स्थानमें रपर होता है' इतना ही कहा तो कौन अब रपर होगा ? जो कोई ऋकारके स्थानमें प्राप्त होगा वह रपर होगा ।

ऋकारके स्थानमें कौन प्राप्त होता है ?

आदेश होता है ।

(वा. ४) ऋकारका आदेश रपर होता है ऐसा हो तो रीरि-विधियों-के बारेमें प्रतिषेध करना चाहिये ।

कोई भी आदेश रपर होना है ऐसा कहा तो रीरिविधि रपर हो जाएंगे । वहाँ 'वे रपर नहीं होते' इस प्रकारका निषेध बनाना चाहिये ।

वे रीरिविधि कौनसे ?

अकङ्, लोप, आनङ्, अनङ्, रीङ् और रिङ् ये आदेश 'रीरिविधि' हैं । 'सौधातकिः' रूपमें 'सुधातृ' शब्दके ऋकारको अकङ् आदेश (४।१।९७) हुआ है । 'पितृष्वसेयः' रूपमें 'पितृष्वस्' शब्दके अन्त्य ऋकारका लोप (४।१।१२३) हुआ है । 'होतापोतारौ' में 'होतृ' शब्दके ऋकारको आनङ् आदेश (६।३।२५) हुआ है । 'कर्ता', 'हर्ता' में 'कर्तृ' और 'हर्तृ' शब्दोंके ऋकारको अनङ् आदेश (७।१।९४) हुआ है । 'मात्रीयति', 'पित्रीयति' में 'मातृ' और 'पितृ' शब्दोंके ऋकारको 'रीङ्' आदेश (७।४।२७) हुआ है । 'क्रियते', 'ह्रियते' में 'कृ' और 'द्' धातुओंके ऋकारको 'रिङ्' आदेश (७।४।२८) हुआ है ।

(वा. ५) उदात्त आदिके बारेमें भी प्रतिषेध करना चाहिये ।

उदात्त आदि स्थानमें क्या होता है ?

उदात्त आदि जो आदेश होते हैं वे रपर नहीं होते इस प्रकारका निषेध

प्रहृतम् । नृः पाहि ॥ तस्मादण्यग्रहणं कर्तव्यम् ॥

एकादेशस्योपसंख्यानम् ॥ ६ ॥

एकादेशस्योपसंख्यानं कर्तव्यम् । खट्वृश्यः मालश्र्यः । किं पुनः कारणं न सिध्यति । उः स्थाने ऽण्प्रसज्यमान एव रपरो भवतीत्युच्यते न चायमुरेव स्थाने ऽण् सिध्यते । किं तर्हि । उश्चान्यस्य च ॥ अवयवग्रहणात्सिद्धम् । यदत्र ऋवर्णं तदाश्रयं रपत्वं भविष्यति । तद्यथा । मापा न भोक्तव्या इत्युक्ते मिश्रा अपि न भुज्यन्ते ।

अवयवग्रहणात्सिद्धमिति चेदादेशे रान्तप्रतिषेधः ॥ ७ ॥

अवयवग्रहणात्सिद्धमिति चेदादेशे रान्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । होता-

कहना चाहिये । जैसे, कृतिः, इतिः, कृतम्, इतम्, प्रकृतम्, प्रइतम्, नृः पाहि । सारांश इस सूत्रमें 'अण्' शब्द रखना चाहिये ।

(वा. ६) एकादेशके वारमें भी रपरत्व कहना चाहिये ।

ऋकार और दूसरा वर्ण इन दोनोंके स्थानमें होनेवाला जो एक एक-आदेश है वह रपर होता है ऐसा कहा जाय; जैसे, खट्वा ऋश्यः, खट्वृश्यः, माला ऋश्यः मालश्र्यः ।

पर यहाँ रपर न होनेका कारण क्या है ?

कारण यह है कि ऋकारके स्थानमें होनेवाला अण् आदेश रपर होता है ऐसा कहा गया है । और खट्वृश्यः आदि उदाहरणोंमें जो एक आदेश अण् हुआ है वह एक अकारके स्थानमें नहीं हुआ है, तो ऋकार और दूसरा 'खट्वा-' शब्दका आकार इन दो वर्णोंके स्थानोंमें वह हुआ है ।

'अवयवग्रहणात्सिद्धम्' अर्थात् 'आ और ऋ' इन स्थानियोंमेंसे ऋकार होनेके कारण आदेश रपर होनेमें कुछ आपत्ति नहीं दिखाई देती । जैसे 'उरद न खाना' ऐसा कहा जाता है तब उरद और मूँग मिलाकर बनाये हुए लड्डु आदि पदार्थोंका भी भक्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें उरद मिलाये है ।

(वा. ७) ऋकार अवयव होनेसे इष्ट सिद्ध होता है ऐसा कहा तो आदेशके वारमें रपरत्वका निषेध करना चाहिए ।

'आ ऋ' इन स्थानियोंमेंसे एक भाग ऋकार होनेके कारण उस स्थानीको होनेवाला आदेश रपर होता है ऐसा कहा तो जिस आदेशका एक भाग अण् है वह आदेश भी रपर होने लगेगा उसका प्रतिषेध कहना चाहिये । उदाहरणके लिये

३. 'खट्वा ऋश्य' यहाँ 'आ और ऋ' इन दो वर्णोंका समुदाय ऋकारान्त होनेके कारण वहाँ उन दोनोंके स्थानमें होनेवाला एकादेश गुण (१।१।८७) 'अ' रपर होगा ।

पोतारौ । यथैवोश्चान्यस्य च स्थाने ऽणरपरो भवत्येवं य उः स्थाने ऽण्चानण् च सो ऽपि रपरः स्यात् ॥ यदि पुनर्ऋवर्णान्तस्य स्थानिनो रपरत्वमुच्येत । खट्वृथः मालृथः । नैवं शक्यम् । इह हि दोषः स्यात् । कर्ता हर्ता । किरति गिरति । ऋवर्णान्तस्येत्युच्यते न चैतद् ऋवर्णान्तम् । ननु चैतदपि व्यपदेशिकद्रावेन ऋवर्णान्तम् । अर्थवता व्यपदेशिवद्भावो न चैवो ऽर्थवान् । तस्मान्नैवं शक्यम् ॥ न चेदेवमुपसंख्यानं कर्तव्यम् । इह च ररत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । मातुः पितुरिति ॥ उभयं न वक्तव्यम् । कथम् । इह यो द्वयोः पठोनिर्दिष्टयोः प्रसङ्गे भवति

होतापोतारौ । जैसे 'खट्वृथः' में ऋकार और दूसरा वर्ण 'खट्वा' में का आकार इन दोनोंके स्थानमें होनेवाला अण् आदेश रपर होता है, वैसे ही 'होतापोतारौ' में 'होत्' के ऋकारके स्थानमें होनेवाला जो अण् है और दूसरा वर्ण जो नकार है दोनों मिलकर होनेवाला 'आन्' आदेश (६।३।२५) ही रपर होने लगेगा ।

अब यदि ऋकारान्तके स्थानमें होनेवाला जो अण् आदेश है वह रपर होता है ऐसा सूत्रका अर्थ करके खट्वृथः, मालृथः उदाहरण सिद्ध करता हो तो वह बात शक्य नहीं है । कारण यह कि उस प्रकारका अर्थ किया गया तो कर्ता, हर्ता, किरति, गिरति इत्यादि स्थानोंमें एकमात्रायुक्त ऋकारको आदेश होनेसे वहाँ रपर नहीं होगा । क्योंकि ऋकारान्तके स्थानमें होनेवाला रपर होता है ऐसा कहा है । यहाँ तो केवल ऋकारको ही आदेश नहीं होता । एकमात्रायुक्त ऋवर्णको 'ऋकारान्त' नहीं कहा जाता है ।

पर व्यपदेशिवद्भाव किया गया तो एकमात्रायुक्त ऋकारको ऋकारान्त कहा जा सकता है । (वैसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि) व्यपदेशिवद्भाव अर्थयुक्त शब्दस्वरूपके बारेमें लिया जा सकता है । और कर्ता, हर्ता इत्यादि उदाहरणोंमें कृ और हृके ऋकारको कुछभी अर्थ नहीं है । तात्पर्य यह है कि 'ऋकारान्तको होनेवाला अण् रपर होता है' इस प्रकारका अर्थ करना शक्य नहीं है । और वह अर्थ न किया गया तो खट्वृथः आदि उदाहरणोंमें आदेश रपर होनेके लिए 'स्थानीका एक भाग ऋ हो तो भी यहाँ आदेश रपर किया जाय' यह विधान करना चाहिये । और 'मातुः,' 'पितुः' में 'क्त उत्' (६।१।१११) सूत्रसे होनेवाला उकार एकादेश 'ऋ अ' स्थानोंमेंसे एक भाग ऋकार है इसलिए रपर होने लगेगा इसका भी निषेध करना चाहिये ।

ये दोनों कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।

तो फिर 'खट्वृथः' में आदेश रपर कैसे होगा ?

इस प्रकार होगा कि जिस सूत्रमें दो स्थानियोंका, प्रत्येकमें अलग अलग पठोप्रत्यय लगाकर, पृथक् निर्देश करके उन दोनोंको एक ही आदेश कहा जाता है वहाँ उन द्वा स्थानियोंमेंसे किसी एक स्थानीका वह आदेश है ऐसा कहा जा

लभते ऽसावन्यतरतो व्यपदेशम् । तद्यथा । देवदत्तस्य पुत्रः देवदत्तायाः पुत्र इति ॥
 कथं मातुः पितुरिति । अस्त्वन्न रपरत्वम् । का रूपसिद्धिः । रात्सस्य [८.२.२४]
 इति सकारस्य लोपो रेफस्य विसर्जनीयः । नैवं शक्यम् । इह हि मातुः करोति
 पितुः करोतीत्यप्रत्ययविसर्जनीयस्येति पत्वं प्रसज्येत । अप्रत्ययविसर्जनीयस्ये-
 त्युच्यते प्रत्ययविसर्जनीयश्चायम् । लुप्यते ऽत्र प्रत्ययो रात्सस्येति । एवं तर्हि
 भ्रातृपुत्रग्रहणं ज्ञापकमेकादेशनिमित्तात्वत्वप्रतिषेधस्य । यदयं कस्कादिषु भ्रातृ-
 पुत्रशब्दं पठति तज्ज्ञापयत्याचार्यो नैकादेशनिमित्तात्वत्वं भवतीति ॥

सकृता है । जैसे लोकमें देवदत्त नामका पिता हो, और माताका नाम देवदत्ता हो, तो इन दोनोंके पुत्रको 'देवदत्तका पुत्र' कहते हैं और 'देवदत्ताका पुत्र' भी कहते हैं। वैसेही 'खट्वर्धः' में 'आद् गुणः' (६।१।८७) सूत्रसे होनेवाला 'अ' आदेश ककारके स्थानमें होनेवाला है ऐसा अनायास (सहजमें) कहा जा सकता है। तब रपर होनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है।

तो फिर 'मातुः', 'पितुः' में भी 'कत उत्' (६।१।१११) सूत्रसे होनेवाला उकार एकादेश रपर होने लगेगा।

रपर होता है तो होने दें। इसमें कुछ प्रत्ययाय नहीं।

फिर 'मातुः', 'पितुः' रूप कैसे सिद्ध होंगे ?

रपर हुआ तो भी उस रेफके अगले सकारोंका 'रात्सस्य' (८।२।२४) सूत्रसे लोप होगा और उस रेफका विसर्ग (८।३।१५) करनेसे उन रूपोंकी सिद्धि होगी।

इस प्रकार रूपसिद्धि शक्य नहीं है। उस पद्धतिसे रूपसिद्धि की गयी तो 'मातुः करोति', 'पितुः करोति' में उस विसर्गको 'इडुडुपधस्य चाप्रत्ययस्य' (८।३।४१) सूत्रसे पत्व होने लगेगा।

पर उस सूत्रमें 'प्रत्ययका विसर्ग न हो' ऐसा कहा है न ? और यह विसर्ग तो प्रत्ययका है।

जिस सकारको रुत्व और विसर्ग होके प्रत्ययका विसर्ग होगा उस सकारका ही उकारादेश रपर होनेसे 'रात्सस्य' (८।२।२४) से लोप हुआ है।

तो फिर 'एकादेश कहनेवाले शास्त्रसे किया हुआ जो वर्ण है उसके अगले विसर्गको पत्व नहीं होता' इसके बारेमें 'भ्रातृपुत्र' शब्द ज्ञापक लिया जानेसे वह दोष नहीं आयेगा। आचार्य पाणिनि कस्कादि गणमें (८।३।४८) भ्रातृपुत्र शब्दका पाठ पत्वके लिए करते हैं तो इससे ज्ञापित करता है कि 'एकादेश कहनेवाले शास्त्रका किया हुआ जो वर्ण है उसके आगेके विसर्गको पत्व नहीं होता है।'

किं पुनरयं पूर्वान्त आहोस्वित्परादिराहोस्विदभक्तः । कथं चायं पूर्वान्तः स्यात्कथं वा परादिः कथं वाभक्तः । यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः । अधादिरिति वर्तते ततः परादिः । अधोभयं निवृत्तं ततो ऽभक्तः । कश्चात्र विशेषः ।

अभक्ते दीर्घलत्वयगभ्यस्तस्वरहलादिशेषविसर्जनीयप्रतिषेधः प्रत्यया-

व्यवस्था च ॥ ८ ॥

यद्यभक्तो दीर्घत्वं न प्राप्नोति । गीः पूः । रेफवकारान्तस्य धातोरिति दीर्घत्वं न प्राप्नोति । किं पुनः कारणं रेफवकाराभ्यां धातुर्विशेष्यते न पुनः पदं

फिर प्रकृतसूत्रसे अण् आदेशके आगे लगाना जानेवाला रेफ क्या पूर्वका अन्त्यावयव होता है, अथवा परका आयावयव होता है अथवा दोनोंका अवयव न होते हुए बीचमें अलग ही रहता है ?

(यह प्रश्न कैसे उपस्थित होता है ?) पूर्वका अन्त्यावयव कैसे होगा ? अथवा परका आयावयव कैसे होगा ? अथवा ' वह बीचमें अलग रहता है ' ऐसा कैसे कहा जा सकता है ?

यदि इस प्रकृतसूत्रमें ' आयन्तो० ' इस सूत्रसे ' अन्त ' शब्दकी अनुवृत्ति प्राप्त हुई तो यह रेफ पूर्वका अन्त्यावयव होता है ऐसा कहा जा सकता है । तथा ' आदि ' शब्दकी अनुवृत्ति प्राप्त हुई तो यह रेफ परका आयावयव होता है ऐसा कहा जा सकता है । और दोनों भी शब्दोंकी अनुवृत्ति नहीं आयी तो ' बीचमें अलग रहता है ' ऐसा कहा जा सकता है ।

फिर इन पक्षोंमें क्या भेद होता है ?

(वा. ८) यह रेफ जो बीचमें अलग रहता है तो दीर्घ, लट्, यस्स्वर, अभ्यस्तस्वर और हलादिशेष इनकी लिखी नहीं होगी, विसर्ग का निषेध कहना चाहिये और प्रत्यय के वारेमें ठीक व्यवस्था नहीं होगी ।

यदि यह रेफ किसीका भी अवयव न होकर अलग ही रहा तो दीर्घ नहीं होगा । रेफान्त तथा वकारान्त धातुओंमें उपधासंज्ञक इक्को कहा हुआ जो दीर्घ आदेश (८।२।७२) है वह ' गीः । और ' पूः ' में नहीं होगा ।

पर उस सूत्रमें रेफान्त और वकारान्त ये पद धातुके ही विशेषण क्यों किये

५. ' गृ ' धातुके आगे ' क्विप् ' प्रत्यय करनेके बाद उस ' ऋ ' कारकी ' ऋत इदातोः ' (७।१।१००) से ह्रस्व इकार आदेश होता है वह प्रकृतसूत्रमें रपर होके गिद् रेफान्त धातु होता है, इसलिए उसको दीर्घ होता है । रेफ अलग रहा तो धातु ' गि ' इकारान्त ही होगी और दीर्घ न होगी । ' पू ' धातुके आगे ' क्विप् ' प्रत्यय करनेके बाद ' उरोष्ठय० ' (७।१।१०२) से ऋकारकी ह्रस्व उकार आदेश होता है वह रपर होके ' पुद् ' रेफान्त धातु होती है, वहाँ भी वैसा ही समझा जाय ।

विशेष्यते रेफवकारान्तस्य पदस्येति । नैवं शक्यम् । इहापि प्रसज्येत । अग्नि-
र्वाणुरिति । एवं तर्हि रेफवकाराभ्यां पदं विशेषयिष्यामो धातुनेकम् रेफवकारान्तस्य
पदस्येको धातोरिति । एवमपि प्रियं ग्रामणि कुलमस्य प्रियग्रामणिः प्रियसेनानिः
अत्रापि प्राप्नोति । तस्माद्घातुरेव विशेष्यते धातौ च विशेष्यमाण इह दीर्घत्वं न
प्राप्नोति । गीः पूः । दीर्घ ॥ लत्व । लत्वं च न सिध्यति । निजेगिल्यते । ग्रो
यडि [८ २-२०] इति लत्वं न प्राप्नोति ॥ नैप दोषः । ग्र इत्यनन्तरयोगैषा

जायें? 'रेफान्त और वकारान्त जो पद' ऐसा पदका विशेषण क्यों नहीं किया
जाता है? (पदका विशेषण किया तो 'गीः' 'पूः' में दोष नहीं आयेगा ।)

पदका विशेषण करना शक्य नहीं। वैसा किया तो 'अग्निः', 'वायुः' में भी
इक्को दीर्घ होने लगेगा ।

तो फिर 'रेफान्त' और 'वकारान्त' ये पदके विशेषण होने दें। 'धातु'
को इक्का विशेषण बनाकर धातुका अवयव जो इक् है उसको दीर्घ आदेश होता है
ऐसा कहा तो 'अग्निः', 'वायुः' में दीर्घ नहीं होगा ।

'अग्निः', 'वायुः' में दोष नहीं आया तो भी 'प्रियग्रामणि कुलम्' में 'प्रिय है
ग्रामणी अर्थात् गाँवको ले जानेवाला (गाँवका स्वामी, प्रमुख) जिसका वह प्रियग्रामणिः'
तथा प्रियसेनानि.' में दीर्घ आदेश होने लगेगा इस प्रकारका दोष आता ही है।
(क्योंकि यहाँ इकार 'नी' धातुका अवयव है। अतः 'रेफान्त' तथा 'वकारान्त' यह
विशेषण धातुका ही करना चाहिये । और वैसा वह धातुका विशेषण किया तो 'गीः',
'पूः', में दीर्घ नहीं होगा, यह दोष कायम ही रहता है। तथा प्रकृतसूत्रसे अणको
जोड़ा हुआ रेफ अलग रहा तो लत्व सिद्ध नहीं होगा। 'निजेगिल्यते' रूपमें 'ग्रो
यडि' (८।२।२०) सूत्रसे उस रेफको लत्व नहीं होगा ।

यह दोष नहीं आता। कारण यह कि 'गृः' यह षष्ठी 'अनन्तर' अर्थात्
'समीपका' इस अर्थकी ओर जाती है। अतः 'गृ' धातुका अवयव जो रेफ ऐसा
अर्थ नहीं होता है, तो 'गृ' धातुके समीपका जो रेफ है उसको लत्व होता है यह
अर्थ होगा ।

६ 'अग्नि' शब्दके आगे प्रथमा एकवचन 'सु' प्रत्यय लगाकर, उसको लत्व
(८।२।१६) करनेके बाद रेफान्त 'अग्नि' पदके इक्को दीर्घ होके उसके बाद विसर्ग होगा,
और 'अग्नी' यह विचित्र रूप बनेगा ।

७ 'गृ' धातुके आगे 'यद्' प्रत्यय करके ऋकारको इकार आदेश (७।१।१००)
होता है वह स्वर होके 'गिद्' हुआ है। यह रेफ अलग होनेके कारण 'गृ' धातुका अवयव
नहीं इसलिए उस रेफको लत्व (८।२।२०) न होगा ।

पठी । एवमपि स्वर्जैगित्यत इत्यत्रापि प्राप्नोति । एवं तर्हि यद्दानन्तर्यं विशेष-
यिष्यामः । अथवा ग्र इति पञ्चमी । लत्व ॥ यक्स्वर । यक्स्वरश्च न सिध्यति ।
गीर्यते स्वयमेव । पूर्यते स्वयमेव । अचः कर्तृयकि [६.१.१९५] इत्येव स्वरो
न प्राप्नोति रेफेण व्यवहितत्वात् ॥ नैष दोषः । स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवदिति
नास्ति व्यवधानम् । यक्स्वर ॥ अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्च न सिध्यति । मा
हि स्म ते पिपरुः । मा हि स्म ते विभरुः । अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवत्यजादौ
लसार्वाधातुक इत्येव स्वरो न प्राप्नोति रेफेण व्यवहितत्वात् ॥ नैष दोषः । स्वर-

वैसा अर्थ किया तो भी अन्यत्र दोष आता है । 'स्वर्जैगित्यते' रूपमें 'गृ'
धातुके पासका स्वर अव्ययका जो रेफ है उसको भी लत्व होने लगेगा ।

तो फिर 'गृ' धातुके पासका जो रेफ है उसको 'यङि' विशेषण हम देते हैं ।
('स्वर्जैगित्यते' रूपमें यह आगे होनेके कारण 'स्वर' अव्ययके रेफको लत्व
नहीं होगा ।) अथवा 'ग्रो यङि' सूत्रमें 'ग्रः' को पठी न समझकर पंचमी ली जाय ।
(इससे 'गृ' धातुके आगे जो रेफ है उसको यह आगे होनेपर लत्व नहीं होगा, यह
अर्थ किया जाय तो कहीं भी दोष निर्माण नहीं होता ।) वैस ही प्रकृतसूत्रसे अणु
को लगा जानेवाला रेफ अलग रहा तो यस्वर सिद्ध नहीं होगा । 'गीर्यते स्वयमेव',
'पूर्यते स्वयमेव' इन उदाहरणोंमें 'अचः कर्तृयकि' (६।१।१९५) सूत्रसे यक् आगे
होनेपर धातुको कहा हुआ उदात्त स्वर नहीं होगा । कारण यह कि धातु और यक् प्रत्यय
इन दोनोंमें रेफसे व्यवधान होता है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि 'स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्' अर्थात्
"स्वरविधि कर्तव्य हो तो व्यञ्जन नहींके बराबर समझा जाय" इस परिभाषासे वहाँ
'रेफसे व्यवधान नहीं होता' ऐसा समझा जायगा । तथा प्रकृतसूत्रसे जोड़ा जानेवाला
रेफ अलग रहा तो अभ्यस्तस्वर सिद्ध नहीं होगा । 'अजादि लसार्वाधातुक आगे हो तो
अभ्यस्तका आदि उदात्त होता है' (६।२।८९) इस प्रकार जो स्वर कहा है वह
'मा हि स्म ते पिपरुः', 'मा हि स्म ते विभरुः' में नहीं होगा । क्योंकि अभ्यस्त
और अगला अजादि लसार्वाधातुक उस प्रत्यय इन दोनोंमें रेफसे व्यवधान होता है ।

यह दोष नहीं प्राप्त होता । कारण यह कि 'स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्'
परिभाषासे वहाँ 'रेफसे व्यवधान नहीं है' ऐसा समझा जायगा । तथा प्रकृत सूत्रसे

८. 'पृ' धातुके आगे लट्, प्रथम पुरुष एकवचन, 'क्षि' प्रत्यय, उसको 'लुट्'
आदेश (३।४।१०८), श्नु, श्नु, द्विवच, अन्पासनी इत्व (७।४।७७) और 'लुमि च'
(७।३।८३) से गुण, वे कार्य यहाँ हुए हैं । 'मा'का योग होनेके कारण 'अट्' आगम
नहीं हुआ (६।४।७४) । यही 'पिपद्'को अभ्यस्तसंज्ञा (६।१।१५) हुई है । 'रेफ' यदि
अलग रहेगा तो 'पिप' अभ्यस्त समझा जायगा । यही 'विभरुः' में समझा जाय ।

विधौ व्यञ्जनमविद्यमानवादिति नास्ति व्यवधानम् । अभ्यस्तस्वर ॥ हलादिशेष । हलादिशेषश्च न सिध्यति । ववृते ववृधे । अभ्यासस्येति हलादिशेषो न प्राप्नोति । हलादिशेष ॥ विसर्जनीय । विसर्जनीयस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः । नार्कुटः नार्पत्यः । खरवसानयोर्विसर्जनीयः [८.३.१५] इति विसर्जनीयः प्राप्नोति । विसर्जनीय ॥ प्रत्ययाव्यवस्था च । प्रत्यये व्यवस्था न प्रकल्पते । किरतः गिरतः । रेफोऽप्यभक्तः प्रत्ययोऽपि तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते ॥ एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते ।

पूर्वान्ते र्व्यधारणं विसर्जनीयप्रतिषेधो यक्स्वरश्च ॥ ९ ॥

जोड़ा जानेवाला रेफ अलग रहा तो उसके संबंधमें 'हलादिः शेषः' (७।४।६०) की प्रवृत्ति नहीं होगी । 'अभ्यासमें केवल आदि हल् रहता है और अन्य हलोंका लोप होता है' इस प्रकारका उस सूत्रसे 'ववृते', 'ववृधे' रूपोंमें प्रकृतसूत्रसे जोड़े हुए रेफका जो लोप होता है वह नहीं होगा । तथा प्रकृतसूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ अलग रहा तो विसर्गका निषेध कहना चाहिये । अन्यथा नार्कुटः', 'नार्पत्यः' (रूपोंमें) उस रेफको 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः' (८।२।१५) सूत्रसे विसर्ग होने लगेगा । तथा प्रकृतसूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ अलग रहा तो 'प्रत्ययाव्यवस्था च' अर्थात् विकरण प्रत्ययको व्यवस्था नहीं लगेगी । 'किरतः', 'गिरतः' रूपोंमें प्रकृतसूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ भी अलग ही रहेगा, और बीचमें होनेवाला 'श्' (अ) यह विकरणप्रत्यय (३।१।७७) भी अलग ही रहेगा । तब उन दोनोंमेंसे धातुके पासका कौन है और उसके परका (दूरका) कौन है इस प्रकारकी व्यवस्था निश्चित नहीं होगी । क्योंकि दोनोंको भी समानरूपसे 'पर' करना है ।

इस प्रकारके दोष आते हैं तो फिर प्रकृत सूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ पूर्वका अन्त्यावयव समझा जाय ।

(वा. ९) यदि रेफ पूर्वका अन्त्यावयव हो तो 'रु'को होनेवाले विसर्ग के बारेमें नियम करना चाहिये और उसी प्रकार विसर्गका प्रतिषेध करना चाहिये तथा 'यक्' को उदात्त स्वर कहना चाहिये ।

९. कारण यह कि वह रेफ अलग रहनेके कारण 'वह अभ्यासका रेफ है' ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

१०. 'वृ' शब्दका 'कुटो' शब्दके साथ पठेननुष्य करके आगे 'तत्र भवः' (४।३।५३) से 'अण्' प्रत्यय हुआ है । 'वृपति' शब्दके आगे 'ण्य' प्रत्यय (४।१।८५) हुआ है । 'वृ' शब्दके आगेका 'पठि' प्रत्यय समासके कारण लुप्त हुआ है । उसको प्रत्ययलक्षण (१।१।६२) करके 'सुप्तिङन्तं' (१।४।१४) से पदसंज्ञा 'नार्' को होती है । रेफ यद्यपि अलग है तो भी 'सुप्' प्रत्यय जिसके आगे लगाया उस तदादिस्वनायको वह ष्ठी है ।

यदि पूर्वान्तो रोरवधारणं कर्तव्यम् । रोः सुपि [८-३-१६] । रोरेव सुपि नान्यस्य रेफस्य । सर्पिषु धनुषु । इह मा भूत् । गीर्षु पूर्षु ॥ परादावपि सत्यवधारणं कर्तव्यं चतुर्वित्येवमर्थम् ॥ विसर्जनीयप्रतिषेधः । विसर्जनीयस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः । नार्कुटः नार्पत्यः । खरवसानयोर्विसर्जनीयः [८-३-१५] इति विसर्जनीयः प्राप्नोति ॥ परादावपि विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यो नार्कल्पिरित्येवमर्थम् । कल्पिपदसंघातभक्तो ऽसौ नोत्सहते ऽवयवस्य पदान्ततां विहन्तुमिति कृत्वा विसर्जनीयः प्राप्नोति ॥ यक्स्वरः । यक्स्वरश्च न सिध्यति । गीर्यते स्वय-

यदि प्रकृत सूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ पूर्वका अन्त्यावयव होता है ऐसा समझा जाय तो 'गीर्षु', 'पूर्षु' रूपोंमें उस रेफको विसर्ग (८।३।१५) होने लगेगा । वह न हो इसलिए 'रोः सुपि' (८।३।१६) सूत्रसे रुके संबंधसे विसर्गका नियम करना चाहिये । वह यह है कि सप्तमी बहुवचन सुप्रत्यय आगे होनेपर यदि पिछले रेफको विसर्ग प्राप्त हुआ तो रुका जो रेफ हो वह उसीको किया जाय; उदा० 'सर्पिःषु,' 'धनुःषु'; अर्थात् 'गीर्षु', 'पूर्षु' में वह नहीं होगा ।

पर प्रकृत सूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ परका आधावयव होता है ऐसा समझा तो भी यह नियम करना ही चाहिये । क्योंकि उस पक्षमें 'गीर्षु' में दोष नहीं आया तो भी 'चतुर्षु' में रेफको विसर्ग होने लगेगा इस प्रकारका दोष आता ही है । (तात्पर्य यह है कि 'पूर्वका अन्त्यावयव होता है ' इस पक्षपर 'गीर्षु' यह दोष दिखाना ठीक नहीं है ।) 'विसर्जनीयप्रतिषेधः' अर्थात् प्रकृतसूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ पूर्वका अन्त्यावयव होता है ऐसा समझा तो विसर्गका निषेध कहना चाहिये । अन्यथा 'नार्कुटः', 'नार्पत्यः' रूपोंमें उस रेफको 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः' (८।३।१५) सूत्रसे विसर्ग होने लगेगा ।

पर प्रकृत सूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ परका आधावयव होता है यह पक्ष लिया गया तो भी यह विसर्गका निषेध कहना ही चाहिये । कारण यहकि उस पक्षमें 'नार्कुटः' रूपमें दोष न आया तो भी 'नार्कल्पिः' रूपमें रेफको विसर्ग होने लगेगा यह दोष प्राप्त होता ही है । क्योंकि 'पर' का अर्थात् 'कल्पि' इस शब्दस्वरूपका आधावयव यत्रपि रेफ हुआ तो भी वह उसके कल्पप्रत्ययका अवयव न होनेके कारण कल्पप्रत्ययके निमित्तसे जो पिछला भाग पदके रूपमें समझा जाता है (१।४।१७) उस पदका वह रेफ अन्त्यावयव नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकेगा (सारांश, 'पूर्वका अन्त्यावयव होता है इस पक्ष पर 'नार्कुटः' रूपमें भी दोष दिखाना ठीक नहीं ।

'यक्स्वरः' अर्थात् 'प्रकृतसूत्रसे' जोड़ा जानेवाला रेफ पूर्वका अन्त्यावयव होता है ऐसा समझा गया तो 'यक्' स्वर सिद्ध नहीं होगा । 'गीर्यते स्वयमेव',

मेव । पूर्यते स्वयमेव । अचः कर्तृयकि [६-१-१९५] इत्येष स्वरो न प्राप्नोति ।
नैप दोषः । उपदेश इति वर्तते ॥ अथवा पुनरस्तु परादिः ।

परादावकारलोपोत्पुक्प्रतिषेधश्चङ्घुपशाह्रस्वत्वमिटो ऽव्यवस्थाभ्यास-
लांपो ऽभ्यस्ततादिस्वरो दार्ढ्यत्वं च । १० ॥

यदि परादिकारलोपः प्रतिषेध्यः । कर्ता हर्ता । अतो लोप आर्धधातुक
इत्यकारलोपः प्राप्नोति ॥ नैप दोषः । उपदेश इति वर्तते । यद्युपदेश इति वर्तते
धिनुतः कृणुतः अत्र लोपो न प्राप्नोति । नोपदेशग्रहणेन प्रकृतिरभिसंन्ध्यते । किं

‘ पूर्यते स्वयमेव ’ उदाहरणोंमें ‘ अचः कर्तृयकि ’ (६।१।१९५) सूत्रसे अजन्त
धातुको कहा हुआ उदात्त स्वर नहीं होगा । (कारण यह कि ‘ गीर ’ में रेफ पूर्वका
अन्त्यावयव होनेसे धातुके अन्तमें अच् नहीं है)

यह दोष नहीं प्राप्त होता । कारण यह कि ‘ अचः कर्तृयकि ’ (६।१।१९५)
सूत्रमें ‘ तास्यनुदात्तेत् ० ’ (६।१।१८६) सूत्रसे ‘ उपदेशे ’ पदकी अनुवृत्ति आती है ।
(तब ‘ गीर ’ में धातुके अन्तमें अच् न हुआ, तो भी मूल उपदेशमें ‘ गृ ’ धातुके
अन्तमें अच् होनेसे स्वर होनेमें कुछ बाधा नहीं आती । सारांश, यह दिखता है कि
‘ रेफ पूर्वका अन्त्यावयव होता है ’ यह पक्ष निर्दिष्ट है ।)

अथवा ‘ यह रेफ परका आद्यावयव होता है ’ यह पक्ष लिया जाय ।

(वा. १०) रेफ यदि परका आद्यावयव समझा गया तो अकारके
लोपका निषेध करना चाहिये, औकार आदेशका लोप करना चाहिये,
पुगागमका निषेध करना चाहिये, चङ् प्रत्यय आगे होनेपर उपधाको ह्रस्व
आदेश नहीं होगा । इद् आगमकी व्यवस्था नहीं होगी, अभ्यासका लोप
कहना चाहिये, अभ्यस्त स्वर सिद्ध नहीं होगा, तादि स्वर सिद्ध नहीं होगा
और दीर्घ नहीं होगा ।

प्रकृत सूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ यदि परका आद्यावयव समझा गया, तो
अकारके लोपका निषेध करना चाहिये । अन्यथा ‘ कर्ता ’ और ‘ हर्ता ’ में रेफ अगले
आर्धधातुक प्रत्ययका अवयव होनेके कारण वह आर्धधातुक प्रत्यय आगे है इसलिए क
और ह में ह्रस्व अकारका ‘ अतो लोपः ’ (६।४।४८) सूत्रसे लोप होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता है । कारण यह कि उस सूत्रमें ‘ अनुदात्तोपदेश ० ’ (६।४।३७)
सूत्रसे उपदेशे पदकी अनुवृत्ति होती है । (अतः कृ और ह धातुओंको गुणसे—
७।३।८४—प्राप्त हुआ अकार मूल उपदेशमें न होनेसे उसका लोप नहीं होगा ।)

पर यदि वहाँ ‘ उपदेशे ’ पदकी अनुवृत्ति की गयी तो ‘ धिनुतः ’ ‘ कृणुतुः ’
रूपोंमें ‘ धिन्विकृण्वोर च ’ (३।१।८०) सूत्रसे आये हुए अकारका लोप
नहीं होगा ।

वर्हि । आर्षधातुरुमामिसंबध्यते । आर्षधातुकोपदेशे यदकारान्तमिति । अकारलोप ॥
 औत्व । औत्वं च प्रतिषेध्यम् । चकार जहार । आत औ णलः [७-१-३४]
 इत्यौत्वं प्राप्नोति ॥ नैष दोषः । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्येवं न भविष्यति ।
 यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य कस्मान्न भवति । रेफेण व्यवहितत्वात् । औत्व ॥ पुक्प्र-
 तिषेधः । पुक् च प्रतिषेध्यः । कारयति हारयति । आतां पुगिति पुक् प्राप्नोति ।
 पुक्प्रतिषेधः ॥ चङ्चुपधाह्रस्वत्वम् । चङ्चुपधाह्रस्वत्वं च न सिध्यति । अचीक-
 रत् अजीहरत् । णो चङ्चुपधाया ह्रस्वः [७-४-१] इति ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति ।
 चङ्चुपधाह्रस्वत्वम् ॥ इटोऽन्यवस्था । इटश्च व्यवस्था न प्रकल्पते । आस्तरिता

‘उपदेशे’ पदका धातुसे संबंध न करके ‘आर्षधातुके’ पदसे क्रिया जाय ॥
 इससे ‘आर्षधातुक प्रत्ययके उपदेशमें जो ह्रस्व अकारान्त’ यह अर्थ होगा
 (‘धिविक्कृण्व्यो०’ सूत्रसे धातुको अकार आदेश और उ प्रत्यय कहा गया है,
 इसलिये ‘उ’ इस आर्षधातुक प्रत्ययके प्रयोगमें ‘विन’ यह अकारान्त है ही । अतः
 वहाँ लोप होगा ।) तथा रेफको परका आधावयव समझा गया तो औकार आदेशका
 निषेध करना चाहिये । अन्यथा ‘चकार’, ‘जहार’ में रेफ णल् प्रत्ययका अवयव
 हुआ है इसलिए उस ‘र’ प्रत्ययको ‘आत औ णलः’ (७।१।३४) सूत्रसे औकार
 आदेश होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । ‘निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति’ परिभाषासे ‘र’को
 औकार आदेश नहीं होता । (कारण यह कि सूत्रमें ‘णलः’ यह निर्देश क्रिया है
 रेफसहित नहीं किया है ।)

तो फिर सूत्रमें जिसका निर्देश क्रिया है उसको, अर्थात् रेफके अगले अकारको,
 क्यों नहीं होता है ?

आकारान्त धातु और वह ‘अ’ प्रत्यय इन दोनोंमें रेफका व्यवधान होता है
 इसलिए उसको औकार आदेश नहीं होता । तथा रेफ ‘पर’का आधावयव हुआ
 तो चङ् प्रत्यय आगे होनेपर उपधाको ह्रस्व नहीं होगा; उदा० ‘अचीकरत्’,
 ‘अजीहरत्’ रूपोंमें ‘णो चङ्चुपधाया ह्रस्वः’ (७।४।१) सूत्रसे जो कार और
 हाकी उपधाको अर्थात् आकारको ह्रस्व हुआ है वह नहीं होगा । ‘इटोऽन्यवस्था’
 अर्थात् रेफ ‘पर’का आधावयव हुआ तो इट आगमकी व्यवस्था नहीं होगी ।
 ‘आस्तरिता’, ‘निपरिता’ में प्रकृतसूत्रसे जोड़ा जानेवाला रेफ भी अगले प्रत्ययका

११. इस परिभाषाका अर्थ पीछे देखिये (१।१।४९ टि ६) ।

१२. कारण यह कि ‘रेरु’ अन्ते ‘जिन्’ प्रत्ययका आधावयव हुआ है इसलिए
 पिछे धातुके अन्तमें आकार है, धातुकी उपधाकी नहीं ।

निपरिता । इडपि परादी रेफोऽपि । तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते । इटो ऽव्यवस्था ॥
 अभ्यासलोपः । अभ्यासलोपश्च वक्तव्यः । ववृते ववृधे । अभ्यासस्येति हलादिशेषो
 न प्राप्नोति । अभ्यासलोपः ॥ अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्च न सिध्यति । मा हि
 स्म ते पिपरुः । मा हि स्म ते विभरुः । अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवत्यजादौ
 लसार्वाधातुक इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । अभ्यस्तस्वर ॥ तादिस्वर । तादिस्वरश्च
 न सिध्यति । प्रकर्ता प्रकर्तुम् । प्रहर्ता प्रहर्तुम् । तादौ च निति कृत्यतौ
 [६०२०५०] इत्येष स्वरो न प्राप्नोति ॥ नैप दोषः । उक्तमेतत् । कृदुपदेशे
 वा ताद्यर्थमिडर्थमिति । तादिस्वर ॥ दीर्घत्वम् । दीर्घत्वं च न सिध्यति । गीः
 पूः । रेफकारान्तस्य धातोरिति दीर्घत्वं न प्राप्नोति ॥

आद्यावयव होगा और इट् आगम (७।२।३५) भी अगले प्रत्ययका आद्यावयव होगा ।
 अतः उन दोनोंमें प्रत्ययके समीप कौन होगा और उसके इस ओर कौन होगा यह
 व्यवस्था निश्चित नहीं होगी । क्योंकि दोनोंको समानरूपसे परके आद्यावयव बनाना है ।
 'अभ्यासलोपः' अर्थात् रेफ परका आद्यावयव हुआ तो अभ्यासके उस रेफका लोप
 होता है ऐसा कहना चाहिये । कारण यह कि 'ववृते', 'ववृधे' में परका आद्यावयव
 हुए रेफकी अभ्यासमें गणना न होनेसे 'हलादिः शेषः' (७।४।६०) सूत्रसे उस
 रेफका लोप नहीं होगा ।

अभ्यस्तस्वरः—अर्थात् रेफ परका आद्यावयव हुआ तो अभ्यस्त स्वर सिद्ध
 नहीं होगा । अजादि 'लसार्वाधातुक आगे होनेपर अभ्यस्तोका आदि उदात्त होता है ।'
 (६।१।८९) इस प्रकारका जो अभ्यस्तको स्वर कहा गया है वह 'मा हि स्म ते
 पिपरुः', 'मा हि स्म ते विभरुः' में नहीं होगा । (कारण यह कि रेफ परका
 आद्यावयव होनेसे रुस् जितना प्रत्यय होता है और वह तो अजादि नहीं है ।)
 तादि स्वरः—रेफ परका आद्यावयव हुआ तो तादि स्वर सिद्ध नहीं होगा । 'प्रकर्ता',
 'प्रकर्तुम्' में 'तादौ' च निति कृत्यतौ' (६।२।५०) से तकारादि कृतप्रत्यय आगे
 रखा जानेपर 'प्र' आदि गतिसंज्ञकको कहा हुआ प्रकृतिस्वर नहीं होगा । (कारण
 यह कि कृतप्रत्यय रेफादि होता है ।)

यह दोष नहीं आता । कारण, वार्तिककारोंने 'तादौ च०' (६।२।५०)
 सूत्रपर 'कृदुपदेशे वा ताद्यर्थमिडर्थम्' ऐसा कहा ही है । (तब रेफ परका आद्यावयव
 होनेके कारण यद्यपि प्रत्यय रेफादि हुआ तो भी मूल उपदेशमें तकारादि होनेसे स्वर
 होगा ।) दीर्घत्वं च । दीर्घ रेफ परका आद्यावयव हुआ तो दीर्घ नहीं होगा । रेफान्त
 और वकारान्त धातुओंमें उपधासंज्ञक इक्को कहा हुआ जो दीर्घ है (८।२।७६) वह
 'गीः', 'पूः' में नहीं होगा । (कारण यह कि धातु रेफान्त नहीं है ।)

अलोऽन्त्यस्य ॥ १ । १ । ५२ ॥

किमिदमत्रग्रहणमन्त्यविशेषणमाहोऽपिदादेशविशेषणम् । किं चातः । यद्यन्त्यविशेषणमादेशोऽविशेषितो भवति । तत्र को दोषः । अनेकालप्यादेशोऽन्त्यस्य प्रसज्येत ॥ यदि पुनरलन्त्यस्येत्युच्येत । तत्रायमप्यर्थोऽनेकांशित्त्वर्यस्य [१-१-५५] इत्येतन्न वक्तव्यं भवति । इदं नियमार्थं भविष्यति । अलेवान्त्यस्य भवति नान्य इति । एवमप्यन्त्योऽविशेषितो भवति । तत्र को दोषः । वाक्यस्यापि

(सू. ५२) षष्ठी-प्रत्ययका निर्देश करके जो आदेश कहा हो वह जिसको कहा हो उन सभीके स्थानमें न करके उनमेंसे केवल अन्त्य वर्णको करना चाहिये ॥ १.१.५२ ॥

इस सूत्रमें 'अलः' जो कहा है वह षष्ठीका एकवचन लेके 'अन्त्यस्य' का विशेषण किया जाय अथवा प्रथमाका बहुवचन लेके आदेशका विशेषण किया जाय ?

इन दोनोंमें क्या भेद है ?

यदि 'अन्त्यस्य' का विशेषण किया गया तो वह आदेशका विशेषण नहीं है ।

फिर वैसा हुआ तो दोष क्या है ?

दोष यह है कि यद्यपि अनेकाल हुआ तो भी वह अन्त्य अलंको होगा । (वह न होनेके लिए 'अनेकालशित्त्वर्यस्य'-१।१।५५-सूत्रमें 'अनेकाल' शब्द रखना पड़ेगा।) परन्तु यहाँ 'अतः' को आदेशका विशेषण करके अत्-रूपी जो आदेश है वह अन्त्यको होता है ऐसा कहा जानेसे 'अनेकालशित्त्वर्यस्य' सूत्रमें 'अनेकाल' शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं है यह बात सिद्ध होती है । कारण यह कि यहाँ 'अल्' आदेशका विशेषण होनेके कारण 'अल्-रूपी जो आदेश है वही अन्त्यको होता है, उसके अतिरिक्त दूसरा अर्थात् अनेकाल जो आदेश है वह अन्त्यको नहीं होगा' यह नियम अवश्य सिद्ध होता है ।

यह बात सच है, किन्तु अन्त्यका 'अल्' विशेषण नष्ट होगा उसको परिणाम क्या होगा ?

'अतः' अन्त्यका विशेषण नहीं हुआ तो उसमें दोष क्या है ?

अन्त्य वाक्यको अथवा अन्त्य पदको भी आदेश होने लगेगा । (अतः

१ 'रामै.' में 'भिन्' प्रत्ययको जो 'ऐम्' आदेश होता है (७।१।९) वह 'मिस्-' के अन्त्य 'अत्-'का अर्थात् अन्त्य सकारको ही होगा, और 'रामैः' रूप सिद्ध न होगा ।

२ 'स्वनडुद्ग्राम्' यहाँ 'स्वनडुद्' शब्दके अन्त्य 'अत्' को अर्थात् हकारको हकार आदेश (८।१।७२) होना है वह 'स्वनडुद्' शब्दके अन्त्य पदको अर्थात् 'अनडुद्' को होने लगेगा ।

पदस्याप्यन्त्यस्य प्रसज्येत ॥ यदि खल्वप्येपो ऽभिप्रायस्तत्र क्रियेतेत्यन्त्यविरोधे
ऽपि सति तत्र करिष्यते । कथम् । डिच्चालो ऽन्त्यस्येत्येतान्नियमार्थं मविष्यति ।
डिदेवानेकालन्त्यस्य भवति नान्य इति ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

अलो ऽन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः ॥ १ ॥

अलो ऽन्त्यस्येत्युच्यते स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः क्रियते स्थाने
प्रसक्तस्य ॥

इतरथा ह्यनिष्टप्रसङ्गः ॥ २ ॥

‘अलः’ को अन्त्यका विशेषण करना ही चाहिये ।) और ‘अलः’ को आदेशका
विशेषण करनेमें जो कुछ लाभ जान पड़ता हो कि ‘अनेकाल्शित्सर्वस्य’ सूत्रमें
‘अनेकाल्’ शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं है, वह लाभ ‘अलः’ को अन्त्यका
विशेषण किया तो भी प्राप्त होता है ।

सो कैसे ?

आदेशका ‘अलः’ विशेषण न होनेसे यदि प्रकृत सूत्रसे ‘अनेकाल्’ आदेश
भी स्थानीके अन्त्य अलको होगा तो अनङ् (७।१।९३) इत्यादि अनेकाल् आदेश
स्थानीके अन्त्य अलको होनेके लिए जो ‘डिच्च’ (१।१।५३) सूत्र आगे दिया है
वह व्यर्थ होके नियमार्थ होगा । वह नियम यों कि ‘अनेकाल् आदेश यदि स्थानिके
अन्त्य अलको करना हो तो उनमेंसे जो आदेश डित्त हो वही किया जाय, अन्य
अनेकाल् आदेश अन्त्य अलको न किये जायें ।’ तत्र डित्तके सिवा अन्य अनेकाल्
आदेश जिसको कहे हों उसीको अर्थात् सर्व स्थानीको होंगे । अतः ‘अनेकाल्-
शित्सर्वस्य’ सूत्रमें ‘अनेकाल्’ शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

अब यह सूत्र किसलिए किया है ?

(वा. १) अन्त्य अलके स्थानमें आदेश किया जाय यह जो कहा है
वह अन्त्य अलके स्थानमें प्रसक्त होता है । अतः वह अन्त्य अलके स्थानमें
करना चाहिये ।

‘अन्त्य अलको किया जाय’ ऐसा जो यहाँ कहा है वह ‘पष्ठी स्थानयोगा’
(१।१।४९) परिभाषासे पष्ठीका स्थानसे सबध जोड़ा जानेसे किसी शब्दके स्थानमें जो
आदेश प्रसक्त होता है उसीका अनुसंहार है (अर्थात् वह आदेश उस शब्दके अन्त्य-
अलके स्थानमें किया जाय) ।

(वा. २) उपर्युक्त न माना जाय तो अनिष्ट बात होगी ।

इतरथा ह्यनिष्टं प्रसज्येत । टिक्किन्मितो ऽप्यन्त्यस्य स्युः ॥ यदि पुनरयं योगशेषो विज्ञायेत ।

योगशेषे च ॥ ३ ॥

किम् । अनिष्टं प्रसज्येत । टिक्किन्मितो ऽप्यन्त्यस्य स्युः ॥ तस्मात्सुच्यते ऽलो ऽन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहार इतरथा ह्यनिष्टप्रसङ्ग इति ॥

‘ जिसका स्थानसे संबंध जोड़ा गया है उस पद्यीके स्थानमें ही यह सूत्र प्रवृत्त होता है ’ ऐसा न माना गया तो अनिष्ट प्राप्त होगा । अर्थात् टित्, कित् और मित् जो आगम हैं वे भी जिसको कहे हों उसके अन्त्य अल्को होंगे ।

उसी प्रकार यह प्रकृतसूत्र ‘ पद्यी स्थानेयोगा ’ सूत्रका परिशिष्ट है ऐसा माना गया तो—

(वा. ३) प्रकृतसूत्र ‘ पद्यी स्थानेयोगा ’ सूत्रका परिशिष्ट माना जाय तो भी अनिष्ट बात होगी ।

तो क्या ? अनिष्ट प्राप्त होगा अर्थात् टित्, कित् और मित् जो आगम हैं वे भी जिसको कहे हों उसके अन्त्य अल्को होंगे । अतः वार्तिककारोंने जो कहा है वह ठीक है कि ‘ अलोऽन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः इतरथा ह्यनिष्टप्रसङ्गः । ’

३. ‘ अभूर् ’ आदि रूपोंमें धातुको कहा हुआ ‘ अद् ’ आगम (६।४।७१) ‘ भू ’ का आधावयव न होके ‘ भू ’ के अन्त्य ‘ अद् ’ का अर्थात् ऊटारका आधावयव होने लगेगा ।

४. ‘ पद्यी स्थानेयोगा ’ यहाँ पद्यीके संबंधमें दो कार्य कहे हैं । एक पद्यीका स्थानसे संबंध जोड़ना ’ और दूसरा ‘ अन्त्य अल्के प्रति पद्यीका उपयोग करना ’ । उनमेंसे पहला यहाँ कहा है । दूसरा जो नहीं कहा था वह यहाँ कहा है । यह परिशेषपक्ष है । अनुसंहारपक्ष यह है कि ‘ पद्यीके संबंधमें एक ही कार्य कहना या वह पहले कहा है, यहाँ कहा हुआ जो स्थानसे संबंध है उसके बारेमें उस संबंधका अन्त्य अल्की ओर उपयोग किया जाय यह कार्य यहाँ कहा है । अनुसंहारपक्षमें दोके संबंधमें दो कार्य कहे जाते हैं, उसकी अपेक्षा ‘ एकके ही संबंधमें दो कार्य कहना ’ इस परिशेषपक्षमें लाघव है । यह लाघव यद्यपि है तो भी उस पक्षमें दोष आता है । कारण यह कि एकके संबंधमें जो दो कार्य कहे हैं उनमेंसे एकाथ स्थानमें एकाथ न लिया गया तो भी यहाँ दूसरा लेनेमें बाधा नहीं । उससे ‘ टित् ’ इत्यादि आगम अन्त्य अल्को होने लगेगे । अनुसंहारपक्षमें यह दोष नहीं आता । क्योंकि जहाँ आगम रहे हैं वहाँ पद्यीका स्थानसे संबंध नहीं जोड़ा है । इससे ‘ उन संबंधका अन्त्य अल्की ओर उपयोग करना ’ यह कार्य नहीं लिया जा सकता ।

डिच्च ॥ १ । १ । ५३ ॥

तातडन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न भवति । डिच्चालो ऽन्त्यस्येति प्राप्नोति ।
तातडि डित्करणस्य सावकाशत्वाद्धिप्रतिषेधात्सर्वादेशः ॥ १ ॥

ताताडि डित्करणं सावकाशम् । कोऽनकाशः । गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थो
डकारः । तातडि डित्करणस्य सावकाशत्वाद्धिप्रतिषेधात्सर्वादेशो भाविष्यति ॥
प्रयोजन नाम तद्वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात् । यदि चायं नियोगतः सर्वादेशः

(सू ५३) पृष्ठी प्रत्ययका िदेश करके जो ङित् आदेश कहा हो
यह जिसको कहा हो उन सभीके स्थानमें न करके उनमें से केवल अन्त्यवर्णको
क्रिया जाय ॥ १ १.५३ ॥

तु और हि को कहा हुआ जो तातड् आदेश (७।१।३५) है वह उनके
अन्त्य वर्णके स्थानमें क्यों नहीं होता ? तातड् डित् होनेके कारण प्रकृत सूत्रसे
अन्त्य वर्णको प्राप्त होता है ।

(वा १) 'तातड्' आदेशमें डित्करणका अन्यत्र उपयोग होनेसे
'डिच्च' इस प्रकृत परिभाषासूत्रका बाध करके 'अनेकालशित्सर्वस्य'
परिभाषा सूत्रसे सर्वादेश होगा ।

तातड् जो डित् क्रिया है उसका अन्य स्थानपर उपयोग होता है ।

वह उपयोग कौनसा ?

गुणका और वृद्धिका निषेध (१।१।५) होनेके लिए तातड् आदेशको डकार
लगाया गया है । इस प्रकार तातड्के डकारका उपयोग होनेके कारण 'डिच्च' इस
प्रकृत परिभाषासे 'अनेकालशित्सर्वस्य' (१।१।५५) परिभाषा समानरूपसे विरोध
करके परत्वके कारण (१।४।२) प्रकृत परिभाषाका बाध करता है इसलिए तातड्
सभीके स्थानपर होता है, अन्त्य वर्णको नहीं होता ।

पर उपयोग दिखाना हो तो केवल कुछ गृहीतके आधारपर नहीं दिखाना है,
प्रत्युत विधिके अनुसार दिखाना चाहिये । अब यदि 'कुरुतात्,' 'मृष्टात्' रूपोंमें

१ 'कुरुतात्' में गुणका (७।३।८४) निषेध (१।१।५) हुआ है, और 'मृष्टात्' में
वृद्धिका (७।२।११४) निषेध हुआ है ।

२ यद्यपि 'डिच्च' परिभाषा 'अनेकालशित्सर्वस्य' परिभाषाका अपवाद है और
इसीलिए 'अनड्' (७।३।९३), 'आनड्' (१।३।२५) इत्यादि आदेश अनेकाल् होते हुए भी
सर्वको नहीं होते, तो भी यहाँ तातड्के डकारका 'गुणका और वृद्धिका निषेध' यह उपयोग होनेके
कारण उस डकारके बलपर रची हुई प्रकृतपरिभाषा 'डिच्च' दुर्बल होती है । अतः यहाँ दोनोंकी
समानता होती है ।

स्यात्त एतत्प्रयोजनं स्यात् । कुतो नु खल्वेतन्डित्कारणादयं सर्वादेशो भविष्यति न पुनरन्त्यस्य स्यादिति ॥ एवं तर्ह्येतदेव ज्ञापयति न तातडन्त्यस्य स्थाने भवतीति यदेतं डितं करोति । इतरथा हि लोट् एरुप्रकरण एव त्रयात्तिह्योस्तादाशिष्यन्यतरस्यामिति ॥

आदेः परस्य ॥ १ । १ । ५४ ॥

अलोऽन्त्यस्यादेः परस्यानेकालिशत्सर्वस्येत्यपवादाविमतिपेधा-
त्सर्वादेशः ॥ १ ॥

तातड् आदेश जो 'वु' और 'हि' इन सभीके स्थानमें किया है वह 'अनेकाल्-
शित्सर्वस्य' परिभाषाके अनुसार ही सभीके स्थानपर किया हो तो उस तातड् के
डकारका 'गुणका और वृद्धिका निषेध होना' यह उपयोग उचित है ऐसा कहा जा
सकता है । पर पहले यहाँ यह निश्चय किसके अनुसार किया गया कि 'गुणका और
वृद्धिका निषेध' यह उपयोग होनेके लिए 'कुरुतात्', 'मृद्यात्' रूपोंमें तातड् सर्वादेश ही
होगा, प्रकृत परिभाषासे अन्त्य अल्को नहीं होगा ? तात्पर्य यह है कि तातड्के डकारका
योग्य उपयोग अन्यत्र न होनेके कारण प्रकृत सूत्र तातड्के स्थानमें भी 'अनेकाल्
शित्सर्वस्य' परिभाषासूत्रका अपवादही होगा । (तब 'तातड् सर्वादेश होता है' इसका
अन्य कुछ कारण कहना चाहिये ।)

तो फिर वह कारण यों बताया जा सकता है कि, जबकि आचार्य पाणिनीने
तातड् आदेशको डकार जोड़ा है उसीसे वे ज्ञापित करते हैं कि तातड् अन्त्य वर्णको
नहीं होता है, वह सर्वादेश ही होता है । अन्यथा अर्थात् 'तातड् आदेशको डकार जोड़ा
जानेसे वह अन्त्यवर्णको ही होना चाहिये' इस प्रकारका उद्देश पाणिनीका होता तो
डकार जोड़े बिना ही काम सध जाता । वह यों कि, लोट् प्रत्ययको इकारको उकार
आदेश कहनेवाला जो 'एः' (३।१।८६) सूत्र है उसी प्रकरणमें उसीके आगे
'तिह्योस्तादाशिष्यन्यतरस्याम्' सूत्र किया जाय । (वहाँ 'एः' पदकी अनुवृत्ति
करनेसे इकारको ही तात् आदेश होगा ।)

(सू. ५४) पंचमीका निर्देश करके उसके आगे परको जो आदेश कहा,
हो यह उसके आदिको अर्थात् पहले वर्णको किया जाय ॥ १.१.५४ ॥

(वा. १) 'अलोऽन्त्यस्य' सूत्रके 'आदेः परस्य' तथा 'अनेकाल्-
शित्सर्वस्य' ये दोनों अपवाद हैं । इन अपवादोंमें यदि विरोध हो तो
'अनेकालिशत्सर्वस्य' से सर्वादेश होगा ।

अलोऽन्त्यस्येत्युत्सर्गः । तस्यादेः परस्यानेकाल्शिात्सर्वस्येत्यपवादौ । अपवादाविप्रातिषेधाच्च सर्वादेशो भविष्यति । आदेः परस्येत्यस्यावकाशः । द्वचन्तरुपसर्गेभ्यो ऽप ईत् [६.३.१७] द्वीपम् अन्तरीपम् । अनेकाल्शिात्सर्वस्येत्यस्यावकाशः अस्तेर्भूः [२.४.५२] भविता भवितुम् । इहोभयं प्राप्नोति । अतो भिस ऐस् [७.१.९] । अनेकाल्शिात्सर्वस्येत्येतद्भवति विप्रतिषेधेन ॥ शित्सर्वस्येत्यस्यावकाशः । इदम् इश् [५.३.३] इतः इह । आदेः परस्येत्यस्यावकाशः । स एव । इहोभयं प्राप्नोति । अष्टाभ्य औश् [७.१.२१] । शित्सर्वस्येत्येतद्भवति विप्रतिषेधेन ॥

अनेकाल्शिात्सर्वस्य ॥ १ । १ । ५५ ॥

(वा. १) 'अलोऽन्त्यस्य' यह सामान्य नियम है । उसके 'आदेः परस्य' और 'अनेकाल्शिात्सर्वस्य' ये दो अपवाद हैं । उन दो अपवादोंमें जहाँ जहाँ परस्पर-विरोध निर्माण होगा वहाँ वहाँ परत्वके कारण सर्वादेश ही होता है । 'आदेः परस्य' परिभाषाके 'द्वीपम्', 'अन्तरीपम्' में स्वतंत्र अवकाश मिलता है । यहाँ 'द्वचन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्' (६।३।१७) सूत्रसे द्वि, अन्तर और उपसर्ग इनके आगेके 'अप्' शब्दको कहा हुआ ईकार आदेश 'आदेः परस्य' परिभाषासे अप् शब्दके आदिको अर्थात् अकारको होता है । 'अनेकाल्शिात्सर्वस्य' परिभाषाको 'भविता', 'भवितुम्' में स्वतंत्र अवकाश मिलता है । यहाँ 'अस्तेर्भूः' (२।४।५२) सूत्रसे 'अस्' धातुको कहा हुआ 'भू' आदेश 'अस्' इस सर्वको होता है । 'रामैः' आदि उदाहरणोंमें 'अतो भिस ऐस्' (७।१।९) सूत्रसे भिस प्रत्ययको ऐस् आदेश कर्तव्य हो तो वे दोनों परिभाषाएँ उपस्थित होती हैं । उनमेंसे 'आदेः परस्य' का 'अनेकाल्शिात्सर्वस्य' परिभाषा परत्वसे (१।४।२) बाध करती है । तथा 'शित् आदेश सर्वकी होता है' ऐसा जो 'अनेकाल्शिात्सर्वस्य' परिभाषासे कहा गया है उसको 'इतः', 'इह' में स्वतंत्र अवकाश प्राप्त होता है । यहाँ 'इदम् इश्' (५।३।३) सूत्रसे 'इदम्' शब्दको कहा हुआ 'इश्' आदेश 'इदम्' इस सर्वको होता है । 'आदेः परस्य' परिभाषाको 'द्वीपम्', 'अन्तरीपम्' में स्वतंत्र अवकाश मिलता है यह अभी बताया गया है । 'अष्टौ' उदाहरणमें 'अष्टाभ्य औश्' (७।१।२१) सूत्रसे 'जस्' प्रत्ययको 'औश्' आदेश कर्तव्य हो तो ये दोनों परिभाषाएँ उपस्थित होती हैं । उनमेंसे 'आदेः परस्य' का 'शित्सर्वस्य' परिभाषा परत्वके कारण बाध करती है ।

(सू. ५५) जिस आदेशमें अल् अर्थात् घर्ण अनेक हैं और जिस आदेशमें ह्रस्वसंज्ञक शकार लगाया गया है वह आदेश जिसके बारेमें कहा हो उन शब्दको किया जाय ॥ १.१.५५ ॥

शित्सर्वस्येति किमुदाहरणम् । इदम् इश् [५.३.३] इतः इह । नैत-
दस्ति प्रयोजनम् । शित्करणादेवात्र सर्वादेशो भविष्यति । इदं तर्हि । अष्टाभ्य
औश् [७.१.२१] । ननु चात्रापि शित्करणादेव सर्वादेशो भविष्यति । इदं
तर्हि । जसः शी [७.१.१७] । जश्शसोः शिः [७.१.२०] । ननु चात्रापि
शित्करणादेव सर्वादेशो भविष्यति । अस्त्यन्यच्छित्करणे, प्रयोजनम् । किम् ।

शित् अर्थात् इत्संज्ञक शकार जिसको जोड़ा गया है इस प्रकारका आदेश
सभीके स्थानमें होता है ऐसा जो यहाँ कहा है उसका उदाहरण क्या है ?

‘इदम् इश्’ (५।३।३) सूत्रसे ‘इदम्’ शब्दको कहा हुआ ‘इश्’ आदेश
शित् होनेके कारण ‘इतः’, और ‘इह’ उदाहरणोंमें ‘इदम्’ जितने सर्वके स्थानमें
होता है ।

यह शित्का उदाहरण समुचित नहीं है । काण्य यह कि यहाँ जो ‘इश्’ आदेशका
इत्संज्ञक शकार जोड़ा है उससे इस आदेशको अनेकाल् समझके ही सर्वादेश होगा ।

तो फिर यह उदाहरण लीजिये । ‘अष्टाभ्य औश्’ (७।१।२१) सूत्रसे अष्ट
शब्दके आगेके ‘जस्’, और ‘शस्’ प्रत्ययोंको कहा हुआ ‘औश्’ आदेश शित्
होनेके कारण इस उदाहरणमें पूरेके ‘जस्’, और पूरेके ‘शस्’ स्थानपर होता है ।

पर यहाँ भी ‘औश्’ आदेशको पहले जैसे अनेकाल् समझके ही सर्वादेश होगा ।

तो फिर ये उदाहरण लीजिये । ‘जसः शी’ (७।१।१७) सूत्रसे जस् प्रत्ययको
कहा हुआ ‘शी’ आदेश शित् होनेके कारण ‘सर्वे’ उदाहरणमें ‘जस्’ इस सभीके
स्थानपर होता है । तथा ‘अश्शसोः शिः’ (७।१।२०) सूत्रसे ‘जस्’ और ‘शस्’
प्रत्ययोंको कहा हुआ ‘शि’ आदेश शित् होनेसे ‘ज्ञानानि’ उदाहरणमें ‘जस्’
और ‘शस्’ इन सर्वके स्थानमें होता है ।

पर यहाँ भी ‘शी’ और ‘शि’ आदेशोंको पहले जैसे अनेकाल् समझके
सर्वादेश होंगे ।

‘शी’ और ‘शि’ इन आदेशोंके शकारका अन्यत्र उपयोग होनेके कारण

१. ‘इदम्’ शब्दके आगे ‘तस्’ प्रत्यय (५।३।७) और ‘ह’ प्रत्यय (५।३।१२)
लगाये जायँ तो संपूर्ण ‘इदम्’ शब्दको ‘इश्’ आदेश होके ‘इतः’ और ‘इह’ अव्यय
बनते हैं ।

२. इत्संज्ञक शकारका लोप (१।३।९) होनेके कारण आदेश करते समय एक इकार ही
होनेवाला है । तब यद्यपि उसको अनेकाल् नहीं कहा जा सकता तोभी उस शकारका
अन्यत्र कोई उपयोग न होनेके कारण वह व्यर्थ होगा । तब उसके बलपर पहले शकार या
उपेका स्मरण करके आदेश अनेकाल् है ऐसा समझा जा सकता है ।

३. तब ‘शी’ और ‘शि’ के शकारको वैयर्थ्य प्राप्त न होनेके कारण पूर्वके शकारका
स्मरण करके ‘आदेश अनेकाल् है’ ऐसा नहीं समझा जा सकता ।

विशेषणार्थः । क विशेषणार्थेनार्थः । शि सर्वनामस्थानम् [१.१.४२] विभाषा
 डिश्योः [६.४.१३६] इति ॥ शित्सर्वस्येति शक्यमकर्तुम् । कथम् । अन्त्य-
 स्यायं स्थाने भवन्न प्रत्ययः स्यात् । असत्यां प्रत्ययसंज्ञायामित्संज्ञा न स्यात् ।
 असत्यामित्संज्ञायां लोपो न स्यात् । असति लोपे ऽनेकाल् । यदानेकाल् तदा

‘उस शकारसे ये आदेश अनेकाल् हैं’ ऐसा नहीं समझा जा सकेगा ।

वह उपयोग कौनसा है ?

विशेषणके लिए वह सकार अन्यत्र उपयुक्त होता है ।

कहाँ विशेषणके लिए उसका उपयोग होता है ?

‘शि सर्वनामस्थानम्’ (१।१।४२), ‘विभाषा डिश्योः’ (६।४।१३६) इन स्थानोंपर ।

तो भी इस सूत्रमें ‘शित् आदेश सर्वके स्थानमें होता है’ यह बात अलग कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सो कैसे ?

इस तरह कि ‘शी’ और ‘शि’ उदाहरणमें आदेश किये जाते हैं तो वे शुद्ध (वास्तवमें) अनेकाल् होनेके कारण सहजमें ही सर्वादेश होंगे । कारण यह कि यदि यह सर्वादेश न होके अन्त्यको होगा तो उसको प्रत्यय ही नहीं कहा जा सकता है । और प्रत्यय संज्ञा न हुई तो शकारको इत्-संज्ञा (१।३।८) न होगी । इत्-संज्ञा न हुई तो उसका लोप न होगा । और लोप न होनेसे आदेश करते समय शुद्ध अनेकाल् ही होते हैं । तब यह अनेकाल् यदि इस स्वरूपका है तो वह सर्वादेश

४. यहाँ ‘शि’ यह इत्संज्ञक शकारसहित निर्देश किया जानेसे ‘इत्संज्ञक शकार जिसको लगाया है वह’ यह शकारको विशेषण लगानेके समान होता है । यदि ‘जश्शसोः शि.’ यहाँ आदेशको शकार नहीं लगाया तो ‘शि सर्वनामस्थानम्’ यहाँ भी शकारका उच्चारण नहीं किया जा सकता । और किसी भी शकारको सर्वनामस्थानसंज्ञा होने लगेगी यह दोष आता है । ‘जसः शी’ से बड़े हुए ‘शी’ आदेशके विषयमें भी यही समझा जाय ।

५. इस आदेश अथवा औश् आदेशके शकारको इत्संज्ञा और लोप होनेके बाद वह आदेश अनेकाल् नहीं तो भी यहाँ शकार व्यर्थ होना है, इसलिए उसके बलपर पहले प्राप्त हुए शकारका स्मरण करके वह आदेश जिस प्रकार अनेकाल् समझा जाता है वैसे शी नहीं समझा जाता । कारण यह कि यहाँ सर्वादेश करनेके पहले शकारको इत्संज्ञा और लोपकी प्राप्ति ही नहीं हो

६. ‘जस्’ के शकारको ‘शी’ आदेश हुआ तो स्थानिवद्भावेसे ‘शी’ और जिस नहीं कहा जा सकता । कारण यह कि स्थानी ओ शकार है वह प्रत्ययका धारेमें कहा हो । प्रत्यय नहीं ।

सर्वादेशः । यदा सर्वादेशस्तदा प्रत्ययः । यदा प्रत्ययस्तदेत्संज्ञा । यदेत्संज्ञा तदा लोपः ॥ एवं तर्हि सिद्धे सति यच्चित्सर्वस्येत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्योऽस्त्येषा परिभाषा नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वं भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् । तत्रासरूपसर्वादेशदाप्रतिषेधेषु पृथक्त्वनिर्देशोऽनाकारान्तत्वादित्युक्तं तत्र वक्तव्यं भवतीति ॥

इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे सप्तममाह्निकम् ॥

होगा ही । सर्वादेश होनेके कारण स्थानिवद्भावसे (१।१।५६) उसको प्रत्ययसंज्ञा होगी, प्रत्ययसंज्ञा होनेसे शकारको इत्-संज्ञा होगी, और इत्-संज्ञा होनेसे लोप होगा । (तब इस तरह ' सर्वे ' ' शानानि ' इत्यादि उदाहरण प्रकृतसूत्रमें ' शित् ' शब्दके बिना भी सिद्ध हो जानेसे ' शित् ' शब्द निरर्थक है ।)

तो फिर इस रीतिसे सिद्धि होते हुए भी जब कि ये आचार्य पाणिनि प्रकृत सूत्रमें ' शित् आदेश सर्वके स्थानमें होता है ' ऐसा सहेतुक कहते हैं उससे वह ' नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वं भवति ' इस स्वरूपकी परिभाषा ज्ञापित करते हैं, अर्थात् ' किसी स्थानपर प्रत्यय, आदेश, धातु इत्यादिका स्वरूप वर्णोंसे संभव हो तो उसको निश्चित करनेके कार्यमें इत्संज्ञक वर्णोंकी सहायता बिल्कुल न ली जाय, यह ध्यानमें रखके ही ' शी ' आदि अनेकाल्त्वं होनेके कारण सर्वादेश नहीं होंगे । अतः प्रकृत-सूत्रमें पाणिनिने सहेतुक कहा है कि ' शि ' आदेश सर्वके स्थानमें होता है ।

इस ज्ञापकका क्या उपयोग है ?

उपयोग यों है कि ' तस्य लोपः ' सूत्रपर वार्तिककारोंने ' तत्रासरूपसर्वादेश-दाप्रतिषेधे पृथक्त्वनिर्देशोऽनाकारान्तत्वात् ' (१।३।९ वा. १०) जो कहा है वह न कहना चाहिये । (इस ज्ञापकसे ही वह बात सिद्ध होती है ।)

इस प्रकार श्रीभगवान् पतञ्जलिके रचे हुए व्याकरणमहाभाष्यके पहले अध्यायके पहले पादका सातवाँ आह्निक समाप्त हुआ ।

स्थानिवद्भावनामकम्—अष्टममाह्निकम्

स्थानिवद्भावाह्निक [अ १ पा १ आ ८]

[स्थानिवद्भावका स्वरूपविवेचन — इस आह्निकमें स्थानिवद्भावनामक व्याकरणशास्त्रके महत्त्वपूर्ण अतिदेशका विवरण किया है। 'लोगोंमें जिस प्रकार गुरुपुत्र गुरुके समान समझा जाय यह भावनारूढ अतिदेश है उसी प्रकार आदेशको स्थानीके समान समझना इस प्रकारका जो अतिदेश है वह स्थानिवद्भाव है' इस स्वरूपकी स्थानिवद्भावकी व्याख्या की है। गुरुके समान गुरुपुत्र समझा जाय यह न्याय लोगोंमें प्रसृत होनेसे यद्यपि लौकिक न्यायके बलपर ही आदेश स्थानीके समान समझा गया जाय तो भी शास्त्रमें 'स्व रूप शब्दस्य०' (सू १।१।६८) सूत्रसे सर्वत्र स्वरूपविधि कही जानेसे यहाँ 'स्थानिवदादेशो०' (सू १।१।५६) सूत्रसे कार्यातिदेशके लिए हेतुपूर्वक स्थानिवद्भाव कहा है ऐसी बात यद्यपि हो तो भी 'युष्मद्स्मदोर्नादेशे' (७।२।८६) सूत्रका 'अनादेशे' शब्द और 'अदो जग्धिर्त्यप् ति किति' (२।४।३६) सूत्रका 'ल्यप्' शब्द सूत्रोंमें आवश्यक न होते हुए भी रखे जानेसे 'आदेश स्थानीके समान समझा जाय, केवल अन्विधिके सवधमें वैसा न समझा जाय' यह तत्त्व सिद्ध होता है और उससे भी प्रस्तुत सूत्रकी आवश्यकता नहीं है। तथापि यहाँ भाष्यकारने यह कहा है कि स्पष्ट प्रतिपादिके लिए प्रस्तुत सूत्र किया है। यह 'स्थानीके समान' स्वरूपका अतिदेश सामान्यरीतिसे तथा विशेषरीतिसे भी होता है। जब विशेषातिदेश लिया जाता है तब स्थानीके अल वणके अलत्वसे ही होनेवाली विधियोंका 'अनन्विधी' पदसे निषेध होता है। इस स्थानिवद्भावके बारेमें 'एक विभागमें विवृत हुआ आदेश भी मूल प्रवृत्तिके समान समझा जाय' यह कहना इष्ट है ऐसा कहा है और उसके सवधमें भारद्वाजीय वैयाकरणोंका धार्तिकपाठ देकर भाष्यकारने उनका मत दिया है, और 'अवयव समुदायके अन्तर्गत रहता है' (एकदेशविवृतमन्यवत्) इस लौकिक न्यायसे इस प्रकारका आदेश यद्यपि स्थानिवद्भावके लिए स्वीकार किया तो भी 'अल्विधि' शब्द 'विधिसूत्रोंमें स्पष्टतया अल्का उच्चारण करके उसको कहा हुआ कार्य' इस अर्थमें लेना चाहिये यह इशात भी दिया है। इस स्थानिवद्भावरूप आदेशके स्वीकारसे शब्दक नित्यत्वमें बाधा नहीं आती। यह बात इस लौकिकन्यायसे स्पष्ट की है कि 'उपाध्यायके स्थानमें शिष्य आया है ऐसा कहनेसे

उपाध्याय वहाँ पहले आया ही होगा ऐसा नहीं' तथा, बुद्धिविपरिणाम अर्थात् अमुकके स्थानमें अमुक समझा जाय इस लौकिक न्यायसे भी अमुक शब्दके स्थानमें अमुक समझा जाय ऐसा कहा जानेके कारण स्थानिवद्भाव शब्दनित्यत्वको बाधक नहीं होता। तदनन्तर, सामान्य नियमको हटाकर जब अपवादविधि होती है तब अपवादविधि की जानेपर शास्त्रसिद्ध शब्दको स्थानिवद्भावातिदेशसे सामान्यविधिके अनुसार सिद्ध होनेवाले शब्दके समान माना गया तो प्राप्त होनेवाले अनेक दोष वार्तिककारोंने बताये हैं और भाष्यकारने उनका निराकरण किया है।

‘अनल्विधौ’ इस स्थानिवद्भावनिषेधका प्रतिप्रसव—

‘अचः परस्मिन्०’ (सू. ५७) सूत्र, पिछले सूत्रमें अल्विधिके बारेमें स्थानिवद्भाव नहीं होता है ऐसा जो कहा है, उसका अपवादरूप क्रिया है। इस सूत्रके प्रत्येक पदकी उपसुक्तता बताकर ‘पूर्वविधौ’ पदके दो अर्थ करके भाष्यकारने कहा है कि ‘आदेशसे पूर्व’ वा ‘निमित्तसे पूर्व’ इनमेंसे किसीको भी कार्य करना हो तो स्थानिवद्भाव होता है; साथ ही साथ निमित्तसे पूर्वको कार्य होनेके विषयमें ‘पठव्या’ यह मूर्धाभिपिक्त उदाहरण दिया है। तदनन्तर “स्तोष्याम्यहं पादिकं०” श्लोकमें ‘पादिकं’, ‘औदवाहिं’ इत्यादि उदाहरण दिये हैं। ‘पठव्या’ उदाहरण ‘अन्तरङ्ग’—परिभाषासे सिद्ध किया जाने योग्य है, और ‘अन्तरङ्ग’—परिभाषाका स्वीकार अवश्य करना ही चाहिये। लोगोंने भी मनुष्य प्रातःकालमें उठकर अपने मुखमार्जनादि कार्य करता है और तत्पश्चात् इष्टमित्रोंके कार्यमें लगता है। शास्त्रमें भी प्रातिपदिक पहले सामान्य अर्थ बताता है, उससे तदर्थयुक्त व्यक्तिकी कल्पना की जाती है, पदार्थ व्यक्त होनेपर उसका लिङ्ग और संख्या समझमें आते हैं, और लिङ्ग और संख्या इन दोनोंका योग हो जानेपर ही उस पदार्थका बाह्य अर्थोंसे संबंध ध्यानमें आता है। यहाँ भाष्यकारने प्रातिपदिकके अर्थके सामान्य (जाति), व्यक्ति, लिङ्ग, संख्या और कारक इन पाँच अंगोंका निर्देश बड़ी चतुरतासे किया है। भाष्यकारके पश्चात् जो वैयाकरण हुए वे इन पाँच अंगोंका ही स्वार्थ, द्रव्य, लिङ्ग, संख्या और कारक इन शब्दोंसे प्रातिपदिकार्थके रूपमें उल्लेख करने लगे। अन्तमें भाष्यकारने कहा है कि ‘स्थानिवद्भाव’ का अर्थ आदेशको स्थानीके समान समझना अथवा आदेश असिद्ध होता है ऐसा मानना इस विषयमें विचार करके ‘आदेश असिद्ध होता है’ के बदले ‘शास्त्र असिद्ध होता है’ इस स्वरूपका वार्तिककारका कहा हुआ शास्त्रातिदेशस्य स्वीकार किया जाय जिसे शास्त्र असिद्ध समझा जानेसे ‘स्थानी गया नहीं और आदेश आया नहीं’ इस प्रकारकी भावना निर्माण होके स्थानीके निमित्तसे कार्य हो सकेगा और आदेशके निमित्तसे प्राप्त हुआ कार्य न होगा ये दोनों कार्य सिद्ध होंगे।

रूपस्थानिवद्भाव—

‘न पदान्तद्विवचन०’ (सू. ५८) सूत्रसे पदान्ताविधि, द्विवचनविधि आदि दस प्रकारकी विधियाँ कही हैं और बताया गया है कि वे विधियाँ कर्तव्य हों तो पिछले सूत्रसे प्राप्त हुआ स्थानिवद्भाव नहीं होता। इस प्रस्तुत सूत्रका ‘विधि’ शब्द ‘विधीयते सः’ अर्थात् ‘कार्य’ अर्थमें कर्मसाधन विधि शब्द लिया जाय अथवा ‘विधान’ अर्थमें भावसाधन विधि शब्द लिया जाय इसके बारेमें विचार करके भाष्यकारने कहा है कि भावसाधन विधि शब्द लेना उचित है। स्वर, दीर्घ और यलोपके बारेमें इस सूत्रसे स्थानिवद्भावका निषेध कहा जानेसे कुछ उदाहरणोंमें कठिनाई प्राप्त होती है और इससे वार्तिककारोंने कहा है कि लोपरूप अजादेशको स्थानिवद्भाव नहीं होता। ऐसा स्पष्ट विधान किया जाय, पर सिवा उस विधानके भी काम चल सकता है ऐसा भाष्यकारने दिखाया है। अन्तमें, ‘त्रिपादीका कार्य करना हो तो स्थानिवद्भाव नहीं होता’ (पूर्वभाषिद्धे च न स्थानिवद् पा. सू. १।१।५८ वा. ३) ऐसा अधिक कहनेकी आवश्यकता है, क्योंकि ‘इससे यद्यपि कुछ थोड़ेसे फुटकर दोष आयें तो भी उपयोग बहुत हैं’ इस प्रकारका जो विधान वार्तिककारोंने किया है उसका भाष्यकारने स्वीकार किया है। ‘द्विवचनेचि’ (सू. ५९) सूत्रके अर्थका विवेचन करते समय स्थानिवद्भाव प्रकरणके इस सूत्रसे यहाँ रूपातिदेश लेना चाहिये ऐसा सूत्रमेंके ‘अचि’ पदसे ज्ञापित होता है और उससे ‘नह्वलोदक पादयोग.’, ‘आयुर्धृतम्’ इत्यादि उदाहरणोंके समान ‘द्विवचन अर्थात् द्विवचनका निमित्त’ ऐसा अर्थ करके ‘दित्वनिमित्त अच् आगे होनेपर पहले अच्को हुए आदेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है’ यह सूत्रका अर्थ समझा जाय ऐसा वार्तिककारोंने प्रतिपादन किया है। तथापि कुछ उदाहरणोंमें जैसे गिजन्तके आगे सन् प्रत्यय किया जानेपर दित्वनिमित्त अच् आगे न होनेसे रूपातिदेश नहीं हो सकेगा और उससे उस स्थानमें इष्ट रूपकी सिद्धिके लिए साधारण स्थानिवद्भाव विशेष हेतुसे कहना पड़ेगा यह कठिनाई दिखाकर ‘ओ. पुपण्यपरे’ (७।४।८०) सूत्रसे ‘सामान्य स्थानिवद्भाव भी द्विवचनेचि सूत्रसे होता है’ ऐसा सूचित किया गया है यह भी यहाँ वार्तिककारोंने कहा है और इस सूत्रसे दोनों प्रकारका स्थानिवद्भाव होना है ऐसा प्रतिपादन किया है। अन्तमें, इस सूत्रके विनक्षित उदाहरण साधनेके लिए ‘द्विवचनं यणयादेश०’ (पा. सू. ६।१।१२ वा. ९) यह स्वतंत्र वार्तिकवचन उपयुक्त होनेसे इस सूत्रकी विलकुल आवश्यकता नहीं इस मतका भाष्यकारने विवेचन किया है, और प्रस्तुत सूत्र रखा जाय तथा उसकी सहायताके लिए ‘ओः पुपण्यपरे’ (७।४।८०) सूत्र लिया जाय निम्नसे सभी इष्टरूपोंकी सिद्धि होगी ऐसा कहकर यह स्थानिवद्भावसाक्षिक समाप्त किया है।]

स्थानिवदादेशोऽनल्लिख्यौ ॥ १११५६ ॥

वत्करणं किमर्थम् । स्थान्यादेशोऽनल्लिखावितीयत्युच्यमाने संज्ञाधिकारोऽयं तत्र स्थान्यादेशस्य संज्ञा स्यात् । तत्र को दोषः । आडो यमहन आत्मनेपदं भवतीति वधेरेव स्याद्धन्तेर्न स्यात् । वत्करणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । स्थानिकार्यमादेशोऽतिदिश्यते गुरुवद् गुरुपुत्र इति यथा ॥ अथादेशग्रहणं किमर्थम् । स्थानिवदनल्लिखावितीयत्युच्यमाने क इदानीं स्थानिवत्स्यात् । यः स्थाने भवति । कश्च स्थाने भवति । आदेशः । इदं तर्हि प्रयोजनमादेशमात्रं

आदेशको स्थानीके समान समझा जाय । पर स्थानियोंमेंसे एक वर्णके निमित्तसे प्राप्त होनेवाला कार्य करना ही तो आदेशको स्थानीके समान न समझा जाय । (१११५६)

(सू. ५६) इस सूत्रमें ' वत् ' शब्द किसलिये रखा गया है ?

' स्थान्यादेशोऽनल्लिख्यौ ' इतना ही सूत्र किया तो यह संज्ञाका अधिकार चालू होनेके कारण ' आदेशकी स्थानी संज्ञा होती है ' ऐसा अर्थ होगा ।

वैसा अर्थ होनेपर दोष कौनसा है ?

दोष यह है कि ' आडो यमहनः ' (११३२४) सूत्रसे बताया हुआ आत्मनेपद ' वव ' आदेशको ही होगा, ' हन् ' स्थानीको नहीं होगा । अब इस सूत्रमें वत् शब्द रखा गया तब तो यह दोष नहीं आता । क्योंकि स्थानीका कार्य आदेशके स्थानपर किया जाय ऐसा केवल अतिदेश इस सूत्रसे किया गया है । जैसे लोगोंमें गुरुपुत्रके प्रति गुरुकी तरह बर्ताव किया जाय ऐसा अतिदेश किया जाता है उसी प्रकार यहाँ समझा जाय ।

अब इस सूत्रमें आदेश शब्द किसलिये रखा गया है ?

आदेश शब्द न रखकर ' स्थानिवदनल्लिख्यौ ' इतना ही सूत्र किया गया तो स्थानीकी तरह कौन होगा ऐसा समझा जाय ?

जो स्थानीके स्थानपर हो वही स्थानीकी तरह समझा जायेगा ।

स्थानीके स्थानपर कौन होता है ?

आदेश होता है ।

१. ' हन् ' स्थानीको ' वव ' आदेश (१११४२) कहा है । अब यदि प्रथमतः ' वव ' की ' हन् ' संज्ञा हुई तो ' आदत्ते ' स्थाने ' वव ' न होनेसे आत्मनेपद न होगा । शिष्य प्रकार ' पु ' संज्ञासन्देहा (१११२०) उच्चारण करके कहा हुआ कार्य (१११६६) ' दा ' और ' पा ' -को ही होता है, ' पु ' धातुको नहीं होता, उसी प्रकार यह बात है ।

२. ' स्थानीका कार्य प्रत्यक्ष स्थानीको न किया जाय ' यह अर्थ अतिदेशमें नहीं निहित है । गुरुका कार्य गुरुको भी होता है और गुरुपुत्रको भी होता है ।

स्थानिवद्यथा स्यात् । एकदेशविकृतस्योपसंख्यानं चोदयिष्यति तन्न वक्तव्यं भवति ॥
अथ विधिग्रहणं किमर्थम् । सर्वविभक्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत । अलः परस्य
विधिरत्विधिः । अलो विधिरत्विधिः । अलि विधिरत्विधिः । अला विधिरत्विधि-
रिति । नैतदस्ति प्रयोजनम् । प्रातिपदिकनिर्देशो ऽयम् । प्रातिपदिकनिर्देशाश्रयार्थतन्त्रा
भवन्ति न कांचित्प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति । तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे यां यां
विभक्तिमाश्रयितुं बुद्धिरुपजायते सा साश्रयितव्या ॥ इदं तर्हि प्रयोजनमुत्तरपद-
लोपो यथा विज्ञायेत । अलमाश्रयते ऽलाश्रयः । अलाश्रयो विधिरत्विधिरिति ।

तो फिर 'आदेश' शब्दका उपयोग यह समझा जाय कि जितने आदेश हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या आनुमानिक हों, उन सबको स्थानिवद्भाव होना चौहिये । वैसे होनेपर 'एकदेशविकृतस्योपसंख्यानम्' (१।१।५६ वा. ९) ऐसा जो बार्तिककारोंने बताया है उसकी आवश्यकता नहीं है ।

अब इस सूत्रमें विधि शब्द किसलिये रखा गया है ?

विधि शब्द रखा है इसलिये इस स्थानपर 'अलविधि' समास सब विभक्तियोंसे लिया जा सकता है । सो इस तरह है—अलसे आगे होनेवालेको जो विधि होती है वह अलविधि है । वैसे ही अलके स्थानमें होनेवाली विधि भी अलविधि ही है । वैसे ही अल आगे होनेपर जो विधि होती है वह भी अलविधि ही है । वैसे ही अलके योगसे होनेवाली विधि भी अलविधि ही है ।

यह जो विधि शब्दका उपयोग दिखाया है सो ठीक नहीं है । क्योंकि अल प्रातिपदिकका ही केवल यहाँ हम निर्देश कर रहे हैं । उसमें विशेष विभक्ति नहीं लगाते । और इस तरहके जो केवल प्रातिपदिकके ही निर्देश किये होते हैं वे अर्थतंत्र होते हैं अर्थात् उस प्रातिपदिकके अर्थोंको ही वहाँ मुख्यत्व होता है । किसी भी विभक्त्यर्थको वहाँ मुख्यत्व नहीं होता है । इस रीतिसे केवल प्रातिपदिकका ही अर्थ मनमें आनेपर आगे वहाँ उसके संबंधमें जो जो विभक्त्यर्थ लेनेके विषयमें बुद्धि उत्पन्न होगी उस विभक्त्यर्थ वहाँ लिया जायगा ।

तो फिर विधि शब्दका दूसरा उपयोग हम दिखाते हैं । सो इस तरह है कि उत्तरपदका लोप होकर अलविधि शब्द यहाँ तैयार हुआ है । यह विधि शब्द रखनेसे मालूम होता है सो इस तरह :—अलका आश्रय करनेवाला सो अलाश्रय है और अलाश्रय जैसी जो विधि है सो अलविधि है । (इस तरह समास किया है इसलिये

३. 'पचतु' रूपमें इकारको उकार आदेश प्रत्यक्षरूपसे कहा है (३।४।८६), और उससे 'ति' को 'तु' आदेश कालितरूप होता है । इसीको काल्पनिक अथवा आनुमानिक आदेश कहते हैं । इस आनुमानिक आदेशको स्थानिवद्भावसे तिद् समझते हैं और उससे 'पचतु' को पददर्शा (१।४।१४) होती है ।

यत्र प्राधान्येनालाश्रीयते तत्रैव प्रतिषेधः स्यात् । यत्र विशेषणत्वेनालाश्रीयते तत्र प्रतिषेधो न स्यात् । किं प्रयोजनम् । प्रदीव्य प्रमीन्येति वलादिलक्षण इण्मा भूदिति ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

स्थान्यादेशपृथक्त्वादादेशे स्थानिवद्नुदेशो गुरुवद् गुरुपुत्र इति यथा ॥१॥

अन्यः स्थान्यन्य आदेशः । स्थान्यादेशपृथक्त्वादेतस्मात्कारणात्स्थानि-
कार्यमादेशे न प्राप्नोति । तत्र को दोषः । आडो यमहन आत्मनेपदं भवतीति
हन्तेरेव स्याद्धर्षेण स्यात् । इष्यते च वधेरपि स्यादिति तच्चान्तरेण यत्नं न

अलङ्का आश्रय किसी भी तरहका हो तो भी उसको अलङ्कित कहा जा सकता है ।
और उस स्थानपर भी अनलङ्कितों यह स्थानिवद्भावका निषेध किया जा सकता है । नहीं
तो) जिस स्थानपर मुख्यतया अलङ्का आश्रयण होगा उसी स्थानपर वह निषेध होगा ।
और जिस स्थानपर गौणत्वसे अलङ्का आश्रयण किया हो वहाँ वह निषेध नहीं होगा ।

जिस स्थानपर गौणत्वसे अलङ्का आश्रयण होगा उस स्थानपर अनलङ्कितों यह
निषेध होता है ऐसा कहनेका उपयोग क्या है ?

प्रदीव्य, प्रमीव्य इन उदाहरणोंमें वलादि प्रत्ययको बताया हुआ इडागम
(७।२।३५) न हो यह उसका उपयोग है ।

परंतु पहले यह सूत्र ही किमलिये किया गया है ?

(वा. १) स्थानी और आदेश भिन्न होनेसे आदेश स्थानीके जेसा
होता है इस प्रकारका अतिदेश इस सूत्रसे किया है । उदाहरणार्थ, गुरुकी
तरह गुरुपुत्र होता है ।

यह सूत्र इसलिए किया है कि स्थानी भिन्न है और आदेश भिन्न है इस तरह
स्थानी और आदेश इन दोनोंमें भेद है, इस कारण आदेशके स्थानपर स्थानीका कार्य
प्राप्त नहीं होता ।

अगर वैसे प्राप्त नहीं हुआ तो कौनसा दोष आता है ?

यह दोष आता है कि 'आडो यमहनः' (१।३।२८) सूत्रमें बनाया हुआ
आत्मनेपद हन् धातुको ही होगा, हन् धातुका जो वय आदेश है उसे नहीं होगा और
उस वयके लिये भी आवश्यक इष्ट है । इसलिये उसके लिये कोई प्रयत्न किये बिना वय

४. 'प्रदीव्य' में 'त्वा' को 'व्य' आदेश (७।१।३०) हुआ है । वही 'त्वा'
स्थानी अल् नहीं है । अतः 'य' आदेश स्थानीके समान वलादि समाना आदेश । पर
स्थानिवत्त्वात्वे वलादि है ऐसा समझा जाता है । उसमें 'वल्' विशेषण है, उगीने ही 'इ'
आगमके 'अश्रित' कहा जाता है । इसलिए स्थानिवत्त्वात् नही होगा और इत् आगम
भी नहीं होगा ।

सिध्यति । तस्मात्स्थानिवदनुदेशः । एवमर्थमिदमुच्यते । गुरुवद् गुरुपुत्र इति यथा । तद्यथा । गुरुवदस्मिन्गुरुपुत्रे वर्तितव्यमिति गुरौ यत्कार्यं तद् गुरुपुत्रे ऽतिदिश्यते । एवमिहापि स्थानिकार्यमादेशे ऽतिदिश्यते ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम् । लोकत एतत्सिद्धम् । तद्यथा । लोके यो यस्य प्रसङ्गे भवति लभते ऽसौ तत्कार्याणि । तद्यथा । उपाध्यायस्य शिष्यो याज्यकुलानि गत्वाग्रासनादीनि लभते । यद्यपि तावन्नोक एष दृष्टान्तो दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो निवर्तको भवति । अस्ति चेह कश्चित्पुरुषारम्भः । अस्तीत्याह । कः । स्वरूपविधिर्नाम । हन्तेरात्मनेपदमुच्यमानं हन्तेरेव स्याद्वधेर्न स्यात् ॥ एवं तर्ह्यार्यापवृत्तिर्ज्ञापयति स्थानिवदादेशो भवतीति यदयं युष्मदस्मदोरनादेशे [७.२.८६] इत्यादेश-प्रतिषेधं शास्ति । कथं कृत्वा ज्ञापकम् । युष्मदस्मदोर्विभक्तौ कार्यमुच्यमानं कः

सिद्ध नहीं होगा, अतः यहाँ ' आदेश स्थानी की तरह होता है ' ऐसा अतिदेश किया है । इसलिये ही यह सूत्र किया है । जिस तरह लोगोंमें गुरुका पुत्र आनेपर उससे गुरुकी तरह आचरण किया जाय ऐसा कहनेपर गुरुके लिये जो कार्य किया जाता है वही गुरुपुत्रके लिये भी किया जाता है, उसी तरह इस शास्त्रमें भी आदेशके स्थानपर स्थानीका कार्य किया जाता है ।

परंतु इस सूत्रका यह उपयोग उचित नहीं जँचता; क्योंकि यह बात लोगोंसे ही सिद्ध होती है; जैसे लोगोंमें जिसके बदले जो जाता है उसे उसके लाभ प्राप्त होते हैं । जैसे उपाध्यायके बदले शिष्यके यज्ञशालामें जानेपर उसे उपाध्यायकी तरह अग्रासन दिया जाता है ।

यद्यपि लोगोंमें यह दृष्टान्त है तो भी उस दृष्टान्तके विरुद्ध मनुष्यने एकाध बात जान बूझकर कही हो तो उस स्थानपर वह दृष्टान्त लागू नहीं होता ।

तो फिर वैसी कोई बात क्या यहाँ जान बूझकर कही गयी है ?

हे ऐसा हम विश्वासपूर्वक कहते हैं ।

सो कौनसी ?

' स्वरूपविधि ' (१।१६८) शास्त्रमें प्रसिद्ध ही है, वही वह बात है । अतः हद् धातुको बताया हुआ आत्मनेपद हद् धातुकोही होगा, उसका जो वध आदेश है उसे नहीं होगा । इसलिये स्थानिवत् यह प्रकृतसूत्र किया है ।

तो भी यह सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि आचार्य पाणिनि ' युष्मदस्मदोरनादेशे ' (७।२।८६) इस सूत्रसे विभक्ति आगे होनेपर बताये हुए आत्वका विभक्तिको आदेश करनेपर निषेध बताते हैं उससे वे ऐसा सूचित (शापित) करते हैं कि आदेश स्थानीकी तरह माना जाता है ।

यह शापक कैसे ठीक बैठता है ?

प्रसङ्गो यदादेशो स्यात् । पश्यति त्वाचार्यः स्थानिवदादेशो भवतीत्यत आदेशो प्रतिषेधं शास्ति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । अनल्विधाविति प्रतिषेधं वक्ष्यामीति । इह मा मूत् । यौः पन्थाः स इति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । आचार्य-प्रवृत्तिर्ज्ञापयत्यल्विधौ स्थानिवद्भावो न भवतीति यद्यमदो जग्धिर्ल्यप्ति किति [२.४ ३६] इति ति कित्तीत्येव सिद्धे त्यस्यहणं करोति ॥ तस्मान्नाथो ऽनेन योगेन ॥

इस तरह कि युष्मद्, अस्मद् इन शब्दोंको विभक्ति आगे होनेपर बताया हुआ आत्वस्वरूप जो कार्य है वह उस विभक्तिको आदेश होनेपर भी होगा सो कैसे समझ होगा ? अतः इसपरसे आचार्य पाणिनिके मनमें ऐसा दिखाई देता है कि आदेश स्थानीकी तरह होता है । और ऐसा गृहीत मानकर ही आदेश करनेपर भी आत्व होगा इसलिये वे उसका निषेध बताते हैं । तात्पर्य ज्ञापकसे सिद्ध होनेके कारण उसके लिये यह प्रत्यक्ष सूत्र करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

तो फिर उसका उपयोग हम दूसरे प्रकारसे बताते हैं । सो इस तरह है कि अनल्विधौ यह अल्विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भावका निषेध बताना है । क्योंकि यौः, पन्थाः, सः, इन स्थानपर स्थानिवद्भाव नहीं होना चाहिये । अतः वह निषेध किसका सो जाननेके लिये 'स्थानिवदादेशः' ऐसा यहाँ कहना चाहिये ।

यह उपयोगभी ठीक नहीं जँचता । क्योंकि आचार्य पाणिनि 'अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति' (२।४।३६) सूत्रमें 'तकारादि कित् प्रत्यय आगे होनेपर' ऐसा जो कहा गया है उसीसे ल्यप् आदेश करनेपर काम चर्ल जानेपर भी पुनः जान बूझकर ल्यपि ऐसा कहते हैं, अतः वे ऐसा ज्ञापित करते हैं कि अल्विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता । तात्पर्य अनल्विधौ निषेध किसका सो जाननेके लिये भी इस सूत्रका कुछ उपयोग नहीं है ऐसा दीखता है इसके सिवा ज्ञापकसे सिद्धि होते हुए भी स्पष्ट मात्स्य होनेके लिये ऐसा सूत्र किया यह गृहीत माना जाय तो अनल्विधौ इस निषेधकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

५ 'दिष्' शब्दके आगे 'घु' प्रत्यय लगानेके बाद 'दिष्' शब्दके 'व'कारको जो औकार आदेश हुआ है (७।१।८४) वह स्थानिवद्भावसे 'व'कारके समान 'हृत्' समझा गया तो आगेके 'घु' प्रत्ययका लोप (६।१।६८) होगा । तथा 'पन्था' रूपमें 'पथिन्' शब्दके नकारको 'नो' आकार आदेश प्राप्त हुआ है (७।१।८५) वह नकारके समान 'हृत्' समझा गया तो वही दोष आयेगा । 'सः' रूपमें भी 'तद्' शब्दके रकारको जो अकार आदेश (७।२।१०२) हुआ है वह स्थानीके समान 'हृत्' समझा गया तो वही दोष प्राप्त होगा ।

६ कारण यह कि 'त्वा' स्थानीकी जो 'य'-आदेश हुआ है (७।१।२७) वह स्थानीके समान 'तकारादि चिन्' समझा जाता है ।

आरभ्यमाणे ऽप्येतस्मिन्योगे

अल्विधौ प्रतिषेधे ऽविशेषणे ऽप्राप्तिरस्यादर्शनात् ॥ २ ॥

अल्विधौ प्रतिषेधे ऽसत्यपि विशेषणे समाश्रीयमाणेऽसति तस्मिन्विशेषणे ऽप्राप्तिर्विधेः । प्रदीव्य प्रसीव्य । किं कारणम् । तस्यादर्शनात् । वलादेरित्युच्यते न चात्र वलादिं पश्यामः ॥ ननु चैवमर्थ एवायं यत्रः क्रियते ऽन्यस्य कार्य-मुच्यमानमन्यस्य यथा स्यादिति । सत्यमेवमर्थो न तु प्राप्नोति । किं कारणम् ।

सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः ॥ ३ ॥

सामान्ये ह्यतिदिश्यमाने विशेषो नातिदिष्टो भवति । तद्यथा । ब्राह्मण-व ऽस्मिन्क्षत्रिये वर्तितव्यमिति सामान्यं यद् ब्राह्मणकार्यं तत्क्षत्रिये ऽतिदिश्यते

अब यह सूत्र किया तो भी ।

(वा. २) 'अल्विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता' यह निषेध नहीं किया तोभी इडागम कहनेवाले सूत्रमें बताया हुआ 'वलादि' विशेषण 'प्रदीव्य' 'प्रसीव्य' इत्यादि उदाहरणोंमें न दिखाई देनेके कारण इडागमकी प्राप्ति नहीं होती ।

'अल्विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता' वह निषेध नहीं किया तोभी इडागम कहनेवाले शास्त्रमें वलादि जो विशेषण आर्धधातुक प्रत्ययको रखाया है वह 'प्रदीव्य' 'प्रसीव्य' इन उदाहरणोंमें न होनेके कारण इडागमकी प्राप्ति नहीं होती ।

क्यों भला ?

वह विशेषण नहीं दिखाई देता इसलिये । 'वलादेः' ऐसा विशेषण बहाँ दिया है, और प्रदीव्य, प्रसीव्य इन स्थानोंपर तो वलादि प्रत्यय नहीं दिखाई देता ।

परंतु इसीलिये यह स्थानिवत् सूत्र किया है न, कि जिससे एकको बनाया हुआ कार्य दूसरेको अर्थात् उसके आदेशको किया जा सके ?

इसलिये यह प्रयत्न किया गया है सही, परंतु प्रदीव्य, प्रसीव्य इन स्थानोंपर उसका उपयोग नहीं होता ।

क्यों भला ?

(वा. ३) सामान्य घातका अतिदेश करनेपर विशेष घातका अतिदेश नहीं होता ।

सामान्य घातका अतिदेश करनेपर विशेष घातका अतिदेश नहीं होता ।

सामान्य घातका अतिदेश करनेपर विशेष घातका अतिदेश नहीं होता; जैसे लोमोर्म 'इस क्षत्रियके प्रति ब्राह्मणके जैसा आचरण किया जाय' ऐसा कहनेपर ब्राह्मणका जो सामान्य कार्य है उसका क्षत्रियके स्थानपर अतिदेश होता है,

यद्विशिष्टं मातरे कौण्डिन्ये वा न तदतिदिश्यते । एवमिहापि सामान्यं यत्प्रत्यय-
कार्यं तदतिदिश्यते यद्विशिष्टं बलादेरिति न तदतिदिश्यते ॥ यथेवमग्रहीत् इट
ईटि [८.२.२८] इति सिचो लोपो न प्राप्नोति । अनात्विधाविति पुनरुच्य-
मान इहापि प्रतिषेधो भविष्यति । प्रदीन्य प्रसीन्येति । विशिष्टं हेपो ऽलमाश्रयते
वलं नाम । इह च प्रतिषेधो न भविष्यति । अग्रहीदिति । विशिष्टं हेपो ऽनल-
माश्रयत इटं नाम ॥ यदि तर्हि सामान्यमप्यतिदिश्यते विशेषश्च ।

सत्पाश्रये विधिरिष्टः ॥ ४ ॥

सति च बलादित्वा इटा भवितव्यम् । अरुदिताम् अरुदितम् अरुदित ।
किमतो यत्सति भवितव्यम् ।

परंतु मातर नामक अथवा कौण्डिन्य नामक ब्राह्मणका जो विशेष कार्य है उसका
अतिदेश नहीं होता, उसी प्रकार इस शास्त्रमें भी ल्यप् आदेश करनेपर क्त्वा प्रत्ययको
जो सामान्य कार्य है उसका अतिदेश होगा, परंतु जो बलादि जैसा विशेष कार्य है
उसका अतिदेश नहीं होगा ।

अगर यह बात है तो फिर अग्रहीत् उदाहरणमें 'इट ईटि' (८।२।२८)
सूत्रसे सिचका लोप नहीं होगा । जब शास्त्रमें विशेष कार्यका भी अतिदेश होता है
ऐसा गृहीत मानकर अनलविधौ यह निषेध यहाँ किया है ऐसा कहा जानेपर 'प्रदीन्य'
'प्रसीन्य' आदि उदाहरणोंमें निषेध होगा । क्यों कि इहागम बतानेवाले शास्त्रमें बल
पेसा विशेषतः अलका आश्रयण किया है । और अग्रहीत् स्थानपर अनलविधौ निषेध
नहीं होगा । क्योंकि 'इट ईटि' शास्त्रमें इट् ऐसा विशिष्ट अनलका अर्थात् अलसमु-
दायका आश्रयण किया है ।

तात्पर्य, सामान्यका भी अतिदेश होता है और विशेषका भी अतिदेश होता है
ऐसा सिद्ध होता है तो भी—

(या. ४) आश्रय उपलब्ध हो तो ही विधि इष्ट है ।

अरुदिताम्, अरुदितम् इन उदाहरणोंमें बलादि प्रत्यय हो तभी इहागम
होगा न ?

जी हों ! बलादि प्रत्यय होगा तभी इहागम होगा । फिर आगे क्या ?

७. 'अग्रहीत्' रूपमें 'इट्' आगमको दीर्घ (७।२।१७) करनेके बाद उस दीर्घ
ईकारको स्थानिवद्भावसे 'इट्' समझके 'सिच्' प्रत्ययका लोप (८।२।२८) होता है । यदि
विशेष कार्यका अतिदेश नहीं होता तो वह दीर्घ ईकार इट् नहीं समझा जायगा ।

८. 'अनादेशे' (८।२।८६) और 'व्यग्रहण' (२।४।३६) शास्त्रोंसे स्थानिवद्भाव
और उसका निषेध सिद्ध होनेपर भी उसी अर्थका यह प्रकृतम् निरर्थक किया है उससे इस
शास्त्रमें विशेष कार्यका भी अतिदेश होता है ऐसा समझा जा सकता है ।

प्रतिषेधस्तु प्राप्नोत्यल्विधित्वात् ॥ ५ ॥

प्रतिषेधस्तु प्राप्नोति । किं कारणम् । अल्विधित्वात् । अल्विधिरयं भवति तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः प्राप्नोति ॥

न वानुदेशिकस्य प्रतिषेधादितरेण भावः ॥ ६ ॥

न वैष दोषः । किं कारणम् । आनुदेशिकस्य प्रतिषेधात् । अस्त्वत्रानुदेशिकस्य वलादित्वस्य प्रतिषेधः स्वाश्रयमत्र वलादित्वं भविष्यति । नैतद्विवदामहे वलादिर्न वलादिरिति । किं तर्हि । स्थानिवद्भावात्सार्वधातुकत्वमेषित्व्यं तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः प्राप्नोति ॥

किं पुनरादेशिन्यत्याश्रीयमाणे प्रतिषेधो भवत्याहोस्विदाविशेषणादेश आदेशिनि च । कश्चात्र विशेषः ।

(वा. ५) आगे यह कि अल्विधि होनेसे निषेध प्राप्त होता है ।

आगे यह कि 'अनल्विधौ' यह निषेध आता है ।

क्यों भला ?

अल्विधि है इसलिये । इहागम वलादि प्रत्ययको बताया जानेके कारण अल्विधि होती है । अतः अनल्विधौ निषेध वहाँ प्राप्त होता है ।

(वा. ६) अथवा, यह दोष नहीं आता । अतिदेशिक (वलादित्व-) के निषेधसे इतर अर्थात् आदेशका वलादित्व लेकर इट् आगम होगा—

यह दोष नहीं आता ।

क्यों भला ?

आतिदेशिकका निषेध है इसलिये ।

इस स्थानपर, ताम्, तम् आदि आदेशपर अतिदेशसे प्राप्त होनेवाला जो वलादित्व है उसका निषेध होने दीजिये; आदेशोंका स्वयंका जो वलादित्व है वह लेकर इट् आगम होगा ।

यहाँ प्रत्यय वलादि है या नहीं इस बारेमें हमारा वाद नहीं है । केवल स्थानिवद्भावसे यहाँ जो सार्वधातुकत्व धर्म लाना है वह लाने समय 'अनल्विधौ' ऐसा निषेध होने लगेगा ।

परंतु क्या, उस स्थानपर स्थानीके ही 'अल्' के आश्रयसे प्राप्त होनेवाली विधि होगी तभी वहाँ 'अनल्विधौ' यह निषेध होता है । अथवा वैसा विशेष कुछ न मानने हुए स्थानी के अथवा आदेश के 'अल्' के आश्रयसे प्राप्त होनेवाली विधि होगी तो वहाँ स्थानिवद्भावका निषेध होता है ।

इन दोनोंमें क्या फर्क क्या ?

आदेश्यत्वविधिमतिपेधे कुरुवधपित्रां गुणवृद्धिमतिपेधः ॥ ७ ॥

आदेश्यत्वविधिमतिपेधे कुरुवधपित्रां गुणवृद्धयोः प्रतिपेधो वक्तव्यः । कुर्वित्यत्र

स्थानिवद्भावादङ्गसंज्ञा स्वाश्रयं च लघूपधत्वं तत्र लघूपधगुणः प्राप्नोति । वधकृ-
मित्यत्र स्थानिवद्भावादङ्गसंज्ञा स्वाश्रयं चादुपधत्वं तत्र वृद्धिः प्राप्नोति । पिबेत्यत्र
स्थानिवद्भावादङ्गसंज्ञा स्वाश्रयं च लघूपधत्वं तत्र गुणः प्राप्नोति ॥ अस्तु तर्ह्य-
विशेषेणादेश आदेशिनि च ।

आदेश्यादेश इति चेत्सुप्तिङ्कृदतिदिष्टेषूपसंख्यानम् ॥ ८ ॥

आदेश्यादेश इति चेत्सुप्तिङ्कृदतिदिष्टेषूपसंख्यानं कर्तव्यम् । सुप् । वृक्षाय

(वा. ७) स्थानीके अल् का आश्रय लेकर प्रात होनेवाली विधिका
निषेध होता है तो कुरु, वध, और पिब् के गुण और वृद्धिका प्रतिपेध करना
पड़ेगा ।

स्थानीके अल्के आश्र से प्रात होनेवाली विधि होगी तभी वहाँ स्थानिवद्भावका
निषेध होता है ऐसा माना जाय तो कुरु, वध, पिब, इन स्थानोंपर गुण और वृद्धि नहीं
होती ऐसा कहना होगा ।

वात यह है कि 'कुरु' उदाहरणमें कुरु आदेशको स्थानिवद्भावसे अंगसंज्ञा
होगी और वह आदेश स्वय ही लघूपध है अतः वहाँ लघूपधगुण (७।३।८६) होने
लगेगा । वैसे ही वधकृः उदाहरणमें वध आदेशको स्थानिवद्भावसे अंगसंज्ञा है और वह
आदेश स्वय ही अदुपध है अर्थात् उसकी उपमाको ह्रस्व अकार है अतः वहाँ 'अत
उपवायाः' (७।२।११६) सूत्रसे वृद्धि प्राप्त होती है । वैसे ही पिबति स्थानपर पिब्
आदेशको स्थानिवद्भावसे अंगसंज्ञा है और वह आदेश स्वय ही लघूपध है अतः वहाँ
लघूपधगुण (७।३।८६) प्राप्त होने लगेगा ।

ऐसे दोष आते हैं तो फिर चाहे अल् आदेशका हो चाहे स्थानीका हो,
दोनों स्थानोंपर अनल्विधौ निषेध आने दीजिये ।

(वा. ८) अल् स्थानीका हो या आदेशका हो दोनों स्थानोंपर
'अनल्विधौ' निषेध होता है, तो सुप्, तिङ् और कृदतिदिष्ट इन स्थानोंपर
स्थानिवद्भावाय कहना पड़ेगा ।

अल् यह स्थानीका हो या आदेश का हो, दोनों स्थानोंपर अनल्विधौ
स्थानिवद्भावका निषेध होता है ऐसा माना जाय तो सुप् तिङ् और कृदतिदिष्ट इन
स्थानोंपर स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहना पड़ेगा । इसमेंसे सुप्का उदाहरण वृक्षाय,

१. उपमाको लघु चादिसे भवया टरपाको ह्रस्व अकार चादिसे देगा अर्थात् आश्रय
यदि गुण और वृद्धि विधियोंमें है तबानि वध अर्थात् वहाँ आदेशमें ही प्राप्त होनेके कारण
स्थानिवद्भावका निषेध न होगा ।

पृक्षाय । स्थानिवद्भावात्सुप्संज्ञा स्वाश्रयं च यत्रादित्वं तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति ।
 सुप् ॥ तिङ् । अरुदिताम् अरुदितम् अरुदित । स्थानिवद्भावात्सार्वधातुकसंज्ञा
 स्वाश्रयं च बलादित्वं तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति । तिङ् ॥ कृदतिदिष्टम् । भुवनम् सुवनम्
 धुवनम् । स्थानिवद्भावात्प्रत्ययसंज्ञा स्वाश्रयं चाज्जादित्वं तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति ॥
 किं पुनरत्र ज्यायः । आदेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेध इत्येतदेव ज्यायः । कुत एतत् ।
 तथा ह्ययं विशिष्टं स्थानिकार्यमादेशे ऽतिदिशति गुरुवद् गुरुपुत्र इति यथा ।
 तद्यथा । गुरुवदस्मिन्गुरुपुत्रे वर्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टभोजनात्यादोपसंग्रहणाच्चेति ।
 यदि च गुरुपुत्रोऽपि गुरुर्भवति तदपि कर्तव्यं भवति ॥ अस्तु तर्ह्यादेशिन्यल्याश्रीय-
 माणे प्रतिषेधः । ननु चोक्तमादेश्यत्वविधिप्रतिषेधे कुरुवधपिवां गुणवृद्धिप्रतिषेध
 इति । नैष दोषः । करोती तपरकरणनिर्देशात्सिद्धम् । पिविरदन्तः । वधकमिति

पृक्षाय । इन स्थानोंपर स्थानिवद्भावसे य आदेश सुप् समझा जाता है और वह आदेश
 स्वतः यत्रादि होनेके कारण वहाँ ' सुपि च ' (७।३।१०२) दीर्घ होता है । वह दीर्घ
 कर्तव्य होनेपर अनल्विधौ निषेध होने लगेगा । तिङ्का उदाहरण— अरुदिताम्,
 अरुदितम्, अरुदित । इन उदाहरणोंमें ताम्, तम् और त इन आदेशोंको स्थानिवद्भावसे
 सार्वधातुक संज्ञा है, और वे स्वयं बलादि हैं । इससे वहाँ ' रुदादिभ्यः सार्व० ' (७।२।७६)
 इस सूत्रसे इडागम होता है । वह जब कर्तव्य है तब ' अनल्विधौ ' निषेध होने लगेगा
 कृदतिदिष्टके उदाहरण भुवनम्, सुवनम्, धुवनम् । इन स्थानोंपर कृत प्रत्ययके ' अन् '
 आदेशको स्थानिवद्भावसे प्रत्ययसंज्ञा है और वह आदेश स्वयं ही अजादि है इसलिये
 वहाँ ' अचि श्रुधातु० ' (६।४।७७) सूत्रसे उवङ् होता है । वह कर्तव्य होनेपर
 अनल्विधौ निषेध होने लगेगा ।

परंतु इन दो पक्षोंमें अच्छा पक्ष कौनसा ?

स्थानीके ही अल्लके आश्रयसे प्राप्त होनेवाली विधि हो तभी वहाँ अनल्विधौ निषेध
 आता है यही पक्ष अच्छा है ।

सो कैसे ?

सो ऐसे कि जिस प्रकार लोगोंमें गुरुपुत्रके स्थानपर गुरुकी तरह बर्ताव किया
 जाय, केवल उसकी जूटन न सायी जाय, पैर न सहलाये जायँ, ऐसा कहनेपर भी अगर
 वह गुरुपुत्र स्वयं गुरु ही होगा तो जूटन साना, पैर सहलाना भी वहाँ किया ही जाता है ।

तो फिर स्थानीके ही अल्लके आश्रयसे प्राप्त होनेवाली विधि हो तो उस स्थानपर
 ही ' अनल्विधौ ' यह स्थानिवद्भावका निषेध होता है सो वैसा ही रहने दे ।

परंतु ऐसा गृहीत माना जाय तो कुरु, वध्, पितृ आदिको गुण और वृद्धि नहीं
 होती ऐसा कहना होगा, ऐसा अभी बताया गया है न ?

यह दोष नहीं आता । ' कुरु ' स्थानपर ' अत उत० ' (६।४।११०) सूत्रमें उत

नायं ण्वुल् अन्यो ऽयमकशब्दः किदीणादिको रुचक इति यथा ॥

✓ एकदेशविकृतस्योपसंख्यानम् ॥ ९ ॥ ६-

एकदेशविकृतस्योपसंख्यानं कर्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । पचतु पचन्तु ।

तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात् ॥

एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्सिद्धम् ॥ १० ॥

एकदेशविकृतमनन्यवद्भवतीति तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं भविष्यति । तद्यथा ।

ऐसा तपरकरण किया है, अतः वहाँ गुण नहीं होगा । 'पिबति' स्थानपर पिब् यह मूलतः पिब इस तरह अकारान्त है इससे वहाँ भी गुण नहीं होगा । 'वचकः' स्थानपर ण्वुल् प्रत्यय किया है ऐसा न माना जाय । तो अलग ही यहाँ औणादिक 'अक' ऐसा कित् प्रत्यय किया है । रुचकः उदाहरणमें जैसा किया है वैसा ही यहाँ भी किया है । अतः वहाँ वृद्धि नहीं होगी ।

(वा. ९) एकदेशको विकार होनेपर वह विकृत शब्द मूलप्रकृतिकी तरह समझा जाय ऐसा वचन कहना चाहिये ।

एकदेशको विकार होनेपर वह विकृत शब्द मूल प्रकृतिकी तरह ही समझा जाय ऐसा कहना चाहिये ।

इसका क्या उपयोग है ?

पचतु, पचन्तु स्थानोंपर तु और अन्तु इन विकृत शब्दस्वरूपोंका मूल प्रकृतिकी तरह तिङ् शब्दसे ग्रहण होना चाहिये ।

(ऐसा वचन करनेकी आवश्यकता नहीं ।)

(वा. १०) एकदेशका विकार होनेपर वह विकृत स्वरूप मूलकृतिके भिन्न मानना न जानेसे इष्टरूपकी सिद्धि होती है ।

एकदेशको विकार होनेपर वह विकृत स्वरूप मूल प्रकृतिकी अपेक्षा भिन्न प्रकृतिका माना ही नहीं जाता । अतः अर्थात् ही तिङ् शब्दसे उनका ग्रहण होगा । जैसे लोमोंमें कुत्तेका कान या पूँछ टूटी हो वहाँ वह अलग याने घोडा या गधा नहीं माना जाता, कुत्ता ही माना जाता है ।

१०. 'अनः' शब्दमें ह्रस्व अकार स्थानी होनेसे वहाँ उसको उसके समान (१११५०) ह्रस्व ही उकार आदेश होगा । तब उस कार्यमें तपरकरण 'उत्'-का उपयोग नहीं होता । इसलिए यह कल्पना कि उस तपरकरणके बजाय उस उकार आदेशको बादमें प्राप्त होनेवाला गुण नहीं होता ।

११ 'पिब' के अकारको अगले शब्द प्रत्ययके साथ जो परस्पर (१११५७) आदेश हुआ है उसको आगेके सूत्रमें (१११५७) स्थानिवद्भाव होनेसे गुण नहीं होता ।

१२. नहीं तो पदसंज्ञा (११४१४) न होगी । यहाँ इकारको जो उकार आदेश (११४८९) हुआ है वह विकार है ।

श्वा कर्णे वा पुच्छे वा छिन्ने श्वैव भवति नाश्वो न गर्दभ इति ॥

अनित्यविज्ञानं तु तस्मादुपसंख्यानम् ॥ ११ ॥

अनित्यविज्ञानं तु भवति । नित्याः शब्दाः । नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैर-
विचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । तत्र स एवायं विकृतश्चेत्येत-
न्नित्येषु नोपपद्यते । तस्मादुपसंख्यानं कर्तव्यम् ॥

भारद्वाजीयाः पठन्ति ॥ एकदेशविकृतेपूपसंख्यानम् ॥ एकदेशविकृते-
पूपसंख्यानं कर्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । पचतु पचन्तु । तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं यथा
स्यात् । किं च कारणं न स्यात् ॥ अनादेशत्वात् ॥ आदेशः स्थानिवदित्युच्यते
न चेम आदेशाः ॥ रूपान्यत्वाच्च ॥ अन्यत्वत्वल्पि रूपं पचतीत्यन्यत्पचत्विति ।

(वा. ११) यदि विकृतस्वरूप मूलस्वरूपसे भिन्न न माना जाय तो
शब्द अनित्य है ऐसा सिद्ध होगा । अतः ' विकृत शब्द मूलप्रकृतिकी तरह
समझा जाय ' ऐसा वचन करना आवश्यक है ।

इस तरह सिद्ध होगा सही । परंतु शब्द अनित्य है यही इसमें सिद्ध होता है ।
और शब्द तो नित्य हैं । इन नित्य शब्दोंके जो वर्ण है वे एक ही स्वरूपमें नित्य
रहनेवाले और न हिलनेवाले ऐसे ही होने चाहिये । उनको नाश अथवा उत्पात्ति-
में विकार बिलकुल नहीं होने चाहिये । अतः वही यह शब्द है और विकृत भी है
यह बात नित्य शब्दके संबंधमें ठीक नहीं बैठती, अतः वैसा यहाँ स्वतंत्र वचन
करना चाहिये ।

यहाँ भारद्वाजीय ऐसा कहते हैं—एकदेशविकृतेपूपसंख्यानम् । एकदेशको
विकार होनेपर वह विकृत शब्द मूल प्रकृतिकी तरह समझा जाय ऐसा कहना चाहिये ।

इसका क्या उपयोग है ?

पचतु, पचन्तु इन स्थानोंपर तु और अन्तु इन विकृत शब्दस्वरूपोंका मूल
प्रकृतिकी तरह तिङ् शब्दसे ग्रहण होना चाहिये ।

फिर क्यों भला तिङ् शब्दसे उसका ग्रहण नहीं होगा ?

अनादेशत्वात् । क्योंकि वे आदेश नहीं हैं । आदेशको स्थानिवद्भाव होता है
ऐसा यहाँ बताया है और तु, अन्तु तो आदेश नहीं हैं ।

रूपान्यत्वाच्च । और उकार आदेश होनेके कारण उनका स्वरूप तो अलग
दिसाई देता है । पचति यहाँ ' ति ' ऐसा तिङ्का स्वरूप अलग दिसाई देता है । वैसा

११ कारण यह कि ' एह ' (१।४।८६) सूत्रसे इकारको उकार आदेश कहा है ।
' ति ' को ' तु ' आदेश नहीं कहा है ।

इमेऽप्यादेशाः । कथम् । आदिश्यते यः स आदेश इमे चाप्यादिश्यन्ते ॥ आदेशः स्थानिवदिति चेन्नानाश्रितत्वात् ॥ आदेशः स्थानिवदिति चेन्न । किं कारणम् । अनाश्रितत्वात् । योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः । नैतन्मन्तव्यं समुदाय आश्रीयमाणे ऽवयवो नाश्रीयत इति । अभ्यन्तरो हि समुदायस्यावयवः । तद्यथा । वृक्षः प्रचलन्सहावयवैः प्रचलति ॥ आश्रय इति चेदल्विधिप्रसङ्गः ॥ आश्रय इति चेदल्विधिरयं भवति तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः प्राप्नोति । नैव दोषः । नैवं सति कश्चिदप्यनल्विधिः स्यात् । उच्यते चेदमनल्विधाविति तत्र प्रकर्षगतिर्विज्ञास्यते साधीयो योऽल्विधिरिति । कश्च साधीयः । यत्र

पचतु यहाँ 'तु' यह नहीं दिखाई देता । इसलिये भी तु अन्तु इनका तिङ् शब्दसे ग्रहण नहीं होगा ।

इमेऽप्यादेशाः । परंतु पचतु पचन्तु इन स्थानोंपर भी आदेशही हुए हैं न ? सो कैसे ?

जो नया बताया जाता है उसीको आदेश कहते हैं और पचतु, पचन्तु इन स्थानोंपरके उकार नहीं ही किये हैं ।

आदेशः स्थानिवदिति चेन्नानाश्रितत्वात् । इन आदेशोंको स्थानिवद्भावसे तिङ् कहा जा सकेगा, ऐसा कहें तो वैसा नहीं है ।

सो क्यों ?

क्यों कि उसका आश्रयण नहीं किया है; अर्थात् पचतु, पचन्तु इन स्थानोंपर जो उकार आदेश है उसका 'सुप्तिङन्तं पदम्' (१।४।१४) इस सूत्रमें आश्रयण नहीं किया है । और उस सूत्रमें जिनका याने 'तु' इस समुदायका तिङ् स्वरूपसे आश्रयण किया है वह आदेश नहीं होता ।

परंतु ऐसा न माना जाय कि जिस स्थानपर समुदायका आश्रयण किया हो उस स्थानपर उस समुदायके अवयवोंका आश्रयण नहीं किया जाता । क्योंकि अवयव समुदायके षेटमें ही होता है; जैसे लोगोंमें पेड़ हिलनेपर उसकी टहनियाँ भी हिलने ही लगती हैं ।

आश्रय इति चेदल्विधिप्रसङ्गः । इसी तरहसे 'तु'मेंसे जो उकार आदेश है उसका 'सुप्तिङन्तं पदम्' यहाँ आश्रयण किया है ऐसा कहें तो 'सुप्तिङन्तम्' यह विधि अल्विधि होगी । और अनल्विधौ यह स्थानिवद्भावका निषेध होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि इस तरह कोई भी विधि अनल्विधि होगी ही नहीं । और पाणिनिने तो यहाँ 'अनल्विधौ' ऐसा कहा है । अतः अर्थात् ही अल्विधि इस शब्दके अर्थमें कुछ विशेष है ऐसा कहना पड़ता है । जो अच्छी अनल्विधि है वही अल्विधि है ।

प्राधान्येनालाश्रीयते । यत्र नान्तरीयको ऽलाश्रीयते नासावल्विधिरिति ॥ अथवो-
क्तमादेशग्रहणस्य प्रयोजनमादेशमात्रं स्थानिवद्यथा स्यादिति ॥

अनुपपन्नं स्थान्यादेशत्वं नित्यत्वात् ॥ १२ ॥

स्थान्यादेश इत्येतन्नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते । किं कारणम् । नित्यत्वात् ।
स्थानी हि नाम यो भूत्वा न भवति । आदेशो हि नाम यो ऽभूत्वा भवति ।
एतच्च नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते यत्सतो नाम विनाशः स्यादसतो वा प्रादुर्भाव
इति ॥

सिद्धं तु यथा लौकिकवैदिकेष्वभूतपूर्वेषु स्थानशब्दप्रयोगात् ॥ १३ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेष्वभूतपूर्वेषु स्थान-
शब्दो वर्तते । लोके तावदुपाध्यायस्य स्थाने शिष्य इत्युच्यते न च तत्रोपाध्यायो

अच्छी अल्विधि कैसे पहचानी जाय ?

जिस विधिमें अलका प्रत्यक्ष आश्रयण किया जाता है वही अच्छी अल्विधि
है और जिस विधिमें प्रमुखतः समुदायका आश्रयण करनेकी आवश्यकता होनेके कारण
विवशतासे उनके अलका आश्रयण किया जाता है वह अच्छी अल्विधि नहीं है ।
इसके अतिरिक्त इस सूत्रके आदेश शब्दका उपयोग बताया ही गया है
(ष्ट ५०६) कि प्रत्यक्ष हो या आनुमानिक हो जो भी आदेश है उस सबको
स्थानिवद्भाव होता है ।

(वा. १२) शब्द नित्य होनेसे स्थान्यादेशभाव उचित नहीं होता ।

शब्द अगर नित्य हैं तो फिर यह स्थानी है और वह आदेश है यह कहना ही
उचित नहीं है ।

क्यों भला ?

क्योंकि शब्द नित्य हैं । जो पहले होकर बादमें नष्ट होता है उसे स्थानी कहते
हैं । और जो पहले न होकर बादमें पैदा होता है उसे आदेश कहते हैं । शब्द अगर
नित्य हैं तो होनेवालेका नाश होता है और न होनेवालेकी उत्पत्ति होती है ऐसा कैसे
कहा जा सकता है ?

(वा. १३) स्थान्यादेशभाव अलवत सिद्ध होता है । लोगोंमें और
वेदोंमें एकाध वस्तु पहले वहाँ न होकर भी उसके संबंधमें 'स्थान' शब्दका
प्रयोग किया जाता है ।

शब्द नित्य हों तो भी यह स्थानी और यह आदेश यह कहना ठीक बैठता है ।
सो कैसे ?

जिस प्रकार लोगोंमें और वेदोंमें एकाध वस्तु पहले वहाँ न होकर भी उसके

भूतपूर्वो भवति । वेदेऽपि सोमस्य स्थाने पूतीकृतृणान्यभिपुणुयादित्युच्यते न च तत्र सोमो भूतपूर्वो भवति ॥

कार्यविपरिणामाद्वा सिद्धम् ॥ १४ ॥

अथवा कार्यविपरिणामात्सिद्धमेतत् । किमिदं कार्यविपरिणामादिति । कार्या बुद्धिः सा विपरिणम्यते । ननु च कार्याविपरिणामादिति भवितव्यम् । सन्ति चैव ह्यौत्तरपदिकानि ह्रस्वत्वानि । अपि च बुद्धिः संप्रत्यय इत्यनर्थान्तरम् । कार्या बुद्धिः कार्यः संप्रत्ययः कार्यस्य संप्रत्ययस्य विपरिणामः कार्यविपरिणामः । कार्यविपरिणामादिति ॥ परिहारान्तरमेवेदं मत्वा पठितं कथं चेदं परिहारान्तरं

सबधमें स्थान शब्दका प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है । देखिये, लोगोंमें उपाध्यायके स्थानपर शिष्य आया है ऐसा कहते हैं । परंतु वहाँ उपाध्याय पहले आया हुआ ही होता है सो बात नहीं । वेदोंमें भी सोमके स्थानपर पूतीक नामके तृणका कटन किया जाय ऐसा कहा है, परंतु वहाँ पूतीक नामके तृणका कटन करनेके पहले सोम लाया ही होता है सो बात नहीं ।

(वा. १४) बुद्धिके विपरिणामसे भी यह सिद्ध होता है ।

अथवा कार्यविपरिणामके कारण यह सिद्ध होता है । अर्थात् 'शब्द अनित्य होंगे' ऐसा दोष नहीं आता ।

'कार्यविपरिणामात्' इससे क्या समझा जाय ?

कार्या अर्थात् बुद्धि । उसका विपरिणाम होता है । अर्थात् केवल एक प्रकारकी बुद्धि नष्ट होकर दूसरे प्रकारकी बुद्धि पैदा होती है । वहाँ न कोई शब्द नष्ट होता है, न पैदा होता है ।

परंतु इस अर्थका शब्द 'कार्यविपरिणामात्' ऐसा होना चाहिये ।

उत्तरपदके कारण पूर्वपदको ह्रस्व बतानेवाले शास्त्र ही न ? अर्थात् 'कार्या' इसके अन्तिम 'आ'कारके 'ढचापो ०' (६।३।६३) इस सूत्रके षष्ठ्यप्रत्यये ह्रस्व बना है ।

इसके सिवा बुद्धि, संप्रत्यय, ये पर्यायशब्द हैं । अतः बुद्धिशब्दको विशेषण देनेपर 'कार्या' ऐसा कहना पड़ता है और संप्रत्यय शब्दको विशेषण देनेपर 'कार्य' ऐसा कहा जा सकता है । उस कार्यका अर्थात् संप्रत्ययका जो विपरिणाम है सो कार्यविपरिणाम है ।

शब्दको अनित्यत्व आयेगा इस आशेष का एक उत्तर 'वस्तु पड़ते न होकर भी उसके सबधमें स्थानशब्द उपयोगमें आता है' इस तरह देखकर, इस आशेषका दूसरा उत्तर 'कार्यविपरिणामाद्वा' इस तरह दिया हुआ है ऐसा दिखाई देता है । परंतु यह

स्यात् । यदि भूतपूर्वे स्थानशब्दो वर्तते । भूतपूर्वे चापि स्थानशब्दो वर्तते । कथम् । बुद्ध्या । तद्यथा । कश्चित्कस्मैचिदुपदिशति प्राचीन ग्रामादाम्ना इति । तस्य सर्वत्राम्नाबुद्धिः प्रसक्ता । ततः पश्चादाह ये क्षीरिणो ऽवरोहवन्तः पृथुपर्णास्ते न्यग्रोधा इति । स तत्राम्नाबुद्ध्या न्यग्रोधबुद्धिः प्रतिपद्यते । स ततः पश्यति बुद्ध्याम्नाश्चापकृष्यमाणान्यग्रोधाश्चाधीयमानान् । नित्या एव च स्वस्मिन्विषय आमना नित्याश्च न्यग्रोधा बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । एवमिहाप्यस्तिरस्मा अविशेषेणोपदिष्टः । तस्य सर्वत्रास्तिबुद्धिः प्रसक्ता । सोऽस्तेर्भूर्भवतीत्यस्तिबुद्ध्या भवतिबुद्धिः प्रतिपद्यते । स ततः पश्यति बुद्ध्यास्ति चापकृष्यमाण भवति चाधीयमानम् । नित्य एव च स्वस्मिन्विषये ऽस्तिर्नित्यो भवतिर्बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते ॥

उत्तर दूसरा कैसे हो संकृता है ? अब अगर पहले वर्तमान वस्तुके विषयमें स्थानशब्द उपयोगमें आये तब तो यह दूसरा उत्तर ठीक होगा ।

अगर यह बात है तो फिर पहले वर्तमान वस्तुके सत्रयमें भी स्थानशब्द उपयोगमें आता है ।

सो कैसे ?

बुद्धिके विषयमें । जैसे लोगोंमें कोई एक दूसरेसे यह कहता है कि इस गाँवके पूर्वकी ओर जितने पेड़ हैं वे सब आमके हैं, इससे सभी पेड़ोंके विषयमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये आमके पेड़ हैं । उसके बाद वह बादमें यह कहता है कि जिन पेड़ोंमें गोंद होता है और जिन पेड़ोंको नीचे बरोहियाँ निकल आती हैं और जिनके पत्ते बड़े होते हैं उन्हें बड़के पेड़ माना जाय । इस वाक्यसे इस प्रकारके पेड़ोंके विषयमें प्राप्त आमका ज्ञान नष्ट होकर उसके स्थानपर बड़ है, इस प्रकारका ज्ञान होता है । इससे मनमें यह आता है कि आमवृक्ष दूर हटकर उनके स्थानपर बड़वृक्ष स्थापित किये गये । वस्तुतः देखा जाय तो अपने अपने स्थानपर आमके पेड़ और बड़के पेड़ स्थायी रूपमें ही हैं । केवल उनके ज्ञानमें अदलबदल होता है । इस तरह शास्त्रमें भी 'हे' इस अर्थमें 'अस्' साधारण धातु बताया गया । उससे उस अर्थकी सब क्रियाओंमें 'अस्' धातुकी बुद्धि प्रसस्त होती है । उसके पश्चात् 'अस्तेर्भू' (२।४।५२) इस शास्त्रसे पहले प्राप्त 'अस्' बुद्धि नष्ट होकर उसके स्थानपर यह 'भू' है ऐसी बुद्धि होती है । उससे ऐसा मनमें आता है कि 'अस्' धातु दूर हटकर उसके स्थानपर 'भू' धातु आ गया । वस्तुतः अपने अपने स्थानपर अस् धातु और भू धातु स्थायी रूपमें ही हैं । केवल उनकी बुद्धिमें अदलबदल होता है ।

१४ कारण यह कि उस स्थानपर पहले 'अस्' शब्द आया है ऐसा जो लगता है वह घम दे । यहाँ 'अस्' शब्द नहीं आता है, केवल 'अस्' बुद्धि आती है । और वह बुद्धि बाहर 'भू' बुद्धि आती है ।

अपवादप्रसङ्गस्तु स्थानिवच्चात् ॥ १५ ॥

अपवाद उत्सर्गकृतं च प्राप्नोति । कर्मण्यण् [३-२-१] आतोऽनुपसर्गे
कः [३] इति के ऽप्यणि कृतं प्राप्नोति । किं कारणम् । स्थानिवच्चात् ॥

उक्तं वा ॥ १६ ॥

त्रिमुक्तम् । विषयेण तु नानालिङ्गकरणात्सिद्धमिति ॥ अथवा

सिद्धं तु पृथीनिर्दिष्टस्य स्थानिवद्बचनात् ॥ १७ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । पृथीनिर्दिष्टस्यादेशः स्थानिवदिति वक्तव्यम् ।

(वा. १५) और अपवादको भी ' आदेश ' कहना पड़ेगा । क्योंकि वह उत्सर्ग अर्थात् स्थानी जैसा होता है ।

केवल बुद्धिमें अद्वलवदल होनेसे वह आदेश माना गया तो अपवाद भी आदेश ही है ऐसा मानकर उसके स्थानपर स्थानिवद्भावसे उत्सर्गका कार्य प्राप्त होता है; उदा० ' कर्मण्यण् ' (३।२।१) इस सूत्रसे बताया हुआ ' अण् ' उत्सर्ग है । ' आतोऽनुपसर्गे कः ' (३।२।३) इससे बताया हुआ ' क ' प्रत्यय उसका अपवाद है । वह ' क ' प्रत्यय किया हो उस स्थानपर भी अण् प्रत्ययका कार्य प्राप्त होता है ।^{१५}

क्यों भला ?

क्योंकि स्थानिवद्भाव होता है ।

(वा. १६) अथवा यह पहले बताया ही गया है ।

क्या बताया ही गया है ?

' विषयेण तु नानालिङ्गकरणात् सिद्धम् ' ऐसा पहले माहे० सू. १ वा. ९ पृ. २९ में बताया ही गया है ।

अथवा

(वा. १७) पृथी विभक्तिका उच्चारण करके बताये हुए आदेशको स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहा जाय तो इष्ट सिद्ध होता है ।

यह सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

पृथी विभक्तिका उच्चारण करके जो आदेश बताया गया है उसीको स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहा जाय, (जिससे अपवादको स्थानिवद्भावसे उत्सर्गका कार्य नहीं होगा) ।

१५ ' मां ददातीति गोदः ' यहाँ ' दा ' धातुके धागे प्रथमतः ' अण् ' प्रत्ययकी बुद्धि होके तदनंतर ' क ' प्रत्ययकी बुद्धि हुई है । तब यहाँ ' क ' प्रत्यय स्थानिवद्भावसे ' अण् ' प्रत्यय समझा गया तो श्रौर्भिन्नी ' दीप् ' प्रत्यय (४।१।१५) होने लगेगा ।

तत्तर्हि पृष्ठीनिर्दिष्टग्रहणं कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । प्रकृतमनुवर्तते । क प्रकृतम् । पृष्ठी स्थानेयोगा [१.१.४९] इति ॥ अथवाचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नापवाद उत्सर्गकृतं भवतीति यदयं श्यनादीनां कांश्चिश्चितः करोति । श्यन् श्रम् श्वा शः श्रुरिति ॥

तस्य दोषस्तयादेश उभयप्रतिषेधः ॥ १८ ॥

तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः । तयादेश उभयप्रतिषेधो वक्तव्यः । उभये देवमनुष्याः । तयपो ग्रहणेन ग्रहणाज्जासि विभाषा प्राप्नोति ॥ नैष दोषः । अयच्चप्रत्ययान्तरम् । यदि प्रत्ययान्तरमुभयीतीकारो न प्राप्नोति । मा भूदेवम् ।

तो फिर 'पृष्ठी विभक्तिका उच्चारण करके बताया हुआ' इस तरह आदेशका विशेषण देनेके लिये सूत्रमें वैसा कहना चाहिये ।

वैसा कहनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछेसे पृष्ठी शब्दकी अनुवृत्ति यहाँ आती है ।

पीछे 'पृष्ठी' पद किसी सूत्रमें है ?

'पृष्ठी स्थानेयोगा' (१।१।४९) इस सूत्रमें है ।

अथवा यह आचार्य पाणिनि शप् इस शकारेत्संज्ञक प्रत्ययके श्यन्, श्रम्, श्वा, श, श्रु आदि जो अपवादस्वरूप प्रत्यय है उनमें शकार इत्संज्ञक जोड़ते हैं उससे वे यह ज्ञापित करते हैं कि अपवादके स्थानपर उत्सर्गका कार्य स्थानिवद्भावसे नहीं होता ।

(वा. १८) इस स्थानिवद्भावसे तयप् आदेशके बारेमें दोष आता है इसलिये 'उभय' शब्दके बारेमें स्थानिवद्भावका निषेध कहना चाहिये ।

यह स्थानिवद्भाव लेनेपर दोष आता है इसलिये उभय शब्दमें तयप् प्रत्ययके स्थानपर बना हुआ जो अयच् आदेश है उसको स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय । उदा० 'उभये देवमनुष्याः' यहाँ तयप् प्रत्ययके स्थानपर बना हुआ जो अयच् आदेश है (५।२।४४) उसे स्थानिवद्भाव हुआ तो वह तयप् प्रत्यय है ऐसा माना जायगा । और आगे जस् प्रत्यय करनेपर 'प्रथमचरम०' (१।१।३३) इस सूत्रसे सर्वनामसंज्ञा विकल्पसे होने लगेगी ।

यह दोष नहीं आता । 'उभाडुदात्तो नित्यम्' (५।२।४४) सूत्रसे उभ-शब्दसे किये हुए तयप् प्रत्ययके स्थानपर जो अयच् बनाया गया है वह अयच् तयप्के स्थानपर न करके स्वतंत्र प्रत्यय ही किया जाय ।

अगर यह स्वतंत्र प्रत्यय माना गया तो 'उभयी' इस उदाहरणमें मूल तयप् प्रत्यय न किये जानेके कारण 'टिड्ढ्राणञ्' (४।१।१५) इस सूत्रसे स्त्रीप्रत्यय ईकार नहीं होगा ।

'उभयी' इस स्थानपर तयप् प्रत्यय नहीं है इसलिये स्त्रीप्रत्यय ईकार न हुआ

मात्रजित्येवं भविष्यति । कथम् । मात्रजिति नेदं प्रत्यग्रहणम् । किं तर्हि । प्रत्याहारग्रहणम् । क सनिविठाना प्रत्याहारः । मात्रशब्दात्प्रभृत्यायचश्चकारात् । यदि प्रत्याहारग्रहणं कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति । अत इति वर्तते । एवमपि तैलमात्रा घृतमात्रा अत्रापि प्राप्नोति । सदृशस्याप्यसंनिविष्टस्य न भवति प्रत्याहार-ग्रहणेन ग्रहणम् ॥

जात्याख्यायां वचनातिदेशे स्थानिवद्भावप्रतिषेधः ॥ १९ ॥

जात्याख्यायां वचनातिदेशे स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । व्रीहिभ्य आगत इत्यत्र घोटिति [७ ३.१११] इति गुणः प्राप्नोति ॥ नैव दोषः ।

तो भी कोई वाधा नहीं । वहाँ मात्रच् होनेके कारण उसी सूत्रसे ईकार किया जा सकेगा । सो कैसे ?

‘टिट्ठाणञ् ०’ इस सूत्रमें ‘मात्रच्’ ऐसा जो कहा है वह मात्रच् इस प्रत्ययका उच्चारण किया है ऐसा नहीं मानना चाहिये । बल्कि ‘मात्रच’ यह प्रत्याहारका उच्चारण किया गया है ।

मात्रच् यह प्रत्याहार कहाँसे कहाँतक समझा जाय ?

‘मात्र’ (५।२।३७) शब्दसे ‘अयच्’ (५।२।४३) प्रत्ययके ‘च’कारतक ।

अगर मात्रच् प्रत्याहार लिया गया तो कति तिष्ठन्ति इस उदाहरणमें भी स्त्रीप्रत्यय ईकारप्राप्ति आती है ।

परन्तु उस सूत्रमें ‘अतः’ ऐसी अनुवृत्ति है, इससे कति इस स्थानपर दोष नहीं है ।

तो भी तैलमात्रा, घृतमात्रा आदि स्थानोंपर मात्र शब्द होनेके कारण ‘टिट्ठाणञ् ०’ सूत्रसे ईकार होने लगेगा ।”

तैलमात्रा उदाहरणका ‘मात्र’ शब्द स्वरूपसे ठेठ मात्र हो तो भी वह इस प्रत्याहारमें नहीं पाया जाता, अतः दोष नहीं आता ।

(वा. १९) ‘जात्याख्यायामेकारिभन् ०’ सूत्रसे जो बहुवचनका आदेश किया है उसे स्थानिवद्भावका निषेध कहना चाहिये ।

‘जात्याख्यायाम् ०’ (१।२।५८) इस सूत्रसे जातिकी आख्या होनेपर जो एकवचनको बहुवचन आदेश बनाया है उसे स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा निषेध करना चाहिये । नहीं तो व्रीहिभ्यः आगतः इस स्थानपर व्रीहिशब्दके आगेके ‘इति’ इस पंचमीके एकवचन प्रत्ययको जो बहुवचन ‘भ्यम्’ ऐसा आदेश हुआ है वह

१६ इसलिए अकारान्त शब्दके आगे ही ‘दोष’ प्रत्यय उग सूत्रमें होता है ।

१७ यद्यपि ‘टिट्ठाणञ् ०’ (४।१।१५) सूत्रमें ‘मात्रच्’ का उच्चारण है तो भी दद चकार ‘अयच्’ प्रत्ययके प्रत्याहारके लिए सूत्रमें उच्चारित होनेका चकार इत्यन्तक न हो तो भी ‘मात्र’ शब्दके आगे ‘दीप्’ प्रत्यय होगा

उक्तमेतत् । अर्थातिदेशात्सिद्धमिति ॥

इच्चाग्रहणे ऽदीर्घः ॥ २० ॥

इच्चाग्रहणे ऽदीर्घ आदेशो न स्थानिवदिति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । निष्कौशाम्बिः अतिखट्टः । इच्चाग्रहणेन ग्रहणात्सुलोपो मा भूदिति । ननु च दीर्घादित्युच्यते । तन्न-वक्तव्यं भवति । किं पुनरत्र ज्यायः । स्थानिवत्प्रतिषेध एव ज्यायान् । इदमपि सिद्धं भवति । अतिखट्टाय अतिमालाय । याडापः

स्थानिवद्भावसे डित् हे ऐसा मानकर पीछेके इकारको 'घेडित्ति' (७।३।१११) सूत्रसे गुण होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता, क्योंकि 'अर्थातिदेशात् सिद्धम्' ऐसा पीछे (१।२।५८ वा. २) बताया गया है ।

(वा. २०) 'ही' और 'आप्का उच्चारण करके बताये हुए कार्यके वारंमें 'ही' और 'आप्' स्थानपर जो दीर्घभिन्न आदेश होता है उसे स्थानिवद्भावका निषेध कहना चाहिये ।

ही और आप् का उच्चारण करके बताया हुआ कार्य कर्तव्य होनेपर ही आप् के स्थानपर जो दीर्घभिन्न अर्थात् ह्रस्व आदेश हुआ है उसे स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय ।

इसका क्या उपयोग है ?

उपयोग यह कि निष्कौशाम्बिः, अतिखट्टः इन उदाहरणोंमें ही और आप् इनके स्थानपर बना हुआ जो ह्रस्व आदेश (१।२।४८) है वह स्थानिवद्भावसे ही और आप् हे ऐसा मानकर 'हलङ्घ्याप्' (६।१।६८) इस सूत्रसे आगेके सुप्रत्ययका लोप होने लगेगा, वह न हो ।

परंतु उस सूत्रमें 'दीर्घात्' ऐसा कहा गया है न ?

स्थानिवद्भावका निषेध करनेपर 'दीर्घात्' कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

फिर यहाँ स्थानिवद्भावका निषेध किया जाय या उस सूत्रमें दीर्घात् ऐसा कहा जाय, इन दोनोंमें अच्छा कौनसा है ?

यहाँ स्थानिवद्भावका निषेध करना ही अच्छा है । क्योंकि उसका दूसरे स्थानपर भी उपयोग होता है । सो ऐसे कि अतिखट्टाय, अतिमालाय इन उदाहरणोंमें स्थानिवद्भावका निषेध होनेके कारण 'याडापः' (७।३।११३) सूत्रसे याट् आगम नहीं होता ।

१८ तक वहाँ 'डिति' प्रत्यय करके उसके स्थानमें 'भ्यन्' आदेश करना है ऐसा न समझा जाय । तो 'मोदि' शब्दके आगे आरंभमें ही 'भ्यन्' प्रत्यय दिया है ।

[७.३.११३] इति याण्ण भवति । अथेदानीमसत्यपि स्थानिवद्भावे दीर्घत्वे कृते पिचासौ भूतपूर्व इति कृत्वा याडाप इति याट् कस्मान्न भवति । लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति । ननु चेदानीं सत्यपि स्थानिवद्भाव एतया परिभाषया शक्यमिहोपस्थातुम् । नेत्याह । न हीदानीं कचिदपि स्थानिवद्भावः स्यात् ॥ तच्चर्हि वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् । प्रक्षिष्टनिर्देशात्सिद्धम् । प्रक्षिष्टनिर्देशोऽप्यम् । ङी ई ईकारान्तात् आ आप् आकारान्तादिति ॥

आहिभुवोरीट्प्रतिषेधः ॥ २१ ॥

आहिभुवोरीटः प्रतिषेधो वक्तव्यः । आत्थ अभूत् । अस्तिब्रूयहणेन ग्रहणा-

परंतु अब इन उदाहरणोंमें स्थानिवद्भाव न हुआ तोभी ' सुपि च '(७।३।१०२) यह दीर्घ करनेपर अब वह ' आ '-कार प्रत्यक्ष होकर पहलेका इत्संज्ञक ' प ' कार है इसलिये वह ' आप् ' है ऐसा गृहीत मानकर ' याट् ' आगम प्राप्त हुआ है वह क्यों नहीं होता ?

“ लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् ” परिभाषासे नहीं होता ।

तो फिर यहाँ स्थानिवद्भाव हुआ तोभी क्या आपत्ति है ? स्थानिवद्भावका निषेध करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि ' लक्षणप्रतिपदोक्तो ' परिभाषा यहाँ आती ही है, अतः उसीसे काम चल जायगा ।

उस परिभाषासे काम नहीं चलेगा ऐसा हमारा कहना है । क्योंकि स्थानिवद्भाव करके जो कार्य करना है उन सब स्थानोंपर अगर ' लक्षणप्रतिपदोक्तयोः ' परिभाषा आये तो ऐसा होगा कि स्थानिवद्भावका कहीं भी उपयोग नहीं है । ”

तो फिर तात्पर्य ' व्याप्यग्रहणेऽदीर्घः ' वचन करना चाहिये ऐसा दिखाई देता है ।

वैसा वचन करनेकी आवश्यकता नहीं है । प्रक्षिष्टनिर्देशसे सिद्ध होता है । ङी ई आ आप् ऐसा प्रक्षेपसे निर्देश किया हुआ है । इससे ईकारान्त जो ङी प्रत्यय और आकारान्त जो आप् प्रत्यय ऐसा अर्थ होनेके कारण निष्क्रोशाभ्यः आदि उदाहरणोंमें दोष नहीं आता ।

(वा. २१) ' आह ' और ' भू ' आदेश करनेपर जो ' ईट् ' आगम स्थानिवद्भावसे प्राप्त होता है वह कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भावका निषेध करना चाहिये ।

' भू ' और ' अस् ' घातुओंको क्रमसे आह (३।४।८४) और भू (२।४।५२) आदेश करनेपर स्थानिवद्भावसे जो ईट् आगम प्राप्त होता है वह कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय । नहीं तो आत्थ उदाहरणमें आह आदेश

१९. इन परिभाषाका अर्थ पीछे (सू. १।१।१३, टिप्पणी ३) देखिए ।

२०. सब स्थानिवद्भावके बतार वहाँ ' लक्षणप्रतिपदोक्त ' परिभाषा नहीं आती ।

दीट् प्राप्नोति ॥ आहस्तावन्न वक्तव्यः । आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नाहेरीड् भवतीति यदयमाहस्थः [८-२-३५] इति श्लादिप्रकरणे थत्वं शास्ति । नैतदस्ति ज्ञापकम् । अस्ति हान्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् । किम् । भूतपूर्वगतिर्यथा विज्ञायेत । श्लादिर्यो भूतपूर्व इति । यद्येव थवचनमनर्थकं स्यात् । आधिमेवाय-मुच्चारयेत् । ब्रुवः पञ्चानामादित आथो ब्रुव इति । भवतेश्चापि न वक्तव्यः । अस्तिसिचो ऽपृक्ते [७-३-१६] इति द्विमकारको निर्देशः । अस्तेः सकारान्तादिति ॥

स्थानिवद्भावसे ब्रू है ऐसा मानकर 'ब्रुव ईट्' (७।३।१३) सूत्रसे ईट् आगम होने लगेगा । वैसे ही अभूत् उदाहरणमें भू आदेश स्थानिवद्भावसे अस् घातु है ऐसा मानकर 'अस्तिसिचोऽपृक्ते' (७।३।१६) सूत्रसे ईट् आगम होने लगेगा ।

आह् आदेशके संबंधमें स्थानिवद्भावका निषेध करना आवश्यक नहीं है । क्योंकि ये आचार्य पाणिनि 'आहस्थः' (८।२।३५) इस सूत्रसे आह् इस आदेशके हकारको श्लादि प्रत्यय आगे होनेपर थकार आदेश बताते हैं, इससे वे ऐसा ज्ञापित करते हैं कि आह् आदेश करनेपर 'ब्रुव ईट्' इस सूत्रसे ईट् आगम नहीं होता ।

परंतु यह ज्ञापक ठीक नहीं बैठता । क्योंकि ईट् आगम हुआ तो भी 'आहस्थः' इस सूत्रका उपयोग दूसरे प्रकारसे संभव होता है ।

सो कैसे ?

सो ऐसे कि भूतपूर्वगति यहाँ ली जायगी । अर्थात् जो प्रत्यय पहले श्लादि था वह अब श्लादि न होनेपर भी 'आहस्थः' से थकार आदेश किया जा सकेगा ।

अगर यही बात है तो 'आहस्थः' सूत्र ही व्यर्थ जायगा । क्योंकि भूतपूर्वगतिसे सभी स्थानोंपर थकार आदेश प्राप्त होनेके कारण 'ब्रुवः पञ्चानामादित आथो ब्रुवः' (३।४।८४) ऐसा आथ् आदेशही बना दिया होता ।

भू घातुके संबंधमें भी स्थानिवद्भावका निषेध बतानेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि 'अस्तिसिचोऽपृक्ते' (७।३।१६) इस सूत्रमें दो सकारोंका उच्चारण क्रिया है इससे सकारान्त जो अस् घातु ऐसा अर्थ होनेके कारण अभूत् स्थानपर ईट् आगम नहीं होगा ।

२१ णञ्, थनुम्, ठम्, थल् और थधुम् ये पाँचों प्र यय मूलन श्लादि तिप्, तम्, सि, सिप् और थम् होनेके कारण उन सभी स्थानोंपर थकार आदेशकी प्राप्ति होती है ।

२२. 'भू' आदेश स्थानिवद्भावसे 'अम्' घातु है ऐसा समझा जायगा, पर सकारान्त है ऐसा स्थानिवद्भावसे नहीं समझा जायगा । कारण यह कि 'अनलिवचौ' पदमे स्थानिवद्भावका निषेध होता है ।

वध्यादेशे वृद्धितच्चप्रतिषेधः ॥ २२ ॥

वध्यादेशे वृद्धितच्चयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । वधकं पुष्करमिति । स्थानि-
वद्भावाद् वृद्धितत्वे प्राप्तः ॥ नैष दोषः । उक्तमेतत् । नायं ण्वुल् मन्योऽयमक-
शब्दः किदौणादिको रुचक इति यथा ॥

इड्विधश्च ॥ २३ ॥

इड्विधेयः । आवधिपीठ । एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् [७.२.१०] इति
प्रतिषेधः प्राप्नोति ॥ नैषः दोषः । आयुदात्तनिपातनं करिष्यते । स निपातनस्वरः
प्रकृतिस्वरस्य बाधको भविष्यति । एवमप्युपदेशिवद्भावो वक्तव्यः । यथैव हि
निपातनस्वरः प्रकृतिस्वरं बाधत एवं प्रत्ययस्वरमपि बाधेत । आवधिपीठेति ।

(या. २२) ' हन् धातुको ' वध ' आदेश करनेपर स्थानिविद्भावसे
प्राप्त वृद्धि और ' त् '- आदेश का प्रतिषेध करना चाहिये ।

' हन् ' धातुको ' वध ' आदेश करनेपर स्थानिविद्भावसे वृद्धि और तकारादेश
प्राप्त होते हैं उनका निषेध करना चाहिये । नहीं तो वधकम् पुष्करम् आदि उदाहरणोंमें
हन् धातुको वध आदेश करनेपर स्थानिविद्भावसे वध् अंग है और हन् धातु है ऐसा
मानकर ' अत उपधायाः ' (७।२।१६) सूत्रसे वृद्धि प्राप्त होती है और ' हनस्तो-
ऽचिण्णलोः ' (७।३।३२) इस सूत्रसे तकारादेश प्राप्त होता है सो होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि वधक शब्दका जो अक प्रत्यय है वह ण्वुल्
प्रत्यय नहीं, तो रुचक शब्दकी तरह यह अलगा ही अक ऐसा कित् प्रत्यय औणादिक
है ऐसा पहले बनायाही है (पृ. ५१५) ।

(या. २३) तथा इडागमका भी विधान करना चाहिये ।

इडागमका विधान करना चाहिये । नहीं तो आवधिपीठ उदाहरणमें हन्
धातुको वध आदेश करनेपर वध् स्थानिविद्भावसे अंग है ऐसा मानकर ' एकाच उपदेशे-
नुदात्तात् ' (७।२।१०) सूत्रसे इडागमका निषेध होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि वध आदेश आयुदात्त स्वरका उच्चारित जाना
पर्याप्त है । वह जान बूझकर उच्चारित आयुदात्त स्वर मूलप्रकृति हन् धातुके अनुदात्त
स्वरका बाधकै होगा ।

इस तरह आयुदात्त स्वरका निपातन क्रिया तो भी वध आदेश मूल उपदेशमें ही
होता है ऐसा विशेषणया कहना चाहिये । नहीं तो आवधिपीठ उदाहरणमें वह वध
का आयुदात्त स्वर जिस तरह हन् के अनुदात्त स्वरका बाध करता है वैसे ही आगेके
प्रत्ययके उदात्त स्वरका भी बाध करेगा ।

२३. तब ' वध ' आदेश ' हन् ' स्थानीके समान अनुदात्त न होनेके कारण ' एकाच
उपदेशेऽनुदात्तात् ' से इडागमका निषेध नहीं होता ।

नैष दोषः । आर्धधातुकीयाः सामान्येन भवन्त्यनवस्थितेषु प्रत्ययेषु । तत्रार्ध-
धातुकसामान्ये वविभावे कृते सतिशिष्टत्वात्प्रत्ययस्वरो भविष्यति ।

आकारान्तान्नुक्प्रतिषेधः ॥ २४ ॥

आकारान्तान्नुक्कोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । विलापयति भाषयते । लीभी-
ग्रहणेन ग्रहणान्नुक्कौ प्राप्तः ॥ लीभियोः प्रश्लिष्टनिर्देशात्सिद्धम् । लीभियोः
प्रश्लिष्टनिर्देशोऽयम् । ली ई ईकारान्तस्य भा ई ईकारान्तस्य चेति ॥

लोडादेशे शाभावजभावधित्वहिलोपैत्वप्रतिषेधः ॥ २५ ॥

लोडादेश एषा प्रतिषेधो वक्तव्यः । शिष्टात् हतात् भिन्तात् कुरुतात्
स्तात् ॥ लोडादेशे कृते शाभावो जभावो धित्वं हिलोप एत्वमित्येते विधयः

यह दोष नहीं आता । क्योंकि 'आर्धधातुके' (२।४।३५) इस अधिकारमें
बताये हुए जो आदेश हैं वे सामान्यतः आगे प्रत्यय करनेके पहले ही होते हैं । अतः
कोई भी आर्धधातुक प्रत्यय आगे करना है इतनी ही सदिग्ध बात मनमें लेकर प्रारंभमें ही
एव धातुको वच् आदेश करनेपर पीछेसे बने हुए प्रत्ययका स्वर अंतिम होनेके कारण
कायम रहेगा ।

(या. २४) तथा 'आ'कारान्त धातुओंके आगे होना 'नुक्' और
'पुक्' आगमका प्रतिषेध करना चाहिये ।

आकारान्तको नुक् और पुक् आगम नहीं होते, ऐसा प्रतिषेध कहना चाहिये ।
नहीं तो विलापयति भाषयते आदि उदाहरणोंमें ली और भी धातुओंको आत्व
(६।१।५१ और ६।१।५६) करनेपर स्थानिवद्भावेसे वे ली और भी धातु हैं ऐसा मान-
कर नुक् (६।३।२९) और पुक् (६।३।४०) ये आगम होने लगे ।

नुक् और पुक् बतानेवाले सूत्रमें ली और भीके आगे प्रश्नेपसे ईकार अधिक
उच्चारित किया गया है । ली ई और भी ई । अतः ईकारान्त जो ली धातु है
उसको नुक् आगम होता है और ईकारान्त जो भी धातु है उसको पुक् आगम होता है,
ऐसा अर्थ होनेके कारण कुछ भी दोष नहीं आता ।

(या. २५) लोड-प्रत्ययको तातड् आदेश होनेपर जो 'शा'-आदि
आदेश प्राप्त होते हैं उनका निषेध कहना चाहिये ।

लोडको तातड् आदेश करनेपर जो 'शा'-आदि आदेश प्राप्त होते हैं उनका
निषेध कहना चाहिये । नहीं तो शिष्टात्, हतात्, भिन्तात्, कुरुतात् और स्तात्
उदाहरणोंमें लोडके स्थानपर बना हुआ जो हि आदेश है उसको तातड् आदेश करनेपर
वह तातड् आदेश स्थानिवद्भावेसे 'हि' है ऐसा मानकर 'शा' आदेश (६।४।३५)
'ण' आदेश (६।४।३६) 'धि' आदेश (६।४।१०१), 'हि' प्रत्ययका लोप
(६।४।१०६) और 'प्' का आदेश (६।४।११९), ये विधियाँ होने लगी ।

प्राप्नुवन्ति ॥ नैप दोषः । इदमिह संप्रधार्यम् । लोडादेशः क्रियतामेते विधय इति किमत्र कर्तव्यम् । परत्वाद्लोडादेशः । अथेदानीं लोडादेशे कृते पुनःपसङ्गविज्ञानात्करमादेते विधयो न भवन्ति । सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेवेति कृत्वा ॥

त्रयादेशे सन्तप्रतिषेधः ॥ २६ ॥ .

त्रयादेशे सन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । तिसृणाम् । तिसृभावे कृते त्रेख्यः [७-१-५३] इति त्रयादेशः प्राप्नोति ॥ नैप दोषः । इदमिह संप्रधार्यम् । तिसृभावः क्रियतां त्रयादेश इति किमत्र कर्तव्यम् । परत्वात्तिसृभावः । अथेदानीं तिसृभावे कृते पुनःपसङ्गविज्ञानान्त्रयादेशः करमान्न भवति । सकृद्गतौ विप्रतिषेधे

यह दोष नहीं आता । पहले यहाँ यह विचार उत्पन्न होता है कि यह तातद् आदेश पहले किया जाय या शा आदेश आदि विधियों पहले की जायें ।

तो फिर अब आपका कहना क्या है ?

हमारा कहना यह है कि शा आदेश आदिकी अपेक्षा परत्वसे लोड प्रत्ययको तातद् आदेश पहले किया जाय ।

तो फिर अब वह तातद् आदेश करनेपर स्थानिवद्भावसे शा आदि आदेशोंकी पुनः प्राप्ति आनेके कारण वे विधि क्यों नहीं होते हैं ?

“सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेव” अर्थात् ‘दो कार्योंकी एक स्थानपर एक साथ प्राप्ति आकर उन दोनों में बराबरीके नाते विरोध उत्पन्न होनेपर परत्वके कारण ‘जो बाध होता है वह स्थायी स्वरूपकाही बाध माना जाता है, अर्थात् पुनः प्राप्ति आनेपर भी वह कार्य नहीं होता’ यह परिभाषासे ‘शा’ आदि आदेश पुनः प्राप्त होनेपर भी नहीं होंगे ।

(या. २६) ‘सृ’ अंतमें होनेवाले ‘त्रिस्तृ’ को ‘त्रय’ आदेश कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भावका प्रतिषेध कहा जाय ।

सृ अंतमें होनेवाले तिसृको त्रय आदेश कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय । नहीं तो तिसृणाम् उदाहरणमें तिसृ आदेश (७।१।९९) करनेपर वह स्थानिवद्भावसे त्रि शब्द ही ऐसा मानकर ‘त्रेख्यः’ (७।१।५३) सूत्रसे त्रय आदेश प्राप्त होता है ।

यह दोष नहीं आता । यहाँ यह विचार उत्पन्न होता है कि यह तिसृ आदेश त्रि शब्दको पहले किया जाय या त्रय आदेश पहले किया जाय ।

तो फिर अब आपका कहना क्या है ?

हमारा कहना यह है कि त्रय आदेशकी अपेक्षा तिसृ आदेश परत्वके कारण पहले किया जाय ।

तो फिर अब वह तिसृ आदेश करनेपर स्थानिवद्भावसे त्रय आदेशकी पुनः

यद्वाधित तद्वाधितमेवेति ॥

आम्बिधौ च ॥ २७ ॥

आम्बिधौ च सन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य । चतस्रस्तिष्ठन्ति । चतसृभावे कृते चतुरनडुहोरामुदात्त. [७ १ ९८] इत्याम्प्राप्नोति ॥ नैष दोष । इदमिह सप्रधार्यम् । चतसृभावात् क्रियता चतुरनडुहोरामुदात्त इत्यामिति किमत्र कर्तव्यम् । परत्वाच्चतसृभाव । अधेदानीं चतसृभावे कृते पुन प्रसङ्गविज्ञानादाङ्कस्मान्न भवति । सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेवेति ॥

स्वरे वस्वादेशे ॥ २८ ॥

स्वरे वस्वादेशे प्रतिषेधो वक्तव्य । विदुष पश्य । शत्रुनुमो नयजादी

प्राप्ति आनेके कारण वह आदेश क्यों नहीं होता ?

‘सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधित तद्वाधितमेव’ परिभाषासे नहीं होता ।

(वा २७) तथा आम् आगम कर्तव्य होनेपर भी ‘चतसृ’ आदेशको स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय ।

सु अतमें होनेवाले चतसृको आम् आगम कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय । नहीं तो चतस्रस्तिष्ठन्ति उदाहरणमें चतुर शब्दको चतसृ आदेश (७।२।९९) करनेपर वह स्थानिवद्भावसे चतुर शब्द है ऐसा मानकर ‘चतुरनडुहोरामुदात्त’ (७।१।९८) सूत्रसे आम् आगम प्राप्त होता है ।

यह दोष नहीं आता । पहले यहाँ यह विचार उत्पन्न होता है कि यह चतुर शब्दका ‘चतसृ’ आदेश पहले किया जाय या ‘चतुरनडुहोरामुदात्त’ सूत्रसे ‘आम्’ आगम पहले किया जाय ।

तो फिर अब आपका कहना क्या है ?

हमारा कहना यह है कि ‘आम्’ आगमकी अपेक्षा परत्वके कारण ‘चतसृ’ आदेश पहले किया जाय ।

फिर अब वह चतसृ आदेश करनेपर स्थानिवद्भावसे आम् आगमकी पुन. प्राप्ति आनेके कारण वह आगम क्यों नहीं होता ?

‘सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधित तद्वाधितमेव’ परिभाषासे नहीं होता ।

(वा २८) ‘वसु’ आदेश करनेपर स्वर कर्तव्य हो तत्र स्थानि वद्भावका प्रतिषेध किया जाय ।

शत्रुप्रत्ययको वसु आदेश (७।१।३६) करनेपर स्वर कर्तव्य हो तत्र उसे स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा माना जाय । नहीं तो ‘विदुष पश्य’ उदाहरणमें ‘वसु’ आदेश स्थानिवद्भावसे ‘शत्रु’ प्रत्यय है ऐसा मानकर ‘शत्रुनुमो नयजादी’ (६।१।१७३) सूत्रसे ‘विदुस्’ इस अतोदात्त शब्दके आगेके ‘शस्’ प्रत्ययको

अन्तोदात्तादित्येष स्वरः प्राप्नोति ॥ नैष दोषः । अनुम इति प्रतिषेधो भविष्यति । अनुम इत्युच्यते न चान नुमं पश्यामः । अनुम इति नेदमागमग्रहणम् । किं तर्हि । प्रत्याहारग्रहणम् । क संनिविदानां प्रत्याहारः । उकारात्प्रभृत्या नुमो मकारात् । यदि प्रत्याहारग्रहणं द्रुनता पुनता अत्रापि प्राप्नोति । अनुमग्रहणेन न शनन्तं विशेष्यते । किं तर्हि । शतैव विशेष्यते शता यो ऽनुम्क इति । अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम् । आगमग्रहणे हि सतीह प्रसज्येत । मुञ्चतां मुञ्चत इति ॥

गोः पूर्वगित्वात्स्वस्वरेषु ॥ २९ ॥

उदात्त स्वर प्राप्त होता है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि उसका 'अनुमः' निषेध होगा ।

परंतु 'अनुमः' अर्थात् नुम न हो ऐसा वहाँ कहा गया है । और विदुषः यहाँ तो नुम आगम बना हुआ कहीं भी नहीं दिखाई देता । अतः यह निषेध कैसे होगा ?

'अनुमः' में नुम आगमका ग्रहण किया ऐसा न माना जाय ।

तो फिर क्या माना जाय ?

वहाँ 'उम्' प्रत्याहारका ग्रहण किया है ।

यह 'उम्' प्रत्याहार कहाँसे कहाँतक समझा जाय ?

'तनादिकृञ्भ्य उः' (३।१।७९) सूत्रके उकारसे 'इदितो नुम घातोः' (७।१।५८) सूत्रके नुम आगमके मकारतक 'उम्' प्रत्याहार है ।

अगर ऐसा उम् प्रत्याहार वहाँ ठिया तो 'द्रुनता', 'पुनता', आदि स्थानोंपर 'अनुमः' निषेध होगा । क्योंकि उम् प्रत्याहारका 'श्वा' (३।१।८१) प्रत्यय वहाँ हुआ है ।

'अनुमः' शत्रुप्रत्ययान्त अंगका विशेषण न माना जाय, तो 'शत्रु' प्रत्ययका ही विशेषण है । अर्थात् 'उम्' प्रत्याहारसे कोई भी शत्रुप्रत्ययनें न हो, शत्रुप्रत्ययके पीछे अंगमें हो तो च्ल सकेगा । और ऐसा अवश्य मानना ही चाहिये । नहीं तो 'अनुमः' में नुम आगमका ग्रहण किया तो भी 'मुञ्चता' और 'मुञ्चते' आदि स्थानोंपर अनुमः निषेध होने लगेगा ।

(वा. २९) 'गो' शब्दको घतावा हुआ पूर्वरूप, गित्वा, आत्वा और स्वर ये प्रिथियाँ कर्तव्य होनेपर 'गो' शब्दके आदेशोंको स्थानियज्ञायका प्रतिषेध फटा जाय ।

२४. तद्वत् जो 'अनुम' पर कहा है वही वह 'नम्' का 'नुम्' शब्दके पाठ तत्पुनरावसाध नहीं किया, तो 'उम्' शब्दके पाठ किया है ।

२५. वा 'उम्' प्रत्याहारमें 'वु' आदेश (७।१।१९) पाया जानेके कारण 'अनुमः' यह निषेध आता है, इत्येव प्रत्ययको बदल स्वर नहीं होगा ।

गोः पूर्वणिच्चात्वस्वरेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः । चित्रग्वग्रम् शबलग्वग्रम् । सर्वत्र विभाषा गोः [६१.१२२] इति विभाषा पूर्वत्वं प्राप्नोति ॥ नैष दोषः । एड इति वर्तते तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधो भविष्यति । एवमपि हे चित्रगो अग्रम् अत्र प्राप्नोति ॥ णित्वम् । चित्रगुः चित्रगू चित्रगवः । गोतो णित् [७.१.९०] इति णित्त्व प्राप्नोति ॥ आत्त्वम् । चित्रगुं पश्य । शबलगुं पश्य । आ ओत इत्यात्वं प्राप्नोति ॥ नैष दोषः । तपरकरणात्सिद्धम् । तपरकरणसामर्थ्याणित्त्वात्वे न भविष्यतः ॥ स्वर । बहुगुमान् । न गोश्वन्मावर्ण [६.१.१८२]

‘गो’ शब्दको बताया हुआ जो पूर्वरूप णित्त्व, आत्त्व और स्वर ये विधियाँ हैं वे कर्तव्य होनेपर ‘गो’ शब्दके स्थानमें एने हुए आदेशोंको स्थानिवद्भाव नहीं होता, ऐसा कहा जाय । उदाहरण—चित्रग्वग्रम् शबलग्वग्रम् । यहाँ चित्रगु, शबलगु इस तरह गो शब्दको ह्रस्व (१।२।४८) करनेपर उसे स्थानिवद्भाव करके यह गो शब्द ही ऐसा मानकर ‘सर्वत्र विभाषा गोः’ (६।१।१२२) सूत्रसे विकल्पसे पूर्वरूप प्राप्त होता है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि इस पूर्वरूप बतानेवाले सूत्रमें ‘एडः’ पदकी अनुश्रुति होती है और स्थानिवद्भावसे एडन्त गो शब्द नहीं माना जा सकता । क्योंकि अनल्विधौ ऐसा स्थानिवद्भावका निषेध है ।

तो भी ‘हे चित्रगो अग्रम्’ स्थानपर स्थानिवद्भावसे पूर्वरूप होगा यह दोष आता ही है । जैसे ही चित्रगुः, चित्रगू, चित्रगवः, आदि उदाहरणोंमें स्थानिवद्भावसे ‘गो’ शब्द ही ऐसा मानकर ‘गोतो णित्’ (७।१।९०) सूत्रसे णित्त्व प्राप्त होता है । धेमे ही चित्रगु पश्य, शबलगुं पश्य, आदि उदाहरणोंमें स्थानिवद्भावसे ‘गो’ शब्द ही ऐसा मानकर (आगोतोम शसोः ६।१।९२) आत्त्व प्राप्त होता है ।

ये दोनों दोष नहीं आते । तपरकरणके कारण इष्ट सिद्ध होता है । गोत ऐसा तपरकरण करनेके कारण गोशब्दको ह्रस्व करनेपर णित्त्व और आत्त्व ये विधियाँ नहीं होंगी ।

बहुगुमान् उदाहरणमें गोशब्दको ह्रस्व करनेपर स्थानिवद्भावसे वह गोशब्द ही ऐसा मानकर ‘न गोश्वन्मावर्णः’ (६।१।१८२) सूत्रसे मनुष्य प्रत्ययके उदात्त स्वरका निषेध प्राप्त होता है ।

२९. कारण यह कि वही गुण (७।१।९०) होनेके बाद एडन्त सत्य ही होनेके कारण स्थानिवद्भावसे एडन्त समस्तनेकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ‘अनल्विधौ’ निषेध प्राप्त नहीं होता ।

२५. तपरकरण दिया जानेके कारण ओंकार कायम हो वही णित्त्व और आत्त्व होंगे ।

२८. तब यह निषेध कहना चाहिए कि वही स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

इति प्रतिषेधः प्राप्नोति ॥

करोतिपिब्योः प्रतिषेधः ॥ ३० ॥

करोतिपिब्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः । कुरु पिबेति । स्थानिवद्भावाद्ब्रूपध-
गुणः प्राप्नोति ॥

उक्तं वा ॥ ३१ ॥

किमुक्तम् । करोती तपरकरणनिर्देशात्सिद्धं पिविरदन्त इति ॥

अचः परस्मिन्पूर्वविधौ ॥ १।१।५७ ॥

अच इति किमर्थम् । प्रश्नः । द्यूत्वा । आक्राट्याम् । आगत्य ॥ प्रश्नः
विभ्र इत्यत्र छकारस्य शकारः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावाच्छे च
[६.१.७३] इति तुक्प्राप्नोति । अच इति वचनात् न भवति । नेतदस्ति

(वा. ३०) 'करोति' और 'पिबति' के बारेमें स्थानिवद्भाव नहीं
होता ऐसा कहा जाय ।

'करोति' और 'पिबति' के बारेमें स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय ।
नहीं तो 'कुरु' उदाहरणमें उत्त्व करनेपर और 'पिबति' उदाहरणमें पिब् आदेश करनेपर
स्थानिवद्भावसे अच है ऐसा मानकर लघूपधगुण (७।३।८६) होने लगेगा ।

(वा. ३१) अथवा इसके संबंधमें पहले बताया गया है ।

अथवा इसके संबंधमें पहले बताया ही गया है ।

वह क्या बताया है ?

करोती तपरकरणनिर्देशात् सिद्धम् पिविरदन्तः । (श्रु ५१४ पं. १०)

(सू. ५७) परके निमित्तसे अच्के स्थानमें जो आदेश हुआ है उसके
स्थानमें अच् होनेपर उसके पूर्व जो वर्ण हुआ है उसको कार्य करना हो तो
स्थानिवद्भाव होता है । (१।१।५७)

इस सूत्रमें 'अचः' पद किसलिए रखा गया है ?

प्रश्नः, विद्मः, द्यूत्वा, स्यूत्वा, आक्राट्याम्, आगत्य, ये उदाहरण सिद्ध करनेके
लिये रखा गया है । प्रश्नः, विद्मः, इन उदाहरणोंमें छकारको जो श आदेश
(६।४।१९) बना हुआ है वह आगेके प्रत्ययके निमित्त हुआ है । वह शकार
स्थानिवद्भावसे छकार है ऐसा मानकर 'छे च' (६।१।७३) सूत्रसे तुक् आगम
प्राप्त होता है । प्रकृत सूत्रमें अचः कहनेपर यहाँ स्थानिवद्भाव नहीं होता । क्योंकि यह
शकार आदेश अच्के स्थानपर नहीं हुआ है ।

प्रयोजनम् । क्रियमाणे ऽपि वा अज्ग्रहणे ऽवश्यमत्र तुगमावे यत्नः कर्तव्यः ।
 अन्तरङ्गत्वाद्धि तुक्प्राप्नोति ॥ इदं तर्हि । द्यूत्वा स्यूत्वा । वकारस्य उट्
 परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावाद्भीति यणादेशो न प्राप्नोति । अच् इति
 वचनाद्भवति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । स्वाश्रयमत्राच्चवं भविष्यति । अथवा
 यो ऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः । इदं तर्हि प्रयोजनम् ।
 आक्राण्टाम् । सिचो लोपः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावात्पद्मोः कः सि
 [८-२-४१] इति कत्वं प्राप्नोति । अच् इति वचनान्न भवति । एतदपि नास्ति
 प्रयोजनम् । वक्ष्यत्येतत् । पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवदिति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् ।
 आगत्य अभिगत्य । अनुनासिकलोपः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावाद्

‘अचः’ पदका उपयोग ठीक नहीं है । क्योंकि ‘अचः’ शब्द यहाँ रत्ता जाय तो भी वहाँ तुक् आगम न होनेके लिये कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करना ही चाहिये । नहीं तो शकार आदेश करनेके पहले ही अंतरंगत्वके कारण तुक् आगम होने लगेगा ।

तो फिर ‘अचः’ शब्दका दूसरा उपयोग द्यूत्वा, स्यूत्वा, यह लीजिये । इन स्थानोंपर ‘व’ कारको पर वर्णके निमित्त बना हुआ ‘ऊट्’ आदेश (६।४।१९) स्थानिवद्भावसे ‘व’ कार है ऐसा माना जाय तो अच् आगे होनेपर बताया हुआ यण् आदेश नहीं होगा । अब इस सूत्रमें ‘अचः’ कहनेपर स्थानिवद्भाव न होनेके कारण यण् होगा ।

यह भी ‘अचः’ का उपयोग नहीं है । क्योंकि ऊ आदेश स्थानिवद्भावसे वकार समझा गया तो भी स्वनः अच् होनेके कारण यण् किया जा सकेगा । अथवा इस स्थानपर आदेश जो ऊट् है वह यण्के लिये निमित्तके रूपमें नहीं लिया गया है । और तो उसका ऊकार अच्के रूपमें यण्को निमित्त माना जाता है वह आदेश ही नहीं है ।

तो फिर ‘अचः’ का उपयोग ‘आक्राण्टाम्’ लीजिये । इस स्थानपर परवर्णके निमित्त बना हुआ सिचूका लोप (८।२।२६) स्थानिवद्भावसे ‘स’ कार है ऐसा मानकर उसके पीछेके ‘प’ कारको ‘पद्मोः कः सि’ (८।२।४१) सूत्रसे ‘क’ कार आदेश होने लगेगा । ‘अचः’ ऐसा इस सूत्रमें कहनेपर यहाँ स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

यह भी अचः का उपयोग नहीं है । क्योंकि ‘पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्’ (१।१।५८ वा. ३) ऐसा वार्तिककार आगे कहनेवाले हैं ।

तो फिर आगत्य, अभिगत्य, ये उदाहरण लीजिये । इन स्थानोंपर परके निमित्तसे बना हुआ अनुनासिकका अर्थात् मकारका लोप (६।४।३७) है उसको

ह्रस्वस्येति तुम्न प्राप्नोति । अच इति वचनाद्भवति ॥

अथ परस्मिन्निति किमर्थम् । युवजानिः । द्विपदिका । वैयाघ्रपद्यः । आदीष्ये ॥ युवजानिः वधूजानिरिति जायाथा निड् [५-४-१३४] न परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावद्वलीति यलोपो न प्राप्नोति । परस्मिन्निति वचनाद्भवति । नैतदस्ति प्रयोजनम् । स्वाश्रयमत्र बल्वं भविष्यति । अथवा योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । द्विपदिका त्रिपदिका । पादस्य लोपो न परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावो न प्राप्नोति । परस्मिन्निति वचनाद्भवति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । पुनर्लोपवचनसामर्थ्यात्स्थानिवद्भावो न भविष्यति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् ।

स्थानिवद्भाव हुआ तो बीचमें मकार है ऐसा मानकर 'ह्रस्वस्य०' (६।१।७२) सूत्रसे तुक् आगम नहीं होगा । अचः ऐसा यहाँ कहनेपर स्थानिवद्भाव न होनेके कारण तुक् आगम किया जा सकता है ।

अब इस सूत्रमें 'परस्मिन्' किस लिये कहा गया है ?

युवजानिः, वधजानिः, द्विपदिका, वैयाघ्रपद्यः, आदीष्ये आदि उदाहरण सिद्ध करनेके लिये कहा गया है । इनमेंसे युवजानिः वधूजानिः आदि उदाहरणोंमें 'जायाया निड्' (५।४।१३४) सूत्रसे बना हुआ आदेश परके निमित्त नहीं हुआ है अगर उसे स्थानिवद्भावका होगा तो बल् आगे होनेपर बताया हुआ यकारका लोप (६।१।६६) नहीं होगा । यहाँ 'परस्मिन्' ऐसा कहनेपर स्थानिवद्भाव न होनेके कारण यकारका लोप किया जा सकता है ।

यह 'परस्मिन्'का उपयोग संभव नहीं होता । क्योंकि स्थानिवद्भाव होनेपर भी निड् आदेशका नकार स्वतः बहू होनेके कारण उसके निमित्तसे यकारका लोप किया जा सकेगा । अथवा, यहाँ जो निड् आदेश है वह यटोपको निमित्तके रूपमें नहीं गिना गया है । और उसका बहू नकार जो यटोपका निमित्त माना जाता है वह आदेश ही नहीं है ।

तो फिर, द्विपदिका, त्रिपदिका यह 'परस्मिन्' का उपयोग लीजिये । यही पादके अकारका जो लोप (५।४।१) बना हुआ है वह परके निमित्तसे नहीं । अगर उसे स्थानिवद्भाव होगा तो यह पाद् इस तरह दकाद्यन्त नहीं है ऐसा मानकर पद् आदेश (६।४।१३०) नहीं होगा । 'परस्मिन्' ऐसा यहाँ कहनेपर स्थानिवद्भाव न होनेके कारण पद् आदेश किया जा सकता है ।

यह भी परस्मिन्का उपयोग संभव नहीं होता । क्योंकि 'यस्येति च' (६।४।१४८) से लोप होकर भी जब कि 'पादशतस्य०' (५।४।१) से पुनः लोप बताया गया है तब उसकी सामर्थ्यके कारण स्थानिवद्भाव नहीं होगा ।

वैयाघ्रपथः । ननु चात्रापि पुनर्लोपवचनसामर्थ्यादेव न भविष्यति । अस्ति ह्यन्यत्पुन-
र्लोपवचने प्रयोजनम् । किम् । यत्र भसंज्ञा न । व्याघ्रपात् श्येनपादिति ॥ इदं
चाप्युदाहरणम् । आदीध्ये आवेव्ये । इकारस्यैकारो न परनिमित्तकः । तस्य
स्थानिवद्भावादीवर्णयोर्दीधीवेव्योः [७-४-५३] इति लोपः प्राप्नोति । परस्मिन्निति
वचनात् न भवति ॥

अथ पूर्वविधाविति किमर्थम् । हे गौः । बाम्रवीयाः । नैधेयः ॥ हे
गौरित्यौकारः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावादेद्दृहस्वात्संबुद्धेः [६-१-६९]
इति लोपः प्राप्नोति । पूर्वविधाविति वचनात् न भवति । नैतदस्ति प्रयोजनम् ।
आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न संबुद्धिलोपे स्थानिवद्भावो भवतीति यद्यमेद्दृहस्वात्संबुद्धे-
रित्येद्ग्रहणं करोति । नैतदस्ति ज्ञापकम् । गोऽर्थमेतत्स्यात् । यत्तर्हि प्रत्याहारग्रहणं

तो फिर 'वैयाघ्रपथः' यह उपयोग लीजिए ।

यहाँ भी जब कि पुनः लोप बताया गया है तब उसकी सामर्थ्यके कारण
स्थानिवद्भाव नहीं होगा ।

यह जो पुनः लोप बताया है उसका दूसरे स्थानपर उपयोग हो रहा है ।
सो कौनसा ?

जिस स्थानपर भ-संज्ञा न होनेके कारण 'यस्येति च' से लोप नहीं होता
उस स्थानपर अर्थात्, व्याघ्रपात्, श्येनपात्, यहाँ लोप होना चाहिये ।

आदीध्ये, आवेव्ये भी 'परस्मिन्' के प्रत्युदाहरण है । इन स्थानोंपर इकारका
जो एकार (३।४।७९) हुआ है वह परके निमित्त नहीं हुआ है । अगर उसे
स्थानिवद्भाव होगा तो वह इकार है ऐसा मानकर 'यीवर्णयोर्दीधीवेव्योः' (७।४।५३)
सूत्रसे धातुके ईकारका लोप होने लगेगा । यहाँ परस्मिन् कहनेपर स्थानिवद्भाव न
होनेके कारण वह लोप नहीं होता ।

अब इस सूत्रमें 'पूर्वविधौ' क्यों कहा गया है ?

हे गौः, बाम्रवीयाः, नैधेयः, ये उदाहरण सिद्ध होनेके लिये कहा गया है ।
हे गौः स्थानपर गोशब्दके ओकारको वृद्धिसे जो ओकार आदेश हुआ है
(७।२।११५) वह परके निमित्तसे हुआ है, उसे स्थानिवद्भाव हुआ तो वह एद् है
ऐसा मानकर 'एद्दृहस्वात् संबुद्धेः' (६।१।६९) सूत्रसे आगेके संबुद्धिप्रत्ययका
लोप होने लगेगा । 'पूर्वविधौ' ऐसा यहाँ कहनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता और लोप
भी नहीं होता ।

यह 'पूर्वविधौ' का उपयोग है ऐसा नहीं दिखाई देता । क्योंकि ये आचार्य
पाणिनि 'एद्दृहस्वात् संबुद्धेः' सूत्रमें एद् शब्द रखते हैं । इससे वे ऐसा ज्ञापित
करते हैं कि संबुद्धिप्रत्ययका लोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

१ 'हे इर,' 'हे विष्णो' यहाँ आगेके 'संबुद्धि-प्रत्ययका लोप होनेके लिए एद्प्रत्यय
दिया है । परंतु यह दुगुणो (७।३।१०८) स्थानिवद्भाव हुआ तो 'एद्' न होनेसे धेर न
होगा, इसलिये एद्प्रत्यय निरर्थक होता है ।

करोति । इतरथा होह्रस्वादित्येव त्रयात् ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । बाभ्रवीयाः माधवीयाः । वान्तादेशः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावाद्द्वलस्तद्धितस्य [६-४-१५०] इति यलोपो न प्राप्नोति । पूर्वविधाविति वचनाद्भवति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । स्वाश्रयमत्र ह्रस्वं मविध्यति । अथवा यो ऽत्रादेशो नासावा-श्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । नेधेयः । आकारलोपः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावाद् द्व्यञ्जलक्षणो ढम प्राप्नोति । पूर्वविधाविति वचनाद्भवति ॥

अथ विधिग्रहणं किमर्थम् । सर्वविभक्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत ।

यह ज्ञापक ठीक नहीं बैठता । क्योंकि गोशब्दके लिये उस सूत्रमें एड् शब्द आवश्यक है ऐसा भी कहा जा सकता है ।

तो फिर 'ओह्रस्वात्०' कहना है सो न कहकर जो 'एड्' प्रत्याहारशब्द उच्चारित किया है, उससे 'संबुद्धिका लोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता' यह बात ज्ञापित होगी ।

तो फिर 'पूर्वविधौ' शब्दका उपयोग 'बाभ्रवीयाः', 'माधवीयाः' लीजिये । इन स्थानोंपर 'अव्' यह वकारान्त आदेश (६।१।७९) परके निमित्त हुआ है । उसको स्थानिवद्भाव हुआ तो वह 'ओ'कारहै ऐसा मानकर 'ह्रस्वात्द्धितस्य' (६।४।१५०) सूत्रसे अपत्यप्रत्ययके यकारका लोप नहीं होगा । 'पूर्वविधौ' ऐसा यहाँ कहनेपर स्थानिवद्भाव न होनेके कारण यकारका लोप किया जा सकेगा ।

यह भी 'पूर्वविधौ' का मही उपयोग नहीं दिखाई देता । स्थानिवद्भाव होनेपर भी 'अव्' आदेशका वकार स्वयं ह्रस्व होनेके कारण उसके निमित्त यकारका लोप किया जा सकेगा; अथवा, इस स्थानपर जो अव् आदेश है वह यलोपका निमित्त नहीं गिना गया है और उसका जो वकार ह्रस्वके नाते यलोपको निमित्त माना जाता है वह आदेशही नहीं है ।

तो फिर 'पूर्वविधौ' का उपयोग 'नेधेयः' लीजिये । इस स्थानपर निधिशब्दके 'धा' धातुके 'आ'कारका लोप (६।४।६४) आगेके किप्रत्ययके (३।३।९२) निमित्त बना हुआ है । उसे स्थानिवद्भाव हुआ तो निधि शब्द द्व्यञ्ज न होनेके कारण द्व्यञ्जको मानकर बताया हुआ ढक् प्रत्यय (४।१।१२२) नहीं होगा । यहाँ 'पूर्वविधौ' ऐसा कहनेपर स्थानिवद्भाव न होनेके कारण ढक् प्रत्यय किया जा सकेगा ।

अब इस सूत्रमें 'विधि' शब्द किस लिये रमा गया है ?

२. 'बाभ्रव्य', 'माधव्य' इन सूत्र- (४।१।१०९) प्रत्ययान्त शब्दोंके धागे 'उ' प्रत्यय (४।२।११४) हुआ है ।

पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः । पूर्वस्माद्विधिः पूर्वविधिरिति । कानि पुनः पूर्वस्माद्विधौ स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि । बेभिदिता । माथितिकः । अपीपचन् । बेभिदिता चेच्छदितेत्यकारलोपे कृत एकाज्लक्षण इत्प्रतिषेधः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति ॥ माथितिक इत्यकारलोपे कृते तान्तात्क इति कादेशः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति ॥ अपीपचन्नित्येकादेशे कृते ऽभ्यस्ताज्जेर्जुस्भवतीति जुस्भावः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति ॥ नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । कुतः ।

सर्वविभक्तियोंसे समास होना चाहिये इसलिये 'विधि' शब्द रखा है। वह ऐसे कि पूर्वको होनेवाली जो विधि है वह भी पूर्वविधि और पूर्वसे आगेवालेको होनेवाली जो विधि है वह भी पूर्वविधि है, इस तरह पूर्वविधि शब्दके दोनों अर्थ लेना संभव होना चाहिये।

परंतु पूर्वसे आगेवालेको होनेवाली जो विधि है वह कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है इस अर्थके उदाहरण कौनसे हैं?

बेभिदिता, चेच्छदिता, माथितिकः, अपीपचन्, ये उस अर्थके उदाहरण हैं। बेभिदिता, चेच्छदिता इन स्थानोंपर यद्के अकारका लोप होनेपर बेभिद्, चेच्छद् यह पीछेका भाग उपदेशमें एकाच् होनेके कारण इडागमका निषेध (७।२।१०) होने लगेगा। अकारके लोपको (६।४।४८) स्थानिवद्भाव होनेपर अकारसे व्यवधान होनेके कारण इडागमका निषेध नहीं होता। माथितिकः स्थानपर मथित, शब्दसे ठक् प्रत्यय (४।४।५०) करके मथित शब्दके अकारका लोप (६।४।४८) होनेपर तकारान्तके आगे ठक्प्रत्यय होनेके कारण उसे क आदेश (७।३।५१) होने लगेगा। अकारके लोपको स्थानिवद्भाव करनेपर तकारान्त अंग नहीं है इसलिये क आदेश नहीं होता। अपीपचन् स्थानपर अपीपच् + अ + अन् स्थितिमें दो आकारोंको पररूप एकादेश (६।१।९७) करनेके बाद 'अभ्यस्तसे पर क्षिप्रत्ययको जुस् आदेश होता है।' (३।४।१०९) इस तरह बताया हुआ जुस् आदेश होने लगेगा। पररूपको स्थानिवद्भाव होनेपर बीचमें च्च् प्रत्ययसे व्यवधान आनेके कारण जुस् आदेश नहीं होता।

यह जो विधिशब्दका उपयोग बताया है वह ठीक नहीं है। क्योंकि 'पूर्व'

३. 'बेभिद्य', 'चेच्छिय' इन यद्-प्रत्ययान्त धातुओंके लगे 'तृ' प्रत्यय (३।१।१३३) किया है।

४. 'पन्' धातुको 'निच्' प्रत्यय, भागे 'लृङ्' प्रत्यय, उसको 'शि' आदेश, 'अन्त्' आदेश (७।१।३), बीचमें 'च्च्' प्रत्यय (३।१।४८), द्वित्व (६।१।११), घन्वद्भाव (७।४।११३), अभ्यासको श्च (७।४।१९) और दीर्घ (७।४।११४) आदि कार्य नहीं हुए हैं।

प्रातिपदिकनिर्देशो ऽयं प्रातिपदिकनिर्देशाश्वार्थतन्त्रा भवन्ति न कांचित्प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति । तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे यां यां विभक्तिमाश्रयितुं बुद्धिरूप-जायते सा साश्रयितव्या ॥ इदं तर्हि प्रयोजनं विधिमात्रे स्थानिवद्यथा स्यादना-श्रीयमाणायामपि प्रकृती । बाध्वाः अध्वर्वाः लोपो व्योर्वलि [६-१-६६] इति यलोपो मा भूदिति ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति ।

अपरविधाविति तु वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । स्वविधावपि स्थानिवद्भावो यथा स्यात् । कानि पुनः स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि । आयन् आसन् ।

प्रातिपदिकका ही केवल हम यहाँ निर्देश कर रहे हैं । उसमें विशेष ऐसी कोई विभक्ति नहीं लगाने । और इस तरहके जो केवल प्रातिपदिकके ही निर्देश किये होते हैं वे अर्थतंत्र होते हैं अर्थात् इस प्रातिपदिकके अर्थको ही वहाँ मुरयत्व होता है । किसी भी विभक्त्यर्थको वहाँ महत्त्व नहीं होता । इस तरह केवल प्रातिपदिकका ही अर्थ मनमें आनेपर आगे वहाँ उसके संबंधमें जो जो विभक्त्यर्थ लेनेके विषयमें बुद्धि उत्पन्न होगी सो सो विभक्त्यर्थ वहाँ लिया जायगा ।

तो फिर विधिशब्दका दूसरा उपयोग हम दिखाते हैं । वह यह है कि किसी भी प्रकारकी विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होना चाहिये । फिर उस विधिमें स्थानीका आश्रयण नहीं किया तो भी कोई आपत्ति नहीं है; उदा० - बाध्वाः, अध्वर्वाः, इन स्थानोंपर 'लोपो व्योर्वलि' (६।१।६६) सूत्रसे यकारका लोप न हो इसलिये यणको स्थानिवद्भाव होनेकी आवश्यकता है । और लोप बतानेवाली विधिमें तो यणके स्थानीका अर्थात् उकारका आश्रयण नहीं किया है ।

यह उपयोग रहने दीजिये ।

तो फिर अब आपका कहना क्या है ?

हमारा कहना यह है कि 'पूर्वविधौ' शब्दके बदले 'अपरविधौ' कहना चाहिये ।

ऐसा कहनेसे उपयोग क्या है ?

आदेशको स्वतः कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होना चाहिये यही उसका उपयोग है ।

परंतु आदेशको स्वयं कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होना चाहिये इसके उदाहरण कौनसे हैं ?

५. तत्र 'विधि' शब्द न हुआ तो भी पूर्वके भागे अपने-ही कार्य करते समय स्थानिवद्भाव होने उपरुक्त उदाहरण सिद्ध होते ।

धिन्वन्ति कृण्वन्ति । दध्यत्र मध्वत्र । चक्रतुः चक्रुः ॥ इह तावदायन् आसन्निती-
णस्त्योर्यणलोपयोः कृतयोरनजादित्वादाढजादीनाम् [६.४.७२] इत्याण
प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्भवति ॥ धिन्वन्ति कृण्वन्तीति यणादेशे कृते वलादि-
लक्षण इद् प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाच्च भवति ॥ दध्यत्र मध्वत्रेति यणादेशे कृते
संयोगान्तलोपः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाच्च भवति ॥ चक्रतुः चक्रुरित्यत्र यणादेशे
कृते ऽनच्त्वाद् द्विर्वचनं न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्भवति ॥ यदि तर्हि स्वविधा-
वपि स्थानिवद्भावो भवति द्वाभ्याम् देयम् लवनम् अत्रापि प्राप्नोति । द्वाभ्यामित्य-
त्रात्वस्य स्थानिवद्भावादीर्घत्वं न प्राप्नोति । देयमितीत्वस्य स्थानिवद्भावाद्गुणो न
प्राप्नोति । लवनमिति गुणस्य स्थानिवद्भावादवादेशो न प्राप्नोति ॥ नैष दोषः ।

आयन्, आसन्, धिन्वन्ति, कृण्वन्ति, दध्यत्र, मध्वत्र, चक्रतुः, चक्रुः । इन
उदाहरणोंमें आयन् उदाहरणमें इण् धातुको यण् (६।४।८१) करनेपर और आसन्
उदाहरणमें अस् धातुके आकारका लोप (६।४।१११) करनेपर धातु अजादि नहीं है
इसलिये 'आढजादीनाम्' (६।४।७२) सूत्रसे आट् आगम नहीं होगा । वह यण्
और लोपको स्थानिवद्भाव करनेपर किया जा सकेगा । धिन्वन्ति, कृण्वन्ति, स्थानो-
पर 'उ'प्रत्ययको यण् आदेश (६।१।७७) करनेपर वह वलादि प्रत्यय होनेके कारण
उसे इट् आगम (७।२।३५) होने लगेगा । वह यण्को स्थानिवद्भाव करनेके कारण
नहीं होता है । दध्यत्र, मध्वत्र इन स्थानोंपर यण् आदेश (६।१।७७) करनेपर
'संयोगान्तस्य लोपः' (८।२।२३) सूत्रसे उस यण्का लोप प्राप्त होता है वह यण्को
स्थानिवद्भाव करनेके कारण नहीं होता । चक्रतुः, चक्रुः इन स्थानोंपर ऋकारको यण्
आदेश करनेपर धातुमें अच् नहीं है इसलिये धातुको द्वित्व (६।१।८) नहीं होगा वह
यण्को स्थानिवद्भाव करनेके कारण होता है ।

परंतु अगर इस तरह आदेश को स्वयंको कार्य कर्तव्य होनेपर भी स्थानिवद्भाव
होगा तो द्वाभ्याम्, देयम्, लवनम्, इन स्थानोंपर भी स्थानिवद्भाव होने लगेगा । द्वाभ्याम्
स्थानपर इकार को बना हुआ जो अकार आदेश (७।२।१०२) है उसे स्थानिवद्भाव
हुआ तो उसे दीर्घ (७।३।१०२) नहीं होगा । देयम् स्थानपर आकारको बना हुआ
जो इकार आदेश है (६।४।६५) उसे स्थानिवद्भाव हुआ तो उसे गुण (७।३।८४)
नहीं होगा । लवनम् स्थानपर धातुके उकारको बना हुआ जो गुण है (७।३।९४) उसे
स्थानिवद्भाव हुआ तो उसे अच् आदेश (६।१।७८) नहीं होगा ।

६. यहाँ 'इण्' और 'अम्' धातुओंके आगे 'लृट्' प्रत्यय, उसको 'सि' आदेश,
'अन्त्' आदेश (७।१।३), 'शृ' प्रत्ययका लृक् (२।४।७२) करनेके बाद ।

७. विन्व्, और कृण्व् धातुओंके आगे 'लृट्' प्रत्यय, उसको 'सि' आदेश, 'अन्त्'
आदेश, बीचमें विकरण 'ठ' प्रत्यय, और धातुके 'व'-कारको 'अ'-कार आदेश
(३।१।८०) और 'ध'-कारका लोप (१।४।४८) करनेके बाद ।

स्वाश्रया अत्रैते विधयो भविष्यन्ति ॥ तत्तर्हि वक्तव्यमपराविधाविति । न वक्तव्यम् । पूर्वविधावित्येव सिद्धम् । कथम् । न पूर्वग्रहणेनादेशो ऽभिसंबध्यते । अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भवति । कुतः पूर्वस्य । आदेशादिति । किं तर्हि । निमित्तमभिसंबध्यते । अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भवति । कुतः पूर्वस्य । निमित्तादिति । अथ निमित्ते ऽभिसंबध्यमाने यत्तदस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तमुदाहरणं तदपि संगृहीतं भवति । किं पुनस्तत् ।

ये दोष नहीं आते । यद्यपि इन स्थानोंपर स्थानिवद्भावसे आदेशको स्थानीकी-
तरह माना गया तोभी उस आदेशको स्वयंके स्वरूपपर निर्भर ये कार्य होंगे ।

तो फिर यह दिखाई देता है कि यहाँ 'अपराविधौ' ऐसा कहना चाहिये ।

वैसा कहना आवश्यक नहीं है । क्योंकि 'पूर्वविधौ' कहनेसे ही वह सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

सो ऐसे कि परके निमित्त बना हुआ जो अच्के स्थानपरका आदेश है उसे, पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है, वह पूर्व किसकी अपेक्षा तो आदेशकी अपेक्षा, ऐसा पूर्व शब्दके साथ आदेशका संबंध हम नहीं जोड़ते हैं ।

तो फिर पूर्व शब्दके साथ किसका संबंध जोड़ते ?

परके निमित्त बना हुआ जो अच्के स्थानपरका आदेश है उसे पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है । फिर पूर्व किसकी अपेक्षा तो निमित्तकी अपेक्षा, इस तरह पूर्व शब्दके साथ निमित्तका संबंध हम जोड़ते हैं । अब इस तरह पूर्व शब्दके साथ निमित्तका संबंध जोड़नेपर इस सूत्रका यह जो मुख्य उदाहरण है उसका भी संग्रह होता है ?

वह कौनसा उदाहरण है ?

पेट्रेत्या, मुद्र्या यही वह उदाहरण है ।

८. 'आदेशको अपनेको कार्य करते समय स्थानिवद्भाव होता है' ऐसा समझा गया तो 'द्वाभ्याम्' आदि जो दोष दिखाये गये वे प्राप्त नहीं होते, और 'आयन्'-आदि उग अर्पके उपयोग है इसलिए ।

९. तब आदेशको अपनेको कार्य करते समय इस प्रकृतपूत्रसे स्थानिवद्भाव सदग्रमे ही होगा, कारण यह कि आदेश निमित्तकी अपेक्षा पूर्व है ।

१०. 'पट्' शब्दके आगे 'दीप्' प्रत्यय (४।१।४४) लगाकर आगे तृतीया एक-वचनका 'टा' प्रत्यय किया है । यहाँ 'टा' प्रत्ययके निमित्तसे ईकारको जो 'यण्' आदेश (६।१।७७) हुआ है उसको स्थानिवद्भाव होनेके कारण वह 'अण्' आगे है ऐसा समझकर विछोटे उकारको यण् होता है ।

पटुचा मृद्घेति । बाढं संगृहीतम् । ननु चेकारयणा व्यवहितत्वाभासौ निमिचात्-
पूर्वो भवति । व्यवहिते ऽपि पूर्वशब्दो वर्तते । तद्यथा । पूर्वं मथुरायाः पाटलिपुत्र-
मिति ॥ अथवा पुनरस्त्वादेश एवाभिसंबध्यते । कथं यानि स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य
प्रयोजनानि । नैतानि सन्ति । इह तावदायन् आसन् धिन्वन्ति कृण्वन्तीति ।
अयं विधिशब्दो ऽस्त्येत्न कर्मसाधनो विधीयते विधिरिति । अस्ति भावसाधनो
विधानं विधिरिति । तत्र कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्योपादाने न सर्वमिष्टं संगृहीत-
मिति कृत्वा भावसाधनस्य विधिशब्दस्योपादानं विज्ञास्यते । पूर्वस्य विधानं प्रति
पूर्वस्य भावं प्रति पूर्वः स्यादिति स्थानिवद्भवतीत्येवमाड् भविष्यतीट् च न

इसका संग्रह होता है सही, परंतु ईकारके स्थानपर बना हुआ जो यण् है उससे
व्यवधान आनेके कारण पटुका उच्चार निमित्तकी अपेक्षा पूर्व है ऐसा नहीं कहा
जा सकता ।

यह आक्षेप ठीक नहीं है । क्योंकि व्यवधान होनेपर भी पूर्वशब्दका प्रयोग
किया हुआ दिखाई देता है, उदा०—पाटलिपुत्र शहर मथुराके पूर्व है ऐसा
कहते हैं ।

अथवा पूर्व शब्दके साथ आदेशका ही संबंध रहने दीजिये ।

परंतु आदेशका पूर्वशब्दके साथ संबंध जोड़ा गया तो आदेशको स्वयंको
विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है इसके जो उदाहरण दिखाये गये हैं
उनका क्या ?

उदाहरण सिद्ध करनेके लिये वैसा अर्थ लेना आवश्यक नहीं है । उनमेंसे
आयन्, आसन्, धिन्वन्ति, कृण्वन्ति ये उदाहरण दूसरे प्रकारसे सिद्ध होते हैं । वे ऐसे
कि विधि शब्द धातुको कर्म अर्थमें 'कि' प्रत्यय (३।३।९२) लगकर सिद्ध हुआ
है । जिसका विधान किया जाता है उसे विधि कहते हैं; उसी तरह वही 'कि' प्रत्यय
उसी सूत्रसे भावके अर्थमें करके भी विधि शब्द सिद्ध किया जा सकता है । अर्थात्
विधानको ही विधि कहा जा सकता है । इसमें कर्मके अर्थमें 'कि' प्रत्यय करके सिद्ध
किया हुआ विधि शब्द यहाँ लेनेपर सब इष्ट उदाहरण सिद्ध नहीं किये जा सकते,
इसीलिये भावके अर्थमें 'कि' प्रत्यय करके सिद्ध किया हुआ विधि शब्द यहाँ लिया
गया है ऐसा मान्य होता है । पूर्वका विधान कर्तव्य होनेपर अर्थात् पूर्वका अस्तित्व
जब रसना होता है, याने जो करनेपर आदेशकी अपेक्षा पूर्व होगा वह कर्तव्य होनेपर
स्थानिवद्भाव होता है ऐसा अर्थ होते ही आयन्, आसन् आदि उदाहरणोंमें स्थानिवद्-
भावको आट आगम किया जा सकेगा । वैसेही धिन्वन्ति, कृण्वन्ति आदि उदाहरणोंमें
इष्ट आगम स्थानिवद्भावसे नहीं होगा । दध्यन्, मध्यन्, चक्रन्; चक्रुः ये उदाहरण

भविष्यति ॥ दध्यत्र मध्वत्र चक्रतुः चक्रुरिति परिहारं वक्ष्यति ॥

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ।

स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहिं ततः श्वोभूते शातनीं पातनीं च ।

नेतारावागच्छतं धारणिं रावणिं च ततः पश्चात्संस्यते ध्वंस्यते च ॥

इह तावत्पादिकम् औदवाहिम् शातनीम् पातनीम् धारणिम् रावणिमित्य-
कारलोपे कृते पद्माव ऊटल्लोपटिलोप इत्येते विधयः प्राप्नुवन्ति । स्थानिवद्भावान्न
भवन्ति । संस्यते ध्वंस्यते । णिलोपे कृते ऽनिदितां हल उपधायाः कृति

सिद्ध करनेका उपाय आगे बतलाया जायेगा ।

और कौनसे इस सूत्रके उदाहरण हैं ।

(श्लोकवार्तिक) बताता हूँ, सुनिये । पादिकम्, औदवाहिम् ये उदाहरण
हैं । हे श्वोभूते शातनीम्, पातनीम् ये भी उदाहरण हैं । शिष्यो आइये ।
धारणिम्, रावणिम्, वैसे ही संस्यते ध्वंस्यते ये भी इस सूत्रके उदाहरण हैं ।

वे ऐसे कि पादिकम्, औदवाहिम्, शातनीम्, पातनीम्, धारणिम्, रावणिम्,
आदि स्थानोंपर पाद, उदवाह, शातन, पातन, धारण, रावण, आदि प्रातिपदिकोंके
अंतिम अकारका लोप (६।४।१४८) करनेपर पद् आदेश (६।४।१३०) ऊट
आदेश (६।४।१३२), ह्रस्व अकारका लोप (६।४।१३४) और ' टि ' का लोप
(६।४।१४४), ये विधियाँ प्राप्त होती हैं । परंतु अकारके लोपको स्थानिवद्भाव होकर
व्यवधान आनेके कारण ये विधियाँ नहीं होती । वैसे ही ' संस्यते ', ' ध्वंस्यते ' आदि
स्थानोंपर णिच् प्रत्ययका लोप (६।४।५१) करनेपर ' अनिदितां हल उपधायाः
कृति ' (६।४।२४) सूत्रसे नकारका लोप प्राप्त होता है, परंतु णिच्के लोपको

११. ' दध्यच् ' आदि स्थानोंपर ' यण. प्रतिषेधः ' वार्तिकसे संयोगान्तलोप नहीं होता ।

' चक्रतु. ' आदि उदाहरण ' द्विवचनेचि ' (१।१।५९) सूत्रसे सध जायेगे ।

१२ ' पादिक ' शब्दमें ' पाद ' शब्दके आगे ' टन् ' (५।२।११५) अथवा ' ट् ' (४।४।२) प्रत्यय लगाया है । ' उदक- ' शब्दपूर्वक ' वृद् ' धातुके आगे ' अण् ' प्रत्यय (३।२।१), वृद्धि (७।२।११९) और ' उदक ' शब्दको ' उद ' आदेश (६।२।५७) होके ' उदवाह ' शब्द सिद्ध होता है । ' उदवाह ', ' धारण ' और ' रावण ' शब्दोंके आगे ' इम् ' प्रत्यय (४।१।९५) किया है । ' धृ ' और ' र ' धातुओंके आगे ' णिच् ' (३।१।३६) लगाकर ' धारि ' और ' रावि ' इन ' णिच् '-प्रत्ययान्त धातुओंके आगे स्फुट् प्रत्यय, ' णिच् '-का लोप (६।४।५१) और णत्व (८।४।२) होके ' धारण ' और ' रावण ' शब्द सिद्ध होते हैं । ' शातन ' और ' पातन ' शब्दोंके आगे हीप् (४।१।४१) प्रत्यय लगाया है । इन दो स्थलोंपर ' अन् ' के अकारका लोप प्राप्त होता है । ' धारणि ' और ' रावणि ' में णत्व अतिद्ध (८।२।१) होनेसे नकारान्त हे ऐमा समझकर ' टी- ' का लोप प्राप्त होता है ।

[६-४-२४] इति नलोपः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाच्च भवति ॥ नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । असिद्धवदत्रा भात् [६-४-२२] इत्यनेनाप्येतानि सिद्धानि ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । याज्यते वाप्यते । णिलोपे कृते यजादीनां किति [६-१-१५] इति संप्रसारणं प्राप्नोति ॥ स्थानिवद्भावाच्च भवति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । यजादिभिरत्र कितं विशेषयिष्यामो यजादीनां यः किति । कश्च यजादीनां कित् । यजादिभ्यो यो विहित इति । न चायं यजादिभ्यो विहितः ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । पट्चा मृद्वचेति । परस्य यणादेशे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोतीकारयणा

स्थानिवद्भाव होकर व्यवधान आनेके कारण वह नहीं होता ।

ये इस सूत्रके उदाहरण ठीक नहीं हैं । क्योंकि 'असिद्धवदत्रा भात्' (६।४।२२) से भी ये सिद्ध होते हैं ।

तो फिर इस प्रकृतसूत्रके उदाहरण याज्यते, वाप्यते लीजिये । इन स्थानोंपर णिच् प्रत्ययका लोप करनेपर 'वचिस्वपियजादीनां किति' (६।१।१५) सूत्रसे संप्रसारण प्राप्त होता है । परंतु णिच्के लोपको स्थानिवद्भाव होकर व्यवधान आनेके कारण वह नहीं होता ।

ये भी प्रकृतसूत्रके उदाहरण ठीक नहीं हैं । क्योंकि 'वचिस्वपि०' सूत्रमें यजादि कित्का विशेषण किया जाय जिससे यज् आदि धातुओंका जो कित् प्रत्यय है वह आगे होनेपर संप्रसारण होता है ऐसा अर्थ होगा ।

यज् आदि धातुओंका कित् प्रत्यय है सो कैसे जाना जाय ?

यदि कित् प्रत्यय यज् आदि धातुओंसे किया हो तो यज् आदि धातुओंका है ऐसा समझा जाय । याज्यते, वाप्यते, इन उदाहरणोंमें यक् यह कित् प्रत्यय याजि और वापि इन णिच्-प्रत्ययान्त धातुओंसे किया होनेके कारण, यज् आदि धातुओंसे किया हुआ नहीं है; अतः यहाँ संप्रसारण होगा ही नहीं ।

तो फिर इस सूत्रके पट्च्या, मृद्व्या, ये उदाहरण लीजिये । पट्च्या उदाहरणमें पट्, ई, आ ऐसी स्थिति होनेपर अगले ईकारको 'इको यणचि' (६।१।७७) से यण् आदेश करनेपर पीछेके उकारको उससे यण् नहीं होगा । क्योंकि ईकारको होनेवाले यणादेशसे व्यवधान आता है । परंतु उस ईकारको किये हुए यणादेशको स्थानिवद्भाव करनेके कारण वही अच् आगे है ऐसा मानकर पीछेके उकारको यण् किया जा सकता है ।

११. यज् और व् धातुओंमें णिच् प्रत्यय लगाकर आगे कर्मणि 'लट्' प्रत्यय और बीचमें 'यक्' प्रत्यय (३।१।६७) विकरण हुआ है ।

१२. पट् और मृदु शब्दोंमें ङीप् (४।१।४४) प्रत्यय लगाकर आगे तृतीया एकवचन 'टा' प्रत्यय किया है ।

व्यवहितत्वात् । स्थानिवद्भावाद्भवति । किं पुनः कारणं परस्य तावद्भवति न पुनः पूर्वस्य । नित्यत्वात् । नित्यः परयणादेशः कृते ऽपि पूर्वयणादेशो प्राप्नोत्यकृते ऽपि प्राप्नोति । नित्यत्वात्परयणादेशो कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्भवति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षण इत्यसिद्धत्वाद्बहिरङ्गलक्षणस्य परयणादेशस्यान्तरङ्गलक्षणः पूर्वयणादेशो भविष्यति । अवश्यं चैषा परिभाषाश्रयितया स्वार्थम् । कर्त्र्या हर्त्र्येत्युदात्तयणो हल्पूर्वात् [६ १ १७४] इत्येव स्वरो यथा स्यात् । अनेनापि सिद्धः स्वरः । कथम् ।

आरभ्यमाणे नित्योऽसौ

आरभ्यमाणे त्वरिभ्योमे नित्यः पूर्वयणादेशः । कृते ऽपि परयणादेशो

परतु यहाँ पहले आगेके ईकारको ही यण् होता है और पीछेके उकारको प्रथम नहीं होता इसका कारण क्या है ?

आगेके ईकारके स्थानपर होनेवाला यण् नित्य है इसलिये वह पहले होता है । परयणादेश यह पूर्वयणादेश करनेपरभी प्राप्त होता है और पूर्वयणादेश भी करनेके पूर्व भी प्राप्त होता है इसलिये परयणादेश नित्य है । अतः नित्य होनेके कारण वह परयणादेश प्रथम करनेपर पहलेके उकारको यण् प्राप्त नहीं होता । परंतु परयणादेशको स्थानिवद्भाव करनेपर पूर्वयणादेश किया जा सकता है ।

यह भी स्थानिवद्भावका उदाहरण ठीक नहीं प्रतीत होता । क्योंकि 'अंतरग शास्त्र कर्तय होनेपर बहिरगशास्त्र असिद्ध होता है' इस परिभाषासे बहिरग जो परयणादेश है वह असिद्ध होनेके कारण अंतरग जो पूर्वयणादेश है वही प्रथमतः होगा । और, यह परिभाषा तो करनी ही चाहिये क्योंकि कर्त्र्या, हर्त्र्या आदि स्थानोंपर स्वर होनेके लिये उसकी आवश्यकता है । इस स्थानपर 'उदात्तयणो हल्पूर्वात्' (६।१।१७४) सूत्रसे बताया हुआ स्वर होना चाहिये ।

परतु यह परिभाषा नहीं ली तो भी स्थानिवद्भावसे भी वह स्वर सिद्ध होता है ?

सो कैसे ?

सो ऐसे कि स्थानिवद्भाव लेनेपर पूर्वयणादेश नित्य होता है । क्योंकि परयणादेश प्रथम किया तो भी स्थानिवद्भावसे पूर्वयणादेश प्राप्त होता है और परयणादेश

१५ 'कर्त्' शब्दके शीघ्र प्रत्यय (१।१।१) लगाकर आगे तृतीया-एकारान 'टा' प्रत्यय किया है । शीघ्र प्रत्यय अनुदात्त (३।१।१) है । प्रथमतः उदात्त ककारको यण् आदेश किया जानेमें उभ उदात्त यण्के अगले अनुदात्त शीघ्र प्रत्ययको उदात्त (६।१।१७४) होता है । और बादमें उभ उदात्त ईकारको यण् आदेश हुआ तो उभ उदात्त यण्के अगले अनुदात्त (३।१।१) 'टा' प्रत्ययको विन्ने उभो मूचने उदात्त होता है ।

प्राप्तोत्पद्यते ऽपि ॥ परयणादेशो ऽपि नित्यः । कृते ऽपि पूर्वयणादेशो प्राप्तोत्पद्यतेऽपि ।

परश्चासौ व्यवस्थया ।

व्यवस्थया चासौ परः ॥

युगपत्संभवो नास्ति

न चास्ति यौगपद्येन संभवः ॥ कथं च सिध्यति ।

बहिरङ्गेण सिध्यति ॥

असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षण इत्यनेन सिध्यति ॥ एवं तर्हि यो ऽत्रोदात्तयणतदाश्रयः स्वरो भविष्यति । ईकारयणा व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्भवतीति नास्ति व्यवधानम् । सा तर्हेषा परिभाषा

करनेके पूर्वभी प्राप्त होता है ।

परयणादेश भी नित्य है क्योंकि वह भी पूर्वयणादेश करनेपर भी प्राप्त होता है । और पूर्वयणादेश करनेके पूर्व भी प्राप्त होता है ।

इसके सिवा, उदाहरणमें क्रम देखनेपर वह परं भी है ।

और दोनों यणादेश तो एकसाथ नहीं किये जा सकते । फिर पट्ट्या आदि उदाहरण कैसे सिद्ध होंगे ?

‘अंतरंगशास्त्र कर्तव्य होनेपर बहिरंगशास्त्र असिद्ध होता है ।’ इस परिभाषासे ही ये उदाहरण सिद्ध होते हैं ।

तो फिर ‘कर्त्या’ उदाहरणमें उदात्त ऋकारके स्थानपर यण् बना हुआ है । उस निमित्तही आगेके विभक्ति-प्रत्ययको स्वर किया जा सकेगा ।

वैसा स्वर नहीं किया जा सकेगा । क्योंकि वीचमें ईकारको बना हुआ जो यण् है उससे व्यवधान आता है ।

परंतु ‘स्वरविधि कर्तव्य होनेपर व्यंजन नहींके बराबर माना जाय’ यह परिभाषा होनेके कारण कर्त्या स्थानपर यकारसे व्यवधान है ऐसा नहीं कहा जा सकेगा ।

१६. तब पूर्वयणादेश पहले किया गया तो अंतरंगपरिभाषाके बिना ही यह उदाहरण सिद्ध होगा ऐसा अभिप्राय है ।

१७. अतः अंतरंगपरिभाषाके बिना अन्य किसी भी तरह पूर्वयणादेश प्रथमतः नहीं किया जा सकता ।

१८. अभिप्राय यह है कि अंतरंग परिभाषा यद्यपि नहीं ली और पूर्वयणादेश पहले नहीं हुआ, परयणादेश होनेके बाद ही पूर्वयणादेश हुआ, तो वह रेफ उदात्त यण् होनेके कारण उसके निमित्त एकदम ‘टा’ प्रत्ययको उदात्त होगा ।

कर्तव्या । ननु चैयमपि कर्तव्यासिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षण इति । बहुप्रयो-
जनैषा परिभाषा । अवश्यमेवा कर्तव्या । सा चाप्येषा लोफतः सिद्धा । कथम् ।
प्रत्यङ्गवर्ती लोफो लक्ष्यते । तद्यथा । पुरुषो ऽयं प्रातरुत्थाय यान्यस्य प्रतिशरीरं
कार्याणि तानि तावत्करोति ततः सुहृदां ततः संबन्धिनाम् । प्रातिपदिकं
चाप्युपदिष्टं सामान्यमूते ऽर्थे वर्तते । सामान्ये वर्तमानस्य व्यक्तिरुपजायते ।
व्यक्तस्य सतो लिङ्गसंख्याभ्यामन्वितस्य बाह्येनार्थेन योगो भवति । यथैव
चानुस्यूयार्थानां प्रादुर्भावस्तथैव शब्दानामपि तद्वत्कार्यैरपि भवितव्यम् ॥ इमानि
तर्हि प्रयोजनानि । पठयति अवधीत् बहुखट्वकः ॥ पठयति लपयतीति टिलोपे

तो फिर 'स्वाविधि कर्तव्य होनेपर व्यंजन नहींके बराबर है' ऐसी परिभाषा
करनी चाहिये ।

'अतरंगशास्त्र कर्तव्य होनेपर बहिरंगशास्त्र असिद्ध होता है' यह परिभाषा
आपको करनी चाहिये न ?

'अंतरंगशास्त्र कर्तव्य होनेपर बहिरंगशास्त्र असिद्ध होता है' इस परिभाषाके
उपयोग बहुत हैं । उसके लिये वह अवश्य करनी ही चाहिये । इसके अतिरिक्त, वह
परिभाषा लोकव्यवहारसे भी सिद्ध होती है ।

सो कैसे ?

पासवालेको पहले देखनेकी लोगोंकी पद्धति दिखाई देती है, जैसे, मनुष्य सुबह
उठनेपर स्वयंके शरीरके कार्य हे वे सबसे पहले करता है, बादमें मित्रोंके कार्य करता
है, और उसके बाद फिर अन्य संबंधी लोगोंके कार्य करता है । वैसे ही बोलते समय भी
प्रातिपदिक मुननेपर पहले उससे सामान्य अर्थ मनमें आता है । वैसे सामान्य अर्थ
मनमें आनेपर उस सामान्य अर्थसे युक्त व्यक्ति मनमें आता है । उसके बाद उस
व्यक्तिका लिंग और संख्यासे जो संबंध है वह मनमें आता है । और उसके बाद
उस व्यक्तिका दूसरे पदार्थ से जो संबंध है वह मनमें आता है । और बादमें जिस
क्रमसे ये अर्थ मनमें आते हैं उसी क्रमसे उस अर्थको दिखानेवाले शब्दसे संबंध होता
है । और कार्य भी उसी क्रमसे होते रहते हैं ।

तो फिर इस सूत्रके ये उदाहरण लीजिये-पठयति, लपयति, अवधीत्, बहु-
खट्वकः । पठयति, लपयति इन उदाहरणोंमें पठु, लठु, इन शब्दोंसे णिच् प्रत्यय करके

१९ तब अंतरंगपरिभाषा नहीं ली तो यह परिभाषा लेनी पड़ी । इनमें कुछ भी तान
नहीं दीन पड़ना ऐसा अभिप्राय है ।

२० 'इस प्रकार गुप्त और हम समान ही हैं, तो फिर अंतरंगपरिभाषा देनेके बारेमें
हुम्हारा इनका आशय क्या ?' ऐसा अभिप्राय है ।

कृते ऽत उपधायाः [७.२.११६] इति वृद्धिः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावात् भवति ॥ अवधीदित्यकारलोपे कृते ऽतो हलादेर्लघोः [७.२.७] इति विभाषा वृद्धिः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति ॥ बहुखट्वक इत्यापो ऽन्यतरस्याम् [७.४.१५] इति ह्रस्वत्वे कृते ह्रस्वान्ते ऽन्त्यात्पूर्वम् [६.२.१७४] इत्येष स्वरः प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न भवति ॥

इह वैयाकरणः सौवश्व इति य्वोः स्थानिवद्भावादायावौ प्राप्नुतस्तयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः ।

अचः पूर्वविज्ञानादैचोः सिद्धम् ॥ १ ॥

यो ऽनादिटादचः पूर्वस्तस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भाव आदिटाच्चैषो ऽचः

टिलोप (६।४।१५५) करनेपर 'अन उपधायाः' (७।२।११६) सूत्रसे वृद्धि प्राप्त होती है । परंतु प्रकृतसूत्रसे टिलोपको स्थानिवद्भाव करनेके कारण नहीं होती । वैसे ही अवधीत् उदाहरणमें वयके अकारका लोप (६।४।४८) करनेपर 'अतो हलादेर्लघोः' (७।२।७) सूत्रसे विकल्पसे वृद्धि प्राप्त होती है । परंतु आकारलोपको स्थानिवद्भाव करनेके कारण नहीं होती । बहुखट्वकः उदाहरणमें खट्वा शब्दके अकारको 'आपोऽन्यतरस्याम्' (७।४।१५) सूत्रसे ह्रस्व करनेपर 'ह्रस्वान्तेऽन्त्यात्पूर्वम्' (६।२।१७४) सूत्रसे उदात्त स्वर प्राप्त होता है, परंतु प्रकृत सूत्रसे ह्रस्वको स्थानिवद्भाव करनेके कारण नहीं होता ।

अब वैयाकरणः, सौवश्वः, उदाहरणोंमें 'इको यणचि' (६।१।७७) सूत्रसे यण आदेश करनेपर उन यकारवकारोंको स्थानिवद्भावसे अच् आगे है ऐसा समझकर आय्, और आत् (६।१।७८) ये आदेश प्राप्त होते हैं उनका निषेध बताना चाहिये ।

(घा. १) स्थानिभूत 'अच्-से पूर्ववर्णके कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है ऐसा माननेपर ऐ और औ को आय् और आव् आदेश न होकर रूपसिद्धि होती है ।

जो स्थानिभूत अच्से पूर्व होगा उसे कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है ऐसा माननेपर ऐ और औ को आय् और आव् आदेश न होकर रूप सिद्ध होगा । क्योंकि,

२१ वि और भा उपमर्गपूर्वक 'रु'-धातुके आगे 'ल्युट्' प्रत्यय (३।३।११३), 'अन' आदेश (७।१।१९), ऋकारको गुण (७।३।८४) और 'वि-' के इकारको यकार आदेश (६।१।७७) होके 'व्याकरण' शब्द सिद्ध होता है । उसके आगे 'अण्' प्रत्यय (४।२।५५) होके यकारके पीछे ऐ आगम (७।३।३) हुआ है । 'सु अथ' में उकारको उकार आदेश (६।१।७७) होके 'स्वथ' शब्द सिद्ध हुआ है । उसके आगे 'अण्' प्रत्यय (४।३।१२०) होके उकारके पीछे 'औ' आगम हुआ है ।

पूर्वः । किं वक्तव्यमेतत् । न हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते । अच इति पञ्चमी । अचः पूर्वस्य । यद्येवमादेशो ऽविशेषितो भवति । आदेशश्च विशेषितः । कथम् । न ब्रूमो यत्पृथीनिर्दिष्टमग्रहणं तत्पञ्चमीनिर्दिष्टं कर्तव्यमिति । किं तर्ह्यन्यत्कर्तव्यम् । अन्यच्च न कर्तव्यम् । यदेवादः पृथीनिर्दिष्टमग्रहणं तस्य दिक्शब्देयोगे पञ्चमी भवति । अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भवति । कुतः पूर्वस्य । अच इति । तद्यथा । आदेशः प्रथमानिर्दिष्टः । तस्य दिक्शब्देयोगे पञ्चमी भवति । अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भवति । कुतः

ये ऐकार और औकार स्थानिभूत अच्से पूर्व नहीं हैं । आदेशकी अपेक्षा पूर्व हैं ।

परंतु ऐसा क्या विशेषण कहना आवश्यक है ?

नहीं ।

फिर वैसा नहीं बताया गया तो कैसे ज्ञात होगा ?

‘अचः’ यह पंचमी लेकर अर्थात् अच्से पूर्व ऐसा अर्थ होगा ।

परंतु अगर ‘अचः’ को पंचमी मानकर उसका अन्वय पूर्वके साथ किया तो आदेशके साथ उसका अन्वय नहीं है, ऐसा होगा ।

आदेशके साथ भी उसका अन्वय किया जा सकेगा ।

सो कैसे ?

सो ऐसे कि ‘अचः’ पद जो पृथी प्रत्यय लगाकर उच्चारित किया गया है वह पंचमी प्रत्यय लगाकर उच्चारित किया जाय ऐसा हमारा कहना नहीं है ।

तो फिर क्या पंचमी प्रत्यय लगाकर ‘अचः’ ऐसा दूसरा पद उच्चारित किया जाय ऐसा आपका कहना है ?

वैसाभी दूसरा उच्चारित नहीं करना है । जो सूत्रमें पृथी प्रत्यय लगाकर उच्चारित किया है और जिसका आदेशके साथ संबंध बन गया है उसीको पूर्व इस दिक्-शब्दको अवधिकी आर्काशा जानेपर पंचमी लगाकर पूर्वशब्दके साथ संबंध जोड़ा जा सकेगा । सो ऐसे कि परके निमित्त बना हुआ अच्के स्थानका जो आदेश है उसे स्थानिवद्भाव होता है, पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर वह पूर्व दिक्की अपेक्षा ऐसी आर्काशा जानेपर स्थानिभूत अच्की अपेक्षा पूर्व ऐसा अर्थात्ही गृहीत माना जा सकता है । निम्न प्रकार आदेश यह पद प्रथमाविभक्तिमें उच्चारित किया जाकरभी ‘पूर्व’ इस दिक्-शब्दको अवधिकी आर्काशा जानेपर उस आदेशको पंचमी लगाकर ‘पूर्व’के साथ आपने कभी संबंध दिखाया था वह ऐसा कि परके निमित्त बना हुआ अच्के स्थान का आदेश है

२२. कारण यह कि मणके ‘वि-’ का जो इकार और ‘तु-’का जो उकार है उनको ‘यन्’ करनेके पहले ये ऐकार और औकार आगम नहीं हुए थे ।

पूर्वस्य । आदेशादिति ॥

तत्रादेशलक्षणप्रतिषेधः ॥ २ ॥

तत्रादेशलक्षणं कार्यं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । वाय्वोः अध्वर्योः ।

लोपो व्योर्वलि [६.१.६६] इति यलोपः प्राप्नोति ॥ असिद्धवचनात्सिद्धम् ।
अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधिं प्रत्यसिद्धो भवतीति वक्तव्यम् ।

असिद्धवचनात्सिद्धमिति चेदुत्सर्गलक्षणानामनुदेशः ॥ ३ ॥

असिद्धवचनात्सिद्धमिति चेदुत्सर्गलक्षणानामनुदेशः कर्तव्यः । पठ्या
मृदयेति ॥ ननु चैतदप्यसिद्धवचनात्सिद्धम् ।

उसे स्थानिवद्भाव होता है, पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर । वह पूर्व किसकी अपेक्षा ऐसी आकांक्षा आनेपर आदेशकी अपेक्षा पूर्व ऐसा अर्थात् गृहीत मानना था उसी तरह यह है ।
(वा. २) तोभी आदेशके निमित्त जो कार्य प्राप्त होता है उसका निषेध कहना चाहिये ।

ऐसा स्थानिवद्भाव हुआ तो भी आदेशके निमित्त जो कार्य प्राप्त होता है उसका निषेध बताना चाहिये; उदा० - वाय्वोः, अध्वर्योः, यहाँ आदेश जो 'व'कार है उसके निमित्तसे 'लोपो व्योर्वलि' (६.१.६६) इस सूत्रसे 'य'कारका लोप होने लगेगा ।

परके निमित्तसे अच्के स्थानमें जो आदेश हुआ है वह पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर असिद्ध होता है ऐसा माना जाय ।

(वा. ३) (अच्के स्थानका आदेश पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर) असिद्ध होता है ऐसा कहनेसे इष्टसिद्धि होती है ऐसा माना जाय तो उत्सर्गके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले कार्यका अतिदेश करना होगा ।

परके निमित्तसे बना हुआ जो अच्के स्थानका आदेश है वह पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर असिद्ध होता है ऐसा करनेसे वाय्वोः, अध्वर्योः ये उदाहरण सिद्ध होते हैं ऐसा कहा जाय तो स्थानीके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले जो कार्य हैं उनका अतिदेश करना होगा । उदा० पठ्या, मृदया ।

परंतु आदेश असिद्ध होता है ऐसा कहनेसे पठ्या, मृदया, ये उदाहरण भी सिद्ध होंगे ।

२३. 'वैयाकरणः, सोवधः यहाँ स्थानिवद्भावसे आय्, आव आदेश होंगे' यह आशंका करते समय शंकाकारने यह समझ रखा था कि ये ऐकार और औकार, यकार और वकार आदेशोंको अपेक्षा पूर्व है ।

२४. कारण यह कि आदेशको स्थानिवद्भाव किया तो भी यह अर्थ निष्पन्न नहीं होता कि 'उस आदेशके अपने स्वरूपपर अवलंबित होनेवाला कार्य नहीं होगा' ।

असिद्धवचनात्सिद्धमिति चेन्नान्यस्यासिद्धवचनादन्यस्य भावः ॥ ४ ॥

असिद्धवचनात्सिद्धमिति चेत्तत्र । किं कारणम् । नान्यस्यासिद्धवचना-
दन्यस्य भावः । न ह्यन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्रादुर्भावो भवति । न हि देवदत्तस्य
हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुर्भावो भवति ॥

तस्मात्स्थानिवद्भवनासिद्धत्वं च ॥ ५ ॥

तस्मात्स्थानिवद्भावो वक्तव्यो ऽसिद्धत्वं च । पट्ट्या मृदचेत्यत्र
स्थानिवद्भावः । वाच्योः अध्वर्योरित्यसिद्धत्वम् ॥

उक्तं वा ॥ ६ ॥

किमुक्तम् । स्थानिवद्भवनानर्थक्यं शास्त्रासिद्धत्वादिति । विषम उपन्यासः ।

(वा. ४) आदेश असिद्ध होता है ऐसा कहनेसे पट्ट्या, मृदचा
आदिकी सिद्धि होती है ऐसा कहा जाय तो बताना पड़ेगा कि एकको
असिद्ध कहनेसे दूसरेकी उत्पत्ति नहीं होती ।

आदेश असिद्ध होता है ऐसा कहनेसे पट्ट्या, मृदचा, ये उदाहरण सिद्ध होंगे
ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

क्यों भला ?

क्योंकि एकको असिद्ध कहनेसे दूसरेकी उत्पत्ति नहीं होती; जैसे लोगोंमें
देवदत्तको मारनेवालेको मारनेपर देवदत्त सजीव नहीं होता ।

(वा. ५) अतः स्थानिवद्भाव कहना चाहिये और असिद्धत्वभी कहना
चाहिये ।

तात्पर्य, प्रकृत सूत्रमें आदेशको स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहना चाहिये
और आदेश असिद्ध होता है ऐसा भी कहना चाहिये । पट्ट्या, मृदचा इनके
लिये स्थानिवद्भाव बताना चाहिये और वाच्योः, अध्वर्योः, इनके लिये असिद्धत्व
बताना चाहिये ।

(वा. ६) अथवा यह वार्तिककारोंने बताया ही है ।

वह क्या बताया है ?

स्थानिवद्भवनानर्थक्यं शास्त्रासिद्धत्वात् (६।१।८६ वा. ५), अर्थात् 'स्थानिवत्'
ऐसा कहनेकी आवश्यकता नहीं है । कार्य असिद्ध होता है ऐसा अर्थ न लेता शास्त्र

२५. लघु 'पट्ट्या' में ईकारको हटाकर उसके स्थानमें जो यकार आदेश हुआ है
वह प्रकृतसूत्रमें अगिद्ध समझा गया तो भी उसके द्वारा हटाया गया जो ईकार है उसका
उद्गम नहीं होता । अतः उस ईकारके निमित्त गिछे उच्चारको य् आदेश नहीं दिया
जा सकता ।

युक्तं तत्र यदेकादेशशास्त्रं तुक्शास्त्रे ऽसिद्धं स्यात् । अन्यदन्यस्मिन् । इह पुनर-
युक्तम् । कथं हि तदेव नाम तस्मिन्नसिद्धं स्यात् । तदेव चापि तस्मिन्नसिद्धं
भवति । वक्ष्यति ह्याचार्यः । चिणो लुकि तग्रहणानर्थक्यं संघातस्याप्रत्ययत्वात्-
लोपस्य चासिद्धत्वादिति । चिणो लुक् चिणो लुक्येवासिद्धो भवति ॥

काममतिद्दिश्यतां वा सच्चासच्चापि नेह भारो ऽस्ति ।

कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्यं वक्तव्यधीनं हि ॥

अथवा वतिनिर्देशो ऽयं कामचारश्च वतिनिर्देशो वाक्यशेषं समर्थयितुम् ।

असिद्ध होता है ऐसा अर्थ लेनेसे सब उदाहरण सिद्ध होते हैं^{२६} ।

‘पट्व्या’ यहाँ यह दृष्टान्त ठीक लागू नहीं होता । क्योंकि एक आदेशशास्त्रको दूसरे तुक्शास्त्रकी दृष्टिसे असिद्ध कहना यह वहाँ योग्यही है । एक शास्त्र दूसरेकी दृष्टिसे असिद्ध हो सकेगा । परंतु यहाँ वैसा कहना ठीक नहीं होगा । पट्व्या मृद्व्या, इन स्थानोंपर यणशास्त्रकी दृष्टिसे वही यण् शास्त्र भला कैसे असिद्ध होगा ?

उसी शास्त्रकी दृष्टिसे वही शास्त्रभी असिद्ध होता है । क्योंकि आचार्य वार्तिककार आगे ऐसा कहनेवाले हैं—चिणो लुकि तग्रहणानर्थक्यम् । संघातस्याप्रत्ययत्वात् तलोपस्य चासिद्धत्वात् (६।४।१०४ वा. १) । वहाँ ‘चिणो लुक्’ यह शास्त्र उसी चिणोलुक्शास्त्रकी दृष्टिसे असिद्धही होता है^{२७} ।

(श्लोकवार्तिक) अथवा यहाँ सत्, असत्, चाहे जैसा अतिदेश कीजिये । यहाँ हमारा कोई दवाव नहीं है । वाक्य वक्तके अधीन होता है; वहाँ वाक्यशेष चाहे जैसा अपनी इच्छाकी तरह किया जा सकता है ।

अथवा यहाँ ‘स्थानिवत्’ ऐसा स्थानि-शब्दके आगे ‘वति’ प्रत्यय लगाया है । और ऐसा ‘वति’ प्रत्यय जिस स्थानपर लगाया हो उस स्थानपर उस जैसा जो लेना है

२६. शास्त्र असिद्ध गमना मदा तो वहाँ ‘स्थानी नहीं गया और आदेश नहीं आया’ यह भावना हो जानेसे ‘स्थानीके निमित्त कार्य करना, और आदेशके निमित्त आया हुआ कार्य न करना’ ये दोनों बाने आप-ही आप सिद्ध होती हैं ।

२७. कारण यह कि यह नहीं समझा जाता कि आप ही अपनेको असिद्ध होता है ।

२८. ‘पटु ई आ’ यहाँ उभारको वकार करनेवाला ‘इको यणचि’ शास्त्र भिन्न है और वही ईकारको यकार करनेवाला ‘इको यणचि’ शास्त्र भिन्न है’ यह कल्पना की गयी तो ‘इको यणचि’ की दृष्टिसे ‘इको यणचि’ शास्त्र अमिद्ध है ऐसा कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि, असिद्ध कहनेमें ‘स्थानीका कार्य होना और आदेशका कार्य न होना’ ये दोनों बाने सिद्ध होती हैं ऐसा निश्चय होता है ।

२९. ‘स्थानीका कार्य होना और आदेशका कार्य न होना’ ये दोनों ‘स्थानिवत्’ कहनेमें भी सिद्ध होती हैं यह प्रतिपादन भाष्यकार यहाँमें करते हैं ।

तद्यथा । उशीनरवन्मद्रेषु यवाः । सन्ति न सन्तीति । मानुवदस्याः कलाः । सन्ति न सन्तीति । एवमिहापि स्थानिवद्भवति स्थानिवन्न भवतीति वाक्यशेष समर्थयिष्यामहे । इह तावत्पट्ट्या मृद्व्येति यथा स्थानिनि यणादेशो भवत्येवमादेशेऽपि भवति । इहेदानीं वाय्वोः अध्वर्षोरिति यथा स्थानिनि यलोपो न भवत्येवमादेशे ऽपि न भवति ॥

किं पुनरनन्तरस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भाव आहोस्वित्पूर्वमात्रस्य । कश्चात्र विशेषः ।

अनन्तरस्य चेदेकाननुदात्तद्विगुस्वरगतिनिघातेपूपसंख्यानम् ॥ ७ ॥

अनन्तरस्येति चेदेकाननुदात्तद्विगुस्वरगतिनिघातेपूपसंख्यानं कर्तव्यम् ॥

वह अपनी इच्छानुसार लिया जा सकता है । जैसा उशीनरदेशकी तरहकी मद्रदेशमेंके यव माने जायें, ऐसा कहनेपर उशीनरदेशमें अगर यव हों तो मद्रदेशमेंभी है ऐसा ज्ञात होता है, और उशीनरदेशमें अगर यव न हों तो मद्रदेशमेंभी नहीं है ऐसा उसी वाक्यसे ज्ञात होता है । वैसेही इस लडकीमें मौंजैसाही कलाकौशल्य है ऐसा कहनेपर अगर मौंमें कलाकौशल्य हो तो लडकीमेंभी है ऐसा ज्ञात होता है, और अगर मौंमें कलाकौशल्य न हो तो लडकीमेंभी नहीं है यह उसी वाक्यसे ज्ञात होता है । उसी प्रकार, प्रकृतधूर्तमेंभी आदेश स्थानीकी तरह होता है ऐसा कहनेपर स्थानी अगर किसी कार्यका कारण हो तो आदेशभी उस कार्यका कारण होता है ऐसा ज्ञात होता है, और स्थानी अगर किसी कार्यका कारण न होता हो तो उस कार्यको आदेशभी कारण नहीं होता ऐसा ज्ञात होता है । अतः पट्ट्या, मृद्व्या, इन उदाहरणोंमें ईकार स्थानी होनेपर जैसे उसके निमित्तसे यण् आदेश होता है वैसेही उस ईकारको बना हुआ यकार आदेशभी यण् आदेशको कारणीभूत होता है । और वाय्वोः, अध्वर्योः इन स्थानोंपर स्थानी उकार जैसे यकारके लोपका कारण नहीं होता वैसेही उस उकारको बना हुआ वकार आदेशभी यकारके लोपको कारणीभूत नहीं होता ।

परंतु क्या, 'स्थानीभूत अच्की अपेक्षा पूर्वको विधि कर्तव्य होनेपर' ऐसा जो यहाँ कहा है उस स्थानपर पूर्व यह विलकुल निकटकाही लिया जाय अथवा दूरका भी चल सकेगा ?

इन दोनोंमें अंतर क्या है ?

(या. ७) अत्यन्त निकटवालेको काय कर्तव्य होनेपर ऐसा कहा जाय तो एकाननुदात्त, द्विगुस्वर और गतिनिघात इसलिये वे होते हैं ऐसा कहना चाहिये ।

' विलकुल निकटवालेकोही कार्य कर्तव्य होनेपर ' ऐसा कहा जाय तो एकाननुदात्त, द्विगुस्वर और गतिनिघात ये नहीं होंगे, इसलिये वे होते हैं

एकाननुदात्त । लुनीह्यत्र पुनीह्यत्र । अनुदात्तं पदमेकवर्जम् [६.१.१५८]
इत्येष स्वरो न प्राप्नोति ॥ द्विगुस्वर । पञ्चारत्यः दशारत्यः । इगन्तकाल
[६.२.२९] इत्येष स्वरो न प्राप्नोति ॥ गतिनिघात । यत्प्रलुनीह्यत्र यत्पुनी-
ह्यत्र । तिङि चोदात्तवति [८.१.७१] इत्येष स्वरो न प्राप्नोति ॥ अस्तु तर्हि
पूर्वमात्रस्य ।

पूर्वमात्रस्येति चेदुपधाह्रस्वत्वम् ॥ ८ ॥

पूर्वमात्रस्येति चेदुपधाह्रस्वत्वं वक्तव्यम् । वादितवन्तं प्रयोजितवान्
अवीवदद्दीणां परिवादकेन । किं पुनः कारणं न सिध्यति । यो ऽसौ णौ णिर्लुप्यते
तस्य स्थानिवद्भावाद् ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति ॥

ऐसा कहना चाहिये । लुनीह्यत्र, पुनीह्यत्र इन स्थानोंपर भी प्रत्ययमेंके उदात्त इकारको
यण् आदेश होनेपर स्थानिवद्भावसे उदात्त इकार है ऐसा मानकर पहलेके वर्णोंको
शेषनिघात (६।१।१५८) होता है, सो नहीं होगा । वैसेही पञ्चारत्यः, दशारत्यः इन
स्थानोंपर अरत्निशब्दमेंके इकारको यण् आदेश होनेपर स्थानिवद्भावसे अरत्नि ऐसा
इगन्त उत्तरपद है ऐसा मानकर पूर्वपदको जो प्रकृतिस्वर (६।२।२९) होता है वह
नहीं होगा । वैसेही ' यत् प्रलुनीह्यत्र, ' ' यत् प्रपुनीह्यत्र ' इन स्थानोंपर भी प्रत्ययमेंके
उदात्त इकारको यण् आदेश होनेपर स्थानिवद्भावसे उदात्तयुक्त तिङन्त है ऐसा
मानकर ' प्र 'को जो अनुदात्त (८।१।७१) होता है, सो नहीं होगा ।

तो फिर पूर्व (वर्ण) बिलकुल निकटका न हो तो भी चल सकेगा, ऐसीही
रहने दीजिये ।

(वा. ८) बिलकुल निकटका न होनेपरभी चलेगा ऐसा कहा जाय
तो उपधाको ह्रस्वविधान करना पड़ेगा ।

परंतु निकटका न होनेपर भी चल सकेगा ऐसा कहा जाय तो उपधाह्रस्वका
विधान करना होगा; उदा० वादितवन्तं प्रयोजितवान्—इस अर्थमें ' अवीवदत् वीणां
परिवादिकेन ' इस स्थानपर अवीवदत् यहाँ बजाना इस अर्थके णिजन्त ' वद् ' धातुसे
पुनः दूसरा ' णिच् ' प्रत्यय किया है ।

परंतु यहाँ उपधाको ह्रस्व (७।४।१) क्यों नहीं होगा ?

दूसरा णिच् आगे होते हुए यहाँ जो पहले णिच्का लोप हुआ है उसे स्थानि-
वद्भाव हुआ तो उससे व्यवधान आनेके कारण ह्रस्व नहीं होगा ।

१०. ' वाद्- ' का आकार स्थानिभूत अच्की अपेक्षा अर्थात् पहले णिच्की अपेक्षा
अत्यंत निकटवर्ती नहीं है । कारण यह कि दकारसे व्यवधान है । परन्तु अत्यंत निकटवर्ती चाहे
न हो केवल पूर्वा होना चाहिये ऐसा कहा गया तो यहीं स्थानिवद्भाव होगा ।

गुरुसंज्ञा च ॥ ९ ॥

गुरुसंज्ञा च न सिध्यति । श्लेष्माश्न पित्ताश्न दाश्च्यश्च माश्च्यश्च । हलोऽनन्तराः संयोगः [१-१०७] इति संयोगसंज्ञा संयोगे गुरु [१-४-११] इति गुरुसंज्ञा गुरोरिति प्लुतो न प्राप्नोति । ननु च यस्याप्यनन्तरस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भावस्तस्याप्यनन्तरलक्षणो विधिः संयोगसंज्ञा विधेया ॥

न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वात् ॥ १० ॥

न वैष दोषः । किं कारणम् । संयोगस्यापूर्वविधित्वात् । न पूर्वविधिः संयोगः । किं तर्हि । पूर्वपरविधिः संयोगः ॥

एकादेशस्योपसंख्यानम् ॥ ११ ॥

(वा. ९) वैसेही गुरु संज्ञाभी नहीं होगी ।

वैसेही ' पूर्व वर्ण यह विलकुल निकटका न हो तो भी च्ल सकेगा ' ऐसा कहा तो गुरुसंज्ञाभी नहीं होगी; उदा० श्लेष्मश्न, पित्तश्न, दाश्च्यश्च, माश्च्यश्च, इस स्थानपर ' हलानन्तराः संयोगः ' (१।१।७) इस सूत्रसे संयोगसंज्ञा होकर पीछेके अकारको ' संयोगे गुरु ' (१।४।११) इस सूत्रसे गुरुसंज्ञा होकर उसे ' गुरोरित्युतो ' (८।२।८६) इससे प्लुन होता है । वह पहले दो उदाहरणोंमें हन् घातुमेंके अकारके ल्येपको (६।४।९८) और आगेके दो उदाहरणोंमें यणको स्थानिवद्भाव हुआ तो संयोग आगे न होनेके कारण गुरुसंज्ञा न होनेसे प्लुन नहीं होगा ।

परंतु विलकुल निकटवालेकोही कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है ऐसा जिसका पक्ष है उसके मतमेंभी संयोगसंज्ञा विलकुल निकटवालेकोही होनेवाली होनेके कारण स्थानिवद्भावसे वह नहीं होगी । अतः वह संयोगसंज्ञा होती है ऐसा कहनाही पड़ेगा ।

(वा. १०) अथवा यह दोष नहीं आता । क्योंकि संयोगसंज्ञा पूर्ववर्णका कार्य नहीं है ।

यह दोष नहीं आता ।

क्यों ?

' संयोगस्यापूर्वविधित्वात् ' अर्थात् संयोगसंज्ञा पहले वर्णको होनेवाली विधि नहीं है ।

तो फिर संयोगसंज्ञा किसको आनेवाली है ?

पूर्व और पर इन दोनोंको मिलाकर होनेवाली है । और यहाँ पूर्वको विधि अर्थात् केवल पूर्वकोही जो विधि है सो ठिया जाता है ।

(वा. ११) एकादेशकी स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहा जाय ।

एकादेशस्योपसंख्यानं कर्तव्यम् । श्रायसौ गौमतौ चातुरौ आनडुहौ पादे उदवाहे । एकादेशे कृते नुमामौ पद्माव ऊडित्येते विधयः प्राप्नुवन्ति ॥ किं पुनः कारणं न सिध्यति ।

उभयनिमित्तत्वात् ॥ १२ ॥

अजादेशः परनिमित्तक इत्युच्यत उभयनिमित्तश्रायम् ॥

उभयादेशत्वाच्च ॥ १३ ॥

अच आदेश इत्युच्यते ऽचोश्रायमादेशः ॥ नैष दोषः । यत्तावदुच्यत उभयनिमित्तत्वादिति । इह यस्य ग्रामे नगरे वानेकं कार्यं भवति शक्नोत्यसौ

दोनोंके स्थानमें होनेवाले एकादेशको स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहा जाय । उदाहरणः—श्रायसौ, गौमतौ, चातुरौ, आनडुहौ, पादे, उदवाहे । श्रायसौ, गौमतौ, यहाँ वृद्धिरूप एकादेश (६।१।८८) करनेपर नुम् आगम (७।१।१०) प्राप्त होता है । चातुरौ, आनडुहौ, यहाँ वृद्धिरूप एकादेश करनेपर 'आम्' आगम (७।१।९८) प्राप्त होता है । पादे यहाँ गुण एकादेश (६।१।८७) करनेपर 'पद्' आदेश (६।१।१३०) प्राप्त होता है । उदवाहे यहाँ गुण एकादेश करनेपर 'ऊर्' आदेश (६।४।१३२) प्राप्त होता है । एकादेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण नुम् आदि विधि नहीं होते हैं ।

परंतु यहाँ 'अचः परस्मिन्०' इस प्रकृतसूत्रसे क्यों स्थानिवद्भाव नहीं होगा ? (वा. १२) एकादेश पूर्व और पर दोनोंके निमित्तसे हुआ होता है इसलिये ।

परके निमित्तसे बना हुआ अचके स्थानका जो आदेश है उसे स्थानिवद्भाव होता है ऐसा प्रकृतसूत्रसे बताया है । और एकादेश पूर्व और परके दोनोंके निमित्तसे हुआ होता है ।

(वा. १३) एकादेश दो स्वरोंके स्थानपर बना हुआ है इसलिये भी ।

(एक) अचके स्थानपर बने हुए आदेशको स्थानिवद्भाव होता है ऐसा प्रकृतसूत्रसे बताया है । और एकादेश तो दो अचोंके स्थानपर बना हुआ आदेश है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि एकादेश पूर्व और पर इन दोनोंके निमित्तसे बना हुआ है ऐसा जो बताया गया है सो सही है । फिरभी उसको उसमेंसे एकके निमित्तसे बना हुआ ऐसा कहा जा सकता है । देखिये, एकाध मनुष्य एकाध गाँवमें या शहरमें अनेक कार्य करनेके लिये गया हो तो वह उन अनेक कार्योंके लिये आया है

११. 'धेयम्' शब्दके आगे अण् प्रत्यय (४।३।१३) होके और 'ए'कारको 'आ'कार आदेश (७।३।१) होके 'धायस' शब्द विद्भि होता है । 'गौमन्', 'चातुर्' और 'आनडुह' शब्दोंके अण् प्रत्यय (४।३।१२०) होके और उन शब्दोंके पहले अचको इद्धि (७।३।११०) होके गौमन्, चातुर और आनडुह शब्द विद्भि होते हैं ।

ततो ऽन्यतरद् व्यपदेश्यम् । तद्यथा । गुरुनिमित्तं वसामः । अध्ययननिमित्तं वसाम इति ॥ यदप्युच्यत उभयादेशत्वाच्चेति । इह यो द्वयोः षष्ठीनिर्दिष्टयोः प्रसङ्गे भवति लभतेऽसावन्यतरतो व्यपदेशम् । तद्यथा । देवदत्तस्य पुत्रः । देवदत्तायाः पुत्र इति ॥

अथ हलचोरादेशः स्थानिवद्भवत्युताहो न । कश्चात्र विशेषः ।

हलचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्विशतेस्तिलोप एकादेशः ॥ १४ ॥

हलचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्विशतेस्तिलोप एकादेशो वक्तव्यः । विशकः विंशं शतम् विंशः ॥

स्थूलादीनां यणादिलोपेऽत्रादेशः ॥ १५ ॥

ऐसा सर्वत्र कहता नहीं फ़िरता है । कहीं कुछ बताता है, कहीं कुछ । कहीं बताता है कि मैं गुरुके लिये यहाँ रहा हूँ । कहीं कहता है मैं अध्ययनके लिये रहा हूँ ।

बैसैही दो अचोंका यह आदेश है ऐसा जो कहा है वहभी सही ही है । परंतु उसमेंके एकही स्थानीका निर्देश करनेमें कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि षष्ठी प्रत्यय लगाकर दो स्थानियोंका निर्देश करके उनके स्थानपर जो एक आदेश बताया होता है उसे उन दो स्थानियोंमेंसे किसीभी स्थानमें बना हुआ कहा जा सकता है । जैसे देवदत्ता और देवदत्त इन मोंवापके बच्चेको देवदत्तका पुत्रही कहा जाता है और देवदत्ताका पुत्रभी कहा जाता है ।

अथ हल (व्यजन) और अच् (स्वर) इन दोनोंके स्थानपर बना हुआ जो आदेश है उसे प्रकृतसूत्रसे स्थानिवद्भाव होता है या नहीं ?

इन दोनोंमें भेद क्या है ?

(वा १४) हल् और अच् इन दोनोंके स्थानपर बना हुआ आदेशको स्थानिवद्भाव होता है तो 'विंशति'शब्दके 'ति'का लोप होनेके बाद एकादेशका विधान करना पड़ेगा ।

हल् (व्यजन) और अच् (स्वर) इन दोनोंके स्थानपर बना हुआ जो आदेश है उसे स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहा जाय तो विंशकः, विंशं शतम्, विंश आदि उदाहरणोंमें 'विंशति' शब्दमेंके 'ति'का लोप (६।४।१४२) होनेके बाद उसे स्थानिवद्भाव होकर पररूप एकादेश नहीं होगा सो होता है ऐसा कहना पड़ेगा ।

(वा. १५) स्थूल, दूर आदि शब्दोंके यणको आरंभ करके अगले भागका लोप होनेपर पीछेके ओंकारको अच् आदेश कहना पड़ेगा ।

स्थूलादीनां यणादिलोपे कृते ऽवादेशो वक्तव्यः । स्थवीयान् दवीयान् ॥

केकयमित्रय्वोरियादेश एत्वम् ॥ १६ ॥

केकयमित्रय्वोरियादेश एत्वं न सिध्यति । कैकेयः मैत्रेयः । अचीत्येत्वं न सिध्यति ॥

उत्तरपदलोपे च ॥ १७ ॥

उत्तरपदलोपे च दोषो भवति । दध्युपसिक्ताः सक्तवो दधिसक्तवः । अचीति यणादेशः प्राप्नोति ॥

यङ्लोपे यणियङुवडः ॥ १८ ॥

यङ्लोपे यणियङुवडः न सिध्यन्ति । चेच्यः नेन्यः चेक्षियः चेक्रियः लोलुवः पोपुवः । अचीति यणियङुवडो न सिध्यन्ति ॥ अस्तु तर्हि न स्थानिवद् ॥

स्थवीयान्, दवीयान्, इन उदाहरणोंमें स्थूल, दूर, इन शब्दोंमेंके यणको आरंभ करके अगले भागका लोप होनेपर उसे स्थानिवद्भाव होनेके कारण पीठके ओकारको अच् आदेश नहीं होगा सो होता है ऐसा कहना पड़ेगा ।

(१६) केकय और मित्रयु शब्दोंके यकारादि भागको 'इय्' आदेश करनेपर एकार एकादेश कहना पड़ेगा ।

कैकेयः मैत्रेयः इन उदाहरणोंमें केकय और मित्रयु इन शब्दोंके यकारादि भागको 'इय्' आदेश करनेपर वह अच् आगे होनेके कारण 'आद् गुणः' (६।१।८७) से जो एकादेश एकार होता है वह 'इय्' आदेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण नहीं होगा ।

(वा. १७) उत्तरपदका लोप होनेपरभी स्थानिवद्भाव होनेसे दोष आता है । (१७)

उत्तरपदका लोप हुआ हो वहाँभी दोष आता है । उदाः दध्युपसिक्ताः सक्तवः दधिसक्तवः यहाँ उपसिक्त इस उत्तरपदका लोप होनेके बाद उसे स्थानिवद्भाव होनेसे उकार अच् आगे है ऐसा मानकर अच् आगे होनेपर बताया हुआ यण् आदेश होने लगेगा ।

(वा. १८) यङ्का लोप होनेपर यण्, इयद् और उवद् नहीं होंगे । (१८)

(वा. १८) यङ्का लोप (२।४।७) होनेपर यण् (६।४।७७) इयद् और उवद् (६।४।७७) नहीं होंगे । उदा० चेर्द्यः, नेन्यः, चेक्षियः, चेक्रियः, लोलुवः, पोपुवः इन उदाहरणोंमें यङ्के लोपको स्थानिवद्भाव हुआ तो अच् आगे होनेपर बताये हुए यण्, इयद् और उवद् ये आदेश नहीं होंगे ।

१२. वि, नी, शि, शी, ल और व इन पात्रुओंमें 'यद्' प्रत्यय (१।१।२२) लगाकर भागे 'अच्' प्रत्यय (१।१।१४) दिया है

अस्थानिवृत्त्वे यद्‌लोपे गुणवृद्धिप्रतिषेधः ॥ १९ ॥

अस्थानिवृत्त्वे यद्‌लोपे गुणवृद्धयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । लोलुवः पोपुवः सरीसृपः मरीमृज इति ॥ नैष दोषः । न घातुलोप आर्धघातुके [१-१-४] इति प्रतिषेधो भविष्यति ॥

किं पुनराश्रीयमाणायां प्रकृतौ स्थानिवृद्धत्याहोस्विदविशेषेण । कश्चात्र विशेषः ।

अविशेषेण स्थानिवृद्धिति चेल्लोपयणादेशे गुरुविधिः ॥ २० ॥

अविशेषेण स्थानिवृद्धिति चेल्लोपयणादेशयोर्गुरुविधिर्न सिध्यति । श्लेष्मा इन्न पित्ता इन्न दा इध्वश्व मा इध्वश्व । हलोऽन्तराः संयोगः [१-१-७]

तो फिर हल और अच् इन दोनोंके स्थानपर बने हुए आदेशको स्थानिवृद्धाव नहीं होता ऐसाही पक्ष रहने दीजिये ।

(वा. १९) स्थानिवृद्धाव नहीं होता ऐसा कहा जाय तो 'यद्' का लोप होनेपर उसे स्थानिवृद्धाव न होनेके कारण गुण और वृद्धि होने लगेंगे, उनका प्रतिषेध कहना पड़ेगा । (१९)

हल् और अच् इन दोनोंके स्थानपर बने हुए आदेशको स्थानिवृद्धाव नहीं होता ऐसा कहा जाय तो लोलुवः पोपुवः सरीसृपः मरीमृजः इन उदाहरणोंमें यद्‌का लोप होनेपर उसे स्थानिवृद्धाव न होनेके कारण आगेके अच् प्रत्ययको मानकर गुण (७।३।८४) और वृद्धि (७।२।१४) होने लोंगे, उनका निषेध बताना पड़ेगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि ' न घातुलोप आर्धघातुके ' (१।१।४) इस सूत्रसेही वही गुण और वृद्धि इनका निषेध पड़ेगा ।

परंतु क्या, यहाँ जो पूर्वके विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवृद्धाव करना है वह विधि स्थानीके निमित्तसेही प्राप्त होनेवाली होनी चाहिये या वैसा न हो तो चल् सकेगा ?

इन दोनोंमें क्या भेद है ?

(वा. २०) कैसीही विधि हो, स्थानिवृद्धाव होता है वैसा माना जाय तो लोप और यण् आदेश करनेपर पीछेके आकारको गुरु मानना नहीं होगा ।

कैसाभी विधि क्यों न हो, स्थानिवृद्धाव होता है ऐसा करनेपर श्लेष्म इन्न, पित्त इन्न, इन स्थानोंपर हल् घातुके आकारका लोप (६।४।९८) करनेपर द इध्वश्व म इध्वश्व इन स्थानोंपर यण् आदेश (६।१।७७) करनेपर पीछेके आकारको गुरु मानकर जो प्लुत होता है वह नहीं होगा । इन उदाहरणोंमें उस आकारके आगेके दो ध्वजनोंको ' एओऽन्तराः संयोगः ' (१।१।७) इस सूत्रसे

इति संयोगसंज्ञा संयोगे गुरु [१.४.११] इति गुरुसंज्ञा गुरोरिति प्लुतो न प्राप्नोति ॥

द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे ॥ २१ ॥

द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे वक्तव्याः । द्विर्वचनवरेयलोपेति ॥

वसलोपे लुग्वचनम् ॥ २२ ॥

वसलोपे लुग्वक्तव्यः । अदुग्ध अदुग्धाः । लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये [७.३.७३] इति ॥

इन्तैर्धत्वम् ॥ २३ ॥

संयोगसंज्ञा होती है। उसके पीछेके आकारको 'संयोग गुरु' (१।४।११) इस सूत्रसे गुरुसंज्ञा होती है। और 'गुरोरवृतः' (८।२।८६) इस सूत्रसे प्लुत होता है वह नहीं होगा।

(वा. २१) इसके सिवा आगेके सूत्रमें 'द्विर्वचन,' 'वरे,' 'यलोप' आदि शब्द रखने पढ़ेंगे। (२१)

इसके सिवा, इस स्थानिवद्भावका निषेध बतानेवाले आगेके सूत्रमें द्विर्वचन आदि अर्थात्, द्विर्वचन, वरे और यलोप ये शब्द रखने चाहिये^{३१}।

(वा. २२) वसलोप कहनेवाले 'लुग्वा दुह्' सूत्रमें 'लुक्' शब्द रखना पढ़ेंगे। (२२)

'लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये' (७।३।७३) इस सूत्रमें पीछेसे लोपपदकी अनुवृत्ति लाकर सके अकारका लोप किया तो अदुग्ध, अदुग्धाः इन उदाहरणोंमें उस अकारके लोपको स्थानिवद्भाव होनेके कारण सकारका लोप (८।२।२६) नहीं होगा। इसलिये 'लुग्वा दुहदिह' इस सूत्रमें लुक् शब्द रखना होगा।

(वा. २३) इसके सिवा, 'हन्' धातुके हकारका घ आदेश कहना पढ़ेंगे। (२३)

२१. पूर्वको विधि स्थानीके निमित्त ही प्राप्त होनेवाली चाहिये ऐसा कहा गया तो द्विर्वचन आदि विधियों स्थानीके निमित्त प्राप्त न होनेके कारण स्थानिवद्भाव होगा ही नहीं। तब यही अलग निषेध करनेकी आवश्यकता नहीं है।

२५. 'घ' का लोप कहा तो भी 'अलोन्त्यस्य' (१।१।५२) परिभाषासे अन्त्यका अर्थात् अकारका ही लोप होनेवाला है। परन्तु उह् कहा तो उसके वारमें, 'अलोन्त्यस्य' परिभाषा नहीं आती, और उह् 'घ' का उह् होता है।

हन्तेश्च घत्वं वक्तव्यम् । घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन् ॥ अस्तु तर्ह्याश्रीयमाणायां प्रकृताविति ।

ग्रहणेपु स्थानिवदिति चेज्जगध्यादिप्वादेशप्रतिषेधः ॥ २४ ॥

ग्रहणेपु स्थानिवदिति चेज्जगध्यादिप्वादेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । निराद्य समाय । अदो जग्धिर्त्यमि किति [२.४.३६] इति जग्धिमावः प्राप्नोति ॥

यणादेशे युलोपेत्वानुनासिकात्त्वप्रतिषेधः ॥ २५ ॥

यणादेशे युलोपेत्वानुनासिकात्त्वानां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ यलोप । वाय्वोः अध्वर्योः । लोपो व्योर्वलि [६.१.६६] इति यलोपः प्राप्नोति ॥ उलोप ।

(वा. २३) घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्, इन स्थानोपा हन् घातुके अकारका लोप (६।४।९८) होनेपर उसे जब स्थानिवद्भाव हो तो पीछेके हकारको घकार आदेश (७।३) नहीं होगा। वह होनेके लिये वचन करना होगा।

तो फिर स्थानीके निमित्तसे प्राप्त होनेवाली विधि कर्तव्य हो तभी स्थानिवद्भाव होता है ऐसा पक्ष रहने दीजिये।

(वा. २४) स्थानीके निमित्तसे प्राप्त होनेवाली विधि कर्तव्य हो तोही स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहा जाय तो 'जग्धि'-आदि आदेशोंका प्रतिषेध करना चाहिये। (२४)

स्थानीके निमित्तसे प्राप्त होनेवाली विधि कर्तव्य होनेपरही स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहा जाय तो जग्धि आदि आदेशोंका निषेध बताना चाहिये। निराद्य, समाय, इन उदाहरणोंमें णिच्के लोपको (६।४।५२) स्थानिवद्भाव होनेके कारण 'अदो जग्धिर्त्यमि किति' (२।४।३६) इस सूत्रसे बताया हुआ जग्धि आदेश नहीं होता। परंतु अब स्थानिवद्भाव न होनेके कारण जग्धि आदेश होने लगेगा।

(वा. २५) यण् आदेश करनेपर 'य' का लोप, 'उ' का लोप, ईकार आदेश, और अनुनासिकका 'आ' आदेश, इन कार्योंका प्रतिषेध करना चाहिये। (२५)

उसी तरह और यण् आदेश करनेपर यकारका लोप, उकारका लोप, ईकार आदेश और अनुनासिकको बताया हुआ आकार आदेश इन कार्योंका निषेध बताना चाहिये। यलोपका उदाहरण—

वाय्वोः, अध्वर्योः यहाँ 'लोपो व्योर्वलि' (६।१।६६) इससे प्राप्त यकारका लोप यण् आदेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण नहीं होता, वह अब स्थानिवद्भाव न

१५. कारण यह कि स्थानी जो णिच् है उसके निमित्त प्राप्त होनेवाला 'जग्धि' आदेश नहीं है।

अकुर्वि आशाम् अकुर्व्याशाम् । नित्यं करोतेर्ये च [६०४०१०८०१०९]
इत्युकारलोपः प्राप्नोति ॥ इत्व । अलुनि आशाम् अलुन्याशाम् । ई हल्यधोः
[६०४०११३] इतीत्वं प्राप्नोति ॥ अनुनासिकाच्च । अजज्ञि आशाम्
अजज्ञ्याशाम् । ये विभाषा [६०४०४३] इत्यनुनासिकात्त्वं प्राप्नोति ॥

रायात्वप्रतिषेधश्च ॥ २६ ॥

राय आत्वस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः । रायि आशाम् राय्याशाम् । रायो
हलि [७०२०८५] इत्यात्वं प्राप्नोति ॥

दीर्घे यलोपप्रतिषेधः ॥ २७ ॥

दीर्घे यलोपस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । सौर्ये नाम हिमवतः शृङ्गे तद्द्वान्सीर्या

होनेके कारण होने लगेगा । उकारलोपका उदाहरण— अकुर्वि आशाम् अकुर्व्याशाम् ।
यहाँ 'नित्यं करोतेः' (६।४।१०८) इस सूत्रके आगेके 'ये च' (६।४।१०९) इस
सूत्रसे बताया हुआ उकारका लोप यण् आदेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण नहीं
होता, वह अब स्थानिवद्भाव न होनेके कारण होने लगेगा । ईकार आदेशका उदाहरण—
अलुनि आशाम् अलुन्याशाम् । यहाँ 'ई हल्यधोः' (६।४।११३) इस सूत्रसे बताया हुआ
ईकार आदेश यण् आदेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण नहीं होता है, वह अब स्थानि-
वद्भाव न होनेके कारण होने लगेगा । अनुनासिकको बताये हुए आकार आदेशका
उदाहरण— अजज्ञि आशाम् अजज्ञ्याशाम् । इस स्थानपर 'ये विभाषा' (६।४।४३)
इस सूत्रसे नकारके स्थानपर बताया हुआ आकार आदेश यण् आदेशको स्थानिवद्भाव
होनेके कारण नहीं होता है, वह अब स्थानिवद्भाव न होनेसे होने लगेगा ।

(वा. २६) वैसे ही 'रे' शब्दको 'आ'कार आदेशकाभी प्रतिषेध
करना पड़ेगा । (२६)

वैसेही 'रे' शब्दको बताये हुए आत्वकाभी निषेध बताना चाहिये । रायि आशाम्
राय्याशाम् । यहाँ 'रायो हलि' (७।२।८५) इस सूत्रसे बताया हुआ आकार आदेश
यण् आदेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण नहीं होता; वह अब स्थानिवद्भाव न होनेके
कारण होने लगेगा ।

(वा. २७) वैसेही दीर्घ करनेपर 'य'कारके लोपका प्रतिषेध करना
चाहिये । (२७)

(वा. २७) वैसेही दीर्घ करनेपर यकारके लोपका प्रतिषेध बताना चाहिये ।

सौर्य नामके हिमवान् पर्वतके दो शिखर हैं । उन शिखरोंसे युक्त उस पर्वतको
'सौर्या' कहते हैं । सौर्यिन् यहाँ मुप्रत्यय आगे होनेपर 'इन्हन्' (६।४।१२) इस

१९. 'सूर्य' शब्दके आगे अण् प्रत्यय (४।३।१२) होके, अकारका लोप (१।१।१४८)
और ऊकारके वृद्धिसे ओकार (७।२।११७) होके 'सौर्य' शब्द बन गया है । उसके आगे
'इन्' प्रत्यय (५।२।११२) लगाया गया तो सौर्यिन् शब्द सिद्ध होता है ।

हिमवानिति साविनाश्रये दीर्घत्वे कृत ईति यलोपः प्राप्नोति ॥

अतो दीर्घे यलोपवचनम् ॥ २८ ॥

अतो दीर्घे यलोपो वक्तव्यः । गार्गाभ्याम् वात्साभ्याम् । दीर्घे कृत आपत्यस्य च तद्धिते ऽनाति [६-४-१५१] इति प्रतिषेधः प्राप्नोति ॥ नैष दोषः । आश्रीयते तत्र प्रकृतिस्तद्धित इति ॥ सर्वेषामेष परिहारः । उक्तं विधिग्रहणस्य प्रयोजनं विधिमात्रे स्थानिवचया स्यादनाश्रीयमाणायामपि प्रकृताविति ॥ अथवा पुनरस्त्वनिशेषेण स्थानिवदिति । ननु चोक्तमिशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयगादेशे गुरुविधिर्द्विर्वचनादयश्च कसलोपे लुग्वचनं हन्तेर्षत्व-

सूत्रसे इकारको दीर्घ करनेपर 'सूर्यतिप्य०' (६।४।१४९) इस सूत्रसे वताया हुआ यकारका लोप दीर्घको स्थानिवद्भाव होनेके कारण नहीं होता है, वह अब स्थानिवद्भाव न होनेके कारण होने लगेगा ।

(वा. २८) अकारको दीर्घ आदेश करनेपर यकारका लोप होता है ऐसा कहा जाय । (२८)

अकारको दीर्घ आदेश करनेपर यकारका लोप होता है ऐसा कहा जाय । गार्गाभ्याम् वात्साभ्याम् इन उदाहरणोंमें गार्ग्य और वात्स्य इन यञ्प्रत्ययान्त (४।१।१०५) शब्दोंसे किये हुए अण् प्रत्ययको (४।३।१२७) 'सुपि च' (७।३।१०२) इस सूत्रसे दीर्घभी होता है । यहाँ 'आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति' (६।४।१५१) इस सूत्रसे यकारका लोप होता है । दीर्घका स्थानिवद्भाव होनेके कारण 'अनाति' यह यलोपका निषेध नहीं होता । परंतु अब दीर्घको स्थानिवद्भाव न होनेके कारण अनाति यह निषेध होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि यलोप (६।४।१५१) यह तद्धित आगे होनेपर वताया हुआ होनेके कारण स्थानीके निमित्तसेही प्राप्त होनेवाला है । अतः स्थानिवद्भाव होनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अबतक दिये हुए सब दोषोंका परिहार है । वह यह है कि 'विधि' यद्यपि स्थानीके निमित्तसे प्राप्त होनेवाली न हो तो भी स्थानिवद्भाव होना चाहिये ऐसा विधि शब्दका उपयोग पहले बनायाही गया है ।

अथवा इतना प्रयत्न करनेका भी कारण नहीं है । स्थानीके निमित्तसे प्राप्त होनेवाली विधि हो या न हो, वहाँ स्थानिवद्भाव होता है ऐसा सूत्रार्थही करनेसे काम चल जायगा ।

परंतु इस पक्षपर 'अशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयगादेशे गुरुविधिः' 'द्विर्वचना-दयश्च,' 'कसलोपे लुग्वचनम्' 'हन्तेर्षत्वम्' (वा. २०-२३), ऐसे दोष दिखाये हैं न ?

मिति । नैप दोषः । यत्तावदुच्यते ऽविशेषेण स्थानिवदिति चेन्नोपयणादेशो गुरुविधिरिति । उक्तमेतत् । न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वादिति ॥ यदप्युच्यते द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे वक्तव्या इति । उच्यन्ते न्यास एव ॥ कसलोपे लुग्वचन-मिति । क्रियते न्यास एव ॥ हन्तेर्धत्वमिति । सप्तमे परिहारं वक्ष्यति ॥

न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वग्सवर्णानुस्वारदीर्घजश्चविधिषु ॥ १।१।५८ ॥

पदान्तविधिं प्राणि न स्थानिवदित्युच्यते तत्र वेतस्वानिति रुः प्राप्नोति । नैप दोषः । मसंज्ञात्र बाधिका भविष्यति तसौ मत्वर्थे [१-४-१९] इति ।

ये दोष नहीं आते । अविशेषेण स्थानिवदिति चेन्नोपयणादेशो गुरुविधिः' यह जो दोष दिया है उसका परिहारभी 'न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वात्' (वा. १०) ऐसा बताया है । वैसेही 'द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे' ऐसा जो दोष दिया है वह भी दोष नहीं आता । क्योंकि स्थानिवद्भावका निषेध बतानेवाले 'न पदान्त०' इसके आगेके सूत्रमें द्विर्वचनआदि शब्द पाणिनिनेही रसे हैं । वैसेही 'सलोपे लुग्वचनम्' ऐसा जो दोष दिया है वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि वहाँ भी 'लुग्व्वा दुह०' (६।२।७३) इस सूत्रमें लुक् शब्द पाणिनिने रखाही है । अब 'हन्तेर्धत्वम्' ऐसा जो अंतमें दोष दिया है उसका परिहार सातवें अध्यायमें (७।२।५४) बतानेवाला है ।

(सू. ५८) पदका अन्त्यावयव करना हो, द्वित्व करना हो, 'वरे' प्रत्यय आगे हो, और यलोप, स्वर, स्रर्ण, अनुस्वार, दीर्घ जश्त्व, और चर्त्व ये विधियाँ करनी हों तो पूर्वसूत्रसे पाया हुआ स्थानिवद्भाव नहीं होता । (स. ५८)

पदान्तविधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा यहाँ कहा है । तब 'वेतस्वान्' यहाँ स्वादिष्वसर्व०' (१।४।१७) इससे बताया हुई पदसंज्ञा यह पदान्त-विधि कर्तव्य होनेपर वेतसके अकारके लोपको स्थानिवद्भावका निषेध होनेके कारण वेनस् इस सकारान्तको पदसंज्ञा होकर रुत्व (८।२।३६) होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि 'तसौ मत्वर्थे' (१।४।१९) इससे बताया हुई मसंज्ञा पदसंज्ञाका बाध करेगी ।

१ पदसंज्ञा होनेसे अमुक वर्ण पदका अन्त्यावयव है यह ध्यानमें आता है । वह वर्ण यद्यपि पहलेसे ही अस्तित्वमें आया है तो भी पदसंज्ञा होनेसे ही उसको 'पदका अन्त' ऐसा कहा जाता है । तब पदसंज्ञासे पदान्तका विधान होनेके कारण पदसंज्ञाको 'पदान्तविधि' कहा जाता है । 'वेनस्' शब्दके आगे 'इमनुप्' प्र यय (४।२।८७) होके अकारका लोप (१।४।२३) हुआ है ।

अकारान्तमेतद्भसंज्ञां प्रति । पदसंज्ञां प्रति सकारान्तम् । ननु चैवं विज्ञायते यः
संप्रतिपदान्त इति । कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्योपादान एतदेवं स्यात् । अयं च
विधिशब्दो ऽस्त्येव कर्मसाधनो विधीयते विधिरिति । अस्ति भावसाधनो विधानं
विधिरिति । तत्र भावसाधनस्य विधिशब्दस्योपादान एव दोषो भवति । इह च

यह वाच नहीं होगा । क्योंकि भसंज्ञा कर्तव्य होनेपरं स्थानिवद्भावनिषेध न
होनेके कारण भसंज्ञा यह 'वेतस' इस अकारान्त शब्दको होनेवाली है । और पदसंज्ञा
'वेतस' इस सकारान्तको होनेवाली है ।

परंतु जो विधि अब पदान्तको होनेवाली है वह कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भावका
निषेध वैतल्यया है न ? अतः पदसंज्ञा यह पदान्तविवि न होनेके कारण स्थानिवद्भाव
होकर पदसंज्ञामी भसंज्ञाकी तरह 'वेतस' इस अकारान्तकोही होनेवाली है ।

इस सूत्रमेंका 'विधि' शब्द कर्मणि 'किं' प्रत्यय (३।३।९२) करके सिद्ध
किया है ऐसा गृहीत माना गया तो आपका कहना सही होगा । क्योंकि, यह विधिशब्द
विधीयते इति विधिः इस तरह कर्मणि किंप्रत्यय करकेभी साध्य किया जा सकता है ।
तात्पर्य, बनाया हुआ जो कार्य है उसे विधि कहा जा सकता है । और उस कार्यके
विधानकोभी विधि कहा जा सकता है । अतः भावे किं प्रत्यय करके विधान अर्थका
विधिशब्द यहाँ लेनेपर पदसंज्ञा यह पदान्तविवि होनेके कारण वेतस्वान् यहाँ दोष
आयेगाही । वेतेही ब्रह्मवन्त्वा, ब्रह्मवन्त्वे यहाँ पदसंज्ञा यह पदान्तविधि कर्तव्य है
इसलिये यण्का स्थानिवद्भावका निषेध होनेके कारण घकारान्त भागको पदसंज्ञा होकर
जश्ल्व (८।२।३९) होने लगेगा ।

(२) प्रकृतसूत्रके 'विधि' शब्दमें 'कि' प्रत्यय 'भाव' अर्थमें करनेके बदले 'कर्म'
अर्थमें किया तो 'विधि' शब्दका 'विधान' यही अर्थ न होकर 'त्रिगुण विधान शान्तिनिने
किया है वह' अर्थान् यण्, गुण, पदसंज्ञा इत्यादि अर्थ होता है । वह पदान्तको होता है तो
प्रकृतसूत्रसे स्थानिवद्भावका निषेध होगा । पदसंज्ञासे पदान्तका विधान यथैव होता है तो भी
'पदान्तको पदसंज्ञा होती है' ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता । तब पदसंज्ञा करना ही तो
स्थानिवद्भावका निषेध नहीं होता ।

३. 'ब्रह्मवन्धु' शब्दमें 'ऊर्' प्रत्यय (४।१।९९) लगाकर और मूर्धन्य एकादेश
(९।१।१०१) होकर ब्रह्मवन्धु शब्द सिद्ध हुआ है । आगे तृतीयाका एकवचन और चतुर्थीका
एकवचन करके ये रूप सिद्ध हुए हैं । ऊर्कारको यण् (९।१।७०) हुआ है । उग यण्को और
एकादेशको पदसंज्ञा (१।४।१७) कर्तव्य हो तो स्थानिवद्भाव न होनेसे घकारान्त भागको
पदसंज्ञा होगी । मर्दज्ञा घकारान्त अंतको प्राप्त नहीं होती इसलिए उगसे पदसंज्ञाका बाध नहीं
होता । क्योंकि मर्दज्ञा कर्तव्य ही तो यण्को और एकादेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण उगको
इतिये एकादेशके पूर्वकी रियते होनेसे 'ब्रह्मवन्धु' को उकारान्त समर्थके वद प्राप्त होगी ।

ब्रह्मबन्धा ब्रह्मबन्धै धकारस्य जश्त्वं प्राप्नोति ॥ अस्ति पुनः किञ्चिद्भावसाधनस्य विधिशब्दस्योपादाने सतीष्टं संगृहीतमाहोस्विदोपान्तमेव । अस्तीत्याह । इह कानि सन्ति यानि सन्ति कौ स्तः यौ स्त इति यो ऽसौ पदान्तो यकारो वकारो वा श्रूयेत स न श्रूयते । षडिकश्चापि सिद्धो भवति । वाचिकस्तु न सिध्यति । अस्तु तर्हि

परंतु ऐसा भावे 'कि' प्रत्यय करके सिद्ध किया हुआ विधिशब्द यहाँ लेनेमें क्या कोई इष्ट साध्य होता है? या दोष देनेमात्रके लिये वैसा विधि शब्द लिया गया है?

हमारा कहना है कि इष्ट साध्य होता है। देखिये कानि सन्ति, यानि सन्ति, कौ स्तः, यौ स्तः ये जो मूलके उदाहरण है उन स्थानोंपर यण् और आव् आदेश होकर पदान्त जो यकार या वकार सुननेमें आनेवाला है वह सुननेमें नहीं आता। क्योंकि, यकार और वकार इस पदान्तका विधान कर्तव्य होनेके कारण अकारके लोपका (६।४।१११) स्थानिवद्भावका निषेध होता है। इस तरह मूलके उदाहरण सिद्ध करके षडिकः यह उदाहरणभी सिद्ध होता है।

परंतु भावे कि प्रत्यय करके सिद्ध किया हुआ शब्द लिया तो वाचिक उदाहरण सिद्ध नहीं होता।

४ कर्मके अर्थमें 'कि' प्रत्यय लेके सिद्ध होनेवाले। यहाँ 'सन्ति' और 'सत' क्रियापदोंके 'अस्' धातुके अकारका जो लोप (६।१।१११) हुआ है वह स्थानिवद्भाव हुआ तो पाठके इकारको यण् (६।१।७७) और औकारको आव् (६।१।७८) आदेश होगा। परन्तु पदान्त इकार और औकारको यण् और आव् आदेश ये विधियाँ कर्तव्य होनेसे स्थानिवद्भाव नहीं होता।

५ तब 'विधि' शब्दमें 'कि' प्रत्यय 'भाव' अर्थमें लिया तो भी 'कानि सन्ति', 'कौ स्त' ये उदाहरण सिद्ध होते हैं।

६ षड्गुलिदत्त और वागाशीर्दत्त ये दोनों सामासिक शब्द मनुष्यवेशेपके नाम हैं। 'पप्' इस पूर्वपदके अन्त्य पकारको जश्त्वंसे ङकार (८।२।३९) हुआ है। तथा 'वाच्' के चकारको कुं वसे (८।२।३०) फकार होके जश्त्वंसे (८।२।३९) गकार हुआ है। षड्गुलिदत्त और वागाशीर्दत्तको ठञ् प्रत्यय (५।३।७८), उसको इक आदेश (७।३।५०), पूर्व शब्दके दूसरे अच्के अगले भागका लोप (५।३।८३), तदनन्तर दूसरे अच्का लोप (६।४।१४८) होके 'षडिक' और 'वाचिक' शब्द बनते हैं। 'षडिक' में मसंज्ञा कर्तव्य हो तो अकारके लोपको स्थानिवद्भाव होनेके कारण मसंज्ञा 'पप' अकारान्तको प्राप्त होती है इसलिए उससे पदसंज्ञाका बाध नहीं होता। कारण यह कि 'विधि' शब्दमें 'कि' प्रत्यय 'भाव' अर्थमें लिया जानेसे पदसंज्ञा कर्तव्य हो तो स्थानिवद्भावका निषेध होता है। अतः पदसंज्ञा अकारान्त 'पप' को न होके पकारान्त 'पप्' को प्राप्त होती है। उस पदसंज्ञा जश्त्वं होके 'षडिक' उदाहरण सिद्ध होता है।

कर्मसाधनः । यदि कर्मसाधनः पटिको न सिध्यति । अस्तु तर्हि भावसाधनः । वाचिको न सिध्यति । वाचिकपटिको न संवदेते । कर्तव्यो ऽत्र यत्नः ॥ कथं ब्रह्मवन्ध्वा ब्रह्मवन्ध्वे । उभयत आश्रयणे नान्नादिवदिति ॥ कथं वेतस्वान् । नैवं विज्ञायते पदस्यान्तः पदान्तः पदान्तविधिं प्रतीति । कथं तर्हि । पदे ऽन्तः

तो फिर वाचिकः उदाहरण सिद्ध करनेके लिये कर्मणि कि प्रत्यय करके साध्य किया हुआ विधिशब्दही यहाँ रहने दीजिये ।

परंतु कर्मणि 'कि' प्रत्यय करके सिद्ध किया हुआ विधिशब्द यहाँ लिया गया तो पटिकः यह उदाहरण सिद्ध नहीं होता ।

तो फिर पटिकः यह उदाहरण सिद्ध करनेके लिये भावे 'कि' प्रत्यय करके साध्य किया हुआ विधिशब्दही यहाँ रहने दीजिये ।

परंतु वैसा लिया तो 'वाचिकः' यह उदाहरण सिद्ध नहीं होता ।

वाचिक और पटिक इन दो उदाहरणोंमें एक दूसरेके बीच उत्पन्न हो गया विरोध जिस रीतिसे नष्ट हो ऐसा यत्न यहाँ किया जाय । वह यत्न याने भावसाधन विधिशब्द लेकर 'पटिकः' उदाहरण सिद्ध किया जाय, और 'वाचिकः' इस उदाहरणमें आशीर्दत्तः इस उदाहरणका लोप किया कि स्थानिवद्भावही प्राप्तिही नहीं आती ।

भावसाधन विधिशब्द लिया गया तो ब्रह्मवन्ध्वा, ब्रह्मवन्ध्वे ये उदाहरण कैसे सिद्ध किये जायें ?

'उभयत आश्रयणे नान्नादिवत्' अर्थात्, एकही विधि कर्तव्य होनेपर पूर्वान्त-वद्भाव और परादिवद्भाव (६।१।८५) ये दोनों एकसाथ नहीं होते ऐसी परिभाषा है । इसलिये ब्रह्मवन्धु यहाँ सवर्ण दीर्घ एकदेश होनेपर परादिवद्भावसे स्वादिप्रत्यय और पूर्वान्त-वद्भावसे स्वादिप्रत्यय जिससे किया वह प्रकृतिभाग ये दोनों बातें एकसाथ न ही जा सकनेके कारण पदगुंजा (१।४।१७) नहीं होती ।

भावसाधन विधिशब्द लिया तो वेतस्वान् उदाहरण कैसे सिद्ध होगा ?

पदका जो अन्त है वही पदान्त है । पदान्तका जो विधि है वही पदान्तविधि है । वह पदान्तविधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा पदान्तविधि का अर्थ न समझा जाय ।

तो फिर उसका अर्थ कैसे समझा जाय ?

पद आगे होनेपर जो अंत है वही पदान्त है । पदान्तका जो विधि है वही

७. 'एकाक्षरपूर्वदानानुत्तरपरत्वेऽपि दशम्यः' (५।१।८४ वा ४) काहिं वने उन्तर-पदका लोप कहा है ।

पदान्तः पदान्तविधिं प्रतीति ॥ अथवा यथैवान्यान्यपि पदकार्याण्युपप्लवन्ते रुत्वं जश्त्वं चैवमिदमपि पदकार्यमुपप्लोप्यते । किम् । भसंज्ञा नाम ॥

वरे यलोपविधिं प्रति न स्थानिवद्भवतीत्युच्यते तत्र ते अप्सु यायावरः प्रवपेत पिण्डान् अवर्णलोपविधिं प्रति स्थानिवत्स्यात् । नैष दोषः । नैवं विज्ञायते वरे यलोपविधिं प्रति न स्थानिवद्भवतीति । कथं तर्हि । वरे ऽयलोपविधिं प्रतीति । किमिदमयलोपविधिं प्रतीति । अवर्णलोपविधिं प्रति यलोपविधिं च प्रतीति ॥

पदान्तविधि है। वह पदान्तविधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा उसका अर्थ समझा जाय।

अथवा पदान्तविधि कहनेपर रुत्व, जश्त्व, इत्यादि पदकार्य जैसे मनमे आते है वैसेही यह भी पदकार्य के रूपमेंही मनमें आयेगा।

सो कौनसा ?

भसंज्ञा ही वह पदकार्य है। अतः भसंज्ञा कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भावनिषेध होनेके कारण वेतस्वान् आदि स्थानोंपर दोष नहीं आता।

‘वर’ प्रत्ययके निमित्तसे यकारका लोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा यहाँ कहा है। अतः ‘अप्सु यायावरः प्रवपेत पिण्डान्’ यहाँ ‘यायाय’ इस यङन्त ‘या’ धातुसे ‘वर’प्रत्यय (३।२।१७३) करनेपर अकारका लोप (६।४।४८) और यकारका लोप (६।१।६६) होनेपर आकारका लोप (६।४।६४) कर्तव्य होनेपर अकारके लोपको स्थानिवद्भाव होगा और उससे आकारका लोप होने लगेगा।

यह दोष नहीं आता। वरप्रत्ययके निमित्तसे यलोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा अर्थ यहाँ न समझा जाय ?

तौ फिर कैसा अर्थ समझा जाय।

वरप्रत्यय आगे होनेपर जो ‘अयलोपविधि’ वह कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा अर्थ समझा जाय।

‘अयलोपविधि’ का अर्थ क्या है ?

८. तत्र ‘वेतस्वान्’ में अगला प्रत्ययभाग पद न होनेके कारण पदसंज्ञा कर्तव्य हो तो भी स्थानिवद्भावका निषेध नहीं होता। अतः ‘वेतस्’ को पदसंज्ञा नहीं होती।

९. भसंज्ञा केवल पदकार्यका निषेध करनेके लिए होती है। अतः भसंज्ञा भी एक विशिष्ट प्रकारका पदकार्य है। तत्र ‘कानि सन्ति’ यहाँ जिन प्रकार ‘अस्’ धातुके अकारके लोपको स्थानिवद्भावका निषेध करके ‘यण्-’ का अर्थात् पदान्तविधिकी प्रतिबंध होता है उसी प्रकार ‘वेतस्वान्’, और ‘ब्रह्मब्रह्मन्वा’ यहाँ स्थानिवद्भावका निषेध करके सकारान्तको भसंज्ञा करके ‘रुत्व’ आदि पदान्तविधिकी प्रतिषेध होता है ऐसा समझा जाय।

अथवा योगविभागः करिष्यते । वरे लुभं न स्थानिवत् । ततो यलोपविधिं च प्रति न स्थानिवदिति ॥ यलोपे त्रिमुदाहरणम् । कण्डूभूतेरप्रत्ययः कण्डूरिति । नेतदस्ति । कौ लुभं न स्थानिवत् ॥ इदं तर्हि । सौरी बलाका । नेतदस्ति । उपधात्वविधिं प्रति न स्थानिवत् ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । आदित्यः । नेतदस्ति । पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् ॥ इदं तर्हि । कण्डूतिः बलातिः । नेतदस्ति प्रयोजनम् ।

अकारका लोप कर्तव्य होनेपर और यकारका लोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा उसका अर्थ है ।

अथवा, यहाँ वरे और यलोप ऐसे दो स्थानिवद्भावके निषेधके अलग अलग निमित्त समझे जायें, जिससे वर प्रत्यय आगे होनेपर वने हुए लोपको कोईभी कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता और यकारका लोप कर्तव्य होनेपर कहींभी स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

यकारके लोपका उदाहरण कौनसा है ?

‘कण्डूः’ यही उसका उदाहरण है । यहाँ ‘कण्डूय’ इस यङ्- (१।१।२७) प्रत्ययान्त धातुसे ‘किप्’ प्रत्यय किया है । यहाँ अकारके लोपको (६।४।४८) स्थानिवद्भाव न होनेके कारण यकारका लोप (६।१।६६) होता है ।

यह उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि ‘कौ लुभं न स्थानिवत्’ अर्थात् कि आगे होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा ‘त्रिलुगुपधात्व’ (वा. २) इस वचनसेही यह सिद्ध है ।

तो फिर यकारके लोपका उदाहरण ‘सौरी बलाका’ लीजिये । यहाँ सूर्यशब्दसे अणु प्रत्यय (४।३।११२) करके आगे डीप् (४।१।१५) प्रत्यय किया है । यहाँ सूर्यशब्दके अकार और अणु प्रत्ययका अकार इन दोनों अकारोंके लोपको (६।४।४८) स्थानिवद्भावका निषेध होनेपर आगेके ‘जा’ कारका लोप असिद्ध (६।४।१४८) होनेके कारण उपग-यकारका लोप (६।४।१४९) होता है ।

यह उदाहरण भी ठीक नहीं है । क्योंकि ‘उपधा सज्ञाके कारण होनेवाली विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता’ (वा. २) इस वचनसेही यह सिद्ध होता है ।

तो फिर ‘आदित्यः’ यह उदाहरण लीजिये । अदिति शब्दसे देवताके अर्थमें ण्य प्रत्यय (४।१।८५) करके बादमें पुनः ‘तत्र भवः’ अर्थमें ण्य प्रत्यय (४।१।८५) किया है । यहाँ पहले ण्य प्रत्ययके अकारके लोपको (६।४।४८) स्थानिवद्भाव न होनेके कारण पीछेके यकारको ‘हलो यमा०’ (८।४।६४) इससे लोप हुआ है ।

यह उदाहरण भी ठीक नहीं है । क्योंकि ‘त्रिषाशीमेंका कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता’ (वा. ३) इस वचनसेही यह सिद्ध होता है ।

कण्डूया वल्गुयेति भवितव्यम् ॥ इदं तर्हि । कण्डूयतेः क्त्विच् । ब्राह्मणकण्डूतिः क्षत्रियकण्डूतिः ॥

प्रतिषेधे स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत् ॥ १ ॥

प्रतिषेधे स्वरदीर्घयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवद्भवतीति वक्तव्यम् ॥ स्वर । आकर्षिकः चिकीर्षिकः जिहीर्षिकः । यो ह्यन्य आदेशः स्थानिवदेवाप्तौ भवति । पञ्चारत्न्यः दशारत्न्यः । स्वर ॥ दीर्घ । प्रतिदीन्वा प्रतिदीन्वे । यो ह्यन्य

तो फिर 'कण्डूतिः' 'वल्गूतिः' ये उदाहरण लीजिये । यहाँ 'कण्डूय' इस यक्-प्रत्ययान्त धातुसे क्त्विच् प्रत्यय (३३।९४) किया है । यहाँ अकारके लोपको स्थानिवद्भाव न होनेके कारण यकारका लोप होता है ।

यह उदाहरण भी ठीक नहीं है । क्योंकि यहाँ क्त्विच् प्रत्ययका बाध करके 'अ'प्रत्यय (३३।१०२) होकर कण्डूया वल्गूया ऐसेही उदाहरण होनेवाले हैं ।

तो फिर कण्डूय इस यक्-प्रत्ययान्त धातुसे क्त्विच् प्रत्यय (३३।१७४) करके सिद्ध किये हुए ब्राह्मणकण्डूतिः क्षत्रियकण्डूतिः ये उदाहरण यलोपके लिये जायें ।

(वा. १) यह स्थानिवद्भाव-प्रतिषेधके वारोंमें स्वर, दीर्घ और यकारका लोप कर्तव्य होनेपर अजादेशको स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा जो कहा है वह अजादेश लोप होगा तभी स्थानिवद्भावका निषेध होता है ऐसा कहा जाय । (१)

(वा. १) स्थानिवद्भावका निषेध बतानेवाले इस सूत्रमें स्वर, दीर्घ और यलोप कर्तव्य होनेपर अजादेशको स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा जो कहा है वह अजादेश लोप होगा तभी स्थानिवद्भावका निषेध होता है ऐसा कहा जाय । स्वरका उदाहरण आकर्षिकः चिकीर्षिकः जिहीर्षिकः । इन उदाहरणोंमें क्त्विच् स्वर (६।१।१९३) कर्तव्य होनेपर बीचमें बने हुए 'आ'कारके लोपका स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

जिस स्थानपर लोपसे भिन्न अर्थात् भावरूप आदेश होगा वहाँ स्वर कर्तव्य होनेपर उसे स्थानिवद्भाव होगाही । उदाहरणः— पञ्चारत्न्यः दशारत्न्यः । इन स्थानोंपर

१०. 'आकर्ष' शब्दको 'छल्' प्रत्ययको (४।४।९), 'इक्' आदेश (७।३।६०), और पिछले अकारका लोप (६।४।१४८) हुआ है । चिकीर्ष इस सन्प्रत्ययान्त कृ धातुके आगे और जिहीर्ष इस सन्प्रत्ययान्त ह धातुके आगे ण्वुल् प्रत्ययको (३।१।१३३) अक् आदेश (७।१।१), और पीछेके अकारका लोप (६।४।४८) हुआ है ।

११. 'पञ्चारत्नि' द्विगुसमासके आगे प्रथमा-बहुवचनका जस् प्रत्यय किया है । 'जसादिपु०' (७।३।१०९ वा. १) से गुणका विकल्प किया है ।

आदेशः स्थानिवदेवासी भवति । क्रियोः गियोः । दीर्घ ॥ यलोप । ब्राह्मण-
कण्डूतिः क्षत्रियकण्डूतिः । यो हान्य आदेशः स्थानिवदेवासी भवति । वाच्योः
अच्यव्योरिति ॥ तत्तर्हि वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् । इह हि लोपो ऽपि प्रकृत
आदेशो ऽपि विधिग्रहणमपि प्रकृतमनुवर्तते दीर्घादयो ऽपि निर्दिश्यन्ते । केवल
तत्राभिसंबन्धमात्रं कर्तव्यम् । स्वरदीर्घयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवदिति ।
आनुपूर्व्येण संनिविष्टानां यथेष्टमभिसंबन्धः शक्यते कर्तुं न चैतान्प्राणपूर्व्येण

यण् आदेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण इगन्त उत्तरपद हे इसलिये पूर्वपदको प्रकृतिस्वर
(६।२।२९) होता है । दीर्घका उदाहरण :- प्रतिदीर्घां, प्रतिदीर्घे । यहाँ 'अ'कारके
लोपको (६।४।१३४) स्थानिवद्भाव न होनेके कारण हल् आगे हे इसलिये दिव् दातुकी
उपगको दीर्घ (८।२।७७) होता है । जिस स्थानपर लोपसे भिन्न अर्थात् भावरूप
आदेश होगा वहाँ उसे दीर्घ कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होगाही । उदाहरण :- "क्रियोः
गियोः । यहाँ यण् आदेशको स्थानिवद्भाव होनेके कारण हल् आगे नहीं हे इसलिये दीर्घ
(८।२।७७) होता । यलोपका उदाहरण । ब्राह्मणकण्डूतिः क्षत्रियकण्डूतिः । जिस स्थानपर
लोपसे भिन्न अर्थात् भावरूप आदेश होगा वहाँ उसे यलोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव
होगाही । उदाहरण :- वाच्योः, अच्यव्योः ।

तो फिर स्वर, दीर्घ और यलोप इनके विषयमें वैसा वचन करना चाहिये ।
वैसा वचन करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि इस प्रकृतसूत्रमें लोपशब्द हे
ही । और आदेश शब्दकी अनुवृत्ति आती है और विधिशब्दकी भी अनुवृत्ति आती है ।
स्वर, दीर्घ, यलोप ये तो प्रकृतसूत्रमें उच्चारित किये ही हैं । केवल उनका संबंध करना
हे वह स्वर, दीर्घ, यलोप ये कर्तव्य होनेपर लोपरूप अजादेशकोही स्थानिवद्भाव नहीं
होता ऐसा किया जाना पर्याप्त होगा ।

परंतु एक प्रकारके विशेष क्रमसे उच्चारित पदोंका अपनी इच्छाके अनुसार संबंध
कर सकना संभव है । और ये पदको यहाँ वैसे क्रमसे उच्चारित नहीं दिखाई देते ।

१२. 'प्रति' - उपसर्गपूर्वक 'दिव्' घातुके आगे कनिन् प्रत्यय (शौगादिह १।१।५४)
करके प्रतिदिवन् शब्द बनाया गया है । टगुके आगे नृनीया एकवचनका 'टा' प्रत्यय तथा
चतुर्थी एकवचनका 'टे' प्रत्यय किया है ।

१३. 'कृ' और 'गृ' घातुओंके आगे 'इ' प्रत्यय (टणा० १।१।४२) और घातुके
ङकारको 'इत्' (७।१।१००) होके 'द्विरि' और 'त्वि' शब्द छिद्र हुए हैं । उनके
आगे पठे-द्विवचनका 'भो' प्रत्यय किया है ।

१४. 'वायु' और 'अच्यव्यु' शब्दोंके आगे 'द्ये' प्रत्यय और टकारको दग् दकार
(१।१।७७) हुआ है । उध यन्को स्थानिवद्भाव होनेके कारण आगे 'व' मही ऐसा
घनमके मकारका स्थान (१।१।६६) नहीं होता ।

संनिविधानि । अनानुपूर्व्येणापि संनिविधानां यथेष्टमभिसंबन्धो भवति । तद्यथा । अनङ्गाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीरिति । तस्य यथेष्टमभिसंबन्धो भवति । उदहारि भगिनि या त्वं कुम्भं हरसि शिरसानङ्गाहं साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीरिति ॥

किलुगुपधात्वचङ्परनिर्हासकुत्वेपूपसंख्यानम् ॥ २ ॥

किलुगुपधात्वचङ्परनिर्हासकुत्वेपूपसंख्यानं कर्तव्यम् ॥ कौ किमुदाहरणम् । कण्डूयतेरप्रत्ययः कण्डूरिति । नैतदस्ति । यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् ॥ इदं तर्हि । पिपठिपतेरप्रत्ययः पिपठीः । नैतदस्ति । दीर्घविधिं प्रति न स्थानिवत् ॥

वैसे विशेष प्रकारके क्रमसे पद उच्चारित न हो तो भी उनका अपनी इच्छाकी तरह संबंध किया जा सकता है। जैसे बैलको, पानी लानेवाली, जो, तू, लाती है, मस्तकसे, गागर, भगिनी, टेढा-मेढा दौडनेवाले, देखने लगी? ऐसे पद यद्यपि उच्चारित किये हों तो भी उनका अपनी इच्छाके अनुसार संबंध जोड़ दिया जा सकता है, सो इस तरह है 'हे पानी लानेवाली भगिनी, जो तू मस्तकसे गागर लाती है, वह तू टेढा मेढा दौडनेवाले बैलको देखने लगी ?'

(वा. २) क्तिप् प्रत्यय करनेपर, लुक्को, उपधासंज्ञानिमित्तक कार्यको, चङ्पर णि आगे होनेपर होनेवाला ह्रस्वको, और कुत्वाविधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भावका प्रतिषेध कहा जाय । (२)

क्तिप् प्रत्यय करनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता । लुक्को स्थानिवद्भाव नहीं होता और उपधासंज्ञाके निमित्तसे होनेवाला कार्य, चङ्पर णि आगे होनेपर होनेवाला ह्रस्व और कुत्वाविधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

क्तिप् प्रत्यय आगे होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता इसका उदाहरण कौनसा है । कण्डूय इस यगन्त धातुसे क्तिप् प्रत्यय करनेपर कण्डूः ऐसा रूप होता है, यहाँ अकारके लोपको (६।४।४८) स्थानिवद्भाव न होनेके कारण यकारका लोप (६।१।६६) होता है।

यह उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि 'यकारका लोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता' ऐसा इस प्रकृतसूत्रमेंही कहा है । उसीसे यह सिद्ध होता है ।

तो फिर 'पिपठीः' उदाहरण लीजिये । यहाँ पिपठिप् इस सन्प्रत्ययान्त धातुसे क्तिप् प्रत्यय किया है । यहाँ अकारके लोपको (६।४।४८) स्थानिवद्भाव न होनेसे दीर्घ (८।२।७६) होता है ।

यह उदाहरण भी ठीक नहीं है । क्योंकि दीर्घ कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा इस प्रकृत सूत्रमेंही कहा है, उसीसे यह सिद्ध होता है ।

इदं तर्हि । लावयतेर्लोः पावयतेः पीः । नैतदस्ति । अकृत्वा वृद्ध्यावादेशो णिलोपः । प्रत्ययलक्षणेन वृद्धिर्भविष्यति ॥ इदं तर्हि । लवमाचटे लवयति । लवयतेरप्रत्ययो लोः पीः । स्थानिवद्भावाणेरूपेण प्राप्नोति । कौ लुप्तं न स्थानिवदिति भवति ॥ एवमपि न सिध्यति । कथम् । कौ णिलोपो णावकारलोपस्तस्य स्थानिवद्भावादूपेण प्राप्नोति । नैव दोषः । नैवं विज्ञायते कौ लुप्तं न स्थानिवदिति । कथं तर्हि । कौ विधिं प्रति न स्थानिवदिति ॥ लुकि किमुदाहरणम् । विम्बम्

तो फिर लोः और पीः उदाहरण लीजिये । यहाँ लू और पू इस णिच्-प्रत्ययान्त धातुओंसे किप् प्रत्यय किया है । यहाँ णिच्के लोपको (६।४।५१) स्थानिवद्भाव न होनेके कारण ऊर् (६।४।१९) हुआ है ।

येभी उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि लू और पू इन धातुओंको वृद्धि, आवादेश करनेके पहलेही णिच् प्रत्ययका लोप होता है । उसके बाद प्रत्ययलक्षणसे वृद्धि (७।२।११५) करनेपर ये उदाहरण सिद्ध होते हैं ।

तो फिर लोः यही उदाहरण दूसरे प्रकारका लीजिये । इस स्थानपर 'ल्व' शब्दसे णिच् प्रत्यय करके आगे किप् प्रत्यय किया है । यहाँ अकारके लोपको (६।४।१५५) और णिच्के (६।४।५१) लोपको स्थानिवद्भाव हुआ तो ऊर् आदेश नहीं होगा । परंतु 'किप् प्रत्यय आगे होनेपर वने हुए लोपको स्थानिवद्भाव नहीं होता' इस निषेधसे स्थानिवद्भाव न होनेके कारण ऊर् आदेश होता है ।

तो भी यह उदाहरण सिद्ध नहीं होता ।

सो क्यों ?

यहाँ किप् प्रत्यय आगे होनेपर णिच् प्रत्ययका लोप हुआ है और णिच् आगे होनेपर 'अ' कारका लोप हुआ है । उस अकारके लोपको स्थानिवद्भाव होगाही और उससे ऊर् नहीं होगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि 'किप् प्रत्ययके निमित्तसे वने हुए लोपको स्थानिवद्भाव नहीं होता' ऐसा इस वार्तिकमेंके 'कि' शब्दका अर्थ न समझा जाय । तो 'किप्' प्रत्ययके निमित्तसे होनेवाला जो विधि है वह कर्तव्य होनेपर किसीभी लोपको स्थानिवद्भाव नहीं होता' ऐसा अर्थ समझा जाय ।

लुक्को स्थानिवद्भाव नहीं होता इसका उदाहरण कौनसा है ?

१५. 'ख' और 'पू' धातुओंको 'वृद्धि' (७।२।११५) और ऊर् (६।४।१८) होनेके बाद ल्व वकारको किप् प्रत्यय आगे आनेके कारण ऊर् आदेश होनेके वृद्धि और एकारदेश (६।४।८५) हुए हैं और लो और पी शब्द सिद्ध होते हैं । 'लिप्' के लोपको स्थानिवद्भाव हो जाता तो कीबमें स्वयंपात आनेसे ऊर् आदेश न होगा ।

बदरम् । नैतदास्ति । पुंवद्भावेनाप्येतत्सिद्धम् ॥ इदं तर्हि । आमलकम् । एतदस्ति नास्ति । वक्ष्यत्येतत् । फले लुग्वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तरत्वादिति ॥ इदं तर्हि पञ्चभिः पट्वीभिः क्रीतः पञ्चपटुः दशपटुरिति । ननु चैतदपि पुंवद्भावेनैव सिद्धम् । कथं पुंवद्भावः । भस्याढे तद्धिते पुंवद्भवतीति । भस्येत्युच्यते यजादौ च भं भवति न चात्र यजादिं पश्यामः । प्रत्ययलक्षणेन यजादिः । वर्णाश्रये नास्ति प्रत्यय-

बिम्बम्, बदरम्, ये उसके उदाहरण हैं । यहाँ बिम्ब + ई, बदर + ई, इन डीष्प्रत्ययान्त शब्दोंसे आगे किये हुए अञ् (४।३।१४०) प्रत्ययका लुक् (४।३।१६३) होनेपर डीष् प्रत्ययकाभी लुक् (१।२।४९) हुआ है । उस लुक्को स्थानिवद्भाव न होनेके कारण पीछेके अकारका लोप (६।४।१४८) नहीं होता ।

यह उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि 'भस्याढे तद्धिते' (६।३।३५ वा. ११) इस वार्तिकसे पुंवद्भाव करनेसेभी ये उदाहरण सिद्ध होते हैं ।

तो फिर 'आमलकम्' उदाहरण लीजिये । (यहाँ आमलक + ई इस डीष्प्रत्ययान्त शब्दसे आगे किये हुए मयट् (४।३।१४४) प्रत्ययका लुक् (४।३।१६३) होनेके बाद डीष् प्रत्ययकाभी लुक् हुआ है । उस लुक्को स्थानिवद्भाव न होनेके कारण पीछेके अकारका लोप नहीं होता । भसंज्ञा न होनेके कारण पुंवद्भावसे यह उदाहरण सिद्ध नहीं होता ।)

यह भी उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि 'फले लुग्वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तरत्वाद्' ऐसा वहाँ (४।३।१६३ वा. १) वार्तिककार कहनेवाले है ही ।

तो फिर पञ्चभिः पट्वीभिः क्रीतः पञ्चपटुः दशपटुः ये उदाहरण लीजिये । पञ्चपटु + ई इन डीष्-(४।३।१४४) प्रत्ययान्त शब्दसे किये हुए ठक् (५।१।१९) प्रत्ययका लुक् (५।१।२८) होनेपर डीष् प्रत्ययकाभी लुक् हुआ है । उस लुक्को स्थानिवद्भाव न होनेसे उकारको यण् नहीं होता ।

परंतु यह उदाहरण भी पुंवद्भावसे सिद्ध होता है ।

यहाँ पुंवद्भाव कैसा होगा ? क्योंकि 'ढ प्रत्ययको छोड़ तद्धित प्रत्यय आगे होनेपर भसंज्ञकको पुंवद्भाव होता है' ऐसा वहाँ (६।३।३५ वा. ११) भसंज्ञकको पुंवद्भाव बताया है । भसंज्ञा (१।४।१८) यजादि प्रत्यय आगे होनेपर होती है और यहाँ तो यजादि प्रत्यय कोई भी नहीं दिखाई देता ।

परंतु प्रत्ययलक्षणसे यजादिप्रत्यय आगे है ऐसों भी कहा जा सकता है ।

१६. बिम्बोके फलको बिम्ब कहते हैं, और बदरीके फलको बदर कहते हैं । बिम्बी अर्थात् कंदूरी, बदरी अर्थात् बेरका पेड़ ।

१७. 'ठक्' प्रत्ययको 'डक' आदेश होनेके बाद उसका लुक् हुआ है । तब प्रत्यय-लक्षणसे अजादिप्रत्यय आगे है ऐसा समझा जा सकता है ।

लक्षणम् । एवं तर्हि ठक्छसोश्चेत्येवं भविष्यति । ठक्छसोश्चेत्युच्यते न चात्र ठक्छसो पश्यामः । प्रत्ययलक्षणेन । न लुमता तस्मिन्निति प्रत्ययलक्षणस्य । प्रतिषेधः ॥ न खल्वप्यवश्यं ठगेव क्रीतप्रत्ययः क्रीतावर्था एव वा तद्धिताः । किं तर्हि । अन्येऽपि तद्धिता ये लुक् प्रयोजयन्ति । पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति पञ्चेन्द्रः दशेन्द्रः पञ्चामिः दशामिः ॥ उपधात्वे किमुदाहरणम् । पिपठिपतेरप्रत्ययः

‘वर्णाग्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्’ (सू. १।१।६२ महाभाष्य) अर्थात् वर्णके निमित्तसे कार्यं कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता ।

तो फिर ‘ठक्छसोश्च’ (६।३।३५ वा. १२) इस वार्तिकसे वहाँ पुंवदभाव होगा ।

परंतु उस स्थानपर ठक् या छस् आगे होनेपर वह पुंवदभाव बताया गया है । और यहाँ तो ठक् या छस् इन प्रत्ययोंमें कोई नहीं दीखता ।

प्रत्ययलक्षणसे ठक् प्रत्यय आगे है ऐसा कहा जा सकता है ।

‘न लुमता तस्मिर्द्’ (१।१।६३ वा. १५) इस वार्तिकसे प्रत्ययलक्षणका निषेध होता है ।

इसके अतिरिक्त सचमुच क्रीत अर्थमें एक ठक् प्रत्ययही है सो बात नहीं बचेही सभी ताद्धित प्रत्यय ‘क्रीत’ अर्थमेंही है सो भी नहीं । तो दूसरे ऐसे भी ताद्धितप्रत्यय है कि जो लुक्के कारण होते हैं और उस स्थानपर पुंवदभावका नामभी नहीं लिया जा सकता । उदाहरणः—पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्य पञ्चेन्द्रः, दशेन्द्रः, पञ्चामिः, दशामिः । पञ्च+इन्द्र आनु+ई इस ढीपन्त शब्दसे किये हुए अण् (४।२।२४) प्रत्ययका लुक् (४।१।८८) होनेपर ढीप् प्रत्ययकाभी लुक् हुआ है । इससे उस ढीप् प्रत्ययके साथ बताया हुआ आनुक् आगमभी वहाँ नहीं रहता । लुक्को स्थानिवदभाव हुआ तो वह आनुक् आगम रहने लगेगा । वैसेही पञ्चामिः, दशामिः इन स्थानोपर ऐकार आदेश (४।१।३७) रहने लगेगा ।

‘उपधासंज्ञाके निमित्तसे होनेवाला कार्यं कर्तव्य होनेपर स्थानिवदभाव नहीं होता’ इसका उदाहरण कौनसा है ?

पिपठीरिति । नैतदस्ति । दीर्घविधिं प्रति न स्थानिवत् ॥ इदं तर्हि । सौरी बलाका नैतदस्ति । यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् ॥ इदं तर्हि । पारिखीयः ॥ चड्परनिह्रूसे चोपसंख्यानं कर्तव्यम् । वादितवन्तं प्रयोजितवान् अवीवदद्वीणां परिवादकेन । किं पुनः कारणं न सिध्यति । यो ऽसौ णौ णिर्लुप्यते तस्य स्थानिवद्भावाद् ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति । ननु चैतदप्युपधात्वाविधिं प्रति न स्थानिवदित्येव सिद्धम् । विशेष एतद्वक्तव्यम् । क । प्रत्ययविधाविति । इह मा भूत् । पठयति

‘पिपठीः’ यही उसका उदाहरण है । यहाँ पिपठिष् इस सन्प्रत्ययान्त धातुसे क्विप् प्रत्यय किया है ।

यह उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि दीर्घ कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा प्रकृतसूत्रमेंही बताया गया है । उसीसे यह उदाहरण सिद्ध होता है ।

तो फिर ‘पारिखीयः’ यह उदाहरण लीजिये । परिखा शब्दसे चातुरार्थिक अण् (४।२।६७) प्रत्यय करके उनके आगे ‘पारिखे भवः’ इस अर्थमें छ प्रत्यय (४।२।१४१) किया है । यहाँ परिखा शब्दमेंके आकारके लोपको (६।४।१४८) स्थानिवद्भाव न होनेके कारण पारिखमेंके खकारको उपधासंज्ञा की जा सकी इसलिये छ प्रत्यय करना संभव हुआ ।

चड्पर णि आगे होनेपर जब ह्रस्व कर्तव्य है तब स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहा जाय । उदाहरण—वादितवन्तं प्रयोजितवान्, अवीवदत् वीणा परिवादकेन । इस स्थानपर अवीवदत् यहाँ बजाना इस अर्थके णिजन्त धातुसे पुनः, दूसरा णिच्प्रत्यय किया है ।

परंतु यह उदाहरण सिद्ध न होनेका क्या कारण है ?

कारण यह है कि दूसरा णिच् आगे होनेपर यहाँ जो पहले णिच्का लोप (६।४।५१) हुआ है उसे स्थानिवद्भाव हुआ तो उससे व्यवधान आनेके कारण ह्रस्व (७।४।१) नहीं होगा ।

परंतु उपधासंज्ञाके निमित्तसे होनेवाला कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता इस प्रकार कहनेसेही यह सिद्ध होता है ।

वैसा सिद्ध नहीं होगा क्योंकि उपधासंज्ञाके निमित्तसे होनेवाला विशेष प्रकारका कार्य कर्तव्य होनेपरही स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा वहाँ कहना चाहिये ।

विशेष कार्य कर्तव्य होनेपर याने कहों ।

प्रत्ययका विधान कर्तव्य न होनेपर । क्योंकि पठयति लघयति, इन स्थानोंपर

१९. ‘पठ्’, ‘लघु’ शब्दोंके आगे ‘प्रतिपदिकाद् धात्वर्थेः’ इस गणसूत्रसे ‘णिच्’ प्रत्यय हुआ है और ‘टेः’ (६।४।५८) से उकारका लोप हुआ है ।

लघयतीति ॥ कुत्वे चोपसंख्यानं कर्तव्यम् । अर्चयतेरर्कः मर्चयतेर्मर्कः । नेतद्धन्तम् ।
 औणादिक एष कराद्दस्तस्मिन्नाटमिकं कुत्वम् । एतदपि णिच्वा व्यवहितत्वान्न
 प्राप्नोति ॥

पूर्वत्रासिद्धे च ॥ ३ ॥

पूर्वत्रासिद्धे च न स्थानिवदिति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् ।

प्रयोजनं कसलोपः सलोपे ॥ ४ ॥

कसलोपः सलोपे प्रयोजनम् । अदुग्ध अदुग्धाः । लुग्वा दुहदिहलिहगुहा-
 मात्मनेपदे दन्त्ये [७.३.७३] इति लुग्रहणं न कर्तव्यं भवति ।

उपवासंज्ञाके निमित्तसे वृद्धि (७।२।११६) कर्तव्य होनेपर टिलोपको स्थानिवद्भाव-
 निषेध नहीं होना चाहिये ।

वैसेही कुत्व कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ऐसा कहना चाहिये ।
 उदाहरण—अर्कः मर्कः । यहाँ अर्चि और मर्चि इस णिच्प्रत्ययान्त धातुओंसे घञ् प्रत्यय
 (६।३।१८) किया है । यहाँ णिच्के लोपको (६।४।५१) स्थानिवद्भाव न होनेके
 कारण कुत्व (७।३।५२) होता है ।

परंतु इस स्थानपर घञ् प्रत्ययही नहीं किया है । तो औणादिक 'क'प्रत्यय ही
 यहाँ किया है । और वह प्रत्यय करनेपर आठवे अध्यायका कुत्व (८।२।३०)
 हुआ है ।

परंतु स्थानिवद्भाव हुआ तो णिच् प्रत्ययसे व्यवधान आनेके कारण वह भी
 कुत्व नहीं होगा ।

(वा. ३) 'पूर्वत्रासिद्धम्' अधिकारमें कहा हुआ कार्य कर्तव्य होनेपर
 स्थानिवद्भावाय नहीं होता । (३)

त्रिपादीमेंका कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होना ऐसा कहा जाय ।
 इसका उदाहरण कौनसा है ?

(वा. ४) सकारका लोप कर्तव्य होनेपर 'कम्' प्रत्ययके अकारके
 लोपको स्थानिवद्भाव नहीं होता यह एक प्रयोजन है । (४)

'स'कारका लोप (८।२।२६) कर्तव्य होनेपर 'कम्' प्रत्ययमेंके 'अ'कारके
 लोपको (७।३।७३) स्थानिवद्भाव नहीं होता यह उसका उपयोग है । उदा०—अदुग्ध,
 अदुग्धाः । 'लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये' (७।३।७३) इस मूलमें लुक् शब्द
 रखनेकी आवश्यकता नहीं है । पीछेसे आनेवाले लोपकी अनुसृष्टि की काम
 चलेगी । अन्यथा अर्थात् अकारका लोप हुआ तो भी सकारका लोप नहीं होगा ।

‘दध आकारलोप आदिचतुर्थत्वे ॥ ५ ॥

दध आकारलोप आदिचतुर्थत्वे प्रयोजनम् । धत्से धद्धे धद्धमिति । दध-
स्तथोश्च [८.२.३८] इति चकारो न कर्तव्यो भवति ॥

हलो यमां यमि लोपे ॥ ६ ॥

हलो यमां यमि लोपे प्रयोजनम् । आदित्यः । हलो यमां यमि लोपः
सिद्धो भवति ॥

अल्लोपणिलोपौ संयोगान्तलोपप्रभृतिषु ॥ ७ ॥

अल्लोपणिलोपौ संयोगान्तलोपप्रभृतिषु प्रयोजनम् । पापच्यतेः पापक्तिः ।

(वा. ५) ‘दधा’ इसमेंसे ‘आ’कारका लोप होनेपर प्रथम दकारको चौथा अर्थात् ‘ध’कार कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता यह दूसरा प्रयोजन है। (५)

दूसरा प्रयोजन यह है की ‘दधा’ इसमेंके ‘आ’ कारके लोपके बाद पहले दकारको चौथा अर्थात् धकार (८।२।३७) कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता । उदा० धत्से, धद्धे, धद्धम । इन स्थानोंपर चौथा वर्ण आदेश होनेके लिये ‘दध-स्तथोश्च’ (८।२।३८) इस सूत्रमें सकार और ध्व शब्द इनकी अनुवृत्तिके लिये किया हुआ शब्दही अब करनेकी आवश्यकता नहीं है ।”

(वा. ६) ‘हलो यमां यमि लोपे’ सूत्रसे लोप कर्तव्य होनेपर स्थानि-
वद्भाव नहीं होता यह तीसरा प्रयोजन है। (६)

और प्रयोजन यह है कि ‘हलो यमां०’ (८।४।६४) इससे लोप कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता; उदा० आदित्यः । यहाँ अकारके लोपको स्थानिवद्भाव न होनेके कारण ‘हलो यमां०’ इस सूत्रसे लोप होता है।”

(वा. ७) संयोगान्तलोप आदि कार्य कर्तव्य होनेपर ‘अ’कारके लोप-
को और णिलोपको स्थानिवद्भाव नहीं होता यह चौथा प्रयोजन है। (७)

और प्रयोजन यह है कि संयोगान्तलोप आदि कार्य कर्तव्य होनेपर अकारके लोपको और णिचूके लोपको स्थानिवद्भाव नहीं होता । उदा० पापक्तिः, यायष्टिः, पाक्तिः, याष्टिः । पहले दो उदाहरणोंमें ‘पापच्य’ और ‘यायज्य’ इन यद्धप्रत्ययान्त धातुओंसे क्तिच्य प्रत्यय (३।३।१७४) किया है । अगले दो उदाहरणोंमें पाचि और याचि इन्

२०. कारण यह कि ‘एकाचो०’ (८।३।३७) इस पूर्वसूत्रमें चौथा अर्थात् धकार आदेश सिद्ध होता है ।

२१. श्री सूत्रपरका भाष्य देखिये (पृष्ठ ५९९) ।

शायज्यतेर्यादिः । पाचयतेः पाक्तिः । याजयतेर्यादिः ॥

द्विर्वचनादीनि च ॥ ८ ॥

द्विर्वचनादीनि च न पठितव्यानि भवन्ति । पूर्वत्रासिद्धेनैव सिद्धानि भवन्ति ॥ किमविशेषेण । नेत्याह ।

वरेयलोपस्वरवर्जम् ॥ ९ ॥

वरेयलोपं स्वरं च वर्जयित्वा ॥

तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु ॥ १० ॥

तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु ॥ संयोगादिलोप काक्यर्थम् । वास्यर्थम् । स्कोः संयोगाद्योरन्ते च [८-२.२९] इति लोपः

णिच्प्रत्ययान्त धातुओंसे किच् प्रत्यय किया है। यहाँ यद्प्रत्ययमेंके अकारके लोपको और णिच्के लोपको स्थानिवद्भाव न होनेके कारण कुत्व (८।२।३०) और (८।२।३६) पत्व होते हैं।

(वा. ८) प्रकृतसूत्रमें 'द्विर्वचन' आदि शब्द रचना आवश्यक नहीं यह पाँचवों प्रयोजन है। (८)

और उपयोग यह है कि इस प्रकृतसूत्रमें द्विर्वचन आदि शब्द रचना आवश्यक नहीं है। क्योंकि, वे द्विर्वचन आदिके उदाहरण 'पूर्वत्रासिद्धे च' इस प्रकृत वार्तिकसेही सिद्ध होते हैं।

परंतु क्या, द्विर्वचन आदि सभी शब्द रचना आवश्यक नहीं है?

हमारा कहना है कि वैसी बात नहीं है।

(वा. ९) प्रकृतसूत्रमें 'वरे', 'यलोप', और 'स्वर' इन तीन शब्दोंके अलावा अन्य शब्द रचना आवश्यक नहीं। (९)

वरे, यलोप और स्वर इन तीन शब्दोंके अलावा अन्य शब्द रचना आवश्यक नहीं है।

(वा. १०) 'पूर्वत्रासिद्धे च' वार्तिकको संयोगादिलोप, लत्व और णत्व कर्तव्य होनेपर दोष आता है। (१०)

'त्रिपाठीमेंका कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता' (वा. ३) इसको संयोगादिलोप, लत्व और णत्व कर्तव्य होनेपर दोष आता है। (आः ये तीन कार्य कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव होता है ऐसा कहना चाहिये।) उनमेंसे संयोगादिलोपका उदाहरण— काक्यर्थम्, वास्यर्थम्। यहाँ काकी और वागी इनमेंसे ईकारको यण् करनेके बाद 'स्कोः संयोगयोः' (८।२।२९) इस सूत्रमें ककार और गकारका लोप प्राप्त होता है। परंतु यकारको स्थानिवद्भाव होनेके कारण वह लोप नहीं होता।

प्राप्नोति ॥ लत्वम् । निगार्यते । निमाल्यते । आच् विभाषा [८.२.२१] इति लत्वं न प्राप्नोति ॥ णत्वम् । माषवपनी । व्रीहिवपनी । प्रातिपदिकान्तस्थेति णत्वं प्राप्नोति ॥

द्विर्वचने ऽचि ॥ १ । १ । ५९ ॥

आदेशे स्थानिवदनुदेशात्तद्वतो द्विर्वचनम् ॥ १ ॥

आदेशे स्थानिवदनुदेशात्तद्वतः । किवतः । आदेशवतो द्विर्वचनं प्राप्नोति ॥

निगार्यते, निमाल्यते, यह उदाहरण लत्वका है। यहाँ णिच्का लोप होनेके बाद अच् आगे होनेसे 'आचि विभाषा' (८।२।२१) इस सूत्रसे लत्व नहीं होगा। परंतु णिच्के लोपको स्थानिवद्भाव होनेके कारण लत्व होता है। माषवपनी, व्रीहिवपनी, ये उदाहरण णत्वके हैं। यहाँ वपनमेंके अकारका लोप (६।४।१४८) करनेके बाद 'प्रातिपदिकान्त०' (८।४।११) इस सूत्रसे 'नकार प्रातिपदिकके अंतमें है' ऐसा मानकर उसे णत्व प्राप्त होता है। परंतु अकारके लोपको स्थानिवद्भाव होनेके कारण वह णत्व नहीं होता।

(सू. ५९) द्वित्वका निमित्त अच् आगे होनेपर उस अच्के निमित्तसे पाया हुआ जो अजादेश है उसको द्वित्व करतेसमय स्थानीका रूप प्राप्त होता है ॥ इस सूत्रका दूसरा अर्थ यह है:— द्वित्वका निमित्त अच् आगे होनेपर उस अच्के निमित्तसे प्राप्त हुआ जो अजादेश है वह द्वित्व किया जानेतक नहीं होता ॥

(वा. १) 'आदेश स्थानीकी तरह समझा जाय' इस अतिदेशसे आदेशसे युक्त भागको द्वित्व होने लगेगा। (१)

'आदेश स्थानीकी तरह समझा जाय' ऐसा इस सूत्रसे अतिदेश किया है। अतः उससे युक्त भागको—

उससे युक्त याने किससे?

आदेशसे युक्त भागको द्वित्व होने लगेगा।

२२. 'नि' उपसर्गपूर्वक 'गृ' धातुमें 'णिच्' प्रत्यय लगानर आगे कर्मणि 'लट्' प्रत्यय किया है। बीचमें 'यच्' प्रत्यय (३।१।६७) हुआ है और 'ण्व्'का लोप (६।४।५१) हुआ है।

२३. 'वर्' धातुको 'ल्युट्' प्रत्यय (३।३।११७), उसको 'अन' आदेश (७।१।११), आगे 'डीर्' प्रत्यय (४।१।१५), और अकारका लोप (६।४।१४८) हुआ है।

१. कारण यह है कि आदेश यद्यपि स्थानीके समान समझा गया तो भी उसको प्रत्यय स्थानीका रूप प्राप्त नहीं हुआ है।

तत्र को दोषः ? ।

तत्राभ्यासरूपम् ॥ २ ॥

तत्राभ्यासरूपं न सिध्यति । चक्रतुः चक्रुरिति ॥

अज्ग्रहणं तु ज्ञापकं रूपस्थानिवद्भावस्य ॥ ३ ॥

यद्यमज्ग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो रूपं स्थानिवद्भवतीति । कथं कृत्वा ज्ञापकम् । अज्ग्रहणस्यैतत्प्रयोजनमिह मा भूत् । जेघ्रीयते देघ्नीयत इति । यदि रूपं स्थानिवद्भवति ततो ऽज्ग्रहणमर्थवद्भवति । अयं हि कार्यं नार्थो-
ऽज्ग्रहणेन । भवत्येवात्र द्विर्वचनम् ॥

फिर वैयास होनेपर दोष कौनसा है ?

(वा. २) वैयास होनेपर अभ्यासका स्वरूप सिद्ध नहीं होगा । (२)

वैयास होनेसे चक्रतुः, चक्रुः, यहाँ अभ्यासका 'च' स्वरूप सिद्ध नहीं होगा ।

(वा. ३) प्रकृतसूत्रका 'अचि' शब्द ज्ञापित करता है कि आदेशको स्थानीका स्वरूप प्राप्त होता है । (३)

यह आचार्य पाणिनि प्रकृतसूत्रमें जो 'अचि' ऐसा कहता है उससे वह ऐसा ज्ञापित करता है कि यहाँ आदेश केवल स्थानीकी तरह न समझा जाय, तो उस आदेशको स्थानीकी तरह स्वरूप प्राप्त होता है ।

यह ज्ञापक कैसे ठीक बैठता है ?

ऐसे ठीक बैठता है कि जेघ्रीयते, देघ्नीयते, इस स्थानपर यद् आगे होनेपर घ्रा, घ्ना धातुओंके 'आ'कारके बना हुआ जो ईकार आदेश (७।१।३१) है उसे प्रकृतसूत्रसे स्थानिवद्भाव न हो इसलिये 'अचि' ऐसा यहाँ कहा गया है । परंतु अगर प्रकृतसूत्रसे आदेशको स्थानीका अर्थात् 'आ'कारका रूप प्राप्त हुआ तभी घ्रा, घ्ना-
को द्वित्व होकर रूप बिबढ़े जायगा । वह न बिबढ़नेके लिये 'अचि' ऐसा कहना चाहिये । ऐसा उसका उपयोग दिखाया जा सकता है । अगर स्थानीका रूप प्राप्त न होकर केवल कार्यका अतिदेश किया तो यहाँ केवल स्थानीकी भावनासे द्वित्व का कार्य होगा परंतु होगा सो आदेशसे अर्थात् ईकारसे युक्त घ्री, घ्नीकों ही होनेके कारण 'अचि' पद व्यर्थ होगा ।

२. 'कृ' धातुके ऋकारको 'यण्' आदेश 'रेफ' करनेके बाद धातुमें केवल 'क्' और 'इ' ये दो व्यञ्जन रह गये । तब एकाच् अंशको कहा हुआ द्वित्व न होगा । अब प्रकृत सूत्रसे आदेश स्थानीके समान समझा गया तो एकाच् अंश है इव भावनासे द्वित्व होगा । परन्तु जो होगा वह 'क्' को ही होगा । तब अभ्यासमें 'व' कार न लायेगा ।

तत्र गाड्प्रतिषेधः ॥ ४ ॥

तत्र गाडः प्रतिषेधो वक्तव्यः । अचिजगे । इवर्णाभ्यासता प्राप्नोति ॥ न वक्तव्यः । गाड् लिटि [२ ४ ४९] इति द्विलकारको निर्देशः । लिटि लकारादाविति ॥

कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वभ्यासरूपम् ॥ ५ ॥

कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वभ्यासरूपं न सिध्यति ॥ कृति । अचिकीर्तत् । कृति ॥ एजन्त । जग्ले मग्ले । एजन्त ॥ दिवादि । दुशूपति सुसूपति । दिवादि ॥

(वा ४) प्रकृतसूत्रमें रूपस्थानिवद्भावके वारमें ज्ञापित 'गाड्' आदेशका प्रतिषेध कहा जाय ।

इह धातुसे जो गाड् आदेश (२।४।४९) होता है उसे प्रकृतसूत्रसे स्थानीका रूप प्राप्त नहीं होता ऐसा कहा जाय । नहीं तो अधिजगे यहाँ 'इ'को द्वित्व होकर अभ्यासमें इकार होने लगेगा ।

यह निषेध करना आवश्यक नहीं है । क्योंकि 'गाड् लिटि' इस सूत्रमें दो लकार पाणिनिने उच्चारित किया । (अर्थात् 'लिटि'के पीछे और एक लकार उच्चारित किया है ।) अतः लकारादि लिट् प्रत्यय आगे होनेपर गाड् आदेश होता है ऐसा उसका अर्थ होता है । इसीलिये अचि कहनेसेही वहाँ प्रकृतसूत्र प्रवृत्त नहीं होता ।

(वा ५) णिजन्त 'कृति' धातु, एजन्त धातु, दिव् आदि धातु, और नामधातुके वारमें अभ्यासरूप सिद्ध नहीं होता । (५)

कृति अर्थात् णिच्प्रत्ययान्त कृत धातु, एजन्त धातु, दिव् आदि धातु और नामधातु इन स्थानोंपर द्वित्व कर्तव्य होनेपर प्रकृतसूत्रसे आदेशको स्थानीका रूप प्राप्त होनेके कारण अभ्यासका इष्ट रूप सिद्ध नहीं होता । कृति धातुका उदाहरण- अचि कीर्तत् । एजन्तके उदाहरण-जग्ले, मग्ले । दिव् आदि धातुओंके उदाहरण-दुशूपति,

३ तत्र लिट्को लिट् आदेश करनेके पहले गाड् आदेश होता है । यह लकारावस्थामें ही होनेके कारण 'यह आदेश भच् आगे होनेपर हुआ है' ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

४ प्रकृत सूत्रमें 'द्विवचने' पद 'द्वित्व कर्तव्य हो तो' इस अर्थका है, 'द्वित्वका निमित्त' इस अर्थमें भच्का विशेषण नहीं । तत्र 'णिच्' प्रत्यय यद्यपि द्वित्वका निमित्त न हो तो भी वह भच् आगे होनेपर अजादेशको प्रकृतसूत्रमें स्थानीका रूप प्राप्त होगा । अतः 'कृत्' धातुके ऋकारका जो ऋकार आदेश हुआ है (७।१।१०) उसको फिरसे ऋ रूप प्राप्त हुआ तो उसको द्वित्व होके अभ्यासमें इकार न आयेगा ।

५ 'रै', 'म्है' धातुओंके ऐकारको जो 'भा'कार आदेश हुआ (९।१।४९) उसको प्रकृतसूत्रसे स्थानीका रूप प्राप्त हुआ तो 'रै', 'म्है'को द्वित्व होके अभ्यासमें इकार आयेगा ।

६ 'दि' धातुको 'गन्' प्रत्यय करके धातुके वकारको ङ् आदेश (९।४।१९)

नामधातु। भवनमिच्छति भवनीयति भवनीयतेः सन् विभवनीयिपति॥ एवं तर्हि प्रत्यय इति वक्ष्यामि।

प्रत्यय इति चेतकृत्येजन्तनामधातुष्वभ्यासरूपम् ॥ ६ ॥

प्रत्यय इति चेतकृत्येजन्तनामधातुष्वभ्यासरूपं न सिध्यति। दिवाद्य एके परिहृताः ॥ एवं तर्हि द्विवचनानिमित्ते ऽच्यजादेशः स्थानिवदिति वक्ष्यामि। स तर्हि निमित्तशब्द उपादेशो न ह्यन्तरेण निमित्तशब्दं निमित्तार्थो गम्यते।

सुस्पृषति। नामधातुओंके उदाहरण-विभवनीयिपती। यहाँ भवनकी इच्छा करता है इस अर्थमें भवन शब्दसे क्यच् प्रत्यय (३।१।८) करके उसके बाद उस 'भवनीय' इस नामधातुसे सन् प्रत्यय (३।१।७) किया है।

तो फिर प्रकृतसूत्रमें 'प्रत्यय आगे होनेपर' ऐसा कहता है।

(पा. ६) प्रत्यय आगे होनेपर ऐसा कहा जाय तो 'कृत्' धातु एजन्त धातु, और नामधातुके बारेमें अभ्यासका इष्ट रूप सिद्ध नहीं होता। (६)

प्रत्यय आगे होनेपर ऐसा कहा जाय तो कृति धातु, एजन्त धातु और नामधातु इन स्थानोंपर अभ्यासका इष्ट रूप सिद्ध नहीं होता यह दोष रहताही है। केवल अकेले दिव् आदि धातुओंके स्थानपर आये हुए दोषका परिहार हुआ।

तो फिर द्वित्वको निमित्तस्वरूप अच् आगे होनेपर अच्के स्थानपर बने आदेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है ऐसा प्रकृतसूत्रका अर्थ करता है।

तो फिर ऐसा अर्थ करनेके लिये प्रकृतसूत्रमें निमित्त ऐसा शब्द उच्चारित किया जाना चाहिये। क्योंकि निमित्तशब्दके बिना निमित्त ऐसा अर्थ नहीं होगा।

करनेके बाद वह ऊकार अच् आगे रहनेपर पीछे इकारको जो यकार आदेश हुआ उसको स्थानीका रूप प्राप्त हुआ तो अभ्यासमें इकार आने लगेगा।

५. 'भू' धातुको न्युद् (३।३।११८) प्रत्यय और उसको 'अन' आदेश (७।१।१) करके पीछे धातुके ऊकारको गुण (७।३।८४) और 'अच्' आदेश (६।१।७८) हुआ है। उसको प्रकृतसूत्रसे स्थानीका रूप प्राप्त हुआ तो अभ्यासमें उकार आने लगेगा।

६. कारण यह कि वहाँ 'ऋ' प्रत्यय नहीं है।

९. सूत्रका 'द्विवचने' पद 'द्वित्व कर्तव्य हो तो' इस अर्थमें न लेकर 'द्वित्वका निमित्त' इस अर्थमें अच्का विशेषण किया जाता है। तब 'अचिर्तीर्त'में 'णित्' प्रत्यय 'इयुपति' में 'ऋ' और 'विभवनीयिपति' में 'न्युद्' प्रत्यय द्वित्वके निमित्त न होनेके कारण प्रकृतसूत्रकी प्रशंसा नहीं होती। अन् 'जगले' में जो दोष शेष रहता है उसका समाधान भाष्यमें आगे दिया है।

अन्तरेणापि निमित्तशब्दं निमित्तार्थो गम्यते । तद्यथा । दधित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वरः । ज्वरनिमित्तमिति गम्यते । नडूलोदकं पादरोगः । पादरोगनिमित्तमिति गम्यते । आयुर्धृतम् । आयुषो निमित्तमिति गम्यते ॥ अथवाकारो मत्वर्थायः । द्विर्वचन-स्मिन्नस्ति सो ऽयं द्विर्वचनो द्विर्वचन इति ॥ एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसौ कालं स्थानिवद्भवतीति । यः पुनराह द्विर्वचने कर्तव्य इति कृते तस्य द्विर्वचने स्थानि-वन्न भविष्यति ॥ एवं तर्हि प्रतिषेधः प्रकृतः सो ऽनुवर्तिष्यते । क प्रकृतः । न पदान्तद्विर्वचन [१.१.५८] इति । द्विर्वचननिमित्ते ऽच्यजादेशो न भवतीति ।

निमित्त शब्द न हो तो भी निमित्त ऐसा अर्थ मनमें आता है; जैसे 'दधित्रपुसं प्रत्यक्ष ज्वर है' ऐसा कहनेपर वहाँ 'दधित्रपुस ज्वरका निमित्त है' ऐसा अर्थ मनमें आता है। वैसेही 'नडूलोदक पादरोग है' ऐसा कहनेपर वहाँ वह नडूलोदक पादरोगका निमित्त है' ऐसा मनमें आता है। वैसेही 'धृत आयुष्य है' ऐसा कहनेपर 'धृत आयुष्यका निमित्त है' ऐसा मनमें आता है। अथवा प्रकृतसूत्रमें पाणिनिने द्विर्वचन यह जो शब्द उच्चारित किया है वह सादा न उच्चारकर द्विर्वचनशब्दसे मत्वर्था अकारप्रत्यय (५।२।१२७) करके उच्चारित किया है। अतः 'जो आगे होनेपर द्विर्वचन होता है वह' यहाँके द्विर्वचनशब्दका अर्थ होता है। अतः वैया द्विर्वचनको निमित्त होनेवाला अच् आगे होनेपर ऐसा स्पष्टही अर्थ होता है।

ऐसा अर्थ करनेपर भी अब प्रकृतसूत्रसे जो आदेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है वह कई समयतक कायम रहता है, अर्थात् पुनः उस स्थानीको आदेश करनेके लिये कब स्वतंत्रता है यह कुछ समयमें नहीं आता। जो मनुष्य 'द्विर्वचनका निमित्त' इस अर्थसे द्विर्वचन शब्द अच्के साथ न जोड़कर सादे अर्थसेही 'द्विर्वचन कर्तव्य होनेपर आदेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है' ऐसा अर्थ लेकर कालकी मर्यादा दिलानेके लिये 'द्विर्वचने' शब्दका उपयोग करता है उसे द्वित्व करनेके बाद स्थानीका रूप रखनेका नियम नहीं रहता; अतः पीछेसे पुनः आदेश करनेमें स्वतंत्रता रहती है।

तो फिर, यहाँ 'स्थानिवत्'की अनुवृत्ति न करके पहलेके निषेधकीही अनुवृत्ति की जाता पर्याप्त होगा।

पहले निषेध कहाँ है ?

'न पदान्तद्विर्वचन०' इस सूत्रमें 'न' पद है। अतः उसकी अनुवृत्ति यहाँ

१०. 'दधित्रपुस' अर्थात् 'बिगड़ा हुआ दही' । अथवा 'दधि और त्रपुस (सीता-फल)' यह अर्थ लिया जाय ।

११. 'नडूल' अर्थात् एक प्रकारके तृणसे युक्त प्रदेश । उसमें जमा हुआ जो पानी है वह 'नडूलोदक' है । पादरोग अर्थात् पाँवका रोग (नहरवा) ।

एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसौ कालमादेशो न भवतीति । यः पुनराह द्विर्वचने कर्तव्य इति कृते तस्य द्विर्वचने ऽजादेशो भविष्यति ॥ एवं तर्ह्युभयमनेन क्रियते प्रत्ययश्च विशेष्यते द्विर्वचनं च । कथं पुनरेकेन यन्नेनोभयं लभ्यम् । लभ्यामित्याह । कथम् । एकरुशेपनिर्देशात् । एकरुशेपनिर्देशोऽयम् । द्विर्वचनं च द्विर्वचनं च द्विर्वचनम् । द्विर्वचने च कर्तव्ये द्विर्वचने ऽचि प्रत्यय इति द्विर्वचनानिमित्ते ऽचि स्थानिवद्भवति ॥

द्विर्वचनानिमित्ते ऽचि स्थानिवदिति चेण्णौ स्थानिवद्भवनम् ॥ ७ ॥

द्विर्वचनानिमित्ते ऽचि स्थानिवदिति चेण्णौ स्थानिवद्भावो वक्तव्यः ।

करनेपर 'द्वित्वको निमित्त अच् आगे होनेपर पीछेके अचको आदेश नहीं होता' ऐसा अर्थ होगा।

तो भी, कितने समयतक वह अचको आदेश नहीं होता वह कालकी मर्यादा तो दिखाई जाती ही नहीं। जो मनुष्य 'द्वित्व कर्तव्य होनेपर अचको आदेश नहीं होता' ऐसा अर्थ लेकर कालकी मर्यादा दिखानेके लिये 'द्विर्वचने'का उपयोग करता है उसे द्वित्व करनेपर अचको आदेश करनेके लिये स्वतंत्रता मिलती है।

तो फिर इस द्विर्वचन शब्दसे दोनों बातें की जाती है। 'द्वित्वका निमित्त' इस अर्थसे अचका विशेषण भी होता है और 'द्वित्व कर्तव्य होनेपर' कालकी मर्यादा भी दिखाई जाती है।

परन्तु एक यत्नसे अर्थात् 'द्विर्वचन' शब्दका एक बार उच्चारण किये जानेपर ये दोनों बातें भला कैसे सिद्ध होंगी?

हमारा कहना है कि सिद्ध होंगी।

सो कैसे?

'एकरुशेपनिर्देशात्' । अर्थात् पाणिनिने यह जो सूत्रमें द्विर्वचनशब्दका उच्चारण किया है वह 'द्विर्वचन च द्विर्वचनं च द्विर्वचनम्' ऐसा दो द्विर्वचन शब्दोंका एकशेष करके उच्चारण किया है। अतः 'द्वित्व कर्तव्य होनेपर' ऐसा भी अर्थ होगा और 'द्वित्वको निमित्त अजादि प्रत्यय आगे होनेपर' ऐसा भी अर्थ होगा।

(वा. ७) 'द्वित्वनिमित्त अच् आगे होनेपर अजादेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है' ऐसा कहा जाय तो 'णि' प्रत्यय आगे होनेपर अजादेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है ऐसा स्वतंत्र वचन करना चाहिये। (७)

'द्वित्वको निमित्तस्वरूप अच् आगे होनेपर अजादेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है' ऐसा कहा जाय तो 'णि प्रत्यय आगे होनेपर अजादेशको स्थानीका रूप

अवनुनावयिषति अवचुक्षावयिषति ॥ न वक्तव्यः ।

ओः पुयण्जिषु वचनं ज्ञापकं णौ स्थानिवद्भावस्य ॥ ८ ॥

यदयमोः पुयण्ज्यपरे [७ ४ ८०] इत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवति णौ स्थानिवदिति । यद्येतज्ज्ञाप्यते अचिकीर्तत् अत्रापि प्राप्नोति । तुल्यजातीयस्य ज्ञापकम् । कश्च तुल्यजातीयः । यथाजातीयकाः पुयण्जयः । कथंजातीय-

प्राप्त होता है' ऐसा स्वतंत्र वचन करना चाहिये । उदा०- अवनुनावयिषति, अवचुक्षावयिषति ।

वैसा स्वतंत्र वचन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(वा. ८) 'ओः पुयण्ज्यपरे' सूत्रसे सन् प्रत्यय आगे होनेपर कुछ धातुओंके अभ्यासके उकारको इकार आदेश कहनेसे सूत्रकार ज्ञापित करते हैं कि 'द्वित्व कर्तव्य होनेपर 'णि' प्रत्ययके पीछेके अजादेशको स्थानिवद्भाव होता है' । (८)

जिस कारणसे आचार्य पाणिनि 'ओ. पुयण्ज्यपरे' (७।४।८०) सूत्रसे सन् प्रत्यय आगे होनेपर कुछ धातुओंके अभ्यासके उकारको इकार आदेश बताते हैं उससे ऐसा ज्ञापित करते हैं कि 'द्वित्व कर्तव्य होनेपर णि प्रत्ययके पीछेके अजादेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है' ।

अगर यह ज्ञापक लिया जाय तो 'अचिकीर्तत्' में भी ऋकारके स्थानपर बने हुए इकार (७।१।१०१) आदेशको द्वित्व कर्तव्य होनेपर स्थानीका रूप प्राप्त होगा ।

'ओः पुयण्ज्यपरे' यह जो ज्ञापक लिया है वह उसके उदाहरण जैसे ही उदाहरणोंमें लागू होता है? (अत. अचिकीर्तत् में आदेशको स्थानीका रूप प्राप्त नहीं होता ।)

उसके उदाहरण जैसे उदाहरण कैसे पहचाने जाय?

उसके उदाहरणोंमें उत्तरखंडमें पवर्ग, यण् और जकार जैसे होते हैं वैसे वर्ण जिन उदाहरणोंमें होंगे वे उदाहरण उसके उदाहरण जैसे समझे जायें ।

१२ 'नु' और 'क्षु' धातुओंमें 'णिव्' प्रत्यय लगाकर आगे 'सन्' प्रत्यय क्रिया है । यहाँ धातुओंके उकारको वृद्धि (७।२।११५) और आव् (९।१।७८) आदेश जो हुआ है उसको प्रकृतसूत्रसे स्थानीका रूप प्राप्त न होगा । क्योंकि 'णिव्' प्रत्यय द्वित्वका निमित्त नहीं है । तत्र 'नाव्' को द्वित्व होगा और अभ्यासमें उकार न आयेगा ।

१३ अन्यथा 'विभावयिषति' आदि उदाहरणोंमें उर्युक्त 'नुनावयिषति' उदाहरणके समान 'भाप्' को द्वित्व होके अभ्यासके अकारका 'सन्श्त' (७।४।७९) से इकार होके भावन्ही-भाप रूपसिद्धि हो जानेसे 'ओ पुयण्ज्यपरे' सूत्र व्यर्थ होगा ।

काश्चेते । अर्वापरः ॥ कथं जगले मन्ले । अनैमित्तिकमात्वं शिति तु प्रतिषेधः ॥

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि । पपुः पपुः तस्थुः तस्थुः । जग्मतुः जग्मुः । आट्टित् आशिशत् । चक्रतुः चक्रुरिति । आल्लोपोपधालोपणिलोपयणादेशेषु कृतेष्वनच्कत्वाद् द्विर्वचनं न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्भवति ॥ नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । पूर्वविपतिषेधेनाप्येतानि सिद्धानि । कथम् । वक्ष्यति ह्याचार्यः । द्विर्वचनं यणयत्रायावादेशाल्लोपोपधालोपणिलोपकिन्किनोरुन्वेभ्य इति । स पूर्व-

उसके उदाहरणोंमें पवर्ग, यण् और जकार कैसे होते हैं?

जिन उदाहरणोंमें पवर्ग आदिके आगे अकार होता है । (अतः अचिकीर्तित् में उत्तरखंडके ककारके सामने अकार न होनेसे वहाँ वह ज्ञापक लागू नहीं होता । तात्पर्य, प्रकृतसूत्रमें 'द्वित्वको निमित्त' ऐसा अचूको विशेषण देनेमें कोई बाधा नहीं ऐसा सिद्ध हुआ ।)

तो भी जगले, मन्ले, इन उदाहरणोंमें द्वित्व कर्तव्य होनेपर 'आ'कार आदेशको (६।१।४५) प्रकृतसूत्रसे स्थानीका रूप क्यों प्राप्त नहीं होता ?

(जगले, मन्ले, में 'आ' कार आदेश आगेके अजादि प्रत्ययके निमित्त न होनेके कारण वहाँ प्रकृतसूत्रकी प्रवृत्ति नहीं होती । क्योंकि) 'अशिति' यह 'शित्भिन्न प्रत्यय आगे होनेपर' इस अर्थसे आकार आदेशका निमित्त माना गया है ऐसा न माना जाय । तो 'शित् प्रत्यय आगे होनेपर आकार आदेश नहीं होता' ऐसा उसका अर्थ है ।

पर इस प्रकृतसूत्रके उदाहरण भी तो कौनसे हैं ?

पपुः पपुः, तस्थुः तस्थुः, जग्मतुः जग्मुः, आट्टित्, आशिशत्, चक्रतुः चक्रुः ये प्रकृतसूत्रके उदाहरण हैं । यहाँ पा, स्या, धातुओंमेंसे आकारका लोप (६।१।४५) गम् धातुमेंसे उपधाका लोप (६।४।९८) और कृधातुमेंसे ऋकारका यण (६।१।७७) ये विधियाँ करनेपर धातुओंमें अच् न होनेके कारण द्वित्व (६।१।८) नहीं होगा । वैसे ही आटि आशि, इन णिजन्त धातुओंमेंसे णिच्प्रत्ययका लोप (६।४।५१) होनेके बाद टि और शि इस दूसरे एकाच् भागमें अच् न होनेके कारण उसे द्वित्व (६।१।११) नहीं होगा । परंतु 'आ'कारका लोप आदि उन आदेशोंको प्रकृतसूत्रसे स्थानीका रूप प्राप्त होनेपर द्वित्व होता है ।

ये प्रकृतसूत्रके उदाहरण ठीक नहीं दिखाई देते । पूर्वविपतिषेधसे भी ये उदाहरण सिद्ध होते हैं । (अतः आकारका लोप आदि विधियोंकी अपेक्षा पहले ही द्वित्व होता है ।)

सो कैसे ?

आचार्य वार्तिहकार 'द्विर्वचनं यगयत्रायावादेशाल्लोपोपधालोपणिलोपकिन्किनो-

विप्रतिषेधो न पठितव्यो भवति ॥ किं पुनरत्र ज्याय । स्थानिवद्भाव एव ज्यायान् । पूर्वविप्रतिषेधे हि सतीद वक्तव्यं स्यात् । ओदोदादेशस्योद्भवति चुम्बुशरादेरभ्यासस्येति । ननु च त्वयार्पीत्त्व वक्तव्यम् । परार्थं मम भविष्यति सन्न्यत इद्भव

रुक्वेभ्यः' (६।१।१२ वार्ति०) ऐसा आगे बतलानेवाले ही है । (उसीसे ये उदाहरण सिद्ध होते हैं ।)

परतु यह प्रकृतसूत्र करनेपर वह वार्तिक करना अवश्यक नहीं है ।

अब इन दोनोंमें अच्छा कौनसा है? प्रकृतसूत्रसे बताया हुआ स्थानिवद्भाव लिया जाय या उस वातिकसे बताया हुआ पूर्वप्रतिषेध लिया जाय ?

स्थानिवद्भाव लेना ही अच्छा है । क्योंकि, पूर्वविप्रतिषेध लिया तो उस पूर्वविप्रतिषेधकी प्रवृत्ति जिस स्थानपर नहीं होती उस स्थानपर अर्थात् चुम्बुशरादि आदि उदाहरणोंमें प्राप्त इकार आदेशका (७।४।७९) बाध करके उकार आदेश होनेके लिये एक स्वतंत्र वचन करना होगा । वह यों ह 'ओकार या औकार के स्थानपर आदेश जिन अगोंमें हुए है ऐसे अगोंमें चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा शर वर्ण आदि होनेवाले अभ्यासके अकारको सन् प्रत्यय आगे होनेपर उकार आदेश होता है ।

परतु प्रकृतसूत्र लिया तो भी आपको इकार आदेश बतानेवाला सूत्र करना ही होगा न ?

यद्यपि मुझे आदेश बतानेवाला सूत्र करना पडा तो भी वह दूसरोंके लिये काममें आयेगा । अर्थात् 'सन्न्यत' (७।४।७९) ऐसा इकार आदेश बतानेवाला दूसरा सूत्र सभीको हमें करना चाहिये । उसके पास केवल 'ओ पुषण्यवरे' इतना ही सूत्र करनेसे काम चलेगा ।

१४ द्वित्व और यण, अण् इत्यदि आदेश वहाँ एक ही निमित्तमे प्रवृत्त होते हैं वही अर्थात् 'चक्रवृ' आदि उदाहरणोंमें ही पूर्वविप्रतिषेधकी प्रवृत्ति होती है । क्योंकि वहाँ द्वित्वकी अवस्था 'यण' आदि अतरग न होनेसे द्वित्व और 'यण' आदि मुख्यबल होते हैं । 'बिभ्र वृत्तिपति' में सन् प्रत्यय द्विवका निमित्त है और 'अण्' आदेशका निमित्त पूर्वका 'अन' प्रत्यय है । तब वहाँ अतरग अवादेश पहले ही होता है । यदि वहाँ प्रकृतवार्तिकसे अवादेशका बाध करके द्विव पहले ही हो जाता तो अभ्यासमें उकार आके रूप बिगड़ जाता ।

१५ 'द्विवचनेचि' प्रकृत सूत्र लिया तो भी वहाँ अण्को द्वित्वनिमित्त यह विशेषण दिया जानेके कारण 'गुनावधिपति' आदि उदाहरणोंमें 'आव' आदेशको स्थानीका रूप प्राप्त न होगा और अभ्यासमें इकार आने लगेगा । इसलिए 'णि प्रत्यय आगे हो तो अत्रादेशको स्थानीका रूप प्राप्त होता है' यह आपन करनेके लिए इकार आदेश कहनेवाला 'ओ सुयण्०' सूत्र करना पडेगा ।

तीति । ममापि तर्ह्युच्चं परार्थं भविष्यत्युत्परस्यातस्ति च [७.४ ८८, ८९] इति । इत्त्वमपि त्वया वक्तव्यं यत्समानाश्रय तदर्थम् । उत्पिपविपते सयियविप-
पतीत्येवमर्थम् ॥ तस्मात्स्थानिवदित्येष एव पक्षो ज्यायान् ॥

इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य
प्रथमे पादे ऽष्टममाह्निकम् ॥

तो फिर मुझे भी उकार आदेश बतानेवाला वचन करना पड़ा तो भी वह दूसरेके काम आयेगा। अर्थात् 'उत्परस्यात.' 'ति च' (७।४।८८ ८९) ऐसे दूसरे सूत्र सभीको हमें करने चाहिये। उनके पास केवल 'ओदोदादेशस्य चुटुदुशरादे.' इतना ही वचन करनेसे काम चलेगा।

परंतु उतनेसे भी आपका नहीं चल सकेगा। वैसे उकार आदेश बताना तो भी उत्पिपविपते, सयियविपति इन समानाश्रय उदाहरणोंके लिये इकार आदेश भी आपको अलग बताना पड़ेगा ही। तात्पर्य, स्थानिवद्भाव बतानेवाला प्रकृतसूत्र रखना ही अच्छा। (५९)

इस प्रकार भगवान् पतञ्जलिरचित व्याकरण महाभाष्यमेंके पहले अध्यायके पहले पादका आठवों आह्निक समाप्त हुआ।

१९ 'पू' धातुके आगेके 'सन्' मत्वयको 'स्मिपू०' (७।२।७४) सूत्रसे 'इत्' आगम हुआ है। तथा 'यु' धातुके आगेके 'सन्' प्रत्ययको 'सनीव०' (७।२।४९) सूत्रसे 'इत्' आगम हुआ है। यहाँ द्वित्व (६।१।९) और 'अव्' आदेश (६।१।७८) दोनोंका आश्रय समान है अर्थात् 'सन्' यही एक दोनोंका निमित्त है। तब 'अव्' आदेश अनग्न न होनेके कारण आपके 'द्विवचन यण०' वार्तिककी प्रवृत्ति होके पूर्वविप्रतिषेधसे 'अव्' आदेशकी अपेक्षा द्वित्व पहले होगा। अतः अभ्यासमें जो उकार भायेगा उसको इकार आदेश कहनेके लिए कमसे कम 'ओ पययो' सूत्र तो करना ही चाहिये।

१७ प्रकृतसूत्र रखा गया तो उसके अतिरिक्त 'ओ पुयण्यपरै' यह दूसरा सूत्र करनेसे इत् कार्य सिद्ध होगा। और प्रकृतसूत्र न रखके वार्तिक रखा तो उसके अतिरिक्त उकार आदेश कहनेवाला 'ओदोदादेशस्य चुटुदुशरादे' सूत्र और इकार आदेश कहनेवाला 'ओ पययो' सूत्र ये दो अलग अलग वचन करने पड़ेंगे। इसलिए प्रकृतसूत्रको रखनेमें ही लायव है।

परिभाषासूत्रनामकं नवममाह्निकम् ।

परिभाषासूत्रनामकं नौवाँ आह्निक [अ १ पा. १ आह्निक १]

[प्रत्ययलक्षण—इस आह्निकमें प्रत्ययलक्षण, टि तथा उपधा संज्ञा, आगम तथा आदेशकी व्यवस्था, प्रत्याहार, और वृद्ध संज्ञा इनका विचार किया है, इससे इस आह्निकको 'परिभाषासूत्राह्निक' नाम दिया तो भी उचित ही होगा। 'अदर्शनं लोपः' (सू. ६०) सूत्रमें 'लोप' शब्दकी 'अदर्शन' व्याख्या दी है आदिका विचार करके केवल कोई वर्ण वा शब्द दिखाई नहीं देता इससे वहाँ उसका लोप हुआ है ऐसा समझना समुचित नहीं, क्योंकि अगले 'प्रत्ययलोपे०' (सू. ६२) सूत्रसे उसको प्रत्ययलक्षण हुआ तो अनेक दोष निर्माण होंगे ऐसा कहकर 'प्रसक्तस्य' अर्थात् अवसर निर्माण होनेपर भी उच्चारण न करना इस प्रकारकी 'लोप' शब्दकी व्याख्या वार्तिककारोंने दी है और दोषोंका परिहार किया है। 'प्रत्ययस्य लुक्श्लुपः' (सू. ६१) सूत्रके 'प्रत्ययस्य' शब्दके प्रयोजनका वार्तिककारोंने विचार किया है और बताया है कि सूत्रमें 'प्रत्ययस्य' शब्द न रखा गया होता तो कहीं दोष आये होते। इन दोषोंका निराकरण करते हुए भाष्यकारोंने इस संदर्भमें कहा है कि 'उणादि प्रत्ययोंको प्रत्ययसंज्ञा देना इष्ट नहीं है। वस्तुतः उणादि प्रत्यय लगाकर बनाये हुए शब्द अव्युत्पन्न ही समझे जायें।' 'प्रत्ययलोपे०' (सू. ६२) और 'न लुमताद्गस्य' (सू. ६३) सूत्रोंमें पाणिनिसूत्रोंके स्थानिवद्भावसदृश ही प्रत्ययलक्षणसंज्ञक शास्त्रसंकेतका विचार किया गया है। इस प्रत्ययलक्षणके कारण प्रत्ययका लोप अर्थात् अदर्शन जहाँ हुआ वहाँ प्रत्ययका लोप होनेपर भी वह प्रत्यय जिनका निमित्त है वे कार्य हो सकते हैं। प्रत्यय को लुक्, श्लु अथवा लुप् शब्दोंसे कहे हुए अदर्शनको भी यह लोपसंज्ञा दी जाती है और उससे वहाँ भी प्रत्ययके निमित्त कार्य हो सकते हैं, केवल वहाँ अगकार्योंका निषेध किया है। प्रत्ययलक्षण स्थानिवद्भावके समान ही अतिदेश होनेके कारण स्थानिवद्भाव और प्रत्ययलक्षण दोनों एक ही सूत्रसे कहे जानेपर जो दोष प्राप्त होंगे उनका विवेचन वार्तिककारोंने किया है, और भाष्यकारोंने उनका स्पष्टीकरण देके कहा है कि स्वतन्त्र सूत्रोंके द्वारा की हुई सूत्रकारोंकी व्यवस्था ठीक है। 'प्रत्ययके निमित्त अंगको कार्य करना हो तो प्रत्ययलक्षण नहीं होता है' इस निषेधके अत्यन्त स्थूल और महत्वपूर्ण उदाहरण वार्तिककारोंने दिये हैं, साथ ही साथ कहा है कि अंगकार्योंके सिवा स्वरकार्य कर्तव्य हों तो कुछ स्थानोंमें यह निषेध इष्ट है, और यह भी बताया है कि अगाधिकारके बादके स्वरके सिवा अन्य भी कुछ कार्य कर्तव्य हों तो प्रकृत निषेध प्राप्त न होके प्रत्ययलक्षण होना इष्ट है। 'न लुमताद्गस्य' के स्थानमें 'न लुमता तस्मिन्' इस स्वरूपका सूत्र किया जानेसे कुछ उदाहरण सध जायेंगे, पर और भी कुछ दोष उपस्थित होंगे इन सभी बातोंका विचार करके भाष्यकारने अन्तमें यों निर्णय दिया है कि, 'लुक्, श्लु और लुप् शब्दोंसे जिस प्रत्ययका अदर्शन हुआ हो वह प्रत्यय आगे होनेपर जो अंग, उसको कार्य कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण

नहीं होता है, ऐसा 'न लुमताद्भवस्य' सूत्रका अर्थ किया जाय और जो फुटफर लोप प्राप्त होगे उनको हटानेका प्रयत्न किया जाय। तदनन्तर प्रत्ययका लोप अनेक स्थलोंमें शब्दके अन्य अक्षरको वा उपान्त्य वर्णको कहा जानेसे उस अक्षर और वर्णको होनेवाली टि और उपपा संज्ञाओंके लक्षण 'अचोन्त्यादि टि' और 'अलोन्त्यात्पूर्व०' (सू. ६४ और ६५) सूत्रोंमें सूत्रकारोंने कहे हैं और भाष्यकारोंने उनका विवेचन किया है।

शब्दस्वरूपग्रहणसंकेत —

'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' (सू. ६६) और 'तस्मादित्युत्तरस्य' (सू. ६७) सूत्रोंमें सूत्रपाठमें सप्तमी विभक्तिमें उच्चारण किया गया तो वह शब्द अव्यवहितरूपमें आगे होनेपर, और पञ्चमी विभक्तिमें उच्चारण किया गया तो अव्यवहितरूपमें पीछे होनेपर सूत्रोंके द्वारा कहे हुए भिन्न भिन्न कार्य किये जायें ये परिभाषारूप नियम सूत्रकारोंने दिये हैं। 'तस्मिन्निति०' सूत्रके 'निर्दिष्टे' शब्दसे अव्यवहितत्व सूचित किया जाता है ऐसा कहकर जिन सूत्रोंमें सप्तमी और पञ्चमी इन दोनों विभक्तियोंमें रखे हुए शब्द प्राप्त होते हैं वहाँ पञ्चमीको अधिक प्रबल समझकर अव्यवहितपर शब्दस्वरूपके बारेमें कार्य किया जाय ऐसा स्पष्टीकरण वार्तिककारोंने किया है और उदाहरणस्वरूप भिन्न भिन्न सूत्र दिये हैं। 'स्व रूपं०' (सू. ६८) सूत्रमें पाणिनिसूत्रोंका अर्थ करनेके लिए लिया जानेवाला एक महत्त्वपूर्ण संकेत कहा है। पाणिनिका व्याकरण शब्दानुशासन अर्थात् शब्दशास्त्र हे, अतः 'सूत्रमें आमि, दधि, कलि, शुक इस प्रकार विशिष्ट शब्दका उच्चारण करके कार्य कहे जानेपर वे उस शब्दस्वरूपको ही होते हैं, उस शब्दके समानार्थी वहि, वैश्वानर इत्यादि अन्य शब्दोंको वे नहीं होते' इस आशयके प्रस्तुत सूत्रमें कहे हुए 'शब्दस्वरूपग्रहण, संकेत'का स्वरूप भाष्यकारोंने स्पष्ट किया है। पाणिनिके सूत्रमें साधारणतया सर्वत्र यह संकेत पाला जाता है, पर इसको 'नदीभिश्च' (२।१।२०), 'चतुष्पाद्भ्यो ढञ्' (४।१।१३५), 'चतुष्पाद्भ्यो गर्भिण्या' (२।१।७१), 'शुद्धाभ्यो वा' इस प्रकारके बहुतसे अपवादस्थल भी पाये जाते हैं। यहाँ 'नदी' शब्दसे गगा, यमुना इत्यादि कोई भी विशिष्ट नदीवाचक शब्द, चतुष्पाद् शब्दसे 'गो'-आदि चतुष्पाद्भाषिवाचक शब्द और 'शुद्ध' शब्दसे दासी आदि शुद्धयुक्तबोधक शब्द लिये जाते हैं, नदी, चतुष्पाद्, और शुद्ध शब्द नहीं लिये जाते। इस सूत्रपर सित्तद्विशेषाणा०, पितृपर्यायवचनस्य, जितृपर्यायवचनस्यैव०, क्षित्तस्य० (वार्तिक ५, ६, ७, ८) ये चार वार्तिक विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन वार्तिकोंमेंसे सित्त, पितृ, जितृ और क्षित्त इन चार शब्दोंके द्वारा 'विभाषा वृक्षभृग०' (२।४।१२) सूत्रका 'वृक्ष' शब्द, 'स्वे पुपः' (२।४।४०) सूत्रका 'स्व' शब्द, 'समा राजा०' (२।४।२३) सूत्रका 'राजन्' शब्द और 'पश्चिमत्स्य०' (४।४।३५) सूत्रका 'मत्स्य' शब्द क्रमसे समझे जाने चाहिये। इतना ही नहीं तो वार्तिककारोंने यह भी बताया है कि 'वृक्ष' और 'मत्स्य' शब्दोंसे उनका विशेष कहनेवाले शब्द तथा 'स्व' और 'राजन्' शब्दोंसे उनके पर्यायशब्द लिये जाने चाहिये। वार्तिककारोंने ए, ए, ज्

और झ् वर्ण जिनके अन्तमें हे उन स्ति, पित्, जित् और क्षित् शब्दोंका उच्चारण यहाँ किया है, उससे पाणिनिके कालमें महत्त्वपूर्ण शब्दोंके विशेष बतानेवाले शब्द तथा पर्याय दिखानेवाले शब्द जिनमें एकके बाद एक रखे जाते हे ऐसे गण, निघण्टुमें जैसे दिये हैं वैसे, उस काममें विद्वानोंके मुखोद्गत हुए होंगे, और उन गणोंमें कभी कभी न्यग्रोधस्, पिप्लस्, प्लक्षस्, जैसे सकार, तथा स्वप्, निजप् जैसे पकार ये इत् वर्ण लगाकर भिन्न भिन्न शब्दोंका पाठ किया होगा। पाणिनिने भी 'नन्दिग्रहपिचादिभ्यो०' (१।१।२४) सूत्रके पचादि गणमें नदट्, जरट्, गरट्, तरट्, चोरट्, देवट् जैसे ट् इत्सङ्गक होनेवाले प्रतिपदिक रखे हैं और उससे उपर्युक्त विधानको पुष्टि प्राप्त होती हे।

सावर्ण्यग्रहण—

'अणुदित् सवर्णस्य०' (सू ६९) वर्णोंका सवर्णवर्ण कहनेवाला महत्त्वपूर्ण सूत्र है। अण् अर्थात् अ इ इत्यादि महेश्वरके सूत्रमें उच्चारित नो स्वर और ह् य् व् र् ल् पाँच व्यञ्जन। पाणिनिसूत्रोंमें जहाँ जहाँ इनमेंसे किसी भी स्वरका वा व्यञ्जनका उच्चारण किया है वहाँ वहाँ अ इ इत्यादि वर्णोंसे जातिग्रहण सूत्रकारको अभिप्रेत होनेका कारण उन वर्णोंसे उनके ह्रस्व दीर्घ आदि सभी प्रकार लिये जायँ ऐसा अणुदित्० सूत्रका अर्थ है। प्रत्यय, आगम, आदेश इत्यादिमें कहीं कहीं सवर्णग्रहण इष्ट नहीं है यह देखकर 'प्रत्यय' शब्दमें ही प्रत्यय, आगम इत्यादि अन्तर्भाव हो जाय इस दृष्टिसे 'प्रत्यय' शब्दका 'प्रतिपदोक्त' (कहा हुआ) यह अर्थ भाष्यकारने किया है और यह भी कहा है कि 'भाष्यमानेन सवर्णानां ग्रहण न' यह परिभाषा सूत्रके 'अप्रत्यय.' शब्दसे सूचित होती है। जहाँ अ, इ इत्यादि वर्णोंसे जातिका ग्रहण इष्ट न हो वहाँ उस वर्णके आगे सूत्रमें 'त' कार लगाया जाता है, और 'जिस वर्णमें तकार लगाया हो उस वर्णके उच्चारणके लिए जितना समय लगता है उतने समयमें ही उच्चारित होनेवाले उसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक इत्यादि उपभेद लिये जायँ, उसके ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि उपभेद न लिये जायँ' ऐसा 'तपरस्तकालस्य' (सू ७०) इस अगले सूत्रमें सूत्रकारोंने ही कहा है। उच्चारण करने वाले व्यक्तिकी द्रुत और विलम्बित गतिसे उच्चारणके लिए यद्यपि अल्पाधिक समय लगा तो भी वर्णस्वरूप कायम ही रहता हे, उसमें बदल नहीं होता ऐसा यहाँ भाष्यकारोंने कहा हे, और साथ ही साथ यह दृष्टान्त भी दिया है कि चलनेवालेकी गतिके अनुसार शीघ्र वा विलम्बसे मनुष्य पहुँचा तो कोरा, योजन इत्यादि अन्तर अल्पाधिक नहीं होता है। यहाँ भाष्यकारोंने स्पष्टतासे प्रतिपादन किया है कि द्रुत और विलम्बित गतिके कारण शब्दका गुण जो ध्वनि है उसके उच्चारणके लिए यद्यपि अल्पाधिक समय लगाकर उसमें बदल हुआ तो भी स्फोटस्वरूप नित्य शुद्ध शब्दके उच्चारणमें उच्चारण करनेवालेकी द्रुत और विलम्बित गतिसे कुछ भी बदल नहीं होता है। 'आदिन्त्येन सहेता' (सू ७१) सूत्रमें लाघव प्रधान पाणिनिकी व्याकरणशास्त्रीय 'प्रत्याहार' इस महत्त्वपूर्ण सज्ञाका स्पष्टीकरण किया है।

तदन्तविधि —

‘येन विधिस्तदन्तस्य’ (सू ७२) सूत्रसे पाणिनिस्त्रोका अर्थ करनेके लिए उपयुक्त होनेवाले ‘तदन्तविधि’ नामक महत्त्वपूर्ण सनेतका निरूपण किया है। किसी भी विशेष्यको सूत्रमें वर्ण, प्रत्यय इत्यादि प्रकारका विशयण दिया हो तो वहाँ विशेषणान्त शब्दसमुदाय लिया जाय ऐसा थोडेमें इस सूत्रका अर्थ है। इस सूत्रका उपयोग यद्यपि अनक स्थलोंपर होता है तो भी इस तदन्तविधिको लेनेसे कुछ स्थलोंपर दोष प्राप्त होते हैं, इसलिए वार्तिककारोंने जहाँ दोष आते हैं व सभा स्थल, — जैसे समासविधि, प्रत्ययविधि, उगित्का उच्चारण, तथा वर्णका उच्चारण — दिखाये हैं, और कहा है कि वहाँ तदन्तविधि न ली जाय, और साथ ही साथ इस परिभाषाके उपयोगके प्रमुख स्थल भी दिखा दिये हैं। जहाँ प्रत्यय शब्दके आगे न लगकर वः शब्दमें ही घुस जाता है वहाँ अकच् आदि उन प्रविण प्रत्ययोंक साथ जो शब्द बन जाता है वह मूलभूत शब्दके समान ही समझा जाता है और उससे मूलभूत शब्दके बारेमें अपय, सर्वनाम इत्यादि जो सज्ञाप होनी हैं, वे उसके बारेमें भी होती हैं, वहा प्रवृत्त सूत्रसे कुछ भी आपत्ति नहीं प्राप्त होती। इस बातका स्पष्ट करनेके लिए भाष्यकारोंने यह दृष्टान्त दिया है कि छोटी छोटी नदियों यद्यपि आफर प्रविण होती हैं तो भी गंगा, सिंधु इत्यादि मूल नदियोंके नाम कायम ही रहते हैं। यहाँ वार्तिककारोंने इस सूत्रक अनेक प्रयोजन दिखाये हैं और कहा है कि इस परिभाषासूत्रके समान और इतना ही महत्त्वपूर्ण ‘यस्मिन्विधितदादावल्ग्रहणे’ यह भी संकेत कहना आवश्यक है। ‘बृद्धिर्यस्याचामादि’, ‘त्यदादीनि च’ और ‘एह् प्राचा देशे’ (सू ७३, ७४, ७५) इन तीन सूत्रोंमें सूत्रकारने ‘बृद्ध’ सज्ञाका लक्षण दिया है, तथा जिस शब्दका पहला स्वर आ, ऐ अथवा ओ है ऐसे सन्ध, त्यद्, तद्, इत्यादि सर्वनाम, और पूर्वाय देशोंमें प्रचलित ए और ओ इन स्वरोति आरभ होनेवाली व्यक्तिवाचक सज्ञाओंको ‘बृद्ध’ सज्ञा दी है। ‘यह बृद्ध सज्ञा लेनेके विषयमें व्यञ्जनोका विचार न किया जाय’ ऐसा कहकर वार्तिककारोंने यो प्रतिपादन किया है कि व्यञ्जनोंमें आरभ होनेवाले गार्थ आदि शब्दोंमेंसे पहला स्वर वृद्धिसंज्ञक होनेके कारण उन शब्दोंको यह ‘बृद्ध’ सज्ञा होती है, तथा यह भी बताया है कि ‘व्यक्तिवाचकसज्ञाओं और गौणप्रत्ययगत उच्चरपद् होनेवाली सज्ञाओंको भी बृद्ध सज्ञा विकल्पसे दी जाय।’ ‘एह् प्राचा देशे’ सूत्रमें ‘प्रादेश शब्दसे’ कौनसे देश विवक्षित है इसका विवचन ‘प्राशुद्वो विभजने०’ इस श्लोकवार्तिकमें किया है, पर वह वार्तिक भाष्यकारोंने नहीं दिया है।]

अदर्शनं लोपः ॥ १ । १ । ६० ॥

अर्थस्य संज्ञा कर्तव्या शब्दस्य मा भूदिति । इतरेतराश्रयं च भवति । केतरेतराश्रयता सतोऽदर्शनस्य संज्ञया भवितव्यं संज्ञया चादर्शनं भाव्यते तदेतदि-
तरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च न प्रकल्पन्ते ।

लोपसंज्ञायामर्थसतोरुक्तम् ॥ १ ॥

किमुक्तम् । अर्थस्य तावदुक्तम् । इतिकरणो ऽर्थनिर्देशार्थं इति । सतो

(सू. ६०) वर्ण अथवा वर्णसमुदायके उच्चारणका अवसर आनेपर भी उनका अदर्शन अर्थात् उच्चारण न करनेको लोपसंज्ञा होती है । (सू. ६०)

यह लोपसंज्ञा 'अदर्शन' शब्दके अर्थको होती है ऐसा कहा जाय । क्योंकि 'अदर्शन' शब्दको नहीं होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, यहाँ 'इतरेतराश्रय' दोष भी होता है ।

'इतरेतराश्रय' दोष किस प्रकारका ?

अनुच्चारण करनेके बाद उसे लोपसंज्ञा की जाय; और उस लोपसंज्ञासे वर्णोंका अनुच्चारण किया जाय । अतः लोपसंज्ञा अनुच्चारणपर निर्भर रहती है और अनुच्चारण लोपसंज्ञापर निर्भर रहता है, ऐसा होना अन्योन्याश्रय दोष है । और जिस स्थानपर एक दूसरेपर निर्भर कार्य उपस्थित होते हैं वहाँ वह कार्य करना संभव नहीं होता ।

(वा १) यह लोपसंज्ञा अर्थको की जाय और अनुच्चारण करनेके बाद उस अनुच्चारणको की जाय इन दो बातोंके संबंधमें पहले कहा ही गया है ।

वह क्या कहा गया है ?

"अर्थको संज्ञा की जाय" इस संबंधमें तो "इतिकरणोऽर्थनिर्देशार्थः" ऐसा पहले (१।१।४४ वा. ३) कहा ही गया है । वैसे ही 'अनुच्चारण करनेके बाद

१. यहाँ 'अदर्शन' शब्दमें 'दर्श' धातुका उच्चारण करना यह अर्थ है । तब 'अदर्शन' शब्दका अर्थ होता है 'अनुच्चारण' । 'अनुच्चारण' अर्थात् 'उच्चारण न करना' इस अर्थको लोप संज्ञा होनी चाहिये ।

२. 'हे राम' में 'राम' शब्दके आगे संतुद्धि सुप्रत्यय करके 'रामम्' होनेपर उसका 'एद् हल्वात् संतुद्धे.' (१।१।६९) सूत्रसे लोप करना है । यहाँ उस 'सु' प्रत्ययका अनुच्चारण करनेपर उस अनुच्चारणको 'लोप' संज्ञा होगी, और लोप संज्ञा होनेपर लोपका स्वल्प समसमें आनेपर उग्न किये हुए प्रत्ययका अनुच्चारण किया जायगा । तब कुछ भी नहीं किया जा सकता यह अन्योन्याश्रय दोष है ।

३. 'नयेति विभाषा' (१।१।१।४४) सूत्रमें 'इति' शब्दकी अनुवृत्ति यहाँ करके 'अदर्शनम्' के साथ उस 'इति' शब्दका संबंध किया जाय जिसने 'अदर्शनम् इति लोपः' यह वाक्य होके 'अदर्शन' शब्दके अर्थको लोपसंज्ञा होती है ।

ऽन्युक्तम्। सिद्धं तु नित्यशब्दत्वादिति। नित्याः शब्दाः। नित्येषु च शब्देषु सतोऽदर्शनस्य संज्ञा क्रियते न सज्ञयादर्शनं भाव्यते ॥

सर्वप्रसङ्गस्तु सर्वस्यान्यत्रादृष्टत्वात् ॥ २ ॥

सर्वप्रसङ्गस्तु भवति। सर्वस्यादर्शनस्य लोपसंज्ञा प्राप्नोति। किं कारणम्। सर्वस्यान्यत्रादृष्टत्वात्। सर्वो हि शब्दो यो यस्य प्रयोगविषयः स ततोऽन्यत्र न दृश्यते। ननु जत्वित्यत्राणोऽदर्शनं तत्रादर्शनं लोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति। तत्र को दोषः।

तत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः ॥ ३ ॥

तत्र प्रत्ययलक्षणं कार्यं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। अचो ङिति [७.२.११५] इति वृद्धिः प्राप्नोति ॥ नैष दोषः। ङित्यङ्गस्याचो वृद्धिरुच्यते। यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये ङङ्ग भवति। यस्माच्चान् प्रत्ययविधिर्न तत्प्रत्यये

उसे की जाय' इस संघर्षमें भी 'सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्' (१।१।३ वा. ९) ऐसा पहले कहा गया है। अर्थात् शब्द नित्य है। शब्द नित्य होनेसे पहले ही से सिद्ध अनुच्चारणको लोपसंज्ञा की जाती है। लोपसंज्ञासे कुछ मूलतः उच्चारित शब्दोंका अनुच्चारण नहीं किया जाता।

(वा. २) सर्वप्रसंग आता है अर्थात् सभीके अदर्शनको लोपसंज्ञा होने लगेगी। क्यों भला ?

'सर्वस्यान्यत्रादृष्टत्वात्' याने सभी शब्दोंकी ऐसी स्थिति है कि जिन शब्दोंका प्रयोग करनेका जो स्थल होगा उस स्थलके सिवा अन्यत्र कहीं भी वह शब्द दिखाई नहीं देता। उदा०—ऋणु, जतु, में अण प्रत्यय दिखाई नहीं देता। अतः वहाँ उस अण प्रत्ययके अदर्शनको या अनुच्चारणको लोपसंज्ञा होने लगेगी।

तो फिर यहाँ अण् प्रत्ययका लोप है ऐसा माना जाय तो कौनसा दोष होगा ?

(वा. ३) वहाँ उस अण् प्रत्ययके निमित्त होनेवाला कार्य प्राप्त होता है उसका निषेध करना चाहिए। नहीं तो प्रत्ययलक्षणसे (१।१।६२) 'अचो ङिति' (७।२।११५) से ऋणु, जतु, में उकारको वृद्धि होने लगेगी।

यह दोष नहीं आता। क्योंकि ङित् या ङित् प्रत्यय आगे होनेपर उसके पिछले अंगके अच्को उस सूत्रद्वारा वृद्धि बतायी गयी है। और अंगसंज्ञा तो जिससे प्रत्यय किया गया हो, तदादि शब्दस्वरूपको वह प्रत्यय आगे होनेपर होती है (१।४।१३)। (यद्यपि यहाँ प्रत्ययलक्षणसे अण् प्रत्यय आगे है ऐसा माना तो भी) वह अण् प्रत्यय जिस शब्दस्वरूपसे अर्थात् कर्म उपपद होनेपर धातुसे (३।२।१) किया जाता है वह शब्दस्वरूप यहाँ वह प्रत्यय आगे होनेपर नहीं है। यहाँ वह प्रत्ययलक्षणसे माना हुआ

परतः। यच्च प्रत्यये परतो न तस्मात्प्रत्ययविधिः ॥ किपस्तर्हीदर्शनं तत्रादर्शनं लोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति। तत्र को दोषः। तत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः। तत्र प्रत्ययलक्षणं कार्यं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। ह्रस्वस्य पिति कृति तुग्भवतीति तुक्प्राप्नोति ॥

सिद्धं तु प्रसक्तादर्शनस्य लोपसंज्ञित्वात् ॥ ४ ॥

सिद्धमेतत्। कथम्। प्रसक्तादर्शनं लोपसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्। यदि प्रसक्तादर्शनं लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते ग्रामणीः सेनानीः अत्र वृद्धिः प्राप्नोति। प्रसक्तादर्शनं लोपसंज्ञं भवति पष्ठीनिर्दिष्टस्य। यदि पष्ठीनिर्दिष्टस्येत्युच्यते चाहलोप एवेत्यवधारणे [८.१.६२] चादिलोपे विभाषा [६३] इत्यत्र लोपसंज्ञा न प्राप्नोति।

अण् प्रत्यय आगे होनेपर जो त्रपु, जतु, यह शब्दस्वरूप है उससे वह अण् प्रत्यय नहीं किया गया है। (निदान, त्रपु, जतु को अण् या णित् प्रत्ययके कारण अंगसंज्ञा न होनेके कारण वृद्धि नहीं होगी इसलिए कुछ दोष नहीं आता।)

तो फिर त्रपु, जतु में किप् प्रत्यय दिखाई नहीं देता। तब उस किप् प्रत्ययके अदर्शनको 'अदर्शनं लोपः' इस प्रकृतसूत्रसे लोपसंज्ञा होने लगेगी।

फिर वहाँ किप् प्रत्ययका लोप हुआ है ऐसा माना जाय तो क्या दोष होगा ?

'तत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः' याने वहाँ उस किप् प्रत्ययके निमित्त होनेवाला कार्य प्राप्त होता है उसका निषेध करना चाहिए। नहीं तो प्रत्ययलक्षणसे (१।१।६२) 'ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्' (६।१।७१) से त्रपु, जतु, में तुक् आगम होने लगेगा।

(वा. ४) यह सिद्ध होता है।

सो कैसे ?

जिन प्रत्यय आदिके उच्चारणका प्रसंग जिस स्थानपर आता होगा उस स्थानपर ही उन प्रत्यय आदिके अदर्शनको लोपसंज्ञा होती है ऐसा माना जाय।

उच्चारणका प्रसंग आये हुए अदर्शनको ही लोपसंज्ञा होती है ऐसा कहा जाय तो भी ग्रामणीः, सेनानीः, में उच्चारणका प्रसंग आये हुए अण् प्रत्ययका (३।२।१) बाध करके किप् प्रत्यय किया जानेके कारण अण् प्रत्ययके अदर्शनको लोपसंज्ञा होगी और प्रत्ययलक्षणसे (१।१।६२) वृद्धि (७।२।११५) होगी ऐसा दोष आयेगा ही।

उच्चारणका प्रसंग आये हुए अदर्शनको ही लोपसंज्ञा होती है यह सच है, पर वह उच्चारणका प्रसंग आदेश बतानेवाले सूत्रमें जिसका पष्ठी प्रत्यय लगाकर निर्देश किया होता है उसीका होना चाहिए।

अगर पष्ठीका प्रत्यय लगाकर निर्देश किये हुए उच्चारणका ही प्रसंग लेना हो तो 'चाहलोप एवेत्यवधारणम्' (८।१।६२), 'चादिलोपे विभाषा' (८।१।६३) इन सूत्रोंके उदाहरणोंमें 'च' आदिके अदर्शनको लोपसंज्ञा नहीं होगी।

अथ प्रसक्तादर्शनं लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यमाने कथमिवितस्तिध्यति । को हि शब्दस्य प्रसङ्गः । यत्र गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते । अस्तु तर्हि प्रसक्तादर्शनं लोपसंज्ञं भवतीत्येव । कथं ग्रामणीः सेनानीः । योऽत्राणः प्रसङ्गः कृपासौ वाच्यते ॥

प्रत्ययस्य लुक्ऽलुलुपः ॥ १ । १ । ६१ ॥

प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् ।

लुमति प्रत्ययग्रहणमप्रत्ययसंज्ञाप्रतिषेधार्थम् ॥ १ ॥

लुमति प्रत्ययग्रहणं क्रियते ऽप्रत्ययस्वैताः संज्ञा मा भून्निति ॥ किं प्रयोजनम् ॥

प्रयोजनं तद्धितलुकि कंसोयपश्चव्ययोर्लुकि च गोप्रकृतिनिवृत्त्यर्थम् ॥ २ ॥

पर 'उच्चारणका प्रसंग आये हुए अदर्शनको ही लोपसंज्ञा होती है' यह तो आपको भी मान्य है न ? फिर आपके मतमें भी तो 'च' आदिके अदर्शनको लोपसंज्ञा भला किस प्रकार सिद्ध होती है ? क्योंकि वहाँ 'च' आदि शब्दोंके उच्चारणका कैसे प्रसंग आता है ?

'उच्चारणका प्रसंग' ऐसे पहचाना जाय कि जिस वाक्यसे एकाध अर्थ मनमें आ जाता है, पर उस अर्थके शब्दका प्रयोग तो वहाँ दिलाई नहीं देता, वहाँ उस शब्दके उच्चारणका प्रसंग है ऐसा माना जाय ।

तो फिर पक्षीप्रत्ययसे निर्देश किया हुआ प्रसंग ही आवश्यक है ऐसा आप्रह नहीं रखते । केवल 'जिसके उच्चारणका प्रसंग आया हो वहाँ उसीके अदर्शनको लोपसंज्ञा होती है ।' इतना ही इस प्रकृत सूत्रका अर्थ रहने दें ।

इतना ही अर्थ लिया जाय तो ग्रामणीः, सेनानीः में अण् प्रत्ययके अदर्शनको लोपसंज्ञा होने लगेगी उसका क्या ?

उसका स्पष्टीकरण यह है कि ग्रामणीः, सेनानीः में अण् प्रत्ययका प्रसंग है ऐसा आपको लगता है, पर वह प्रसंग वहाँ नहीं टिकता । क्योंकि, निवृप् प्रत्ययसे उस अण् प्रत्ययके प्रसंगका बाध किया जाता है ।

(सू. ६१) लुक्, इलु और लुप् शब्दोंसे जहाँ प्रत्ययोंका अदर्शन कहा हो वहाँ उस अदर्शनको लुक्, इलु और लुप् संज्ञाएँ होती हैं ।

(सू. ६१) इस सूत्रमें 'प्रत्ययस्य' शब्द किस लिए उच्चारित किया गया है ?

(वा. १) 'लु' अक्षर जिसमें है ऐसी लुक् आदि संज्ञाएँ बतानेवाले इस प्रकृत-सूत्रमें 'प्रत्ययस्य' शब्दका जो उच्चारण किया है उसका उपयोग यह है कि प्रत्ययके बिना अन्यके अदर्शनको लुक्, इलु, लुप् संज्ञाएँ न हों ।

उसका क्या उपयोग है ?

तद्धितलुकि गोनिवृत्त्यर्थं कंसीयपरशव्ययोश्च लुकि प्रकृतिनिवृत्त्यर्थम् ।
लुकद्धितलुकि [१.२.४९] इति गोरपि लुकप्राप्नोति । प्रत्ययग्रहणात् भवति ।
कंसीयपरशव्ययोर्यञ्जौ लुक्च. [४.३.१६८] इति प्रकृतेरपि लुकप्राप्नोति ।
प्रत्ययग्रहणात् भवति ॥ गोनिवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः ॥

. योगविभागात्सिद्धम् ॥ ३ ॥

योगविभागः करिष्यते । गोरुपसर्जनस्य । गोऽन्तस्य प्रातिपदिकस्योप-
सर्जनस्य ह्रस्वो भवति । ततः स्त्रियाः । स्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकस्योपसर्जनस्य

(वा. २) 'प्रत्ययस्य' शब्दका उपयोग यह है कि तद्धितका लुक् होनेपर वहाँ गोशब्दका लुक् न हो, वैसे ही कंसीय और परशव्य शब्द के प्रत्ययका लुक् होता है वह संबंध प्रकृतिका न हो । 'लुक् तद्धितलुकि' (१।२।४९) सूत्रमें 'गोस्त्रियोः०' (१।२।४८) सूत्रसे 'गोस्त्रियोः'की अनुवृत्ति आती है। अतः उससे तद्धित प्रत्ययका लुक् होनेपर जैसे स्त्रीप्रत्ययका लुक् होता है वैसे गोशब्दका भी होने लगेगा । वह 'प्रत्ययस्य' ऐसा यहाँ कहनेके कारण नहीं होता है । वैसे ही 'कंसीयपरशव्ययोः यञ्जौ लुक् च' (४।३।१६८) सूत्रसे कंसीय और परशव्य इस समग्र लुक् प्रकृतिका लुक् होने लगेगा । परंतु 'प्रत्ययस्य' ऐसा यहाँ कहनेके कारण वह लुक् नहीं होता । (केवल उसका प्रत्ययका जितना भाग है उतनेका ही होता है ।)

गोशब्दका लुक् न हो इसलिए 'प्रत्ययस्य' ऐसा यहाँ कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(वा. ३) क्योंकि 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य' सूत्रका विभाग करनेसे ही सिद्ध होता है । वह सूत्रका विभाग यों है— 'गोरुपसर्जनस्य' यह एक सूत्र है । 'उपसर्जन जो गोशब्द है वह अंतेके प्रातिपदिकको ह्रस्व होता है' ऐसा उसका अर्थ है । फिर 'स्त्रियाः' यह दूसरा सूत्र है । 'उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त जो प्रातिपदिक है उसे ह्रस्व होता है' ऐसा उसका अर्थ है । उसके आगे 'लुक् तद्धितलुकि' यह

१. कारण यह कि 'गो' शब्द है, प्रत्यय नहीं' तब 'पञ्चभिर्गोभिः क्रीतः पञ्चगुः' में 'लुक् तद्धितलुकि' से 'गो' शब्दका लुक् नहीं होता । तात्पर्य यह है कि, 'लुक् तद्धितलुकि' में 'गोस्त्रियोः०' श्य पिछले सूत्रसे केवल 'स्त्री' शब्दकी अनुवृत्ति होती है, 'गो' शब्दकी अनुवृत्ति नहीं होती, कारण, 'अनुवृत्ति' लार्था गयी तो भी वह निरूपयोगी है ।

२. श्य सूत्रसे 'कंसीय' शब्दके आगे 'विहार' अर्थमें 'यञ्' प्रत्यय होता है और 'कंसीय' शब्दके 'इय' का लोप होता है । कंसीयस्य विहारः कास्थम् तथा परशव्यस्य विहारः पारशव्यः । यहाँ 'परशव्य' शब्दके आगे 'अञ्' प्रत्यय होता है और 'परशव्य' शब्दके 'य' भंगका लुक् होता है ।

ह्रस्वो भवति । ततो लुक्द्वितिलुकीति स्त्रिया इति वर्तते गोरिति निवृत्तम् ॥

कंसीयपरशव्ययोर्विशिष्टनिर्देशात्सिद्धम् ॥ ४ ॥

कंसीयपरशव्ययोरपि विशिष्टनिर्देशः कर्तव्यः । कंसीयपरशव्ययोर्यञ्जौ भवतश्छयतोश्च लुम्भवतीति । स चावश्यं विशिष्टनिर्देशः कर्तव्यः । क्रियमाणे ऽपि वै प्रत्ययग्रहण उकारसशब्दयोर्भा भूदिति । कमेः सः कंसः । पराञ्शृणातीति परशुरिति । नैप दोषः । उणादयो ऽन्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । स एषो ऽनन्यार्थो विशिष्टनिर्देशः कर्तव्यः प्रत्ययग्रहणं वा कर्तव्यम् ॥

उक्तं वा ॥ ५ ॥

सूत्र है । अतः पिउले 'स्त्रियाः' सूत्रमें गोशब्द न होनेके कारण उसकी अनुवृत्ति यहाँ नहीं होगी । केवल 'स्त्रियाः'की ही होगी ।

(वा ४) कंसीय और परशव्य इनमेंसे जिस भागका लुक् इष्ट है उसका विशेष रूपसे निर्देश किया जाय, जिससे कंसीय और परशव्य इन शब्दोंसे 'उसका विकार' इस अर्थमें क्रमसे यञ्ज और अञ्ज प्रत्यय होते हैं, और कंसीय और परशव्य शब्दोंके छ और यत् प्रत्ययोंका लुक् होता है ऐसा कहा जाय । और ऐसा विशेष रूपसे निर्देश अवश्य किया जाना ही चाहिए । यद्यपि प्रकृतसूत्रसे 'प्रत्ययस्य' शब्द रखा जाय तो भी 'छ और यत् का लुक् होता है' ऐसा कहना ही चाहिए । उकार और सकार प्रत्ययोंका नहीं होना चाहिए ।

कम् धातुसे 'स' प्रत्यय (उणा० ३।६२) होकर कंस शब्द सिद्ध हुआ है । वैसे ही 'पान् शृणाति इति परशुः' यहाँ पर उपपद है और 'शृ' धातुसे 'आङ् परयोः खनिशृभ्यां ङिच्च' (उणादि सू० १।३५) से 'उ' प्रत्यय होकर परशु शब्द सिद्ध हुआ है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि 'उणादयोऽन्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' याने 'शाकटायनके उण् आदि प्रत्यय लगाकर सिद्ध किये हुए जो प्रातिपदिक है वे पाणिनिके मतमें अव्युत्पन्न माने जाते हैं ।' अतः कम् धातु, स प्रत्यय इत्यादि प्रकृति प्रत्ययोंकी कल्पना उनमें नहीं की जानी चाहिए । तात्पर्य, 'छ और यत् का लुक् होता है' इस विशेष निर्देशका उपयोग दूसरा कुछ भी संभव नहीं है । केवल 'कंसीय और परशव्य इस समग्र प्रकृतिका लुक् न हो' वही एक उपयोग है । इसलिए उसका वैसा विशेष निर्देश किया जाय । अथवा उसके लिए प्रकृतसूत्रसे 'प्रत्ययस्य' शब्द रखा जाय । कुछ भी किया जाय तो चल सकता है ।

किमुक्तम् । ङच्चाप्प्रातिपदिकग्रहणमङ्गभपदसंज्ञार्थं यच्छयोश्च लुगर्थमिति ॥

पष्ठीनिर्देशार्थं तु ॥ ६ ॥

पष्ठीनिर्देशार्थं तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् । पष्ठीनिर्देशो यथा प्रकल्पेत ॥

अनिर्देशे हि पष्ठ्यर्थप्रसिद्धिः ॥ ७ ॥

अक्रियमाणे हि प्रत्ययग्रहणे पष्ठ्यर्थस्याप्राप्तिः स्यात् । कस्य । स्थाने-
योगत्वस्य ॥ क पुनरिह पष्ठीनिर्देशार्थेनार्थः प्रत्ययग्रहणेन यावता सर्वत्रैव पष्ठ्यु-
च्चार्यते ऽणित्रोस्तद्राजस्य यत्रत्रोः शप इति । इह न काचित्पष्ठी जनपदे लुप्
[४-२-८१] इति । अत्रापि प्रकृतं प्रत्ययग्रहणमनुवर्तते । क प्रकृतम् । प्रत्ययः
परश्च [३-१-१, २] इति । तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं पष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । ङच्चा-

(वा. ५) अथवा यह बताया ही है ।

वह क्या बताया है ?

‘ ङच्चाप्प्रातिपदिकग्रहणमङ्गभपदसंज्ञार्थं यच्छयोश्च लुगर्थम् ’ (४।१।१ वा. १।२)
ऐसा बताया गया है ।

(वा. ६) तो फिर ‘ पष्ठीनिर्देशार्थं ’ याने पष्ठीप्रत्यय लगानेके लिए प्रत्ययशब्द
यहाँ रखा जाना चाहिए । क्योंकि, कोई भी शब्द उच्चारें बिना केवल पष्ठीप्रत्यय
उच्चारना नहीं जा सकता ।

(वा. ७) प्रत्ययशब्द उच्चारना नहीं गया तो लुक् आदि बतानेवाले सूत्रमें
पष्ठीप्रत्ययका अर्थ नहीं लिया जा सकेगा ।

कौनसा पष्ठीप्रत्ययका अर्थ नहीं लिया जा सकेगा ?

‘ स्थानसे संबंध ’ यह अर्थ नहीं लिया जा सकेगा ।

‘ परंतु पष्ठीप्रत्यय लगानेके लिए यहाँ प्रत्यय शब्दका उच्चारण किया जाना
चाहिए ’ ऐसा जो आप कहते हैं उसका उपयोग भी भला किस लुक् आदि बतानेवाले
शास्त्रमें होगा ? देखें तो लुक् आदि बतानेवाले सभी सूत्रोंमें तत्तद् विशेष शब्दका उच्चारण
करके उसमें पष्ठीप्रत्यय लगाया दिखाई देता है । उदा०— ‘ अणित्रोः ’ (२।४।५८),
‘ तद्राजस्य ’ (२।४।६२), ‘ यत्रत्रोः ’ (२।४।६४), ‘ शपः ’ (२।४।७२)

पर जिस स्थानपर कोई भी शब्द पष्ठीप्रत्यय लगाकर न उच्चारना गया हो वहाँ
कैसा अर्थ लिया जा सकेगा ? उदा०— ‘ जनपदे लुप् ’ (४।२।८१)

वहाँ पीछेसे प्रत्यय शब्दकी अनुवृत्ति आती है ।

पीछे प्रत्यय शब्द साधारणतः कहाँ है ?

प्रत्ययः । परश्च (३।१।१, २) ऐसा प्रत्ययशब्द है ।

परंतु वह प्रत्ययशब्द, प्रथमा विभक्तिका प्रत्यय लगाकर उच्चारित किया गया है ।
और यहाँ तो पष्ठी प्रत्यय लगाए हुए शब्दकी आवश्यकता है ।

प्रातिपदिकात् [४.१.१] इत्येषा पञ्चमी प्रत्यय इति प्रथमायाः पठौ प्रकल्प-
यिष्यति तस्मादित्युत्तरस्य [१.१.६७] इति । प्रत्ययविधिरयं न च प्रत्ययविधौ
पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति । नायं प्रत्ययविधिः । विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानु-
वर्तते ॥

सर्वादेशार्थं वा वचनप्रामाण्यात् ॥ ८ ॥

सर्वादेशार्थं तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् । लुक्श्लुत्पः सर्वादेशा यथा स्युः ।
अथ क्रियमाणे ऽपि प्रत्ययग्रहणे कथमिव लुक्श्लुत्पः सर्वादेशा लभ्याः । वचन-
प्रामाण्यात् । प्रत्ययग्रहणसामर्थ्यात् ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । आचार्यप्रवृत्ति-
ज्ञापयति लुक्श्लुत्पः सर्वादेशा भवन्तीति यदयं लुक्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे
दन्त्ये [७.३.७३] इति लोपे प्रकृते लुक् शास्ति ॥

इत्थाप्रातिपदिकात् (४।१।१) इस पञ्चम्यन्त पदकी अनुवृत्ति यहाँ आती है ।
अतः 'तस्मादित्युत्तरस्य' (१।१।६७) इस परिभाषासे उस पंचमीप्रत्ययके बलपर
'प्रत्ययः' इस प्रथमा प्रत्ययके बदले पठौ प्रत्ययकी कल्पना की जा सकेगी ।

परंतु यहाँ प्रत्ययका विधान किया गया है न? और प्रत्ययका विधान जिस
स्थानपर किया गया हो उस स्थानपर तो पंचमी प्रत्ययके बलपर पठौ प्रत्ययकी
कल्पना नहीं हुआ करती ।

'जनपदे लुप्' सूत्रसे प्रत्ययका विधान नहीं किया गया है । पिछले सूत्रों-
द्वारा ही प्रत्ययका विधान किया गया है । उसकी केवल अनुवृत्ति यहाँ आ रही है ।

(वा. ८) तो फिर सर्वादेश होने के लिए याने लुक्, श्लु और लुप् ये आदेश
समूचे प्रत्ययको होने चाहिए । अतः यहाँ 'प्रत्ययस्य' ऐसा कहना चाहिए ।

परंतु 'प्रत्ययस्य' ऐसा यहाँ कहा गया तो भी लुक्, श्लु और लुप् ये समूचे
प्रत्ययको कैसे हो सकेंगे? (अल्लेन्त्यस्य [१।१।५२] इससे प्रत्ययके अंत्य वर्णको या
कुछ स्थानोंपर (आदेः परस्य [१।१।५४] से) प्रत्ययके आदिवर्णको क्यों न हों?)

'वचनप्रामाण्यात्' याने यहाँ प्रत्ययस्य ऐसा जो कहा गया है उसकी सामर्थ्यके
कारण लुक् आदि सब प्रत्ययको होंगे ।

'प्रत्ययस्य' शब्दका यह उपयोग भी ठीक नहीं है । क्योंकि जब कि आचार्य
पाणिनि 'लुक्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये' (७।३।७३) सूत्रमें 'घोर्लोपो
लेटि वा' (७।३।७०) सूत्रमेंसे लोप शब्दकी अनुवृत्तिके आनेपर भी पुनः लुक् पद
रक्षते हैं, तब वे ऐसा सूचित करते हैं कि 'लुक्', 'श्लु' और 'लुप्' ये आदेश समूचे
प्रत्ययको होते हैं' (लुक् बतकर भी अगर वह प्रत्ययके अन्त्य वर्णका होगा तो लोप
शब्दकी अनुवृत्तिसे ही काम चला जायगा और लुक् पद व्यर्थ होगा ।)

३. 'प्रत्ययस्य' यह कल्पना ।

उत्तरार्थं तु ॥ ९ ॥

उत्तरार्थं तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । क्रियते तत्रैव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् [१.१.६२] इति । द्वितीयं कर्तव्यम् । कृत्प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात् । एकदेशलोपे मा भूदिति । आघ्नीत । सं रायस्पोपेण ग्मीयेति ॥

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् ॥ १ । १ । ६२ ॥

प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् । लोपे प्रत्ययलक्षणामितीयत्युच्यमाने सौरथी वैहतीति

(वा. ९) तो फिर अगले सूत्रमें 'प्रत्ययस्य' की अनुवृत्ति होनी चाहिए इसलिए यहाँ 'प्रत्ययस्य' ऐसा कहना चाहिए ।

ऐसा कहनेकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' इस अगले सूत्रमें 'प्रत्ययलोपे' ऐसा प्रत्ययशब्द रखा ही गया है न ?

यद्यपि वह रखा गया है तो भी और दूसरे प्रत्ययशब्दकी वहाँ आवश्यकता है । प्रत्यय जो प्रत्यय है याने संबंध प्रत्यय है उसका लोप हुआ हो तभी उस प्रत्ययके निमित्त बताया हुआ कार्य अगले सूत्रसे होना चाहिए । प्रत्ययके किसी भागका लोप हुआ हो तो उसके निमित्त प्राप्त होनेवाला कार्य नहीं होना । नहीं होना चाहिए उदा० 'आघ्नीतं सं रायस्पोपेण ग्मीय ।'

(सू. ६२) प्रत्ययके निमित्त कहा हुआ जो कार्य है वह प्रत्ययका लोप होनेपर भी किया जाय । (६२)

(सू. ६२) इस सूत्रमें प्रत्यय शब्द किस लिए रखा गया है ?

प्रत्ययशब्दको निकालकर 'लोपे' प्रत्ययलक्षणम्' इतना ही सूत्र किया तो

४. 'आघ्नीत' क्रियामें आड् उपसर्ग, हन् धातु, विधिलिट् और उसको आत्मनेपद (१।३।२८) किया है । यहाँ प्रत्ययके सकारका जो लोप हुआ है (७।२।७९) उसको प्रत्ययलक्षण हुआ तो शलादि प्रत्यय आगे है ऐसा समझकर 'अनुदातोपदेशः' (६।४।३७) सूत्रसे नकारका लोप होने लगेगा । 'संग्मीय' यह 'ग्म्' धातुकी क्रिया है । वहाँ भी उसी प्रकारका लोप होने लगेगा ।

१. 'क्रिमीका भी लोप होनेपर यदि कोई कार्य न हुआ तो वह कार्य लोप होनेपर भी किया जाय' ऐसा सूत्रका अर्थ लेकर 'सौरथी', 'वैहती' रूपोंमें लोप दिखाया है । 'गु' उपसर्गपूर्वक 'रम्' धातु के आगे 'कथन्' (उणा० २।२) प्रत्यय करके 'रम्' धातुके मकारका लोप (६।४।३७) होकर 'मुरथ' शब्द की सिद्धि हुई है । तथा 'वि' उपसर्गपूर्वक 'हन्' धातुके आगे 'फत' प्रत्यय करके 'हन्' धातु के मकारका लोप होके 'विहत' शब्द सिद्ध हुआ है । मुरपकी पोती 'सौरथी', विहतकी पोती 'वैहती' । 'मुरथ' और 'विहत' शब्दोंके आगे 'इम्' प्रत्यय (४।१।९५) हुआ है । वहाँ मकार और

गुरूपोत्तमलक्षणः प्यङ् प्रसज्येत । नैष दोषः । नैवं विज्ञायते लोपे प्रत्ययलक्षणं भवति प्रत्ययस्य प्रादुर्भाव इति । कथं तर्हि । प्रत्ययो लक्षणं यस्य कार्यस्य तद्भूतेऽपि भवतीति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । सति प्रत्यये यत्प्राप्नोति तत्प्रत्यय-लक्षणेन यथा स्यात् । लोपोचरकालं यत्प्राप्नोति तत्प्रत्ययलक्षणेन मा भूदिति । किं प्रयोजनम् । ग्रामणिकुलम् सेनानिकुलम् । औत्तरपदिके ह्रस्वत्वे कृते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् [६०१.७१] इति तुक्प्राप्नोति स मा भूदिति । यदि तर्हि यत्सति प्रत्यये प्राप्नोति तत्प्रत्ययलक्षणेन भवति लोपोचरकालं यत्प्राप्नोति तन्न भवति जगत्जनगदित्यत्र तुम् प्राप्नोति । लोपोचरकालो ह्यत्र तुगागमः । तस्मान्नार्थ एवमर्थेन

सौरथी, वैहती में प्रत्ययलक्षण होगा, याने उपोत्तम वर्ण गुरु होनेके कारण प्यङ् प्रत्यय (४।१।७८) होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । प्रत्ययलक्षण होता है याने प्रत्ययकी उत्पत्ति होती है ऐसा 'प्रत्ययलक्षण' शब्दका अर्थ न समझा जाय, अपितु प्रत्यय जिस कार्यका निमित्त है ऐसा कार्य लोप होनेपर भी किया जाय, यही इस सूत्रका अर्थ है ।

तो फिर प्रत्यय शब्दका ऐसा उपयोग समझा जाय कि प्रत्ययके विद्यमान होनेपर प्रत्ययके कारण प्राप्त होनेवाला जो कार्य है वही कार्य प्रत्ययका लोप होनेपर प्रत्ययलक्षणसे होता है । और जो प्रत्ययके निमित्त प्राप्त होनेवाला कार्य है परंतु जो प्रत्ययका लोप होनेपर ही प्राप्त होता है ऐसा कार्य प्रत्ययलक्षणसे न हो ।

इसका क्या उपयोग है ?

उपयोग यह कि ग्रामणिकुलम्, सेनानिकुलम्, इन सामासिक शब्दोंमें उत्तर-पदके निमित्त ग्रामणी और सेनानी इस पूर्वपदकी ह्रस्व (६।३।६१) करनेपर प्रकृतसूत्रसे प्रत्ययलक्षण होनेके कारण विवप् प्रत्यय आगे है ऐसा न समझा जाय । 'ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्' (६।१।७१) से बताया हुआ तुक् आगम होने लगेगा वह नहीं होना चाहिए ।

पर यदि 'प्रत्ययके विद्यमान होनेपर जो कार्य प्राप्त होता है वही कार्य प्रत्ययका लोप होनेपर प्रत्ययलक्षणसे होता है, प्रत्ययका लोप होनेपर जो कार्य प्राप्त होता है वह कार्य प्रत्ययलक्षणसे नहीं होता,' ऐसा हो तो जगत्, जनगत्, में प्रत्ययलक्षणसे जो तुक् आगम (६।१।७१) हुआ करता है वह नहीं होगा । क्योंकि विवप् प्रत्ययका लोप होनेपर ही यहाँ तुक् आगम प्राप्त होता है । अतः 'प्रत्ययके विद्यमान होनेपर प्राप्त

नकारका लोप होनेके कारण पिछले अकारको गुरुवंशा (१।४।११) नहीं होती इसलिए 'अणिनोः' (४।१।७८) सूत्रसे 'प्यङ्' प्रत्यय नहीं होता । परन्तु प्रकृत सूत्रसे यहाँ 'प्यङ्' प्रत्यय होगा यह दोष आता है ।

प्रत्ययग्रहणेन । कस्मान्न भवति ग्रामणिकुलम् सेनानिकुलम् । बहिरङ्गं ह्रस्वत्वम् ।
अन्तरङ्गस्तुम् । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । कृत्स्नप्रत्ययलोपे
प्रत्ययलक्षणं यथा स्यादेकदेशलोपे मा भूदिति । आघ्नीत । सं रायस्पोषेण ग्मीय ।
पूर्वश्मिन्नपि योगे प्रत्ययग्रहणस्यैतत्प्रयोजनमुक्तम् । अन्यतरच्छक्यमकर्तुम् ॥ अथ
द्वितीयं प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् । प्रत्ययलक्षणं यथा स्याद्वर्णलक्षणं मा भूदिति ।
गवे हितं गोहितम् । रायः कुलं रेकुलमिति ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ?

होनेवाला ही कार्य प्रत्ययलक्षणसे होता है ' ऐसा आग्रह नहीं किया जा सकेगा और उसके
लिए प्रकृतसूत्रमें प्रत्यय शब्द रचना आवश्यक नहीं होगा ।

तो फिर ग्रामणिकुलम्, सेनानिकुलम् में तुक् आगम क्यों नहीं होता ?

उत्तरपदके निमित्त हुआ ऋस्व बहिरंग है और तुक् आगम अंतरंग है । और
' असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ' याने अंतरंग तुक् आगम कर्तव्य होनेपर बहिरंग ऋस्व असिद्ध
है, इसीलिए तुक् आगम नहीं होता ।

तो फिर यहाँके प्रत्यय शब्दका उपयोग ऐसा समझा जाय कि समूचे प्रत्ययका
लोप हुआ हो तभी उस प्रत्ययके निमित्त बताया हुआ कार्य प्रत्ययलक्षणसे
होना चाहिए । प्रत्ययके एकाध भागका लोप हुआ हो तो उसके कारण प्राप्त होनेवाला
कार्य नहीं होना चाहिए, उदा०—आघ्नीत । सं रायस्पोषेण ग्मीय ।

परन्तु पहलेके सूत्रमें जो ' प्रत्ययस्य ' शब्द रखा गया है उसका भी यही उपयोग
वहाँ दिखला गया है न ?

ऐसा है तो फिर दोनोंमेंसे कोई भी एक प्रत्यय शब्द न भी रखा जाय तो चउ
सकेगा ।

अब इसी सूत्रमें ' प्रत्ययलक्षणम् ' ऐसा जो दूसरा प्रत्ययशब्द रखा गया है उसका
भला क्या उपयोग है ?

उपयोग यह कि प्रत्ययका लोप होनेपर प्रत्ययके कारण कार्य प्राप्त होता
हो वही प्रत्ययलक्षणसे होना चाहिए । वहाँ वर्णके कारण जो कार्य प्राप्त होता
हो वह प्रत्ययलक्षणसे नहीं होना चाहिए; उदा०— गवे हितं गोहितम्, रायः कुलं
रेकुलम् ।

पर यह सूत्र भला क्रिया ही किस लिए है ?

२ ' गोहितम् ' समागमे ' गो ' शब्दके अगले ' टे ' प्रत्ययका लुक् (२।१।७१)
हुआ है । परन्तु प्रत्यय लक्षणसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा समझा गया तो ' अर् ' आदेश
(१।१।७८) होने स्मेगा । तथा ' रेकुलम् ' में ' आर् ' आदेशके आगे प्रत्यय ही चाहिए
गो बात नहीं । कोई भी ' आर् ' आगे हो तो भी इष्ट सिद्धि होती है ।

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणवचनं सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य ॥ १ ॥

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमित्युच्यते सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य । सच्छास्त्रे-
णान्वाख्यायते सतो वा शास्त्रमन्वाख्यायकं भवति सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य ।
उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः [७-१-१०] इतीहैव स्यात् । गोमन्तौ
यवमन्तौ । गोमान् यवमानित्यत्र न स्यात् । इष्यते च स्यादिति तच्चान्तरेण
यन्नं न सिध्यति । अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणवचनम् । एवमर्थमिदमुच्यते ॥
अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति ।

लुक्पुपसंख्यानम् ॥ २ ॥

लुक्पुपसंख्यानं कर्तव्यम् । पञ्च सप्त ॥ किं पुनः कारणं न सिध्यति ।

लोपे हि विधानम् ॥ ३ ॥

लोपे हि प्रत्ययलक्षणं विधीयते तेन लुकि न प्राप्नोति ॥

(वा. १) ' प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् ' ऐसा जो यहाँ कहा गया है सो इसलिए कि 'सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य' याने 'इस व्याकरणशास्त्रमें आचार्य पाणिनि इको यणाचि आदि शास्त्रका आधार देकर उसके द्वारा विद्यमान वस्तुको निमित्त मानकर तत्तत् कार्य करने बताते हैं ।' अथवा 'शास्त्र ही विद्यमान वस्तुको निमित्त मानकर तत्तत् कार्य करने बताते हैं' ऐसा भी 'सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य' का अर्थ लिया जाय । तात्पर्य, जिस कार्यका जो कारण होगा वह विद्यमान हो तभी वह कार्य हो सकेगा । अतः 'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः' (७।१।७०) से सर्वनामस्थान-संज्ञक प्रत्ययके कारण बताया हुआ नुम् आगम गोमन्तौ, यवमन्तौ, में सर्वनामस्थान-संज्ञक 'औ' प्रत्यय विद्यमान होनेके कारण किया जा सकेगा । गोमान्, यवमान्, में 'सु' इस सर्वनामस्थानसंज्ञक प्रत्ययका लोप (६।१।६८) होनेके कारण नुम् आगम नहीं किया जा सकेगा । और इष्ट तो यह है कि वहाँ भी नुम् आगम होना चाहिए । अतः वह इष्ट बात कुछ न कुछ विशेष यत्न किये बिना सिद्ध नहीं होगी इसलिए 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्' सूत्र किया है ऐसा इस सूत्रका उपयोग है । यह उपयोग है सही—

फिर आपका कहना क्या है ?

(वा. २) प्रत्ययका लुक् होनेपर वहाँ भी प्रत्ययके कारण बनाया हुआ कार्य किया जाय ऐसा यहाँ कहना चाहिए । उदा०—पञ्च, सप्त ।

परंतु ये पञ्च आदि उदाहरण प्रकृतसूत्रसे ही भल क्यों नहीं सिद्ध होते ?

(वा. ३) 'प्रत्ययका लोप होनेपर प्रत्ययनिमित्तक कार्य किया जाय' ऐसा प्रकृतसूत्रसे बताया गया है । अतः प्रत्ययका जहाँ लुक् होगा वहाँ प्रकृतसूत्रकी प्रवृत्ति नहीं होगी ।

च वादर्शनस्य लोपसंज्ञित्वात् ॥ ४ ॥

न वा कर्तव्यम् । किं कारणम् । अदर्शनस्य लोपसंज्ञित्वात् । अदर्शनं लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते लुप्तसंज्ञाश्राप्यदर्शनस्य क्रियन्ते । तेन लुक्पि भविष्यति ॥ यद्येवं

प्रत्ययादर्शनं तु लुप्तसंज्ञम् ॥ ५ ॥

प्रत्ययादर्शनं तु लुप्तसंज्ञमपि प्राप्नोति । तत्र को दोषः ?

तत्र लुकि श्लुविधिप्रतिषेधः ॥ ६ ॥

तत्र लुकि श्लुविधिरपि प्राप्नोति स प्रतिषेध्यः । अत्ति हान्ति । श्लौ [६.१.१०] इति द्विर्वचनं प्राप्नोति ॥

न वा पृथक्संज्ञाकरणात् ॥ ७ ॥

न वैप दोषः ? किं कास्मिन् ? पृथक्संज्ञाकरणात् । पृथक्संज्ञाकरण-

(वा. ४) ' प्रत्ययका लुक् होनेपर वहाँ प्रत्ययानिमित्तक कार्य किया जाय ' ऐसा अलग बतानेकी आवश्यकता नहीं है ।

क्यों भला ?

' अदर्शनस्य लोपसंज्ञित्वात् ' याने लोप संज्ञा अदर्शनको बतायी गई है और लुक्, श्लु, और लुप् संज्ञाएँ भी अदर्शनको ही बतायी गई है । अतः पञ्च आदि स्थानोंपर प्रत्ययका लुक् (७।१।२२) हुआ हो तो भी वहाँ लोप संज्ञा कायम ही होनेके कारण प्रकृतसूत्रसे ही काम चल जायगा ।

परंतु अगर ऐसा हो तो—

(वा. ५) प्रत्ययके अदर्शनको सब स्थानोंपर लुक्, श्लु और लुप् ये तीनों संज्ञाएँ होंगी ।

अगर होंगी तो उसमें दोष कौनसा है ?

(वा. ६) वैसा हुआ तो श्लुके कारण बताया हुआ कार्य लुक् होनेपर भी वहाँ होने लगेगा उसका निषेध होना चाहिए; उदा०—अत्ति, हन्ति । यहाँ शप् प्रत्ययका लुक् (२।४।७२) हुआ है । यहाँ श्लुसंज्ञा हुई तो ' श्लौ ' (६।१।१०) से द्वित्व होने लगेगा ।

(७) अथवा यह दोष नहीं आता ।

क्यों भला ?

' पृथक्संज्ञाकरणात् ' याने लुक्, श्लु और लुप् ये जो अलग अलग तीन संज्ञाएँ की गई हैं उनकी सामर्थ्यके कारण एकके स्थानपर दूसरी प्रवेश नहीं करती । इसीलिए लुक् होनेपर वहाँ श्लुके कारण बताया हुआ कार्य नहीं होगा । तात्पर्य, अदर्शन समानरूपसे लोपसंज्ञाका और लुक्, श्लु और लुप्

सामर्थ्याल्लुकि श्लुविधिर्न भविष्यति ॥ तस्माददर्शनसामान्याल्लोपसंज्ञा लुमत्संज्ञा अवगाहते । यथैव तर्ह्यदर्शनसामान्याल्लोपसंज्ञा लुमत्संज्ञा अवगाहते एवं लुमत्संज्ञा अपि लोपसंज्ञामवगाहेरन् । तत्र को दोषः । अगोमती गोमती संपन्ना गोमतीभूता । लुक्छित्तलुकि [१-२-४९] इति ङीपो लुक्प्रसज्येत । ननु चात्रापि न वा पृथक्संज्ञाकरणादित्येव सिद्धम् । यथैव तर्हि पृथक्संज्ञाकरणसामर्थ्याल्लुमत्संज्ञा लोपसंज्ञां नावगाहन्त एव लोपसंज्ञापि लुमत्संज्ञा नावगाहते । तत्र स एव दोषो लुक्पुपसंख्यानमिति । अस्त्यन्यल्लोपसंज्ञायाः पृथक्संज्ञाकरणे प्रयोजनम् ।

आदि संज्ञाओंका भी कारण होनेसे लुक्, श्लु और लुप् आदि संज्ञाएँ जहाँ होंगी वहाँ लोप संज्ञा प्रवेश कर ही लेगी । (अतः 'लुक्पुपसंख्यानम्' वचन करना आवश्यक नहीं है ।)

परन्तु अगर अदर्शन समान कारण होनेसे लुक्, श्लु और लुप् आदि संज्ञाएँ जहाँ होंगी वहाँ लोपसंज्ञा प्रविष्ट होगी, वैसे जहाँ प्रत्ययके अदर्शनको लोपसंज्ञा होती हो वहाँ लुक्, श्लु और लुप् संज्ञाएँ प्रवेश करने लगेगी ।

फिर ऐसा होनेमें दोष कौनसा ?

दोष यह कि 'अगोमती गोमती संपन्ना' याने वस्तुतः गोमती नहीं प्रत्युत् गोमती जैसी समझी जानेवाली जो स्त्री है उसे 'गोमतीभूता' कहते हैं । यहाँ गोमती शब्दसे 'त्वि' प्रत्यय (५।४।५०) हुआ है और उसका लोप (६।१।६७) हुआ है । यहाँ त्वि प्रत्ययके अदर्शनको अगर लुक् आदि संज्ञाएँ हों तो 'लुक् तद्धितलुकि' (१।२।४९) से 'गोमती' मेंसे ङीप् प्रत्ययका लुक् होने लगेगा ।

परन्तु 'अलग अलग संज्ञाएँ करनेके कारण एकके स्थानमें दूसरी प्रविष्ट नहीं होती' ऐसा अभी बताया गया है । अतः 'गोमतीभूता' उससे सिद्ध होगा ।

तो फिर जैसा अलग अलग संज्ञाएँ करनेके कारण 'गोमतीभूता' में लोपसंज्ञाके स्थानपर लुक्, श्लु और लुप् आदि संज्ञाएँ प्रविष्ट नहीं होती वैसे ही लुक्, श्लु और लुप् संज्ञाओंके स्थानपर लोप संज्ञा भी प्रविष्ट नहीं होगी । और वह प्रविष्ट न हुई तो फिर पहलेका ही दोष पुनः आयेगा । वह यह कि 'प्रत्ययका लुक् होनेपर भी प्रत्ययके कारण बताया हुआ कार्य किया जाय' ऐसा स्वतंत्र वचन पद्य, सप्त आदि उदाहरणोंके लिए किया जाना चाहिए ।

परन्तु 'अलग अलग संज्ञाएँ करनेके कारण एकके स्थानपर दूसरी प्रविष्ट नहीं होती' यह बात लुक् श्लु और लुप् इन तीन संज्ञाओंके बारेमें ही है । लोपसंज्ञाके बारेमें नहीं । लोपसंज्ञाको सर्वत्र प्रविष्ट होनेकी स्वतंत्रता है; क्योंकि वह केवल अदर्शनको अलग बतायी गई है और उसका दूसरा स्थान उपयोग है ।

३. लुक्, श्लु और लुप् इन तीनों संज्ञाओंका उद्देश्य एक ही है 'प्रत्ययका अदर्शन.'

किम् । लुप्तसंज्ञासु यदुच्यते तल्लोपमात्रे मा भूदिति ॥

लुमति प्रतिषेधाद्वा ॥ ८ ॥

अथवा यदयं न लुमताङ्गस्य [१.१.६३] इति प्रतिषेधं शास्त्रि तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवति लुकि प्रत्ययलक्षणमिति ॥

सतो निमिच्चाभावात्पदसंज्ञाभावः ॥ ९ ॥

सन्प्रत्ययो येषां कार्याणामनिमित्तं राज्ञः पुरुष इति स लुको ऽप्यनिमित्तं स्यात् राजपुरुष इति । अस्तु तस्या अनिमित्तं या स्वादौ पदमिति पदसंज्ञा या

सो कौनसा ?

लुक्, श्लु और लृप् संज्ञाओंके कारण जो कार्य बताये गये हैं वे अकेले जहाँ लोपसंज्ञा हुई हो वहाँ न हों इसलिए वह लोपसंज्ञा केवल अदर्शनको बतायी गई है। वह अदर्शन प्रत्ययका हो या न हो ।

(वा. ८) अथवा आचार्य पाणिनि ' लुक्, श्लु और लृप् होनेपर वहाँ प्रत्ययके कारण बताया हुआ कार्य कर्तव्य हो तो प्रत्ययलक्षण नहीं होता । ' ऐसा जब कि आगे सूत्रसे निषेध बताते हैं तब वे ऐसा सूचित करते हैं कि लुक् होनेपर वहाँ प्रकृतसूत्रसे प्रत्ययलक्षण होता है ।

(वा. ९) प्रत्ययके विद्यमान होनेपर भी जिस कार्यको निमित्त नहीं होता, उदा० ' राज्ञः पुरुषः ' में षष्ठी प्रत्यय विद्यमान होकर भी उसके कारण ' स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ' (१।४।१७) से राजन् शब्दको पदसंज्ञा नहीं हुई, वह प्रत्यय लुप्त हुआ हो तो प्रत्ययलक्षणसे भी उस कार्यको निमित्त नहीं होगा। अतः ' राजपुरुषः ' समासमें राजन् शब्दको पदसंज्ञा नहीं होगी। उससे नकारका लोप (८।२।७) नहीं होगा ।

परंतु सु आदि प्रत्यय आगे होनेपर जो पदसंज्ञा (१।४।१७) है उसे वह लुप्त षष्ठीप्रत्यय निमित्त न हो। सुप्रप्रत्ययान्त शब्दस्वरूपको बतायी हुई जो पदसंज्ञा

अतः ये तीन संज्ञाएँ अन्योन्य विषयगत नहीं होती हैं। यदि प्रत्येक स्थानमें तीनों संज्ञाएँ होंगी तो एक ही संज्ञासे तीनोंका कार्य हो सकेगा। तब तीन संज्ञाओंका उपयोग करना ही व्यर्थ होगा। किन्तु लोपसंज्ञाका उद्देश्य इनके उद्देशसे अलग है अर्थात् केवल अदर्शन। अतः अदर्शनके बारेमें वह लोपसंज्ञा सभी स्थानोंपर होगी ही ।

४ यदि लुक्, श्लु और लृप् के विषयमें लोपसंज्ञा न होगी तो ' वहाँ प्रत्ययका लोप हुआ ' ऐसा नहीं कहा जा सकता और इससे प्रत्यय लक्षणकी प्राप्ति ही नहीं होती। अतः प्रत्ययलक्षणका निषेध कहना निरर्थक होगा ।

५. ' राज्ञः ' में षष्ठी प्रत्यय विद्यमान होते हुए ' भ ' संज्ञासे पदसंज्ञाका बाध होता है; अतः पदसंज्ञा नहीं होती ।

तु सुबन्तं पदमिति पदसंज्ञा सा भविष्यति । सत्येतत्प्रत्यय आसीदनया भविष्यत्य-
नया न भविष्यतीति । लुप्त इदानीं प्रत्यये यावत् एवावधेः स्वादौ पदमिति पदसंज्ञा
तावत् एवावधेः सुबन्तं पदमिति । अस्ति च प्रत्ययलक्षणेन यजादिपरतेति कृत्वा
भसंज्ञा प्राप्नोति ॥

तुग्दीर्घत्वयोश्च विप्रतिषेधानुपपत्तिरेकयोगलक्षणत्वात्परिवीरिति ॥ १० ॥

तुग्दीर्घत्वयोश्च विप्रतिषेधो नोपपद्यते । क । परिवीरिति । किं कारणम् ।
एकयोगलक्षणत्वात् । एकयोगलक्षणे तुग्दीर्घत्वे । इह लुप्ते प्रत्यये सर्वाणि
प्रत्ययाश्रयाणि कार्याणि पर्थवपन्नानि भवन्ति । तान्येतेन प्रत्युत्थाप्यन्ते । अनेनैव
तुगनेनैव च दीर्घत्वमिति । तदेकयोगलक्षणं भवति । एकयोगलक्षणानि च न

(१।४।१४) है वह हो ही जायगी ।

प्रत्यय विद्यमान हो उस स्थानपर अमुक सूत्रसे पदसंज्ञा होगी और अमुक सूत्रसे
पदसंज्ञा नहीं होगी ऐसा कहा जा सकता है । (जैसा राज्ञः में प्रत्ययके पीछेके
'राजन्' को भसंज्ञा (१।४।१८) प्राप्त हो रही है, उससे 'राजन्' को आई हुई
पदसंज्ञाका (१।४।१७) बाध होनेके कारण वह नहीं होती । और राज्ञः इस सुबन्तको
भसंज्ञाकी प्राप्ति न होनेके कारण उसे पदसंज्ञा (१।४।१४) होती ही है ।) परन्तु यह
फुर्क 'राजपुरुषः' समासमें पृथीप्रत्ययका लोप होनेपर नहीं दिखाया जा सकता ।
क्योंकि 'स्वादिप्व०' (१।४।१७) से जितने अंशको पदसंज्ञा प्राप्त होती है उतने ही
भागको सुबन्त मानकर 'सुतिङ्न०' (१।४।१४) से पदसंज्ञा प्राप्त होती है । अतः
अर्थात् ही दोनों संज्ञाओंका भसंज्ञासे बाध होगा । प्रत्ययलक्षणसे यजादि प्रत्यय आगे है
ऐसा मानकर भसंज्ञाकी (१।४।१८) प्राप्ति कायम ही है ।

(वा. १०) तुक् आगम और दीर्घ इन दोनोंमें विरोध उत्पन्न होनेपर वहाँ
परत्वके कारण (१।४।२) दीर्घ होता है वह नहीं होगा । (क्योंकि दीर्घको 'पर'
नहीं कहा जा सकता ।)

भला किस उदाहरणमें ऐसी स्थिति प्राप्त होती है ?

'परिवीः' उदाहरणमें ।

ऐसा होनेका कारण क्या है ?

'एकयोगलक्षणत्वात्' याने एक ही शास्त्रसे दोनों कार्य प्राप्त होते हे इसलिए तुक्
आगम और दीर्घ ये दोनों कार्य एक ही शास्त्रसे प्राप्त है । देखिए, प्रत्ययका लोप होने-
पर प्रत्ययपर निर्भर होनेवाले सभी कार्य परावृत्त होते हैं याने नष्टप्राय होते हैं ।
उन सब कार्योंका पुनरुज्जीवन इस एक प्रत्ययलक्षणसूत्रसे किया जाता है । अतः स्वभावतः
ही 'परिवीः' में क्विप् प्रत्ययका लोप होनेपर इस प्रकृतसूत्रसे ही तुक् आगम होगा और
दीर्घ भी इसीसे होगा । अतः प्रकृतसूत्र यह एक ही शास्त्र दोनों कार्योंका कारण

प्रकल्पन्ते ॥

सिद्धं तु स्थानिसंज्ञानुदेशादान्यभाव्यस्य ॥ ११ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य भवतीति वक्तव्यम् । किं कृतं भवति । सत्तामात्रमनेन क्रियते । यथाप्राप्ते तुर्दीर्घत्वे भविष्यतः ॥ तद्वत् भवति । यद्यप्येतदुच्यते ऽथैतर्हि स्थानिवद्भावो नारभ्यते । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधाविति वर्क्ष्यामि । यथेवमाडो यमहन आत्मनेपदं भवतीति हन्तेरेव स्याद्वर्धेन स्यात् । न हि काचिद्धन्तेः संज्ञास्ति या वधेरतिदिश्येत । हन्तेरपि

हुआ । इस प्रकार एक ही शास्त्रसे दोनों कार्य प्राप्त होनेके कारण तुक् आगमका (६।१।७१) दीर्घसे (६।४।२) जो परत्वके कारण बाध हुआ करता है वह नहीं होगा ।

(वा. ११) यह सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

‘स्वरूप बदलनेपर वहाँ स्थानीकी संज्ञाओंका अतिदेश होता है ऐसा प्रकृत सूत्रके बदले कहा जाय ।

ऐसा कहनेसे क्या होता है ?

ऐसा होता है कि तुक्, दीर्घ, इत्यादि कार्य जो प्रकृतसूत्रसे होते थे वे अब न होकर उन कार्योंके जो कारण हैं उनका अस्तित्व, रूपांतर हुआ तो भी गृहीत माना जाय इतना ही केवल इससे बताया जाता है । तुक्, दीर्घ, आदि जैसे पहले प्राप्त होंगे वैसे तत्तत् शास्त्रोंद्वारा ही किये जाते हैं । (अतः ‘परिवी.’ में परत्वके कारण तुक् आगमका बाध करके दीर्घ किया जा सकेगा ।)

तो फिर ऐसा यह प्रकृतसूत्र बदलकर अलग किया जाना चाहिए ।

अलग किया भी जाय तो भी कोई गौरव होगा ऐसा न समझा जाय । स्थानिवद्भाव अलग न बताकर वही ‘स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधौ ।’ (१।१।५६) ऐसा कहा जा सकेगा ।

परंतु ऐसा किया तो ‘आडो यमहनः’ (१।३।२८) सूत्रसे बताया हुआ आत्मनेपद हन् धातुको ही होता । हन् धातुको वध आदेश करनेपर स्थानिवद्भावसे जो आत्मनेपद होता है वह नहीं होगा । क्योंकि आत्मनेपदको कारणीभूत ‘हन्’ धातुको कोई भी संज्ञा दिखाई नहीं देती कि जिसका इस नवीन किये हुए ‘स्थानिसंज्ञा०’ सूत्रसे ‘व’ पर अतिदेश किया जा सकेगा ।

‘हन्’ धातुको भी वैसी संज्ञा है ।

वह कौनसी ?

‘हन्’ ही ‘हन्’ धातुकी संज्ञा है ।

संज्ञास्ति । का । हन्तिरेव । कथम् । स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा [१.१.६८] इति वचनात्स्वं रूपं शब्दस्य संज्ञा भवतीति हन्तेरपि हन्तिः संज्ञा भविष्यतीति ॥

भसंज्ञाङीप्फगोरात्वेषु च सिद्धम् ॥ १२ ॥

भसंज्ञाङीप्फगोरात्वेषु च सिद्धं भवति ॥ भसंज्ञा । राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । प्रत्ययलक्षणेन यच्चि भम् [१.४.१८] इति भसंज्ञा प्राप्नोति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधाविति वचनात् भवति ॥ ङीप् । चित्रार्था जाता चित्रा । प्रत्ययलक्षणेनाणन्तादिर्ताकारः प्राप्नोति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधाविति वचनात् भविष्यति ॥ फ्फ । वतण्डी । प्रत्ययलक्षणेन यत्रन्तादिति फ्फः प्राप्नोति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधाविति वचनात् भवति ॥ गोरात्वम् । गामिच्छति गव्यति । प्रत्ययलक्षणेनाम्यौतोऽम्शसोः [६.१.९३] इत्यात्वं प्राप्नोति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधाविति वचनात् भवति ॥

‘ हन् ’ यह ‘ हन् ’ धातुका स्वरूप है । उसे उसीकी संज्ञा कैसे कहा जाय ?

‘ स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा ’ (१।१।६८) सूत्रसे शब्दका जो अपना स्वयंका स्वरूप होगा वह उसीकी संज्ञा होती है ऐसा बताया जानेके कारण ‘ हन् ’ ही ‘ हन् ’ की संज्ञा होगी ।

(वा. १२) (स्थानिवद्भाव और प्रत्ययलक्षण बतानेवाले अलग अलग दो सूत्र थे तत्र ‘ अनत्विधौ ’ यह निषेध केवल स्थानिवद्भावका ही हुआ होता; प्रत्ययलक्षणका नहीं । अब एक सूत्र करनेके कारण ‘ अनत्विधौ ’ यह निषेध सर्वत्र याने प्रत्ययलोपके स्थानपर भी ठामू होता है इसलिए) भ संज्ञा, ङीप् प्रत्यय, फ्फ प्रत्यय और गो शब्दको आत्व नहीं होते और उदाहरण सिद्ध होते हैं । भ संज्ञाका उदाहरण— ‘ राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः ’ । इस समासमें प्रत्ययलक्षणसे यजादि प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर भ संज्ञा (१।४।१८) प्राप्त होती है । परन्तु ‘ स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधौ ’ ऐसा कहनेपर नहीं होती । ङीप् प्रत्ययका उदाहरण— ‘ चित्रार्था जाता चित्रा ’ । यहाँ चित्रके अन्तमें प्रत्ययलक्षणसे अकारान्त अण् प्रत्यय है ऐसा मानकर ईकार यह स्त्रीप्रत्यय प्राप्त होता है (४।१।१५) । परन्तु ‘ स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधौ ’ ऐसा कहनेसे नहीं होता । फ्फ प्रत्ययका उदाहरण— ‘ वतण्डस्य मोत्रापत्यं स्त्री वतण्डी ’ । यहाँ प्रत्ययलक्षणसे ‘ वतण्ड ’के अन्तमें अकारान्त यञ् प्रत्यय है ऐसा मानकर फ्फ यह स्त्रीप्रत्यय (४।१।१७) प्राप्त होता है । परन्तु ‘ स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधौ ’ ऐसा कहनेसे नहीं होता । गोशब्दके आत्वका उदाहरण— ‘ गामिच्छति गव्यति ’ । यहाँ प्रत्ययलक्षणसे अजादि अमप्रत्यय गोशब्दके आगे है ऐसा मानकर ‘ औतोऽम्शसोः ’ (६।१।९६) से आकार एकादेश प्राप्त होता है । परन्तु ‘ स्थानिसंज्ञान्यभूतस्थानत्विधौ ’ ऐसा कहनेसे नहीं होता ।

तस्य दोषो ङानकारलोपेत्वम्बिधयः ॥ १३ ॥

तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषो ङौ नकारलोपः । आर्द्रं चर्मन् लोहिते चर्मन् । प्रत्ययलक्षणेन यचि भम् [१.४.१८] इति भसंज्ञा सिद्धा भवति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधाविति वचनात् प्राप्नोति ॥ इत्वम् । आशीः । प्रत्ययलक्षणेन हलीतीत्वं सिद्धं भवति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधाविति वचनात् प्राप्नोति ॥ इम् । अनृणेत् । प्रत्ययलक्षणेन हलीतीम्सिद्धो भवति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधाविति वचनात् प्राप्नोति ॥ सूत्रं च भिद्यते ॥ यथान्यासमेवास्तु ! ननु चोक्तं सतो निमित्ताभावात्पदसंज्ञाभावस्तुग्दीर्घत्वयोश्च विप्रतिषेधानुपपत्तिरेकयोगलक्षणत्वात्परिवीरिति । नैष दोषः । वक्ष्यत्यत्र परिहारम् । इहापि परिवीरिति शास्त्रपरविप्रतिषेधेन परत्वाद्दीर्घत्वं भविष्यति ॥

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ।

(वा० १३) इस प्रकार यद्यपि ये उदाहरण सिद्ध होते हैं तो भी वैसा एक सूत्र करनेपर ङानकारलोप, इत्व और इम्विधिके संबंधमें दोष आता है। ङानकारलोपका उदाहरण— ' आर्द्रं चर्मन्, लोहिते चर्मन् '। यहाँ प्रत्ययलक्षणसे सप्तमी एकवचन डि यह यजादिप्रत्यय आगे है ऐसा मानकर चर्मन्को भसंज्ञा (१।४।१८) होती है, वह ' स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधौ ' ऐसा कहनेसे नहीं होगा। (क्योंकि ' अनल्विधौ ' यह निषेध आता है।) इत्वका उदाहरण— ' आशीः '। यहाँ प्रत्ययलक्षणसे ' क्विप् ' यह हलादिप्रत्यय आगे है ऐसा मानकर ' शास् ' धातुकी उपधाको ' इन्व ' (६।४।३४) होता है वह ' स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधौ ' कहनेसे नहीं होगा। इम्विधिका उदाहरण— ' अनृणेत् '। यहाँ प्रत्ययलक्षणसे ' तिप् ' यह हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्यय आगे है ऐसा समझकर ' वृणह् 'को ' इम् ' आगम (७।३।९२) होता है वह ' स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधौ ' कहनेसे नहीं होगा। (ये दोष आते हैं)। इसके अलावा पाणिनिका किया हुआ सूत्र परिवर्तित करना ही होगा।

तो फिर पाणिनिके मूलतः किये हुए जैसे सूत्र हैं वे वैसे ही रहने दें।

पर वैसे सूत्र हों तो उनपर ' सतो निमित्ताभावात्पदसंज्ञाभावः, तुग्दीर्घत्वयोश्च विप्रतिषेधानुपपत्तिरेकयोगलक्षणत्वात्परिवीरिति ' इस प्रकार पहले (वा. ९, १०) दोष दिखाये गये हैं उनका क्या ?

ये दोष नहीं आते। ' प्रत्ययलक्षणसे भसंज्ञा नहीं होती ' ऐसा ' राजपुरुषः ' में परिहार आगे (वा. १५) बतायेवाला हूँ। ' परिवीः ' में भी एक ही प्रत्ययलक्षणसूत्रसे तुक् आगम और दीर्घ इन दोनों कार्योंका उत्पान किया हो तो भी वे कार्य जिन मूल सूत्रोंद्वारा बताये गये हैं उन सूत्रोंमें पर कौन है सो देखकर परत्वके कारण दीर्घ होगा।

पर इन सूत्रोंके उदाहरण तो कौनसे हैं ?

प्रयोजनमपृक्तशिलोपे नुममामौ गुणवृद्धिदीर्घत्वमिडाश्रम्विधयः ॥ १४ ॥

अपृक्तलोपे शिलोपे च कृते नुममामौ गुणवृद्धि दीर्घत्वमिमिडाश्रम्विधिरिति प्रयोजनानि ॥ नुम् । अमे त्री ते वाजिना त्री पधस्था । ता ता पिण्डानाम् । नुम् ॥ अमामौ । हे ऽनट्नु अनट्नु ॥ गुणः । अधोक् अलेट् ॥ वृद्धिः । न्यमार्ट् ॥ दीर्घत्वम् । अमे त्री ते वाजिना त्री पधस्था । ता ता पिण्डानाम् ॥ इम् । अनृणेट् ॥ अटाटौ ॥ अधोक् अलेट् । ऐयः औनः ॥ श्रम्विधिः । अभिनोऽत्र अच्छिनोऽत्र ॥ अपृक्तशिलोपयोः कृतयोरेते विधयो न प्राप्नुवन्ति ।

(वा. १४) अपृक्त प्रत्ययका लोप और शि प्रत्ययका लोप होनेपर नुम्, अम्, आम, गुण, वृद्धि, दीर्घ, इम्, अट्, आट् और श्रम ये कार्य प्रकृतसूत्रसे प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर किये जा सकते हैं । वे यों हैं—‘अमे त्री ते वाजिना त्री पधस्था,’ ‘ता ता पिण्डानाम्’ इन वाक्योंमें त्री और ता इनमेंसे ‘शि’ प्रत्ययका लोप (६।१।७०) होनेपर प्रकृतसूत्रसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर नुम् आगम (७।१।७२) होता है । इस अनट्नुन शब्दमें अपृक्त जो संवृद्धि सु प्रत्यय है उसका लोप (६।१।६८) होनेपर प्रकृतसूत्रसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर अम् आगम (७।१।९९) होता है । अनट्नुन में अपृक्त जो प्रथमाका एकवचनी सु प्रत्यय है उसका लोप (६।१।६८) होनेपर प्रकृत सूत्रसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर आम आगम (७।१।९९) होता है । अधोक्, अलेट्, इन रूपोंमें तिप् अपृक्त प्रत्ययका लोप (६।१।६८) होनेपर प्रकृतसूत्रसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर गुण (७।३।८६) होता है । न्यमार्ट् क्रियामें वैया ही वृद्धि (७।२।११४) होती है । ‘अमे त्री ते वाजिना त्री पधस्था, ता ता पिण्डानाम्’ में नुम् आगम होता है वैया ही दीर्घ (६।४।८) होता है । अनृणेट् क्रियामें तिप् अपृक्त प्रत्ययका लोप (६।१।६८) होनेपर प्रकृतसूत्रसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर इम् आगम (३।३।९२) होता है । अधोक्, अलेट्, में जैसा गुण होता है वैया ही अट् आगम (६।४।७१) होता है । ऐयः, औनः, क्रियाओंमें तिप् अपृक्त प्रत्ययका लोप (६।१।६८) होनेपर प्रकृत सूत्रसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर आट् आगम (६।४।७२) होता है । अभिनोऽत्र, अच्छिनोऽत्र, में वैया ही प्रकृत सूत्रसे प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर श्रम यह विकरणप्रत्यय (३।१।७८) होता है । इस प्रकार ऊपरके उदाहरणोंमें अपृक्त प्रत्ययका और शि प्रत्ययका लोप होनेपर प्रत्यय आगे न होनेके कारण ये नुम् आदि विधियाँ प्राप्त नहीं होतीं । परंतु प्रकृतसूत्रके बलपर प्रत्ययलक्षणसे होती हैं ।

६. ‘ऐय.’ रूप जुहोत्यादिगणके ‘ऊ’ धातुका है । लट्का प्रथम पुरुषके एकवचनमें तिप् प्रत्यय किया है । तथा ‘औन.’ रूप रुधादिगणके ‘उन्द्’ धातुका है ।

प्रत्ययलक्षणेन भवन्ति ॥ नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । स्थानिवद्भावेनाप्येतानि सिद्धानि । न सिध्यन्ति । आदेशः स्थानिवदित्युच्यते न च लोप आदेशः । लोपो ऽप्यादेशः । कथम् । आदिश्यते यः स आदेशः । लोपो ऽप्यादिश्यते । दोषः खल्वपि स्याद्यदि लोपो नादेशः स्यात् । इहाचः परस्मिन्पूर्वविधौ [१-१-५७] इत्येतस्य भूयिष्ठानि लोप उदाहरणानि तानि न स्युः ॥ यत्र तर्हि स्थानिवद्भावो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः । क्व च स्थानिवद्भावो नास्ति । यो ऽल्विधिः । किं प्रयोजनम् । प्रयोजनं ङानकारलोपेत्वेन्विधयः ॥

परंतु ये प्रकृतसूत्रके उदाहरण ठीक नहीं हैं । क्योंकि स्थानिवद्भावे भी ये सब उदाहरण सिद्ध हो सकते हैं ।

स्थानिवद्भावे सिद्ध होनेवाले ये उदाहरण नहीं हैं । क्योंकि आदेशको स्थानिवद्भाव बताया गया है । और लोप याने केवल अदर्शन । उसे आदेश कैसे कहा जा सकता है ?

लोपको भी आदेश कह सकते हैं ।

सो कैसे ?

स्थानीके स्थानपर जो बताया जाता है उसे आदेश कहते हैं । और लोप भी स्थानीके स्थानपर ही बताया जाता है । (क्योंकि वहाँ भी 'पष्ठी स्थानेयोगा' (१।१।४९) परिभाषासे ही पष्ठी प्रत्ययका स्थानसे संबंध जोड़ा जाता है । तब लोपको आदेश कहना योग्य ही होगा ।) इसके अतिरिक्त लोपको आदेश न कहा गया तो उल्टे सचमुच ही दोष आनेवाले हैं । क्योंकि लोप आदेश हुआ है ऐसे 'अचः परस्मिन्पूर्वविधौ' (१।३।५७) सूत्रके न जाने कितने उदाहरण पहले दिखाये गये हैं । वे सब उदाहरण उनके नहीं हैं ऐसा कहनेकी नीवत आ जायगी, और वे उदाहरण सिद्ध नहीं होंगे ।

यद्यपि ये उदाहरण स्थानिवद्भावे सिद्ध हुए तो भी जिन उदाहरणोंमें स्थानिवद्भावाकी प्राप्ति नहीं आती उनके लिए कमसे कम यह प्रकृतसूत्र किया जाना ही चाहिए ।

कौनसी विधि कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भावाकी प्राप्ति नहीं आती ?

अल्के बहाने बताया हुई जो विधि है वह कर्तव्य होनेपर स्थानिवद्भाव नहीं होता ।

ऐसा उदाहरण कौनसा है ?

ढौनकारलोप, इत्व और इम् विधियों प्रकृतसूत्रसे ही सिद्ध होती हैं । (स्थानिवद्भावे सिद्ध नहीं होती ऐसा अभी बताया गया है ।)

भसंज्ञाडीप्फगोरात्वेपुच दोः ॥ १५ ॥

भसंज्ञाडीप्फगोरात्वेपु दोषो भवति ॥ भसंज्ञायां तावन्न दोषः । आचार्य-
प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न प्रत्ययलक्षणेन भसंज्ञा भवतीति यदयं न डिसंबुद्धयोः [८.२.८]
इति ङी प्रतिषेधं शास्ति ॥ ङीप्यपि नैवं विज्ञायते ऽणन्तादकारान्तादिति । कथं
तर्हि । अण् यो ऽकार इति ॥ फ्फे ऽपि नैवं विज्ञायते यत्रन्तादकारान्तादिति ।
कथं तर्हि । यत्र्यो ऽकार इति ॥ गोरात्वे ऽपि नैवं विज्ञायते ऽग्यनीति । कथं
तर्हि । अच्यमीति ॥ प्रयोजनान्यपि तर्हि तानि न सन्ति । यत्तावदुच्यते ङी
नकारलोप इति क्रियत एतन्न्यास एव न डिसंबुद्धयोरिति ॥ इत्त्वमपि । वक्ष्य-

(वा. १५) पर डौनकारलोप आदिके लिए याने अन्विधिके लिए प्रकृतसूत्र
जानबूझकर किया तो भसंज्ञा, ङीप् प्रत्यय, फ्फ प्रत्यय और गो शब्दको आत्व कर्तय
होनेपर दोष आता है उसका क्या ?

भ संज्ञाके विषयमें याने ' राजपुरुषः ' में प्रत्ययलक्षणसे भ संज्ञा होगी तो यह
दोष आता ही नहीं । क्योंकि जब ये आचार्य पाणिनि ' न डिसंबुद्धयोः ' (८।२।२८) से
ङि प्रत्यय आगे होनेपर नलोपका निषेध बताते हैं इससे वे यह सूचित करते हैं कि
प्रत्ययलक्षणसे भ संज्ञा नहीं होती । ' चित्रा ' में प्रत्ययलक्षणसे ङीप् होगा यह भी
दोष नहीं आता । ङीप् बतानेवाले शास्त्रमें (४।१।५) ' अकारान्त जो अण् तदन्त '
ऐसा अर्थ न किया जाय, तो अण् यह अकारका विशेषण करके ' अण् जो अकार
तदन्त ' ऐसा अर्थ लिया जाय । (अतः ङीप् प्रत्ययको मुख्यतः निमित्त वर्ण होता है
अण् प्रत्यय नहीं होता, इसीलिए प्रकृतसूत्र वहाँ प्रवृत्त नहीं होता । ' वतण्डी ' में
भी ' प्रत्ययलक्षणसे फ्फ प्रत्यय होगा ' यह दोष नहीं आता । वहाँ भी (१।४।१७)
अकारान्त जो यत्र तदन्त ' ऐसा अर्थ न लिया जाय तो यत्रः अकारका
विशेषण करके ' यत्र् प्रत्ययका जो अकार तदन्त ' ऐसा अर्थ लिया जाय ।
' गन्यतिमें प्रत्ययलक्षणसे गोशब्दको आत्व होगा ' यह भी दोष नहीं आता । वहाँ
भी (६।१।१३) ' अजादि अम् प्रत्यय ' ऐसा अर्थ न लिया जाय तो अम् अच्का
विशेषण करके ' अम् प्रत्ययका जो अच् ' ऐसा अर्थ लिया जाय । (तात्पर्य, स्थानि-
वद्भावकी अपेक्षा प्रकृतसूत्र अलग करनेमें जो दोष दिताये गये हैं वे ठीक नहीं हैं
ऐसा सिद्ध हुआ ।)

तो फिर प्रकृतसूत्र अलग करनेके उपयोगके रूपमें जो उदाहरण दिताये हैं वे
भी ठीक नहीं हैं । उनमेंसे डौनकारलोपका चर्मन् उदाहरण दिया है वहाँ प्रत्यय-
लक्षणसे भसंज्ञा होनेके कारण नकारका लोप नहीं होता । परन्तु यह स्वतंत्र सूत्र न
होनेपर भी ' अनल्विवी ' इस निषेधके कारण स्थानिकवद्भावसे भसंज्ञा न की जा सके
तो भी ' नलोप होगा ' यह दोष नहीं आता । क्योंकि पाणिनिने उनके लिए ' न

त्येतत् । शास इच्च आशासः काविति ॥ इन्विधिरपि । हलीति निवृत्तम् । यदि हलीति निवृत्तं तृणहानि अत्रापि प्राप्नोति । एवं तर्ह्यचि नेत्यप्यनुवर्तिष्यते ॥ न तर्हीदानीमयं योगो वक्तव्यः । वक्तव्यश्च । किं प्रयोजनम् । प्रत्ययं गृहीत्वा यदुच्यते तत्प्रत्ययलक्षणेन यथा स्यात् । शब्दं गृहीत्वा यदुच्यते तत्प्रत्ययलक्षणेन मा भूदिति । किं प्रयोजनम् । शोभना दृपदो ऽस्य सुदृपद् ब्राह्मणः । सोर्मनसी अलोमोपसी [६.२.११७] इत्येप स्वरो मा भूदिति ॥

डिसंबुद्धयो.' (८।१।८) सूत्रमें 'डि' शब्द नलोपके निषेधके लिए रखा ही ह । वैसे ही 'आशीः' में 'शास इदृहहलोः' (६।४।३४) से इत्व न हुआ तो भी हर्ज नहीं । क्योंकि यहाँ इत्व होनेके लिए वार्तिककारने 'शास इत्वे आशासः की' (६।४।३४ वार्ति० १) ऐसा वार्तिक किया ही है । अतृणेट् में स्थानिवद्भावे ही 'पित् सार्वागतुक् प्रत्यय आगे है' ऐसा मानकर 'तृणह इम्' में पीछेसे (७।३।८९) हलि पदकी अनुवृत्ति न लायी जाय, जिससे कि स्थानिवद्भावका 'अनलितौ' यह निषेध नहीं होगा ।

परन्तु यदि हलि की अनुवृत्ति नहीं लायी गयी तो 'तृणहानि'में इम् आगम होने लगेगा ।

तो फिर तृणह इम् (७।३।९२) में पीछेसे (७।३।८७) 'आचि न' इन दो पदोंकी अनुवृत्ति लायी गयी कि अजादिप्रत्यय आगे होनेपर इम् आगम नहीं होगा ।

तात्पर्य, क्या यह प्रकृतसूत्र नहीं किया जाना चाहिए ?

प्रकृतसूत्र तो किया जाना ही चाहिए ।

सो किसलिए ?

'प्रत्ययको लेकर बताया हुआ जो कार्य है वही प्रत्ययका लोप होनेपर प्रत्ययलक्षणसे होगा चाहिए, किसी शब्दको लेकर बताया हुआ जो कार्य है वह प्रत्ययका लोप होनेपर प्रत्ययलक्षणसे नहीं होना चाहिए' यह नियम करनेके लिए प्रकृतसूत्र किया जाना चाहिए ।

इस नियमका उपयोग क्या है ?

'शोभनाः दृपदः अस्य ब्राह्मणस्य सुदृपद् ब्राह्मण.' में सुदृपद् इस शब्दकीहि समासमें दृपद् इस उत्तरपदसे किये हुए जम् प्रत्ययका जो लुच् (२।४।७१) हुआ है उसे प्रत्ययलक्षण होकर असन्त उत्तरपद है ऐसा माना जाय तो 'सोर्मनसी अलोमोपसी' (६।२।११७) से उत्तरपदको आदि उदान होने लगेगा वह न हो यह इस नियमका उपयोग है ।

न लुमताङ्गस्य ॥ १ । १ । ६३ ॥

लुमति प्रतिषेध एकपदस्वरस्योपसंख्यानम् ॥ १ ॥

लुमति प्रतिषेध एकपदस्वरस्योपसंख्यानं कर्तव्यम् । एकपदस्वरे च लुमता लुमे प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम् ॥ किमविशेषण । नेत्याह ।

सर्वामन्त्रितसिञ्जुस्वरवर्जम् ॥ २ ॥

सर्वस्वामामन्त्रितस्वरं सिञ्जुस्वरं च वर्जयित्वा ॥ सर्वस्वर । सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः । सर्वस्य सुपि [६-१-१९१] इत्याद्युदात्तत्वं यथा स्यात् ॥ आमन्त्रितस्वर । सर्पिरामच्छ । समागच्छत । आमन्त्रितस्य च [६-१-१९८] इत्याद्यु-

(मू. ६३) लुक्, श्लु और लुप् शब्दोंसे जहाँ प्रत्ययका अदर्शन हुआ हो वहाँ उस प्रत्ययके निमित्त जिसको अङ्गसङ्गा हुई हो उसको यदि एकाध कार्य 'प्रत्ययलक्षणसे वह प्रत्यय आगे है' ऐसा समझकर प्राप्त होगा तो वह न किया जाय ।

(वा. १) लुक्, श्लु और लुप् होनेपर यह जो प्रकृतमूलसे प्रत्ययलक्षणका निषेध किया है उसमें एकपदस्वरका उपसंख्यान किया जाय, जिससे लुक्, श्लु और लुप् होनेपर एकपदपर निर्भर रहकर होनेवाला स्वर कर्तव्य हो तो प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा कहा जाय ।

तो फिर उस प्रकारके किसी भी मूलसे स्वर प्राप्त होनेपर क्या वहाँ प्रत्ययलक्षण नहीं होता ?

ऐसा सर्वसाधारण निषेध नहीं ऐसा कार्तिककार ही करते हैं ।

(वा. २) सर्वशब्दको बताया गया स्वर, आमन्त्रितको बताया गया स्वर और सिञ् प्रत्ययको लुक् होनेपर प्राप्त होनेवाला स्वर ये तीन स्वर एकपदपर निर्भर रहकर होनेवाले स्वरोंमेंसे निकाल लिये जायें । (अर्थात् ये तीन स्वर कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण होता है ।) उनमेंसे सर्वशब्दके स्वरके उदाहरण—'सर्वस्तोमः, सर्वपृष्ठः', में समासके मूल प्रत्ययका लुक् (२।१।७१) होनेपर उसे प्रत्ययलक्षण करके 'सर्वस्य सुपि' (६।१।१९१) मूलसे आदि उदात्त होना चाहिए । आमन्त्रितके स्वरके उदाहरण—'सर्पिरामच्छ, समागच्छत' में 'सर्पिर्म्' और 'साम्' शब्दोंके आगेके संबंधनप्रत्ययका लुक् (७।१।२३, ७।१।२२) होनेपर उसे प्रत्ययलक्षण करके 'आमन्त्रितस्य च' (६।१।१९८) मूलसे आदि उदात्त होना चाहिए । सिञ्जुस्वरके उदाहरण—

१. 'न लुमताङ्गस्य' प्रकृतमूलसे 'अङ्गस्य' ऐसा कहा गया है । इसमें 'अङ्गस्य' अधिहारका कार्य कर्तव्य हो तभी यह निषेध आता है यह कार्तिककारोंने मान लिया है । स्वर करनेवाले शब्द 'अङ्गस्य' अधिहारमें नहीं, अतः स्वर कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षणका यह निषेध नहीं होता । इसमें देवपूर्व उगके ३२ यह अंग पचन किया है ।

दात्तत्व यथा स्यात् ॥ सिञ्जुक्स्वर । मा हि दाताम् । माहि धाताम् । आदिः
सिचो ऽन्यतरस्याम् [६ १ १८७] इत्येष स्वरो यथा स्यात् ॥ किं प्रयोजनम् ।

प्रयोजनं त्रिनिक्लिङ्गि स्वराः ॥ ३ ॥

त्रिनिक्लिङ्गि लुकि प्रयोजयन्ति । गर्गाः वत्साः । विदाः उर्वाः । उट्प्रीवा
वामरञ्जुः । त्रितीत्याद्गुदात्तत्व मा भूदिति । इह च अत्रयः क्तितः [६-१-१६५]
इत्यन्तोदात्तत्वं मा भूदिति ॥

पथिमथोः सर्वनामस्थाने ॥ ४ ॥

पथिमथोः सर्वनामस्थाने लुकि प्रयोजनम् । पथिप्रियः मथिप्रियः ।
पथिमथोः सर्वनामस्थाने [६ १ १९९] इत्येष स्वरो मा भूदिति ॥

‘मा हि दाताम्, मा हि धाताम्’ में सिच् प्रत्ययका लुक् (२।४।७७) होनेपर उसे प्रत्ययलक्षण करके ‘आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्’ (६।१।१८७) सूत्रसे आदि उदात्त होना चाहिए ।

इसके लिए ये तीन स्वर निकाले जाने चाहिए तो निकाले जायें, पर उसके अतिरिक्त एकपदपर निर्भर रहकर होनेवाले स्वर कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा जो कहा है उसका क्या उपयोग है ?

(वा. ३) त्रित्, नित् और क्तित् प्रत्ययोंके निमित्त बताया हुए जो स्वर हैं वे उन प्रत्ययोंका लुक् होनेपर भी प्रत्ययलक्षणसे होने लगेंगे, वे वहाँ नहीं होने चाहिए । अतः वे स्वर वहाँ प्रत्ययलक्षणके निषेधके कारण बन जाते हैं, उदा०-गर्गाः, वत्साः, विदाः, उर्वाः, उट्प्रीवा, वामरञ्जुः आदि स्थानोंपर प्रत्ययलक्षणसे त्रित् और नित्, प्रत्यय हैं ऐसा मानकर ‘त्रिति०’ (६।१।१९७) से आदि उदात्त होने लगोगा वह नहीं होना चाहिए । वैसे ही अत्रयं में प्रत्ययलक्षणसे क्तित् प्रत्यय है ऐसा मानकर ‘क्तित्’ (६।१।१६५) से अत्य उदात्त होने लगोगा वह नहीं होना चाहिए । ऐसा प्रत्ययलक्षणके निषेधका उपयोग है ।

(वा. ४) वैसे ही पथिन् और मथिन् शब्दोंके आगेके सर्वनामस्थानप्रत्ययका लुक् होनेपर वही प्रत्ययलक्षणके निषेधका उपयोग है । अर्थात् पथिन् और मथिन् शब्दोंके आगेके सर्वनामस्थानप्रत्ययका लुक् (२।४।७९) होनेपर भी प्रत्ययलक्षणसे वह प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर ‘पथिमथोः सर्वनामस्थाने’ (६।१।१९९) से आदि उदात्त स्वर होने लगोगा वह नहीं होना चाहिए ।

२. गर्गाः, वत्सा में यत् (४।१।१०५) इन त्रित् प्रत्ययका और ‘विदाः’ ‘उर्वा’ में अत् (४।१।१०५) इन त्रित् प्रत्ययका लुक् (२।४।६५) हुआ है ‘उट्प्रीवा’, ‘वामरञ्जु’ में कत् (५।३।१९६) इन त्रित् प्रत्ययका लुक् (५।३।१००) हुआ है ।

३. ‘अत्रय’ में कत् (४।१।१००) इन क्तित् प्रत्ययका लुक् (२।४।६५) हुआ है ।

अहो रविधौ ॥ ५ ॥

अहो रविधाने लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम् । अहर्द्दाति । अहर्मुङ्क्ते । रोऽसुपि [८-२-६९] इति प्रत्ययलक्षणेन प्रतिषेधो मा मृदिति ॥

उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ ॥ ६ ॥

उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणे न भवतीति वक्तव्यम् । परमवाचा परमवाचे । परमगोदुहा परमगोदुहे । परमश्वलिहा परमश्वलिहे । पदस्य [८-१-१६] इति प्रत्ययलक्षणेन कुत्वादीनि मा भूवन्निति ॥ अपदादिविधाविति किमर्थम् । दधिसेचौ दधिसेचः । सात्पदाद्योः [८-३-१११] इति प्रतिषेधो यथा स्यात् ॥ यद्यपदादिवित्युच्यत उत्तरपदाधिकारो न प्रकल्पेत । तत्र को

(वा. ५) अहन् शब्दको रेफ आदेश कर्तव्य होनेपर सुप् प्रत्ययका लुक् आदिसे अदर्शन हुआ हो तो यहाँ प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा कहा जाय । उदा०—अहर्द्दाति, अहर्मुङ्क्ते में अहन् शब्दके आगेके सुप् प्रत्ययका लुक् (७।१।२३) हुआ तो भी प्रत्ययलक्षणसे सुप् प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर 'असुपि' (८।२।६९) यह रेफ आदेशका निषेध होने लगेगा वह नहीं होना चाहिए ।

(वा. ६) पदके आदिको बताया हुआ जो कार्य है उसके अतिरिक्त कोई भी पदसंज्ञाके निमित्त बताया हुआ कार्य उत्तरपदको कर्तव्य होनेपर जो लुक् आदि प्रत्ययोंका अदर्शन हुआ हो वह प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा कहा जाय । उदा०—परमवाचा, परमवाचे, परमगोदुहा, परमगोदुहे, परमलिहा, परमलिहे । इन वाचु, गोदुह और लिह इन उत्तरपदोंके आगेके सुप् प्रत्ययका जो लुक् (२।४।७१) हुआ है उसे प्रत्ययलक्षण करके पदसंज्ञा (१।४।१४) हुई तो कुत्व (८।२।३२) इत्व (८।२।३१) ये कार्य होने लगे वे नहीं होने चाहिए ।

प्रत्ययलक्षणके इस निषेधमें पदके आदिको बताया हुआ कार्य किसलिय कम किया गया ?

दधिसेचौ, दधिसेचः, में सेच् इस उत्तरपदके प्रत्ययलक्षणसे पदसंज्ञा होकर उसके आदिसकारको 'सात्पदाद्योः' (८।३।१११) से पत्वका निषेध होना चाहिए इसलिय ।

परंतु यदि पदादिविधिको निकालकर अन्य किसी भी पदको बताया हुई विधि उत्तरपदको कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा कहा गया तो उत्तरपदाधिकारका उद्देश तब नहीं किया जा सकेगा । (क्योंकि प्रत्ययलक्षणसे पदसंज्ञा ही अगर उत्तरपदको नहीं होगी तो उसे 'उत्तरपद' भी कैसे कहा जा सकेगा ?)

४. 'असुपि' निषेध 'अत्रस्य' अधिकारका न होनेके कारण 'न लुमतादस्य' से प्रत्ययलक्षणका निषेध न होगा इसलिय वार्तिककारोंने यह वार्तिक किया है ।

दोषः । कर्णो वर्णलक्षणात् [६२११२] इत्येवमादिविधिर्न सिध्यति ॥ यदि पुनर्नलोपादिविधौ प्लुत्यन्ते लुमता लुभे प्रत्ययलक्षण न भवतीत्युच्येत । नैव शक्यम् । इह हि राजकुमार्यौ राजकुमार्य इति शाकल प्रसज्येत । नैव दोष । यदेतत्सिति शाकल नेत्येतत्प्रत्यये शाकल नेति वक्ष्यामि । यदि प्रत्यये शाकल नेत्युच्यते दधि अधुना मधु अधुना अत्रापि न प्रसज्येत । प्रत्यये शाकल न भवति । कस्मिन् । यस्माद्यः प्रत्ययो विहित इति ॥ तर्हि परमदिवा परमदिवे

फिर वैया हूआ तो उसमें दोष क्या हुआ ?

दोषका क्या पूछना ? उस अविकारकी 'कर्णो वर्णलक्षणात्' (६२।११२) आदि सभी विधियों सिद्ध नहीं होंगी ।

ठीक, अब उत्तरपदके आगेके सुप् प्रत्ययका लुक् आदि शब्दोंसे अदर्शन होनेपर वहाँ प्रत्ययलक्षण नहीं होते यह निषेध किसी भी पदको बतायी हुई विधि कर्तव्य होनेपर आता है ऐसा न कहकर वे विधियों नलोप (८।२।७) से प्लुतके (८।२।८२) अतककी ही लीं जायें, तो वह संभव नहीं । क्योंकि राजकुमार्यौ, राजकुमार्य में प्रत्ययलक्षणसे कुमारी यह पद मानकर 'इकोऽसवर्णं शाकल्यस्य ह्रस्वश्च' (६।१।१२७) से प्रकृतिभाव और ह्रस्व होगा यह दोष आता है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि उस प्रकृतिभावका वार्तिककारोंने जो सित् प्रत्यय आगे होनेपर निषेध किया है वह वैसा विशेष प्रत्ययको लेकर न करते हुए सामान्य तया कोई भी प्रत्यय आगे होनेपर क्रिया जा सकेगा ।

परतु अगर कोई भी प्रत्यय आगे होनेपर वह प्रकृतिभाव नहीं होता ऐसा कहा जाय तो 'दधि अधुना', 'मधु अधुना' में भी वह प्रकृतिभाव नहीं होगा ।

उस प्रकृतिभावके निषेधकेलिए कोई भी प्रत्यय आगे हो, तो चल सकेगा । परतु सो ऐसे (उसका उसीको चल सकेगा, अन्यका अन्यको नहीं) अर्थात् जिससे वह प्रत्यय बनाया गया हो उसीको वह प्रत्यय आगे होनेपर प्रकृतिभाव नहीं होता ।

(इस तरह नलोपसे प्लुतक विधि कर्तव्य होनेपर ही प्रकृतिभाव नहीं होता ऐसा माननेपर राजकुमार्यौ से दोष नहीं रहा) तोभी परमदिवा, परमदिवे आदि स्थानोंमें

५ 'दधि' और 'अधुना' दो पृथक् पद हैं । अधुना प्रत्यय है और वह 'दधि' शब्दके आगे नहीं दिया है, 'इम्' शब्दके आगे दिया है (५।३।१७) । तदनन्तर 'इम्' शब्दको 'इ' आदेश (५।३।३) दोके उगटा लोप (६।२।१४८) हुआ है । उस परमें केवल प्रत्यय ही लोप रहा है ।

दिव उद् [६.१.१३१] इत्युत्वं प्राप्नोतीति ॥ अस्तु तदंविशेषेण । ननु चोक्तमुत्तरपदाधिकारो न प्रकल्पेतेति । वचनादुत्तरपदाधिकारो भविष्यति ॥

तत्तार्हि वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् । अनुवृत्तिः करिष्यते । इदमन्ति यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये ऽङ्गम् [१.४.१३] सुनिवृत्तं पदम् [१४] यस्मात्सुनिवृत्तिस्तदादि सुबन्तं च । नः कये [१५] ज्ञान्तं कये पदसंज्ञं भवति यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि सुबन्तं च । सिति च [१६] । सिति च पूर्वं पदसंज्ञं भवति यस्मात्सिद्धिस्तदादि सुबन्तं च । स्वादिप्सर्वनामस्थाने [१७] ।

प्रत्ययलक्षणसे दिव् पद मानङ्ग 'दिव उर्त् (६।१।१३१) से उत्त होगा यह शेष आता है ।

तो फिर अमुक्त विधि ही कर्त य होनेपर ऐसा न कहते हुए सदिप्य रूपसे अर्थात् किसी भी पदको बनायी विधि कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता यही रहने दीजिये ।

परन्तु वैया कहनेपर ' उत्तरपदाधिकारका नामोल्लेख कर ही नहीं सकते ' ऐसा अभी बताया गया है उसका क्या ?

जब प्राणिनिने उत्तरपदाधिकार किया ही है तब उसकी सामर्थ्यसे कम से कम वहाँ प्रत्ययलक्षणका निषेध नहीं होगा अथवा समासके आगने भागको पदसंज्ञा न हो तो भी उत्तरपद कहा जा सकेगा ।

तत्पर्य, परमवाचा आदि उदाहरण साधनेके लिए ' उत्तरपदने चापदादिरिति ' यह प्रत्ययलक्षणका निषेध बताया जाना चाहिए ।

यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है । अनुवृत्ति करनेमें काम चला सकेगा । सो इस प्रकार—' यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् ' (१।४।१३) ऐसा सूत्र है । उसमेंसे ' यस्मात् प्रत्ययविधि. तदादि ' इन पदोंकी अनुवृत्ति आगे ' यन्नि भम् ' (१।४।१८) सूत्रका की जाय । तब उसका अर्थ यों होता है । अगत्र सूत्र—' सुनिवृत्तं पदम् ' सुप् या तिङ् प्रत्यय जिससे बनाये गये तदादि जो सुबन्त या तिङन्त गन्धम्वरूप है उसे पदसंज्ञा होती है । उसका अगत्र सूत्र—' नः कये ' क्यच् या क्यङ् प्रत्यय आगे होनेपर नकारान्तको पदसंज्ञा होती है और वर क्यच् या क्यङ् प्रत्यय जिससे बनाया गया हो तदादि जो सुबन्त है उसको भी पदसंज्ञा होती है । उसका अगत्र सूत्र—' सिति च ' सिच् ' प्रत्यय आगे होनेपर पराङ्के गन्धको पदसंज्ञा होती है और वर सिच् प्रत्यय जिससे बनाया गया तदादि जो सुबन्त है उसको भी पदसंज्ञा होती है । उसका अगत्र सूत्र—' स्वादिप्सर्वनामस्थाने ' सर्वनामपदान्के अन्तिम सु आदि प्रत्ययोंमेंसे कोई भी प्रत्यय आगे होनेपर पराङ्के गन्धको पदसंज्ञा होती है ।

स्वादिष्वसर्वनामस्थाने पूर्वं पदसंज्ञं भवति यस्मात्स्वादिविधिस्तदादि सुबन्तं च । यच्च भम् [१८] यजादिप्रत्यये पूर्वं भं भवति यस्माद्यजादिविधिस्तदादि सुबन्तं च ॥ इह तर्हि परमवाक् असर्वनामस्थान इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । अस्तु तस्याः प्रतिषेधो या स्वादौ पदामिति पदसंज्ञा या तु सुबन्तं पदमिति पदसंज्ञा सा भविष्यति । सत्येतत्प्रत्यय आसीदनया भविष्यत्यनया न भविष्यतीति । लुप्त इदानीं प्रत्यये यावत् एवावधेः स्वादौ पदामिति पदसंज्ञा तावत् एवावधेः सुबन्तं पदमिति । अस्ति च प्रत्ययलक्षणेन सर्वनामस्थानपरतेति कृत्वा प्रतिषेधाश्च बलीयांसो भवन्तीति प्रतिषेधः प्राप्नोति ॥ नाप्रतिषेधात् । नायं प्रसज्यप्रतिषेध सर्वनामस्थाने नेति । किं तर्हि । पर्युदासो ऽयं यदन्यत्सर्वनामस्थानादिति । सर्व-

और वह प्रत्यय जिसमें जोड़ गया तद्वादि जो सुबन्त है वह उसके भीतर और एकाव सुबन्त होनेपर उसको भी पदसंज्ञा होती है, सर्वनामस्थानप्रत्यय आगे होनेपर केवल पदसंज्ञा नहीं होती । उसका अगला सूत्र—‘ यच्चि भम्० ’ यजादिप्रत्यय आगे होनेपर पहलेके शब्दको भसंज्ञा होती है और वह यजादिप्रत्यय जिससे बनाया गया तद्वादि जो सुबन्त है उसको और उसके अंदर एकाव सुबन्त हो तो उसे भी भसंज्ञा होती है; सर्वनामस्थानप्रत्यय आगे होनेपर नहीं होती ।

तो फिर परमवाक् में ‘ सर्वनामस्थान आगे होनेपर पदसंज्ञा नहीं होती ’ यह निषेध आयेगा (आर कुत्व (८।२।३०) नहीं होगा ।)

‘ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ’ (१।४।१७) से बतायी हुई जो पदसंज्ञा है उसका वह निषेध होने दे, पर ‘ सुतिङन्तं पदम् ’ (१।४।१४) से बतायी गई जो पदसंज्ञा है वह होगी ही ।

प्रत्ययके विद्यमान होनेपर अमुक सूत्रसे पदसंज्ञा होगी और अमुक सूत्रसे पदसंज्ञा नहीं होगी ऐसा कह सकते हैं । परन्तु यह फुर्क परमवाक् में अगले सुप्रत्ययका लोप (६।१।३८) होनेपर दिखाया नहीं जा सकता । क्योंकि ‘ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ’ से जितने भागको पदसंज्ञा प्राप्त होती है उतने ही भागको प्रत्ययलक्षणसे सुबन्त मानकर ‘ सुतिङन्तं पदम् ’ से पदसंज्ञा प्राप्त होती है । अतः अर्थात् ही उन दोनों संज्ञाओंका ‘ असर्वनामस्थाने ’ यह निषेध प्राप्त होता है । क्योंकि प्रत्ययलक्षणसे सर्वनामस्थानप्रत्यय आगे है ऐसा माना जा सकता है । और निषेध तो अन्य सज्जी अपेक्षा बलवत्तर होते हैं ।

नाप्रतिषेधात् । ‘ सर्वनामस्थानप्रत्यय आगे होनेपर प्राप्त पदसंज्ञा न की जाये । ’ ऐसा ‘ असर्वनामस्थाने ’ का अर्थ न समझा जाये तो ‘ असर्वनामस्थाने ’ पर्युदास है अर्थात् ‘ सर्वनामस्थानप्रत्ययके अतिरिक्त अन्य स्वादिकप्रत्यय आगे होनेपर पदसंज्ञा होती है ’ ऐसा ‘ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ’ (१।४।१७) सूत्रका अर्थ है । अतः

नामस्थाने ऽव्यापारः । यदि केनचित्प्राप्नोति तेन भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति ॥ अप्राप्तेर्वा । अथवानन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते । कुत एतत् । अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वेति । पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तथा भविष्यति । ननु चेयं प्राप्तिः पूर्वा प्राप्तिं बाधते । नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम् ॥ यद्येवं परमवाचो परमवाच इति सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा प्राप्नोति । एवं तर्हि योगविभागः करिष्यते । स्वादिषु पूर्वं पदसंज्ञं भवति । ततः सर्वनामस्थानेऽप्यचि । पूर्वं पदसंज्ञं भवति ।

अर्थात् ही सर्वनामस्थानप्रत्यय आगे होनेपर वहाँ 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' सूत्र कुछ भी नहीं कर सकता । अर्थात् वहाँ उस सूत्रसे पदसंज्ञा न आती ही है न जाती ही । अब वहाँ अगर दूसरे किसी सूत्रसे पदसंज्ञा प्राप्त होती हो तो वह वहाँ होगी ही । अतः परमवाक् 'सुप्तिङन्तं पदम्' (१।४।१४) पूर्वसूत्रसे पदसंज्ञा होगी ।

अप्राप्तेर्वा अथवा 'असर्वनामस्थाने' का 'सर्वनामस्थानप्रत्यय आगे होनेपर पदसंज्ञा नहीं होती' ऐसा अर्थ लिया जाय तो भी उसके कारण 'स्वादिषु' से जो पदसंज्ञाकी प्राप्ति आती है उसका निषेध किया जाता है ।

सो कैसे ?

'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा' अर्थात् विधि या प्रतिषेध पास-वालेके ही होते हैं ऐसा नियम है इसलिये । अतः 'सुप्तिङन्तं पदम्' इस पूर्वसूत्रसे आर्या हुई जो पदसंज्ञाकी प्राप्ति है उसका निषेध न होनेके कारण उसके वन्से परमवाक् में पदसंज्ञा होकर कुत्त होगा ।

परंतु 'सुप्तिङन्तं पदम्' पूर्वसूत्रसे आर्या हुई पदसंज्ञाका यद्यपि 'असर्वनामस्थाने' यह निषेध नहीं हुआ तो भी उस संज्ञाका 'स्वादिषु' से बतार्ई हुई पदसंज्ञासे ही बाध आयेगा ।

यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि जो यह पदसंज्ञा स्वतः निषेधके जालमें फँसनेके कारण पराह्मुत्त हुई है वह दूसरेका बाध करनेका कभी साहस नहीं करेगी ।

परंतु अगर ऐसा ही है तो परमवाचो, और परमवाचः में वाच इस प्रत्ययलक्षणसे सुवन्त मानकर 'सुप्तिङन्तं पदम्' से पदसंज्ञा होने लगेगी ।

तो फिर ऐसे स्थानपर पदसंज्ञा न होनेके लिए योगविभाग करता हूँ । 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने', 'यचि भम्' (१।४।१७,१८) ऐसे मूल दो सूत्र हैं वे तीन सूत्र किये जायें । वे यों हैं— 'स्वादिषु' यह एक सूत्र है । सु आदि प्रत्यय आगे होनेपर पहलेके शब्दको पदसंज्ञा होती है । 'सर्वनामस्थाने ऽप्यचि' यह दूसरा सूत्र है । सर्वनामस्थान प्रत्यय आगे होनेपर अगर पहलेके शब्दको पदसंज्ञा करनी हो तो यत्रादिभिन्न सर्व-

७. 'स्वादिषु' अथवा 'सुप्तिङन्तं पदम्' इन दो सूत्रोंमें कौन सी सूत्रसे करना हो । यदि 'स्वादिषु' इस एक ही सूत्रका नियम होता तो किया हुआ योगविभाग व्यर्थ होगा ।

ततो भम् । भसज्ञं भवति यजादावसर्वनामस्थान इति ॥ यदि तर्हि सावपि पद भवत्येचः प्लुतविकारे पदान्तग्रहण चोदयिष्यति इह मा भूत् भद्र करोषि गौरिति तस्मिन्क्रियमाणे ऽपि प्राप्नोति । वाक्यपदयोरन्त्यस्येत्येव तत् ॥ इह तर्हि दधिसेचौ दधिसेचः सात्पदाद्योरिति पदादिलक्षणः पत्वप्रतिषेधो न प्राप्नोति । मा भूदेव पद-स्यादिः पदादिः पदादेर्नेत्ति । कथं तर्हि । पदादादिः पदादिः पदादेर्नेत्येव भविष्यति नैव शक्यम् । इहापि प्रसज्येत । ऋक्षु, वाक्षु त्वक्षु कुमारीषु किशोरीष्विति । सात्पतिषेधो ज्ञापकः स्वादिषु पदत्वेन येषां पदसज्ञा न तेभ्यः प्रतिषेधो भवतीति ॥

नामस्थान आगे होनेपर ही की जाय, याने अर्थात् यजादि सर्वनामस्थानप्रत्यय आगे होनेपर पहलेके शब्दको पदसज्ञा नहीं होती । 'भम्' यह तीसरा सूत्र है । सर्वनाम स्थानभिन्न यजादि प्रत्यय आगे होनेपर पहलेके शब्दको भ सज्ञा होती है ।

तो फिर सु आगे होनेपर भी पहले शब्दको पदसज्ञा होगी, और अगर वह हुई तो 'भद्र करोषि गौः३' दोष आता है । 'एचोऽप्रगृह्य०' (८।१।१०७) से जो प्लुतको विकार बताया गया है वह गौ. मे सुप्रत्ययके पीछेके ओकारको न हो इसलिए वहाँ 'पदान्तमें एच् चाहिए' ऐसा शब्द निकला है । पर अब सु आगे होनेपर पिउला औंकार पदान्तमें होनेके कारण वहाँ पदान्त शब्द रसा तो भी दोष आयेगा ही ।

वाग्यके और पदके अतमें जो प्लुत होगा उसे वह विकार होता है । (यह औंकार पदके अतमें हो तो भी वाग्यके अतमें है ही नहीं । अत. दोष नहीं आयेगा ।)

तो फिर 'दधिसेच' में 'असर्वनामस्थानेऽयच्चि' से पदसज्ञाका निषेध होनेसे जैसा कुत्व नहीं होता वैसा उसी कारण 'सात्पदाद्योः' (८।१।१११) से पत्वका निषेध भी नहीं होगा ।

'पदका जो आदि है वह पदादि है । उस पदादि सकारको पत्व नहीं होता ।' इस अर्थसे वह निषेध नहीं हुआ तो भी न होने दीजिए ।

तो फिर यहाँ किस अर्थसे निषेध करेंगे ?

'पदसे पर जो आदि वह पदादि है । उस पदादिसकारको पत्व नहीं होता' इस अर्थसे दधि पदसे पर सकार होनेके कारण पत्वका निषेध होगा ।

परन्तु वैसा अर्थ लिया गया तो ऋषु, गायु, कुमारीषु, किशोरीषु आदि उदाहरणाम ऋच आदि पदसे (१।४।१७) जागे सकार होनेके कारण उस सकारका पत्वका निषेध होने लगेगा ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि अग्निसात् आदि उदाहरणोंमें सात् प्रत्ययके (५।४।५२) सकारको पत्व न होनेके लिए 'सात्पदाद्यो' (८।१।१११) सूत्रमें सात् शब्दका जो उच्चारण किया गया है उससे ऐसा सूचित होता है कि 'स्वादिषु' (१।४।१७) से जो पदसज्ञा हुई है उस पदसे आगेके सकारको पदादि मानकर पत्वको निषेध नहीं होता ।

इह तर्हि बहुसेचौ बहुसेचः । बहुजन्यं प्रत्ययः । अत्र पदादादिः पदादिः पदादे-
नेत्युच्यमाने ऽपि न सिध्यति । एवं तर्द्धत्तरपदत्वे च पदादिविधौ लुमता लुमे
प्रत्ययलक्षणं भवतीति वक्ष्यामि । तन्नियमार्थं भविष्यति पदादिविधावेव न पदान्त-
विधाविति ॥ कथं बहुसेचौ बहुसेचः । बहुच्यूर्वस्य च पदादिविधावेव न पदान्त-
विधाविति ॥

द्वन्द्वे ऽन्त्यस्य ॥ ७ ॥

द्वन्द्वे ऽन्त्यस्य लुमता लुमे प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्ष्यम् । वाक्स्रक्-
त्वचम् ।

इह अभूवन्निति प्रत्ययलक्षणेन जुस्भावः प्राप्नोति ।

सिच उत्सो ऽप्रसङ्गः आकारप्रकरणात् ॥ ८ ॥

सिच उत्सो ऽप्रसङ्गः । किं कारणम् । आकारप्रकरणात् । अतः

तो फिर बहुसेचौ, बहुसेचः में सेचको 'असर्वनामस्थानेऽयचि' से पदसंज्ञाका
निषेध होनेके कारण 'सात्पदाद्योः' में पत्वका निषेध नहीं होगा । 'पदसे
पर जो आदि सो पदादि, वैसे पदादि सकारको पत्व नहीं होता ।' इस अर्थ से सर्वत्र
निषेध सिद्ध नहीं होता । क्योंकि बहुच् प्रत्यय (५।३।६८) है, पद नहीं ।
(तात्पर्य 'श्चादिषु' आदि योगविभाग किया तो भी सर्वत्र सिद्धि नहीं होती ।)

तो फिर यहाँ ऐसा वचन किया जाय कि 'उत्तरपदके आगेके सुप्रत्ययका लुक्
आदिद्वारा अदर्शन होनेपर वहाँ पदके आदिको विधि कर्तव्य हो तो प्रत्ययलक्षण होता
है ।' यह वचन नियमके रूपमें होगा । वह नियम यों है—'पदके आदिको विधि
कर्तव्य होनेपर ही प्रत्ययलक्षण होता है, पदके अन्तको विधि कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण
नहीं होता ।' (अतः 'दधिसेचौ, इत्यादि उदाहरणोंमें दोष नहीं आता ।)

तो भी बहुसेचौ, बहुसेचः, ये उदाहरण कैसे सिद्ध होंगे ? (बहुच् तद्धितप्रत्यय
है अतः सेच् उत्तरपद न होनेके कारण 'उत्तरपदत्वे०... ' वचन प्रवृत्त नहीं होगा ।)

वहाँ भी अलग वचन किया जाय—'यदि किसी शब्दके पहले बहुच् प्रत्यय
लगा हो तो उस शब्दको ही पदादिविधिमार्त्रके लिए प्रत्ययलक्षणसे पद कहा जाय ।'
अतः पदान्तविधिके लिए उस प्रत्ययलक्षणका उपयोग नहीं होता ।

(वा. ७) द्वन्द्वसमासमें अंतिम शब्दके आगेके सुप्रत्ययका लुक् आदिसे अदर्शन
होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता, उदा०—वाक्स्रक्त्वचम् । (यहाँ त्वचको पदसंज्ञा न
होनेके कारण कुत्व (८।२।३०) नहीं होता है ।)

अभूवन्में सिच् प्रत्ययका लुक् (२।४।७७) होनेपर उसे प्रत्ययलक्षण करके
अगले शि प्रत्ययको जुस् आदेश (३।४।१०९) होने लगेगा ऐसा दोष आता है ।

[३.४.११०] इत्येतन्नियमार्थं भविष्यति । आत एव च सिञ्जुगन्तान्नान्यस्मात्सिञ्जुगन्तादिति ॥ इह इति युष्मत्पुत्रो ददाति इत्यस्मत्पुत्रो ददातीत्यत्र प्रत्यय-लक्षणेन युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वाग्भावौ [८.१.२०] इति वाम्नावादयः प्राप्नुवन्ति ।

युष्मदस्मदोः स्थग्रहणात् ॥ ९ ॥

स्थग्रहणं तत्र क्रियते तच्छ्रयमाणविभक्तिविशेषणं विज्ञास्यते । अस्यन्य-त्स्थग्रहणस्य प्रयोजनम् । किम् । सविभक्तिकस्य वाम्नावादयो यथा स्युरिति । नैतदस्ति प्रयोजनम् । पदस्य [१६] इति वर्तते विभक्त्यन्तं च पदं तत्रान्त-रेणापि स्थग्रहणं सविभक्तिकस्यैव भविष्यति । भवेत्सिद्धं यत्र विभक्त्यन्तं पदं यत्र

(वा. ८) सिच् प्रत्ययका लुक् होनेपर उसके निमित्त जुस् आदेश नहीं होता । जुस् न होनेका कारण क्या है ?

कारण यह कि आकारप्रकरणात् । 'आतः' (३।४।११०) ऐसा सूत्र है वह नियमके रूपमें माना जाय । नियम यह कि 'सिच् प्रत्ययका लुक् होनेपर अगर पीछे आकारान्त धातु हो तभी अगले क्षि प्रत्ययको जुस् आदेश होता है । आकारान्तके अलावा अन्य धातु होगा तो वहाँ सिच् प्रत्ययका लुक् होनेपर जुस् आदेश नहीं होता ।

'इति युष्मत्पुत्रो ददाति', 'इत्यस्मत्पुत्रो ददाति' आदि वाक्योंमें इति शब्दके आगेके युष्मद् और अस्मद् शब्दोंको 'युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वाग्भावौ' (८।१।२०) आदि सूत्रोंसे वाम् नौ आदि आदेश होने लगेंगे । क्योंकि युष्मद्, अस्मद् आदि शब्दोंके आगेके पष्ठी आदि प्रत्ययोंका लुक् (२।४।७१) हुआ हो तोभी प्रत्यय-लक्षणसे 'वे प्रत्यय है' ऐसा समझा जा सकता है ।

(वा. ९) 'युष्मदस्मदोः०' सूत्रमें 'स्थ' शब्द रखा गया है । वह 'श्रूयमाण' अर्थसे पष्ठी आदि विभक्तियोंका विशेषण है ऐसा माना जाय । (अर्थात् उदाहरणमें पष्ठी आदि प्रत्यय प्रत्यक्ष विद्यमान होने चाहिए; केवल प्रत्ययलक्षणसे माने हुए उपयोगवाले नहीं ।)

परंतु उस शब्दका उपयोग दूसरा है ।

सो कौनसा ?

सो यह है कि वाम् नौ आदि आदेश पष्ठी आदि प्रत्ययोंसहित युष्मद् और अस्मद् शब्दोंको होने चाहिए । (वे प्रत्यय आगे होनेपर केवल उन शब्दोंको न हों ।)

यह उपयोग ठीक नहीं है । क्योंकि 'पदस्य' (८।१।१६) ऐसा यहाँ पीछेसे अनुवृत्त होता है । और पद संज्ञा (१।४।१४) तो विभक्तिसहित शब्दको ही होती है । अतः 'स्थ' शब्द न हो तो भी विभक्तिप्रत्ययोंसहित युष्मद्, अस्मद्, शब्दोंको वे आदेश होंगे ।

जिस स्थानपर विभक्तिप्रत्ययसहित ही शब्दोंको पदसंज्ञा होती है वहाँ 'पदको'

तु खलु विभक्तौ पदं तत्र न सिध्यति । ग्रामो वां दीयते । ग्रामो नौ दीयते । जनपदो वां दीयते । जनपदो नौ दीयते । सर्वग्रहणमपि प्रकृतमनुवर्तते तेन सविभक्तिरस्यैव भविष्यति ॥ इह चक्षुष्कामं याजयांचकारेति तिङातिङः [८-१-२८] इति तस्य च निघातस्तस्माच्चानिघातः प्राप्नोति ।

आमि लिलोपात्तस्य चानिघातस्तस्माच्च निघातः ॥ १० ॥

आमि लिलोपात्तस्य चानिघातस्तस्माच्च निघातः सिद्धो भविष्यति ॥

अङ्गाधिकार इत्ये विधिप्रतिषेधौ ॥ ११ ॥

अङ्गाधिकार इत्ये विधिप्रतिषेधौ न सिध्यतः । जिगमिप संविभृत्स । अङ्ग-

ऐसा कहनेसे सिद्ध होगी । पर जहाँ विभक्तिप्रत्यय आगे होनेपर पिठले भागको भी पदसंज्ञा (१।४।१७) होती है वहाँ सिद्ध नहीं होगी; उदा०—‘ग्रामो वां दीयते’ ‘ग्रामो नौ दीयते’ । (युष्मद् और अस्मद् शब्दोंको चतुर्थी द्विवचनोंके जो युवाभ्याम् और आवाभ्याम् रूप होते हैं उन्हें वाम और नौ ये आदेश यहाँ हुए हैं।)

‘सर्वस्य’ ऐसा भी पीछेसे (८।१।१) यहाँ अनुवृत्त होता है । उसके बलपर अगले प्रत्ययसहित ही युष्मद् और अस्मद् शब्दोंको वे आदेश होंगे ।

‘चक्षुष्कामं याजयांचकार’ वाक्यमें ‘याजयाम्’ तिङन्तभिन्न पदके आगेके ‘चकार’ इस तिङन्त पदको ‘तिङातिङः’ (८।१।२८) से अनुदात्त होता है । परंतु ‘याजयाम्’ प्रत्ययलक्षणसे तिङन्त है ऐसा माना जानेके कारण उस सूत्रसे ‘याजयाम्’ पदको अनुदात्त होगा और ‘चकार’ को नहीं होगा ।

(वा. १०) ‘याजयाम्’ में ‘याजि’ इस णिच्प्रत्ययान्त धातुसे आम प्रत्यय (६।१।३५) करनेपर उसके आगे के लिट् प्रत्ययका, उसे तिङ् आदेश (३।४।७८) करनेके पहले ही ‘आमः’ (२।४।८१) से लोप होनेसे इस ‘याजयाम्’ को अनुदात्त नहीं होता । और उसके आगेके ‘चकार’ को अनुदात्त होता है । (क्योंकि प्रत्ययलक्षण हुआ तो भी ‘याजयाम्’ लिट्प्रत्ययान्त माना जायगा, तिङन्त नहीं माना जायगा ।)

(वा. ११) ‘अङ्गस्य’ (६।४।१) अधिकारमें जो इट् आगमकी विधि और उसका निषेध बताया है वह सिद्ध नहीं होगा । जिगमिप, संविभृत्स में सन्प्रत्ययान्त धातु के आगेके ‘हि’ इस परस्मैपद प्रत्ययका ‘अनो हेः’ (६।४।१०५) से लुप्त हुआ है ।

८. ‘याजयाम्’ के अगले लिट् प्रत्ययको तिङ् आदेश करके तदनन्तर उगधा ‘आमः’ (२।४।८१) से लोप हुआ है यह मान लेके प्रत्ययलक्षणसे ‘याजयाम्’ तिङन्त है ऐसा कहा है ।

स्येतीटो विधिप्रतिषेधौ न प्राप्नुतः ॥

क्रमेर्दीर्घत्वं च ॥ १२ ॥

किं च । इट्श्च विधिप्रतिषेधौ । नेत्याह । अदेशेऽयं चः पाठितः ।
क्रमेश्च दीर्घत्वम् । उत्क्राम संक्रामेति ॥

इह किञ्चिदङ्गाग्रिकारे लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणेन भवति किञ्चिच्चान्यत्र न
भवति । यदि पुनर्न लुमता तस्मिन्नित्युच्येत । अथ न लुमता तस्मिन्नित्युच्यमाने
किं सिद्धमेतद्भवतीटो विधिप्रतिषेधौ क्रमेर्दीर्घत्वं च । वाढं सिद्धम् । नेटो

यहाँ प्रत्ययलक्षणसे ' परस्मैपद् प्रत्यय आगे है ' ऐसा मानकर ' जिगमिप ' में
सन् प्रत्ययको इट् आगम (७।२।५८) होता है और ' संविवृत्स ' में इट्
आगमका निषेध होता है । परंतु यह इट् आगम और उसका निषेध बतानेवाले शास्त्र
' अङ्गस्य ' अधिकारके होनेके कारण प्रकृतसूत्रसे प्रत्ययलक्षणका निषेध होगा ऐसा
दोष आता है उसके लिए वैसा वचन करना चाहिए ।

(वा० १२) इस वार्तिकके ' च ' शब्दसे किस कार्यका संग्रह करें ?

पहले बताये हुए इट् आगमका और उसके निषेधका ।

पर वैसा संग्रह यहाँ नहीं आता है ऐसा हम कहते हैं । (क्योंकि प्रत्ययलक्षणसे
इट् आगम होनेका और उसका निषेध होनेका उदाहरण क्रम धातुका संभाव्य नहीं है ।)
अतः इस वार्तिकमें ' च ' शब्द अनुचित स्थानपर ही आ गया है वह ' क्रमः ' के
आगे लिया जाय, अर्थात् पहले वार्तिकके आगे ' क्रमेश्च दीर्घत्वम् ' ऐसा वार्तिक
समझा जाय । तात्पर्य, पूरा अर्थ यों है—अङ्गस्य अधिकारका कार्य कर्तव्य होनेपर
प्रकृतसूत्रसे प्रत्ययलक्षणका निषेध होनेके कारण ' जिगमिप ' में इट् आगम नहीं होगा ।
' संविवृत्स ' में इट् आगमका निषेध नहीं होगा और ' उत्क्राम, ' और ' संक्राम ' में
दीर्घ (७।१।७६) नहीं होगा ।

प्रत्ययलक्षणका निषेध बतानेवाले उस प्रकृत सूत्रमें पाणिनिने अङ्गस्य ऐसा कहा
है । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी दिखाई देती है कि लुक् आदिसे प्रत्ययका अदर्शन होनेपर
अङ्गस्य अधिकारका भी कुछ कार्य प्रत्ययलक्षणसे होता है और कुछ कार्य अङ्गस्य
अधिकारके बाहरका भी प्रत्ययलक्षणसे नहीं होता ।

ठीक । अब ' न लुमता तस्मिन् ' याने लुक् आदिसे प्रत्ययका अदर्शन हुआ हो
वहाँ वह प्रत्यय आगे होनेपर बताया हुआ कार्य कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता
ऐसा कहें तो—

' न लुमता तस्मिन् ' ऐसा कहें तो क्या इट् आगम, उसका निषेध, क्रम धातुको
दीर्घ, ये सब सिद्ध होने हैं ?

जी हाँ । निश्चित रूपसे सिद्ध होते हैं । क्योंकि ' गमेरिट् ' से बताया हुआ इट्

विशिष्टातिपेधौ परस्मैपदेष्वित्युच्यते । कथं तर्हि । सकारादाविति तद्विशेषणं परस्मैपदग्रहणम् । न खल्वपि क्रमेर्दीर्घत्वं परस्मैपदेष्वित्युच्यते । कथं तर्हि । शितीति तद्विशेषणं परस्मैपदग्रहणम् ॥

न लुमता तस्मिन्निति चेद्वनिणिडादेशास्तलोपे ॥ १३ ॥

न लुमता तस्मिन्निति चेद्वनिणिडादेशास्तलोपे न सिध्यन्ति । अवधि भवता दस्युः । अगाधि भवता ग्रामः । अध्यगाधि भवतानुवाकः । तलोपे कृते लुडीति हनिणिडादेशा न प्राप्नुवन्ति ॥ नैप दोषः न लुडीति हनिणिडादेशा उच्यन्ते । किं तर्हि । आर्धधातुक इति । तद्विशेषणं लुङ्ग्रहणम् ॥ इह च सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः सर्वस्य सुपीत्याद्युदात्तत्वं न प्राप्नोति । तच्चापि वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् । न लुमताङ्गस्येत्येव सिद्धम् । कथम् । न लुमता लुभे ऽङ्गाधिकारः

आगम, और 'न वृद्धयः०' से बताये हुए इट् आगमका निषेध ये कुछ परस्मैपदप्रत्यय आगे होनेपर बताये नहीं गये हैं, तो वे सकारादि प्रत्यय आगे होनेपर बताये गये हैं और परस्मैपदेषु उस सकारादि प्रत्ययका विशेषण है । वैसे ही क्रम् धातुको बताया हुआ दीर्घ भी परस्मैपदप्रत्यय आगे होनेपर बताया नहीं गया, तो वह शित् प्रत्यय आगे होनेपर बताया गया है । और परस्मैपदेषु यह उस शित् प्रत्ययका विशेषण है ।

(वा. १३) 'न लुमता तस्मिन्' यह सूत्र किया तो हन्, इण् और इड् धातुओंके बताये हुए जो आदेश हैं वे 'त' प्रत्ययका लोप होनेपर सिद्ध नहीं होंगे, उदा० अवि भवता दस्युः, अगाधि भवता ग्रामः, अध्यगाधि भवतानुवाकः । अवधि, अगाधि, अध्यगाधि, इन क्रियाओंमें त प्रत्ययका लोप (६।४।१०४) होनेपर वहाँ लुङि च (२।४।४३) इणो गा लुङि (२।४।४५), विभाषा लुङ्लुङोः (२।४।५०) इन सूत्रोंसे लुङ्प्रत्यय आगे होनेपर हन्, इण्, और इड् इन धातुओंको बताये हुए जो वध, गा और गाङ् आदेश ह वे लुङ्प्रत्ययको प्रत्ययलक्षण न होनेके कारण नहीं होंगे ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि ये हन्, इण् और इड् के आदेश लुङ् प्रत्यय आगे होनेपर बताये ही नहीं गये हैं, तो आर्धधातुक प्रत्यय आगे होनेपर बताये गये हैं, और 'लुङि' यह उस 'आर्धधातुके' का विशेषण है ।

तो भी, 'न लुमता तस्मिन्' ऐसा सूत्र किया तो सर्वस्तोमः, सर्वपृष्ठः में प्रत्ययलक्षणका निषेध होनेसे 'सुप् आगे है' ऐसा नहीं माना जा सकता इसीलिए 'सर्वस्य सुपि' (६।१।१९१) से आदि उदात्त नहीं होगा यह दोष आता ही है । इसके अतिरिक्त 'न लुमता' ऐसा कहना चाहिए । इसी लिए सूत्र बदलना होगा ।

वैसा कहने की आवश्यकता नहीं । 'न लुमताङ्गस्य' ही रहने दीजिये । उसीसे सब सिद्ध होगा ।

सो कैसे ?

प्रतिनिर्दिश्यते । किं तर्हि । यो ऽसौ लुमता लुप्यते तस्मिन्त्यदङ्गं तस्य यत्कार्यं तत्र भवति । एवमपि सर्वस्वरो न सिध्यति । कर्तव्यो ऽत्र यत्नः ॥

[अचोन्त्यादि टि ॥ १।१।६४ ॥]

अलो ऽन्त्यात्पूर्वं उपधा ॥ १।१।६५ ॥

किमिदमल्यहणमन्त्यविशेषणम् । एवं भवितुमर्हति ।

उपधासंज्ञायामल्यहणमन्त्यनिर्देशश्चेत्संघातप्रतिषेधः ॥ १ ॥

उपधासंज्ञायामल्यहणमन्त्यनिर्देशश्चेत्संघातस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । संघात-
स्योपधासंज्ञा प्राप्नोति । तत्र को दोषः । शास इदङ्हलोः [६.४.३४]
शिष्टा शिष्टः । संघातस्येच्चं प्राप्नोति ॥ यदि पुनरलन्त्यादित्युच्येत । एवमप्यन्त्यो

सो ऐसे कि प्रकृतसूत्रमें 'अङ्गस्य' पद 'अङ्गस्य' अधिकारका दर्शक है ऐसा न माना जाय ।

तो फिर इस सूत्रका अर्थ क्या ?

'लुक् आदिसे जिस प्रत्ययका अदर्शन हुआ हो वह प्रत्यय आगे होनेपर जो अंग बनता है उस अंगको कार्य कर्तव्य होनेपर प्रत्ययलक्षण नहीं होता' ऐसा इस सूत्रका अर्थ है ।

तो भी सर्वस्तोमः में 'सर्वस्य सुपि' से आदि उदात्त नहीं होगा यह दोष है ही । उस के लिए यत्न करना ही चाहिए । (अर्थात् वार्तिक करना चाहिए ।)

(सू. ६४) [किसी भी शब्दस्वरूपके अचोंमें जो अन्त्य अच् है वह जिस शब्दसमुदायका आदि हो उसको 'टि' संज्ञा होती है । उस अन्त्य अचके आगे एक भी वर्ण न हो तो उस अकेले अन्त्य अचको ही 'टि' संज्ञा होती है । यह 'टि' उसी शब्दस्वरूपकी है ऐसा समझा जाय ।]

(सू. ६५) किसी भी शब्दस्वरूपके अन्त्य वर्णके पूर्वका जो वर्ण है उसको उपधा संज्ञा होती है । यह उपधा उसी शब्दस्वरूपकी है ऐसा समझा जाय ।

(सूत्र ६५) इस सूत्रमें 'अलः' यह क्या अंत्यका विशेषण माना जाय ?

जी हाँ, वह अंत्यका विशेषण होने योग्य है ।

(वा. १) इस उपधासंज्ञा बतानेवाले सूत्रमें अलः यह अंत्यका विशेषण हो तो उस अंत्य अलके पहलेके वर्णसमुदायको उपधासंज्ञा नहीं होती है ऐसा कहना चाहिए । (नहीं तो अंत्य अलके पहलेके एक ही अलको उपधासंज्ञा होती है ऐसा नियम नहीं रहेगा ।) और अलके समुदायको भी उपधासंज्ञा होने लगेगी ।

बैसे समुदायको उपधासंज्ञा हुई तो दोष कौनसा ?

दोष यह कि 'शास इदङ्हलोः' (६।४।३४) सूत्रसे शास् धातुकी उपधाका बतया हुआ इकार आदेश शिष्टात् शिष्टाम् इन उदाहरणोंमें आकारको ही होगा ऐसा नियम

ऽविशेषितो भवति । तत्र को दोषः । संघातादपि पूर्वस्योपधासंज्ञा प्रसज्येत । तत्र को दोषः । शास इदद्दहलोः । शिष्टः शिष्टवान् । शकारस्येत्त्वं प्रसज्येत । सूत्रं च मियते ॥ यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तमुपधासंज्ञायामल्यहणमन्त्यनिर्देशश्चेत्संघातप्रतिषेध इति । नैप दोषः । अन्त्यविज्ञानात्सिद्धम् । सिद्धमेतत् । कथम् । अलोऽन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य भविष्यति ।

अन्त्यविज्ञानात्सिद्धमिति चेन्नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ २ ॥
अन्त्यविज्ञानात्सिद्धमिति चेत्तत्र । किं कारणम् । नानर्थके ऽलोऽन्त्य-
विधिरनभ्यासविकारे । अनर्थके ऽलोऽन्त्यविधिर्नेत्येवा परिभाषा कर्तव्या ।

नहीं रहेगा । शा समुदायको भी यह होने लगेगा ।

ठीक, अब अगर अल् ऐसा प्रथमाका एकवचन उच्चारण करके 'अलन्त्यात्०' ऐसा सूत्र किया तो अंत्यके पहलेके अल्को ही उपधासंज्ञा होगी पर अंत्यका 'अलः' यह विशेषण नष्ट होगा ।

फिर वैसा हुआ तो दोष कौनसा है ?

दोष यह कि अल् ही अंत्य लिया जाय ऐसा नियम नहीं रहेगा और अलोंका समुदाय ही अंत्य मानकर उस समुदायके पहलेके अल्को उपधासंज्ञा होगी ।

वैसी समुदायके पहलेके अल्को उपधासंज्ञा हुई तो दोष कौनसा है ?

दोष यह कि 'शास इदद्दहलोः' सूत्रसे शास् धातुकी उपधाको बताया हुआ इकार आदेश शिष्टः, शिष्टवान् में 'आस्' समुदायके पहलेके शकारको होने लगेगा । इसके अलावा 'सूत्र बदलना पड़ता है' यह दोष है ही ।

तो फिर मूल सूत्र ही जैसा है वैसा ही रहने दें ।

परंतु 'इस उपधासंज्ञा बतानेवाले सूत्रमें अलः यह अंत्यका विशेषण हो तो अंत्य अल्के पहलेके वर्णसमुदायको उपधासंज्ञा नहीं होती ऐसा कहना चाहिए' ऐसा अभी बताया है न ?

वह दोष नहीं आता । क्योंकि, यह सिद्ध होता है । सो कैसे बताता हूँ । 'शा' समुदायको यद्यपि उपधासंज्ञा हुई तो भी 'अलोन्त्यस्य' (१११५२) याने 'अंत्य अल्को कार्य किये जायँ' यह परिभाषा होनेके कारण 'शा' मेंसे 'आ' कारको ही इकार आदेश होगा ।

(वा. २) 'अंत्य अल्को कार्य किये जायँ' इस परिभाषासे सिद्ध होगा ऐसा कहें तो वैसा नहीं कह सकते ।

क्यों मला ?

'अंत्य अल् को कार्य किये जायँ यह बात अनर्थकके लागू न की जाय' ऐसी परिभाषा करनी चाहिए इसलिए ।

किमविशेषेण । नेत्याह । अनभ्यासविकारे । अभ्यासविकारान्वर्जयित्वा । भृजामित् [७.४.७६] अतिपिपत्योश्च [७७] इति ॥ कान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि ।

प्रयोजनमव्यक्तानुकरणस्यात् इती ॥ ३ ॥

अन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थकेऽलोऽन्त्यविधिर्न भवतीति न दोषो भवति ॥ नेतदस्ति प्रयोजनम् । आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति नान्त्यस्य पररूपं भवतीति यदयं नाम्नेडितस्यान्त्यस्य तु वा [६.१.९९] इत्याह ॥

ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ॥ ४ ॥

ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च [६.४.११९] इत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थके

तो क्या, सर्वसाधारण सभी अर्थरहित वारमें 'अन्त्य अल्को कार्य किये जाय' यह बात लागू नहीं करनी चाहिए ?

हम ऐसा नहीं कहते । तो 'अनभ्यासविकारे' याने अभ्यासको जो विकार बताये गये हैं उन्हें छोड़कर; उदा० भृजामित् (७।४।७६), अतिपिपत्योश्च (७।४।७७) इन सूत्रोंसे अभ्यासको बताया हुआ इकार आदेश विभक्ति, पिपति, में भृ, पू इस समय अभ्यासको न होते हुए, उनमेंसे अन्त्य अल्को याने ऋकारको ही होता है ।

'नानर्थके०' यह परिभाषा करनी चाहिए ऐसा आप कहते हैं, उसके उपयोग तो कौनसे हैं ?

(वा. ३) 'अव्यक्तानुकरणस्यात् इती' (६।१।९८) सूत्रसे 'अत्' भागको बताया हुआ पररूप 'अलोन्त्यस्य' (१।१।५२) परिभाषासे अन्त्यको अर्थात् तकारको प्राप्त होता है । परंतु 'नानर्थके०' अर्थात् 'अनर्थकके वारमें अलोन्त्यस्य यह परिभाषा नहीं आती' ऐसा कहनेसे दोष नहीं आता ।

यह उपयोग ठीक नहीं है । क्योंकि आचार्य पाणिनि 'नाम्नेडितस्यान्त्यस्य तु वा' (६।१।९९) सूत्रसे 'आम्नेडित स्थलमें अत् भागको पर रूप न करते हुए केवल उसमेंसे अंतिम तकारको विकल्पसे किया जाय' ऐसा कहते हैं । उससे वे यह सूचित करते हैं कि पूर्वसूत्रसे अन्त्यको पररूप नहीं होता । (यदि पूर्वसूत्रसे अन्त्यको पररूप होता हो तो आम्नेडित स्थलपर केवल विकल्प कहनेभरके लिए 'आम्नेडितस्य वा' इतना ही सूत्र किया गया होता ।)

१. 'पट्ट' इति ' में ' अर् ' और ' इ ' को पररूप अर्थात् इकार एकादेश होकर ' पठिति ' होता है । तकारको पररूप हुआ तो पिउले अकारके साथ, गुण होकर ' पठेति ' यह पिपती रूप होगा । इसलिए ' नानर्थके० ' परिभाषाकी आवश्यकता है ।

ऽलो ऽन्त्यविधिर्नेति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । पुनर्लोप-
वचनसामर्थ्यात्सर्वस्य भविष्यति ॥ अथवा शिल्लोपः करिष्यते स शित्सर्वस्येति
सर्वदेशो भविष्यति । स तर्हि शकारः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । क्रियते न्यास
एव । द्विशकारको निर्देशः । ध्वसोरेद्वावभ्यासलोपश्चेति ॥

आपि लोपोऽनोऽनचि ॥ ५ ॥

तिष्ठति सूत्रम् । अन्यथा व्याख्यायते । आपि हलि लोप इत्यन्त्यस्य
प्राप्नोति । अनर्थकेऽलोऽन्त्यविधिर्नेति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति

(वा० ४) ' ध्वसोरेद्वावभ्यासलोपश्च ' (६।४।११९) सूत्रसे वताया हुआ
अभ्यासका लोप ' द्रेहि ' में ' द्वा ' का होता है, वह ' अलोन्त्यस्य ' परिभाषासे
उसमेंसे अत्यक्तो याने केवल आकारको प्राप्त होता है । परंतु ' अनर्थक ' के विषयमें
अलोन्त्यस्य यह परिभाषा नहीं आती, ऐसा कहनेसे दोष नहीं आता ।^२

यह उपयोग भी ठीक नहीं है । क्योंकि ' लोपो यि ' (६।४।११८) इस पिछले
सूत्रमेंसे लोपशब्दकी अनुवृत्ति आनेपर भी पुन जो इस सूत्रमें लोपशब्द उच्चारण
गया है वह सब अभ्यासका लोप होनेके लिए उच्चारण गया है । अतः वह लोप
अत्यक्त नहीं होगा । अथवा इस लोपादेशको इत्संज्ञक शकार जोड़नेपर तो ' शित्सर्वस्य '
(१।१।५५) परिभ पाते सब अभ्यासका होगा ।

तो फिर सूत्रमें लोपादेशके आगे शकार उच्चारण चाहिए ।

सासङ्कर अलग उच्चारणकी आवश्यकता नहीं है । पाणिनिने वैसा ही सूत्र किया
है । अर्थात् ' ध्वसोरेद्वावभ्यासलोपश्च ' ये दो शकार उच्चारण गये हैं ऐसा समझा जाय ।

(वा० ५) ' हलि लोपः ' (७।२।११३) यह सूत्र जैसा है वैसा ही है । यहाँ
पार्तिङ्कारोंने उसका केवल एक विशेष प्रकारका अर्थ बताया है । वृत्तीयासे आगे
हलादि प्रत्यय आगे होनेपर जो इदम् शब्दके इद भागका अभ्यास आदि उदाहरणोंमें
लोप होता है वह ' अलोन्त्यस्य ' परिभाषासे उसमेंसे अत्यक्तो याने केवल द्कारको
प्राप्त होता है । परंतु ' अनर्थकके विषयमें अलोन्त्यस्य यह परिभाषा नहीं आती ' ऐसा
कहनेसे दोष नहीं आता ।

यह उपयोग भी ठीक नहीं है । क्योंकि उस इद को अन् आदेश (७।२।११०)

२ कारण यह कि, केवल अभ्यास निरर्थक है ।

३. ' नानर्थके ' परिभाषाके उपनोय द्वाराते समय वार्तिककारोंने ' अव्यक्तानुहरण
म्यात् इति ' , ' ध्वसोरेद्वावभ्यासलोपश्च ' सूत्रोंका जैसा उन्व किया है वैसा यहाँ ' हलि
लोप ' सूत्रका उल्लेख न करके उसके स्थानमें ' आपि लोपोऽनोऽनचि ' ऐसा उल्लेख किया है ।
उससे ' हलि लोप ' का प्रत्याख्यान करके उसके स्थानमें ' आपि ' लोपोऽनोऽनचि ' यह
किया जाय ऐसा वार्तिककारोंका अभिप्राय है ऐसा कोई समर्थन इसलिए भाष्यकारोंने यह
स्पष्टीकरण किया है ।

प्रयोजनम् । अन एव लोपं वक्ष्यामि । तदनो ग्रहणं कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । प्रकृतमनुवर्तते । क्व प्रकृतम् । अनाप्यकः [७.२.११२] इति । तद्वै प्रथमनिर्दिष्टं पृथीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । हलीत्येषा सप्तम्यन्निति प्रथमायाः पृथीं प्रकल्पयिष्यति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य [१.१.६६] इति ॥

अत्र लोपोऽभ्यासस्य ॥ ६ ॥

अत्र लोपोऽभ्यासस्य [७.४.५८] इत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरिति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । अत्रग्रहणसामर्थ्याद् भविष्यति ॥ अस्त्यन्यदत्रग्रहणस्य प्रयोजनम् । किम् । सन्नधिकारोऽपेक्ष्यते । इह मा भूत् । दधौ ददौ । अन्तरेणाप्यत्रग्रहणं सन्नधिकारमपेक्षिष्यामहे ॥

करनेके बाद उस अन्का ही 'हलि लोपः' से लोप किया जा सकेगा । तो फिर उस 'हलि लोपः' सूत्रमें 'अनः' ऐसा कहना चाहिए । वैसा अलग कहनेकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि पीछेसे अनुवृत्ति आती है । पीछेसे याने किस सूत्रसे ? 'अनाप्यकः' (७।२।११२) से ।

परंतु वहाँ अन् पद प्रथमाविभक्ति लगाकर उच्चारण गया है । और यहाँ तो पृथीविभक्ति लगाकर उच्चारण हुए 'अनः' पदकी आवश्यकता है ।

'हलि लोपः' सूत्रमें 'हलि' ऐसा सप्तम्यन्त पद उच्चारण गया है । अतः 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' (१.१.६६) परिभाषाके कारण 'हलि' इस सप्तमी प्रत्ययके बलपर 'अन्' इस प्रथमाप्रत्ययके बदले 'अनः' ऐसी पृथीप्रत्ययकी कल्पना की जा सकेगी ।

(वा. ६) 'अत्र लोपोऽभ्यासस्य' (७।४।५८) सूत्रद्वारा दित्सति आदि उदाहरणोंमें जो दा आदि अभ्यासोंका लोप होता है वह 'अलोन्त्यस्य' परिभाषासे उसके अन्त्योको अर्थात् केवल आकार आदिको प्राप्त होता है । परंतु 'अनर्थकके बारेमें अलोन्त्यस्य यह परिभाषा नहीं आती' ऐसा कहनेसे दोष नहीं आता ।

यह उपयोग भी ठीक नहीं है । क्योंकि 'अत्र' यह जो उस सूत्रमें जानसूझकर अधिष्ठ शब्द रखा गया है, उसके बरपर वहाँ सब अभ्यासका लोप होगा ।

परंतु वहाँ 'अत्र' शब्दका उपयोग अलग ही है ।

सो कौनसा ?

'अत्र' शब्दसे 'सनि मीमा०' (७।४।५४) मेंसे सन् प्रत्ययका परामर्श होता है । ददौ, दधौ, आदि स्थानोंपर अभ्यासका लोप नहीं होना चाहिए इसीलिए उसकी आवश्यकता है ।

परंतु उसके लिए अत्र शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं है । उसके बिना ही 'सनि' पदकी अनुवृत्ति यहाँ की जा सकेगी ।

संस्तर्हि सकारादिरपेक्ष्यते सनि सकारादाविति । इह मा भूत् । जिज्ञा-
पयिपति । अन्तरेणाप्यत्रग्रहणं सनं सकारादिमपेक्षिष्यामहे ॥ प्रकृतयस्तर्हिपेक्ष्यन्ते ।
एतासां प्रकृतीनां लोपो यथा स्यात् । इह मा भूत् । पिपक्षति यियक्षति । अन्तरे-
णाप्यत्रग्रहणमेताः प्रकृतीरपेक्षिष्यामहे ॥ विपयस्तर्हिपेक्ष्यते । मुचोऽकर्मकस्य
गुणो वा [७.४.५७] इति । इह मा भूत् । मुमुक्षति गामिति । अन्तरेणा-
प्यत्रग्रहणमेतं विपयमपेक्षिष्यामहे । कथम् । अकर्मकस्येत्युच्यते । तेन यत्रैवायं
मुचिरकर्मकस्तत्रैव भविष्यति ॥ तस्मान्नार्थो ऽनया परिभाषया नानर्थके ऽलो-
ऽन्त्यविधिरिति ॥

तो फिर वह सन् प्रत्यय सकारादि चाहिए याने सकारादि सन् प्रत्यय आगे
होनेपर ही अभ्यासका लोप होता है; उसके कारण जिज्ञापयिपति में अभ्यासका लोप
नहीं होता । अतः 'सः स्यार्थ०' (७।४।४९) मेंसे 'सि' पदका परामर्श होनेके लिए
'अत्र' शब्द यहाँ रखा जाना चाहिए ।

परंतु उसके लिए अत्र शब्द यहाँ नहीं रखा गया तो भी वहाँसे 'सि' पदकी
अनुवृत्ति यहाँ की जा सकेगी ।

तो फिर 'सनि मीमा०' आदि सूत्रोंमें जो धातु उच्चारे गये हैं उनका परामर्श
यहाँ 'अत्र' शब्दसे किया जाता है । मी, मा आदि धातुओंके ही अभ्यासका लोप होना
चाहिए । पिपक्षति यियक्षति आदि स्थानोंपर अभ्यासका लोप नहीं होना चाहिए ।

परंतु अत्र शब्द के बिना भी मी, मा, आदि धातुओंकी अनुवृत्ति यहाँ की
जा सकेगी ।

तो फिर 'सनि मीमा०' आदि सूत्रोंसे जो कार्य बताये गये हैं उनका परामर्श
होनेके लिए 'अत्र' शब्द यहाँ रखना चाहिए । क्योंकि 'मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा'
(७।४।५७) से बताया हुआ गुण 'मुमुक्षति गाम्' में नहीं होता है । वहाँ यह
अभ्यसका लोप नहीं होना चाहिए ।

परंतु 'अत्र' शब्द नहीं रखा गया तो भी उस कार्यका परामर्श होगा ।

सो कैसे ?

सो ऐसे कि 'मुचोऽकर्मकस्य०' सूत्रमें 'अकर्मकस्य' ऐसा मुच् धातुको विशेषण
लगाया गया है । अतः वैसी ही मुच् धातुकी यहाँ अनुवृत्ति करनेपर जिस प्रयोगमें मुच्
धातु अकर्मक होगा वहीं इससे अभ्यासका लोप होगा ।

तात्पर्य, 'नानर्थके ऽलोन्त्यविधिः' याने अनर्थकके बारेमें 'अलोन्त्यस्य' सूत्र न
लिया जाय इस परिभाषाका कोई उपयोग नहीं है ऐसा दिखाई देता है ।

४. तत्र 'नानर्थके०' यह परिभाषा न होनेसे 'शा' समुदायको उपधासंज्ञा हुई
तो भी 'अलोन्त्यस्य' से अन्त्यको अर्थात् आकारको ही इकार आदेश होके इटनिदि
होगी । अतः 'अद्' को ही उपधासंज्ञा होती है ऐसा कहना ही चाहिये सो बात नहीं ।

अलो ऽन्त्यात्पूर्वो ऽलुपथेति वा ॥ ७ ॥

अथवा व्यक्तमेव पठितव्यमलो ऽन्त्यात्पूर्वो ऽलुपथासंज्ञो भवतीति ॥
तत्तर्हि वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् ।

अवचनाल्लोकविज्ञानात्सिद्धम् ॥ ८ ॥

अन्तरेणापि वचनं लोकविज्ञानात्सिद्धमेतत् । तद्यथा । लोके स्त्रीषां
ब्राह्मणानामन्त्यात्पूर्व आनीयतामित्युक्ते यथाजातीयको ऽन्त्यस्तथाजातीयको
ऽन्त्यात्पूर्व आनीयते ॥

तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ॥ १ । १ । ६६ ॥

तस्मादित्युत्तरस्य ॥ १ । १ । ६७ ॥

किमुदाहरणम् । इह तावत्तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति । इको यणचि

(वा. ७) अथवा अन्त्य अलके पहलेका जो अल् हे उसे उपधासंज्ञा होती है
ऐसा स्पष्ट ही कहा जाय । (अर्थात् 'शा' समुदायको उपधासंज्ञा ही नहीं होगी । केवल
आकारको ही होगी ।)

तो फिर साफ़ साफ़ समझनेके लिए क्या 'अल्' शब्द अधिक रखकर वैसा सूत्र
क्रिया जाना चाहिए ?

वैसा करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(वा. ८) 'अल्' यह प्रथमान्त शब्द रसे बिना भी यह सिद्ध होता है । जिस
प्रकार लोकमें 'इन ब्राह्मणोंमेंसे अंतिमसे पहलेको लाओ' ऐसा कहनेपर वहाँ 'अंतिम'
शब्दसे जो जैसा लिया जायगा वैसा ही उसके पहलेको लाया जाता है (उसके अनुसार
यहाँ अन्त्य अलकी अपेक्षा पहलेको उपधासंज्ञा होती है इतना कहें तो भी वह अन्त्य
अलके पहलेका अल् ही लिया जायगा ।)

(सू. ६६) अचि (६।१।७७) इत्यादिक सप्तम्यन्त पदोंका उच्चारण
करके 'इक्' आदिको कहे हुए जो 'यण्' आदि आदेश हैं वे 'इक्' आदि
स्थानोंपर उस 'अच्' आदिके पूर्वके हों तभी और अन्यवहित अर्थात् 'अच्'
आदिके अत्यन्त समीप हों तभी किये जायें ।

(सू. ६७) 'अतः' (६।१।११३) इत्यादि पंचम्यन्त पदोंका उच्चारण
करके 'रु' आदि को कहे हुए जो 'उकार' आदि आदेश हैं वे 'रु' आदि
स्थानोंपर उस ह्रस्व प्रकार आदि के आगे हों तभी और अन्यवहित अर्थात् उस
ह्रस्व आकार आदि के अत्यन्त समीप हों तभी किये जायें ।

इन परिभाषाओंके उदाहरण कौनसे हैं ?

'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' इन परिभाषाएँ उदाहरण 'इको यणचि
टीजिए । इष्यत्र, मध्वत्र में 'इको यणचि' (६।१।७७) से बताया हुआ यण

[६-१-७७] दध्यत्र मध्यत्र । इह तस्मादित्युत्तरस्येति । द्व्यन्तरूपसर्गभ्यो ऽप ईत्
 [६-३-९७] द्वीपम् अन्तरीपम् समीपम् ॥ अन्यथाजातीयकेन शब्देन निर्देशः
 क्रियते ऽन्यथाजातीयक उदाह्रियते । किं तर्ह्युदाहरणम् । इह तावत्तस्मिन्निति
 निर्दिष्टे पूर्वस्येति तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ [४-३-२] इति । तस्मादि-
 त्युत्तरस्येति तस्माच्छसो नः पुंसि [६-१-१०३] इति ॥ इदं चाप्युदाहरण-
 मिको यणचि द्व्यन्तरूपसर्गभ्यो ऽप ईदिति । कथम् । सर्वनाम्नायं निर्देशः क्रियते
 सर्वनाम च सामान्यवाचि । तत्र सामान्ये निर्दिष्टे विशेषा अप्युदाहरणानि भवन्ति ॥
 किं पुनः सामान्यं को वा विशेषः । गौः सामान्यं कृष्णो विशेषः । न तर्हीदानीं

आदेश तस्मिन्निति परिभाषासे अच्के पीठके और अन्यवहित इक्को ही होता है ।
 वैसे ही ' तस्मादित्युत्तरस्य ' परिभाषाका उदाहरण ' बन्तरूपसर्गभ्योऽप ईत् '
 (६।३।९७) लीजिए । द्वीपम्, अन्तरीपम्, समीपम् में ' बन्तरूप० ' से बताया
 गया ईकार आदेश ' तस्मादित्युत्तरस्य ' परिभाषासे द्वि आदिके आगके और
 अन्यवहित ऐसे ही अपृश्नदके अकारको होता है ।

लेकिन क्यों जी, इन परिभाषाओंमें तो ' तस्मिन् ', ' तस्मात् ' ऐसा अलग ही
 प्रकारका उच्चारण क्रिया दिखाई देता है और उदाहरणके रूपमें जो सूत्र दिखाये गये
 हैं वे अलग ही प्रकारके दिखाई देते हैं । (अर्थात् उन सूत्रोंमें तस्मिन्, तस्मात् ऐसा
 कुछ भी दिखाई नहीं देता ।)

तो फिर इन परिभाषाओंके उदाहरण कौनसे दिये जायँ मन्त्र ?

' तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ' परिभाषाका उदाहरण ' तस्मिन्नणि च
 युष्माकास्माकौ ' (४।३।२) लिया जाय और ' तस्मादित्युत्तरस्य ' परिभाषाका
 उदाहरण ' तस्माच्छसो नः पुंसि ' (६।१।१०३) लिया जाय ।

ये उदाहरण रहने लीजिए, पर हमने ' इको यणचि, ' ' बन्तरूपसर्गभ्योऽप ईत्, ये
 जो उदाहरण दिखाये हैं वे भी इन परिभाषाओंके हैं ही ।

तो कैसे ?

इन सूत्रोंमें तस्मिन्, तस्मात्, यह सर्वनाम शब्दसे निर्देश किया गया है ।
 सर्वनामशब्द तो सामान्य अर्थको दिखानेवाला होता है । अनः उस सर्वनामशब्दमें
 साधारणतया सतम्बन्त शब्दका बोध होनेपर अचि, एणि, तस्मिन् आदि सभी सम्बन्त
 विशेष शब्द इन परिभाषाओंके उदाहरण हैं ।

पर पहले सामान्य कौनसे और विशेष कौनसा, सो बताने में मन्त्र ।

वेद सामान्य हैं और काव्य उभयमें विशेष है ।

तो फिर क्या अब काव्य सामान्य और वेद विशेष यही होगा न ?

कृष्णः सामान्यं भवति गौर्विशेषो भवति । भवति च । यदि तर्हि सामान्यमपि विशेषो विशेषो ऽपि सामान्यं सामान्यविशेषौ न प्रकल्पेते । प्रकल्पेते च । कथम् । विवक्षातः । यदास्य गौः सामान्येन विवक्षितो भवति कृष्णो विशेषत्वेन तदा गौः सामान्य कृष्णो विशेषः । यदा कृष्णः सामान्येन विवक्षितो भवति गौर्विशेषत्वेन विवक्षितस्तदा कृष्णः सामान्यं गौर्विशेषः ॥ अपर आह । प्रकल्पेते च । कथम् । पितापुत्रवत् । तद्यथा । स एव कंचित्प्रति पिता भवति कंचित्प्रति पुत्रो भवति । एवमिहापि स एव कंचित्प्रति सामान्यं कंचित्प्रति विशेषः ॥ एते खल्वपि नैर्देशिकानां वार्त्ततरका भवन्ति ये सर्वनाम्ना निर्देशाः

वैसे भी होगा' ।

तो फिर अब सामान्य भी विशेष होता है, विशेष भी सामान्य होता है, अगर यही स्थिति है तो अमुक सामान्य और अमुक विशेष कहनेमें भी तो क्या मतलब है ?

मतलब अवश्य है ।

सो कैसे ?

विवक्षासे, याने देखनेवालेकी जैसी दृष्टि होगी वैसा ही वह बोला करता है । जब मनुष्यको दूरसे 'बैल' ऐसा आरंभमें सामान्यज्ञान हुआ और बादमें उसमेंसे काला विशेष माना गया, तब 'बैल' सामान्य और 'काला' विशेष समझा जाता है । और जब काला-सा कोई पदार्थ है ऐसा आरंभमें सामान्यज्ञान हुआ, बादमें वह 'बैल' यह विशेष समझा गया, तब काला सामान्य और बैल उसमेंसे विशेष माना जाता है । (तब 'तस्मिन्' इस सप्तम्यन्त शब्दका सामान्य रूपसे निर्देश किया है । यह कहना ठीक ही है ।)

यहाँ कोई अलग प्रकारसे उत्तर देता है—

अमुक सामान्य और अमुक विशेष कहनेका अर्थ होता है ।

सो कैसे ?

पितापुत्रकी तरह । जैसे लोकमें एक ही मनुष्य किसी न किसीका पिता और वही किसी न किसीका पुत्र भी होता है, उसी प्रकार यहाँ भी वह एक ही पदार्थ किसी न किसीका सामान्य होता है और किसीका विशेष होता है । (अतः 'तस्मिन्' में सभी सप्तम्यन्त शब्दोंका साधारण रूपसे निर्देश किया है ऐसा कहा जा सकता है ।) इसके सिवा सचमुच ये जो सर्वनामशब्दोंसे निर्देश किये होते हैं वे अन्य निर्देशकी अपेक्षा बहुत ही उपयुक्त होते हैं । क्योंकि सर्वनामशब्दोंके अर्थकी व्याप्ति बहुत बड़ी

१ शृङ्गवर्गका कोई भी पशु लिवा गया तो 'शृङ्ग' को सामान्य कहा जा सकता है ।

क्रियन्ते । एतेहि बहुतरकं व्याप्यने ॥ अथ किमर्थमुपसर्गेण निर्देशः क्रियते । शब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यं यथा स्यादर्थे मा भूत् । जनपदे अनिशायन इति । किं गतमेतदुपसर्गेणाहोस्विच्छब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम् । गतमित्याह । कथम् । निरयं बहिमवि वर्तते । तद्यथा । निष्क्रान्तो देशान्निर्देशः । बहिर्देश इति गम्यते । शब्दश्च शब्दाद्बहिर्भूतो ऽर्थो ऽबहिर्भूतः ॥ अथ निर्दिष्टग्रहणं किमर्थम् ।

निर्दिष्टग्रहणमानन्तर्यार्थम् ॥ १ ॥

निर्दिष्टग्रहणं क्रियत आनन्तर्यार्थम् । आनन्तर्यमात्रे कार्यं यथा स्यात् । इको यणचि । दध्यत्र मध्वत्र । इह मा भूत् । समिधौ समिधः द्यपदो द्यपदः ॥

होती हे ।

अब इस सूत्रमें निर उपसर्ग लगाकर द्विष्ट शब्दका जो निर्देश किया गया है सो किसलिए ?

इसलिए कि जिस स्थानपर सप्तम्यन्त पदसे शब्द दिसाया हो उस स्थानपर ही उस शब्दकी अपेक्षा पहलेको कार्य होना चाहिए । अगर एकाध वस्तु सप्तम्यन्तपदसे दिसाई गई हो, उदा० जनपदे (४।२।८१), अतिशायने (५।३।५५), तो वहाँ उस वस्तुके पहलेको कार्य क्रिया जाय ऐसा बतानेवाली प्रकृत परिभाषा नहीं आनी चाहिए ।

लेकिन क्यों जी, यह इष्ट बात क्या निर उपसर्गसे ठीक निकलती है ? या निर शब्द अधिक हुआ इसी कारण कोई न कोई अधिक अर्थ लिया जाय ?

निर उपसर्गसे यह इष्ट बात ठीक निकलती है ऐसा हम कहते हैं ।

सो कैसे ?

सो ऐसे कि निर उपसर्गका अर्थ 'बाहर जाना' ऐसा है; जैसे देशसे निकले हुएको 'निर्देश' कहते हैं, याने वह उस देशसे बाहर गया है ऐसा माना जाता है । और इस शब्दशास्त्रमें यण, गुण, आदि कार्योंका उद्देश्य शब्द ही है । सप्तम्यन्त पदसे जो दिसाया गया हो उसे उस शब्दरूप उद्देश्यसे बाहर निर्दिष्ट शब्दमें ही संभव है । क्योंकि, यह हमेशा शब्दके बाहर नहीं हुआ करता, शब्दको लेकर ही रहता है ।

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

तस्मिंस्तस्मादिति पूर्वोत्तरयोर्योगयोरविशेषान्नियमार्थं वचनं दध्युदकं

पचत्योदनम् ॥ २ ॥

तस्मिंस्तस्मादिति पूर्वोत्तरयोर्योगयोरविशेषान्नियमार्थो ऽयमारम्भः । ग्रामे देवदत्तः । पूर्वः पर इति संदेहः । ग्रामादेवदत्तः । पूर्वः पर इति संदेहः । एवमिहापीको यणाचि । दध्युदकं पचत्योदनम् । उभाविक्वावुभावचौ । अचि पूर्वस्याचि परस्येति संदेहः तिडतिडः [८.१.२८] इत्यतिडः पूर्वस्यानिडः परस्येति संदेहः । इष्यते चात्राचि पूर्वभ्य स्यादतिडः परस्येति तच्चान्तरेण यत्

फिर भी 'निदिष्टे' किस लिए कहा गया है ?

(वा. १) इस सूत्रमें 'निदिष्टे' ऐसा जो शब्द रसा है वह आनन्तर्य अर्थका है याने अंतर न हो वहीं कार्य होना चाहिए । 'इको यणाचि' (६।१।७७) से बताया गया यण् आदेश, अच् और इक् इन दोनोंमें अंतर न हो वहीं, याने दध्यत्र, मध्वत्र ऐसे स्थानोंपर ही होना चाहिए । समिधौ, समिधः में इकारको द्यपदो, द्यपदः में ऋकारको नहीं होना चाहिए ।

परंतु यह सूत्र करनेमें आचार्यका मूल उद्देश्य क्या होगा भला ?

(वा. २) सप्तम्यन्त पदसे और पंचम्यन्त पदसे दिखाये हुए निमित्तका जो सप्तमी प्रत्ययसे और पंचमी प्रत्ययसे उद्देश्यसे संबंध दिखाया जाता है उस संबंधमें उद्देश्य पहले और निमित्त बादमें वैसे ही उद्देश्य बादमें और निमित्त पहले, इन दोनों स्थानोंमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता । अतः उस संबंधके कारण होनेवाले कार्य दोनों स्थानोंपर होने लगेगे । इसी लिए नियमके लिए दो परिभाषाएं की गई हैं । जैसे 'ग्रामे देवदत्तः' कहनेपर पूर्व या पर ऐसा संदेह पैदा होता है, वैसे ही 'ग्रामादेवदत्तः' कहनेपर भी पूर्व या पर ऐसा संदेह पैदा होता है; वैसे शास्त्रमें भी अचसे संबंध पानेवाले इक्को यण् होता है ऐसा (६।१।७७) कहा गया है । अतः दध्युदकम्, पचत्योदनम्, में दोनों इक् हैं । और दोनों अच् हैं । उनमेंसे अचकी अपेक्षा पहलेके इक्को यण् किया जाय, ऐसी शंका होती है । वैसे ही तिडन्तभिन्नपदसे संबंध तिडन्त पदको अनुदात्त होता है (८।१।२८) ऐसा कहा गया है । यहाँ तिडन्तभिन्नपदकी अपेक्षा पहलेके तिडन्तपदको अनुदात्त किया जाय, अथवा तिडन्त भिन्न पदकी अपेक्षा पर तिडन्त पदको अनुदात्त किया जाय ऐसा संदेह होता है । और इष्ट तो यह है कि 'अचि' ऐसा सप्तम्यन्त पदसे निमित्तका निर्देश किया हो तो उसकी अपेक्षा पदके इक्को ही यण् होना चाहिए । वैसे ही 'अतिडः' ऐसा पंचम्यन्तपदसे निमित्तका निर्देश किया जानेपर उस अतिडन्त पदको पर होनेवाले तिडन्त पदको अनुदात्त होना चाहिए । और यह इष्ट बात तो उसके लिए कोई न कोई विशेष वचन किये बिना

न सिध्यतीति नियमार्थं वचनम् । एवमर्थमिदमुच्यते ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति । अथ यत्रोभयं निर्दिश्यते किं तत्र पूर्वस्य कार्यं भवत्याहो-स्वित्परस्येति ॥

उभयनिर्देशे विप्रतिपेधात्पञ्चमीनिर्देशः ॥ ३ ॥

उभयनिर्देशे विप्रतिपेधात्पञ्चमीनिर्देशो भविष्यति । किं प्रयोजनम् ।

प्रयोजनमतो लसार्वाधातुकानुदात्तत्वे ॥ ४ ॥

वक्ष्यति तास्यादिभ्योऽनुदात्तत्वे सप्तमीनिर्देशोऽभ्यस्तसिजर्थ इति । तस्मिन् क्रियमाणे तास्यादिभ्यः परस्य लसार्वाधातुकस्य लसार्वाधातुके परतस्तास्यादीनामिति सदेहः । तास्यादिभ्यः परस्य लसार्वाधातुकस्य ॥

बहोरिष्टादीनामाटिलोपे ॥ ५ ॥

बहोरुत्तरेपामिष्टेमेयसामिष्टेमेयःसु परतो बहोरिति सदेहः । बहोरुत्तरेपा-

सिद्ध नहीं होगी, इसीलिए वेमा नियम होनेके लिए उचन करना चाहिए, एमे उद्देश्यसे ये दोनों परिभाषाएँ की गयी हैं।

यह उपयोग है सही पर—

पर क्या? आपको आगे कहना ही क्या है।

कहना यही है कि जिस एक ही सूत्रमें पचम्यन्त और सप्तम्यन्त ऐसे दो प्रकारके पद दिखाई देते हैं वहाँ सप्तम्यन्तनिमित्त मानकर पचम्यन्तपदसे दिखाये हुए वर्णको या वर्णसमुदायको कार्य किया जाय, या पचम्यन्त निमित्त मानकर सप्तम्यन्तपदसे दिखाये हुए वर्णको या वर्णसमुदायको कार्य किया जाय ।

(वा. ३) पचमी और सप्तमी ऐसे दोनों प्रकारके प्रत्ययोंसे निमित्तरूप निर्देश जिस स्थानपर किया हो वहाँ विप्रतिपेधके कारण (१।४।२) पचमीनिर्देश प्रवृत्त पाना जाय।

इसका उपयोग क्या है?

(वा. ४) 'तास्यनुदात्तत्वे' (६।१।१८६) सूत्रपर वार्तिककार 'तास्यादिभ्यो-नुदात्तत्वे सप्तमीनिर्देशोऽभ्यस्तसिजर्थ.' (वा. १) ऐसा बतानेवाले हैं। उसके अनुसार उस सूत्रमें 'लसार्वाधातुकम्' ऐसा जो प्रथमान्तपद है उसके बदले 'लसार्वाधातुके' ऐसा सप्तम्यन्तपद उच्चारण जानेपर 'तासि आदिके आगे जो लसार्वाधातुक है उसे अनुदात्त होता है' ऐसा अर्थ किया जाय, अथवा 'लसार्वाधातुक आगे होनेपर तासि आदिको अनुदात्त होता है' ऐसा अर्थ किया जाय, यह सदेह पैदा होता है। परन्तु पचमी-निर्देश प्रवृत्त समझनेके कारण 'तासि आदिके आगे जो लसार्वाधातुक है उसे अनुदात्त मानना है' मनी अर्थ निश्चित होता है।

मिष्टेमेयसाम् ॥

गोतो णित् ॥ ६ ॥

गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य सर्वनामस्थाने परतो गोत इति संदेहः ।
गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य ॥

रुदादिभ्यः सार्वधातुके ॥ ७ ॥

रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य सार्वधातुके परतो रुदादीनामिति संदेहः
रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य ॥

आने मुगीदासः ॥ ८ ॥

आस उत्तरस्थानस्थाने परत आस इति संदेहः । आस उत्तरस्थानस्य ॥

‘बहुशब्दके आगे जो इष्टन्, इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय हैं उनका लोप होता है।’
ऐसा अर्थ किया जाय, या ‘इष्टन्, इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय आगे होनेपर बहु-
शब्दका लोप होता है’ ऐसा अर्थ किया जाय, ऐसा संदेह पैदा होता है। परंतु पंचमी-
निर्देश प्रबल समझनेके कारण ‘बहुशब्दके आगे जो इष्टन्, इमनिच् और ईयसुन् प्रत्यय
है उनका लोप होता है’ यही अर्थ निश्चित होता है।

(वा. ६) ‘गोतो णित्’ (७।१।९०) सूत्रमें ‘गोतः’ यह पंचम्यन्तपद
है ‘सर्वनामस्थाने’ यह सप्तम्यन्तपद पठिसे (७।१।८६) अनुवृत्त होता है। अतः
‘गोशब्दके आगे जो सर्वनामस्थान प्रत्यय है उसे णिट्-द्वाव होता है।’ ऐसा अर्थ किया
जाय, अथवा ‘सर्वनामस्थान प्रत्यय आगे होनेपर गोशब्दको णिट्-द्वाव होता है’ ऐसा
अर्थ किया जाय, यह संदेह होता है। परंतु पंचमीनिर्देश प्रबल समझनेके कारण
‘गोशब्दके आगे जो सर्वनामस्थान प्रत्यय है उसे णिट्-द्वाव होता है’ ऐसा ही अर्थ
निश्चित होता है।

(वा. ७) रुदादिभ्यः (७।२।७६) में ‘रुद्’ आदि धातुओंके आगे जो सार्व-
धातुक प्रत्यय है उसे इट् आगम होता है ऐसा अर्थ किया जाय, अथवा ‘सार्वधातुक
प्रत्यय आगे होनेपर रुद् आदि धातुओंको इट् आगम होता है।’ ऐसा अर्थ किया जाय,
यह संदेह होता है। परंतु पंचमीनिर्देश प्रबल समझनेके कारण ‘रुद् आदि धातुओंके
आगे जो सार्वधातुक प्रत्यय है उसे इट् आगम होता है’ यही अर्थ निश्चित होता है।

(वा. ८) ‘ईदासः’ (७।२।८३) में ‘आसः’ यह पंचम्यन्तपद है।
‘आने मुक्’ (७।१।८२) से ‘आने’ यह सप्तम्यन्तपद अनुवृत्त होता है। अतः
‘आस् धातुके आगे जो अण् प्रत्यय है उसे ईकार आदेश होता है’ ऐसा अर्थ लिया जाय
या ‘आन प्रत्यय आगे होनेपर आस् धातुको ईकार आदेश होता है’ ऐसा अर्थ किया
जाय, यह संदेह होता है। परंतु पंचमीनिर्देश प्रबल समझनेके कारण ‘आस् धातुके आगे
जो आन प्रत्यय है उसे ईकार आदेश होता है’ ऐसा ही अर्थ निश्चित होता है।

आमि सर्वनाम्नः सुट् ॥ ९ ॥

सर्वनाम्न उत्तरस्याम् आमि परतः सर्वनाम्न इति संदेहः । सर्वनाम्न उत्तरस्याम् ॥

घेडित्स्याणनद्याः ॥ १० ॥

नद्या उत्तरेयां डित्तां डित्सु परतो नद्या इति संदेहः । नद्या उत्तरेयां डित्ताम् ॥

याडापः ॥ ११ ॥

आप उत्तरस्य डितो डिति परत आम इति संदेहः । आप उत्तरस्य डितः ॥

डम्नो ह्रस्वादचि ङमुणित्यम् ॥ १२ ॥

डम् उत्तरस्याचो ङचि परतो डम् इति संदेहः । डम् उत्तरस्याचः ॥

(वा. ९) 'आमि सर्वनाम्नः' (७।१।७२) में 'सुट्' शब्दके आगे जो आम प्रत्यय है उसे सुट् आगम होता है । 'ऐसा अर्थ किया जाय कि 'आप्' प्रत्यय आगे होनेपर सर्वनामशब्दको सुट् आगम होता है' ऐसा अर्थ किया जाय, ऐसा संदेह पैदा होता है । परंतु पंचमीनिर्देश प्रबल माननेके कारण 'सर्वनामशब्दके आगे जो आम प्रत्यय है उसे सुट् आगम होता है ।' यही अर्थ निश्चित होता है ।

(वा. १०) 'आणनद्याः' (७।३।११२) में 'नद्याः' पंचम्यन्त पद है । 'घेडिति' (७।३।१११) सूत्रसे 'डिति' सप्तम्यन्तपद अनुवृत्त हो रहा है । अतः 'नदीसंज्ञक शब्दके आगे जो डित् प्रत्यय है उसे आट् आगम होता है' ऐसा अर्थ किया जाय, अथवा 'डित् प्रत्यय आगे होनेपर नदीसंज्ञक शब्दको आट् आगम होता है' ऐसा अर्थ किया जाय, ऐसा संदेह होता है । परंतु पंचमीनिर्देश प्रबल माननेके कारण नदीसंज्ञक शब्दके आगे जो डित् प्रत्यय है उसे आट् आगम होता है । यही अर्थ निश्चित होता है ।

(वा. ११) 'याडापः' (७।३।११३) में 'आप्' प्रत्ययान्त शब्दके आगे जो डित् प्रत्यय है उसे याट् आगम होता है । 'ऐसा अर्थ किया जाय, या 'डित् प्रत्यय आगे होनेपर आप्-प्रत्ययान्त शब्दको याट् आगम होता है' ऐसा अर्थ किया जाय, यही संदेह होता है । परंतु पंचमीनिर्देश प्रबल होनेके कारण 'आप्-प्रत्ययान्त शब्दके आगे जो डित् प्रत्यय है उसे याट् आगम होता है' यही अर्थ निश्चित होता है ।

(वा. १२) 'डम्नो ह्रस्वादचि०' (८।३।३२) मेंसे 'डम्'के आगे जो अच् है उसे डमुट् आगम होता है । 'ऐसा अर्थ किया जाय, 'या अच् आगे होनेपर डम्को डमुट् आगम होता है' ऐसा अर्थ किया जाय यह संदेह होता है । परंतु पंचमीनिर्देश प्रबल होनेके कारण 'डम्के आगे जो अच् है उसे डमुट् आगम होता है' ऐसा ही अर्थ निश्चित होता है ।

विभक्तिविशेषनिर्देशानवशात्त्वाद्विप्रतिषेधः ॥ १३ ॥

विभक्तिविशेषनिर्देशस्यानवकाशत्वादयुक्तो ऽयं विप्रतिषेधः । सर्वत्रैवात्र कृतसामर्थ्या समम्यकृतसामर्थ्या पञ्चमीति कृत्वा पञ्चमीनिर्देशो भविष्यति ॥

यथार्थं वा षष्ठीनिर्देशः ॥ १४ ॥

यथार्थं वा षष्ठीनिर्देशः कर्तव्यः । यत्र पूर्वस्य कार्यमिष्यते तत्र पूर्वस्य षष्ठी कर्तव्या । यत्र परस्य कार्यमिष्यते तत्र परस्य षष्ठी कर्तव्या ॥ स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । अनेनैव प्रकल्पमिभविष्यति । तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य

(वा. १३) विशेष प्रकारका विभक्तिप्रत्यय याने पञ्चमीप्रत्यय उसके उच्चारणका उपयोग न होनेके कारण विप्रतिषेध मानना ठीक नहीं है । इन ऊपर दिताये हुए सभी सूत्रोंमें सतम्यन्तपद सप्तमी प्रत्ययके अर्थसे उस सूत्रके अतिरिक्त अन्यत्र काम आ रहा है, परंतु वैसा पञ्चम्यन्तपद केवल पञ्चमीके अर्थमें काम न आनेके कारण, पञ्चमीनिर्देश ही प्रबल किया जा सकेगा ।

(वा १४) अथवा जिसे कार्य आवश्यक हो उस शब्दके उस अर्थका प्रत्यय षष्ठीप्रत्यय ही उच्चारित किया जाय और जिस स्थानपर परको कार्य आवश्यक हो वहाँ सूत्रमें उस परको दिखानेवाला शब्द षष्ठीप्रत्यय लगाकर उच्चारित किया जाय (जिससे संदेह बिलकुल पैदा नहीं होगा ।)

तो फिर सूत्रमें तच्च स्थानपर क्या षष्ठीप्रत्यय लगाना चाहिए ?

वैसा लगानेकी आवश्यकता नहीं है । (मूल जो पाणिनिने पञ्चमीका या सप्तमीका प्रत्यय उच्चारित किया हो वही कायम रहने दीजिए ।) केवल उन प्रत्ययोंके बदले षष्ठीप्रत्ययकी कल्पना प्रकृतसूत्रकी सहायतासे की जा सकेगी । अर्थात् इन सूत्रोंका मतन्वयों है :—सतम्यन्तपदका निर्देश किया हो वहाँ पहलेके शब्दमें षष्ठीप्रत्ययकी कल्पना की जाय, वैसे ही पञ्चम्यन्त पदका निर्देश किया हो वहाँ अगले शब्दमें षष्ठीप्रत्ययकी

४. ' स सर्वगतुके ' इस सप्तमीनिर्देशका सप्तमीके अर्थमें आगे ' आदि द्विवे० ' (६।१।१८७) में उपयोग होता है । तथा ' इन्द्रेमेव सु ' इस सप्तमीनिर्देशका ' तुरिष्ठेमेव सु ' (६।४।१५४) में उपयोग होता है । ' सर्वनामस्थाने ' इस सप्तमीनिर्देशका ' इतोत्पन्नान्स्थान ' (७।१।८६) में उपयोग होता है । ' सर्वगतुके ' इस सप्तमीनिर्देशका आगे ' लिङ् सलोपोनन्त्यत्स्य ' (७।१।७९) में उपयोग होता है । ' बाने ' इस सप्तमीनिर्देशका ' आने मुक् ' (७।२।८२) में उपयोग होता है । ' वापि ' इस सप्तमीनिर्देशका ' त्रेत्रय ' (७।१।७३) में उपयोग होता है । ' त्ति ' इस सप्तमीनिर्देशका पीछे ' पेरिति ' (७।२।१११) में उपयोग है । ' अथि ' सप्तमीनिर्देशका आगे ' मय उजो० ' (८।१।३३) में उपयोग होता है । किन्तु इन सभी स्थानोंपर पञ्चमीनिर्देशका उपयोग पञ्चमीके अर्थमें पड़े अथवा आगे कहीं संभवनीय नहीं । तब उपर्युक्त उदाहरणोंमें दोनोंकी तुल्यता न होनेने परस्वके कारण बाध न होगा, अनवकाशके कारण बाध होगा ।

पठ्ठी । तस्मादित्युत्तरस्य पठ्ठी ॥ तत्तर्हि पठ्ठीग्रहणं कर्तव्यम् । न कर्तव्यम् । प्रकृतमनुवर्तते । क प्रकृतम् । पठ्ठी स्थानेयोगा [१-१-४९] इति ॥

प्रकल्पकमिति चेन्नियमाभावः ॥ १५ ॥

प्रकल्पकमिति चेन्नियमस्याभावः । उक्तं चैतन्नियमार्थोऽयमारम्भ इति ॥ प्रत्ययविधौ खल्वपि पञ्चम्यः प्रकल्पिकाः स्युः । तत्र को दोषः । गुणित्किद्भ्यः सन् [३-१-५] गुणित्किद्भ्य इत्येषा पञ्चमी सन्निति प्रथमायाः पठ्ठी प्रकल्पयेत्तस्मादित्युत्तरस्येति । अस्तु । न कश्चिदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्यतः सनः सन्नेव भविष्यति । नैवं शक्यम् । इत्संज्ञा न प्रकल्पेत । उपदेश

कल्पना की जाय ।

तो फिर वैया अर्थ होनेके लिए सूत्रमें 'पठ्ठी' शब्द क्या रखना चाहिए ?

'पठ्ठी' शब्द रखनेकी आवश्यकता नहीं है । पीठेसे 'पठ्ठी' शब्दकी अनुवृत्ति की जा सकेगी ।

पीठे किस सूत्रमें 'पठ्ठी' शब्द है ?

'पठ्ठी स्थानेयोगा' (१।१।४९) सूत्रमें 'पठ्ठी' शब्द है ।

(वा. १५) 'पठ्ठीप्रत्ययकी कल्पना करनेवाले ये सूत्र हैं' ऐसा माना जाय तो उस काममें ये सूत्र आनेके कारण नियम नहीं मान सकते । और 'ये सूत्र नियमके लिए किये गये हैं, अर्थात् सप्तम्यन्त पद उच्चारण गया हो वहाँ पूर्वको ही कार्य किया जाय और पचम्यन्त पद उच्चारण गया हो वहाँ परको ही कार्य किया जाय ऐसा नियम करनेके उद्देश्यसे ये सूत्र किये गये हैं' ऐसा अभी बताया गया है । इसके अलावा, पठ्ठीप्रत्यय की कल्पना करनेवाले ये सूत्र हैं ऐसा माना जाय तो प्रत्ययका विधान किया हो वहाँ भी पचमीनिर्देशके बलपर उन सूत्रोंमें उस प्रत्ययके आगे पठ्ठीप्रत्ययकी कल्पना आ सकेगी ।

तो फिर वैया होनेमें दोष क्या है ?

दोष यह कि 'गुणित्किद्भ्यः सन्' (३।१।५) सूत्रमें 'गुणित्किद्भ्यः' इस पचमीनिर्देशके बलपर 'तस्मादित्युत्तरस्य' इस प्रकृत परिभाषासे 'सन्' इस प्रथमान्तपदके बदले 'सनः' ऐसी पष्ठ्यन्तपदकी कल्पना होगी ।

वैसी कल्पना हुई तो होने दे । (गुप्, तिञ् और क्ति धातुओंके आगे जो सन् प्रत्यय है उसे आदेश होता है ऐसा अर्थ होगा । और) वहाँ अमुक आदेश होता है ऐसा दूसरा कोई आदेश बतानेके कारण 'स्थानेन्तारम्.' (१।१।५०) परिभाषासे सन्की उससे अत्यंत सट्टा सन् ही आदेश होगा ।

ऐसा करना संभव नहीं है । क्योंकि इस कल्पित सन् आदेशके नकारको इत्संज्ञा

इतीत्मज्ञोच्यते ॥

प्रकृतिविकारागव्यवस्था च ॥ १६ ॥

प्रकृतिविकारयोश्च व्यवस्था न प्रकल्पते । इको यणचि । अचीत्येषा सप्तमी यणिति प्रथमायाः पठौ प्रकल्पयेत्तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति ॥

सप्तमीपञ्चम्योश्च भावाद्दुभयत्र पठौप्रकृत्युत्तरोभयकार्यप्रसङ्गः ॥ १७ ॥

सप्तमीपञ्चम्योश्च भावाद्दुभयत्रैव पठौ प्राप्नोति । तास्यादिभ्य इत्येषा पञ्चमी लसार्वाधातुक इत्यस्याः सप्तम्याः पठौ प्रकल्पयेत्तस्मादित्युत्तरस्येति । तथा लसार्वाधातुक इत्येषा सप्तमी तास्यादिभ्य इति पञ्चम्याः पठौ प्रकल्पयेत्तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति । तत्र को दोषः । तत्रोभयकार्यप्रसङ्गः । उभयोः कार्यं तत्र प्राप्नोति ॥ नैव दोषः । यत्तावदुच्यते प्रकल्पकमिति चेन्नियमाभाव इति मा भून्नियमः । सप्तमी-

नहीं होगी । आगोच्चारणके अंत्य हलको इत्सज्ञा (१।३।३) वतायी गयी है ।

(वा १६) इसके सिवा आदेश वतानेवाले सूत्रमें स्थानी कौन और आदेश कौन यह व्यवस्था शक्य नहीं होगी । क्योंकि 'इको यणचि' (६।१।७७) स्थानपर 'अचि' इस सप्तमी निर्देशके बलपर 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' इस प्रकृत परिभाषासे 'यण्' इस प्रथमान्तपदके बदले 'यगः' ऐसे पष्ठ्यन्त पदकी कल्पना होगी । (अतः 'इकः' और 'यणः' ऐसे दोनों पद पष्ठ्यन्त होनेके कारण उसमेंसे कौन स्थानी और कौन आदेश यह मालूम नहीं होगा ।)

(वा. १७) इसके अलावा, जिस स्थानपर, सप्तम्यन्त और पञ्चम्यन्त ऐसे दोनों प्रकारके पद हैं वहाँ परस्परके बलपर उन दोनों पदोंके बदले पष्ठ्यन्त पदोंकी कल्पना होगी । उदा१- 'तास्यनुदात्ते' (६।१।१८६) सूत्रमें 'तास्यनुदात्तेऽन्दिदुपदेशात्' इस पञ्चमीनिर्देशके बलपर 'तस्मादित्युत्तरस्य' इस प्रकृतपरिभाषासे 'लसार्वाधातुके' इस सप्तम्यन्त पदके बदले 'लसार्वाधातुकस्य' ऐसे पष्ठ्यन्त पदकी कल्पना होगी । वैसे ही 'लसार्वाधातुके' इस सप्तमीनिर्देशके बलपर 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' इस प्रकृत परिभाषासे 'तास्यनुदात्तेऽन्दिदुपदेशात्' इस पञ्चम्यन्त पदके बदले 'तास्यनुदात्तेऽन्दिदुपदेशस्य' इस पष्ठ्यन्त पदकी कल्पना होगी ।

वैसा होनेमें दोष कौनसा है ?

निर्दिष्टे पूर्वस्य पठौ प्रकल्प्यते पञ्चमीनिर्दिष्टे परस्य । यावता सप्तमीनिर्दिष्टे पूर्वस्य पठौ प्रकल्प्यत एवं पञ्चमीनिर्दिष्टे परस्य । नोत्सहते सप्तमीनिर्दिष्टे परस्य कार्यं भवितुं नापि पञ्चमीनिर्दिष्टे पूर्वस्य ॥ यदप्युच्यते प्रत्ययविधौ खल्वपि पञ्चम्यः प्रकल्पिकाः स्युरिति सन्तु प्रकल्पिकाः । ननु चोक्तं गुतिञ्किद्भ्यः सञ्जित्येषा पञ्चमी सन्निति प्रथमायाः पठौ प्रकल्पयेत्तस्मादित्युक्तस्येति । परिहृतमेतन्न काश्चिदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्यतः सनः सन्नेव भविष्यतीति । ननु चोक्तं नैवं शक्यमित्संज्ञा न प्रकल्पेतोपदेश इतीत्संज्ञोच्यत इति । स्यादेव दोषो यदीत्संज्ञादेशं प्रतीक्षेत । तत्र खलु कृतायाभित्संज्ञायां लोपे च कृत आदेशो भवि-

कहनेमें अर्थात् ही नियम सिद्ध होता है । देखिए, सप्तमीनिर्देश होगा वहाँ अगर पठौ-प्रत्ययकी कल्पना पूर्वको होगी तो वैसा सप्तमीनिर्देश होनेपर वहाँ परको कार्य होनेकी शंका भी तो कैसे हो सकती है ? वैसे ही पंचमीनिर्देश होगा वहाँ अगर पठौप्रत्ययकी कल्पना परको हुई तो वैसा पंचमीनिर्देश होनेपर वहाँ पूर्वको कार्य होनेकी शंका भी तो कैसे होगी ?

वैसे ही 'प्रत्ययका विधान क्रिया हो वहाँ भी पंचमीनिर्देशके बलपर उस सूत्रमें उस प्रत्ययके आगे पठौप्रत्ययकी कल्पना होगी ।' ऐसा जो कहा है वहाँ भी पठौ-प्रत्ययकी कल्पना हुई तो होने दे ।

पर वैसी कल्पना हुई तो 'गुतिञ्किद्भ्यः सन्' सूत्रमें 'गुतिञ्किद्भ्यः' इस पंचमी निर्देशके बलपर 'तस्मादित्युत्तरस्य' इस प्रकृतपरिभाषासे 'सन्' इस प्रथमान्त पदके बदले 'सनः' इस पष्ठ्यन्तपदकी कल्पना होगी ऐसा दोष बताया है न ?

दोष बताया है अवश्य, पर उसका परिहार भी किया ही गया है । वह यह है कि वहाँ सनको दूसरा कोई आदेश न बतानेके कारण 'स्थानेन्तरतमः' परिभाषासे सन्को उसमें अत्यंत सदृश ऐसा सन् आदेश ही होगा ।

पर उसके बाद भी 'सन्को सन् आदेश ही किया तो उस कल्पित सन् आदेशके नकारको इत्संज्ञा नहीं होगी । क्योंकि आय उच्चारणके अत्य हल्को इत्संज्ञा बनायी गयी है' ऐसा दोष बताया गया ही है ।

यह दोष बताया गया है अवश्य, पर वह कब होगा ? अगर इत्संज्ञा सन्को सन् आदेश होनेकी प्रतीक्षामें रहेगी तो । वस्तुतः तबतक रुकनेकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती । क्योंकि आय उच्चारणके ही अत्य हल्को इत्संज्ञा बनायी गयी है । अतः सचमुच ही इत्संज्ञा (१।१।२) पढ़े होगी, बादमें उसके नकारका रोप (१।१।२) ही होगा और बादमें उस 'स' को 'स' उच्चारण आदेश होगा । अतः कोई भी दोष नहीं आता ।

प्यति । उपदेश इति हीत्संज्ञोच्यते । अथवा नानुत्पन्ने सनि प्रकृप्स्या भवितव्यं यदा चोत्पन्नः संस्तदा कृतसामर्थ्या पञ्चमीति कृत्वा प्रकृप्तिर्न भविष्यति ॥ यदप्युच्यते प्रकृतिविकाराव्यवस्था चेति तत्रापि कृता प्रकृतौ षष्ठीक इति विकृतौ प्रथमा यणिति । यत्र च नाम सौत्री षष्ठी नास्ति तत्र प्रकृप्स्या भवितव्यम् । अथवास्तु तावदिको यणचीति यत्र नाम सौत्री षष्ठी । यदि चेदानीमचीत्येषा सप्तमी यणिति प्रथमायाः षष्ठी प्रकल्पयेत्तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्थेत्यस्तु । न कश्चिदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्यतो यणो यणेव भविष्यति ॥ यदप्युच्यते सप्तमीपञ्चम्योश्च

अथवा, कुछ कार्य करनेके लिए करनेकी जो षष्ठीकी कल्पना है वह जिसे करनी है वह अस्तित्वमें आया हुआ होना चाहिए । अतः सन् प्रत्यय पैदा होनेसे पहले 'सनः' यह षष्ठीकी कल्पना होना असंभव ही है । अच्छा, अब सन् प्रत्यय पैदा होनेपर षष्ठीकी कल्पना होगी ऐसा कहें तो वह 'सन्' प्रत्यय 'गुप्तिजकिञ्चः' सूत्रसे ही पैदा होनेके कारण वह सन् प्रत्यय गुप्, तिञ्, कित् आदि धातुओंसे पर ऐसा उत्पन्न होनेके काममें पंचमी आ रही है । अतः उसका बल नष्ट होनेके कारण षष्ठीकी कल्पना वहाँ हो ही नहीं सकती ।

वैसे ही, 'आदेश बतानेवाले सूत्रमें स्थानी कौन और आदेश कौन है यह व्यवस्था नहीं लगेगी' ऐसा जो दोष दिया है वह भी ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ स्थानी कौन है सो दिखानेवाली 'इकः' ऐसी षष्ठी मूल सूत्रमें पाणिनिने की ही है और आदेश कौन सो बतानेवाली 'यण्' यह प्रथमा भी मूल सूत्रमें की ही है । जिस स्थानपर मूल सूत्रमें ऐसी षष्ठी न की हो वहाँ 'यह कार्य किसे किया जाय' सो मालूम न होनेके कारण षष्ठीकी कल्पना करनेके लिए प्रकृतपरिभाषाकी आवश्यकता होती है ।

अथवा पाणिनिके ही 'इको यणचि' सूत्रमें अगर षष्ठीका उच्चारण किया हो तो वहाँ प्रथमतः 'इक्के स्थानमें यण् होता है' यह अर्थ होगा ही । अब अगर उसके बाद 'अचि' इस सप्तमीनिर्देशके बलपर 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' इस प्रकृतपरिभाषासे यण् प्रथमान्त पदके बदले यणः इस षष्ठ्यन्त पदकी कल्पना होगी और

५. तब 'इको यणचि' इ-यादि स्थानोंपर षष्ठी मान लेनेकी आवश्यकता न होनेसे प्रकृत परिभाषा उपस्थित हुई तो भी वह यह काम नहीं करती । केवल सूत्रमें उच्चारित षष्ठी ध्यानमें लेकर उसका 'अव्यवहित पूर्वके प्रति संबंध दिखाना' इतना ही कार्य प्रकृत परिभाषा करती है ।

६. प्रकृत परिभाषासे 'यणः' इस षष्ठीकी कल्पना करनेके पूर्व सूत्रका वाक्यार्थ होनेके लिए आवश्यक बातें सिद्ध हों तो वहाँ गुरन्त वान्यार्थ होना ही चाहिये ।

मावादुभयत्र पृथीप्रकृतिस्तत्रोभयकार्यप्रसङ्ग इत्याचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नोभे युग-
पत्यकल्पिके भवत इति यदयमेकः पूर्वपरयोः [६१.८४] इति पूर्वपरग्रहण
करोति ॥

स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा ॥ १ । १ । ६८ ॥

रूपग्रहणं किमर्थं न स्व शब्दस्याशब्दसंज्ञा भवतीत्येव रूप शब्दस्य संज्ञा
भविष्यति । न ह्यन्यत्स्वं शब्दस्यास्त्यन्यदतो रूपात् । एव तर्हि सिद्धे सति
यद्रूपग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्योऽन्त्यन्यद्रूपात्स्वं शब्दस्येति । किं पुनस्तत् ।
अर्थः । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् । अर्थवद्ग्रहणे नानार्थकस्येत्येषा परिभाषा

उससे यण्के स्थानमें आदेश होता है ऐसा अर्थ होगा तो होने दे । यण्को अमुक
आदेश होता है ऐसा दूसरा किसीके न बतानेके कारण 'स्थानेन्तरम्.' परिभाषासे
यण्को अत्यंत सट्टा ऐसा यण् ही आदेश होगा ।

बैसे ही ' जिस स्थानपर सप्तम्यन्त और पचम्यन्त ऐसे दो प्रकारके पद हैं वहाँ
परस्परके बलपर उन दोनों पदोंके बदले इसी पष्ठम्यन्त पदकी कल्पना होगी और उन
दोनोंको कार्य होगा ' यह जो दोष दिया है वह दोष भी नहीं आता । जब कि
आचार्य पाणिनि ' एकः पूर्वपरयोः ' (६१।८४) सूत्रमें दोनोंको एकसाथ कार्य
होनेके लिए ' पूर्वपरयोः ' ऐसा शब्द रखते हैं, तब वे ऐसा सूचित करते हैं कि ' जिस
स्थानपर पचमीनिर्देश और सप्तमीनिर्देश ये दोनों होंगे वहाँ वे दोनों एकसाथ पष्ठकी
कल्पना नहीं करते, अतः कोई दोष नहीं आता । '

(सू ६८) किसी भी शब्दका अपना जो स्वरूप है वह उसी शब्दका
बोध्य समझा जाय इस शब्दशास्त्रमें मान्य हुए जो संज्ञाशब्द हैं उनके वारेंमें
मात्र यह नियम लागू नहीं होता ।

इस सूत्रमें ' रूप ' शब्द किसलिए रखा गया है ? वह रखनेकी आवश्यकता
नहीं । ' स्व शब्दस्याशब्दसंज्ञा ' इतना ही सूत्र किया तो भी जिस शब्दका स्वयंका
जो रूप होगा वही उस शब्दका बोध्य होगा । क्योंकि इस रूपके सिवा शब्दकी
स्वयंकी ऐसी कोई चीज नहीं ।

तो फिर इस प्रकार सिद्ध होते हुए भी आचार्य पाणिनि इस सूत्रमें ' रूप '
शब्द रखते हैं उससे वे यह ज्ञापित करते हैं कि ' शब्दके स्वयंके रूपके सिवा दूसरी
कोई चीज स्वशब्दसे यहाँ ली जानी चाहिए ।

७ यदि एव ही सूत्रमें दो निर्देशोंसे दो पष्ठम्यन्त पदोंकी कल्पना होगी तो ' आइ गुण '
(१।१।८७) में ' आत् ' इस पचमी निर्देशके बन्पर ' अयि ' में ' भानम् ' अतः ' इग
पठान्त पदकी कल्पना होगी और ' अयि ' इस सप्तमीनिर्देशसे ' अयि ' ' आत् ' में ' यत् '
' अय्य ' इस पठान्त पदकी कल्पना होगी । तब पूर्वका अकार और भानका अत् इन
दोनोंके स्थानमें गुण होनेके कारण ' पूर्वपरयो ' शब्द रखा होगा ।

न कर्तव्या भवति ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

शब्देनार्थगतेरर्थस्यासंभवात्तद्वाचिनः संज्ञाप्रतिषेधार्थं स्वरूपवचनम् ॥ १ ॥

शब्देनोच्चारितेनार्थो गम्यते । गामानय दध्यशानेत्यर्थ आनीयते ऽर्थश्च भुज्यते । अर्थस्यासंभवात् । इह व्याकरणे ऽर्थे कार्यस्यासंभवः । अप्रेर्द्धक् [४.२.३३] इति न शक्यते ऽङ्गारेभ्यः परो ढक्कर्तुम् । शब्देनार्थगतेरर्थस्यासंभवाद्यावन्तस्तद्वाचिनः शब्दास्तावद्भ्रमः सर्वेभ्य उत्पत्तिः प्राप्नोति । इष्यते च तस्मादेव स्यादिति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति तद्वाचिनः संज्ञाप्रतिषेधार्थं स्वरूपवचनम् । एवमर्थमिदमुच्यते ॥

लेकिन यह दूसरा क्या है भला ?

शब्दका जो कोई अर्थ अपने मनमें आता है वही ।

इस ज्ञापनका उपयोग क्या है ?

उपयोग यह कि 'अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्' यह जो परिभाषा है वह अब अलग करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

परंतु यह सूत्र ही अंतमें किस उद्देश्यसे बनाया गया है ?

(वा. १) शब्दका उच्चारण करनेपर उससे अर्थ मनमें आता है । उदा० 'गाम आनय' याने 'गो लाओ' ऐसा कहनेपर गो शब्दका अर्थ गाय लार्था जाती है । वैसे ही 'दधि अज्ञान' याने 'दधि खाओ' कहनेसे दधि शब्दका अर्थ जो दही है वही साया जाता है । परंतु 'अर्थे कार्यस्यासंभवात्' याने इस व्याकरणशास्त्रमें अर्थ के लिए कार्य संभव नहीं होता । उदा० 'अप्रेर्द्धक्' (४।२।३३) 'अग्नि के आगे ढक् प्रत्यय होता है ।' ऐसा कहनेपर अग्नि शब्दका जो अंगार अर्थ है उसके आगे ढक् प्रत्यय नहीं किया जा सकता । अतः इस प्रकार शब्दोंसे अर्थ मनमें आ जाता है, परंतु शास्त्रमें अर्थके लिए कार्य संभव न होनेसे उस 'अंगार' अर्थके जितने शब्द होंगे उतने सब शब्दोंका वह सूत्रका 'अग्नि' शब्द बोधक है ऐसा समझकर उन सब शब्दोंके आगे ढक् प्रत्यय होने लगेगा । और इष्ट तो यह है कि अकेले 'अग्नि' शब्दके ही आगे ढक् प्रत्यय होना चाहिए । अतः यह इष्ट बात उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न किये बिना सिद्ध नहीं होगी । इसीलिए सूत्रका 'अग्नि' शब्द अंगार इस अर्थके अन्य सब शब्दोंका बोधक न हो इस उद्देश्यसे 'स्वरूपवचनम्' याने यह प्रकृत सूत्र किया है ।

१. तत्र स्व शब्दसे अर्थ लिया जानेसे और रूप शब्दसे स्वरूप लिखा जानेसे उस अर्थमें युग्म जो उस शब्दका स्वरूप है वह सूत्रके उस शब्दका बोध्य होता है । अतः 'प्रतीदारयति' में 'दा' यह शब्दस्वरूप अनर्थक होनेसे उसको घु संज्ञा (१।१।२०) नहीं होनी ।

न वा शब्दपूर्वको ह्यर्थे संप्रत्ययस्तस्मादर्थनिवृत्तिः ॥ २ ॥

न वैतत्प्रयोजनमस्ति । किं कारणम् । शब्दपूर्वको ह्यर्थे संप्रत्ययः । शब्दपूर्वको ह्यर्थस्य संप्रत्ययः । आतश्च शब्दपूर्वको यो ऽपि ह्यसावाहूयते नाम्ना । नाम यदानेन नोपलब्धं भवति तदा पृच्छति किं भवानाहेति । शब्दपूर्वकश्चार्थस्य संप्रत्यय इह च व्याकरणे शब्दे कार्यस्य समग्रो ऽर्थे ऽसमवस्तस्मादर्थनिवृत्तिः । तस्मादर्थनिवृत्तिर्मविप्यति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनमशब्दसज्ञेति वक्ष्यामीति । इह मा भूत् । दाधा घ्वाप् [११२०] तममपौ घः [२२] इति ।

संज्ञाप्रतिषेधानर्थक्यं वचनप्रामाण्यात् ॥ ३ ॥

संज्ञाप्रतिषेधश्चानर्थकः । शब्दसंज्ञाया स्वरूपविवि. कस्मान्न भवति ।

(वा २) यह जो प्रकृत सूत्रका उपयोग दिखाया है वह ठीक नहीं है । क्यों भला ?

‘शब्दपूर्वको ह्यर्थे संप्रत्यय.’ याने लोकमें शब्दका उच्चारण करते ही उसका अर्थ मनमें आता है यह बात सही है, परंतु पहले शब्द मनमें आकर पश्चात् ही उसका अर्थ मनमें आता है ।

और ‘पहले शब्द ही मनमें आता है’ यह बात इससे सिद्ध होती है कि एकाव मनुष्यको उसके नामसे दूसरेने पुकारा और अगर उसने वह नाम न सुना हो तो ‘तुम क्या कहते हो’ यह प्रश्न फिरसे वह करते हुए दिखाई देता है । तात्पर्य, पहले शब्द मनमें आकर बादमें ही उसका अर्थ मनमें आता है । और इस व्याकरणशास्त्रमें तो पहले मनमें आनेवाले ऐसे शब्दके लिए ही कार्यसंभव होता है । उल्टा अर्थके लिए ही संभव नहीं होता । ‘तस्मादर्थनिवृत्ति.’ याने इसलिए अपने आप अर्थकी निवृत्ति होगी और पहले मनमें आया हुआ अग्नि आदि जो शब्द है उस अकेले शब्दको ही वह कार्य होगा । (अतः उसके लिए प्रकृत सूत्र करना आवश्यक नहीं ।)

तो फिर इस प्रकृतसूत्रका ऐसा उपयोग समझा जाय कि—यह जो अपने आप उस उच्चारित एक शब्दको ही कार्य होता है वह इस शास्त्र जो संज्ञाएँ बनाई गई है, उदा० दा, घा को घु संज्ञा होती है (१११२०) तमप्, तमप् को घ संज्ञा होती है (१११२२) उस स्थानपर मूल स्वरूपको याने घु, घ आदि शब्दोंको कार्य नहीं चाहिए इसलिए ‘अशब्दसंज्ञा’ यह निषेध बतलाया जाय इसीलिए यह सूत्र किया है ।

(वा. ३) इसलिए भी यह सूत्र नहीं चाहिए । क्योंकि ‘अशब्दसंज्ञा’ इस निषेधकी ही कोई आवश्यकता नहीं ।

परंतु फिर, शास्त्रमें घु, घ, आदि संज्ञाशब्दोंका उच्चारण करके बनाया हुआ कार्य उसके मूल स्वरूपको क्यों नहीं होता ?

वचनप्रामाण्यात् । शब्दसंज्ञावचनसामर्थ्यात् ॥ ननु च वचनप्रामाण्यात्संज्ञिनां संप्रत्ययः स्यात्स्वरूपग्रहणाच्च संज्ञायाः । एतदपि नास्ति प्रयोजनम् । आचार्य-प्रवृत्तिर्ज्ञापयति शब्दसंज्ञायां न स्वरूपविधिर्भवतीति यदयं ष्यान्ता पट् [१-१-२४] इति षकारान्तायाः संख्यायाः षट्संज्ञां शास्ति । इतरथा हि वचनप्रामाण्याच्च नकारान्तायाः संख्यायाः संप्रत्ययः स्यात्स्वरूपग्रहणाच्च षकारान्तायाः । नैतदस्ति ज्ञापकं न हि षकारान्ता संज्ञा । का तर्हि । ङकारान्ता । असिद्धं जश्त्वं तस्यासिद्धत्वात्पकारान्ता ॥ मन्त्राद्यर्थं तर्हीदं वक्तव्यम् । मन्त्र

अगर 'घु' शब्दका उच्चारण करके बताया हुआ कार्य मूल स्वरूपको याने 'घु' शब्दको होगा तो दा और धा को बताई हुई घु संज्ञा व्यर्थ होगी । इसीलिए उसकी सामर्थ्यके कारण वह कार्य 'घु' शब्दको नहीं होगा ।

परंतु उसकी सामर्थ्यके कारण वह कार्य दा, धा, को होने दीजिए । घु शब्दको न होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता । (अतः घु इस मूल शब्दस्वरूपको कार्य न हो इसलिए 'अशब्दसंज्ञा' यह निषेध आवश्यक है ।)

यह उपयोग भी ठीक नहीं है । क्योंकि जब कि ये आचार्य पाणिनि 'ष्यान्ता पट्' (१।१।२४) सूत्रमें पंचन्, सप्तन् आदि नकारान्त शब्दोंको 'पप्' संज्ञा बताकर उसके सिवा अलग षकारान्त संख्याको याने 'पप्' शब्दको पप् संज्ञा बताते हैं तब वे ऐसा ज्ञापित करते हैं कि 'संज्ञा शब्दसे मूल स्वरूपका याने उसी शब्दका ग्रहण नहीं होता । नहीं तो पप्संज्ञक शब्दको बताया हुआ कार्य (७।१।२२) पंचन्, सप्तन् आदि नकारान्त संख्याशब्दोंको पप् संज्ञा बताई है उसकी सामर्थ्यके कारण उन्हें होगी और उस संज्ञाशब्दके मूलस्वरूपको याने पप् शब्दको होगा । (अतः पप् शब्दको जो विशेषतया अलग पप् संज्ञा बताई गई है वह व्यर्थ भी होगी ।)

परंतु यह ज्ञापक ठीक नहीं जँचता । क्योंकि 'ष्यान्ता पट्' (१।१।२४) सूत्रसे 'पप्' संज्ञा बताई ही नहीं गई ।

तो फिर कौनसी संज्ञा बताई गई है ।

'पट्' यह ङकारान्त संज्ञा बताई गई है ।

मूल संज्ञा पप् ही है । त्रिपादीका जश्त्व (८।२।३९) होकर पट् उच्चारण हुआ तो भी वह जश्त्व असिद्ध (८।२।१) होनेके कारण मूल संज्ञा षकारान्त ही है । (अतः ज्ञापक ठीक न जँचनेके कारण 'अशब्दसंज्ञा' निषेधकी आवश्यकता नहीं है इसलिए यह प्रकृतसूत्र नहीं चाहिए ऐसा सिद्ध होता है ।)

तो फिर मंत्र आदिके लिए 'अशब्दसंज्ञा' निषेधकी जरूरत है । अर्थात् मन्त्र (२।४।८०), ऋचि (६।३।१३३), यजुषि (७।४।३८), ऐसे शब्दोंका उच्चारण

ऋचि यजुषीति यदुच्यते तन्मन्त्रशब्द ऋकशब्दे च यजुःशब्दे च मा भूत् ।

मन्त्राद्यर्थमिति चेच्छास्त्रसामर्थ्यादर्थगतेः सिद्धम् ॥ ४ ॥

मन्त्राद्यर्थमिति चेत्तन्न । किं कारणम् । शास्त्रस्य सामर्थ्यादर्थस्य गतिर्भविष्यति । मन्त्र ऋचि यजुषीति यदुच्यते मन्त्रशब्द ऋकशब्दे च यजुःशब्दे च तस्य कार्यस्य संभवो नास्तीति कृत्वा मन्त्रादिसंहारितो यो ऽर्थस्य गतिर्भविष्यति साहचर्यात् ॥

सित्तद्विशेषाणां वृक्षाद्यर्थम् ॥ ५ ॥

सिन्निर्देशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यं तद्विशेषाणां ग्रहणं भवतीति । किं प्रयोजनम् । वृक्षाद्यर्थम् । विभाषा वृक्षमृग [२-४-१२] इति । पृश-
न्यग्रोधम् पृक्षन्यग्रोधाः ॥

पितृपर्यायवचनस्य च स्वाद्यर्थम् ॥ ६ ॥

पिन्निर्देशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यं पर्यायवचनस्य तद्विशेषाणां च ग्रहणं

करके जो कार्य बताया गये हैं वे (६।३।१३१) मन्त्र, ऋच् और यजुष शब्दोंको नहीं होने पाँगे ।

(वा. ४) मन्त्र आदि शब्दोंके लिए 'अशब्दसंज्ञा' नियेय आवश्यक है ऐसा कहें तो बेसा नहीं है ।

बेसा न होनेका कारण क्या है ?

क्योंकि शास्त्रकी सामर्थ्यके कारण मन्त्र आदि शब्दोंके अर्थका ग्रहण होगा, याने मन्त्रमें, ऋचामें, यजुमें ऐसा कहकर जो कार्य बताया है उस कार्यका मन्त्र, ऋच् और यजुष शब्दोंमें संभव नहीं है इसलिए उन शब्दोंके साथ हमेशा मन्त्रमें आनेवाला उन शब्दोंका जो अर्थ 'अप्रतिष्ठे' (म. सं. १।१।१) आदिवाच्य है उनका ग्रहण होगा । क्योंकि शब्द और उसका अर्थ इनका साहचर्य निम्न है ।

(वा. ५) सिन्का निर्देश किया जाय, जिससे इन्संज्ञक साधार जोड़ा जाय । और ऐसे सिन्का निर्देश जिस स्थानपर किया हो वहाँ उसके विशेषका ग्रहण होता है ऐसा कहा जाय ।

भवति स्वस्य च रूपस्येति । किं प्रयोजनम् । स्वाद्यर्थम् । स्वे पुपः [३-४-४०] ।
स्वपोषं पुष्यति । रैपोपम् विद्यापोपम् गोपोपम् अश्वपोपम् ॥

जित्पर्यायवचनस्यैव राजाद्यर्थम् ॥ ७ ॥

जिनिर्देशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यं पर्यायवचनस्यैव ग्रहणं भवति । किं
प्रयोजनम् । राजाद्यर्थम् । सभा राजामनुष्यपूर्वा [२-४-२३] । इनसभम्
ईश्वरसभम् । तस्यैव न भवति । राजसभा । तद्विशेषाणां च न भवति । पुष्य-
मित्रसभा चन्द्रगुप्तसभा ॥

ज्ञित्तस्य च तद्विशेषाणां च मत्स्याद्यर्थम् ॥ ८ ॥

जिनिर्देशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यं तस्य च ग्रहणं भवति तद्विशेषाणां
चेति । किं प्रयोजनम् । मत्स्याद्यर्थम् । पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति [४-४-६५] ।

विशेष शब्दोंका और मूलसे उच्चारित उन शब्दस्वरूपोंका ग्रहण होता है ऐसा कहा
जाय ।

उसका उपयोग कहां है ?

स्वाद्यर्थम् अर्थात् 'स्वे पुपः' (३।४।४०) सूत्रमें स्वशब्दसे 'रे', 'घन'
इन पर्याय शब्दोंका, 'अश्व', 'गो' इन विशेषद्रव्यवाचक शब्दोंका और 'स्व' शब्दका
ग्रहण होता है; जैसे, स्वपोषं पुष्यति, रैपोपम्, धनपोपम्, अश्वपोपम्, गोपोपम् ।

(वा. ७) जित्का निर्देश किया जाय जिससे इत्संज्ञक जकार जोड़ा जाय ।
और ऐसे जित्का निर्देश जिस स्थानपर किया हो वहाँ केवल उसके पर्यायशब्दोंका ही
ग्रहण होता है ऐसा कहा जाय ।

उसका उपयोग कहां है ?

राजाद्यर्थम् अर्थात् 'सभा राजामनुष्यपूर्वा' (२।४।२३) सूत्रमें राजशब्दसे
'इन', 'ईश्वर' इन पर्याय शब्दोंका ही ग्रहण होता है; जैसे, इनसभम्, ईश्वरसभम् ।
'पर्याय शब्दोंका ही ग्रहण होता है' ऐसा कहा जानेके कारण मूलसे उच्चारित राज-
शब्दका ग्रहण नहीं होता इसलिए 'राजसभा' रूपमें नपुंसकलिंग नहीं होता । तथा
विशेषोंका अर्थात् पुष्यमित्र आदि शब्दोंका ही ग्रहण नहीं होता है इसलिए 'पुष्य-
मित्रसभा', 'चन्द्रगुप्तसभा' रूपमें नपुंसकलिंग नहीं होता ।

(वा. ८) जित्का निर्देश किया जाय जिससे इत्संज्ञक झकार जोड़ा जाय ।
और ऐसे जित्का निर्देश जिस स्थानपर किया हो वहाँ उस मूलसे उच्चारित शब्दका
और उसके विशेष शब्दका ग्रहण होता है ऐसा कहा जाय ।

उसका उपयोग कहां है ?

मत्स्याद्यर्थम् याने 'पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति' (४।४।३५) में मत्स्यशब्दसे
'मत्स्य' इस शब्दका और शफर, शकुल, इन मत्स्यविशेषवाचक शब्दोंका ग्रहण होता
है । उदा०—'मत्स्यान् हन्ति मात्स्यिकः' । विशेष शब्दोंका उदाहरण—शाफरिकः,

मान्यिकः । तद्विशेषाणाम् । शाफुरिकः शाकुलिकः । पर्यायवचनानां न भवति । अजिह्वान्हन्तीति ॥ अस्यैकरस्य पर्यायवचनस्येष्यते । मीनान्हन्ति मैनिकः ॥

अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥ १।१।६९ ॥

अप्रत्यय इति किमर्थम् । सनाशंसमिक्ष उः [३-२-१६८] । असांप्रतिके [४-३-९] ॥ अत्यल्पमिदमुच्यते ऽप्रत्यय इति । अप्रत्ययादेश-ट्रिक्तिन्मित इति वक्तव्यम् । प्रत्यय उदाहृतम् । आदेशे । इदम् इश् [५-३-३] । इतः इह । टिति । लविता लवितुम् । किति । वभूव । मिति । हे ऽनद्वन् ॥

शाकुलिकः । 'मूल शब्द और विशेष शब्द इन्हींका ग्रहण होता है' ऐसा कहनेके कारण पर्याय शब्दोंका ग्रहण नहीं होता; इसीलिए 'अजिह्वान् हन्ति', ऐसे वाक्य ही रह जाते हैं; वहाँ टर् प्रत्यय नहीं होता । पर्यायशब्दोंमेंसे अकेले 'मीन' शब्दमात्रका 'मत्स्य' शब्दसे ग्रहण होता है यह इष्ट है; उदा०-मीनान् हन्ति मैनिकः (६८)

(सू. ६९) यहाँ 'अण्' प्रत्याहार पर णकारके साथ है । अइउण्, ऋलृक् इत्यादि वर्णपाठमें उच्चारित अण् प्रत्याहारका जो वर्ण है और ह्रस्व उकार इत्संज्ञक जिसको जोड़ा गया है वह वर्ण, अर्थात् कु, चु, दु, तु, पु ऐसा उकार जोड़के उच्चारित ककार, चकार इत्यादि वर्ण, अपने सप्त सवर्णोंका ग्राहक होना है । तब उसको कहा हुआ कार्य उसके सभी सवर्णोंको किया जा सकता है ।

इस सूत्रमें 'अप्रत्ययः' किसलिए कहा गया है ?

'सनाशंसमिक्ष उः' (३।२।१६८), 'असांप्रतिके' (४।३।९) इन सूत्रोंसे जो उ और अ प्रत्यय बताये गये हैं उनसे दीर्घ ऊ और आ आदि सवर्णोंका ग्रहण न किया जाय ऐसा कहा गया है ।

यह जो यहाँ 'अप्रत्ययः' यह सवर्णग्रहणका निषेध केवल प्रथमके विषयमें ही किया गया है वह बहुत ही कम है ।

प्रत्यय, आदेश और त्रि, क्ति, मित् आगम से सवर्णोंका ग्रहण नहीं करते ऐसा कहा जाय । उनमेंसे प्रत्ययका उदाहरण दिखाया ही है । आदेशका उदाहरण—इदम् इश् (५।३।३) । यहाँ आदेशसे सवर्णोंका ग्रहण हुआ तो इतः इह में दीर्घ ई आदि आदेश भी होने लगेगे । त्रि आगमका उदाहरण—लविता लवितुम् । यहाँ सवर्ण ग्रहण हुआ तो (७।२।३५) कदाचित् दीर्घ ई आदि आगम होने लगेगे । क्ति आगमका उदाहरण—वभूव । यहाँ सवर्णोंका ग्रहण हुआ तो (६।४।८८) कदाचित् सानुनासिक वकार भी आगम होगा । मित् आगमका उदाहरण—हे अनद्वन् । यहाँ सवर्णोंका ग्रहण हुआ तो (७।१।९९) शायद दीर्घ आ आदि आगम होने लगेगे ।

टितः परिहारः । आचार्यपवृत्तिर्ज्ञापयति न टिता सवर्णानां ग्रहणं भवतीति यदयं ग्रहो ऽलिटि दीर्घत्वं शास्ति । नैतदस्ति ज्ञापकम् । नियमार्थमेतत्स्यात् । ग्रहो ऽलिटि दीर्घ एवेति । यच्चर्हि वृत्तो वा [७.२.६८] इति विभाषां शास्ति ॥ सर्वेषामेव परिहारः । भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेत्येवं न भविष्यति ॥ प्रत्यये भूयान्परिहारः । अनभिधानात्प्रत्ययः सवर्णान्न ग्रहीष्यति । यान्हि प्रत्ययः सवर्णग्रहणेन मूलीयान्न तैरर्थस्याभिधानं स्यात् । अनभिधानान्न भविष्यति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । इह केचित्प्रतीयन्ते केचित्प्रत्याप्यन्ते । ह्रस्वाः प्रतीयन्ते दीर्घाः

टित् आगमके बारेमें जो दोष दिखाया है उसका परिहार यह कि ये आचार्य पाणिनि जब कि 'ग्रहोऽलिटि दीर्घः' (७।२।३७) से इट् आगमको दीर्घ बताते हैं उससे वे ऐसा ज्ञापित करते हैं कि टित् आगमसे सवर्णका ग्रहण नहीं होता ।

यह ज्ञापक ठीक नहीं है । क्योंकि 'ग्रह घातुके आगेके लिट् प्रत्ययके सिवा अन्य बलादि आर्धघातुक प्रत्ययको अगर ह्रस्व, दीर्घ आदि अनेक प्रकारका इट् आगम होगा तो दीर्घ ही इट् आगम किया जाय, दूसरा कोई न करें' ऐसा नियम होनेके लिए वह सूत्र काम आयेगा ।

तो फिर उसके आगेके 'वृत्तो वा' (७।२।३८) से जो इट् आगमको विकल्पसे दीर्घ बताया है उस ज्ञापकसे ऊपरकी बात सिद्ध होगी ।

प्रत्याप्यन्ते । यावद् ब्रूयात्प्रत्याप्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेति तावदप्रत्यय इति ।
कं पुनर्दीर्घः सवर्णग्रहणेन गृह्णीयात् । ह्रस्वम् । यत्नाधिक्यान्न ग्रहीष्यति । प्लुतं
तर्हि गृह्णीयात् । अदण्त्वान्न ग्रहीष्यति । एवं तर्हि सिद्धे सति यदप्रत्यय इति
प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा भाष्यमानेन सवर्णानां
ग्रहणं नेति ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

अणसवर्णस्येति स्वरानुनासिक्यकालभेदात् ॥ १ ॥

अणसवर्णस्येत्युच्यते । स्वरभेदादानुनासिक्यभेदात्कालभेदाच्चाणसवर्णान्न

बलपर समझाये जानेवाले हैं 'वे जो समझाये' जानेवाले दीर्घ वगैरह वर्ण है उनसे पुनः
अपने सवर्णका ग्रहण होगा वह न हो इस अर्थसे 'अप्रत्ययः' ऐसा सूत्रमें कहा गया है ।

परंतु 'दीर्घोंसे अपने सवर्णोंका ग्रहण होता है' ऐसा कहा जाय तो वे दीर्घ
किन सवर्णोंका ग्रहण करेंगे भला ?

ह्रस्वोंका । (उदा० यू स्यात्स्यौ नदी' (१।४।३) में उच्चारित दीर्घ ई, ऊ
से ह्रस्व इकार, उकार आदिका ग्रहण होगा ।)

परंतु वैसा इष्ट होता तो वहाँ पाणिनिने ह्रस्व ही उच्चारित किया होता । अतः
वैसा ह्रस्व न उच्चारकर अधिक प्रयत्न करके जो दीर्घ उच्चार गया उससे दीर्घोंसे
ह्रस्वोंका ग्रहण नहीं होगा ।

तो फिर उन दीर्घोंसे प्लुतोंका ग्रहण होगा ।

परंतु दीर्घ वर्ण अगर मूलतः अण ही नहीं है तो वहाँ प्रकृतसूत्र न आनेके कारण
क्या उन ह्रस्वोंका, क्या प्लुतोंका, किसीका ग्रहण नहीं होगा ।

तो फिर जब कि आचार्य पाणिनि इस प्रकार याने ' भाष्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं
न' परिभाषासे सिद्ध होनेवाली बातोंमेंसे ही अप्रत्ययः ऐसा प्रत्ययका उल्लेख करके सवर्ण
ग्रहणका निषेध बताते हैं, उससे वे उस परिभाषाके बारेमें अपनी सम्मति है ऐसा
ज्ञापित करते हैं यों समझा जाय ।

परंतु यह सूत्र ही किसलिए किया गया है ?

(वा. १) 'अण सवर्णोंका ग्रहण करता है' ऐसा जो कहा गया है वह
इसलिए कि उदात्त आदि स्वर्णोंके कारण जो वर्ण अलग दिखाई देते हैं, वैसे ही
अनुनासिकके कारण जो वर्ण अलग दिखाई देते हैं, और उच्चारणको कमअधिक काल
लगानेके कारण जो वर्ण अलग दिखाई देते हैं, उस अलगपनके कारण सूत्रमें उच्चारित

२. अइउण् इत्यादि वर्णपाठमे न उच्चारित और ठसमें उच्चारित वर्णमे प्रतीत होनेवाला
वर्ण ही यहाँ प्र यय शब्दका अर्थ है ऐसा अभिप्राय है ।

टितः परिहारः । आचार्यपवृत्तिर्ज्ञापयति न टिता सवर्णानां ग्रहणं भवतीति यदयं ग्रहो ऽलिटि दीर्घत्वं शास्ति । नैतदस्ति ज्ञापकम् । नियमार्थमेतत्स्यात् । ग्रहो ऽलिटि दीर्घ एवेति । यत्तर्हि वृतो वा [७.२.६८] इति विभाषां शास्ति ॥ सर्वेषामेव परिहारः । भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेत्येवं न भविष्यति ॥ प्रत्यये भूयान्परिहारः । अनभिधानात्प्रत्ययः सवर्णान्न ग्रहीष्यति । यान्हि प्रत्ययः सवर्णग्रहणेन गृह्णीयान्न तैरर्थस्याभिधानं स्यात् । अनभिधानान्न भविष्यति ॥ इदं तर्हि प्रयोजनम् । इह केचित्प्रतीयन्ते केचित्प्रत्याष्यन्ते । ह्रस्वाः प्रतीयन्ते दीर्घाः

इत् आगमके बारेमें जो दोष दिखाया है उसका परिहार यह कि ये आचार्य पाणिनि जब कि 'ग्रहोऽलिटि दीर्घः' (७।२।३७) से इट् आगमको दीर्घ बताते हैं उससे वे ऐसा ज्ञापित करते हैं कि टित् आगमसे सवर्णका ग्रहण नहीं होता ।

यह ज्ञापक ठीक नहीं है । क्योंकि 'ग्रह धातुके आगेके लिट् प्रत्ययके सिवा अन्य वलादि आर्धधातुक प्रत्ययको अगर ह्रस्व, दीर्घ आदि अनेक प्रकारका इट् आगम होगा तो दीर्घ ही इट् आगम किया जाय, दूसरा कोई न करे' ऐसा नियम होनेके लिए वह सूत्र काम आयेगा ।

तो फिर उसके आगेके 'वृतो वा' (७।२।३८) से जो इट् आगमको विकल्पसे दीर्घ बताया है उस ज्ञापकसे ऊपरकी बात सिद्ध होगी ।

प्रत्यय, आदेश और आगम इन सबके संबंधमें एक ऐसा परिहार है कि 'भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न' अर्थात् जिसका जिस स्थानपर विधान किया हो वहाँ उससे सवर्णका ग्रहण नहीं होता' इस परिभाषासे उन सब स्थानोंपर सवर्णका ग्रहण नहीं होगा । उसमें प्रत्ययके संबंधमें तो दूसरा एक अच्छा ही परिहार बताया जा सकता है । वह यह कि अनभिधानके कारण प्रत्ययसे सवर्णोंका ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि उ आदि प्रत्यय जिन सवर्णोंका याने दीर्घ ऊ आदिका ग्रहण करेगा तो दीर्घ ऊ आदि प्रत्यय अगर चिकीर्षु आदि उदाहरणोंमें क्रिये तो उससे याने चिकीर्षु ऐसे दीर्घान्त शब्दसे या चिकीर्षु ३ ऐसे प्लुतान्त शब्दसे विवक्षित अर्थ मनमें नहीं आता । अतः ऐसे स्थानपर दीर्घ ऊकार आदि प्रत्ययोंको अर्थ प्रतिपादन करनेकी सामर्थ्य न होनेके कारण वहाँ सवर्णका ग्रहण नहीं होता । (क्योंकि 'प्रत्यय' अन्वर्थ संज्ञा है । अतः जिसमें अर्थ दिखानेकी सामर्थ्य नहीं उसे प्रत्यय ही नहीं कह सकते ।)

तो फिर इस सूत्रमें 'अप्रत्ययः' का उपयोग यह समझा जाय कि—इस अ इ उ ण् आदि अक्षर समाम्नायमें प्रत्यय उच्चारनेके कारण कुञ् वर्ण याने ह्रस्व वर्ण समसे जाते हैं । और दूसरे कुञ् वर्ण याने दीर्घ आदि ये उन ह्रस्व वर्णोंसे प्रकृत सूत्रके

१ तब मद्र धातुके सिवा अन्य धातुओंके आगे लगावे जानेवाले वलादि आर्धधातुक प्रत्ययको इट् आगम कदाचित् दीर्घ भी होगा यह दोष कायम रहता है ।

प्रत्याप्यन्ते । यावद् ब्रूयात्प्रत्याप्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेति तावदप्रत्यय इति । कं पुनर्दीर्घः सवर्णग्रहणेन गृह्णीयात् । ह्रस्वम् । यत्नाधिक्यात् ग्रहीष्यति । प्लुतं तर्हि गृह्णीयात् । अन्वत्वात् ग्रहीष्यति । एवं तर्हि सिद्धे सति यदप्रत्यय इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेति ॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते ।

अणसवर्णस्येति स्वरानुनासिक्यकालभेदात् ॥ १ ॥

अणसवर्णस्येत्युच्यते । स्वरभेदादानुनासिक्यभेदात्कालभेदाच्चाणसवर्णात्

बलपर समझाये जानेवाले हैं 'वे जो समझाये' जानेवाले दीर्घ वगैरह वर्ण हैं उनसे पुनः अपने सवर्णका ग्रहण होगा वह न हो इस अर्थसे 'अप्रत्ययः' ऐसा सूत्रमें कहा गया है ।

परंतु 'दीर्घोंसे अपने सवर्णोंका ग्रहण होता है' ऐसा कहा जाय तो वे दीर्घ किन सवर्णोंका ग्रहण करेंगे भला ?

ह्रस्वोंका । (उदा० यू स्यात्स्यो नदी' (१।४।३) में उच्चारित दीर्घ ई, ऊ से ह्रस्व इकार, उकार आदिका ग्रहण होगा ।)

परंतु वैया इष्ट होता तो वहाँ पाणिनिने ह्रस्व ही उच्चारित किया होता । अतः वैया ह्रस्व न उच्चारकर अधिक प्रयत्न करके जो दीर्घ उच्चार गया उससे दीर्घोंके ह्रस्वोंका ग्रहण नहीं होगा ।

तो फिर उन दीर्घोंसे प्लुतोंका ग्रहण होगा ।

परंतु दीर्घ वर्ग अगर मूलतः अण ही नहीं हैं तो वहाँ प्रकृतयुग्म न आनेके कारण क्या उन ह्रस्वोंका, क्या प्लुतोंका, किसीका ग्रहण नहीं होगा ।

तो फिर जब कि आचार्य पाणिनि इस प्रकार याने 'भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न' परिभाषासे सिद्ध होनेवाली बातोंमेंसे ही अप्रत्ययः ऐसा प्रययका उद्देश करके सवर्ण ग्रहणका निषेध बताते हैं, उससे वे उस परिभाषाके बारेमें अपनी सम्मति है ऐसा शापित करते हैं यों समझा जाय ।

परंतु यह सूत्र ही किसलिए किया गया है ?

(वा. १) 'अण् सवर्णोंका ग्रहण करता है' ऐसा जो कहा गया है वरु इसलिए कि उदात्त आदि स्वरोंके कारण जो वर्ण अलग दिखाई देते हैं, वेसे ही अनुनासिकके कारण जो वर्ण अलग दिखाई देते हैं, और उच्चारणको कमअधिक बात खानेके कारण जो वर्ग अलग दिखाई देते हैं, उस अलगपनके कारण सूत्रमें उच्चारित

२. अइउः ए वादि वर्णमाट्ठे न उच्चारित धीर उनमें उच्चारित वर्ण प्रतीय होनेवाला वर्ण ही वहाँ प्रथम शब्दका अण् है ऐसा अभिप्राय है ।

गृह्णीयात् । इष्यते च सवर्णग्रहणं स्यादिति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीत्येव-
मर्थमिदमुच्यते ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति ।

तत्र प्रत्याहारग्रहणे सवर्णाग्रहणमनुपदेशात् ॥ २ ॥

तत्र प्रत्याहारग्रहणे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति । अकः सवर्णे दीर्घः
[६ १ १०१] इति । किं कारणम् । अनुपदेशात् । यथाजातीयकानां सज्ञा
कृता तथाजातीयकानां संप्रत्यायिका स्यात् । ह्रस्वानां च क्रियते ह्रस्वानामेव
संप्रत्यायिका स्याद्दीर्घाणां न स्यात् ॥ ननु च ह्रस्वाः प्रतीयमाना दीर्घान्संप्रत्याय-
यिष्यन्ति ।

ह्रस्वसंप्रत्ययादिति चेदुच्चार्यमाणसंप्रत्यायकत्वाच्छब्दस्यावचनम् ॥ ३ ॥

ह्रस्वसंप्रत्ययादिति चेदुच्चार्यमाणः शब्दः संप्रत्यायको भवति न संप्रती-

अणसे उनका ग्रहण नहीं होगा। और इष्ट तो यह है कि उनका ग्रहण होना चाहिए।
अतः यह इष्ट बात उसके लिए कोई न कोई विशेष प्रयत्न किये बिना सिद्ध नहीं
होगी। इसलिए 'अण् सवर्णोंका ग्रहण करता है' ऐसा यहाँ कहा गया है।

यह इस सूत्रका उपयोग है यह सही है।

तो फिर आपको आगे क्या कहना है?

(वा. २) प्रत्याहारका उच्चारण किया हो वहाँ सवर्णोंका ग्रहण नहीं होगा;
उदा० 'अकः सवर्णे दीर्घः' (६।१।१०१) और अक् शब्दसे दीर्घ में प्लुतका ग्रहण
नहीं होगा।

क्यों भला ?

अइउण् आदि वर्णपाठमें दीर्घ आदिका उपदेश नहीं किया इसलिए। अक् यह
संज्ञा जिस प्रकारके वर्णोंको की हो उस प्रकारके ही वर्ण अक् शब्दसे मनमें आर्येंगे।
अइउण् आदि वर्णपाठमें ह्रस्व ही केवल उच्चारणे जानेके कारण उन ह्रस्वोंको ही वह
अकसंज्ञा होगी। इसलिए अक् शब्दसे ह्रस्वोंका ही बोध होगा; दीर्घोंका नहीं होगा।

परंतु अक शब्दसे यद्यपि ह्रस्व ही केवल मनमें आ गये तो भी वे ह्रस्व प्रकृत
सूत्रके बलपर अपने सवर्णोंका याने दीर्घ आदिका बोध करा देंगे।

(वा ३) ह्रस्वोंसे दीर्घोंका बोध होगा ऐसा कहा जाय तो वैसा नहीं है। क्योंकि

३. उच्चारणके कालमें अल्पाधिरता होनेसे धवर्णके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन
प्रकार होते हैं। उनके प्रत्येकके फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीन प्रकार होकर कुल
नौ प्रकार होते हैं। फिर उनके प्रत्येकके सांनुनासिक और निरनुनासिक ये दो प्रकार होकर
सब मिलाकर एक धवर्णके अठारह प्रकार होते हैं। इ, उ और ऋके वैसे ही होते हैं। 'लृ' का
दीर्घ न होनेसे उलने बारह प्रकार होते हैं। ए, ओ, ऐ और औ इनमेंसे प्रत्येकके बारह ही
प्रकार होते हैं; कारण यह कि उनके ह्रस्व प्रकार नहीं हैं।

यमानः । तद्यथा । ऋगित्युक्ते संपाठमात्रं गम्यते नास्या अर्थो गम्यते ॥ एवं तर्हि वर्णपाठ एवोपदेशः करिष्यते ।

वर्णपाठ उपदेश इति चेदवरकालत्वात्परिभाषाया अनुपदेशः ॥ ४ ॥

वर्णपाठ उपदेश इति चेदवरकालत्वात्परिभाषाया अनुपदेशः । किं परा सूत्रात्क्रियत इत्यतो ऽवरकाला । नेत्याह । सर्वथावरकालेव । वर्णानामुपदेशस्तावत् । उपदेशोत्तरकालेत्संज्ञा । इत्संज्ञोत्तरकाल आदिरन्त्येन सहेता [१.१.७१] इति प्रत्याहारः । प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा । सवर्णसंज्ञोत्तरकालमणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय इति । सैवोपदेशोत्तरकालावरकाला सती

उच्चारित शब्द ही अपने अर्थका बोधक होता है । अतः ऐसे जो उच्चारित शब्दसे प्रतीत शब्द हैं वे उस स्थानपर स्वतः अनुच्चारित होनेके कारण अन्योंका बोध करा देनेमें समर्थ नहीं होते; जैसा — 'ऋक्' शब्द उच्चारनेपर उस शब्दसे केवल मंत्र-पाठका बोध होता है । (उस मंत्रके अर्थका वहाँ बोध नहीं होता ।)

तो फिर अइउण् आदि वर्णपाठमें ही उच्चारित ह्रस्व वर्ण प्रकृत परिभाषाके बलपर अपने सवर्णोंका याने दीर्घ आदिका ग्रहण करेंगे । (अतः अक् संज्ञा होते समय ही ह्रस्वके साथ ही दीर्घ आदिको होगी ।)

(वा. ४) वर्णपाठमें प्रकृत परिभाषा के कारण ' ह्रस्वोंसे दीर्घ आदिका ग्रहण होगा ऐसा कहें तो वैसा यहाँ दीर्घ आदिका ग्रहण नहीं किया जा सकेगा । क्योंकि प्रकृत परिभाषा निकट वर्तमानकी है ।

अइउण् आदि सूत्र महेश्वरद्वारा किये जानेपर पाणिनिने ये सूत्र किये इसलिये ' अणुदित्० ' इस प्रकृत परिभाषाको आप निकट वर्तमानकी कहते हैं ?

न केवल वैसा ही माना जाय । सभी दृष्टियोंसे ही यह परिभाषा अइउण् आदि वर्णपाठकी अपेक्षा निकट वर्तमानकी है । प्रथमतः वर्णोंका अइउण् आदि उपदेश, उस उपदेशके बाद उस उपदेशके णकार आदिको इत्संज्ञा (१।१।३), इत्संज्ञा होनेपर इस इत्संज्ञाके ' आदिरन्त्येन सहेता ' (१।१।७१) से अच्, हल् आदि प्रत्याहार होते हैं । अच्, हल्, ये प्रत्याहार समझनेके बाद सवर्णसंज्ञा (१।१।९, १०) होती है । और सवर्णसंज्ञा होनेपर ' उन सवर्णोंका ग्रहण किया जाय ' ऐसा ' अणुदित्म-वर्णस्य चाप्रत्ययः ' इस प्रकृत परिभाषासे बनाया जानेवाला है । अतः वर्णोंका अइउण् आदि उपदेश होनेपर बहुत समयके बाद अस्तित्वमें आनेवाली इमलिये निकट वर्तमान-

वर्णानामुत्तमौ निमित्तत्वाय क्लायिष्यत इत्येतन्न ॥

तस्मादुपदेशः ॥ ५ ॥

तस्मादुपदेशः कर्तव्यः ॥

तत्रानुवृत्तिनिर्देशे सवर्णाग्रहणमनण्त्वात् ॥ ६ ॥

तत्रानुवृत्तिनिर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति । अस्य च्चौ [७.४.३२] यस्येति च [६.४.१४८] किं कारणम् । अनण्त्वात् । न हेतुः ऽणो ये ऽनुवृत्तिनिर्देशे । के तर्हि । ये ऽक्षरसमान्नाय उपदिश्यन्ते ॥ एवं तर्ह्यनण्त्वादनुवृत्तौ नानुपदेशाच्च प्रत्याहारे न । उच्यते चेदमणसवर्णान्नुह्णातीति । तत्र वचनाद्भविष्यति ॥

की यह प्रकृत परिभाषा अपने पहलेके अइउण् आदि वर्णपाठमें दीर्घ आदि सवर्णोंका ग्रहण करनेके काम आयेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

(वा. ५) अतः अइउण् आदि वर्णपाठमें दीर्घ आदिका उपदेश किया जाना चाहिए ।

(वा. ६) इस शास्त्रमें वर्णपाठकी ही तरह पाणिनिने जिस स्थानपर वर्णका स्वरूपसे निर्देश किया हो वहाँ याने 'अस्य च्चौ' (७।४।३२), 'यस्येति च' (६।४।१४८) में अ, इ, आदि उच्चारित वर्णोंसे प्रकृत परिभाषाके कारण जो अपने अपने सवर्णोंका ग्रहण हुआ करता है वह नहीं होगा ।

ययों भला ?

अनण्त्वात्, याने वे अ, इ आदि वर्ण अण् नहीं हैं इसलिए । 'अस्य च्चौ' आदि स्थानोंपर जो अ, इ आदि वर्ण उच्चारित गये हैं वे अइउण्के वर्णों जैसे उच्चारित हैं । परंतु वे अण् नहीं हैं ।

फिर किस स्थानके वर्णोंको अण् कहा जाय ?

अइउण् आदि वर्णपाठमें जो उच्चारित गये हैं वे अण् हैं (क्योंकि उस वर्णपाठमें ही अ से ण तक उच्चारित वर्णोंको अण् संज्ञा (१।१।७१) होती है ।)

तो फिर 'अस्य च्चौ' आदि स्थानोंपर अ आदि वर्ण यद्यपि उच्चारित गये हैं तो भी वे अण् होनेके कारण सवर्णोंका ग्रहण नहीं करते । और जो वर्णपाठके अ, इ, उ, आदि वर्ण अण् हैं वे 'अकः सवर्णे दीर्घः' (६।१।१०१) आदि स्थानोंपर अक आदि प्रत्याहार शब्दसे प्रतीत हुए तो भी वे वहाँ उच्चारित न होनेके कारण सवर्णोंका ग्रहण नहीं करते । और 'अण्से सवर्णोंका ग्रहण होता है' ऐसा तो यहाँ प्रकृत परिभाषासे बताया गया है । अतः इस परिभाषाकी सामर्थ्य के कारण 'अस्य च्चौ' इत्यादि स्थानोंपर अण् जैसे वर्णसे सवर्णोंका ग्रहण होगा ।

वचनाद्यत्र तन्नास्ति ।

नेदं वचनाल्लभ्यम् । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् । किम् । य एते प्रत्याहाराणामादितो वर्णास्तेः सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् ॥ एवं तर्हि

सवर्णे ऽणग्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणात् ॥ ७ ॥

सवर्णे ऽ णग्रहणमपरिभाष्यम् । कुतः । आकृतिग्रहणात् । अवर्णाकृतिरुपदिष्टा सा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति । तथेवर्णाकृतिः । तथोवर्णाकृतिः । ननु चान्याकृतिरकारस्याकारस्य च ।

अनन्यत्वाच्च ॥ ८ ॥

अनन्याकृतिरकारस्याकारस्य च ।

‘इस परिभाषाकी सामर्थ्यके कारण अण् जैसे वर्णसे सवर्णोंका ग्रहण होगा’ ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि परिभाषा व्यर्थ नहीं होती । जिस स्थानपर ये दोनों बातें नहीं हैं यानि प्रत्यक्ष अण् ही होनेके कारण अण्की तरह नहीं है और उच्चारित होनेके कारण अनुच्चारित भी नहीं है, उस स्थानपर इस प्रकृत परिभाषाका उपयोग होता है ।

वह क्यों ?

ये जो प्रत्याहारके पहले वर्ण हैं वे अण् ही हैं और उच्चारित भी हैं । उनमें अपने सवर्णोंका ग्रहण होना चाहिए । (अतः ऐसा अच्छा उपयोग इस परिभाषाका संभव होनेके कारण अण् जैसे स्थानपर यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होगी और ‘अस्य चो’ स्थानपर सवर्णोंका ग्रहण नहीं होगा ऐसा दोष आता है ।)

तो फिर—

(बा. ७) इस सवर्णग्राहक प्रकृत परिभाषामें अण् शब्द रखा ही न जाय ।

क्यों भला ?

जातिका ग्रहण क्रिया है इसलिये । ‘अस्य चो’ आदि स्थानोंपर ‘अस्य’ शब्दमें जो एक प्रकारकी अवर्णोंपरकी अन्वजाति दिलाई है वः उन जातिके सभी अवर्णोंका ग्रहण करेगी । वैसे ही ‘एनेकाचो०’ (६-४-८१) में इवर्णोंपरकी अन्वजाति सभी इवर्णोंका ग्रहण करेगी और ‘ओः सुपि’ (६-४-८२) में उवर्णोंकी अन्वजाति सभी उवर्णोंका ग्रहण करेगी ।

परंतु स्व ‘अ’ का आकार अत्रा और दीर्घि ‘आ’ का आकार अत्रा दीर्घता है न ?

(बा. ८) अ और आ इनमें जाति अत्रा नहीं है ।

अनेकान्तो ह्यनन्यत्वकरः ॥ ९ ॥

यो ह्यनेकान्तेन भेदो नासावन्यत्व करोति । तद्यथा । न यो गोत्व गोश्व भेदः सो ऽन्यत्व करोति । यस्तु खलु गोश्वश्वस्य च भेदः सो ऽन्यत्व करोति ॥

अपर आह । सर्वणैऽग्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वम् । सर्वणैऽग्रहणमपरिभाष्यम् । आकृतिग्रहणादनन्यत्व भविष्यति । अनन्याकृतिरकारस्था-कारस्य च । अनेकान्तो ह्यनन्यत्वकरः । यो ह्यनेकान्तेन भेदो नासावन्यत्वं करोति । तद्यथा । न यो गोश्व गोश्व भेदः सो ऽन्यत्व करोति । यस्तु खलु गोश्वश्वस्य च भेदः सो ऽन्यत्वं करोति ॥

तद्वच्च ह्यग्रहणेषु ॥ १० ॥

एव च कृत्वा ह्यग्रहणेषु सिद्धं भवति । श्लो श्लि [८२२६]
अवात्ताम् अवात्तम् अवात्त । यत्रैतन्नास्त्यणसवर्णान् गृह्णातीति । अनेकान्तो

(वा. ९) जो कुछ अ और आ इस प्रत्येक व्यक्तिके स्वरूपमें कुछ भेद दिखाई देता है उस भेदके कारण कुछ उनकी जातियोंमें अलगपन नहीं दिखाई देता है, जैसे बैलोंमें छोटा, बड़ा, स्थूल, कृश, इन भेदोंके कारण गोत्वजाति अलग नहीं होती । अब बैल और घोडे में जो भेद है उस भेदके कारण ही केवल उन जातियोंमें निरालापन पैदा होता है ।

इन वार्तिकोंकी योजना किसी औरने इस प्रकार की है ?

इस सर्वर्णग्राहक प्रकृत परिभाषामें अण् शब्द झिलकुल रखा ही न जाय । क्योंकि सभी अवर्णोंमें अत्वजाति एक होनेके कारण उस दृष्टिसे उन सभी अवर्णोंका ऐस्य माना जा सकेगा । अ और आ इनमें कहीं जाति अलग नहीं हुआ करती ।

जो कुछ अ और आ इस प्रत्येक व्यक्तिके स्वरूपमें थोडा भेद दिखाई देता है उस भेदके कारण कहीं उनकी जातियोंमें निरालापन नहीं आता । जैसे बैलों-बैलोंमें छोटा, बड़ा, स्थूल, कृश, इन भेदोंके कारण गोत्वजाति अलग नहीं होती । अब बैल और घोडे में जो भेद है उस भेदके ही कारण केवल उन जातियोंमें निरालापन पैदा होता है ।

(वा १०) और इसी प्रकार श्लोका निर्देश किया गया हो वहाँ भी इष्ट सिद्ध होता है, उदा०— 'श्लो श्लि' । (८।२।२६) यहाँ श्ल् शब्दसे श्लत्व जाति दिखाई जानेके कारण अवात्ताम्, अवात्तम्, अवात्त इन उदाहरणोंमें दो तकार एक साथ ही श्ल् शब्दसे लिये जा सकते हैं । और उनमेंसे सकारका लोप होता है । श्ल् अण् न होनेके कारण 'अण्से सवर्णोंका ग्रहण होता है' यह प्रकृत परिभाषा वहाँ नहीं आती । (और श्ल् शब्दसे श्लत्व जाति दिखाये बिना व्यक्ति को दिखाया

ह्यनन्यत्वकर इत्युक्तार्थम् ॥

द्रुतविलम्बितयोश्चानुपदेशात् ॥ ११ ॥

द्रुतविलम्बितयोश्चानुपदेशान्मन्यामह आकृतिग्रहणात्सिद्धमिति । यद्यं करयांचिद् वृत्तौ वर्णानुपदिश्य सर्वत्र वृत्ती भवति ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत् । किं तर्हीति ।

वृत्तिपृथक्त्वं तु नोपपद्यते ॥ १२ ॥

वृत्तेस्तु पृथक्त्वं नोपपद्यते ॥

तस्माच्च तपरनिर्देशात्सिद्धम् ॥ १३ ॥

तस्माच्च तपरनिर्देशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । क्रियत एतन्न्यास एव ।

गया है ऐसा कहा जाय तो अवाचाम् में दो तकारान्यक्ति एकसाथ झल शब्दसे नहीं दिसाये जा सकेंगे । झल शब्दसे झलत्व जाति दिखाई है ऐसा मान लिया जानेपर ही ये उदाहरण सिद्ध होते हैं ।) क्योंकि यह धातुका तकार, यह प्रत्ययका तकार इस भेदके कारण कहीं उनकी जातियोंमें निराठापन नहीं आता ऐसा अभी बताया गया है ।

(वा. ११) इसके सिवा 'घात्वादेः षः सः' (६।१।६४) 'णो नः' (६।१।६५) आदि सूत्रोंमें षः, णः, वर्ण मध्यमवृत्तिमें उच्चारये गये हैं ऐसा गृहीत माना जाय तो द्रुतवृत्तिमें या विलम्बित वृत्तिमें वे वर्ण उच्चारित न होनेके कारण सुनोति, नदति, इन उदाहरणोंके वे वर्ण अगर द्रुतवृत्तिमें या विलम्बित वृत्तिमें उच्चारये गये तो उनको वे कार्य नहीं होंगे, उससे हम ऐसा मानते हैं कि पाणिनिने षः, णः, जातिही ओ ध्यान देकर ही उच्चारये हैं क्योंकि किसी एकत्र वृत्तिमें भी वर्ण उच्चारण गया तो भी उससे सभी वृत्तियोंका निभेगा ऐसा ही पाणिनि मानते हैं ।

जातिपक्ष लेनेका यह उपयोग है सही ।

फिर आपका आगे क्या कहना है ?

(वा. १२) जातिपक्ष लिया जाय तो उच्चारणके समयमें कम अक्षिप्त मात्रा होनेके कारण प्रतीत होनेवाला वर्णोंका निराठापन कहीं भी आगे नहीं किया जा सकेगा । (अतः ऋस्व दीर्घ भेद भी निश्चय सिद्ध होगा और ऋस्व अकारके आगेके भिम् प्रत्ययको एम् आदेश (७।१।९) रामेः में जैमा होता है जैमा एतुय भिः में दीर्घ आकारके आगेके भिम प्रत्ययको भी होने लगेगा !

(वा. १३) अतः ऐसे स्थानपर उम ह्रस्व अकारके आगे तकार गणकर उच्चारण किया जाय ।

५. यह उच्चारण किया गया तो वही 'तारस्व'कारण्य' इत्य भगवः सूत्रसे देव्य ह्रस्वोंका ही ग्रहण होगा ।

अतो भिस ऐस् [७.१.९] इति ॥

तपरस्तत्कालस्य ॥ १ । १ । ७० ॥

अयुक्तो ऽयं निर्देशः तदित्यनेन कालः प्रतिनिर्दिश्यते तदित्ययं च वर्णः । तत्रायुक्तं वर्णस्य कालेन सह सामानाधिकरण्यम् ॥ कथं तर्हि निर्देशः कर्तव्यः । तत्कालकालस्येति । किर्मिदं तत्कालकालस्येति । तस्य कालस्तत्कालः । तत्कालः कालो यस्य सो ऽयं तत्कालकालः । तत्कालकालस्येति ॥ स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । उत्तरपदलोपो ऽत्र द्रष्टव्यः । तद्यथा । उष्ट्रमुखमिव मुख-मस्य सो ऽयमुष्ट्रमुखः । खरमुखः । एवं तत्कालकालस्तत्कालः । तत्कालस्येति ॥

ऐसे स्थानपर जानबूझकर अलग तकार लगाना आवश्यक नहीं । क्योंकि आचार्य पाणिनिने उस स्थानपर याने 'अतो भिस ऐस्' आदि सूत्रोंमें तकार लगाया ही है ।

(सू. ७०) जिस वर्णके पास, पीछे वा आगे तकारका उच्चारण किया हो वह वर्ण अपने समकाल सवर्णोंका ग्रहण करे । ह्रस्वोंमेंसे उदात्त, अनुदात्त इत्यादि छ. प्रकार आपसमें समकाल हैं । तथा दीर्घोंके छः प्रकार भी समकाल समझे जायें । परन्तु दीर्घ ह्रस्वोंके साथ समकाल नहीं होते । ह्रस्वका उच्चारण करनेके लिए जितना समय लगता है उससे दुगुना समय दीर्घोंके उच्चारणके लिए लगता है और प्लुतके उच्चारणके लिए तिगुना समय लगता है ।

इस सूत्रमें पाणिनिने जो 'तत्कालस्य' ऐसा पद रखा है वह ठीक नहीं ऐसा लगता है । क्योंकि उसमेंसे 'तत्' शब्दका 'काल' विशेष्य है । और 'तत्' शब्दसे परामर्श तो वर्णका होता है । अतः उस वर्णका कालके साथ ऐक्य होना असंभव है ।

तो फिर सूत्रमें कौनसा पद रखा जाना चाहिए ?

'तत्कालकालस्य' ऐसा पद रखना चाहिए ।

'तत्कालकालस्य' का अर्थ क्या है ?

उसका याने उस वर्णका जो काल याने उच्चारणका काल है वह तत्काल है ; वह तत्काल जिस वर्णका काल है वह वर्ण 'तत्कालकाल' है, उस तत्कालकाल वर्णका, ऐसा 'तत्कालकालस्य' का अर्थ है ।

तो फिर सूत्रमें वैया पद रखना चाहिए ।

वैया पद रखना आवश्यक नहीं । 'तत्कालस्य' ऐसा जो मूल पाणिनिने पद रखा है वह 'तत्कालकालस्य' इस अर्थका ही रखा गया है । तत्काल शब्दका जो कालशब्दसे बहुव्रीहि समास किया है उस तत्काल शब्दमें उत्तरपदका याने कालशब्द का लोप यहाँ किया है, जैसा उष्ट्रमुखकी तरह है जिमका मुख उसे 'उष्ट्रमुख' कहते हैं । 'खरमुख' शब्द भी वैया ही है । वैसे ही यहाँ तत्कालकाल करना है, अतः 'तत्काल' कहकर उसके आगे 'तत्कालस्य' यह षष्ठी प्रत्यय लगाया गया है । अथवा, जिन दो

अथवा साहचर्यात्ताच्छब्दं भविष्यति । कालसहचरितो वर्णो ऽपि काल एव ॥
किं पुनरिदं नियमार्थमाहोस्वित्प्रापकम् । कथं च नियमार्थं स्यात्कथं वा
प्रापकम् । यद्यत्राणग्रहणमनुवर्तते ततो नियमार्थम् । अथ निवृत्तं ततः प्रापकम् ॥
कश्चात्र विशेषः ।

तपरस्तत्कालस्येति नियमार्थमिति चेद्दीर्घग्रहणे स्वरभिन्नाग्रहणम् ॥ १ ॥

तपरस्तत्कालस्येति नियमार्थमिति चेद्दीर्घग्रहणे स्वरभिन्नानां ग्रहणं न
प्राप्नोति । केपाम् । उदात्तानुदात्तस्वरितानाम् । अस्तु तर्हि प्रापकम् ॥

प्रापकमिति चेद् ह्रस्वग्रहणे दीर्घप्लुतप्रतिषेधः ॥ २ ॥

प्रापकमिति चेद् ह्रस्वग्रहणे दीर्घप्लुतयोस्तु प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

पदायोंका निकट संबंध होता है उन पदायोंमेंसे एकका शब्द दूसरेको लगाया जाता है ।
वर्ण और उसके उच्चारणके कालका निकट संबंध होनेके कारण वर्णोंका परामर्श
करनेवाला तत् शब्द उस वर्णके उच्चारणकालके अर्थमें रखा गया है ऐसा समझा जाय ।

लेकिन क्या इस सूत्रसे नियम बताया है या विधि ?

नियम कैसे संभव होता है और विधि कैसे ?

अगर पूर्वसूत्रमेंसे अण् शब्दकी यहाँ अनुवृत्ति की तो यह नियम होगा, याने
अण्के पास तकार उच्चारण हो तो वहाँ पूर्वसूत्रसे प्राप्त सभी सवर्णोंका ग्रहण न करके
उसके जो तत्काल सवर्ण होंगे उन्हींका केवल ग्रहण किया जायगा । और अण् शब्दकी
अनुवृत्ति नहीं की तो यह विधि होगी और अण्के सिवा अन्यके पास तकार उच्चारण
हो वहाँ किन्हीं भी सवर्णोंका ग्रहण प्राप्त नहीं हुआ हो वहाँ उस तकारके बटपर तत्काल
सवर्णोंका ग्रहण किया जायगा ।

इन दोनोंमें अंतर क्या है ?

(वा. १) 'तपरस्तत्कालस्य' इस प्रकृतसूत्रमें अण्के विषयमें सवर्णग्रहणका
नियम किया है ऐसा कहा जाय तो जहाँ 'आतः' (६।१।६४) ऐसा दीर्घकी
तकार जोड़ा हो वहाँ सूत्रमें उच्चारित स्वरकी अपेक्षा अलग स्वरसे युक्त दीर्घका ग्रहण
नहीं होगा ।

अलग स्वरसे युक्त याने कैसे ?

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक इनमेंसे सूत्रमें जो उच्चारित किया
हो उगमे अलग ।

तो फिर इस सूत्रमें विधि की है वैसी ही रहने दें ।

(वा. २) विधि की है ऐसा कहा जाय तो ह्रस्वको तकार जोड़ा हो
वहाँ (७।१।९) पूर्वसूत्रमें दीर्घ और प्लुत का ग्रहण होने लगेगा उनका निषेध
करना चाहिए ।

विप्रतिषेधात्सिद्धम् ॥ ३ ॥

अणसवर्णान्गृह्णातीत्येतदस्तु तपरस्तत्कालस्येति वा तपरस्तत्कालस्येत्येत-
द्भवति विप्रतिषेधेन । अणसवर्णान्गृह्णातीत्यस्यावकाशः । ह्रस्वा अतपरा अणः ।
तपरस्तत्कालस्येत्यस्यावकाशः । दीर्घास्तपरा । ह्रस्वेषु तपरेषुभय प्राप्नोति ।
तपरस्तत्कालस्येत्येतद्भवति विप्रतिषेधेन ॥ यद्येव

द्रुताया तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानं कालभेदात् ॥ ४ ॥

द्रुताया तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानं कर्तव्यं तथा मध्यमाया
द्रुतविलम्बितयोस्तथा विलम्बिताया द्रुतमध्यमयो । किं पुनः कारणं न सिध्यति ।

उस स्थानपर निषेध करना आवश्यक नहीं । क्योंकि—

(वा ३) अत, इत् ऐसा ह्रस्वको तकार जोड़ा हो वहाँ 'अणसे अपने
सवर्णोंका ग्रहण होता है ।' ऐसा कहनेवाला पूर्वसूत्र प्राप्त होने दें । परतु वैसा 'तपर
स्तत्कालस्य' भी वहाँ प्राप्त होगा ही । अत उन दोनोंमें 'तपरस्तत्कालस्य' यह
प्रकृतसूत्र पूर्वसूत्रके परत्वके कारण ((१।४।२) बाग पहुँचायेगा । 'अण् से
सवर्णोंका ग्रहण होता है' ऐसा बतानेवाले पूर्वसूत्रका उपयोग ह्रस्वको तकार न जोड़ा
हो वहाँ होता है (उदा० 'अस्य च्चौ' (७।४।३२) में ह्रस्व अण् होनेके कारण
पूर्वसूत्र लागू होता है । तकार न जोड़नेके कारण यह प्रकृतसूत्र लागू नहीं होता ।)
वैसे ही 'तपरस्तत्कालस्य' इस प्रकृतसूत्रका उपयोग दीर्घको तकार जोड़ा हो वहाँ
होता है (उदा० 'आतो लोप इटि च' (६।४।६४) में दीर्घ अण् न होनेके कारण
पूर्वसूत्र लागू नहीं होता । तकार न जोड़नेके कारण प्रकृतसूत्र लागू होता है ।) अब
ह्रस्वको तकार जोड़ा हो वहाँ पूर्वसूत्र और प्रकृतसूत्र ये दोनों सूत्र उपस्थित होते हैं
उनमें 'तपरस्तत्कालस्य' से पूर्वसूत्रका परत्वके कारण बाध करके तत्काल सवर्णोंका
ही ग्रहण होता है ।

परत तत्काल सवर्णोंका ग्रहण हुआ तो—

कालभेदात् । ये हि द्रुताया वृत्तौ वर्णास्त्रिभागाधिक्रास्ते मध्यमायां ये मध्यमायां वर्णास्त्रिभागाधिक्रास्ते विलम्बितायाम् ॥

सिद्धं त्ववस्थिता वर्णा वक्तुश्चिराचिरवचनाद् वृत्तयो विशिष्यन्ते ॥ ५ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । अवस्थिता वर्णा द्रुतमध्यमविलम्बितासु । किं द्रुत-
स्तर्हि वृत्तिविशेषः । वक्तुश्चिराचिरवचनाद् वृत्तयो विशिष्यन्ते । वक्ता कश्चिदा-
श्वमिधायी भवति । आशु वर्णानमिधत्ते । कश्चिद्विरेण कश्चिच्चिरतरेण । तद्यथा ।
तमेवाध्वान कश्चिदाशु गच्छति कश्चिद्विरेण गच्छति । कश्चिच्चिरतरेण गच्छति ।
रथिः आशु गच्छत्याश्विनश्चिरेण ॥ पदातिश्चिरतरेण ॥ विषम उपन्यासः ।

कारण यह कि 'कालभेदात्' याने सूत्रके उस वर्णके उच्चारणका और उदाहरणके उसी वर्णके उच्चारणका काल कम अधिक हो रहा है। देखिए, द्रुत वृत्तिमें उच्चारित वर्ण ही अगर मध्यम वृत्तिमें उच्चारित किये तो वहाँ द्रुतवृत्तिकी अपेक्षा एक तिहाई समय अधिक लगता है। वैसे ही मध्यम वृत्तिमें उच्चारित वर्ण ही अगर विलंबित वृत्तिमें उच्चारित किये तो वहाँ मध्यम वृत्तिकी अपेक्षा एक तिहाई समय अधिक लगता है।

(वा. ५) यह सिद्ध होता है। सो कैसे ?

द्रुत वृत्ति, मध्यम वृत्ति और विलंबित वृत्ति इन तीनों वृत्तियोंमें वर्ण एक ही स्वरूपके होते हैं । (अर्थात् उनके कालमें कम अधिक मात्रा नहीं होती ।)

तो फिर इन तीनों वृत्तियोंमें समयमें फर्क कैसे होता है ?

एकाध बन्ता जल्द बोलनेवाला होता है। उसके बोलनेमें वर्ण जल्दी उच्चारते हैं। एकाध बक्ता उससे थोड़ा धीरे बोलता है। एकाध बक्ता उससे भी धीरे बोलता है और एकाध बक्ताको तो बोलनेके लिए बहुत अधिक समय लगता है, जैसे एक ही मार्गसे अनेक स्त्रेण जाते हैं, पर उनमें एकाध बहुत ही जल्द जाता है, एकाधको उससे थोड़ा अधिक समय लगता है, एकाधको उससे भी अधिक समय लगता है और एकाधको तो बहुत ही समय लगता है। गाड़ीमेंसे जानेवाला मनुष्य बहुत जल्दी जाता है। उसकी अपेक्षा घोड़ेपर सवार होकर जानेवालेको थोड़ा अधिक समय लगता है। पैदल चलनेवालेको उसमें भी अधिक समय लगता है और छोटे बच्चेको तो बहुत ही समय लगता है।

१ वर्णोंका जो मूलभूत निरय स्वरूप है वह निर्माण नहीं होता। व्यंग्यक ध्वनिके उच्चारणमें वह केवल अभिव्यक्त होता है। तत्र वृत्तिभेदक कारण व्यंग्यक ध्वनिके उच्चारणके कालमें फर्क हुआ तो भी उससे होनवाली वर्णके मूल स्वरूपकी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्तिका काल तीनों वृत्तियोंमें समान ही रहता है। बोलनेमें जो समय लगता है उसमें वर्णके उच्चारणके लिए कुछ समय जाता है और कुछ समय दो वर्णोंके उच्चारणके बीचमें क्षैप्यता है। अल्पन्त हीप्र मात्रा मात्रा ही तो भी दो वर्णोंके उच्चारणमें कमसे कम अल्पमात्रापरिमाणका समय क्षैप्यता ही है। वह ध्यानमें भी नहीं आता है।

अधिकरणमत्रान्वा व्रजतिक्रियायाः । तत्रायुक्तं यदधिकरणस्य वृद्धिहासौ
स्याताम् ॥ एवं तर्हि स्फोटः शब्दो ध्वनि शब्दगुणः । कथम् । भेर्याघातवत् ।
तद्यथा भेर्याघातः । भेरीमाहत्य कश्चिद्विशति पदानि गच्छति कश्चित्त्रिंशत्कश्चि-
च्चत्वारिंशत् । स्फोटश्च तावानेव भवति ध्वनिकृता वृद्धिः ॥

ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते ।

अल्पो महांश्च केषांचिदुभयं तत्स्वभावतः ॥

आदिरन्त्येन सहेता ॥ १ । १ । ७१ ॥

आदिरन्त्येन सहेतेत्यसंप्रत्ययः संज्ञिनो ऽनिर्देशात् ॥ १ ॥

आदिरन्त्येन सहेतेत्यसंप्रत्ययः । किं कारणम् । संज्ञिनो ऽनिर्देशात् । न

परंतु यह दृष्ट न्त ठीक लागू नहीं होता । क्योंकि मार्ग गमनक्रियाका केवल
अधिकरण है (वह कहीं उस गमनक्रियाके योगसे उत्पन्न नहीं होता ।) अतः गमनक्रियाके
भिन्न भिन्न प्रकारोंके कारण उस अधिकरणमें कमी वा अधिकता होना संभव ही नहीं होता ।
(और यहाँ उच्चारणक्रियासे वर्ण उत्पन्न होनेके कारण उस क्रियाके भिन्न भिन्न
प्रकारोंके वर्णके कारण उच्चारण कालमें कमअधिकता होना संभव है ।)

तो फिर यहाँ शब्द नित्य ही है (वह कहीं उच्चारणक्रियासे उत्पन्न नहीं
होता । उच्चारणक्रियासे उत्पन्न होनेवाली जो ध्वनि है वह उस नित्यशब्दकी
व्यंजक है ।

सो कैसे ?

जैसे नगाड़ा बजानेवाला आदमी नगाड़ा बजाकर चला जानेके बाद उस नगाड़े-
की जबतक ध्वनि सुनाई देनी है तबतक कोई बीस कदम चलता है, कोई तीस कदम
चलता है, तो कोई चालीस कदम (इस कारण उस ध्वनिमें कोई फर्क होता ही है सो
बात नहीं ।) वैसा यहाँ नित्य शब्द एकही स्वरूपका तीनों वृत्तियोंमें है । केवल ध्वनिके
भेदके कारण अधिक समय लगता है । ध्वनि और स्फोट (याने मूल नित्य शब्द) ये
शब्दके दो प्रकार हैं । उनमें ध्वनि किसीको छोटी, किसीको बड़ी प्रतीत होती है । ये
दोनों बातें उस ध्वनिके स्वभावपर निर्भर हैं । (मूल ध्वनिसे व्यक्त मूलका नित्य शब्द
सर्वत्र एक स्वरूपका ही होता है ।)

(सू. ७१) किसी वर्ण, प्रत्यय, धातु आदिका समुदाय इस तरह
ध्यानमें रखा जाय कि जिसका अन्त्य वर्ण इत्संज्ञक है । तदनन्तर उस
समुदायके पहले वर्णको प्रत्ययको वा धातुको वह अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण आगे
जोड़के जो शब्द सिद्ध होगा वह शब्द उस समुदायकी संज्ञा होती है ।

(वा. १) 'आदिरन्त्येन सहेता' इस प्रकृत सूत्रसे कहीं अर्थबोध नहीं होता ।
क्यों भला ?

हि सज्ञिनो निर्दिश्यन्ते ॥

सिद्धं त्वादिरिता सह तन्म यस्येति वचनात् ॥ २ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । आदिरन्त्येन सहेता गृह्यमाण स्वस्य च रूपस्य
ग्राहकस्तन्मध्याना तेति वक्तव्यम् ॥

संबन्धिशब्दैर्वा तुल्यम् ॥ ३ ॥ '

संबन्धिशब्दैर्वा तुल्यमेतत् । तद्यथा संबन्धिशब्दा मातरि वर्तितय पितरि
शुश्रूषितव्यमिति । न चोच्यते स्वस्या मातरि स्वस्मिन्पितरीति संबन्धाच्च गम्यते
या यस्य माता यश्च यस्य पितेति । एवमिहाप्यादिरन्त्य इति संबन्धिशब्दावेती ।
तत्र संबन्धादेतद्गन्तय य प्रत्यादिरन्त्य इति न भवति तस्य ग्रहण भवति स्वस्य
च रूपस्येति ॥

येन विधिस्तदन्तस्य ॥ १ । १ । ७२ ॥

इह कस्मान्न भवति । इको यणानि [६१७७] दध्यत्र मध्वत्र ।

‘सज्ञिनोऽनिर्दिशात्’ याने इस सूत्रद्वारा बतायी हुई सज्ञा जिन्हें करनी है
वे सज्ञी कौन है यह इस सूत्रमें बताया नहीं है इसलिए ।

(वा २) यह सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

अन्त्य इतसज्ञकके साथ उच्चरित आदि स्वयके स्वरूपकी और आदि और अन्त्य
इन दोनोंके बीचमें जो होंगी उनकी सज्ञा होती है ऐसा कहा जाय ।

(वा ३) अथवा सबकी शब्दोंकी तरह यहाँ समझा जाय, जैसे लोकमें ‘मोंके
सामने नम्रतासे व्यवहार किया जाय, पिताकी सेवा की जाय’ इस वाक्यमें मों, पिता
ये सबकी शब्द हैं । वहाँ अपनी मों, अपना पिता ऐसा न भी कहा हो तो भी उन
सबकी शब्दोंके बलपर जो जिसकी मों और जो जिसका पिता हो उसीको उन मा
पिताके विषयमें वैसा व्यवहार रखना चाहिये यह अपन आप मालूम हो जाता है ।
वैसे ही यहां भी आदि और अत्य ये सबकी शब्द हैं । उन उनके उन सबकोके कारण
ऐसा मालूम होता है कि ये आदि और अत्य जिसके हैं उन्हींकी वह सज्ञा होती है
और स्वयके स्वरूपकी भी सज्ञा होती है ।

(सू ७०) वर्ण, प्रत्यय आदि विशेषण यदि किसी भी विशेष्यका
दिया गया हो तो वहाँ तद्विशेषणान्त समुदायकी वट विशेषण सज्ञा लानी है
और अपनी भी सज्ञा होती है ।

इस प्रकृतसूत्रमें ‘इको यणानि’ (६।१।७७) में तदन्तविधि क्या नहीं होती ?

१ शब्दस्वरूपकी विशेष्य समझकर यह तदन्तविधिसे आगम ही ली है । इस
शब्दशास्त्रमें शब्दस्वरूप यह विशेष्य अध्याइन रूपमें सर्वत्र लिखा जा सकता है ।

अस्तु । अलो ऽन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य भविष्यति । नैव शक्यम् । ये ऽनेकाल आदेशास्तेषु दोषः स्यात् । एचो ऽपवायाव [६ १ ७८] इति । नैव दोषः । यथैव प्रकृतितस्तदन्तविधिर्भवत्येवमादेशतो ऽपि भविष्यति । तत्रैजन्त-स्यायायन्ता आदेशा भविष्यन्ति ॥ यदि चैवं क्वचिद्वैरूप्य तत्र दोषः स्यात् । अपि चान्तरङ्गबहिरङ्गे न प्रकल्पेयाताम् । तत्र को दोषः । स्योनः स्योना । अन्तरङ्गलक्षणस्य यणादेशस्य बहिरङ्गलक्षणो गुणो बाधकः प्रसज्येत । ऊनशब्द

अगर हुई तो इगतको याने इक् अतमें होनेवाले शब्दस्वरूपको यण् होता है ऐसा अर्थ होगा, और दध्यत्र, मध्वत्र में दधि, मधु, इन इगतोंको यण् प्राप्त होगा ।

वहाँ तदतविधि हुई तो होने दीजिए । 'अत्य अलके स्थानपर आदेश होता है' (१ १ ५२) इस परिभाषासे दधि, मधु, इनमेंसे अतिम इक्को यण् होगा ।

परन्तु ऐसा सब स्थानोंपर अतिम वर्णको ही आदेश करना ठीक नहीं । क्योंकि 'एचोयवायाव' (६ १ ७८) आदि सूत्रोंद्वारा जो अनेकाल आदेश बताये हैं वे सर्वादेश (१-१ ५५) होंगे ऐसा दोष आता है ।

यह दोष नहीं आता । क्योंकि जैसे एच् इस स्थानिके संबन्धमें तदतविधि होगी वैसे अय् आदि आदेशोंके सबधमें भी होगी । अतः एजत शब्दोंको अय् आदि अतमें होनेवाले शब्द आदेश होंगे । इसलिए एकारान्त शब्दको अय् आदि अतमें होनेवाला शब्द आदेश होता है वैसे ही ओ, ऐ, औ आदिके वारेमें समझा जाय ।

ऐसा होनेपर भी जिस एकाध स्थानपर रूपमें फर्क होगा वहाँ दोष आ ही जायगा । उदा० ब्रह्मेद्रः, ब्रह्मोदकम् । इसके सिवा बहिरंगभाव पहलेकी तरह कायम नहीं रहेगा ।

फिर उसमें दोष कौनसा ?

स्योनः स्योना में दोष आता है । यहाँ सिव् धातुसे न प्रत्यय और ऊठ (६-१ १९) करनेके बाद 'सिऊ न' ऐसी स्थिति होनेपर गुण (७।३।८६) बहिरंग होनेके कारण उसका बाध करके अतरगके कारण इकारको यण् (६।१।७७) होता है, वह अत्र उल्टा यण्का गुण बाधक होगा । क्योंकि ऊन शब्दके निमित्त यण् प्राप्त होता है, और उसमेंसे न शब्दके निमित्त गुण प्राप्त होता है (इसलिए यण् की अपेक्षा गुण ही

२ ' हरे एहि ' में ' हरे ' इस एकारान्त शब्दको जो अयन्त आदेश कर्तव्य है वह रामय् आदि अन्य कोई न किया जाय । वहाँ अत्यन्त सदृश ' हरय् ' यही आदेश ' स्याने-न्तरतम ' (१।१।५०) परिभाषासे होता है ।

३ यहाँ ' ब्रह्म ' इग अकारान्तके आगे ' इन्द्र ' यह अत्रादि होनेपर पूर्वपर इन दोनोंके स्थानमें ' ब्रह्मेद्र ' यह एकार गुण बीचमें होनेवाला आदेश होना चाहिये । परन्तु तद तविधि हुए ता गुणात् आदेश होनेके रूप सिगड जायगा ।

ह्याश्रित्य यणादेशो नशब्दमाश्रित्य गुणः ॥ अन्विधिश्च न प्रकल्पेत । यौः पन्थाः स इति ॥ तस्मात्प्रकृते तदन्तविधिरिति वक्तव्यम् । न वक्तव्यम् । येनेति करण एषा तृतीया । अन्येन चान्यस्य विधिर्भवति । तद्यथा । देवदत्तस्य समारां शरावैरोदनेन च यज्ञदत्तः प्रतिविधत्ते । तथा संग्रामं हस्यश्वरथपदातिभिः । एवमिहाप्यचा धातोर्गतं विधत्ते । अकारेण प्रातिपदिकस्येवं विधत्ते ॥

येन विधिस्तदन्तस्येति चेद्ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिप्रसङ्गः ॥१॥

येन विधिस्तदन्तस्येति चेद् ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिताप्रसङ्गः । ये ग्रहणोपाधयस्तेऽपि तदन्तोपाधयः स्युः । तत्र को दोषः । जतश्च प्रत्ययादसंयोग-

अंतरंग होता है ।) इसके अलावा अल्लके स्थानमें होनेवाले आदेश अब अल् अंतमें होनेवाले शब्दको होनेके कारण ' यौः पन्थाः सः ' में सुप्रत्ययका लोप (६-१-६८) यह अन्विधि कैसे सो नहीं बताया जा सकेगा । अतः विशेष्य उपस्थित हो वहाँ प्रकृतसूत्रमें तदंतविधि होती है ऐसा कहना चाहिए ।

बैसा कहना आवश्यक नहीं । इस प्रकृतसूत्रमें येन यह तृतीया करण अर्थमें की गई है (२-३-१८) करण याने साधन । एक साधनसे दूसरे किसीको विधि बताई जा सकती है, जैसे यज्ञदत्त थाली, भात, आदि साधनोंसे देवदत्तको भोज देता है । हाथी, घोड़े, रथ और पदाति आदि साधनोंसे युद्ध करता है इ० । वैसे इस शास्त्रमें आचार्य पाणिनि अच् साधनसे धातुको यत् प्रत्यय आगे करनेकी बताते हैं । (३-१-९७) वैसे ही अकार साधनसे प्रातिपदिकको इच् प्रत्यय आगे करनेकी बताते हैं (४।१।९५) । (अतः वहाँ अच्, अकार, ये साधन होनेके कारण वहाँ प्रकृत सूत्रसे तदन्तविधि होती है । ' इको यगचि ' आदि स्थानोंपर इको ही यण् विधि बनाई है । इक् साधनसे दूसरे किसीको यण बताया है ऐसा नहीं बताया जा सकता । क्योंकि बैसा यहाँ दूसरा कोई शब्द नज़र नहीं आता । निदान विशेष्य के बिना तदन्तविधि नहीं होती ऐसा सिद्ध होता है ।)

(वा. १) ' किसी भी विशेष्यको जिस विशेषणके योगसे कुछ कार्य बताया जाता है वह विशेषण तदंतकी संज्ञा होता है । ' ऐसा कहा जाय तो ' ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिताप्रसङ्गः ' याने सूत्रमें उच्चारित उस विशेषणको जो विशेषण लगाये हैं वे तदंतके विशेषण होंगे । '

किर बैसा हुआ तो दोष कौनसा है ?

' उनश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् ' (६।४।१०६) में ' असंयोगपूर्व यह जो उच्चारका विशेषण है वह अब उच्चारान्तका होगा । (क्योंकि प्रकृतसूत्रमें उच्चार उच्चारतकी संज्ञा होती है ।)

४. इस अन्विधिचा उपपादन पहले किया है; सू. ५९ टि. ५ देखिये ।

पूर्वात् [६-४-१०६] इत्यसंयोगपूर्वग्रहणमुकारान्तविशेषणं स्यात् । तत्र को दोषः । असंयोगपूर्वग्रहणेनेहैव पर्युदासः स्यात् । अक्षुहि तक्षुहीति । इह न स्यात् । आप्नुहि शक्नुहीति ॥ तथोदोष्ठचपूर्वस्य [७-१-१०२] इत्योष्ठच-पूर्वग्रहणमुकारान्तविशेषणं स्यात् । तत्र को दोषः । ओष्ठचपूर्वग्रहणेनेह च प्रसज्येत । संकीर्णमिति । इह च न स्यात् । निपूर्ताः पिण्डा इति ॥

सिद्धं तु विशेषणविशेष्ययोर्यथेष्टत्वात् ॥ २ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । यथेष्टं विशेषणविशेष्ययोर्योगो भवति । यावता यथेष्टमिह तावदुतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वादिति नासंयोगपूर्वग्रहणेनोकारान्तं विशेष्यते । किं तर्हि । उकार एव विशेष्यते । उकारो योऽसंयोगपूर्वस्तदन्तात् प्रत्ययादिति ॥ तथोदोष्ठचपूर्वस्येति नोष्ठचपूर्वग्रहणेन ऋकारान्तं विशेष्यते । किं

फिर वैसा होनेमें दोष कौनसा है ?

‘उकारके पूर्व संयोग हो तो अगले ही प्रत्ययका लोप नहीं होता ।’ यह जो ‘असंयोगपूर्व’ शब्दसे निरर्थक क्रिया है वह अब अक्षुहि में उकारान्तके, याने नु प्रत्ययके, पहले क्ष संयोग होनेके कारण वहीं होगा । और आप्नुहि, शक्नुहि, में ‘हि’ यद्यपि उकारके पूर्व संयोग हो तो भी उकारान्तके, याने नु प्रत्ययके, पूर्व संयोग न होनेके कारण नहीं होगा । अतः वहाँ हि प्रत्ययका लोप होने लगेगा ऐसा दोष आता है । वैसा ही ‘ओष्ठचपूर्वस्य’ (७।१।१०२) में ‘ओष्ठचपूर्व’ विशेषण ऋकारका न होकर ऋकारान्तका होगा ।

फिर वैसा हुआ तो दोष कौनसा है ?

दोष यह कि संकीर्ण में कृ, गृ, इन ऋकारान्तोंके पूर्व सम् उपसर्गाका मकार ओष्ठस्थानका वर्ण होनेके कारण ऋकारको उकार आदेश होने लगेगा और निपूर्ताः पिण्डाः में धातुके ऋकारके पूर्व पकार यद्यपि ओष्ठस्थानका वर्ण है, तो भी ऋकारान्तके मृ, पृ धातुओंके पूर्व ओष्ठस्थानका वर्ण न होनेके कारण ऋकारको उकार आदेश नहीं होगा ।

(वा. २) सो कैसे ?

विशेषण और विशेष्यका संबंध अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जैसा किया जा सकता है इस लिए । अमुक विशेषण अमुकका ही होगा ऐसा नियम कहीं भी न ममज्ञा जाय । अतः यह बात अपनी इच्छापर ही अगर निर्भर है तो ‘उत्तम प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्’ (६।४।१०६) में ‘असंयोगपूर्व’ विशेषण उकारान्तका नहीं करते, उकारका ही करते हैं । अर्थात् जिसके पूर्व संयोग नहीं है ऐसा उकार, तदन्त प्रत्ययके आगेके ‘हि’ प्रत्ययका लुप्त होता है ऐसा अर्थ होगा ।

तर्हि । ऋकार एव विशेष्यते । ऋकारो य ओष्ठचपूर्वस्तदन्तस्य धातोरिति ॥

समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः ॥ ३ ॥

समासविधौ प्रत्ययविधौ च प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ समासविधौ तावत् । द्वितीया त्रिणादिभिः समस्यते । कष्टश्रितः नरकश्रितः । कष्टं परमश्रित इत्यत्र मा भूत् ॥ प्रत्ययविधौ । नडस्यापत्यं नाडायनः । इह न भवति । सूत्रनटस्यापत्यं सौत्रनाडिः । किमविशेषेण । नेत्याह ।

उगिद्गर्णग्रहणवर्जम् ॥ ४ ॥

उगिद्ग्रहणं वर्णग्रहणं च वर्जयित्वा । उगिद्ग्रहणम् । भवती अतिभवती महती अतिमहती । वर्णग्रहणम् । अत इत् [४-१-९५] दाक्षिः प्राक्षिः ॥

‘उद्योष्ठचपूर्वस्य’ (७।१।१०२) में ‘ओष्ठस्थानका वर्ण जिसके पूर्व है ऐसा जो ऋकारान्त धातु यह समझकर ‘ओष्ठचपूर्व’ यह विशेषण ऋकारान्तका नहीं करते, ऋकारका ही करते हैं । अर्थात् ‘ओष्ठस्थानका वर्ण जिसके पूर्व है ऐसा ऋर्ण जिसके अन्तमें है वह धातु’ ऐसा अर्थ होगा ।

(वा. ३) समासविधायक शास्त्रमें और प्रत्ययविधायक शास्त्रमें प्रकृतसूत्रसे तदन्तविधि नहीं होती ऐसा निषेध बनाना चाहिए । उनमेंसे समासविधायक शास्त्रका उदाहरण—द्वितीयान्त पूर्वपदका जो श्रित आदि उत्तरपदके साथ बनाया हुआ (२।१।२४) तत्पुरुषसमास कष्टं श्रितः कष्टश्रितः, नरकं श्रितः नरकश्रितः, में होता है वैसा कष्ट परमश्रितः में श्रितान्त उत्तरपदके साथ नहीं होना चाहिए । प्रत्ययविधायक शास्त्रका उदाहरण—नड आदि शब्दोंसे अपत्य अर्थमें बताया हुआ (४।१।९९) फञ् प्रत्यय नडस्य अपत्यं नाडायनः में होता है वैसा सूत्रनटस्यापत्यं सौत्रनाडिः में नडशब्दान्तसे नहीं होना चाहिए ।

वया ‘यह तद्गतविधिका निषेध अमुक प्रकारके विशेषणके संबंधमें ही लिया जाय’ ऐसा विशेषण न मानकर सर्वसाधारणतया सभी विशेषणोंके संबंधमें लिया जाय ?

वैसा नहीं है ऐसा वार्तिककार कहते हैं ।

(वा. ४) उगित् ऐसा उच्चार हो या अ, इ आदि वर्ण उच्चारें हों तो उन्हें छोड़ अन्य विशेषणोंके संबंधमें वह निषेध लिया जाय । (अतः उगित् या वर्ण अगर विशेषण हो तो वहाँ वे तदन्त ही संज्ञा हो ही जायेंगे ।) उगित्का उदाहरण—उगित्त्वा (४।१।६) सूत्रसे बनाया हुआ ङीप् प्रत्यय भवती, महती में भवत्, महत्, इन उगित् प्रातिपदिकोंसे होता है वैसा अतिभवती, अतिमहती, में अतिभवत्, अतिमहत् इन उगित् अंतमें होनेवाले प्रातिपदिकसे भी होता है । वर्णग्रहणका उदाहरण अत इत् (४।१।९५) सूत्रसे ह्रस्व अकारसे अपत्य अर्थमें बताया इत् प्रत्यय दाक्षिः, प्राक्षि में दक्ष, प्लक्ष इस ह्रस्व अकारान्त प्रातिपदिकसे होता है ।

अस्ति चेदानीं कश्चित्केवलो ऽकारः प्रातिपदिकं यदर्थो विधिः स्यात् । अस्ती-
त्याह । अततेर्ङः अः तस्यापत्यम् अत इञ् इः ॥

अकृञ्श्रम्वतः सर्वनामाव्ययधातुविधावुपसंख्यानम् ॥ ५ ॥

अकृञ्वतः सर्वनामाव्ययविधौ श्रम्वतो धातुविधावुपसंख्यानं कर्तव्यम् ।
अकृञ्वतः । सर्वके विश्वके । अन्ययविधौ । उच्चकैः नीचकैः । श्रम्वतः ।
भिनत्ति छिनत्ति ॥ किं पुनः कारणं न सिध्यति । इह तस्य वा ग्रहणं भवति
तदन्तस्य वा । न चेदं तत्रापि तदन्तम् ॥

लेकिन क्यों जी, 'अत इञ्' में तदन्तविधि नहीं हुई तो उसके लिए उदाहरण
मिलने योग्य 'अ' यही केवल प्रातिपदिक है क्या ?

हे ऐसा कहते हैं । अत् धातुसे 'ङ' प्रत्यय करके अत् इस टी का लोप होनेपर केवल
'अ' इतना प्रातिपदिक तैयार होता है । इससे 'अत इञ्' से अपत्य अर्थमें इञ् प्रत्यय
किया जानेपर अस्य अपत्यम् इः ऐसा रूप होता है ।

(वा. ५) अकृञ् प्रत्ययसे युक्त शब्दस्वरूपको सर्वनामसंज्ञा और अव्ययसंज्ञा
होती है और श्रम् प्रत्ययसे युक्त शब्दस्वरूपको धातुसंज्ञा होती है ऐसा तत्तत् संज्ञा
वतानेवाले शास्त्रमें कहा जाय । सर्वके, विश्वके, में सर्व और विश्व इन शब्दोंके
अंतिम अकारके पूर्व अकृञ् (५।३।७१) याने अकृ प्रत्यय होनेकेबाद उस अकृञ्
प्रत्ययसे युक्त सर्वक, विश्वक इन शब्दस्वरूपोंको सर्वनामसंज्ञा होनेके कारण उसके
आगे जसु प्रत्ययको शी आदेश (७।१।१७) होता है । वैसे ही उच्चकैः, नीचकैः
में उच्चकैः, और नीचकैः इन शब्दोंके ऐस भागके पहले अकृञ् प्रत्यय होनेपर उस
अकृञ् प्रत्ययसे युक्त उच्चकैः, नीचकैः, इन शब्द स्वरूपोंको अव्ययसंज्ञा
(१।१।२७) होनेके कारण आगेके 'सु' प्रत्ययका लुक् (२।४।८२) होता है । वैसे ही
भिनत्ति, छिनत्ति में भिद् और छिद् धातुके इकारके आगे श्रम् याने न ऐसा प्रत्यय
होनेपर उस श्रम् प्रत्ययसे युक्त भिनद्, छिनद् शब्दस्वरूपोंको धातुसंज्ञा (१।२।११) होनेके
कारण अन्त्य उदात्त होना (६।२।१६२) आदि कार्य होते हैं ।

परंतु इन उदाहरणोंमें अकृञ् और श्रम् प्रत्यय होनेपर वे संज्ञाएँ उन्हें न होनेका
वया कारण होगा भला ?

कारण यह कि इस शास्त्रमें उच्चारित शब्दसे उसका याने स्वयंका ग्रहण होता
है और प्रकृतमूत्रसे तदन्तका ग्रहण होता है । सर्वनामसंज्ञा वताने समय गणमें सर्व, विश्व
ऐसे शब्द उच्चारें हैं । अकृञ् प्रत्ययसे युक्त सर्वक सर्वशब्द नहीं और सर्वशब्दान्त भी
नहीं । (अतः सर्वकको सर्वनामसंज्ञा नहीं होगी ।)

सिद्धं तु तदन्तान्तवचनात् ॥ ६ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । तदन्तान्तवचनात् । तदन्तान्तस्येति वक्तव्यम् । किमिदं तदन्तान्तस्येति । तस्यान्तस्तदन्तः । तदन्तो ऽन्तो यस्य तदिदं तदन्तान्तम् । तदन्तान्तस्येति ॥ स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । उत्तरपदलोपो ऽन द्रष्टव्यः । तद्यथा । उद्गुलमिष मुक्कमस्योद्गुलः । खरमुक्कः । एवमिहापि तदन्तो ऽन्तो यस्य तदन्तस्येति ॥

तदेकदेशविज्ञानाद्वा सिद्धम् ॥ ७ ॥

तदेकदेशविज्ञानाद्वा पुनः सिद्धमेतत् । तदेकदेशभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते । तद्यथा । गङ्गा यमुना देवदत्तेति । अनेका नदी गङ्गा यमुनां च प्रविष्टा गङ्गा-

(वा. ६ यह सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

तदन्तान्तवचनात् याने प्रकृतसूत्रमें 'तदन्तस्य' के स्थानपर 'तदन्तान्तस्य' कहा जाय ।

तदन्तान्तस्य याने क्या ?

उसका अंत वही तदन्त है । वह तदन्त जिसके अंतमें है वह तदन्तान्त शब्द-स्वरूप है । उस तदन्तान्तका विशेषणसे ग्रहण होता है ऐसा प्रकृतसूत्रका अर्थ है ।

तो फिर प्रकृतसूत्रमें वैसा याने तदन्तान्तस्य ऐसा कहना चाहिए ।

वैसा कहना आवश्यक नहीं । प्रकृतसूत्रमें जो तदन्तस्य शब्द उच्चारित है उसमें उत्तरपदका लोप हुआ है ऐसा समझा जाय । जिस प्रकार उद्गुलमिषी तरह जिसका मुस है उसे 'उद्गुलमुस' ऐसा न कहकर 'उद्गुल' ही कहते हैं, वैसे ही खरमुस कहते हैं, उसी प्रकार प्रकृतसूत्रमें भी तदन्त जिसका अंत है उसे 'तदन्तान्तका' न कहकर 'तदन्त' ऐसा कहा है, उस तदन्तका याने तदन्तान्तका विशेषणसे ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका अर्थ है ।

(वा. ७) या जो जिस शब्दमें प्रविष्ट होता है वह उस शब्दका एकदेश ही माना जानेके कारण यह सिद्ध होता है । क्योंकि जो जिस शब्दका एकदेश जैसा होता है वह उसी शब्दसे लिया जाता है । जैसे गंगा, यमुना, देवदत्ता आदि । गंगामें, यमुनामें अनेक नदियाँ जिसमें प्रविष्ट हुई हैं वे गंगा, यमुना ही ली जाती हैं वैसे ही

५. 'सर्व' शब्दसे 'सर्वे' जिसके अन्तमें है उस शब्दका ग्रहण होता है ऐसा न समझा जाय, किन्तु 'सर्वे' शब्दका जो अन्त अर्थात् अकार है वह जिसके अन्तमें है उस सर्वक शब्दका ग्रहण होना है । 'सर्वक' के अन्तमें 'सर्वे' शब्द नहीं है, पर 'सर्व' शब्दके अन्तका अकार 'सर्वक' शब्दके अन्तमें है ।

यमुनाग्रहणेन गृह्यते । तथा देवदत्तास्थो गर्भो देवदत्ताग्रहणेन गृह्यते ॥ विपम उपन्यास । इह केचिच्छब्दा अक्षपरिमाणानामर्थाना वाचका भवन्ति य एते सरयाशब्दा परिमाणशब्दाश्च । पञ्च सप्तत्येकेनाप्यपाये न भवन्ति । द्रोण खार्यादृक्मिति नैवाधिके भवन्ति न न्यूनैः । केचिद्यावदेव तद्भवति तावदेवाहुर्य एते जातिशब्दा गुणशब्दाश्च । तैल घृतमिति खार्यामपि भवन्ति द्रोणे ऽपि । शुक्लो नील कृष्ण इति हिमवत्यपि भवति वटकृणिकामात्रे ऽपि द्रव्ये । इमाश्चापि सज्ञा अक्षपरिमाणानामर्थाना क्रियन्ते ता केनाधिकस्य स्युः ॥ एव तर्ह्यार्याप्रवृत्तिर्ज्ञापयति तदेकदेशभूत तद्ग्रहणेन गृह्यत इति यदय नेदमद सोरको [७ १ ११] इति सककारयोरिदमदसो प्रतिषेध शास्ति । कथ कृत्वा ज्ञापकम् । इदमदसो कार्यमुच्यमान क प्रसङ्गो यत्सककारयो स्यात् ।

देवदत्तानामक स्त्रीके उदरमें गर्भ प्रविष्ट होनेपर उस गर्भ के साथ स्त्रीको देवदत्ता कहते हैं ।

यह दृष्टान्त ठीक नहीं । देखिए, कुछ शब्द नियतस्वरूपके ही वाचक होते हैं, उदाहरणार्थ, सख्याशब्द और परिमाणशब्द । पाँच, सात, इ० सरयाशब्दोंका प्रयोग एकाध कम होनेपर उतनेसे नहीं होता । वैसे ही द्राण (आधा मन), स्वारी (ढेठ मन) आढक (चार सेर), आदि परिमाणशब्दोंका प्रयोग कुछ कम अधिक होनपर उतनेसे नहीं किया जाता । कुछ शब्द ऐसे हैं कि वस्तु कम हो, अधिक हो, वह उस शब्दसे दिखाई जाती है, जैसा तेल, घी, ये जातिशब्द तेल, घी, वस्तुओंको दर्शाते हैं । फिर वे वस्तुएँ स्वारीभर हों या द्रोणभर । वैसे ही शुभ्र, नीला, काला ये गुणशब्द छोटी-बड़ी सभी वस्तुओंको दिखाते हैं, फिर वे वस्तुएँ हिमवान् पर्वत जैसी बड़ी हों या वग्धीज जैसी छोटी हों । इस शास्त्रमें सर्वनाम, अव्यय, धातु, सज्ञाएँ नियतस्वरूप ऐसे तत्तत् शब्दोंको बतायी होनेके कारण उस स्वरूपमें अकच् आदि प्रत्यय होकर कुछ अधिक वर्ग दिखाई देंगे तो वहाँ कारण कैसे होंगी ?

तो फिर जिस अर्थमें आचार्य पाणिनि 'नेदमदसोरको' (७ १ ११) इस ऐस् आदेशके निषेध बतानेवाले सूत्रमें 'अको' कहकर ककारस युक्त इदम और अदस् शब्दोंको उनसे हगतते हैं उससे वे एसा सूचित करते हैं कि 'जो जिस शब्दके एकदेश जैसा होता है वह उस शब्दसे ही लिया जाता है ।'

यह ज्ञापक कैसे बन जाता है भला ?

वह इस तरह, कि इदम और अदस् स्वरूपोंके शब्दोंको जो कुछ कार्य बताया है उस कार्यका, वे इदम, अदस् शब्द ककारसे युक्त होनेके कारण शब्दातपर माना जाय तो, वह। सवध भला कैसे संभव होगा ? परंतु आचार्य पाणिनि यही मानते हैं कि जो जिस शब्दके एकदेश जैसा होता है वह उसी शब्दसे लिया जाता है' और इसीलिए

पश्यति त्वाचार्यस्तदेकदेशभूतं तद्ग्रहणेन शुद्धत इति । ततः सङ्कारयोः प्रतिषेधं शास्ति ॥

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ।

प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम् ॥ ८ ॥

सर्वनामाव्ययसंज्ञायां प्रयोजनम् । सर्वे परमसर्वे विश्वे परमविश्वे । उर्ध्वः परमोर्ध्वः नीचैः परमनीचैरिति ॥

उपपदविधौ भयाह्यादिग्रहणम् ॥ ९ ॥

उपपदविधौ भयाह्यादिग्रहणं प्रयोजनम् । भयङ्करः अभयङ्करः । आढ्यं-करणम् स्वाढ्यंकरणम् ॥

ढीन्विभावुगिद्ग्रहणम् ॥ १० ॥

ढीन्विभावुगिद्ग्रहणं प्रयोजनम् । भवती अभिभवती । महती अतिमहती ॥

प्रतिषेधे स्वसादिग्रहणम् ॥ ११ ॥

प्रतिषेधे स्वसादिग्रहणं प्रयोजनम् । स्वसा परमस्वसा । दुहिता परमदुहिता ॥

‘अङ्कोः’ ऐसा कहकर वहाँ उतने ककारसे युक्त इद्म् और अद्स् शब्द जानबूझकर टालते हैं ।

परंतु अब इस प्रकृतसूत्रके उदाहरण कौनसे हैं भया ?

(वा. ८) सर्वनामसंज्ञा और अव्ययसंज्ञा जिन शब्दोंको बतायी है वे शब्द अंतमें होनेवाले ऐसे शब्दोंको भी वह संज्ञा होती है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है; उदा० सर्वे, परमसर्वे; विश्वे, परमविश्वे; उर्ध्वे; परमोर्ध्वे; नीचैः परमनीचैः ।

(वा. ९) उपपदविधिमेंसे भय (१।२।४२), आढ्य (६।२।५६), आदि शब्दोंसे तद्ग्रहण ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है; उदा०—भयङ्करः, अभयङ्करः, आढ्यंकरणम्, स्वाढ्यंकरणम् ।

(वा. १०) ढीप् प्रत्यय बतानेवाले शास्त्रमें (४।१।६) उगिद् शब्दसे तद्ग्रहण ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है । उदा० भवती, अभिभवती, महती, अतिमहती ।

(वा. ११) ढीप् प्रत्ययका निषेध बतानेशाने शास्त्र (४।१।१०) में स्वप् आदि शब्दोंसे तद्ग्रहण ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है । उदा०—स्वप्, परमस्वप्, दुहिता, परमदुहिता ।

१. अमुद् शब्द ठगद् हो तो अमुक् भाटुके आगे अमुद् प्रत्यय होता है ये जो विधि है उनको उग्यविधि कहते हैं । पाणिनि ने विधि ' कर्मण्य् ' (१।१।१) सूत्रमें ठगद् भागे करी है ।

अपरिमाणविस्तादिग्रहणं च प्रतिषेधे ॥ १२ ॥

अपरिमाणविस्तादिग्रहणं च प्रतिषेधे प्रयोजनम् । अपरिमाणविरताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि [४ १ २२] । द्विविस्ता द्विपरमविस्ता । त्रिविस्ता त्रिपरमविस्ता । द्याचिता द्विपरमाचिता ॥

दिति ॥ १३ ॥

दितिग्रहणं च प्रयोजनम् । दितेरपत्य दैत्यः अदितेरपत्यमादित्यः ॥ दित्यदित्यादित्य [४ १ ८५] इत्यदितिग्रहणं न कर्तव्यं भवति ॥

रोण्या अण् ॥ १४ ॥

रोण्या अण्यग्रहणं च प्रयोजनम् । आजकरोणः सैहकरोणः ॥

तस्य च ॥ १५ ॥

तस्य चेति वक्तव्यम् । रौणः ॥ किं पुनः कारणं न सिध्यति । तदन्ताच्च तदन्तविधिना सिद्ध केवलाच्च व्यपदेशिवद्भावेन । व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन ।

(वा १२) ' अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ' (४।१।२२) इस ङीप् प्रत्ययके निषेध बतानेवाले शास्त्रमें विस्त आदि शब्दोंसे तदतका ग्रहण होता है यह प्रकृत सूत्रका उपयोग है, उदा०—द्विविस्ता, द्विपरमविस्ता, त्रिविस्ता, त्रिपरमविस्ता, द्व्याचिता, द्विपरमाचिता, द्याचिता, त्रिपरमाचिता ।

(वा. १३) दिति शब्दसे तदतका ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है, उदा०—दितेः अपत्य दैत्यः, अदितेरपत्यम् आदित्यः । अतः दिति शब्दसे ही अदिति शब्दका ग्रहण होनेके कारण ' दित्यदित्यादित्य० ' (४।१।८५) सूत्रमें अलग अदिति शब्द रचना आवश्यक नहीं है ।

(वा १४) रोणी शब्दसे अण प्रत्यय बताया (४।२।७८) है वहाँ रोणी शब्दसे तदतका ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है, उदा०—आजकरोण, सैहिकरोण ।

(वा. १५) जिस शब्दसे तदतका ग्रहण होता है उस शब्दसे उसका याने स्वत का ग्रहण होता है ऐसा कहा जाय । उदा० रौणः ।

परतु यह उदाहरण सिद्ध न होनेका क्या कारण है भला ? देखिए प्रकृतसूत्रसे तदतविधि होनेके कारण तदतसे याने आजकरोणी आदि शब्दोंसे अण् प्रत्यय सिद्ध होता है । और केवल ' रोणी ' शब्दसे व्यपदेशिवद्भावसे अण् प्रत्यय सिद्ध होता है ।

' व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन ' याने प्रातिपदिकका उच्चारण किया हो वहाँ व्यपदेशिवद्भाव नहीं होता ऐसी परिभाषा है न ?

किं पुनः कारणं व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन । इह सूत्रान्तादुत्पद्यते दशान्ताद्धो भवतीति केवलादुत्पत्तिर्मा भूदिति । नैतदस्ति प्रयोजनम् । सिद्धमत्र तदन्ताच्च तदन्तविधिना केवलाच्च व्यपदेशिवद्भावेन । सोऽयमेव सिद्धे सति यदन्तग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः सूत्रान्तादेव दशान्तादेवेति । नात्र तदन्तादुत्पत्तिः प्राप्नोति । इदानीमेव ह्युक्तं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध इति ॥ सा तर्ह्येषा परिभाषा कर्तव्या । न कर्तव्या । आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेनेति यदयं पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च [५.२.८६, ८७] इत्याह । नैतदस्ति

परंतु 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' यह परिभाषा माननेका भी क्या कारण है ?

कारण यह कि सूत्रशब्दांतसे जो ठक् प्रत्यय बताया गया है (४।२।६०) वैसा ही दशान्तसे ढ प्रत्यय बताया गया है (५।२।४५) वह केवल सूत्रशब्दसे और केवल दशन् शब्दसे नहीं होना चाहिए ।

यह उस परिभाषाका उपयोग ठीक नहीं दिखाई देता । अगर यहाँ केवल सूत्र और दशन् शब्दसे वे प्रत्यय होंगे तो उन सूत्रोंमें पाणिनिने अंत शब्द ही न रखा होता । क्योंकि प्रकृतसूत्रसे तदंतविधि होनेके कारण तदंतसे वे प्रत्यय होंगे और केवल उन शब्दोंसे व्यपदेशिवद्भावसे वे प्रत्यय होंगे । अतः इस रीतिसे सिद्ध होते हुए जब कि आचार्य पाणिनि उन सूत्रोंमें अंत शब्द उच्चारित करते हैं, अतः वे ऐसा सूचित करते हैं कि यहाँ 'सूत्रशब्दांतसे ही ठक् प्रत्यय होता है और दशन्शब्दांतसे ही ढ प्रत्यय होता है ।' याने केवलसे नहीं होता ।

परंतु इन सूत्रोंमें अंत शब्द नहीं रखा गया तो तदंतसे वे प्रत्यय नहीं होंगे । क्योंकि 'समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः' ऐसा तदंतविधिक्रम निषेध वार्तिककारोंने अभी बताया है । (अतः इस प्रकार अंत शब्दका उपयोग होनेके कारण उसके बलपर 'तदंतसे ही प्रत्यय होता है, केवलसे नहीं ।' यह बात सिद्ध नहीं होती । इसलिए केवलसे प्रत्यय न होनेके लिए 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' परिभाषाकी आवश्यकता प्रतीत होती है ।)

तो फिर वह परिभाषा स्वतंत्र बताई जानी चाहिए ।

वैसी स्वतंत्र बतानेकी आवश्यकता नहीं । ये आचार्य पाणिनिजब कि 'पूर्वादिनिः (५।२।८६)' 'सपूर्वाच्च' (८।५।२।८७) ऐसे सूत्र करते हैं, तब वे 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन' परिभाषा सूचित करते हैं । (नहीं तो 'सपूर्वाच्च' से ही व्यपदेशिवद्भावकी सहायतासे केवल पूर्वशब्दसे इतिप्रत्यय सिद्ध होनेके कारण 'पूर्वादिनि.' सूत्र व्यर्थ होगा ।)

ज्ञापकम् । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् । किम् । सपूर्वात्पूर्वादिनिं वक्ष्यामीति । यत्तर्हि योगविभागं करोति । इतरथा हि पूर्वात्सपूर्वादिनिरित्येव ब्रूयात् ॥ किं पुनरयमस्यैव शेषस्तस्य चेति । नेत्याह । यच्चानुकान्तं यच्चानुक्रस्यते सर्वस्यैव शेषस्तस्य चेति ॥

रथसीताहलेभ्यो यद्विधौ ॥ १६ ॥

रथसीताहलेभ्यो यद्विधौ प्रयोजनम् । रथ्यः परमरथ्य । सीत्यम् परमसीत्यम् । हल्या परमहल्या ॥

सुसर्वार्धदिकशब्देभ्यो जनपदस्य ॥ १७ ॥

सुसर्वार्धदिकशब्देभ्यो जनपदस्य प्रयोजनम् । सुपाञ्चालकः सुमागधकः । सु ॥ सर्व । सर्वपाञ्चालकः सर्वमागधकः । सर्व ॥ अर्ध । अर्धपाञ्चालकः अर्धमागधकः । अर्ध ॥ दिक्शब्द । पूर्वपाञ्चालकः पूर्वमागधकः ॥

यह ज्ञापक ठीक नहीं । क्योंकि 'पूर्वादिनि.' कहनेका अलग उपयोग है ।

सो कौनसा ?

जिसके पूर्व दूसरा एकाध शब्द है ऐसे पूर्वशब्दसे इनि प्रत्यय 'सपूर्वाच्च' इस अगले सूत्रसे बताना है (अतः वहाँ अनुवृत्ति होनेके लिए 'पूर्वात् इनि.' ऐसा अके पहले ही कहना चाहिए ।)

तो फिर ये आचार्य पाणिनि जब कि 'पूर्वादिनिः' और 'सपूर्वाच्च' ये दो अलग अलग सूत्र करते हैं, तब वे यह परिभाषा सूचित करते हैं । नहीं तो उन्होंने 'पूर्वात्सपूर्वादिनि' यह एक ही सूत्र किया होता ।

लेकिन क्यों जी, यह जो वार्तिककारोंने 'तस्य च' ऐसा यहाँ कहा है वह केवल रोगी शब्दके ही सबधमें समझा जाय ?

वैसा नहीं । जो प्रकृतसूत्रके उदाहरण वार्तिककारोंने पहले दिखाये हैं वैसे ही वे आगे दिखाए जानेवाले हैं, उन सब स्थानोंपर 'तस्य च' ऐसा समझा जाय ।

(वा १६) 'यत्' प्रथम बतानेवाले शास्त्रमें रथ (४।४।७६), सीता (४।४।९१) और हल (४।४।९७) शब्दोंसे तदतका ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है, उदा०—रथ्यः, परमरथ्यः, सीत्यम्, परमसीत्यम्, हल्या, परमहल्या ।

(वा. १७) सु, सर्व, अर्ध और दिक् शब्दोंके आगे जो जनपदवाचक शब्द है, उसके अतके जनपदवाचक शब्दसे (४।४।१२५) ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है। सुशब्दका उदाहरणः—सुपाञ्चालक, सुमागधक., सर्वशब्दका उदाहरण—सर्वपाञ्चालकः, सर्वमागधक., अर्धशब्दका उदाहरण—अर्धपाञ्चालकः, अर्धमागधकः, दिक् शब्दका उदाहरण—पूर्वपाञ्चालकः, अपरपाञ्चालकः पूर्वमागधक., अपरमागधक ।

ऋतोर्द्विमाद्विधाववयवानाम् ॥ १८ ॥

ऋतोर्द्विमाद्विधाववयवानां प्रयोजनम् । पूर्वशारदम् अपरशारदम् ।
पूर्वनेदावम् अपरनेदावम् ॥

ठञ्चिधौ संख्यायाः ॥ १९ ॥

ठञ्चिधौ संख्यायाः प्रयोजनम् । द्विपाठिकम् पञ्चपाठिकम् ॥

धर्मान्नत्रः ॥ २० ॥

धर्मान्नत्रः प्रयोजनम् । धर्मं चरति धार्मिकः अधर्मं चरत्याधार्मिकः ।
अधर्माच्चेति न वक्तव्यं भवति ॥

पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च ॥ २१ ॥

पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम् ॥ पदाधिकारे किं
प्रयोजनम् ।

प्रयोजनमिष्टक्रेपीकामालानां चित्तूलभारिषु ॥ २२ ॥

इष्टकचितं चिन्वीत पकेटकचितं चिन्वीत । इपीकतूलेन मुञ्जेपीकतूलेन ।

(वा. १८) वृद्धिके लिए कारणीभूत प्रत्यय वतानेवाले (४।३।१६) शास्त्रमें ऋतुवाचक शब्दसे तदंतका ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है । केवल उस तदंत शब्दमें ऋतुवाचक शब्दके पीछेके पूर्वपद ऋतुके कुछ भागका निर्दर्शक होना चाहिए, उदा० पूर्वशारदम्, अपरशारदम्; पूर्वनेदावम्, अपरनेदावम् ।

(वा. १९) ठञ् प्रत्यय कर्तव्य होनेपर संख्यावाचक शब्दसे तदंतका ग्रहण होता है (५।१।५८) यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है । उदा०— द्विपाठिकम्, पञ्चपाठिकम् ।

(वा. २०) नञ्के आगे जो धर्मशब्द है, उस धर्मशब्दसे (४।४।४१) तदंतका ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है; उदा०—धर्मं चरति धार्मिकः; अधर्मं चरति अधार्मिकः । 'धर्मं चरति' (४।४।४१) सूत्रपर वार्तिककारने जो 'अधर्माच्च' ऐसा कहा है वह अब कहना आवश्यक नहीं ।

(वा. २१) पदाधिकारमें और अंगाधिकारमें, सूत्रमें उच्चरित शब्दसे उल्लङ्घयाने स्वतःका और वह शब्द जिसमें उत्तरपद है ऐसे तदंतका ग्रहण होता है ऐसा कहा जाय ।

ऐसा कहनेका पदाधिकारमें उपयोग कौनसा है ?

(वा. २२) 'इष्टक्रेपीकामालानां चित्तूलभारिषु' (६।३।६५) शास्त्रमें इष्टका आदि शब्दोंसे उनका याने स्वतःका और वे इष्टका आदि शब्द जिनमें उत्तरपद है ऐसे तदंत शब्दोंका ग्रहण होता है यह उसका उपयोग है । उदा०—इष्टकचितं चिन्वीत,

मालभारिणी कन्या उत्पलमालभारिणी कन्या ॥ अङ्गाधिकारे किं प्रयोजनम् ।

महदप्स्वसृनप्तृणां दीर्घविधौ ॥ २३ ॥

महदप्स्वसृनप्तृणां दीर्घविधौ प्रयोजनम् ॥ महान् परममहान् । महत् ॥ अप् । आपस्तिष्ठन्ति स्वापस्तिष्ठन्ति । अप् ॥ स्वसृ । स्वसा स्वसारौ स्वसारः परमस्वसा परमस्वसारौ परमस्वसारः । स्वसृ ॥ नप्तृ । नप्ता नप्तारौ नप्तारः । एव परमनप्ता परमनप्तारौ परमनप्तारः ॥

पद्युष्मदस्मदस्थपाद्यनडुहो नुम् ॥ २४ ॥

पद्भावः प्रयोजनम् । द्विपदः पश्य । अस्ति चेदानी कश्चित्केवलः पाच्छब्दो यदर्थो विधिः स्यात् । नास्तीत्याह । एवं तर्ह्यङ्गाधिकारे प्रयोजनं नास्तीति कृत्वा पदाधिकारस्येदं प्रयोजनमुक्तम् । हिमकापिहितिषु च [६.३.५४] यथा पत्कापिणौ पत्कापिण एवं परमपत्कापिणौ परमपत्कापिणः । यदि तर्हि पक्वेष्टकचित् चिन्वीत, इपीकृतूलेन, मुञ्जेवीकृतूलेन; मालभारिणी कन्या, उत्पलमालभारिणी कन्या ।

अङ्गाधिकारमें उसका उपयोग कौनसा है ?

(वा. २३) दीर्घ बतानेवाले शास्त्रमें महत् (६।४।१०) अप्, स्वसृ और नप्तृ (६।४।११) शब्दोंसे उनका याने स्वतःका और वे महत् आदि शब्द जिनमें उत्तरपद है ऐसे तदंत शब्दोंका ग्रहण होता है यह उसका उपयोग है, महत् शब्दका-महान्, परममहान् । अप् शब्दका उदाहरण-आपस्तिष्ठन्ति, स्वापस्तिष्ठन्ति । स्वसृ शब्दका उदाहरण-स्वसा स्वसारौ स्वसारः, परमस्वसा, परमस्वसारौ, परमस्वसारः । नप्तृ शब्दका उदाहरण-नप्ता नप्तारौ नप्तारः, वैसे ही परमनप्ता, परमनप्तारौ, परमनप्तारः ।

(वा. २४) पद आदेश जिसे बताया वह याने पाद् (६।४।१३०) या पाद (६।६।५४) शब्द, वैसे ही युष्मद, अस्मद, (७।१।९३) और अस्थि आदि शब्द (७।१।७५), नुम् आगम बतानेवाले शास्त्रके (७।१।८२) अनडुह शब्द इन शब्दोंसे उनका याने स्वयंका और वे शब्द जिनमें उत्तरपद है ऐसे तदंत शब्दोंका ग्रहण होता है यही उसका उपयोग है । उनमेंसे पद् आदेशका उदाहरण-द्विपदः पश्य ।

परतु केवल पाद यह एक शब्द ही है कि पाद शब्दसे तदंतका ग्रहण न होनेपर भी पद् आदेश बतानेवाला शास्त्र उसके काम आयेगा ?

वैसा केवल पाद यही एक शब्द नहीं, अब पद् आदेश बतानेवाले उस शास्त्रके (६।४।१३०) बलपर ही 'द्विपदः' में पद् आदेश सिद्ध होनेके कारण उस वार्तिकमें पद् कहनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता, ऐसा कहे तो अङ्गाधिकारके पद् आदेशके संबंधमें उसका उपयोग नहीं होता इसलिए पदाधिकारके पद् आदेशके संबंधमें वार्तिककारने पद् ऐसा कहा है ऐसा समझ लें । उदा०- 'हिमकापिहितिषु च' (६।३।५४) से बताया हुआ पद् आदेश जैसा पत्कापिणौ पत्कापिणः में होता है वैसा परमपत्कापिणौ परमपत्कापिणः में भी होता है ।

पदाधिकारे पादस्य तदन्तविभिर्भवति पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु [६-३-५२]
यथेह भवति पादेनोपहनं पदोपहतम् । अत्रापि स्यात् । दिग्वादेनोपरतं दिग्-
पादोपहतमिति । एवं तर्क्षज्ञाधिकार एव प्रयोजनम् । ननु चोक्तं नास्ति केवलः
पाच्छब्द इति । अयमस्ति पादयतेरप्रत्ययः पात् । पदा पदे । पद् । युष्मद्
अस्मद् । यूयम् वयम् अतियूयम् अतिवयम् ॥ अस्थ्यादि । अस्थ्ना दक्षा
सस्थ्ना परमास्थ्ना परमदक्षा परमसस्थ्ना ॥ अनुट्टुहो नुम् । अनट्टान्
परमानट्टान् ॥

दुपथिमथिपुंगोसखिचतुरनट्टुत्त्रिग्रहणम् ॥ २५ ॥

दुपथिमथिपुंगोसखिचतुरनट्टुत्त्रिग्रहणं प्रयोजनम् । द्योः सुयोः । पन्थाः
सुपन्थाः । मन्थाः सुमन्थाः परममन्थाः । पुमान् परमपुमान् । गौः सुगौः ।
सग्वा सखायौ सखायः सुसग्वा सुसखायौ सुसखायः परमसखा परमसखायौ
परमसखायः । चत्वारः परमचत्वारः । अनट्टाहः परमानट्टाहः । त्रयाणाम् परम-
त्रयाणाम् ॥

अगर वार्तिकके पदशब्दसे पदाधिकारका पद् आदेश लेकर वहाँ 'पादस्य
पदाज्यातिगोपहतेषु' (६।३।५२) इस पिठले सूत्रमेंसे अनुवृत्त पाठ शब्दसे तदंतका
ग्रहण किया तो पिठले सूत्रमें भी पादशब्दसे तदंतका ग्रहण होगा । और जैसा पादेन
उपहतं पदोपहतम् में पाद शब्दको पद् आदेश होता है वैसा दिग्वादेन उपहत दिग्-
पादोपहतम् में भी होने लगेगा ।

तो फिर वार्तिककारोंने पद् शब्दसे अंगाधिकारके पदको ही आदेश लेकर उपयोग
बनाया है ऐसा माना जाय ।

परंतु 'केवल पाद् यही शब्द नहीं' ऐसा उसपर कहा था न ।

कहा था सही, परंतु केवल पाद् यही शब्द है । यदि इस गिचप्रत्ययान्त पद
पाठमें क्विप प्रत्यय करनेपर गिच प्रत्ययका लोप (६।४।११) होकर पाद् शब्द मिट
होता है । उभे पद् आदेश (६।४।११) होकर पद् पदा पदे ऐसे रूप होते हैं । युष्मद्
अस्मद् शब्दोंके उदाहरण—यूयम्, वयम्, परमयूयम्, परमवयम् । अस्थि आदि शब्दोंके
उदाहरण—अस्थ्ना, दग्वा, सस्थ्ना, परमास्थ्ना, परमदग्वा, परमसस्थ्ना । नुम् आदि
वचनेवाले शास्त्रके अनुट्टुह शब्दका उदाहरण—अनट्टान्, परमानट्टान् ।

(वा. २५) दिव (७।१।८४), पथिन्, मथिन् (७।१।८५), पुमम्
(७।१।८९), गो (७।१।९०), मथि (७।१।९२), चतुर, अनट्ट (७।१।९८)
आदि त्रि (७।१।५३) इन शब्दोंमें उनका यने स्वनका और त्रि आदि शब्द त्रिमें
उत्तरपद है ऐसे तदंत शब्दोंका ग्रहण होता है यही उसका उदाहरण है, उदा.—द्योः
सुयोः, पन्थाः सुपन्थाः, मन्थाः परममन्थाः, पुमान् परमपुमान्, गौः सुगौः; सग्वा
सखायौ सखायः, सुसग्वा सुसखायौ सुसखायः, परमसखा परमसखायौ परमसखायः, चत्वारः
परमचत्वारः, अनट्टाहः परमानट्टाहः, त्रयाणाम् परमत्रयाणाम् ।

त्यदादिविधिभस्त्रादिस्रीग्रहणं च ॥ २६ ॥

त्यदादिविधिभस्त्रादिस्रीग्रहणं च प्रयोजनम् । सः अतिसः । भस्त्रका भस्त्रिका निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका बहुभस्त्रका बहुभस्त्रिका । स्रीग्रहणं च प्रयोजनम् । स्त्रियौ स्त्रियः राजस्त्रियौ राजस्त्रियः ॥

वर्णग्रहणं च सर्वत्र ॥ २७ ॥

वर्णग्रहणं च सर्वत्र प्रयोजनम् । क सर्वत्र । अङ्गाधिकारे चान्यत्र च । अन्यत्रोदाहृतम् । अङ्गाधिकारे । अतो दीर्घो यत्रि सुप्ति च [७.३.१०१.१०२] इहैव स्यात् आम्भ्याम् । घटाभ्यामित्यत्र न स्यात् ॥

प्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्याः ॥ २८ ॥

प्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्याः प्रयोजनम् । यत्रिजोः फग्भवति । गार्ग्यायणः वात्स्यायनः परमगार्ग्यायणः परमवात्स्यायनः ; अपञ्चम्या इति किमर्थम् । ष-

(वा. २६) त्यदादीनामः (७।२।१०२) के त्यद् आदि शब्द, भस्त्रा आदि शब्द (७।३।४७) और स्रीशब्द (६।४।७९) से उनका याने स्वर्यका और वे त्यद् आदि शब्द जिनमें उत्तरपद हैं ऐसे तदन्तशब्दोंका ग्रहण होता है यह भी उसका उपयोग है; उदा.—सः अतिसः । भस्त्रका भस्त्रिका, बहुभस्त्रका बहुभस्त्रिका, निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका । वेसे ही स्रीशब्दसंबन्धमें भी उपयोग होता है स्त्रियौ स्त्रियः, राजस्त्रियौ राजस्त्रियः ।

(वा. २७) वर्णका उच्चारण किया हो वहाँ उस वर्णसे तदन्तका ग्रहण होता है यह उपयोग सब स्थानोंपर ही है ।

सब स्थानोंपर कहीं ?

अङ्गाधिकारमें ही केवल नहीं तो अन्य स्थानोंपर भी । उनमेंसे अन्य स्थानका उदाहरण ' अत इत् ' पहले ही बताया है । अब अङ्गाधिकारके वर्णग्रहणका उदाहरण बताना है—' अतो दीर्घो यत्रि ' (७।३।१०१) सूत्रमें से अतः की अनुवृत्ति ' सुप्ति च ' (७।३।१०२) में होती है । उस अतः से याने ऋस्व अकारसे अग्रे तदन्तका ग्रहण नहीं हुआ तो आम्भ्याम् यही केवल उस सूत्रसे दीर्घ होगा । घटाभ्याम् में नहीं होगा ।

(वा. २८) प्रत्ययका उच्चारण जहाँ किया हो वहाँ उस प्रत्ययसे तदन्तका ग्रहण होता है यह प्रकृतसूत्रका उपयोग है । केवल वहाँ उस प्रत्ययपर किसी भी पञ्चम्येत् पदका अन्वय न हो । ' यत्रिजोः ' (४।१।१०२) से फक् प्रत्यय बताया है । वहाँ यत्र, इत्र इन प्रत्ययोंसे तदन्तका ग्रहण किया जानेके कारण गार्ग्यायणः, वात्स्यायनः, परमगार्ग्यायणः परमवात्स्यायनः इन उदाहरणोंमें गार्ग्य, वात्स्य इन यत्र-

८. ' गर्ग ' , ' वत्स ' शब्दोंके आगे गोत्रापत्य अर्थमें ' यत्र ' प्रत्यय (४।१।१०५) किया है । ' वत् '—प्रद्वयान्त ' गार्ग्य ' , ' वात्स्य ' शब्दोंके आगे सुवापत्य अर्थमें ' फक् ' प्रत्यय होके उसको ' आम्भ्याम् ' आदेश (७।१।२) हुआ है । जहाँ प्रत्ययमें तदन्तका ग्रहण

त्तीर्णा परिपत्तीर्णा ॥

अलैवानर्थकेन नान्येनानर्थकेनेति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । हन्ग्रहणे
प्रीहन्ग्रहणं मा भूत् । उद्ग्रहणे गर्मुद्ग्रहणम् । स्त्रीग्रहणे शस्त्रीग्रहणम् । संग्रहणे

प्रत्ययान्त शब्दोंसे फक् प्रत्यय होता है । वैसे ही दाक्षायणः, परमदाक्षायणः, उदाहरणोंमें
दाक्षि इस इञ् प्रत्ययान्त शब्दसे फक् प्रत्यय होता है ।

‘उस प्रत्ययपर किसी भी पंचम्यंतपदका अन्वय न हो’ ऐसा क्यों कहा है ?

द्वेषत्तीर्णा, परिपत्तीर्णा में दोष न आये इसलिए वैसा कहा गया है ।

विशेषणसे तदंतका ग्रहण होता है, पर वह इस तदंत शब्दका अंतिम भाग
अनर्थक न हो । केवल एक वर्णसे जहाँ तदंतका ग्रहण होता है वहाँ केवल ‘वह उस
तदंत शब्दोंका अंतिम वर्ण अनर्थक हुआ तो भी च्ल सकता है ।’ ऐसा कहना
चाहिए ।

इसका क्या उपयोग है ?

उपयोग यह कि इन् (६।४।१२) शब्दसे तदंतका ग्रहण हुआ तो भी
‘प्रीहन्’ इस तदंतशब्दका ग्रहण न हो; वैसे ही ‘उद्’ (८।४।६१) शब्दसे
‘गर्मुद्’ इस तदंत शब्दका ग्रहण न हो; ‘स्त्री’ (६।४।६९) शब्दसे ‘शस्त्री’
इस तदंतशब्दका ग्रहण न हो; ‘सम्’ (६।१।१२७) शब्दसे ‘पायसम्’ इस
तदंतशब्दका ग्रहण न हो ।

होता है वहाँ उस प्रत्ययान्त शब्दमें चाहे कितने शब्दस्वरूपका ग्रहण नहीं । केवल वह प्रत्यय
किसके आगे दिया है वह आदि उस शब्दस्वरूपका होना चाहिए । इसी अर्थसे ‘प्रत्यय-
ग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्’ परिभाषा है । तब ‘परमगागर्वायम.’
में भी परमगागर्वाय यस्प्रत्ययान्त नहीं लिया जा सकता है । ‘गागर्वा’ ही यस्
प्रत्ययान्त है । अतः वहाँ भी गागर्वाके आगे ही ‘क्’ प्रत्यय हुआ है । यदि ‘परम-
गागर्वा’ के आगे फक् प्रत्यय हुआ होता तो उसके आदि ‘थप’ ही इति (७।२।११७)
कोर परमगागर्वायण यह विनियम रू हो जाता ।

पायसं करोतीति मा भूत् ॥ किमर्थमिदमुच्यते न पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तर-
पदस्य चेत्येव सिद्धं न चेदं तत्रापि तदुत्तरपदम् । तत्र वक्तव्यं भवति ॥ किं
पुनरत्र ज्यायः । तदन्तविविरेव ज्यायान् । इदमपि सिद्धं भवति । परमाति-
महान् । एतद्धि नैव तत्रापि तदुत्तरपदम् ॥ अनिनस्मन्ग्रहणानि चार्थवता चानर्थ-
केन च तन्दतविविं प्रयोजयन्ति । अन् । राज्ञेत्यर्थवता साम्नेत्यनर्थकेन । अन् ॥
इन् । दण्डीत्यर्थवता वाग्मीत्यनर्थकेन । इन् ॥ अस् । सुपया इत्यर्थवता

परंतु 'अलैवानर्थकेन०' यह अलग वचन किसलिए करना चाहिए भला ?

वैसा अलग वचन करना आवश्यक नहीं । 'पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य
च' इस पहलेके वार्तिकसे ही ये उदाहरण सिद्ध होते हैं । क्योंकि 'प्लीहन्' ये हन् भी
नहीं और प्लीहन्का हन् उत्तरपद भी नहीं । इसी तरह अन्य स्थानोंपर भी समझा जाय ।

परंतु 'अलैवानर्थकेन०' वचन करनेपर 'पदाङ्गाधिकारे०' वार्तिक करना
आवश्यक नहीं । (तात्पर्य दोनोंमेंसे कोई एक तो करना चाहिए ।)

अब इन दोनोंमें कौनसा एक क्रिया जाय भला ?

'अलैवानर्थकेन०' से परोक्षरूपसे तदंतविवि कहना अच्छा । क्योंकि महत्
(६।४।१०) शब्दसे परोक्ष रूपसे तदंत शब्दस्वरूपका ग्रहण होनेके कारण परमाति-
महान् यह उदाहरण सिद्ध होता है । ('पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च' यह
वार्तिक लेनेसे यहाँ दीर्घ नहीं होगा ।) क्योंकि 'परमातिमहत्' यह महत् शब्द नहीं
है और उसमें महत् शब्द उत्तरपद भी नहीं ।

, अन् (६।४।१२४), इन् (६।४।१२), अस् (६।४।१४) और मन्
(४।१।११) इन शब्दोंसे तदंतका ग्रहण होता है वहाँ उस तदंत शब्दसे जो अन्,
इन्, अस् और मन् यह अंतिम भाग है वह चाहे अर्थवान् हो या अनर्थक, किसी भी
प्रकारका चल सकता है । अन् का उदाहरण—राज्ञा । यहाँ राजन् शब्दका अन्
(उणा. १।१५४) अर्थवान् है । साम्ना में सामन् शब्दका अन् (उणा. ४।१५२)
अनर्थक है । (दोनों स्थानोंपर उसके अकारका लोप (६।४।१२४) होता है ।) इन्
का उदाहरण—दण्डी में दण्ण्डन् शब्दका इन् अर्थवान् (५।२।११५) है । वाग्मी
में वाग्मिन् शब्दका इन् अनर्थक है । (५।२।१२४) दोनों स्थानोंपर दीर्घ

११ उत्तरपद कहीं भी निरर्थक नहीं होता । कारण यह कि मन्मात्रके अगले पदको
उत्तरपद कहते हैं । और अर्थवान्का अर्थवान्के साथ ही समास होता है ।

१२. 'अति' शब्दका 'महत्' शब्दके साथ समास होनेके बाद 'अतिमहत्' शब्दके
साथ 'परम' शब्दका समास हुआ है । तब 'अतिमहत्' शब्दमें 'महत्' उत्तरपद होनेसे
'अतिमहान्' में दीर्घ होगा । परन्तु 'परमातिमहत्' शब्दमें 'अतिमहत्' उत्तरपद है, 'महत्'
कहाँ उत्तरपद नहीं, इसलिए कहीं दीर्घ न होगा ।

सुस्रोता इत्यनर्थकेन । अस् ॥ मन् । सुरार्भेत्यर्थवता सुप्रथिमेःत्यनर्थकेन । मन् ॥
यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे ॥ २९ ॥

अल्ग्रहणेषु यस्मिन्विधिस्तदादाविति वक्तव्यम् । किं प्रयोजनम् । अचि भ्रुवातु-
भ्रुवां प्वोरियडुवडो [६-४-७७] इतीहैव स्यात् श्रियौ भ्रुवौ । श्रियः भ्रुव
इत्यन न स्यात् ॥

वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् ॥ १ । १ । ७३ ॥

वृद्धिग्रहणं किमर्थम् । यस्याचामादिस्तद् वृद्धमितीयत्युच्यमाने दात्ताः
रक्षिताः अत्रापि प्रसज्येत । वृद्धिग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥ अथ

(६।४।१२) होता है। असूका उदाहरण—सुपयाः। यहाँ पयस् शब्दका अस्
(उगा. ४।१८८) अर्थवान् है। सुस्रोताः में स्रोतस् शब्दका अस् (उगा ४।२०१)
अनर्थक है। (दोनों स्थानोंपर दीर्घ (६।४।१४) होता है।) मन्का उदाहरण—
सुशर्मा में शर्मन् शब्दका मन् (३।२।७५) अर्थवान् है। सुप्रथिमा में प्रथिमन्
शब्दका मन् अनर्थक (५।१।१२२) है। (दोनों स्थानोंपर डीप् प्रत्ययका निषेध
(४।१।११) होता है।)

(वा. २९) जो अल आगे होनेपर एकाध विधि बनाई जाती है उस अल्मे
तदादिका याने अल जिसके आरंभमें है ऐसे समुदायका ग्रहण होता है ऐसा कहा जाय।
इसका क्या उपयोग है ?

उपयोग यह कि ऐसा न कहनेपर 'अचि श्नुःशुभ्रवां प्वोरियडुवडो' (६।४।७७)
सूत्रसे बताया हुए इयड्, उवड् ये आदेश श्रियौ, भ्रुवौ, में अच् आगे होनेके कारण
होंगे। श्रियः, भ्रुवः, में नहीं होंगे।

(सू. ७३) जिस शब्दके अर्चामेंसे पहला अच् वृद्धिमंज्ञक है उस
शब्दको वृद्धसंज्ञा होती है।

इस सूत्रमें वृद्धि शब्द किसलिए रखा है ?

'यस्याचामादिस्तद् वृद्धम्' इतना ही सूत्र किया तो दात्ताः, रक्षिताः, में दत्,
रक्षित, इन शब्दोंको वृद्धसंज्ञा होने ल्योगी। इस सूत्रमें वृद्धि शब्द रखनेसे यह दोष
नहीं आता।

अब इस सूत्रमें यस्य शब्द किसलिए रखा गया है ?

यस्यग्रहण किमर्थम् । यस्येति व्यपदेशाय ॥ अथाग्रहण किमर्थम् । वृद्धिर्यस्या-
दिस्तद् वृद्धमितीयत्युच्यमान इहैव स्यात् । ऐतिकायनीया औपगवीया । इह न
स्यात् गागीया वात्सीया इति । अग्रहणे पुन क्रियमाणे न दोषो भवति ॥
अथादिग्रहण किमर्थम् । वृद्धिर्यस्याया तद् वृद्धमितीयत्युच्यमाने सभासनयने
भव साभासनयन इत्यत्र प्रसज्येत । आदिग्रहणे पुन क्रियमाणे न दोषो भवति ॥

वृद्धसज्ञायामजसनिवेशादनादित्वम् ॥ १ ॥

वृद्धसज्ञायामजसनिवेशादादिरित्येतन्नोपपद्यते । न ह्यत्र सनिवेशो ऽस्ति ॥
ननु चैव विज्ञायते ऽजेवादिर्जादेरिति । नैव शक्यम् । इहैव प्रसज्येत । औप-

इस प्रकृतसूत्रसे बताई हुई वृद्धसज्ञा किसे की जाय यह ज्ञात होनेके लिए वह
शब्द रखा गया है ।

अब इस सूत्रमें 'अचाम्' शब्द किसलिए रखा है ?

'वृद्धिर्यस्यादिस्तद् वृद्धम्' इतना ही सूत्र करनेपर ऐतिकायनीया, औपगवीया,
आदि स्थानोंपर ही केवल ऐतिकायन, औपगव, आदि शब्दोंको वृद्धसज्ञा होगी । और
गागीया वात्सीया, में गार्ग्य, वात्स्य को वृद्धसज्ञा नहीं होगी । सूत्रमें अचाम्
कहनपर यह दोष नहीं आता ।

अब इस सूत्रमें 'आदि' शब्द किसलिए रखा गया है ?

'वृद्धिर्यस्याचा तद् वृद्धम्' इतना ही सूत्र करनेपर सभासनयने भव साभासनयन
में 'सभासनयन' शब्दको भी वृद्धसज्ञा होने लगेगी । आदि शब्द सूत्रमें रखनेपर
यह दोष नहीं आता ।

(वा १) इस वृद्ध सज्ञा बतानेवाले शास्त्रमें 'अचोंमेंसे आदि' ऐसा जो कहा
है वह ठीक मेल नहीं खाता । क्योंकि 'अजसान्वेशात्' याने केवल अनेक अच् ही
एक स्थानपर जुड़े हुए किसी भी शब्दमें दिखाई नहीं देते ।

जिस शब्दका आदि वृद्ध है और वह अचोंमेंसे ही है याने अच् ही है, उस शब्दको
वृद्धसज्ञा होती है ।' ऐसा अर्थ किया जा सकेगा ।

ऐसा करना समझ नहीं । क्योंकि वैसा करनेपर औपगवीया में ही औपगवको

२ कारण यह कि गार्ग्य वात्स्य शब्दोंके आदिवर्ण गकार, वकार है । वे वृद्धिसक्त नहीं ।

३ अचोंमेंसे आदि ऐसा कहा गया तो जो अच् है उनमेंसे आदि यह अर्थ
सहज ही में ध्यान में आता है ।

४ अचोंमेंसे ही है अर्थात् 'मूल अचोंमेंसे' । अइउण् इत्यादि अक्षरसमाम्नायमें
जिनका उच्चारण किया है वे मूल अच् हैं । यह अर्थ न लिया गया तो अचोंमेंसे ही है ये
शब्द व्यर्थ होंगे ।

गवीयाः । इह न स्यात् । गार्गीया इति ॥ एकान्तादित्वं तर्हि विज्ञायने ।

एकान्तादित्वे च सर्वप्रसङ्गः ॥ २ ॥

इहापि प्रसज्येत । सभासनयने भवः सामासनयन इति ॥

सिद्धमजाकृतिनिर्देशात् ॥ ३ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । अजाकृतिनिर्दिश्यते ॥ एवमपि व्यञ्जनैर्व्यवहित-
त्वान्न प्राप्नोति ।

व्यञ्जनस्याविद्यमानत्वं यथान्यत्र ॥ ४ ॥

व्यञ्जनस्याविद्यमानवद्भावो वक्तव्यो यथान्यत्रापि व्यञ्जनस्याविद्यमानव-
द्भावो भवति । कान्यत्र । स्वरे ॥

वा नामधेयस्य ॥ ५ ॥

वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वचन्या । देवदत्तीयाः देवदत्ताः । यज्ञदत्तीयाः

वृद्धसंज्ञा होगी । गार्गीयाः में गार्ग्य को नहीं होगी ।

तो फिर, शब्दका आदि न लेकर शब्दके अवयवरूप भागका आदि लें ।

(वा. २) अवयवका जोड़ि लेनेपर प्रायः सभी स्थानोंपर वृद्धसंज्ञा होने लगेगी ।

सभासनयने भवः सामासनयनः में भी सभासनयन शब्दको वृद्धसंज्ञा होने लगेगी ।

यह सिद्ध होता है ।

मैं कैसे ?

शब्दका स्वर, व्यंजन मिलकर जो एक प्रकारका शब्दका आकार बना होता है उसमेंसे स्वररूपी आकारका यहाँ 'अच म्' से निर्देश किया है ।

परंतु वेगा लेनेपर भी वृद्धसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि शब्दमें जो व्यंजन है वे बाधक हाने उमदा क्या उपाय है ?

(वा. ५) व्यंजन नहीं के उपाय माने जायँ ऐसा यहाँ करना चाहिए ।

जैसे अन्य स्थानोंपर भी व्यंजन नहीं के उपाय माने जाते हैं वेमे ही यहाँ समझे जायँ ।

अन्य स्थानोंपर कौँ भटा ?

उदात्त आदि स्वर इत्यर्थ होनेपर ।

(ग. ५) जो शब्द एकदा मनुष्योंको नामरूप रसा जाता है उम शब्दको

यस्यग्रहणं किमर्थम् । यस्येति व्यपदेशाय ॥ अथाग्रहणं किमर्थम् । वृद्धिर्यस्या-
दिस्तद् वृद्धमितीयत्युच्यमान इहैव स्यात् । ऐतिकायनीयाः औपगवीयाः । इह न
स्यात् गार्गीयाः वात्सीया इति । अग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥
अथादिग्रहणं किमर्थम् । वृद्धिर्यस्याचां तद् वृद्धमितीयत्युच्यमाने सभासंनयने
भवः सभासंनयन इत्यत्र प्रसज्येत । आदिग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥

वृद्धसंज्ञायामजसंनिवेशादनादित्वम् ॥ १ ॥

वृद्धसंज्ञायामजसंनिवेशादादिरित्येतन्नोपपद्यते । न ह्यचां संनिवेशो ऽस्ति ॥
ननु चैवं विज्ञायते ऽजेवादिरजादेरिति । नैवं शक्यम् । इहैव प्रसज्येत । औप-

इस प्रकृतसूत्रसे बताई हुई वृद्धसंज्ञा किसे की जाय यह ज्ञात होनेके लिए वह
शब्द रखा गया है ।

अब इस सूत्रमें 'अचाम्' शब्द किसलिए रखा है ?

'वृद्धिर्यस्यादिस्तद् वृद्धम्' इतना ही सूत्र करनेपर ऐतिकायनीयाः, औपगवीयाः,
आदि स्थानोंपर ही केवल ऐतिकायन, औपगव, आदि शब्दोंको वृद्धसंज्ञा होगी । और
गार्गीयाः वात्सीयाः, में गार्ग्य, वात्स्य को वृद्धसंज्ञा नहीं होगी । सूत्रमें अचाम्
कहनेपर यह दोष नहीं आता ।

अब इस सूत्रमें 'आदि' शब्द किसलिए रखा गया है ?

'वृद्धिर्यस्याचां तद् वृद्धम्' इतना ही सूत्र करनेपर सभासंनयने भवः सभासंनयनः
में 'सभासंनयन' शब्दको भी वृद्धसंज्ञा होने लगेगी । आदि शब्द सूत्रमें रखनेपर
यह दोष नहीं आता ।

(वा. १) इस वृद्ध संज्ञा बतानेवाले शास्त्रमें 'अचोंमेंसे आदि' ऐसा जो कहा
है वह ठीक भेल नहीं सार्ता । क्योंकि 'अजसंनिवेशात्' याने केवल अनेक अच् ही
एक स्थानपर जुड़े हुए किसी भी शब्दमें दिखाई नहीं देते ।

जिस शब्दका आदि वृद्ध है और वह अचोंमेंसे ही है याने अच् ही है, उस शब्दको
वृद्धसंज्ञा होती है ।' ऐसा अर्थ किया जा सकेगा ।

ऐसा करना संभव नहीं । क्योंकि वैसा करनेपर औपगवीयाः में ही औपगवको

२. कारण यह कि गार्ग्य, वात्स्य शब्दोंके आदिवर्ण गकार, वकार है । वे वृद्धिसंज्ञक नहीं ।

३. 'अचोंमेंसे आदि' ऐसा कहा गया तो 'जो अच् है उनमेंसे आदि' यह अर्थ
सहज ही में ध्यान में धाता है ।

४. 'अचोंमेंसे ही है' अर्थात् 'मूल अचोंमेंसे' । अइण् इत्यादि अक्षरसामान्यायमें
जिनका उच्चारण किया है वे मूल अच् हैं । यह अर्थ न लिया गया तो 'अचोंमेंसे ही है' ये
शब्द व्यर्थ होंगे ।

गवीयाः । इह न स्यात् । गार्गीया इति ॥ एकान्तादित्वं तर्हि विज्ञायते ।

एकान्तादित्वे च सर्वप्रसङ्गः ॥ २ ॥

इहापि प्रसज्येत । सभासंनयने भवः सभासंनयन इति ॥

सिद्धमजाकृतिनिर्देशात् ॥ ३ ॥

सिद्धमेतत् । कथम् । अजाकृतिनिर्दिश्यते ॥ एवमपि व्यञ्जनैर्व्यवहित-
त्वान्न प्राप्नोति ।

व्यञ्जनस्याविद्यमानत्वं यथान्यत्र ॥ ४ ॥

व्यञ्जनस्याविद्यमानवद्भावो यक्तव्यो यथान्यत्रापि व्यञ्जनस्याविद्यमानव-
द्भावो भवति । कान्यत्र । स्वरे ॥

वा नामधेयस्य ॥ ५ ॥

वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयाः देवदत्ताः । यज्ञदत्तीयाः

वृद्धसंज्ञा होगी । गार्गीयाः में गार्ग्ये को नहीं होगी ।

तो क्रि, शब्दका आदि न लेकर शब्दके अन्वयस्वरूप भागका आदि हें ।

(वा. २) अवयवका आदि लेनेपर प्रायः सभी स्थानोंपर वृद्धसंज्ञा होने लगेगी ।

सभासंनयने भवः सभासंनयनः में भी सभासंनयन शब्दको वृद्धसंज्ञा होने लगेगी ।

यं सिद्ध होता है ।

सो कैसे ?

शब्दका स्वर, व्यंजन मिलकर जो एक प्रकारका शब्दका आकार बना होता
है उसमेंसे स्वररूपी आकारका यहाँ 'अथ म' से निर्देश किया है ।

परंतु ऐसा लेनेपर भी वृद्धसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि शब्दमें जो व्यंजन ' व ' बाधक
होंगे उमदा स्या उपाय है ?

(वा. ४) व्यंजन नहीं के बराबर माने जाय ऐसा यहाँ कहना चाहिये ।

जैसे अन्य स्थानोंपर भी व्यंजन नहीं के बराबर माने जाते हैं वैसे ही यहाँ समझे जायें ।

अन्य स्थानोंपर क्यों भटा ?

उदात्त अदि स्वर कर्तव्य होनेपर ।

(वा. ५) जो शब्द एकाः मनुष्यको नामस्वरूप रमा जाता है उस शब्दको

याज्ञदत्ताः ॥

गोत्रोत्तरपदस्य च ॥ ६ ॥

गोत्रोत्तरपदस्य च वृद्धसंज्ञा वक्तव्या । कम्बलचारायणीयाः ओदन-
पाणिनीयाः घृतरौढीयाः ॥

गोत्रान्ताद्वासमस्तवत् ॥ ७ ॥

गोत्रान्ताद्वासमस्तवत्प्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम् । एतान्येवोदाहरणानि ॥
किमविशेषेण । नेत्याह ।

जिह्वाकात्यहरितकात्यवर्जम् ॥ ८ ॥

जिह्वाकात्य हरितकात्य च वर्जयित्वा । जैह्वाकाताः । हारितकाताः ॥
किं पुनरत्र ज्यायः । गोत्रान्ताद्वासमस्तवदित्येव ज्यायः । इदमपि सिद्धं भवति ।
वृद्धसंज्ञा विकल्पसे होती है, उदा० देवदत्तीया, देवदत्ताः, यज्ञदत्तीयाः याज्ञदत्ताः ।

(वा ६) जिस शब्दका उत्तरपद गोत्रप्रत्ययधर्म है उस शब्दको वृद्धसंज्ञा होती
है ऐसा कहा जाय । उदाहरण कम्बलचारायणीयाः, ओदनपाणिनीयाः, घृतरौढीयाः ।

(वा ७) अथवा जिस शब्दका उत्तरपद गोत्रप्रत्ययधर्म है उस शब्दको
वृद्धसंज्ञा बताकर केवल इतना ही कहा जाय कि समास गोत्र न होगा वहाँ उन गोत्र
प्रत्ययान्त शब्दोंसे ये प्रत्यय होते हैं, वे ही प्रत्यय उस गोत्रप्रत्ययांतके पीछेके पूर्व
पदके साथ समास करनेपर भी उन सामासिक शब्दोंसे हाते हैं । उदाहरण पहले
दिये ही है ।

कुछ भी कहा जाय तो भी सर्वसाधारणतया क्या चाहे जिस गोत्रप्रत्ययान्त
शब्दके सबधर्म समझा जाय ?

वैसा नहीं, इसलिए वार्तिककार कहते हैं—

(वा. ८) जिह्वाकात्य और हरितकात्य ये दो शब्द छोड़कर अन्य गोत्रप्रत्ययान्त
शब्दके सबधर्म वह समझा जाय । उनके रूप जैह्वाकाता, हारितकाताः, ऐसे ही होते हैं ।
(वहाँ जिह्वाकात्य और हरितकात्य इन शब्दोंको वृद्धसंज्ञा न होनेके कारण उससे
छप्रत्यय (४।२।११४) न होकर अण् प्रत्यय ही हुआ है ।)

परंतु यहाँ ' गोत्रोत्तरपदस्य च ' और ' गोत्रान्ताद्वासमस्तवत् ' इन दो वार्तिकोंसे
कौनसा वार्तिक लेना अच्छा है ?

' गोत्रान्ताद्वासमस्तवत् ' यही वार्तिक लेना अच्छा है ।

७. वृद्धसंज्ञा हुई तब छ प्रत्यय (४।२।११४) हुआ । वृद्धसंज्ञा नहीं दे तब अण् प्रत्यय
(४।३।१२०) हुआ ।

८ वहाँ ' गोत्र ' शब्दसे सामान्य अपत्य लिया जाय । ' अपत्य अधिकारके सिवा
अन्यत्र गोत्रशब्दसे सामान्य अपत्य लिया जाय ' ऐसा प्रस्ताव है ।

पिङ्गलकाण्वस्य च्छात्राः पैङ्गलकाण्वाः ॥

त्यदादीनि च ॥ १ । १ । ७४ ॥

यस्याचामादिग्रहणमनुवर्तत उताहो न । किं चातः । यद्यनुवर्तत इह च प्रसज्येत त्वत्पुत्रस्य च्छात्रास्त्वात्पुत्राः मात्पुत्राः । इह च न स्यात् त्वदीयः मदीय इति । अथ निवृत्तमेद् प्राचां देशे [१-१-७५] यस्याचामादिग्रहणं कर्तव्यम् ॥ एवं तर्हानुवर्तते । कथं त्वात्पुत्रा इति । संबन्धमनुवर्तिष्यते । वृद्धि-र्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् । त्यदादीनि च वृद्धसंज्ञानि भवन्ति । वृद्धिर्यस्याचामादि-

क्योंकि वह लेनेपर पिङ्गलकाण्वस्य छात्राः पैङ्गलकाण्वाः यह उदाहरण भी सिद्ध होता है । (७३)

(सू. ७४) त्यद्, तद् इत्यादि शब्दोंको वृद्धसंज्ञा होती है ।

पूर्वसूत्रमेंसे 'यस्य अचाम् आदिः' ये पद आगे अनुवृत्त होते हैं या नहीं ?

अनुवृत्त हों या न हों उनमें फर्क क्या है ?

फर्क यह कि अगर उन पदोंकी अनुवृत्ति यहाँ की तो 'जिम शब्दके अचोंमेंसे आदि अच्, त्यद् आदि शब्दोंमेंसे हैं उसे वृद्धसंज्ञा होती है' ऐसा अर्थ होकर 'त्वत्पुत्रस्य छात्राः त्वात्पुत्राः', 'मात्पुत्राः' में त्वत्पुत्रः, मात्पुत्रः, इन शब्दोंको वृद्धसंज्ञा होगी और छ प्रत्यय होगा । और त्वदीयः, मदीयः में केवल युष्मद्, उस्मद् इन शब्दोंको वृद्धसंज्ञा नहीं होगी और छ प्रत्यय नहीं होगा । ठीक, अब उन पदोंकी अनुवृत्ति यहाँ न की जाय तो 'एद् प्राचां देशे' इस आगे सूत्रमें उन पदोंकी आवश्यकता होनेके कारण वहाँ वे 'यस्य अचाम् आदिः' ये पद स्वतंत्र रूपसे उच्चारने पड़ेंगे ।

तो फिर उन पदोंकी अनुवृत्ति यहाँ की जाय यही ठीक है ।

परंतु अनुवृत्ति की तो भी त्वात्पुत्राः, मात्पुत्राः, ये उदाहरण कैसे सिद्ध किये जायें ?

ऐसे सिद्ध किये जायें कि यद्यपि अनुवृत्ति की तो भी उसका आदि शब्द पूर्व सूत्रमें वृद्धिपदसे हुए संबंधका ही अनुसरण करता है (याने उस आदि शब्दका यहाँ त्यद् आदिके साथ संबंध नहीं होता तब ऐसा अर्थ होता है) 'वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम्' सूत्रके आगे 'त्यदादीनि च' सूत्रमें 'वृद्धिः यस्य अचाम् आदिः तद् वृद्धम्' ये सब पद अनुवृत्त होते हैं । उसका अर्थ—त्यद् आदि शब्दोंको वृद्धसंज्ञा

१ समास न होते हुए केवल क्वव शब्दके आगे 'भ्' प्रत्यय कहा है। (४।२।१।११) वही 'पिङ्गलकाण्व' शब्दके आगे होता है । यदि 'पिङ्गलकाण्व' की वृद्धसंज्ञा की तो उसके आगे छ प्रत्यय (४।२।१।१२) होने लगेगा ।

स्तद् वृद्धम् एङ् प्राचा देशे । यस्याचामादिग्रहणमनुवर्तते वृद्धिग्रहण निवृत्तम् ।
तथथा । कश्चित्कान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादत्ते । स यदा निष्कान्तारीभूतो
भवति तदा सार्थं जहाति ॥

एङ् प्राचां देशे ॥ १ । १ । ७५ ॥

एङ् प्राचा देशे शैषिकेष्विति व्यक्तव्यम् । सैपुरिकी सैपुरिका । स्कौनग-
रिकी स्कौनगरिकेति ॥

इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे
पादे नवममाह्निकम् ॥ पादश्च समाप्तः ॥

इति नवाह्निकी समाप्ता ॥

होती है और जिस शब्दके अर्चोमिसे आदि अच् वृद्धि है उसे वृद्धसज्ञा होती है ।
उसके आगेके सूत्र— 'एङ् प्राचा देशे' में 'यस्य अचाम् आदिः तद् वृद्धम्' ये
पद अनुवृत्त होते हैं, वृद्धिशब्दकी अनुवृत्ति नहीं होती । (अतः अर्थात् ही आदि शब्द
पहले वृद्धिपदके साथ किये हुए सचको यहाँ छोड़ता है ।) जैसे एकाव बटोही दोंमिसे
बीहड़ मार्गसे जानेकी नौबत आनेपर चार लोगोंका साथ लेकर उनके साथ जाता है पर
आगे उस बीहड़ रास्तेसे बटनेपर वह वह साथ छोड़कर आगे चला जाता है, उसी
प्रकार यह है ।

(सू ७५) जिस देशवाचक शब्दका आदि अच् एङ् है उस शब्दको
वृद्धसज्ञा विकल्पसे होती है ।

'एङ् प्राचा देशे' सूत्रसे बताया हुई वृद्धसज्ञा 'शेषे' (४।२।१२) इस
अधिहारका प्रयय कर्तव्य होनेपर ही होती है ऐसा कहा जाय, उदा० स्कौनगरिकी,
स्कौनगरिका ।

इस प्रकार भगवान् पतञ्जलिविरचित व्याकरणमहाभाष्यके पहले अध्यायके
पहले पादका नौवाँ आदिह्न समाप्त हुआ, और पदम पाद समाप्त हुआ ।